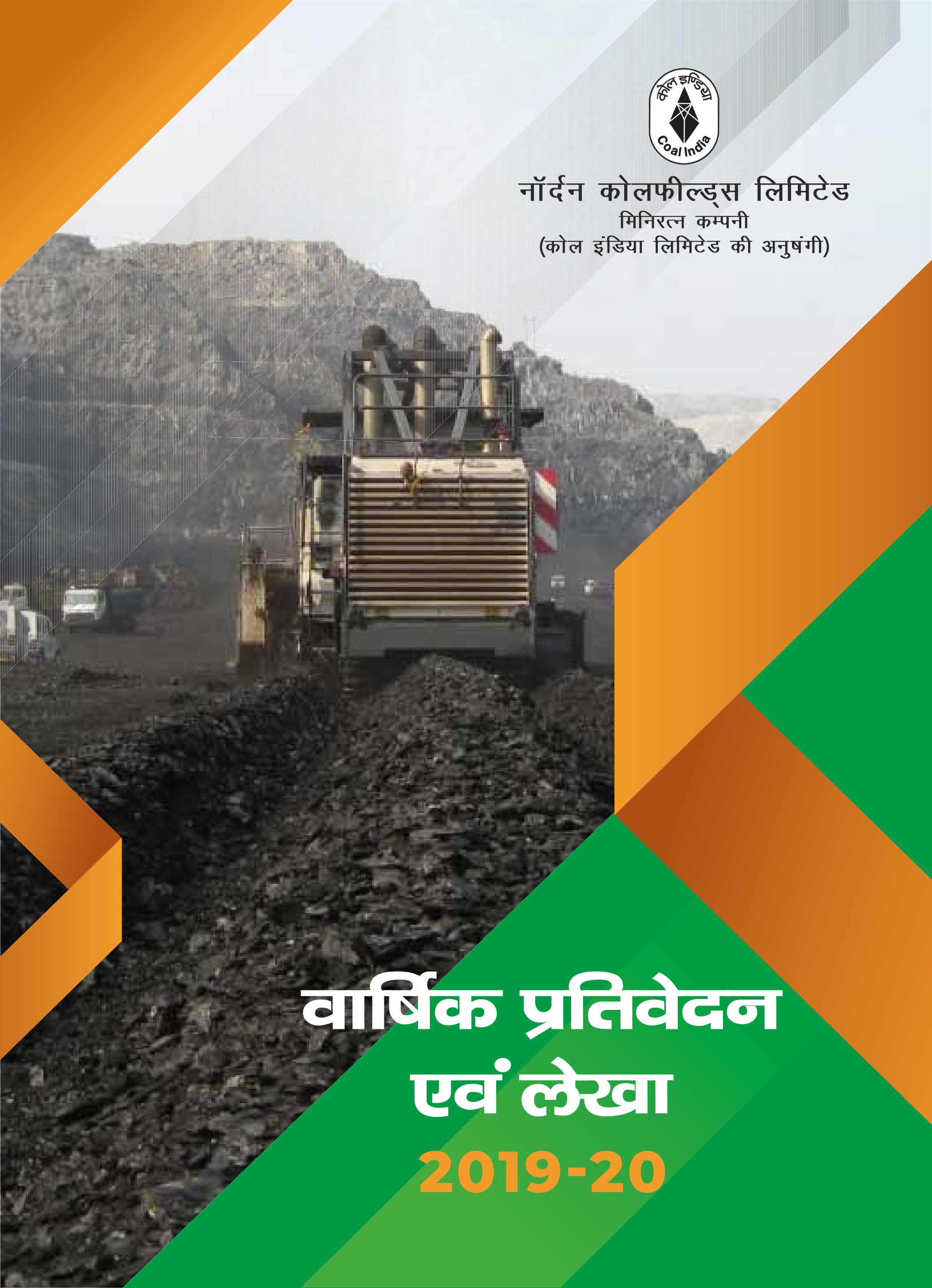

नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड

मिनिरत्न कम्पनी

(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी)

वार्षिक प्रतिवेदन एवं लेखा

2019-20

विषय सूची

क्रम संख्या	विवरण		पृष्ठ क्रमांक
1.	एनसीएल की दृष्टि एवं उद्देश्य		2
2	निदेशक मंडल		3
3	बैंकर्स एवं अंकेक्षक		6
4	35वीं वार्षिक आम बैठक की सूचना		8
5	आवश्यक वित्तीय विवरण, संचालन सांख्यिकी और चित्रमय अभ्यावेदन		14
6	अध्यक्षिय प्रतिवेदन		27
7	निदेशकीय रिपोर्ट		32
8	निदेशकीय रिपोर्ट के अनुलग्नक		
	अनुलग्नक–I	सीएसआर का वार्षिक रिपोर्ट	105
	अनुलग्नक–II	ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन एवं विदेशी विनिमय आय एवं व्यय	136
	अनुलग्नक–III	कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक का विवरण	141
	अनुलग्नक–IV	सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं प्रबंधन के जबाब	142
	अनुलग्नक–V	निदेशकगणों का विवरण	148
	अनुलग्नक–VI	फार्म एओसी–2 में धारा 188(1) के अंतर्गत संबंधित पार्टियों से अनुबंध व व्यवस्थाएं	153
	अनुलग्नक–VII	कारपोरेट गवर्नेंस प्रमाण–पत्र	154
	अनुलग्नक–VIII	प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट	155
	अनुलग्नक–IX	सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण–पत्र	163
	अनुलग्नक–X	फॉर्म संख्या–एमजीटी 9 में धारा 92(3) के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न का उद्धरण सार	164
	अनुलग्नक–XI	स्वतंत्र अंकेक्षक प्रतिवेदन एवं प्रबंधन के जवाब	176
	अनुलग्नक–XII	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(4) के अंतर्गत प्रकटीकरण	190
9	कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143 के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ		193
10	31 मार्च, 2020 को विद्यमान तुलन–पत्र		197
11	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए लाभ एवं हानि का विवरण		199
12	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का नकदी प्रवाह विवरण		202
13	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव का विवरण		204
14	31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष एवं तिमाही के अंकेक्षित प्रतिवेदन		206
15	सम्पत्ति एवं देयताओं का विवरण		208
16	वित्तीय विवरण पर टिप्पणियाँ		229

संकल्पना

खनन से लेकर बाजार तक सर्वश्रेष्ठ प्रयासों के माध्यम से पर्यावरण एवं सामाजिक निरंतरता के विकास को पूरा करते हुए देश को ऊर्जा सुरक्षा मुहैया कराने के प्रति प्रतिबद्ध रहकर प्राथमिक ऊर्जा के क्षेत्र में एक विश्व खिलाड़ी के तौर पर उभरना।

लक्ष्य

सुरक्षा, संरक्षण एवं गुणवत्ता के साथ पर्यावरण अनुकूल तरीके से सक्षमतापूर्वक एवं आर्थिक रूप से कोयला एवं कोयला उत्पादों का नियोजित मात्रा में उत्पादन एवं विपणन करना।

निदेशक मंडल
(29.06.2020)

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री पी.के. सिन्हा

सरकारी अंशकालिक निदेशकगण

श्री एम. नागाराजू

श्री एस.एन. तिवारी

गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकगण

श्री बी.पी. पाण्डेय

कार्यकारी निदेशकगण

श्री गुणाधर पाण्डेय
निदेशक (तकनीकी/संचालन)

श्री बिमलेंदु कुमार
निदेशक (कार्मिक)

डॉ. अनिंद्या सिन्हा
निदेशक (तकनीकी/परियोजना एवं योजना)

श्री आर.एन. दुबे
निदेशक (वित्त)

स्थायी आमंत्री

श्री सलिल कुमार झा

श्री सुनील अग्रवाल

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी)

सीआईएन–यू10102एमपी1985जीओआई003160

निदेशक मण्डल

(29.06.2020 को स्थिति)

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

श्री प्रभात कुमार सिन्हा

सरकारी अंशकालिक निदेशकगण

श्री एम. नागाराजू	:	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय
श्री एस.एन. तिवारी	:	निदेशक (विपणन), कोल इंडिया लिमिटेड

गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकगण

श्री बी.पी.पाण्डेय

कार्यकारी निदेशकगण

श्री गुणाधर पाण्डेय	:	तकनीकी / संचालन
श्री बिमलेंदु कुमार	:	कार्मिक
श्री अनिंद्या सिन्हा	:	तकनीकी / परियोजना एवं योजना
श्री आर.एन. दुबे	:	वित्त एवं सी.एफ.ओ.

स्थायी आमंत्री

श्री सलील कुमार झा	:	मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर (बिहार)
श्री सुनील अग्रवाल	:	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू.प्र), मध्य प्रदेश शासन, भोपाल

कंपनी सचिव

श्री हर्ष चौहान

निदेशक मण्डल
(वर्ष 2019–20 के दौरान)

अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक

श्री प्रभात कुमार सिन्हा	:	पूरे वर्ष

सरकारी अंशकालिक निदेशकगण

श्रीमती रीना सिन्हा पूरी	:	संयुक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार, कोयला मंत्रालय (29.11.2019 तक)
श्री मुकेश चौधरी	:	निदेशक, कोयला मंत्रालय (29.11.2019 से 17.03.2020 तक)
श्री एम. नागाराजू	:	संयुक्त सचिव, कोयला मंत्रालय (17.03.2020 से)
श्री एस.एन. प्रसाद	:	निदेशक (विपणन), कोल इंडिया लिमिटेड (30.11.2019 तक)
श्री एस.एन. तिवारी	:	निदेशक (विपणन) कोल इंडिया लिमिटेड (23.12.2019 से)

गैर सरकारी अंशकालिक निदेशकगण

प्रो. ए.के. अग्रवाल	:	16.11.2019 तक
श्री एस.के. माहेश्वरी	:	16.11.2019 तक
डॉ. एस.एम. झारवाल	:	01.02.2020 तक
श्रीमती रमीलाबेन बारा	:	11.03.2020 तक
श्री बी.पी. पाण्डेय	:	पूरे वर्ष

कार्यकारी निदेशकगण

श्री गुणाधर पाण्डेय	:	तकनीकी / संचालन (पूरे वर्ष)
श्री पी.एम. प्रसाद	:	तकनीकी / परियोजना एवं योजना (02.08.2019 तक)
श्री नाग नाथ ठाकुर	:	वित / मुख्य वित्त अधिकारी (पूरे वर्ष) अतिरिक्त प्रभार निदेशक (कार्मिक) (25.02.2020 तक)
श्री एम.के. प्रसाद	:	तकनीकी / परियोजना एवं योजना (14.08.2019 से)
श्री बिमलेंदु कुमार	:	कार्मिक (25.02.2020 से)

स्थायी आमंत्री

श्री सलील कुमार झा	:	मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर (बिहार) (पूरे वर्ष)
श्री सुनील अग्रवाल	:	अपर प्रधान मुख्य वन संरक्षक (भू.प्र), मध्य प्रदेश शासन, भोपाल (पूरे वर्ष)
श्री प्रकाश तिवारी	:	निदेशक (संचालन), एनटीपीसी, नई दिल्ली (पूरे वर्ष)

कंपनी सचिव

श्री हर्ष चौहान	:	पूरे वर्ष

बैंकर्स
(वर्ष 2019–20 के दौरान)

स्टेट बैक ऑफ इण्डिया, सिंगरौली

युनियन बैंक ऑफ इंडिया, सिंगरौली

इलाहाबाद बैंक, सिंगरौली

सिंडिकेट बैंक, सिंगरौली

ऐक्सिस बैंक, सिंगरौली

आईसीआईसीआई बैंक, सिंगरौली

बैंक ऑफ महाराष्ट्र, कोलकाता

आन्ध्रा बैक, कोलकाता

यूको बैंक, कोलकाता

यूनाइटेड बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता

कारपोरेशन बैंक, कोलकाता

ओरिएन्टल बैंक ऑफ कामर्स, कोलकाता

कैनरा बैंक, कोलकाता

बैंक ऑफ इंडिया, कोलकाता

बैंक ऑफ बड़ौदा, कोलकाता

पंजाब नेशनल बैंक, कोलकाता

एचडीएफसी, कोलकाता

इंडियन बैंक, कोलकाता

अंकेक्षक

सांविधिक अंकेक्षक

मेसर्स जे.एन. शर्मा एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेड्स
कानपुर (उ.प्र.)

शाखा अंकेक्षक

मेसर्स जे. के. ए एण्ड कंपनी
चार्टर्ड एकाउन्टेड्स
भोपाल (म.प्र.)

मेसर्स आरएएमकेआरएजे एण्ड असोसिएट्स
चार्टर्ड एकाउन्टेड्स
वाराणसी (उ.प्र.)

लागत अंकेक्षक

मेसर्स ए.बी.के. एण्ड असोसिएट्स
कास्ट एकाउन्टेंटस
इंदोर (म.प्र.)

शाखा अंकेक्षक

मेसर्स आर.के. पटेल एण्ड कं.
कास्ट एकाउन्टेंटस
इन्दौर (म.प्र.)

मेसर्स के.बी. सक्सेना एण्ड एसोसिएट्स
कोस्ट एकाउन्टेंटस
लखनऊ (उ.प्र.)

सचिवीय अंकेक्षक

मेसर्स महेश्वरी आर. एण्ड एसोसिएट्स
प्रेक्टिसिंग कंपनी सचिव
कोलकाता (प.बं.)

पंजीकृत कार्यालय

पोस्ट आफिस सिंगरौली कोलियरी
जिला – सिंगरौली (म.प्र.) – 486 889
सीआईएन – यू10102एमपी1985जीओआई003160
वेबसाइट – www.nclcil.in
ई–मेल – cs.ncl@coalindia.in
दूरभाष – 07805–266670, 266392

सूचना

35वीं वार्षिक आम बैठक

क्र. : एनसीएल / बोर्ड / 1(एजीएम) / 2020–21 / 776 14 अगस्त, 2020

एतद् द्वारा यह सूचित किया जाता है कि नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों की पैंतीसवीं वार्षिक आम बैठक निम्नलिखित कार्यो के निष्पादन के लिए नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के पंजीकृत कार्यालय सिंगरौली (म.प्र.)–486889 में विडियो कॉन्फ्रेंसिंग (वीसी) / अन्य ऑडियो विज्वल माध्यम (''ओएवीएम'') से मंगलवार, दिनांक 18 अगस्त, 2020 को पूर्वान्ह 10.30 बजे बुलाई गयी है :–

साधारण व्यवसाय :

1. दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित वित्तीय विवरण एवं उस पर निदेशक मंडल, सांविधिक अंकेक्षक एवं नियंत्रक तथा महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट पर विचार एवं क्रियान्वयन।

2. वितीय वर्ष 2019–20 के साम्य अंश पर घोषित अंतरिम लाभांश के भुगतान को अंतिम लाभांश के रूप में पुष्टि करना।

3. श्री प्रभात कुमार सिन्हा (डीआईएन : 07599781) अध्यक्ष सह–प्रबंध निदेशक जो कि क्रमानुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152 (6) के तहत् सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तथा सुयोग्य होने के कारण स्वयं को पुर्ननियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।

4. श्री सत्येंद्र नाथ तिवारी (डीआईएन : 07911040) सरकारी अंशकालिक निदेशक जो कि क्रमानुसार कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 152(6) के तहत् सेवानिवृत्त हो रहे हैं, तथा सुयोग्य होने के कारण स्वयं को पुर्ननियुक्ति के लिए प्रस्तावित किया है, के स्थान पर निदेशक की नियुक्ति करना।

विशेष व्यवसाय

विचार करने के लिए और यदि संशोधित या संशोधित किए बिना विचार किया जाता है, तो सामान्य समाधान के रूप में पारित करने के लिए निम्नलिखित :

5. वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लागत लेखा अंकेक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

   "यह संकल्पित किया जाता है कि कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 148 (3) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी (अंकेक्षण एवं अंकेक्षकों) नियम, 2014 के नियम 14 के अंतर्गत (किसी अन्य वैधानिक संशोधन या लागू होने के लिए इसके पुनः अधिनियमन सहित) वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लागत लेखा अंकेक्षकों का पारिश्रमिक, जैसा कि 118वीं बैठक में लेखा परीक्षा अंकेक्षण समिति द्वारा अनुशंसित किया गया है और एनसीएल के निदेशक मंडल द्वारा मद संख्या 247 / सी–1 के माध्यम से दिनांक 27.09.2019 को सिंगरौली में आयोजित 247वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है की निम्नवत् पुष्टि की जा रही है" :

क्र. सं.	लागत अंकेक्षक का नाम	स्थिति	परियोजना / इकाई	लागत अंकेक्षण फीस (रुपये में)	टी.ए. एवं आउट ऑफ पाकेट खर्च	जीएसटी अधिनियम 2017 के अनुसार करों की प्रतिपूर्ति
1	मेसर्स एबीके एंड एसोसिएट्स (एफआरएन–000036)	मुख्य लागत अंकेक्षक	झिगुरदाह, दुधीचुआ, अमलोरी, ब्लाक 'बी', एनएससी एवं मुख्यालय (एनसीएल डेस्क ऑफिस, कोलकाता सहित) एवं लागत रिपोर्ट का समेकन	6,00,000.00	वास्तव में लेखा परीक्षा शुल्क के 50% की सीमा के अधीन	वास्तविक
2	मेसर्स आर.के. पटेल एण्ड कं. (एफआरएन–100180)	शाखा लागत अंकेक्षक–1	जयंत (केन्द्रीय अग्निशमन), निगाही, केन्द्रीय कर्मशाला एवं केन्द्रीय निरंक्षण सेल	2,21,000.00	वास्तव में लेखा परीक्षा शुल्क के 50% की सीमा के अधीन	वास्तविक
3	मेसर्स के बी सक्सेना एण्ड एसोसिएट, (एफआरएन–000313)	शाखा लागत अंकेक्षक 2	बीना, कृष्णशीला, बीना विस्तारण, ककरी, खडिया (आईडब्लूएसएस सहित)	2,21,000.00	वास्तव में लेखा परीक्षा शुल्क के 50% की सीमा के अधीन	वास्तविक

निदेशक मंडल के आदेशानुसार

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के लिए

ह/–

(हर्ष चौहान)

कम्पनी सचिव

पंजीकृत कार्यालय :

पोस्ट आफिस – सिंगरौली कोलियरी

जिला – सिंगरौली (म.प्र.)–486889

टिप्पणी

1. वर्तमान में कोविड–19 सर्वव्यापी महामारी को ध्यान में रखते हुए, कार्पोरेट अफेयर्स मंत्रालय ("एमसीए") द्वारा दिनांक 05 मई, 2020 को जारी सर्क्युलर जिसे 08 अप्रैल एवं 13 अप्रैल 2020 को जारी सर्क्युलरो के साथ पढ़ा जाये (सामूहिक रूप से एमसीए परिपत्र के रूप में जाना जाता है) जिसके अनुसार वार्षिक सामान्य बैठक ("एजीएम"/बैठक) को विडियो कॉन्फ्रेंसिंग ("वीसी") या अन्य ओडियो विज्वल माध्यम ("ओएवीएम") से कराये जाने की अनुमति प्रदान की गयी है जिसमे सदस्यों को किसी एक स्थान उप–उपस्थिती देने की आवश्यकता नहीं है।

   वीसी या ओएवीएम के माध्यम से बैठक की जाएगी। उपस्थित होने के लिए कंपनी की अधिकृत ई–मेल के माध्यम से लिंक प्रदान एवं बैठक में भाग लेने की सुविधा बैठक के शुरू होने से निर्धारित समय से कम से कम 15 मिनट पहले उपलब्ध होगी और उस निर्धारित समय के बाद कम से कम 15 मिनट तक बंद नहीं होगी।

2. जैसा कि एजीएम वीसी/ओएवीएम, के माध्यम से होगी इसलिए बैठक के स्थान का रूट मैप संलग्न नहीं किया गया है।

3. कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 101/कंपनी के आर्टिकल ऑफ एसोसिएशन के अन्तर्गत अल्पकालीन सूचना पर बैठक आयोजित करने के लिए सदस्यों से उनकी सहमति प्रदान करने का भी अनुरोध किया जाता है।

4. कोई सदस्य जो बैठक में भाग लेने और वोट देने के हकदार हैं, वे अपने बदले में भाग लेने और वोट देने के लिए 'परोक्षी प्रतिनिधि' (प्रॉक्सी) या 'परोक्षी प्रतिनिधियों को नियुक्त कर सकते हैं तथा 'परोक्षी प्रतिनिधि' को कम्पनी का सदस्य होना जरूरी नहीं है। जैसा कि एजीएम एमसीए के सर्क्युलर के अनुसार वीसी/ओएवीएम के माध्यम से सुनिश्चित किया गया है, जिसमें सदस्यो की शारीरिक उपस्थिति नहीं रहने के कारण एजीएम में सदस्यो द्वारा प्रतिनिधि (प्रॉक्सि) नियुक्त करने की सुविधा उपलब्ध नहीं होने के कारण प्रॉक्सि फॉर्म एवं उपस्थिती पर्ची संलग्न नहीं की गयी है।

5. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 171(1) (बी) एवं 189 (4) के अनुसार कंपनी को प्रति वर्ष वार्षिक बैठक के दौरान सभी प्रस्तावित खाते के निरीक्षण के लिए उपलब्ध कराना है। यह खाते बैठक में भाग लेने का अधिकार रखने वाले किसी भी व्यक्ति के लिए पूरी बैठक के दौरान आसानी से उपलब्ध होगी।

6. अधिनियम की धारा 102(1) के अनुसार विवरण जो कि विशेष व्यवसाय से संबन्धित हो, को एजीएम के द्वारा किया जाएगा जिसे "अनुलग्नक ए" से संलग्न किया गया है।

7. निदेशक जो रोटेशन के माध्यम से सेवानिवृत्त हो रहे है/नियुक्ति की मांग रख रहे/और इस बैठक में पुनः नियुक्ति हो रही, का विवरण "अनुलग्नक बी" में दिया गया है।

वितरण

(सदस्यों से निवेदन के साथ कि या तो वह स्वयं उपस्थित रहे या अधिकृत प्रतिनिधि द्वारा, जो लागू हो)

1. मेसर्स कोल इंडिया लिमिटेड, सदस्य, एनसीएल, कोल भवन, न्यू टाऊन, राजरहट, कोलकाता–700156
2. श्री प्रमोद अग्रवाल, अध्यक्ष, कोल इंडिया लिमिटेड, सदस्य, एनसीएल, कोल भवन, न्यू टाऊन, राजरहट, कोलकाता–700156।
3. श्री एस.एन. तिवारी, निदेशक (विपणन), कोल इंडिया लिमिटेड, सदस्य, कोल भवन, न्यू टाऊन, राजरहट, कोलकाता–700156।
4. श्री पी.के. सिन्हा, अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक, सदस्य, एनसीएल, सिंगरौली (म.प्र.)–486889
5. समस्त निदेशकगण/स्थाई आमंत्री, एनसीएल बोर्ड
6. अध्यक्ष, लेखा परीक्षा समिति/नामांकन और पारिश्रमिक समिति, एनसीएल
7. मेसर्स जे.एन. शर्मा, एड कंपनी, चार्टर्ड एकाउन्टेन्ट्स, सांविधिक अंकेक्षक, एनसीएल 58/4 बिरहाना रोड, पो. ओ. वाक्स नं. 389, कानपुर (उ.प्र.)–208001
8. मेसर्स ए.बी.के. एंड एसोसियट्स लागत अंकेक्षक (एफआरएन–000036), लागत अंकेक्षक, 404, शालीमार कॉर्पोरेट केंद्र, 8–बी, दक्षिण तुकोगंज, इंदौर (म.प्र.) – 452001
9. मेसर्स माहेश्वरी आर. एंड एसोसियट्स, कंपनी सचिव, सचिवीय अंकेक्षक, एनसीएल, 16, ब्रिटिश इंडिया स्ट्रीट, दूसरा तल, कमरा संख्या–2डी, कोलकाता (प.ब.) – 700069

प्रतिलिपि :

1. कंपनी सचिव, कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, न्यू टाउन, राजरहट, कोलकाता– 700 156
2. महाप्रबंधक (वित्त–कार्पोरेट लेखा)/प्रमुख आंतरिक अंकेक्षण विभाग, एनसीएल, सिंगरौली
3. महाप्रबंधक (प्रणाली), एनसीएल सिंगरौली – एनसीएल के वेबसाइट पर एजीएम की सूचना प्रकाशित करने हेतु अनुरोध।

अनुलग्नक–ए

कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 102 (1) के अनुसार व्याख्यात्मक विवरण

मद संख्या 5 : वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए लागत लेखा अंकेक्षकों के पारिश्रमिक का अनुसमर्थन

कंपनियों की धारा 148 (3) अधिनियम, 2013 नियम 14 (ए) (ii) कंपनियों (ऑडिट और ऑडिटर्स) नियमों के साथ पढ़ा जाये, 2014 लागत लेखा अंकेक्षकों के पारिश्रमिक संबन्धित यह कहता है कि लागत लेखा अंकेक्षकों को देय पारिश्रमिक की स्वीकृति निदेशक मंडल द्वारा अंकेक्षण समिति की सिफारिश पर की जाएगी, जिसका अनुसमर्थन अंशधारकों से किया जाएगा।

निविदा में अंकित दिशा–निर्देश के अनुसार नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में नियुक्त लागत अंकेक्षकों को 2019–20 का देय पारिश्रमिक कोल इंडिया द्वारा अपने और अनुशंगी कंपनी के लिए जारी नियमानुसार है।

लागत अंकेक्षण के परिश्रमिक जिन्हें वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए नियुक्त किया गया की सिफारिश अंकेक्षण समिति के द्वारा 118वीं बैठक दिनांक 27.09.2019 में की गई और बाद में कंपनी के निदेशक मण्डल द्वारा बैठक संख्या 247वीं जो 27.09.2019 को सिंगरौली में मद संख्या 247/सी–1 से पारित हुई।

तदनुसार लागत लेखा अंकेक्षकों मेसर्स एबीके एंड एसोसियट्स (एफआरएन–000036), मुख्य लागत अंकेक्षक, मेसर्स आर के पटेल एंड कंपनी (एफआरएन–100180), शाखा लागत अंकेक्षक–1 एवं मेसर्स के बी सक्सेना एंड एस्सोसियट्स (एफआरएन–000313), शाखा लागत अंकेक्षक–2 के वित्त वर्ष 31 मार्च, 2020 को देय पारिश्रमिक के अनुसमर्थन के लिए नोटिस के 5 नंबर पर निर्धारित एक साधारण प्रस्ताव पारित करने के लिए सदस्यों की सहमति मांगी जाती है।

इसलिए, साथ में सूचना के 5 नंबर मद में निर्धारित प्रस्ताव को कंपनी के सदस्यों के अध्यादेश प्रस्ताव के अनुमोदन के लिए अनुशंसित किया जाता है।

कोई भी निदेशक, प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक या उनके रिश्तेदार इस संकल्प में दिलचस्पी नहीं रखते है।

अनुलग्नक–बी

निदेशकगण का विवरण जो रोटेशन के माध्यम से सेवानिवृत्त हो रहे है, और वार्षिक समान्य बैठक में पुनः नियुक्ति के लिए उपलब्ध हैं।

1. श्री प्रभात कुमार सिन्हा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (डीआईएन–07599781)

श्री प्रभात कुमार सिन्हा ने 22 दिसम्बर 2017 से एनसीएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया हैं और पूर्ण जिम्मेवारी के साथ कंपनी के प्रदर्शन, लोग और उपक्रम के लिए कार्य कर रहे हैं, जिसमें कंपनी के व्यावसायिक योजना का विकास और क्रियान्वयन शामिल है। जनवरी 1962 में पैदा हुए श्री सिन्हा ने वर्ष 1982 में रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर से खनन अभियांत्रिकी (इंजीनियरिंग) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होंने वर्ष 1988 में आईएसएम – धनबाद से 'माइन प्लानिंग और डिजाइन' में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। श्री सिन्हा को खुली खदान और भूमिगत खदान कार्यों में 36 सालों का पेशेवर अनुभव है। उन्हें कोल इंडिया लिमिटेड के व्यक्ति, वस्तु और परियोजना प्रबंधन एवं परिचालन का व्यापक अनुभव है।

एसईसीएल, डबल्यूसीएल और एनसीएल के खुली खदान और भूमिगत खदानों में श्री सिन्हा ने उत्पादन इकाई के प्रमुख के रूप में प्रोद्योगिकी लगातार कई वर्षो में 100% से अधिक लक्ष्य प्राप्ति की उपलब्धि के साथ कार्य किया है। उन्होंने सीएमपीडीआईएल मुख्यालय के विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी विभाग में भी कार्य किया है। वर्ष 2007 से 2016 तक एनसीएल में प्रोजेक्ट मैनेजर (योजना/प्रबन्धक) और प्रोजेक्ट प्रमुख के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने करियर (पेशेवर जीवन) में कई रंग जोड़े है। उन्होंने अपनी टीम को एक दिन में 2.05 लाख टन के सर्वाधिक उत्पादन, जो की जयंत क्षेत्र (10 मि.टन. प्रति वर्ष) के इतिहास में रिकॉर्ड है के लिए प्रेरित किया। उन्होंने एनसीएल के जयंत और अमलोरी ओसीपी में एक आक्रामक प्रक्रिया पुनर्रचना (रिइंजीनियरिंग) कार्यक्रम का नेतृत्व किया, जिसमें कम लागत पर अपनी उत्पादक्ता में सुधार किया।

श्री सिन्हा को एसईसीएल में 03 अगस्त 2016 को निदेशक (यो. एवं प.) के पद पर नियुक्त किया गया। अपने एक वर्ष चार माह के कार्यकाल के दौरान इन्होंने 752.459 हैकटेयर भूमि का भौतिक अधिग्रहण किया, एमओईएफ (MOEF) और सीसी से 8 खदानों के लिए टीओआर और एक के लिए ईसी (EC) प्राप्त किया, 383 हेक्टेयर वन भूमि के लिए चरण II की अनुमति पाई और एसईसीएल डम्प ढ़लानों की निगरानी हेतु स्लोप स्टेबिलिटी रडारो (ढलान स्थिरता रडारो) को प्रचलित किया।

श्री सिन्हा ने वर्ष 2008 में पोलैंड में तथा 2011 में इस्तांबुल, (तुर्की) में विश्व खनन कॉंग्रेस में भारतीय कोयला उद्योग का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने वर्ष 2014 के दौरान उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए स्वीडन, स्विट्जरलैंड और जर्मनी का भी दौरा किया। वह सितंबर 2016 के दौरान लास वेगास, यूएसए अंतर्राष्ट्रीय मिनिएक्स्पो 2016 का भी हिस्सा थे। जून 2017 की अवधि के दौरान सीआईएल/सीएमपीडीआई और सीआईएसआरओ ऑस्ट्रेलिया के बीच एमओयू के तहत प्रोद्योगिकी मिशन का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान भी इन्हें प्राप्त है।

उनकी योग्यता, उनके तकनीकी पेपर जिसका शीर्षक 'डम्प स्लोप मॉनिटरिंग एट जयंत– द न्यू परसपेक्टिव' है और जिसे चौथे एशियन माइनिंग कॉंग्रेस, जो वर्ष 2012 में कोलकाता में आयोजित हुआ था में प्रस्तुत किया गया था, में अभिव्यक्त होती है। इसके अतिरिक्त तकनीकी पेपर जिसका शीर्षक' इफैक्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्लास्ट ऑन डम्प स्टेबिलिटी इन ओपेन पीट माइंस' है और जिसे एफआरएजीबीएलएएसटी–10 जिसका आयोजन नवम्बर 2012 को नई दिल्ली मे हुआ था, तथा तकनीकी पेपर जिसका शीर्षक 'इनवायरनमेंट सशटेनिबिलिटी एनालिसिस इन एसईसीएल' है और जिसे एनएक्सजीएनएमआईएफयू (NxGnMiFu)–2017 (नेक्स्ट जेनेरेशन माइनिंग फ्युचर 2017) सम्मेलन नई दिल्ली में (15–17 फरवरी, 2017) प्रस्तुत किया गया था, में अभिवयक्त होती है।

उन्हें कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जैसे की वर्ष 2010–11 के लिए एमपीसीसीबी–भोपाल द्वारा परियोजना प्रमुख के रूप में पर्यावरण–प्रबंधन में उत्कृष्टता सम्मान, लगातार दो वर्षो (2012, 2013) के लिए सर्वश्रेष्ठ खान प्रबंधक का एच बी घोष मेमोरियल पुरस्कार, जिसकी मेजबानी एमजीएमआई द्वारा कोलकाता में की गयी थी। वर्तमान में वे माइनिंग, जियोलोजिकल एंड मेटालर्जिकल इंस्टीट्यूट और इंडियन माइन मैंनेजर्स एसोसिएशन के साथ भी जुड़े हुए है।

श्री सिन्हा कार्य में अपने बहु–आयामी अनुभव का उपयोग करते है जिससे की वे सक्षम रणनीतिकार बन सके और संस्थान को सर्वाधिक लाभकारी दिशा में ले जा सके तथा संकट–प्रबंधन में सफलता प्राप्त कर सके। वह संस्थान में अपने नेतृत्व क्षमता को स्वतंत्र विचार–विनिमय, टीम–वर्क और एक सकारात्मक मनोबल के साथ निष्पादित करते हैं।

2. श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी अधिकारिक अंशकालीन निदेशक (डीआईएन–07911040)

श्री सत्येन्द्र नाथ तिवारी, निदेशक (विपणन) कोल इंडिया लिमिटेड ने 23 दिसंबर, 2019 को अधिकारिक अंशकालीन निदेशक के रूप में पदभार ग्रहण किया। वर्तमान प्रभार ग्रहण करने से पूर्व श्री तिवारी सीआईएल में महाप्रबंधक (विपणन एवं बिक्री) के पद पर कार्यरत थे ।

श्री तिवारी बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी, मेसरा से प्रतीष्ठा के साथ बी.एससी. इंजीनियरिंग में स्नातक की उपलब्धि हासिल की है, वे अपने बैच में तीसरे स्थान धारक हैं। उन्होंने MBA की डिग्री भी उसी संस्थान से प्राप्त किया। हिंदुस्तान मोटर्स में टेस्ट इंजीनियर के रूप में एक छोटे से कार्यकाल के बाद श्री तिवारी ने 1986 में कोल इंडिया लिमिटेड में अपना पेशेवर करियर की शुरूआत की। कोल इंडिया में 33 वर्ष से अधिक के सेवाकाल में, उन्होंने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में विपणन एवं बिक्री प्रभाग की विभिन्न क्षमताओं में काम करते हुए मार्केटिंग और सेल्स संचालन के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापक अनुभव अर्जित एवं प्रदर्शित किये है ।

कोयला विपणन और बिक्री की जटिलताओं में तीन दशकों के पेशेवर अनुभव के बाद, श्री तिवारी ने बेहतर गुणवत्ता के साथ कोयले की बढ़ी हुई मात्रा की आपूर्ति को अपना प्राथमिक उद्देश्य निर्धारित किये है।

आवश्यक वित्तीय विवरण, संचालन सांख्यिकी और चित्रमय अभ्यावेदन

सचित्र प्रदर्शन

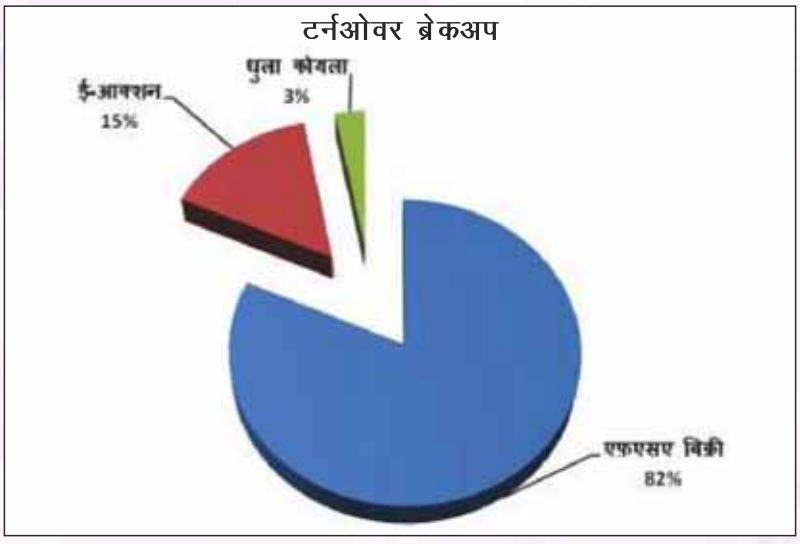

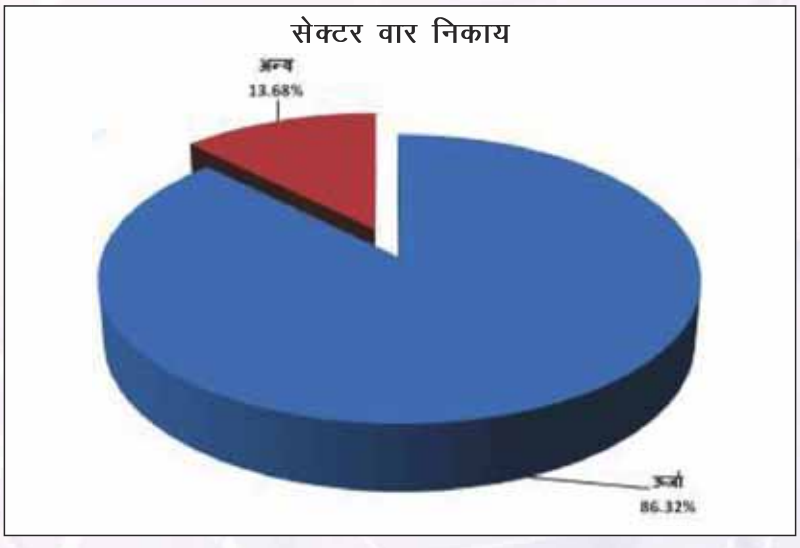

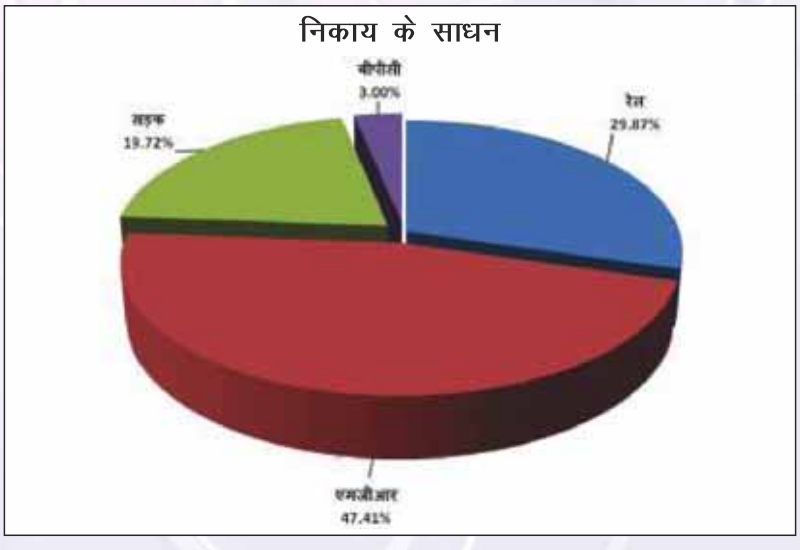

कोयला उत्पादन (मिलियन टन में)

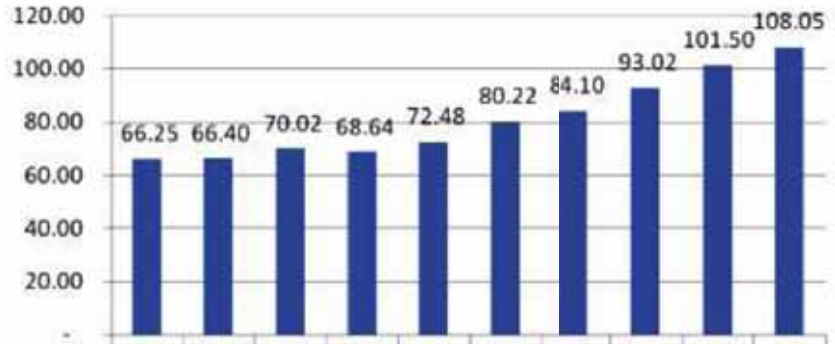

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कोयला उत्पादन (मिलियन टन में)	66.25	66.40	70.02	68.64	72.48	80.22	84.10	93.02	101.5	108.05

ओ.बी. निकाय (मिलियन घनमीटर)

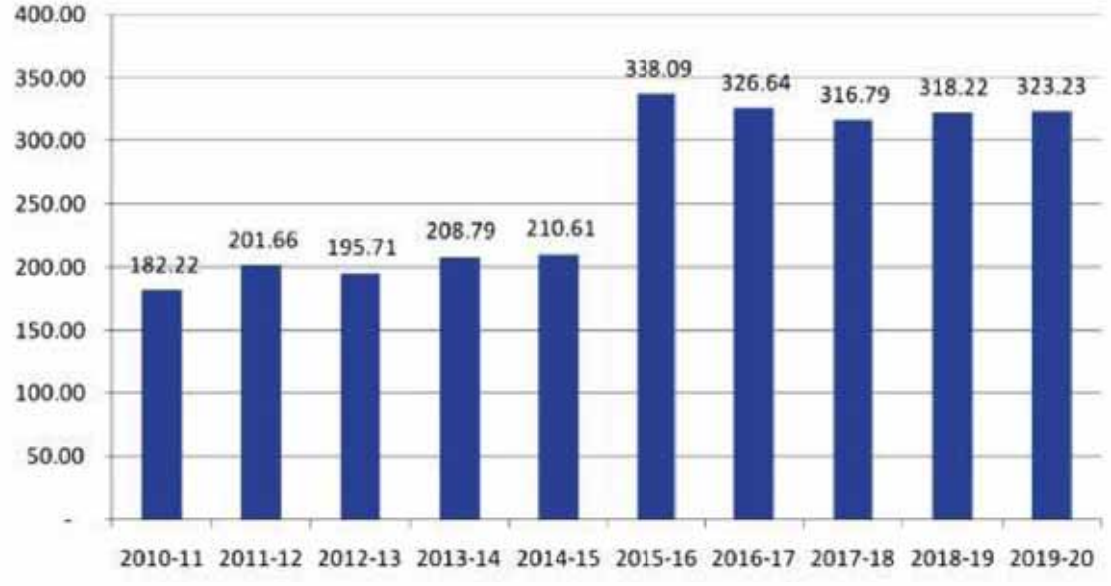

समग्र उत्पादन (मिलियन घनमीटर)

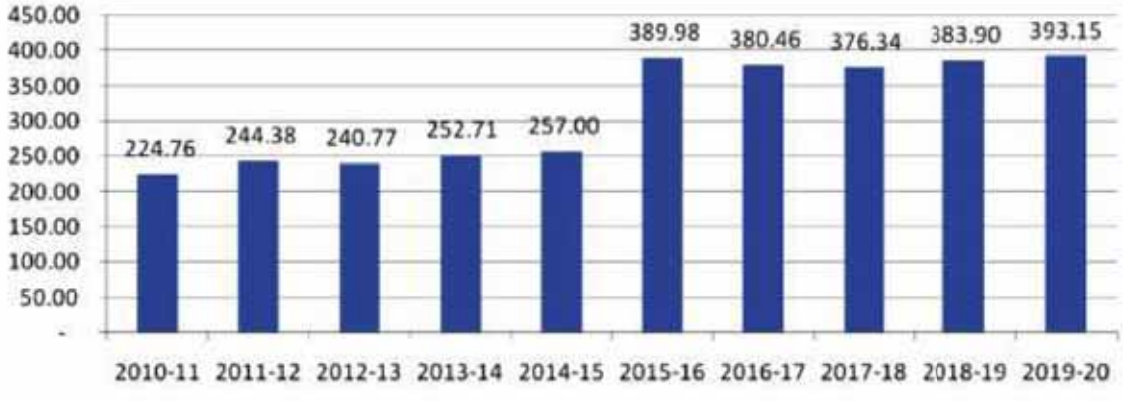

कोयला उठाव (मिलियन टन)

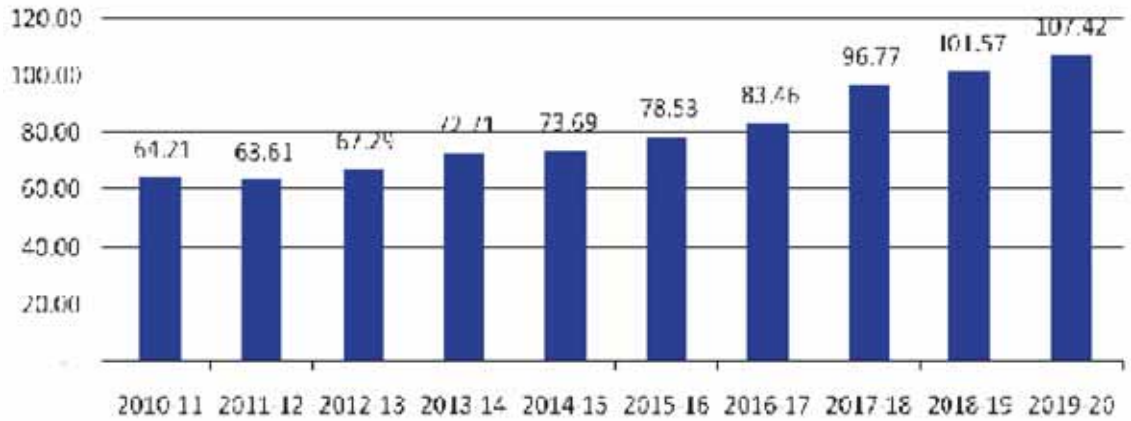

उत्पादकता–ओएमएस (प्रति मैनशिफ्ट टन)

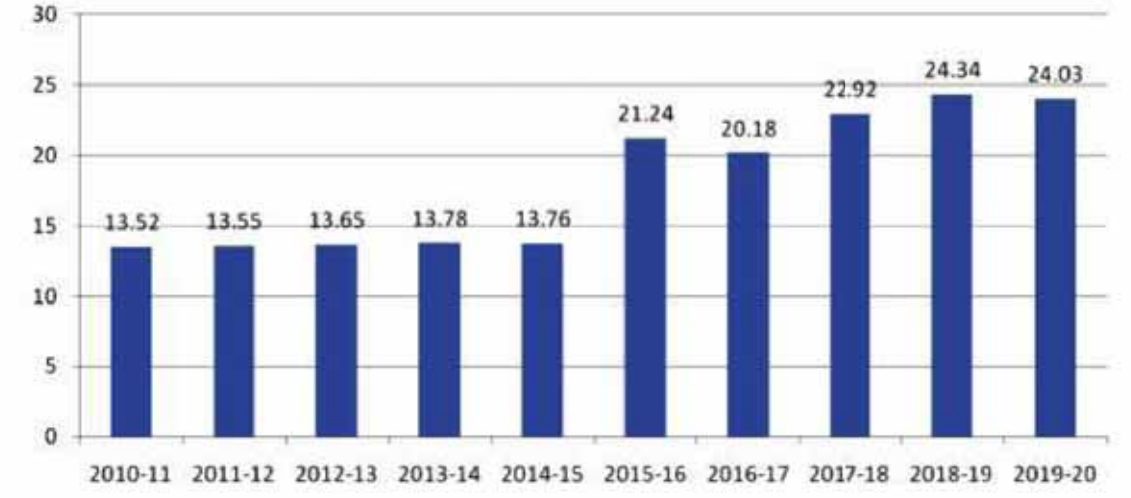

महीनों की संख्या के अनुसार विविध देनदार

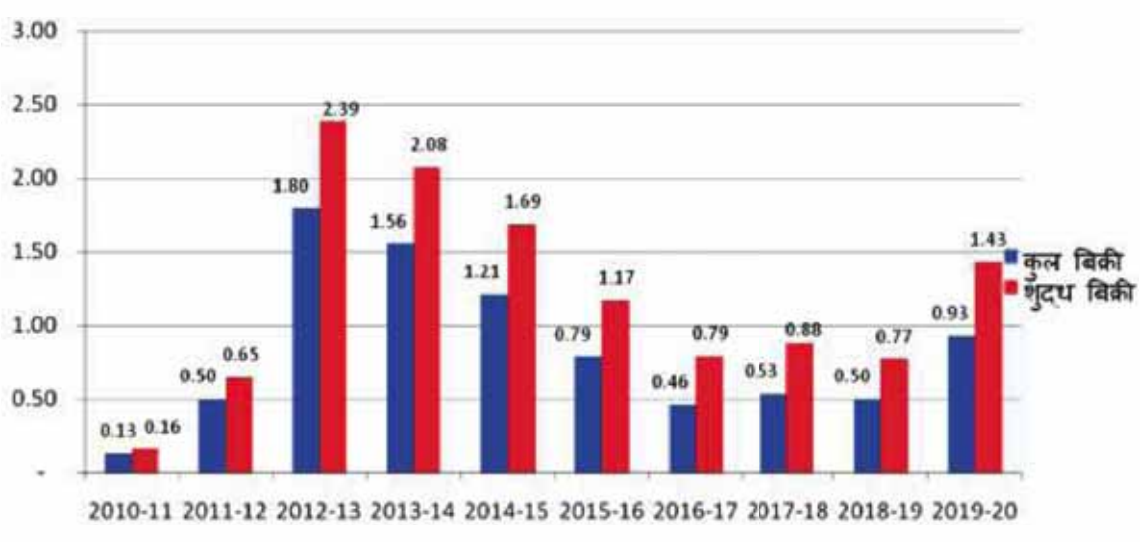

संवैधानिक लेवी (म.प्र.)

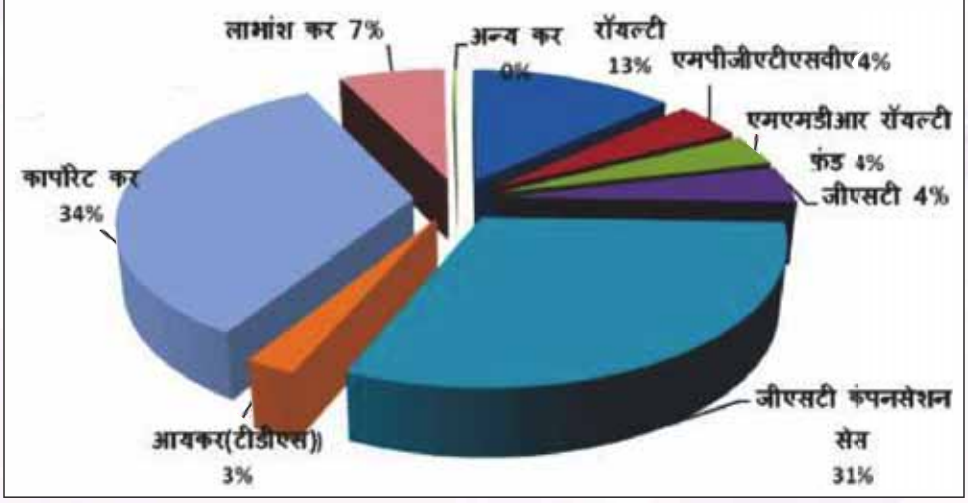

संवैधानिक लेवी (उ.प्र.)

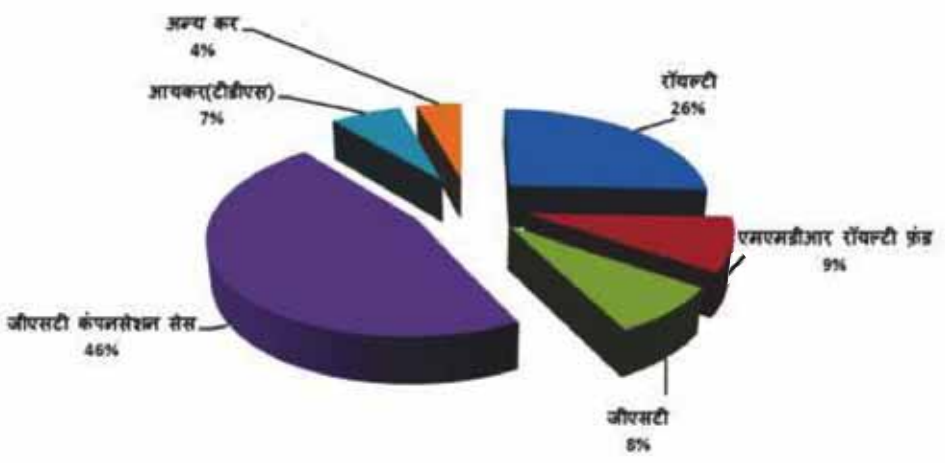

संवैधानिक लेवी (कुल)/कोष में योगदान

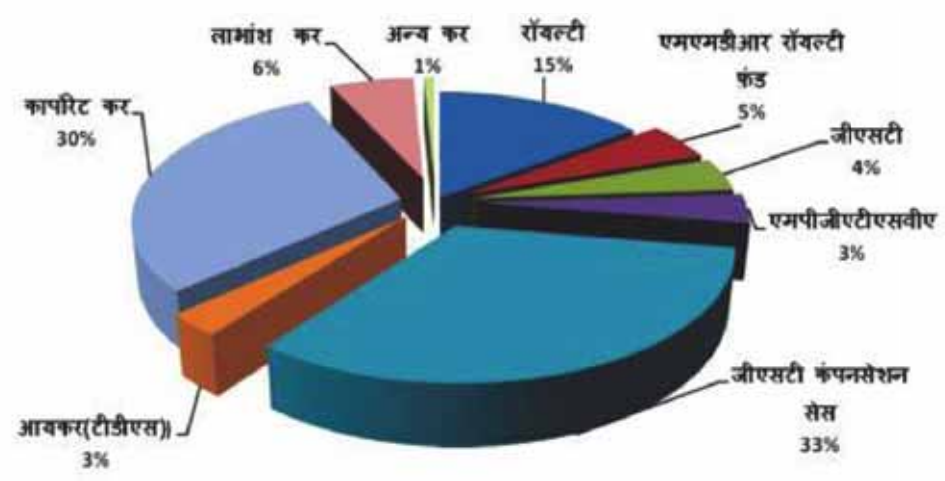

रुपये का खर्च

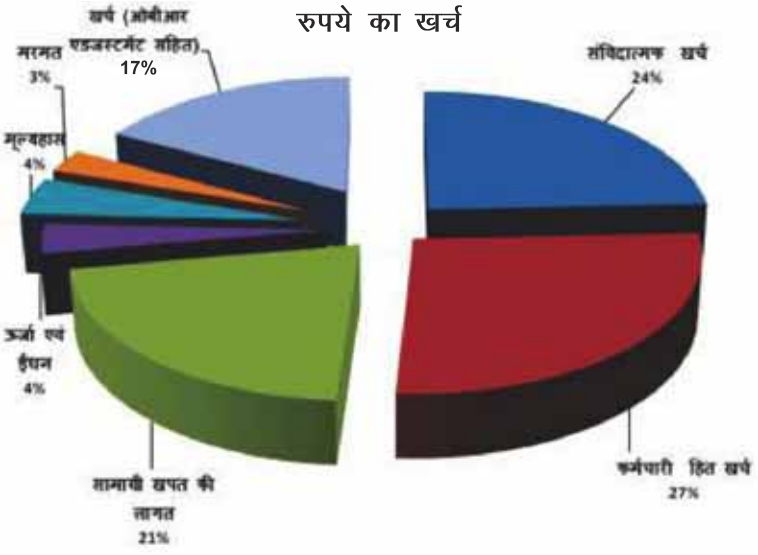

विक्रय (रुपये करोड़ में)

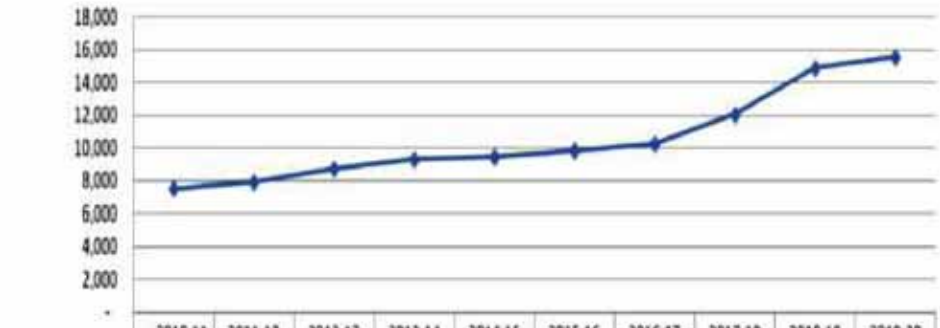

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
विशुद्ध विक्रय	7,516	7,917	8,732	9,304	9,453	9,855	10,252	12,048	14,906	15,557

लाभ (रुपये करोड़ में)

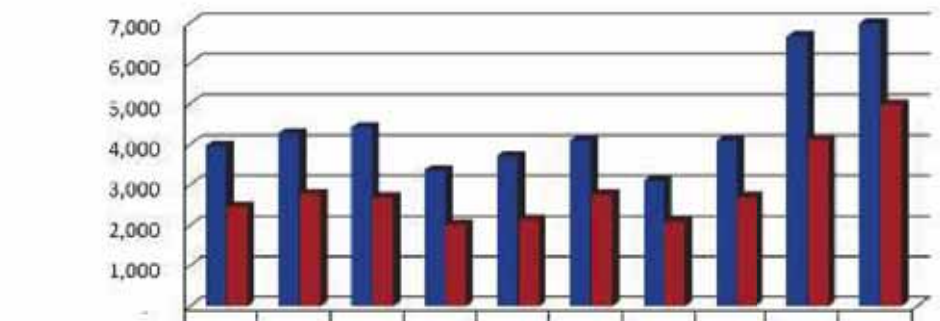

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
कर पूर्व लाभ	3,956	4,266	4,421	3,356	3,713	4,105	3,088	4090	6659	6,985
कर पश्चात लाभ	2,445	2,770	2,682	2,008	2,134	2,748	2,082	2685	4111	4,971

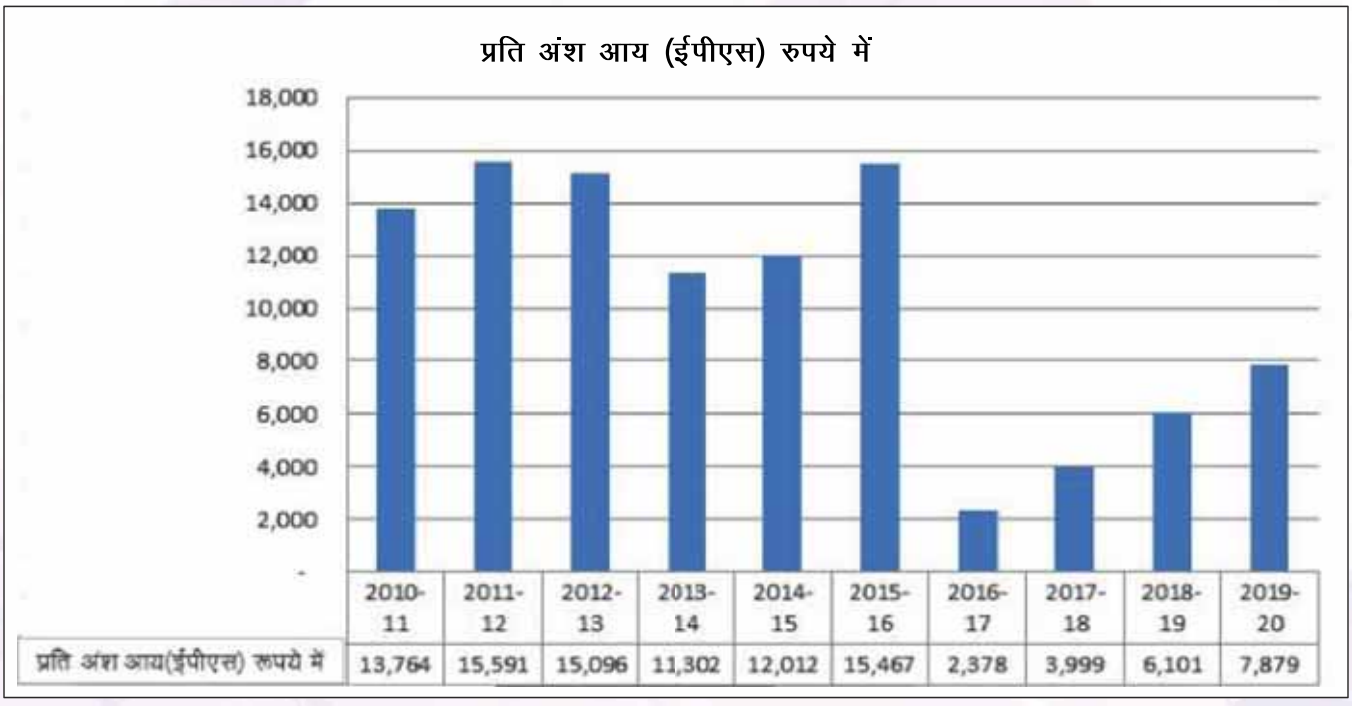

प्रति अंश आय (ईपीएस) रुपये में

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
प्रति अंश आय(ईपीएस) रुपये में	13,764	15,591	15,096	11,302	12,012	15,467	2,378	3,999	6,101	7,879

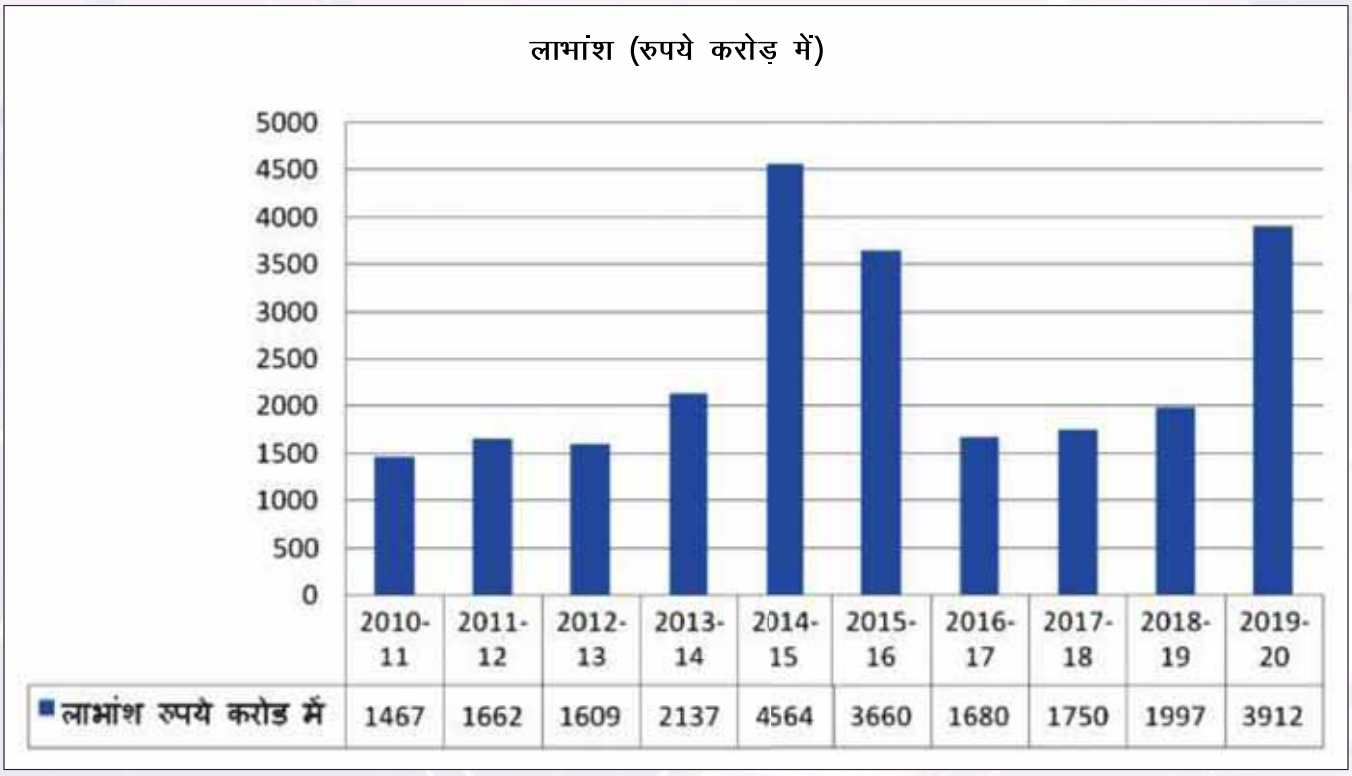

लाभांश (रुपये करोड़ में)

	2010-11	2011-12	2012-13	2013-14	2014-15	2015-16	2016-17	2017-18	2018-19	2019-20
लाभांश रुपये करोड में	1467	1662	1609	2137	4564	3660	1680	1750	1997	3912

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड – सिंगरौली

महत्वपूर्ण वित्तीय आंकड़े

(रुपये करोड़ में)

	वर्ष	2019–20	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15	2013–14	2012–13	2011–12	2010–11
(ए)	**परिसंपत्तियों एवं देयताओ से सम्बद्ध :**										
(1)	शेयरधारको की निधि										
	(ए) साम्य	630.94	630.94	682.80	136.56	177.67	177.67	177.67	177.67	177.67	177.67
	(बी) संचय एवं अतिरेक	3810.18	3554.67	2726.89	2648.57	4076.70	5699.69	9076.42	9568.40	8756.62	7918.21
	(स) घटाव विविध व्यय (डबल्यूओ नहीं)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
	निबल मूल्य	4441.12	4185.61	3409.69	2785.13	4254.37	5877.36	9254.09	9746.07	8934.29	8036.83
(2)	मोचनीय अधिमान्य अंश		0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
(3)	ऋण	0.00	0.00	0.00	250.00	0.00	0.00	0.00	612.83	735.30	739.50
(4)	पूंजी नियोजन	11384.94	10341.38	8768.38	6722.52	9046.51	10540.37	13406.51	13499.54	12038.45	8455.51
(5)	(i) निबल अचल परिसंपत्तियाँ	5242.40	5264.54	4505.99	2966.69	3009.18	2519.71	2297.33	2135.06	2192.70	2164.14
	(ii) चालू परिसंपत्तियाँ	12425.26	9947.41	9749.41	8158.31	9259.06	11011.11	13569.69	14211.13	12596.38	12182.38
	(iii) निबल चालू परिसंपत्तियाँ	6142.54	5076.84	4262.39	3755.83	6037.33	8020.66	11109.18	11364.48	9845.75	6291.37
(6)	चालू देयताएं	6282.72	4870.57	5487.02	4402.48	3221.73	2990.45	2460.51	2846.65	2750.63	5891.00
(7)	(ए) विविध देनदारी (निबल)	1850.15	954.45	870.22	667.63	898.26	621.14	955.94	1738.21	425.70	99.40
	(बी) नकदी एवं बैंक शेष	3445.46	3721.36	4632.46	3462.48	4809.96	6815.66	7443.79	8432.77	8738.30	8626.36
(8)	अंतिम स्टॉक :										
	(ए) भंडार एवं पुर्जो (निबल)	391.65	428.81	428.12	537.70	421.25	456.25	408.47	369.05	336.84	294.14
	(बी) कोयला (निबल)	276.23	243.90	283.49	552.81	553.93	379.54	484.64	629.32	391.10	199.81
	(ब) अन्य भंडार इंवैंट्री (निबल)	1.66	1.32	0.44	0.50	0.86	0.12	0.08	0.02	0.03	0.00
(9)	औसत भंडार इंवैंट्री (निबल)	410.23	428.47	482.91	479.48	438.75	432.36	388.76	352.95	315.49	307.20

	वर्ष	2019–20	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15	2013–14	2012–13	2011–12	2010–11
(बी)	लाभ हानि से संबन्धित										
(1)	(ए) सकल अंतर	7480.15	7223.11	4579.13	3640.06	4605.81	4096.07	3731.85	4735.37	4665.89	4329.97
	घटाव : अवक्षयण	440.49	539.29	416.26	499.98	439.44	382.34	360.69	294.53	378.09	349.84
	(बी) सकल लाभ	7039.66	6683.82	4162.87	3140.08	4166.37	3713.73	3371.16	4440.84	4287.80	3980.13
	घटाव : ब्याज एवं वित्तीय प्रभार	54.21	24.66	73.15	52.47	61.04	0.26	15.45	20.26	22.13	23.77
	(सी) कर पूर्व विसुध लाभ	6985.45	6659.16	4089.72	3087.61	4105.33	3713.47	3355.71	4420.58	4265.67	3956.36
(2)	आयकर के प्रावधान	2014.02	2547.88	1404.48	1005.77	1357.31	1579.30	1347.69	1738.45	1495.58	1510.92
	कर पश्चात लाभ	4971.43	4111.28	2685.24	2081.84	2748.02	2134.17	2008.02	2682.13	2770.09	2445.45
(2)	(ए) सकल विक्रय	24093.97	23052.51	19741.85	17676.81	14683.99	13161.25	12419.62	11616.11	10176.94	8972.50
	(बी) निबल विक्रय (लेविस एवं विचलन के बाद)	15556.52	14905.6	12048.03	10251.88	9855.27	9452.58	9303.88	8731.71	7916.52	7516.03
	(सी) औसत कुल विक्रय प्रति माह	1296.38	1242.13	1004.00	854.32	821.27	787.72	775.32	727.64	659.71	626.34
(3)	बिक्री हुई सामाग्री की लागत (विक्रय–लाभ)	8571.07	8246.44	7958.31	7164.27	5749.94	5739.11	5948.17	4311.13	3650.85	3559.66
(4)	(ए) कुल व्यय	9924.88	9578.32	9094.88	8084.36	6885.26	7052.18	7154.05	5565.82	4866.76	4585.01
	(बी) वेतन एवं मजदूरी (कुल राजश्व मात्र)	2618.41	2556.61	2627.55	2111.90	1824.49	1798.00	1711.24	1599.87	1397.23	1050.41
	(सी) ऊर्जा एवं पुर्जे (सकल राजस्व मात्र)	2106.98	2031.09	1958.29	1854.30	1748.56	1578.70	1590.52	1379.16	1270.46	1242.09
	(डी) ऊर्जा एवं ईंधन (सकल राजस्व मात्र)	349.2	324.49	303.73	366.82	351.02	317.77	310.56	295.44	266.75	254.64
	(ई) वित्तीय लागत (सकल राजस्व मात्र)	54.21	24.66	73.15	52.47	61.04	0.26	15.45	20.26	22.13	23.77
	(फ) अवक्षयण/अवमूल्यन (सकल राजस्व मात्र)	440.49	539.29	416.26	499.98	439.44	382.34	360.69	294.53	378.09	349.84
(5)	स्टोर एवं स्पेयर्स की औसत खपत (प्रति माह)	175.58	169.26	163.19	154.53	145.71	131.56	132.54	114.93	105.87	103.51
	सकल मार्जिन (पीबीआईटी) (करोड़ में.)	7480.15	7223.11	4579.13	3640.06	4605.81	4096.07	3731.85	4735.37	4665.89	4329.97
	कर पूर्व लाभ (रुपये करोड़ में)	6985.45	6659.16	4089.72	3087.61	4105.33	3713.47	3355.71	4420.58	4265.67	3956.36
	कर पश्चात लाभ (रुपये करोड़ में)	4971.43	4111.28	2685.24	2081.84	2748.02	2134.17	2008.02	2682.13	2770.09	2445.45

नोट : (1) वर्ष 2014–15 से कंपनी अधिनियम 2013 की संशोधित अनुसूची III के आधार पर आंकड़े लिए जाते है।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड – सिंगरौली

महत्वपूर्ण वित्तीय अनुपात और प्रतिशत

	वर्ष	2019–20	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15	2013–14	2012–13	2011–12	2010–11
(ए)	**लाभप्रद अनुपात**										
(1)	विशुद्ध विक्रय प्रतिशत के रूप में										
	(ए) सकल अंतर	48.08	48.46	38.01	35.51	46.73	43.33	40.11	54.23	58.94	57.61
	(बी) सकल लाभ	45.25	44.84	34.55	30.63	42.28	39.29	36.23	50.86	54.16	52.96
	(सी) विशुद्ध लाभ (पीबीटी)	44.90	44.68	33.95	30.12	41.66	39.29	36.07	50.63	53.88	52.64
(2)	कुल व्यय प्रतिशत के रूप में										
	(ए) वेतन व मजदूरी (सकल राजस्व)	26.38	26.69	28.89	26.12	26.50	25.50	23.92	28.74	28.71	22.91
	(बी) स्टोरेस एवं स्पायर्स (सकल राजस्व)	21.23	21.21	21.53	22.94	25.40	22.39	22.23	24.78	26.10	27.09
	(सी) ऊर्जा एवं ईंधन (सकल राजस्व)	3.52	3.39	3.34	4.54	5.10	4.51	4.34	5.31	5.48	5.55
	(डी) ब्याज (सकल राजस्व)	0.55	0.26	0.80	0.65	0.89	0.00	0.22	0.36	0.45	0.52
	(ई) अवक्षयण/अवमूल्यन (सकल राजस्व)	4.44	5.63	4.58	6.18	6.38	5.42	5.04	5.29	7.77	7.63
(3)	निवेशित पूंजी प्रतिशत के रूप में										
	(ए) सकल अंतर	65.70	69.85	52.22	54.15	50.91	38.86	27.84	35.08	38.76	51.21
	(बी) सकल लाभ	61.83	64.63	47.48	46.71	46.05	35.23	25.15	32.90	35.62	47.07
	(सी) विशुद्ध लाभ	61.36	64.39	46.64	45.93	45.38	35.23	25.03	32.75	35.43	46.79
(4)	करयोत्पादक (आपरेटिंग) अनुपात [(विक्रय–लाभ)/विक्रय]	0.55	0.55	0.66	0.70	0.58	0.61	0.64	0.49	0.46	0.47
(बी)	**परिशोधन (लिकविडिटी) अनुपात**										
(1)	चालू अनुपात (चालू परिसंपत्तियाँ/चालू देयताएं)	1.98	2.04	1.78	1.85	2.87	3.68	5.51	4.99	4.58	2.07
(2)	शिग्रहगामी अनुपात (शिग्रगामी परिसंपत्ति/चालू देयता)	1.87	1.90	1.65	1.61	2.57	3.40	5.15	4.64	4.31	1.98
(3)	कार्यशील पूंजी : के रूप में										
	(ए) निवेशित पूंजी	53.95	49.09	48.61	55.87	66.74	76.09	82.86	84.18	81.79	74.41
	(बी) विशुद्ध अचल परिसंपत्ति	117.17	96.43	94.59	126.60	200.63	318.32	483.57	532.28	449.02	290.71

	वर्ष	2019–20	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15	2013–14	2012–13	2011–12	2010–11
(सी)	**टर्नओवर अनुपात**										
(1)	पूंजी टर्नओवर अनुपात (विशुद्ध विक्रय / निवेशित पूंजी)	1.37	1.44	1.37	1.53	1.09	0.90	0.69	0.65	0.66	0.89
(2)	चालू पूंजी टर्नओवर अनुपात (विशुद्ध विक्रय / निवेशित पूंजी)	2.53	2.94	2.83	2.73	1.63	1.18	0.84	0.77	0.80	1.19
(3)	विविध देनदार माह संख्या के रूप में										
	(ए) सकल विक्रय	0.92	0.50	0.53	0.46	0.79	1.21	1.56	1.80	0.50	0.13
	(बी) विशुद्ध विक्रय	1.43	0.77	0.88	0.79	1.17	1.69	2.08	2.39	0.65	0.16
(4)	विशुद्ध विक्रय के अनुपात रूप में										
	(ए) विविध देनदार	0.12	0.06	0.07	0.07	0.10	0.14	0.17	0.20	0.05	0.01
	(बी) कोयला भंडार	0.02	0.02	0.02	0.05	0.06	0.04	0.05	0.07	0.05	0.03
(5)	स्टोर्स एवं स्पेयर्स का भंडार										
	(ए) औसत भंडार / वार्षिक खपत	0.21	0.24	0.25	0.32	0.27	0.32	0.28	0.26	0.25	0.25
	(बी) माह खपत की संख्या के रूप में अंतिम भंडार	2.57	2.89	2.99	3.85	3.21	3.82	3.41	3.21	3.18	2.84
(डी)	**संरचनात्मक अनुपात**										
(1)	ऋणरूसाम्य	0.00	0.00	0.00	1.83	0.00	0.00	0.00	3.45	4.14	4.16
(2)	ऋण : विशुद्ध मूल्य	0.00	0.00	0.00	0.09	0.00	0.00	0.00	0.06	0.08	0.09
(3)	विशुद्ध मूल्य : साम्य	7.04	6.63	4.99	20.40	23.94	33.08	52.09	54.85	50.29	45.23
(4)	विशुद्ध अचल परिसंपत्तियाँ : विशुद्ध मूल्य	1.18	1.26	1.32	1.07	0.71	0.43	0.25	0.22	0.25	0.27
(ई)	**अंशधारक से संबंधित**										
(1)	प्रति शेयर उपार्जन (ईपीएस) (रुपये में) (कर के बाद विशुद्ध लाभ एवं साम्य कर)	7879.4	6101.22	3932.71	2378.13	15466.75	12011.80	11301.79	15095.90	15590.96	13763.78
(2)	प्रति शेयर का पुस्तक मूल्य (रुपये में) (साम्य की विशुद्ध मूल्य संख्या)	7,038.89	6633.92	4962.39	20395.03	23944.97	33079.70	52085.03	54854.05	50285.09	45233.90
(3)	प्रति शेयर लाभांश (रुपये में)	6200.00	3164.37	2562.98	9455.58	20599.21	25687.61	12026.83	9057.55	9354.56	8258.27

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड – सिंगरौली

प्रचालन आँकड़े

	वर्ष	2019–20	2018–19	2017–18	2016–17	2015–16	2014–15	2013–14	2012–13	2011–12	2010–11
ए.	**प्रचालन आंकड़े :**										
(1)	(ए) कुल कोयला उत्पादन (लाख टन)	1080.53	1015.03	930.18	840.96	802.24	724.84	686.39	700.21	664.01	662.53
	(बी) राजस्व कोयला उत्पादन (लाख टन)	1080.53	1015.03	930.18	840.96	802.24	724.84	686.39	700.21	664.01	662.53
	(सी) कुल ओबी हटाव (लाख घनमिटर में)	3237.56	3223.50	3167.95	3266.39	3380.90	2106.14	2087.87	1957.06	2016.64	1822.16
	(डी) राजस्व ओबी हटाव (लाख घनमिटर में)	3237.56	3223.50	3167.95	3266.39	3380.90	2106.14	2087.87	1957.06	2016.64	1822.16
(2)	कच्चा कोयला प्रेषण (लाख टन में) :										
	ऊर्जा	927.28	889.05	891.09	735.39	733.08	696.53	672.07	645.48	613.47	642.31
	सीमेंट	3.71	0.00	0.01	3.57	2.08	1.31	1.55	1.70	0.12	0.00
	अन्य	143.24	126.65	76.64	95.68	50.04	38.84	47.49	25.67	18.48	20.29
	कुल	1074.23	1015.70	967.74	834.64	785.20	736.68	721.11	672.85	632.07	662.60
(3)	श्रमशक्ति :										
	1 अप्रैल को	14456	15032	15357	16078	16226	16741	16073	16329	16209	16373
	31 मार्च को	14382	14456	15032	15357	16078	16226	16741	16073	16329	16209
	औसत	14419	14744	15195	15718	16152	16484	16407	16201	16269	16291
(4)	उत्पादकता :										
	(ए) औसत प्रति व्यक्ति प्रति वर्ष (टन में)	7493.79	6884.36	6121.62	5350.30	4966.82	4397.23	4183.52	4322.02	4081.44	4066.85
	(बी) आउटपुट पर मैनशिफ्ट (टन में)	24.03	24.34	22.92	20.18	21.24	13.76	13.78	13.65	13.55	13.52
बी.	**लागत पत्र से संबन्धित :**										
(1)	अर्जन प्रति मैनशिफ्ट (ईएमएस) (रुपये में)	5549.13	5576.33	4785.39	4155.90	3553.43	3251.31	3026.36	2816.71	2323.99	2038.97
(2)	विशुद्ध बिक्री योग्य कोयले के उत्पादन का औसत लागत										
	बिक्री करने योग्य कोयला (रुपये प्रति टन)	851.93	872.48	870.15	893.59	827.54	902.32	878.37	802.13	719.21	639.07
(3)	उत्पादित विशुद्ध विक्रय योग्य कोयले की औसत विक्रय मूल्य										
	उत्पादित कोयला (रुपये प्रति टन)	1450.32	1431.07	1259.46	1180.83	1222.02	1264.25	1305.63	1253.76	1193.76	1130.18

हमारे मुख्य प्रबंधकीय सदस्य (31.03.2020 को)

परियोजना प्रमुख

अधिकारी का नाम	ग्रेड	पद	परियोजना/विभाग
परियोजना/इकाई के मुख्य			
श्री रामबाबू प्रसाद	E8	महाप्रबंधक (खनन)	अमलोहरी
श्री राजेंद्र राय	E8	महाप्रबंधक (खनन)	बीना
श्री हरीश दुहन	E8	महाप्रबंधक (खनन)	ब्लॉक–बी (गोरबी)
श्री सुधीर कुमार श्रीवासतव	E8	महाप्रबंधक (उत्खनन)	केन्द्रीय कर्मशाला जयंत
श्री संजय कुमार	E8	महाप्रबंधक (उत्खनन)	सीईटीआई
श्री बिपिन कुमार	E8	महाप्रबंधक (खनन)	दूधीचुआ
श्री संजय मिश्रा	E8	महाप्रबंधक (खनन)	जयंत
श्री सुनील प्रसाद सिंह	E8	महाप्रबंधक (खनन)	झिंगुर्दाह
श्री एल.पी. गोडसे	E8	महाप्रबंधक (खनन)	ककरी
श्री अमरनाथ पाण्डेय	E8	महाप्रबंधक (खनन)	खड़िया
श्री बिस्वनाथ सिंह	E8	महाप्रबंधक (खनन)	कृष्णशिला
श्री सुब्रता कुमार भोवाल	E8	प्रमुख चिकित्सीय सेवाए	नेहरू शताब्दी चिकित्सालय
श्री जे.पी. द्विवेदी	E8	महाप्रबंधक (खनन)	निगाही

मुख्यालय के विभागाध्यक्ष

अधिकारी का नाम	ग्रेड	पद	परियोजना/विभाग
श्री प्रफुल्ल कुमार बिसवाल	E8	महाप्रबंधक (खनन)	सीएमडी के तक. सचिव/विभागाध्यक्ष (बोर्ड सचिवालय)
श्री आत्मेश्वर पाठक	E8	महाप्रबंधक (खनन)	कार्पोरेट सोसियल रेस्पॉन्सिबिलिटी (सीएसआर)
श्री अनुराग कुमार	E8	महाप्रबंधक (खनन)	कोंटरेक्ट मैनेजमेंट सेल
श्री विष्णु कुमार अग्रवाल	E8	महाप्रबंधक (खनन)	क्वालिटी कंट्रोल
श्री अजीत कुमार सिंह	E8	महाप्रबंधक (एमएम)	सामाग्री प्रबंधन
श्री संजय खरे	E8	महाप्रबंधक (खनन)	भू एवं राजस्व
श्री सतीश झा	E8	महाप्रबंधक (खनन)	कॉरपोरेट प्लानिंग
श्री राजीव कुमार	E8	महाप्रबंधक (खनन)	उत्पादन
श्री सतीश चन्द्र वत्स	E8	महाप्रबंधक (उत्खनन)	उत्खनन
श्री मिथिलेश कुमार	E8	महाप्रबंधक (औद्योगिक अभियांत्रिकी)	औद्योगिक अभियांत्रिकी
श्री गिरीश कुमार राघव	E8	महाप्रबंधक (सिविल)	सिविल
श्री चार्ल्स जुस्टर	E8	महाप्रबंधक (कार्मिक/श्रमशक्ति एवं भर्ती)	कार्मिक श्रमशक्ति एवं भर्ती
श्री पतनाला महेश्वर राव	E8	महाप्रबंधक (वित्त)	आंतरिक अकेक्षण के प्रमुख
श्री सपन श्रीवास्तव	E8	महाप्रबंधक (खनन)	सुरक्षा एवं बचाव
श्री एस.के. सफीउल्लाह	E8	महाप्रबंधक (वित्त)	वित्त
श्री एस.के. घोस	E8	महाप्रबंधक (एमएम)	एमएम/स्टोर
श्री कौशल कुमार सिंह	E8	महाप्रबंधक (ई एंड टी)	इलेक्ट्रॉनिक्स एवं दूरसंचार एवं प्रणाली
श्री उत्तम कुमार दुबे	E8	महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन)	प्रशासन
श्री एस.एस. हसन	E8	महाप्रबंधक (कार्मिक एवं अधिकारी स्थापना)	अधिकारी स्थापना एवं पेंशन
श्री कमलेश कुमार सिंह	E8	महाप्रबंधक (कार्मिक एवं गैर–अधिकारी स्थापना)	गैर–अधिकारी स्थापना एवं विधि
श्री प्रिय रंजन कुमार	E8	महाप्रबंधक (कार्मिक एवं प्रशासन)	विजिलेंस
श्री आर.के. सिंह	E8	महाप्रबंधक (ईएंडएम)	इलैक्ट्रिकल एवं मैंटेनेंस
श्री सुनील दत्त	E8	महाप्रबंधक (वित्त)	निधि/विक्रय

संगठनात्मक ढाँचा

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक

अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक के तक. सचिव

मुख्य सतर्कता अधिकारी

कंपनी सचिव

आंतरिक अंकेक्षण

निदेशक (तक.संचालन)	निदेशक (तक./परि एवं योजना)	निदेशक (वित्त)	निदेशक (कार्मिक)
विधुत एवं यांत्रिकी जिसमें सी.एच.पी. एवं साईडिंग सम्मिलित	सी.पी. एवं प्रोजेक्ट क्रियान्वयन एवं देख–रेख	मुख्यालय एवं इकाई के वित्त विभाग के सभी विभागाध्यक्ष	प्रशासन, श्रमशक्ति एवं भर्ती
उत्खनन विभाग जिसमें केन्द्रीय कर्मशाला सम्मिलित	ठेका प्रबंधन विभाग	केन्द्रीय लेखा	औद्योगिक संबंध एवं राजभाषा
जियो–तकनीकी	वन एवं पर्यावरण	कॉस्ट एवं बजेट	अधिकारी स्थापना
विपणन एवं विक्रय, गुणवत्ता नियंत्रण	सिविल अभियंत्रण चालू परियोजना के सभी निर्माणाधीन कार्य जिसमें सी.एच.पी. सम्मलित है एवं संबंधित मध्यस्थता के मामले	मुद्रा प्रबंधन	गैर अधिकारी स्थापना
सामाग्री प्रबंध जिसमें मुख्यालय भंडार एवं केन्द्रीय भंडार जयंत	ग्रीनफ़ील्ड परियोजना सेमरिया को चालू करने से संबन्धित सभी कार्य	कर	विधि
उत्पादन, सर्वे	अनुसंधान और विकास एवं नई पहल		सुरक्षा
भू–राजस्व एवं पुनर्वास	ई एंड टी		कल्याण एवं खेल
संरक्षा एवं बचाव	प्रणाली		निगमित सामाजिक दायित्व एवं विकास
परियोजनाएँ			मानव संसाधन विकास एवं सीईटीआई
दूधीचुआ			जन संपर्क
झिंगुर्दाह			आरटीआई
खड़िया			कार्पोरेट संचार एवं जन संपर्क
कृष्णशिला			औद्योगिक अभियांत्रिकी
निगाही			सिविल एवं नगर प्रशासन
अमलोहरी			चिकित्सीय सेवायें **इकाई –** केंद्रीय चिकित्सालय, सिंगरौली, नेहरू शताब्दी चिकित्सालय जयंत
बीना			
ब्लॉक–बी			
जयंत			
ककरी			

अध्यक्ष के कथन

प्रिय शेयरधारको,

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के निदेशक मण्डल की ओर से, मैं कंपनी की 35वीं वार्षिक आम बैठक में आपका स्वागत करता हूँ और वर्तमान वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए अपनी कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट प्रस्तुत करता हूँ जिसमें (i) वित्तीय वक्तव्य के साथ सांविधिक लेखा परिक्षक एवं भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की रिपोर्ट और (ii) निदेशक मण्डल के प्रतिवेदन के साथ–साथ अंकेक्षकों की रिपोर्ट पर स्पष्टीकरण समाहित हैं।

कंपनी की रूपरेखा

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) 1985 में सीसीएल से अलग होकर सिंगरौली कोलफील्ड्स बनी, जिसका मुख्यालय सिंगरौली, मध्य प्रदेश में है। सिंगरौली कोलफील्ड्स का क्षेत्र लगभग 2202 वर्ग कि.मी. है। कोलफील्ड्स को दो बेसिनों में विभाजित किया गया है जैसे की मोहर–सब–बेसिन (312 वर्ग किमी) और सिंगरौली मुख्य बेसिन (1890 वर्ग किमी)। सिंगरौली कोलफील्ड्स (एनसीएल) में 10.06 बिलियन टन का कुल कोयला रिजर्व है (मोहेर–सब–बेसिन में 6.83 बिलियन टन और मुख्य बेसिन में 3.23 बिलियन टन), जिसमें से एनसीएल ने 1.7 बिलियन टन कोयला मोहेर सब बेसिन से निकाल लिया है। एनसीएल के सभी कोयला खनन परिचालन वर्तमान में मोहेर उप–बेसिन में 10 (संख्या) ओपेनकास्ट खानों के माध्यम से केन्द्रित है। सिंगरौली मुख्य बेसिन, कोलफील्ड्स के पश्चिमी हिस्से में स्थित है और काफी हद तक अन्वेषन रहित है। एनसीएल 2007 से मिनी रत्न (श्रेणी–1) कंपनी है और भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के तहत् कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी है।

भौतिक कार्य निष्पादन

वर्ष 2019–20 के दौरान एनसीएल ने अपना सर्वोच्च उत्पादन 108.05 मिलियन टन किया जो पिछले वर्ष के उत्पादन 101.50 मिलियन टन की तुलना में 6.45% अधिक हैं। ठीक उसी प्रकार एनसीएल ने वर्ष 2019–20 में 107.42 मिलियन टन का सर्वोच्च ऑफटेक हासिल किया जो विगत वर्ष के 101.57 मिलियन टन से 5.76% अधिक है। वर्ष के दौरान ओवरबर्डेन हटाव 323.23 मिलियन घन मीटर रहा जो विगत वर्ष 318.225 मिलियन घन मीटर की तुलना में 1.57% अधिक रहा।

एनसीएल का कोयला उत्पादन वर्ष 1986–87 में 13.60 मिलियन टन से बढ़कर वर्ष 2019–20 में 108.05 मिलियन टन हुआ और वर्ष 2020–21 में 113.25 मिलियन टन उत्पादन की कंपनी की योजना है। वर्ष 2019–20 में कोयला उत्पादन का लगभग 86% (जो की करीब 92.73 मिलियन टन होता है) ऊर्जा क्षेत्र को प्रेषण किया गया। वर्ष के अंत में, "क्रिटिकल" कोयला श्रेणी के तहत् कोई थर्मल पावर प्लांट नहीं चल रहा था जिसके लिए एनसीएल लीड कंपनी रही। इस वर्ष भी समर्पित, पर्यावरण के अनुकूल कोयला परिवहन प्रणाली (एमजीआर + बीपीसी) के माध्यम से उच्चतम कोयला आपूर्ति (यानी 54.15 मिलियन टन) देखी गई।

वित्तीय कार्य निष्पादन

कंपनी ने वर्ष 2019–20 के दौरान रुपये 24,093.97 करोड़ का रिकार्ड कुल टर्नओवर किया जो विगत वर्ष के टर्न ओवर रुपये 23052.51 करोड़ से 4.52 प्रतिशत ज्यादा रहा। एनसीएल ने वर्ष 2019–20 में सर्वोच्च रुपये 6985.45 करोड़ का कर पूर्व लाभ प्राप्त किया और विगत वर्ष के रुपये 6659.16 करोड़ पर 4.90 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की। कर पश्चात् लाभ रुपये 4971.43 (पीएटी) करोड़ रहा जो पिछले वर्ष के रुपये 4111.28 करोड़ की तुलना में 20.92% ज्यादा है। विगत वर्ष की प्रति अंश आय (ईपीएस) रुपये 6101.22 से बढ़कर रुपये 7879.40 हुई। (आईएनडी–एएस–33 "प्रति अंश आय के अनुसार")।

लाभांश एवं शेयर कि पुनर्खरीद

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान अपने शम्य अंश पूंजी पर रुपये 3911.83 करोड़ (विगत वर्ष रुपये 1996.53 करोड़) का भुगतान किया। कंपनी ने रुपये 804.09 करोड़ (विगत वर्ष रुपये 410.42 करोड़) का लाभांश वितरण कर का भुगतान किया।

तकनीकी ग्रहण

एनसीएल सीआईएल की सर्वोच्च वॉल्यूम हैंडलिंग कंपनी है (वर्ष 2019–20 में कोयला उत्पादन 108.05 मिलियन टन एवं 323.23 मिलियन घनमीटर ओवरबर्डेन हटाई गयी है) यहाँ 10 यंत्रीकृत खुली खानें हैं जिसमें बड़े आकार की हैवी अर्थ मूविंग मशीनें कार्यरत हैं। एनसीएल में उच्च क्षमता वाली ड्रेगलाइन एवं उच्च आकार के संयोजित शवेल, डंपर तैनात हैं। एसयूआरपीएसी सॉफ्टवेयर सहित सेर्वेक्षण के लिए सभी स्टेशनों पर 3डी लेसर स्कैनर प्रयोग में है। डंपर के संचालन के लिए प्रशिक्षण सिमुलेटर प्रशिक्षण के द्वारा दिया जाता है। सभी 10 मिलियन टन प्रति वर्ष या उससे अधिक क्षमता वाली खदानों में ओआईटीडीएस संस्थापित है। कोयले का प्रेषण कोल हैंडिलिंग संयत्रों कि साईलो (SILO) में तेजी से वैगन लोडिंग प्रणाली के माध्यम से किया जाता है। हाल ही में निम्निलिखत तकनिकों को अपनाया गया है।

(i) उच्च क्षमता कि सर्फेस माइनर्स

(ii) ईलेक्ट्रोनिक डेटोनेटर्स

(iii) जीपीएस आधारित ट्रक परिचालन अनुवीक्षण पद्धति।

(iv) एनसीएल मुख्यालय में बायोमेट्रिक आधारित उपस्थिति रिकॉर्डिंग सिस्टम।

कंपनी ने अनुसंधान और विकास के कार्यों को मजबूती देने के लिए में आईआईटी (बीएचयू) से एमओयू हस्ताक्षर किए। एमओयू के अनुसार एनसीएल और आईआईटी (बीएचयू) ने मिलकर एक अनुसंधान और विकास केंद्र (एसएआरएएस) की स्थापना की जिसके तहत कुल 06 संख्या में अनुसंधान और विकास के कार्यक्रमों पर वर्ष 2019–20 के लिए विचार किया जो सुरक्षा, उत्पादकता और कोयले के निष्कासन में सुधार के साथ खनन कार्य से पर्यावरण के नुकसान को कम करने का प्रयास है।

एनसीएल और आईआईटी (बीएचयू) ने संयुक्त रूप से नवाचार के लिए आईआईटी (बीएचयू) में नवोन्मेष, इनक्यूबेशन और उद्यमिता के लिए एनसीएल–आईआईटी (बीएचयू) इनक्यूबेशन सेंटर स्थापित किया है, सिंगरौली में इसके लिए सेटेलाईट सेंटर स्थापित करने हेतु प्रक्रिया चल रही है। 2019–20 के दौरान अनुमोदित वैज्ञानिक और तकनीकी अध्ययन के लिए, परियोजनाओं के पहले वर्ष में 4.11 करोड़ रुपये की अनुमानित आवश्यकता के साथ 6.44 करोड़ रुपये स्वीकृत किए गए हैं।

आरएंडडी, प्रौद्योगिकी जागरूकता आदि को बढ़ावा देने के लिए 14 एवं 15 दिसंबर, 2019 को सिंगरौली में ओपेंकास्ट माइनिंग

टेक्नोलॉजी एंड सस्टेनेबिलिटी (ICOMS–2018) पर दूसरा अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया था।

नई / विस्तार परियोजनाएँ

यहाँ ऑपरेशन में 10 बड़ी ओपेनकास्ट खनन परियोजनाएँ हैं जिनमें से 7 पूर्ण हो चुकी खनन परियोजनाएँ हैं, और 3 चालू परियोजनाएँ हैं। एक ग्रीनफील्ड खुली खनन परियोजना सेमरिया ओसीपी (2 मि.ट.प्र.व) को एनसीएल के निदेशक मण्डल ने स्वीकृति प्रदान की है। इस परियोजना की संवैधानिक मंजूरी चल रही और सेमरिया ओसीपी से उत्पादन वर्ष 2022–23 तक चालू होने की संभावना है। वर्ष 2019–20 में कुल दो ओसीपी की मंजूरी प्रदत्त हुई है और वर्ष 2020–21 में तीन नए/विस्तार ओसीपी की योजना बनाई है। कुल 06 पूर्ण गैर–खनन परियोजनाएँ हैं।

वर्ष के दौरान एनसीएल ने केपिटल व्यय के कुल लक्ष्य रुपये 1235 करोड़ की तुलना में रुपये 394.96 करोड़ का खर्च किया है। खर्च मुख्य रूप से जमीन का अधिग्रहण/वृद्धि, एचईएमएम, अन्य प्लांट एवं मशीन, एवं बिल्डिंग आदि में किया गया।

निगमित सामाजिक दायित्व

कंपनी अधिनियम, 2013 में नये सामाजिक दायित्वों के प्रावधानों अंतर्गत व्यवसायिक इकाईयों को सामाजिक दायित्यों को कार्यान्वित करने के लिए विनिर्दिष्ट कंपनियों पर स्पष्ट योजना एवं प्रक्रिया बनाने पर बड़ी ज़िम्मेदारी दी गयी है। कंपनी अधिनियम के प्रावधानों, कंपनी नियमित सामाजिक दायित्व नीति नियम 2014 एवं कार्पोरेट मामले के मंत्रालय के परिपत्र एवं अधिसूचना अंतर्गत एनसीएल ने सिंगरौली के आस–पास एवं सीआईएल के सीएसआर नीति विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में सामाजिक दायित्व के क्रियान्वयन के लिए वांछित कर योजना बनाई है। विगत तीन वर्षों का औसत विशुद्ध लाभ रुपये 4,613.32 करोड़ हुआ और तीन वर्ष के औसत विशुद्ध लाभ का 2 प्रतिशत राशि रुपये 92.27 करोड़ हुआ जिसकी तुलना में एनसीएल द्वारा कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसूची–VII के तहत विभिन्न गतिविधियां पर 83.33 करोड़ खर्च किया गया जो निम्न है : "गाँव जोड़ो अभियान के अंतर्गत सड़कें, "आधार योजना" के अंतर्गत आधारभूत संरचना, "स्वच्छ जल योजना" के अंतर्गत नजदीकी ग्रामीणो कों जलापूर्ति, ''कौशल योजना'' के अंतर्गत कौशल विकास एवं रोजगार उत्पन्न करना, खेल/कला और संस्कृति "खेल तरंग" के तहत्, "स्वच्छ विद्यालय अभियान", "सब साक्षर स्कीम" के तहत शिक्षा एवं अन्य। बोर्ड स्तर की सीएसआर समिति सीएसआर नीति, सीएसआर कार्यक्रम और सीएसआर व्यय की निगरानी करती है।

कारपोरेट गवर्नेंस

कारपोरेट गवर्नेंस की उपलब्धियों को मापने के लिए कारपोरेट गवर्नेंस एक मापदंड बन गया है। मई 2010 से केंद्रीय सार्वजनिक उद्यम इंटरप्राइजेज़ के लिए एनसीएल पूर्णतः उन निर्देश एवं कारपोरेट के सिद्धांतो का पालन करने के लिए समर्पित है, जो सार्वजनिक इंटरप्राइजेज़ के विभाग द्वारा प्रस्तावित हैं। अपनी कंपनी ने कोयला मंत्रालय एवं सीआईएल के द्वारा स्वतंत्र निदेशकों के संबंध में अनुपालन को छोड़कर विभिन्न कानूनों, बोर्ड सदस्यों की आचार संहिता, कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक, कार्यरत लेखा परीक्षा समिति की शर्तों के संदर्भ में और गठित निदेशक मण्डल के दिशा निर्देश के अनुसार अनुपालन अनुविक्षण के लिए एक प्रणाली स्थापित की है। एनसीएल बोर्ड ने इनके द्वारा किए जा रहे कार्यों के लिए नामांकन व पारिश्रमिक समिति गठित की है एवं आगे कंपनी के जोखिमों का अनुविक्षण करने के लिए एक जोखिम प्रबंधन समिति का गठन किया गया। निदेशकगण के रिपोर्ट में उल्लेखित कारपोरेट गवर्नेंस में एक अनुभाग जोड़ा गया है। वर्ष 2019–20 के दौरान कॉरपोरेट गवर्नेंस के शर्तों के अनुपालन के संबंध में पेशेवर कंपनी सचिव द्वारा प्रमाण–पत्र जारी किया गया है। साथ ही कंपनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 204 के अनुपालन हेतु एनसीएल द्वारा वर्ष 2019–20 के लिए सचिवीय लेखा अंकेक्षण कराई गई।

मानव संसाधन

आपकी कंपनी प्रबंधन के कामगारों की सहभागिता की अवधारणा एवं सौहार्द्रपूर्ण औद्योगिक संबंध बनाने रखने का अनुसरण करती है। आपकी कंपनी कामगारों के कल्याण एवं सामाजिक शिष्टाचार पर भी ध्यान देती है। एनसीएल सिंगरौली में केन्द्रीय उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान एवं विभिन्न परियोजनाओं में 10 व्यावसायिक प्रशिक्षण केन्द्र है। विशेष ध्यान सीईटीआई पर जेनेरिक कौशल प्रशिक्षण/सॉफ्ट स्किल प्रशिक्षण की एक किस्म की शुरूआत और विस्तार है, जो विभिन्न जॉब प्रोफाइल में रखे गए हमारे कर्मचारियों के संतुलित कौशल विकास को बढ़ावा देने के लिए डोमेन स्वतंत्र ज्ञान है, जिससे हमारे संस्थान को एक पूर्ण प्रशिक्षण संस्थान में शामिल किया गया है जो अब तक केवल तकनीकी प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और हमें आईआईसीएम और जेनेरिक स्किल ट्रेनिंग के लिए अन्य संस्थानों

जैसे बाहरी संस्थान पर भरोसा नहीं करना था, जो केवल हमारे कुछ कर्मचारियों को ही लाभ दे रहा था। एचईएमएम ऑपरेटरों को सिम्युलेटर के माध्यम से अग्रिम प्रशिक्षण प्रदान किया गया है कंपनी ने डम्पर के अलावा ड्रैगलाइन, शोवेल और डोजर के लिए नए सिमुलेटर जोड़े। कोल इंडिया लिमिटेड/एमओसी/डीपीई की नीति के अनुसार निदेशकों और वरिष्ठ प्रबंधन को प्रशिक्षण भी दिया जाता है। कंपनी की कुल श्रम शक्ति (अपरेंटिस एक्ट, 1961 के तहत अपरेंटिस को छोड़कर) 31 मार्च, 2020 को 14,382 के मुकाबले 31 मार्च, 2019 को 14,456 थी। वर्ष के दौरान, एनसीएल ने 1092 उम्मीदवारों को शिक्षुता प्रदान की। वर्ष के दौरान, एनसीएल ने भी 134 व्यक्तियों की भर्ती की, उन्हें विभिन्न तरीकों के तहत नियुक्त किया गया था, जैसे कि सीधी भर्ती, अनुकंपा नियुक्ति और जमीन अधिग्रहण के तहत नियुक्ति।

खेलों को बढ़ावा देने के लिए, NCL ने जयंत में आवासीय एथलेटिक्स अकादमी की स्थापना की है जिसमें 40 बच्चे कंपनी के खेल क्षेत्र में पदचिह्न बनाने की महत्वाकांक्षा के साथ गहन कोचिंग ले रहे हैं। एनसीएल में बीना, जयंत और सिंगरौली में स्थित 3 पूर्ण स्टेडियम हैं। इसके अलावा, एनसीएल में 03 पार्क एवं 20 गार्डेन है। 2019–20 के दौरान, 16 पार्कों को अपग्रेड किया गया और 02 पार्कों को ओपन एयर जिम जैसी सुविधाओं के साथ जोड़ा गया। वर्ष के दौरान, एनसीएल ने (ए) सीआईएल इंटर कंपनी एथलेटिक्स प्रतियोगिता और (बी) सीआईएल इंटर कंपनी पावर लिफ्टिंग, वेट लिफ्टिंग और बॉडी बिल्डिंग टूर्नामेंट की भी मेजबानी की। स्वच्छ भारत के लिए राष्ट्र की दृष्टि के अनुरूप, एनसीएल ने सिंगरौली और सोनभद्र जिले के सूचकांक को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई।

पर्यावरणीय प्रबंधन

एनसीएल ने आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015, ओएचएसएएस 18001:2007 के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करते हुए अपने एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) के तहत सतत विकास के लिए मैनुअल, नीति, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को अच्छी तरह से परिभाषित और प्रलेखित किया है।

एनसीएल ने भारत और राज्य सरकारों के सरकार से परियोजनाओं के लिए वन मंजूरी प्राप्त की है। एनसीएल ने विभिन्न वन और पारिस्थितिक मितव्ययी उपाय किए हैं जैसे खनन, खनन के लिए वन वन भूमि के बदले प्रतिपूरक वनीकरण, वृक्षारोपण, सुरक्षा क्षेत्रों और सामाजिक वनीकरण के माध्यम से जैविक पुनर्ग्रहण। वर्ष 2019–20 के दौरान 211 हेक. 5.29 लाख पौधे रोपने से ओबी डंप क्षेत्रों को जैविक रूप से पुनर्जीवित किया गया है। 31.3.2020 तक, कुल 2920.01 हेक. बाहरी और आंतरिक डंपों के माध्यम से कुल 155.16 लाख पौधे लगाकर तकनीकी और जैविक रूप से पुनः प्राप्त किया गया है। कंपनी ने वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण के लिए कई आवश्यक उपाय किए है। एनसीएल ने छोड़े गए गोरबी माइन में एनटीपीसी प्लांट्स के फ्लाई ऐश के डंपिंग के लिए एनटीपीसी के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

सूचना प्रौद्योगिकी के लिए पहल

एनसीएल आईटी पहल करने के लिए इच्छुक है –

ए) जीपीएस आधारित वाहन खोज प्रणाली का उपयोग कोयला परिवहन के उपयोग हेतु किया जा रहा है जिसमें आर एफ आईडी प्रणाली, बूम वैरियर्स, फोटो के लिए कैमरा को वे–ब्रिज प्रणाली के साथ एकीकृत कर दिया गया है। एक व्यापक सीसीटीवी निगरानी प्रणाली भी लगाई गई है।

बी) कोलनेट, एक ईआरपी पैकेज, एक एकीकृत एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज है, जो कोयला, कोल इंडिया लिमिटेड और इसकी सहायक कंपनियों, क्षेत्रों, कोलियरीज में सूचना के संग्रह और प्रसार के माध्यम से व्यावसायिक कार्यकलापों को एकीकृत करने के लिए विकसित किया गया है, जिसे मैसर्स ईसीआईएल, हैदराबाद द्वारा कार्यान्वित किया गया है। बिल ट्रैकिंग सिस्टम, पेरोल, बिक्री, उत्पादन, सामग्री प्रबंधन और रखरखाव सहित पीआईएस (कार्मिक सूचना प्रणाली), एफ़आईएस (वित्त सूचना प्रणाली) के सभी मॉड्यूल विकसित और तैनात किए गए हैं।

(सी) जीपीएस आधारित ओआईटीडीएस (ऑपरेटर इन्डीपेन्डेंट ट्रक डिस्पैच सिस्टम) जो वास्तविक समय पर दोनों ही ड्रैगलाइन एवं शोवेल–डंपर के संयोजन मॉनिटर करता है, पाँच परियोजनाओं नामतः जयंत, अमलोरी, खड़िया, दुधिचुआ एवं निगाही में संचालित हैं।

(डी) ऑनलाइन फ़ाइल ट्रैकिंग सिस्टम और ऑनलाइन बिल ट्रैकिंग सिस्टम पहले से ही चालू है, सभी कंपनी प्रोजेक्ट्स कोलनेट प्रणाली की शुरुआत के लिए पूर्ण कार्रवाई की जा रही है।

(ई) अगस्त 2013 में एनसीएल मुख्यालय, सीईटीआई एवं केंद्रीय अस्पताल में अधिकारी एवं गैर–अधिकारी दोनों के लिए

बायोमेट्रिक–उपस्थिती प्रणाली चालू की गयी। एनसीएल की समस्त इकाई में ठेका कर्मी/वेंडर के लिए बायोमेट्रिक–उपस्थिती प्रणाली चालू की गयी है।

(फ) ई–ऑफिस, ऑफिस ऑटोमेशन के लिए एक पहल है जो फाइलों के इलेक्ट्रॉनिक मूवमेंट और डेटा की आर्काइव और रिट्रीवल को सक्षम बनाता है।

मान्यताएँ एवं अवार्ड

वर्ष के दौरान, एनसीएल को सम्मानित किया गया :

- सर्वश्रेष्ठ पर्यावरण प्रबंधन के लिए धातु और खनन क्षेत्र में 19वाँ वार्षिक ग्रीनटेक पर्यावरण पुरस्कार 2019।
- एनसीएल कनेक्ट को स्कोप कॉरपोरेट कम्युनिकेशन (सीसी) अवार्ड 2019 के अंतर्गत इनोवेटिव स्टेकहोल्डर इंटरफ़ेस अवार्ड दिया गया।
- खनन और अन्वेषण में डन और ब्रैडस्ट्रीट पुरस्कार : कोयला, खनन और अन्वेषण में सर्वश्रेष्ठ मिनीरत्न और समग्र रूप से सर्वश्रेष्ठ मिनीरत्न।
- सीएमडी एनसीएल श्री पी.के. सिन्हा को कोयला क्षेत्र में पीएसई के लीडर के रूप में राष्ट्र निर्माण में उत्कृष्ट योगदान के लिए इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स पब्लिक सेक्टर एंटरप्राइज एक्ससेलडेंस अवार्ड।
- मिनीरत्न कंपनी ऑफ द ईयर, परिचालन प्रदर्शन के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य के लिए पुरस्कार और भारतीय वाणिज्य मंडल द्वारा प्रदत्त कॉरपोरेट गवर्नेंस के लिए पुरस्कार।
- पोल्ट्री फार्मिंग के माध्यम से 500 आदिवासी महिलाओं को आजीविका प्रदान करने के लिए सीएसआर टाइम्स अवार्ड।
- उत्कृष्ट कार्यस्थल स्वास्थ्य और सुरक्षा सुनिश्चित करने और सबसे लंबे समय तक दुर्घटना मुक्त अवधि बनाए रखने के लिए एनसीएल के झींगुरदा क्षेत्र को अपेक्स इंडिया ऑक्यूपेशनल हेल्थ एंड सेफ्टी अवार्ड।
- 45वें कोल इंडिया स्थापना दिवस पर "कॉर्पोरेट प्रदर्शन" "गुणवत्ता जागरूकता" और 'स्वछता पखवाड़ा में प्रथम पुरस्कार और 'कॉरपोरेट अवार्ड ऑन सेफ्टी' और पर्यावरण में दूसरा पुरस्कार।
- सबसे लंबी अवधि के लिए दुर्घटना मुक्त होने और एनसीएल के ककरी क्षेत्र में सबसे कम चोट आवृत्ति दर होने के लिए 2015–16 के लिए राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (माइंस)।
- पोल्ट्री फार्मिंग के माध्यम से आदिवासी महिलाओं को आजीविका प्रदान करने के लिए ईटी नाउ अवार्ड।
- **अभिस्वीकृति :**

कंपनी कर्मचारियों, श्रमिक संघों एवं अधिकारी एसोसिएशन के निरंतन प्रयासों एवं सीआईएल एवं कोयला मंत्रालय द्वारा दी गई सहायता के कारण ही एनसीएल द्वारा भौतिक एवं वित्तीय परिणामों को प्राप्त करना संभव हुआ है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि कर्मचारियों की सक्रियता, वचनबद्धता एवं कंपनी में उपलब्ध विशेषज्ञता का स्तर के कारण कंपनी भविष्य के लिए किए गए वादों को बड़ी आसानी से पूर्ण कर सकेगी। मैं आश्वस्त हूँ कि इनकी समर्पित वचनबद्धता एवं पूर्व की भांति सभी स्तरों पर कार्यनिष्पादन के द्वारा आने वाली चुनौतियों का सामना, अंशधारकों के अपेक्षाओं को पूर्ण करते हुए वर्ष में निरंतर ऊँचाइयों को प्राप्त कर सकेंगे।

मैं समस्त अंश धारकों, कोयला मंत्रालय पर्यावरण वायु और जलवायु परिवर्तन मंत्रालय अन्य मंत्रालयों एवं विभागों, राज्य सरकारों, समस्त कर्मचारियों, श्रमिक संघों, उपभोक्ताओं एवं वेन्डरों को उनके सौहार्द्रपूर्ण समर्थन एवं अनवरत सहयोग के लिए धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ।

ह./–

(पी.के. सिन्हा)
अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

दिनाँक – 18 अगस्त, 2020
स्थान – सिंगरौली

निदेशकगण का प्रतिवेदन

KSM 403

CATERPILLAR
830

निदेशकगण का प्रतिवेदन

सेवा में,

सदस्य,
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड

प्रिय महोदय,

निदेशक मंडल की ओर से, मुझे 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के अंकेक्षित लेखों के साथ नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) की 35वीं वार्षिक प्रतिवेदन एवं भारत के नियंत्रण एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी प्रस्तुत करते हुए अपार हर्ष हो रहा है ।

वर्ष 1985 में एनसीएल के गठन के बाद सीसीएल की सिंगरौली कोलफील्ड्स, पूर्णतः एनसीएल के अंतर्गत प्रारंभ हुआ, जिसका मुख्यालय सिंगरौली रखा गया। यह कोलफील्ड्स भौगोलिक दृष्टि से दो भागों में विभाजित है, नामतः मेन बेसिन (परिक्षेत्र 1890 वर्ग कि.मी.) एवं मोहेर सब बेसिन (परिक्षेत्र 312 वर्ग कि.मी.)। वर्तमान में एनसीएल का समस्त कोयला खनन मोहेर सब बेसिन की 10 खुली खदानों में केन्द्रित है। जिसमें 07 पूर्ण हो चुकी खनन परियोजना हैं और 03 चालू परियोजना हैं। एक ग्रीनफ़ील्ड खुली खदान सेमरिया ओसीपी क्लियरेंस के दौर में है। मोहेर बेसिन में 'मोहेर' तथा 'मोहेर–अमलोरी विस्तार' कोल ब्लॉक की छोड़कर) जो शासन पावर लिमिटेड के पास है अन्य सभी ब्लॉक एनसीएल के नियंत्रण में दिए गए हैं। इसके अतिरिक्त मेन बेसिन के 11 कोल ब्लॉक भी सीआईएल/एनसीएल कोल ब्लॉक के रूप में रखे गए हैं। एनसीएल का कोयला उत्पादन 1986–87 के 13.60 मिलियन टन से बढ़कर 2019–20 में 108.05 मिलियन टन तक पहुँच गया है तथा वर्ष 2020–21 तक 113.25 मिलियन टन के लक्ष्य को पूरा करने की योजना है। लगभग 86% कोयला पावर सेक्टर को प्रेषित किया जाता है। एनसीएल वर्ष 2007 से एक मिनी रत्न (कटेगरी–1) कंपनी है एवं कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड की पूर्णतः एक अनुषंगी है।

1.0. वर्ष के प्रदर्शन की प्रमुखताएँ

1.1. एनसीएल ने वित्त वर्ष 2019–20 के कार्य निस्पादन की झलकियाँ

- सर्वश्रेस्ठ 108.05 मिलियन टन का कोयला उत्पादन प्राप्त किया है जबकि लक्ष्य 106.25 था जो विगत वर्ष के वास्तविक उत्पादन से 6.45 प्रतिशत अधिक है।
- वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 323.23 मिलियन घन मीटर के ओवेर्बर्डेन निष्कासन किया जबकि लक्ष्य 362.00 था जो विगत वर्ष की तुलना में 1.57 प्रतिशत अधिक था।
- वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान सर्वाधिक 107.42 मिलियन टन कोयले का उठाव किया जबकि 106.25 मिलियन टन लक्ष्य था, जो विगत वर्ष की तुलना में 5.75 प्रतिशत अधिक रहा।
- वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान रुपये 24093.97 करोड़ की कुल टर्नओवर किया जो विगत वर्ष की कुल टर्नओवर रुपये 23052.51 करोड़ की तुलना में 4.52 प्रतिशत अधिक रहा।
- वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान अब तक का सर्वाधिक कर पूर्व लाभ रुपये 6985.45 करोड़ प्राप्त किया जो पिछले वर्ष के रुपये 6659.16 करोड़ से 4.90 प्रतिशत अधिक रहा। पिछले वर्ष की कर अदायकी के बाद लाभ रुपये 4111.28 करोड़ की तुलना में वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान रुपये 4971.43 करोड़ प्राप्त किया।
- वर्ष के दौरान पर्यावरण को हरा–भरा रखने एवं प्रदूषण नियंत्रण के लिए प्रयास जारी रहे। वर्ष 2019–20 में 211.88 हेक्टर अधिभार डम्प क्षेत्र में 5.29 लाख पौधों का वृक्षपरोपण कर जैविक पुनरुद्धार कार्य किया गया। 31.03. 2020 तक बाहरी अधिभार डम्प तथा आंतरिक अधिभार डम्प पर कुल 2920.01 हेक्टर पर 155.16 लाख पौधारोपण कर तकनीकी एवं जैविक पुनरुद्धार किया जा चुका है।
- एनसीएल के प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी जारी रहने के फलस्वरूप स्वस्थ एवं सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंध बने रहे।
- कर्मचारियों के कल्याण, सामुदायिक विकास एवं मानव संसाधन विकास पर निरंतर ध्यान केन्द्रित रहा।

1.2 वित्तीय समीक्षा

वर्ष 2019–20 के दौरान कम्पनी ने रु. 24,093.97 करोड़ (विशुद्ध टर्न ओवर 15,556.52 करोड़) का टर्न ओवर प्राप्त किया जो वर्ष

2018–19 के दौरान रु. 23,052.51 करोड़ (विशुद्ध टर्न ओवर 14,905.60 करोड़) की तुलना में 4.52 प्रतिशत (कुल टर्न ओवर) एवं 4.37 प्रतिशत (विशुद्ध टर्न ओवर) की वृद्धि है।

वर्ष 2019–20 के वित्तीय परिणाम विगत् वर्ष की तुलना सहित निम्न तालिका में दशाये गए हैं –

(रुपये करोड़ में)

वित्तीय प्रदर्शन	31.03.2020 के अंत में	31.03.2019 के अंत में
कुल बिक्री	24,093.97	23,052.51
कम : लेवी	8,537.45	8,146.91
विशुद्ध बिक्री	15,556.52	14,905.60
जोड़ें : अन्य ऑपरेटिंग राजस्व	719.92	615.81
संचालन से राजस्व	16,276.44	15,521.41
जोड़ें : अन्य आय	633.89	714.71
कुल आय	16,910.33	16,236.12
कम : कुल खर्चे	9,924.88	9,576.96
कर पूर्व लाभ	6,985.45	6,659.16
कम : कर खर्चे	2,014.02	2,547.88
वर्ष का मुनाफा	4,971.43	4,111.28
जोड़ें : अन्य व्यापक आय (कर का विशुद्ध)	(50.64)	(29.30)
अवधि के लिए कुल व्यापक आय	4,920.79	4,081.98

1.3. अंश पूँजी

दिनांक 31 मार्च, 2020 को कम्पनी की अधिकृत अंशपूँजी रु. 1400.00 करोड़ रही, जिसमें रु. 1000/– प्रत्येक के 40,00,000, 10 प्रतिशत संचयी अधिमान अंश एवं रु. 1000/– प्रत्येक के 1,00,00,000 साम्य अंश समाविष्ट हैं।

31 मार्च, 2020 को जारी, पेड–अप शेयर कैपिटल, रु.630.94 करोड़ है जिसमें 63,09,405 रुपये के इक्विटी शेयर शामिल हैं 1,000 / – प्रत्येक के जिनका पूरी तरह से भुगतान किया गया था। वर्ष के दौरान शेयर कैपिटल में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ है।

1.4. संचय को अन्तरण

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान राशि रु. 248.57 करोड़ को जो कर के पश्चात् लाभ का 5 प्रतिशत के समतुल्य है, को सामान्य संचय में अन्तरित किया गया है।

1.5 लाभांश

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान, 3911.83 करोड़ रुपये के अंतरिम लाभांश का भुगतान 63,09,405 इक्विटी शेयर 6200 प्रति शेयर पर भुगतान किया गया। अब तक दिए गए अंतरिम लाभांश को इक्विटी शेयर पूंजी पर अंतिम लाभांश के हिस्से के रूप में माना जाएगा।

1.6 उधार

वर्ष के दौरान कम्पनी ने, सरकार या किसी वित्तीय संस्था से कोई ऋण नहीं लिया है।

1.7 पूँजीगत व्यय

वर्ष 2019–20 के दौरान एनसीएल ने 1235.00 करोड़ रुपये के बजट के मुकाबले 394.96 करोड़ का पूंजीगत व्यय किया है। व्यय मुख्य रूप से भूमि, एचईएमएम, अन्य संयंत्र और मशीनरी और भवनों आदि के अधिग्रहण पर किया गया है।

1.8. केन्द्रीय/राज्य कोष को भुगतान

केन्द्रीय और राज्य कोष में कम्पनी द्वारा दिए गए योगदान के संबंध में विवरण निम्नलिखित है –

(रु. करोड़ में)

विवरण	2019–20			2018–19		
	म.प्र.	उ.प्र.	कुल	म.प्र.	उ.प्र.	कुल
रॉयल्टी	1,545.72	406.41	1,952.12	1,470.95	426.20	1,897.15
एमएमडीआर रॉयल्टी फंड (केन्द्रीय)	33.30	8.80	42.10	28.61	9.04	37.65
एमएमडीआर रॉयल्टी फंड (राज्य)	470.63	131.42	602.04	376.73	16.26	392.99
केन्द्रीय जीएसटी	199.61	53.74	253.34	173.56	58.21	231.78
राज्य जीएसटी	199.61	53.74	253.34	173.56	58.21	231.78
अंतरराज्यीय जीएसटी	0.47	0.92	1.38	0.18	0.00	0.18
सीजीएसटी (टीडीएस)	13.72	7.76	21.48	4.23	1.94	6.16
एसजीएसटी (टीडीएस)	13.72	7.76	21.48	4.23	1.94	6.16
आईजीएसटी (टीडीएस)	6.80	3.79	10.59	1.92	0.73	2.66
वन उपकर	31.57	53.40	84.98	21.44	60.73	82.17
व्यावसायिक कर	2.07	–	2.07	2.52	–	2.52
एमपीजीएटीएसवीए	494.51	–	494.51	458.44	–	458.44
जीएसटी मुआवजा उपकर	3,599.46	737.18	4,336.65	3,220.57	808.78	4,029.35
एसएसडीए उपकर	–	14.11	14.11	–	16.54	16.54
सम्पत्ति कर	–	–	–	–	0.60	0.60
आयकर (टीडीएस)	275.53	106.65	382.17	280.77	101.08	381.85
कॉर्पोरेट कर	3,960.00	–	3,960.00	2,230.00	–	2,230.00
लाभांश वितरण कर (पुनर्खरीद पर वितरित आय पर कर सहित)	804.09	–	804.09	481.01	–	481.01
कुल	**11,650.79**	**1,585.66**	**13,236.45**	**8,928.74**	**1,560.27**	**10489.01**

कंपनी ने वित्त वर्ष 2019–20 में रु. 4342.17 करोड़ रुपए कॉर्पोरेट आयकर (टीडीएस सहित) की राशि का भुगतान किया है और 804.09 करोड़ लाभांश कर के रूप में दिया और वर्ष 2018–19 2611.85 करोड़ और 481.01 करोड़ का भुगतान किया था।

1.9 भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों का पूरक अंकेक्षण।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा वित्तीय विवरणों का अनुपूरक लेखा–जोखा जिसे कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(ए) (और धारा 129(4) पर पढ़ा जाये) किसी प्रकार की टिप्पणी नहीं की गयी है। पूरक अंकेक्षण पर टिप्पणी को इस रिपोर्ट के साथ संलग्न किया गया है।

1.10 वैधानिक लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर प्रबंधन का स्पष्टीकरण

कंपनी के वैधानिक लेखा परीक्षक ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर एक अयोग्य रिपोर्ट दी है। हालांकि उन्होंनें कुछ मुद्दो पर ध्यान केन्द्रित किया है "एंफासिस ऑफ मेटर्स"। इन मुद्दो को लेखा के संबन्धित नोट्स/फुट नोट्स में समझाया गया है।

2.0 उत्पादन निष्पादन

2.1. वर्ष 2019–20 का उत्पादन निष्पादन पिछले वर्ष की तुलना नीचे दी गई है:

विवरण		2019–20			2018–19 वास्तविक	% उपलब्धि पिछले वर्ष की तुलना में
		लक्ष्य	वास्तविक	% उपलब्धि		
कोयला उत्पादन (मि॰टन)	विभागीय	106.25	108.05	101.70	101.50	6.45
कोयला प्रेषण (मि॰टन)	विभागीय	106.25	107.42	101.10	101.57	5.75
ओबी निष्कासन (मि॰घन॰)	विभागीय	84.40	88.25	104.56	83.70	5.44
	आउटसोर्सिंग	277.60	234.98	84.65	234.53	0.19
	कुल	362.00	323.23	89.29	318.22	1.57
कम्पोजिट उत्पादन (मि॰घन॰)	कुल	430.76	393.15	91.27	383.90	2.41

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान ओ/बी निकालने के लक्ष्य की अनुपलब्धि के मुख्य कारण।

एनसीएल ने वित्त वर्ष 2019–20 में ओबी निष्कासन (विभागीय) लक्ष्य 104.56% प्राप्त किया जिसमें से मात्र 84.65% ओबी निष्कासन एचओई के माध्यम से प्राप्त किया। एचएचओई द्वारा ओबी निष्कासन में कमी के मुख्य कारण निम्नानुसार हैं –

(क) ब्लॉक–बी में एच.ओ.ई ठेकेदार मेसर्स सिक्कल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड की विफलता और अमलोरी में उसी एच.ओ.ई. ठेकेदार का खराब प्रदर्शन।

(ख) 2018–19 के दौरान बीना में एच.ओ.ई ठेकेदार मेसर्स जीएससीओ आईपीएल की विफलता जिसके कारण बाद में 2019–20 के दौरान मेसर्स केआईएन के काम करने के लिए जगह की कमी हुई।

(ग) दुधीचुआ में रनिंग कांट्रेक्टर मेसर्स बीजीआर गजराज कंसोर्टियम और मेसर्स गजराज माइनिंग लिमिटेड का खराब प्रदर्शन।

2.2 वर्ष 2020–21 के लिए उत्पादन कार्यक्रम

2.2.1 कंपनी ने वर्ष 2020–21 के लिए कोयला उत्पादन का लक्ष्य 113.25 मिल. टन निर्धारित किया है एवं ओ. बी हटाने हेतु 350 मिल. टन का लक्ष्य निर्धारित किया है। जिसमे विभागीय द्वारा ओबी हटाने हेतु 85.50 मि.घन.मीटर एवं आउटसोर्सिंग के माध्यम से 264.50 मि.घन. मीटर ओबी हटाने कि योजना बनाई गई है।

3.0 भारी क्षमता वाली प्रमुख मशीनों की संख्या

3.1 भारी क्षमता वाली प्रमुख मशीनों की संख्या(31.03.2020 की स्थिति के अनुसार) –

उपकरण	ऑन रोल मशीनों की संख्या (क)	सर्वे–ऑफ लेकिन चलती हुई मशीनों की संख्या (ख)	कुल काम करते हुये उपकरणो की संख्या (ग=क+ख)
ड्रैगलाइन	20	3	23
शोवेल	95	23	118
डंपर	380	179	559
डोज़र	132	43	175
ड्रिल	124	14	138
सर्फ़ेस माइनर	4	0	4

3.2 प्रमुख एचईएमएम का प्रदर्शन :

क्र. सं.	उपकरण	उपलब्धता का सीएमपीडीआई मानदंड	सीएमपीडीआई के नियमानुसार उपलब्धता प्रतिशत		(+) बढ़ाव / (–) घटाव	उपयोगिता का सीएमपीडीआई मानदंड	सीएमपीडीआई के नियमानुसार उपयोगिता प्रतिशत		(+) बढ़ाव / (–) घटाव
			2019–20	2018–19			2019–20	2018–19	
1	ड्रैगलाइन	85	78.08	75.26	2.82	73	70.36	67.43	2.93
2	शोवेल	80	74.72	73.84	0.88	58	41.95	38.45	3.45
3	डंपर	67	70.16	65.30	4.86	50	44.13	42.65	1.48
4	डोज़र	70	66.54	70.06	–3.52	45	24.92	21.31	3.61
5	ड्रिल	78	84.60	86.91	–2.31	40	18.46	16.66	1.80
6	सर्फ़ेस माइनर	–	94.00	93.87	0.13	–	58.42	57.26	1.16

पिछले वर्ष की अपेक्षा में इस वर्ष डोज़र तथा ड्रिल को छोड़ कर सभी प्रमुख एचईएमएम का प्रदर्शन बढ़ा है। ड्रिल की उपलब्धता 84.60 प्रतिशत रही जो कि सीआईएल मानक 78 प्रतिशत से ज्यादा रही। डोज़र की उपलब्धता मुख्यता बीईएमएल डोजेर्स के खराब प्रदर्शन की वजह से रही। इनके प्रदर्शन में बढ़ोत्तरी हेतु 10 नग डोजेर्स का तकनीकी उन्नयन की एनसीएल एफ़डी द्वारा अनुमति दी गयी है ।

3.3 ड्रैगलाइन का पुनः स्थापना / पुन्नयनः

ड्रैगलाइन के प्रदर्शन और रिलायबिलिटी को बढ़ाने के लिए निम्नलिखित ड्रैगलाइन का रिहैब संबंधी वर्णन निमन्वत है :–

1. ज्योति ड्रैगलाइन का रिहैबिलिटेशन

दुधिचुआ परियोजना के ज्योति 24 / 96 ड्रैगलाइन (सीआईएल क्रमांक Exc–1393) के रिहैब की योजना बनाई गयी और इस कार्य का वर्कऑर्डर रुपया 3,24,50,000.00 एचईसी को दिया गया। रिहैबिलिटेशन का काम मेसर्स एचईसी द्वारा प्रगति में है।

2. विश्वनाथ ड्रैगलाइन का फिर से कमीशन

खड़िया परियोजना द्वारा विश्वनाथ ड्रैगलाइन को फिर से कमीशन के लिए जरूरी पुर्जों की सप्लाई हेतु सप्लाई ऑर्डर दिया गया।

खड़िया परियोजना ने विश्वनाथ ड्रैगलाइन (सीआईएल नो. Exc–1849) के बूम एसम्ब्ली को कमीशन और इन्स्टाल करने के लिए रुपया 1,38,65,000 का वर्क ऑर्डर मेसर्स एसआरबी इंटरनेशनल प्राइवेट लिमिटेड को 6 महीने के अंदर पूरा करने के लिए दिया है।

3.4 बीएच–100 डंपर का तकनीकी उन्नयन

बीएच–100 डंपर के तकनीकी उन्नयन और रिलियाबिलिटी इंप्रूवमेंट कार्य बीईएमएल द्वारा उनके मैसूर स्थित कारखाने पे करने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन दिया गया।

इसी अनुसार, 07 नग बीएच–100 डंपर के तकनीकी उन्नयन और रिलियाबिलिटी इंप्रूवमेंट बीईएमएल द्वारा करने हेतु बीईएमएल के मैसूर स्थित कारखाने पे भेजने के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

3.5 बीडी355 बीईएमएल डोज़र का तकनीकी उन्नयन

10 नग बीडी 355 बीईएमएल डोज़र का सिंगरौली स्थित बीईएमएल सर्विस सेंटर पर तकनीकी उन्नयन के लिए प्रशासनिक अनुमोदन प्रदान किया गया।

3.6. युनिवर्सल सिमुलेटर

01 नग युनिवर्सल सिमुलेटर 21 अगस्त 2020 को सीईटीआई, सिंगरौली में स्थापित किया गया जो कि 24 / 96 ड्रैगलाइन, पी–एच शोवेल और बीडी355 के संचालन को सिमुलेट करने में काम आता है। उपकरण के कमीशनिंग दिनांक 21.08.2019 को CETI में किया गया। इससे ड्रैगलाइन, शोवेल तथा डोज़र के नए ऑपरेटरोंको ट्रेनिंग दी जाएगी ।

3.7 2019–20 में नए HEMM उपकरणों का कमीशन

क्र.सं.	उपकरण	क्षमता	मॉडल	मात्रा	परियोजनाओ में वितरण
1	ड्रेगलाइन	24 cum बकैट	24 / 88 ड्रेगलाइन	01	अमलोरी–01
2	डंपर	100 टन	कैट 777 ई	33	अमलोरी–02, बीना–02, दुधिचुआ–05, जयंत–10, झिंगुरदा–06, ककरी–08
3	वाटर स्प्रिंकलर	70 किलो लीटर	डब्लू एस 70	13	दुधिचुआ–07, जयंत–06
4	ड्रिल	160 एम॰एम	आरईसीपी 650	04	अमलोरी–02, बीना–01 खड़िया–01
5	हायड्रौलिक एक्सकेवेटर बैकहो	3.8 Cum	हिटाची ZX650H	07	जयंत–2, निगाही–2, बीना–2, खड़िया–1, अमलोरी–1, झिंगुरदा–2
6	टायर हैंडलर	8T	MHT X10180	05	अमलोरी–01, जयंत–01, निगाही–01, खड़िया–01, दुधिचुआ–01
7	टायर हैंडलर	3.5T	BL14T–4	02	निगाही–02
8	टायर डिसमेंटलिंग और असेम्ब्लिंग मशीन {85टन, 100टन, 120टन, 170टन और 200 टन डंपर्स के टायर}		टीसी–5963	03	अमलोरी–01, जयंत–01, निगाही–01

3.8. वर्ष 2019–20 में एचईएमएम का सप्लाई ऑर्डर

क्र.सं.	उपकरण	मात्रा	परियोजनाओ में वितरण
1	160 एमएम ड्रिल	04	अमलोरी–01, बीना–01 खड़िया–01, झींगुरदा –01
2	10–12 cum एफ़.ई. लोडर	01	जयंत–01
3	टायर हैंडलर क्षमता 3500 Kgs	02	निगाही–02
4	हायड्रौलिक एक्सकेवेटर बैकहो 3.2 to 3.8 cum	07	जयंत–2, निगाही–2, बीना–2, खड़िया–1
5	फोर्क लिफ्ट – 5 टन	04	जयंत–01, निगाही–02, खड़िया–01
6	टायर डिसमेंटलिंग और असेम्ब्लिंग मशीन	05	अमलोरी–01, जयंत–01, खड़िया–01, निगाही–01, दुधिचुआ –01

3.9. **2020–21 एनसीएल में संभावित खरीद**

क्र.सं.	उपकरण	मात्रा न.	परियोजनाओं में वितरण
1	6.1–7.0 क्यु. मी.फ.ई. लोडर	03	जयंत–01, ब्लॉक बी–01, बीना–01
2	311 एमएम ड्रिल	02	जयंत –02
3	सर्फ़ेस माइनर	04	बीना–01, खड़िया–01, दुधिचुआ–01, निगाही–01
4	डंपर 100T	45	जयंत –15, कृष्णशिला–02, दुधिचुआ –28
5	410HP डोज़र	16	जयंत –06, निगाही–02, दुधिचुआ –06, ककरी–02.
6	250 एमएम ड्रिल	19	अमलोरी–03, खड़िया–01, बीना–03, दुधिचुआ–04, जयंत–02, निगाही–06
7	160 एमएम ड्रिल	09	जयंत –05, दुधिचुआ –04
8	3.2–3.8 क्यु.मी. हयड्रौलिक बैकहो शोवेल	04	जयंत –01, दुधिचुआ –03
9	RT मोबाइल क्रेन 30T	01	जयंत –01
10	मोटर ग्रेडर 550 एचपी	06	झिंगुरदा–01, जयंत–02, निगाही–01, दुधिचुआ–02

3.10. **सीआईएल स्तर पर एनसीएल के लिए खरीदे जा रहे एचईएमएम की स्थिति**

क) **2019–20 में सीआईएल द्वारा दिया गया सप्लाई ऑर्डर**

क्र.सं.	उपकरण	मात्रा	परियोजनाओं में वितरण
1	190 टन डंपर	84	अमलोरी–22, दुधिचुआ–11, जयंत–15, निगाही–29, खड़िया–07
2	850 एच. पी. डोज़र	13	अमलोरी–01, दुधिचुआ–01, खड़िया–05, निगाही–02, झींगुरदा –01, जयंत–03
3	10–12 cum फ़ेस शोवेल एंड बैकहो	03	बैकहो 02 और 01 फ़ेस शोवेल (ककरी–01, झींगुरदा–01 और ककरी–01)

ख) **एनसीएल के माँग के अनुसार सीआईएल द्वारा खरीदे गए एचईएमएमएस**

क्र.सं.	उपकरण	मात्रा	परियोजनाओं में वितरण
1	190T डंपर	08 नंबर (ट्राइयल)	अमलोरी–04, निगाही–04
2	24 / 96 Dragline	06 नंबर	बीना–04, जयंत–02,
3	850 एचपी डोज़र	02 नंबर (ट्राइयल)	दुधिचुआ–01 , निगाही–01
4	20CuM ईआर शोवेल	12 नंबर	दुधिचुआ–03, खड़िया–01, निगाही–04, जयंत–03, अमलोरी–01

3.11. केंद्रीय कर्मशाला, जयंत

केन्द्रीय कार्यशाला, जयंत विविध प्रकार की प्रौद्योगिकियों वाली भारी क्षमता की मशीनों की जरूरतों को पूरा करती है । यहाँ परियोजनाओं में चल रहीं भारी क्षमता के मशीनों के इंजन, ट्रांसमिसन, व्हील मोटर्स, इलेक्ट्रिकल मोटर्स, जेनरेटर, ट्रांसफॉर्मर्स और मैग्नेटोर्क की मरम्मत (रेपेरिंग) की जाती है ।

इसके अलावा सीडबल्यूएस जयंत में मैकेनिकल असेंबलियों की मैन्युफैक्चरिंग, शाफ्टिंग/डि–शाफ्टिंग, वेल्डिंग, मशीनिंग कर मरम्मत की जाती है ।

यह आईडब्ल्यूएसएस–खड़िया, विभिन्न परियोजनाओं के सीएचपी तथा ई–एम विभाग की जरूरतों जैसे – उनके पम्प, मोटर्स, ट्रांसफॉर्मर आदि को भी पूरा करता है ।

3.12 केन्द्रीय कार्यशाला द्वारा पिछले तीन वर्षों में सामान्य निष्पादन निम्न प्रकार से है :

वर्ष	इंजिन			ट्रांसमिशन		
	ओवरहाल (नग)	मरम्मत (नग)	कुल (नग)	ओवरहाल (नग)	मरम्मत, साइट रिपेयर (नग)	कुल (नग)
2019–20	167	52	219	190	28	218
2018–19	166	48	214	191	26	217
2017–18	163	48	211	183	23	206

वर्ष	इलैक्ट्रिकल सेक्शन	मशीन सेक्शन		व्हील मोटर सेक्शन	दिप्पर हैंडल सेक्शन
	नग	विनिर्माण (टन)	मरम्मत (नग)	ओवर–हौल्ड (नग)	मरम्मत (नग)
2019–20	520	103.47	1803	132	10
2018–19	468	120.36	1136	115	10
2017–18	390	130.31	1414	94	6

वर्ष	मैग्नेटोर्क मरम्मत (नग)	प्रैस (नग)	वैल्डिंग (नग)	हीट ट्रीटमेंट (नग)
2019–20	25	445	608	64.98
2018–19	37	488	607	62.26
2017–18	21	487	650	48.43

नोट : अलोय स्टील के कमी की वजह से मशीन शॉप का प्रदर्शन पिछले साल की अपेक्षा में घटा है क्योंकि मिश्र धातु निगम लिमिटेड कंपनी 2018–19 एवं 2019–20 में अलग–अलग आकार के मिश्र धातु स्टील नही दे पायी जो की उनको ऑर्डर में दिया गया था। मैग्नेटोर्क एवं प्रेस सेकशन जरूरत के अनुसार परियोजनाओं की मदद करता है।

3.13 **सीएमसी, जयंत का प्रदर्शन :**

वर्ष	तेल विश्लेषण (नग)	इलेक्ट्रॉनिक कार्ड एसेम्बल (नग)	ड्रैगलाइन का सीबीएम निरीक्षण (नग)	शोवेल और ड्रैगलाइन में आवश्यकता–नुसार दी गई सेवाएँ (नग)
2019–20	4623	361	35	97
2018–19	3864	366	34	131
2017–18	4695	404	34	83

- सीएमसी जयंत द्वारा वित्तीय वर्ष 2019–20 में एचईएमएम, सीएचपी तथा पी–एम के इलैक्ट्रिकल कंट्रोल सिस्टम के काड्र्स की मरम्मत कर नये कार्ड की लागत के सापेक्ष रुपये की बचत की गयी साथ ही साथ मशीनों का ब्रेकडाउन समय भी घटाया गया । 170 टन डंपर और ईकेजी 10 शोवेल के कंट्रोल कार्ड की मांग मे भारी गिरावट की वजह से कंट्रोल कार्ड पिछले वर्ष की अपेक्षा कम रिपेयर हुये। इसके साथ साथ सीएमसी में काड्र्स रिपेरींग हेतु 01 अधिकारी की कमी भी है ।

- **सीएमसी द्वारा रिपेयर किए गये कंट्रोल कार्ड**

क्र. सं.	उपकरण	रिपेयर किए गए कार्ड (संख्या)
1	24/96 ड्रैगलाइन	15
2	बीई/ मरिअन 182एम शोवेल	85
3	170 टन डंपर + 120 टन डंपर	94
4	100 टन + 85 टन डंपर	04
5	बीडी355 डोज़र	50
6	ग्रेडर + ड्रिल	02
7	अन्य पी एंड एम	18
8	ग्रिड रेजिस्टर्स	93
	योग	**361**

- दुधिचुआ परियोजना के 24/96 ड्रैगलाइन के 02 नग एससीआर पैकेज (पार्ट नं आइसी3605डी080एफपी360/एफजीबीवाई) की मरम्मत सीएमसी द्वारा किया गया। नये एससीआर पैकेज की इकाई लागत लगभग 53 लाख है।

- मेरिअन 182एम शोवेल्स, डीसी 2000 और डीओएम II सिस्टम 24/96 ड्रैगलाइन और 170 टन डंपर के कंट्रोल काड्र्स ओईएम/ओपीएम द्वारा नही दिया जाता है । यह उपकरण सीएमसी द्वारा मरम्मत किए गए कंट्रोल काड्र्स से ही चल रहे है ।

- सीएमसी लैब ने 120 टन डंपर अनैलॉग इनपुट कार्ड – 17 एफबी140 और डीसी2000 ड्राइव के 09 न. एलडीसीसी कार्डों की मरम्मत की ।

- वर्ष 2019–20 क दौरान सीएमसी द्वारा एनसीएल की अलग अलग परियोजनाओं 120 टन डंपर के 93 ग्रिड रेजिस्टर्स की मरम्मत की गयी।

- एनसीएल के सभी परियोजनाए जॉयस्टिक के कार्डो की कमी से जूझ रहे थे और सीएमसी ने बड़ी ही कुशलता से 50 जॉयस्टिक कार्डों की मरमत्त करके वर्ष 2019–20 मे परियोजनाओ की समस्या को दूर किया।

- साल 2019–20 में सीएमसी द्वारा मरम्मत कर अन्य सहायक कंपनियों को दिये गए इलेक्ट्रोनिक कंट्रोल काड्र्स का विवरण निम्नलिखित प्रकार से है :

क्र. सं.	सहयोगी	क्षेत्र/ परियोजना	उपकरण	कार्ड का नाम	मात्रा
1	सीसीएल	खड़िया	मेरियन 182 एम शोवेल	डीसीएफबी कार्ड	4
				एसबीसीए कार्ड	1
				एलटीबी कार्ड	1
				3 टीबी कार्ड	2
				जॉयस्टिक	1
			85टन/ 100 टन डंपर	एकीकृत एलेक्ट्रोनिक कंट्रोल	3
	योग				**12**

3.14 स्पेक्ट्रोमीटर

एक स्पेक्ट्रोमीटर मोडेल माइक्रोलैब–40 (मेक – स्पेसिफिक साईंटिफ़िक) सीएमसी सीडबल्यूएस में स्थापित किया गया।

स्पेक्ट्रोमीटर एक विश्लेषण उपकरण में सभी में स्वचालन और कृत्रिम बुद्धि को जोड़ता है।

- तेल मे मलबे की सामग्री, मिलावट, भौतिक गुण जैसे की शयनता, पर्टिकल काउंट की जांच करके एचईएमएमएस मशीन का स्वास्थ बिल्कुल सही दिया जाता है।
- नवम्बर 2018 में स्पेक्ट्रोमीटर कमीशन होने क बाद 3113 नं. इस्तेमाल किए गए तेल से एचईएमएमएस के स्वास्थ की जानकारी दी गयी.
- यह स्पेक्ट्रोमीटर का इस्तेमाल निम्नलिखित कामों के लिए किया गया :
  - सामयिक एचईएमएम मरमत्त के दौरान (250 और 500 घंटा) पे तेल की गुर्वत्तता का परीक्षरण करके सब असेंबलीस का स्वास्थ जाना जाता है।
  - ईंधन घोल और शीतलक रिसाव की जांच करके इंजन ब्लॉक बर्स्ट और शयनता की कमी के होने का कारण पता करके ब्रेकडाउन परीक्षरण किया जाता है।

3.15 नई पहल

- फ़ाइल की प्रोसेसिंग में ई–ऑफिस का प्रयोग किया जाता है ।
- एचईएमएम स्पेयर्स के मटेरियल कोड्स हेतु सीआईएल ईआरपी पोर्टल का प्रयोग किया जाने लगा है
- एचईएमएम के मैंटेनेंस मैनेजमेंट के लिए कोलनेट का प्रयोग किया जाना प्रारम्भ हुआ है ।
- शीघ्र एवं पेपर रहित पत्राचार के लिए ईमेल / ई–ऑफिस का प्रयोग

4.0 विक्रय और विपणन

4.1 प्रदर्शन

(ए) पिछले वर्ष की तुलना में वर्ष 2019–20के लिए लक्ष्य और वार्षिक अनुबंधित मात्रा (एसीक्यू) उठाव नीचे दिया गया है –

2019 –20 (मिलियन टन में)			2018–19 (मिलियन टन में) वास्त–विक	लक्ष्य की उपलब्धि	लिंकेज / एसीक्यू का % भौतिकी–करण	पिछले वर्ष के दौरान लिंकेज / एसीक्यू में % वृद्धि
लक्ष्य	लिंकेज / एसीक्यू	वास्त–विक				
106.25	106.25	107.42	101.57	101.10	101.10	(+)5.76

(बी) एनसीएल के लिए पावर सेक्टर मुख्य उपभोक्ता बने रहे, कुल प्रेषणों में से 86% से अधिक पावर सेक्टर को प्रेषण किया गया। ऊर्जा क्षेत्र के प्रमुख उपभोक्ताओं को कोयले की आपूर्ति के संबंध में जानकारी नीचे दी गई है :

उपभोक्ता	2019–20 (मिलियन टन में)		लिंकेज / एसीक्यू का % भौतिकी–करण	2018–19 वास्तविक (मिलियन टन में)	पिछले वर्ष की तुलना में % वृद्धि
	लिंकेज / एसीक्यू	वास्तविक			
एनटीपीसी	47.94	54.53	108.93	50.60	(+) 7.77
यु पी आर वी यु एन एल	17.54	14.84	92.75	15.93	(–) 9.40
अन्य विद्युत क्षेत्र	23.58	23.36	100.33	22.11	(+) 9.67
कुल विद्युत क्षेत्र	89.06	92.73	104.12	88.28	(+) 5.04

(सी) बीना डीशेलिंग संयंत्र से डीशेल्ड कोयले की आपूर्ति

बीना दीशेल संयंत्र ने वर्ष 2019–20 में 3.83 मिलियन टन के लक्ष्य कि तुलना में 3.02 मिलियन टन कोयला – अनपरा, वीएसटीपीपी, आरएसएसटीपी, एसएसटीपीएस, ओबरा, सूरतगढ़, कोटा और अरावली थर्मल पावर स्टेशनों को प्रेषित किया, जो वर्ष 2018–19 में 3.18 मिलियन टन प्रेषित किया था ।

4.2 **स्पॉट ई–नीलामी योजना**

(ए) स्पॉट ई–नीलामी योजना नवंबर '07 के दौरान कोयला मंत्रालय द्वारा प्रसारित नई कोयला वितरण नीति (एनसीडीपी) के प्रावधान के तहत तैयार की गई थी। योजना के तहत कोयले की खरीद के लिए, खरीदारों को "न्यूनतम मूल्य" से ऊपर की कीमत पर वांछित मात्रा के लिए बोली लगानी है। वर्ष जनवरी, 2018, में सीआईएल के बोर्ड ने सभी अनुषंशी को सशक्त किया कि वे सभी ई–औकसन स्कीम के लिए फ्लोर प्राइस तय कर सके। इसके बाद अगस्त 2018 से एनसीएल के निदेशक मंडल ने स्पॉट ई–नीलामी की न्यूनतम मूल्य को अधिसूचित मूल्य से वर्ष 2019–20 के लिए 30% ऊपर तय किया है जो सभी ग्रेड के कोयले के लिए लागू हुआ।

(बी) 2019–20 के दौरान स्पॉट ई–नीलामी योजना के तहत वित्तीय लाभ के साथ बुक की गई मात्रा निम्नानुसार है: –

योजना	अवधि	मात्रा बुक की गई (लाख टन में)	औसत अधिसूचित मूल्य से ऊपर वित्तीय लाभ (लगभग) (करोड़ रुपए में)
ई–नीलामी योजना (स्पॉट) (सड़क द्वारा कोयला)	अप्रैल' 2019 से मार्च 2020	15.52	187.76
ई–नीलामी योजना (स्पॉट) (रेल द्वारा कोयला)	अप्रैल' 2019 से मार्च 2020	1.98	12.31
ई–नीलामी योजना योजना (स्पॉट) (सड़क द्वारा अस्वीकार की गयी)	अप्रैल' 2019 से मार्च 2020	3.32	49.18
कुल		**20.82**	**249.25**

4.3 **'पावर प्रोड्यूसर' के लिए स्पेशल फॉरवर्ड ई–नीलामी योजना (कैप्टिव पावर प्लांट को छोड़कर)**

(ए) **उद्देश्य**

स्पेशल फॉरवर्ड ई–नीलामी योजना का लक्ष्य ई–नीलामी के माध्यम से बिजली संयंत्रों को आपूर्ति के लिए उपलब्ध कोयले की एक निर्धारित मात्रा बनाना है, जो एफएसए/एमओयू, कोयला खनन/कैप्टिव कोयला खानों, आयात और सामान्य ई–नीलामी के माध्यम से प्राप्त कोयले की कम आपूर्ति में हैं।

(बी) वर्ष 2019–20 के दौरान उपर्युक्त योजना के तहत वित्तीय लाभ के साथ बुक की गई मात्रा निम्नानुसार है :

योजना	अवधि	मात्रा बुक की गई (लाख टन में)	औसत अधिसूचित मूल्य से ऊपर वित्तीय लाभ (लगभग) (करोड़ रुपए में)
विशेष फॉरवर्ड ई–नीलामी (रोड़/रोड सह रेल द्वारा कोयला)	अप्रैल' 2019 से मार्च 2020	39.31	259.59
स्पेशल फॉरवर्ड ई–नीलामी (रेल द्वारा कोयला)	अप्रैल' 2019 से मार्च 2020	1.36	4.19
कुल		**40.67**	**263.78**

4.4 **गैर बिजली उपभोक्ताओं (कैप्टिव पावर प्लांट समेत) के लिए विशेष ई–नीलामी योजना :**

(ए) **उद्देश्य :**

विशेष ई–नीलामी योजना का उद्देश्य, ई–नीलामी के माध्यम से बिजली के अलावा सभी कोयले उपभोक्ताओं को आपूर्ति के लिए उपलब्ध कोयले की एक निर्धारित मात्रा बनाना है।

(बी) वर्ष 2019–20 के दौरान उपर्युक्त योजना के तहत वित्तीय लाभ के साथ बुक की गई मात्रा निम्नानुसार है –

योजना	अवधि	मात्रा बुक की गई (लाख टन में)	औसत अधिसूचित मूल्य से ऊपर वित्तीय लाभ (लगभग) (करोड़ रुपए में)
विशेष ई–नीलामी (रोड / रोड सह रेल द्वारा कोयला)	अप्रैल, 2019 से मार्च, 2020	32.59	218.57
कुल		**32.59**	**218.57**

4.5. क्षेत्र और माध्यम के अनुसार उठाव

वर्ष 2019–20 के दौरान कोयला के सेक्टर वार और मोड वार के अनुसार उठाव वर्ष 2018–19 की तुलना में नीचे दिया गया है: –

(आंकड़ा मिलियन टन में)

क्षेत्र / माध्यम	2019–20	2018–19
क्षेत्र के अनुसार उठाव		
ऊर्जा	92.73	88.90
गैर–ऊर्जा	14.69	12.67
कुल	107.42	101.57
माध्यम के अनुसार उठाव		
रेल	32.09	29.99
एमजीआर	50.93	47.36
बेल्ट पाइप कन्वेयर	3.22	3.32
सड़क (बाहरी)	17.75	17.09
सड़क (आंतरिक)*	3.43	3.81
कुल	107.42	101.57

** बीना डीशेल्ड संयंत्र को सड़क से पहुंचा कच्चा कोयला 'सड़क (आंतरिक) माना जाता है।*

4.6 वैगन लोडिंग

पूर्व वर्ष की तुलना में लक्ष्य के विरूद्ध आई / आर से औसतन बैगन लोडिंग की सूचना :

2019–20 (रेक / दिन)		2018–19 (रेक / दिन) वास्तविक	वास्तविक उपलब्धि (%)	पिछले वर्ष से भिन्नता (%)
लक्ष्य	वास्तविक			
27.5	25.1	25.5	91.27	(–)1.57

4.7 कोयला मूल्य संशोधन

कोयला की कीमतों में अंतिम संशोधन 09.01.2018 को 00.00 समय से किया गया।

5.0 गुणवत्ता नियंत्रण

5.1 सैम्पलिंग व्यवस्था :

सीआईएल की नीति के अनुसार सभी प्रकार के बिक्री के कोयले की विविध क्षेत्रों में बिक्री जैसे ऊर्जा क्षेत्र, गैर विनियमित क्षेत्र, विशेष फॉरवर्ड नीलामी और स्पॉट ई–ऑक्सन आदि की तृतीय पक्ष द्वारा सैंपलिंग की जाती है। एनसीएल में सीएसआईआर–सीआईएमएफआर, धनबाद और भारत की गुणवत्ता परिषद्, नई दिल्ली द्वारा इच्छुक ग्राहकों के लिए तृतीय पक्ष सैंपलिंग की जाती है।

इसके आगे, वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआईआर–सीआईएमएफआर ने 77.87 मिलियन टन की मात्रा को कवर करने वाले ऊर्जा क्षेत्र के लिए भेजे गए डिस्पैच के लिए तीसरे पक्ष के नमूने का संचालन किया है और क्यूसीआई ने शक्ति–बी (II), विशेष फॉरवर्ड नीलामी और स्पॉट ई–ऑक्सन और एफ़एसए (गैर विनियमित) के लिए भेजे गए 11.49 मिलियन टन कोयले के नमूने का परीक्षण किया है।

5.2 कोयले का आकार

उचित आकार का कोयला वर्ष 2019–20 के दौरान ऊर्जा क्षेत्र को प्रेषण किया गया जिसका विवरण नीचे दिया गया है :

कोयला को आकार देने का माध्यम	2019–20 (प्रतिशत में)	2018–19 (प्रतिशत में)
(–)200 / (–)250 मिमी (सीपीएच / फीडरब्रेकर / अन्य साधन)	62.35	66.90
(–) 100 मिमी (सीएचपी / सर्फ़स माइनर / मोबाइल क्रशर)	37.65	33.10
कुल	**100**	**100**

5.3 गुणवत्ता की शिकायतें और उस पर कार्रवाई

(ए) गुणवत्ता की शिकायत की प्राप्ति में गिरावट की प्रवृत्ति को जारी रखते हुए, वित्तीय वर्ष 2019–20 के एनसीएल के लगातार प्रयास और जागरूकता के कारण, कोई लिखित शिकायत दर्ज नहीं की गई है। पिछले तीन वर्षों के दौरान प्राप्त शिकायतों का विवरण नीचे दिया गया है –

साल	शिकायतों का प्रकार (संख्या में)			
	बड़े आकार का कोयला	खराब गुणवत्ता	बाही सामग्री	कुल
2017–18	2	1	1	3
2018–19	0	0	0	0
2019–20	0	0	0	0

(बी) एनसीएल सभी उपभोक्ताओं को उचित आकार के कोयले की आपूर्ति सुनिश्चित करने के सभी उपायों को सुनिश्चित कर रहा है। एनसीएल में विस्तृत क्रशिंग व्यवस्था हो रही है और वर्तमान में कोयला को आकार में करनें की क्षमता है –

क) **(–) 100 मिमी** : 55.64 लाख टन, सरफ़ेस माइनर के माध्यम से 11.68 मिलियन टन, मोबाइल क्रशर– 19.46 लाख टन और मौजूदा सीएचपी से– 24.50 मिलियन टन।

ख) **(–) 200 मिमी** : 41 लाख टन मौजूदा सीएचपी के माध्यम से हो रही है

(सी) सीएचपी के माध्यम से 57 लाख टन की अतिरिक्त क्षमता विचारधीन है। एनसीएल की परियोजना में अतिरिक्त क्षमता इस प्रकार है – 9.5 मि.टन बिना में, 4.5 मि.टन ब्लॉक–बी में, 10 मि.टन दूधीचुआ में, 15 मि.टन जयंत में, 4 मि.टन खड़िया में, 10 मि.टन निगाही में और 4 मि.टन कृष्णशिला में।

6.0 भंडार / वस्तुशुचि

6.1 कोयले का स्टॉक

31.03.2020 को कच्चे कोयले का मापा गया स्टॉक 3.999 मिलियन टन कोयला था जो 2020–21 के औसत दैनिक लक्ष्य के संदर्भ में उत्पादन के 13 दिनों के बराबर था। 31.03.2019 को कच्चे कोयले का स्टॉक 3.370 मिलियन टन था।

6.2 भंडार और पुर्जों का स्टॉक

क्रमांक	विवरण	31.03.2020 को	31.03.2019 को
क	इन्वेंटरी का मूल्य (करोड़ रूपए मे)	411.09	443.15
ख	महीनों की खपत के मामले में इन्वेंटरी	2.36 महीने	2.32 महीने

6.3 स्क्रैप का निपटान

(i) वर्ष 2018–19 के स्क्रैप मुल्य रुपये 17.41 करोड़ नकदी प्राप्ति के मुकाबले वर्ष 2019–20 मे 16.43 करोड़ रुपए रकम प्राप्त हुई है जो पिछले साल के मुकाबले 5.63 प्रतिशत कम है। कमी का कारण प्रयुक्त तेल के दर मे गिरावट है।

(ii) वर्ष 2019–20 में प्रयुक्त तेल का निपटान 1345.60 के.एल. है और पिछले वर्ष मे प्रयुक्त तेल का निपटान 1435 के.एल. था जो पिछले वर्ष की तुलना मे 6.23 प्रतिशत कम हैं

7.0 सुरक्षा

7.1. कैलेण्डर वर्ष 2019 एवं 2018 के दुर्घटना सांख्यिकी निम्नानुसार है :

क्र. सं.	विवरण	कैलेण्डर वर्ष 2019	कैलेण्डर वर्ष 2018
1	प्राणघातक दुर्घटनाओं की संख्या	2	3
2	मृतकों की संख्या	2	3
3	गंभीर दुर्घटनाओं की संख्या	11	9
4	गंभीर चोटों की संख्या	12	9
5	मृत्यु दर प्रति मिलियन टन उत्पादन	0.019	0.030
6	गंभीर चोट दर प्रति मिलियन टन उत्पादन	0.11	0.09
7	मृत्यु दर प्रति 3 लाख मैन शिफ्ट	0.181	0.258
8	गंभीर चोट दर प्रति 3 लाख मैन शिफ्ट	1.085	0.773
9	मृत्यु दर प्रति घन मिलियन मीटर उत्पादन	0.005	0.008
10	गंभीर चोट दर प्रति घन मिलियन मीटर उत्पादन	0.030	0.024

7.2 सुरक्षा मानकों में सुधार हेतु किये गये उपाय

i. दो सिमुलेटर जिसके द्वारा डम्पर ऑपरेटरों को साल 2012 से ट्रेनिंग की व्यवस्था की गई है, इसके अलावा एक यूनिवर्सल सिमुलेटर की व्यवस्था करके ड्रगलाइन, शॉवेल तथा डोजर के आपररेटरों को भी ट्रेनिंग दी जा रही है।

ii. सभी विभागों के सदस्यों को मिलाकर परियोजना स्तर की टीम का गठन करके) सभी परियोजनाओं का अंतर क्षेत्रीय टीम द्वारा सुरक्षा ऑडिट 5 अस्स्त से 25 अगस्त) 2019 के बीच किया गया। इस टीम द्वारा अंकित कमियों को दूर करते हुए इसकी अनुपालन रिपोर्ट भी जमा कर दिया गया है।

iii. एच.ओ.ई. पैच में लाइटिंग की कमी को दूर करने हेतु 63 डीजल के द्वारा संचालित लाइट टावर की खरीद की गई है।

iv. 3डी लेजर स्केनर की मदद से पाँचों परियोजना के डम्प की मॉनीटरिंग की जा रही है।

v. 14 नग अतिरिक्त 70 के.एल. वाटर टैंकर के आ जाने से 70 के.एल. वाटर टैंकर की कुल संख्या अभी 28 हो गई है।

vi. कोल माइन्स रेगुलेशन–2017 के रेगुलेशन नम्बर 106 के तहत सभी परियोजनाओं के साइंटिफिक स्टडी हेतु सी. एम.पी.डी.आई.एल., आर.आई. VI को कार्य आदेश दिया गया है। सी.एम.पी.डी.आई.एल. के द्वारा 5 परियोजनाओं की फाइनल रिपोर्ट तथा 5 परियोजनाओं की ड्राफ्ट रिपोर्ट जमा की गई है, जिसकी समीक्षा की जा रही है।

vii. खदानों से सम्बन्धित जोखिम के पहचान एवं इसके निराकरण हेतु एक लेखापरीक्षा योग्य दस्तावेज एस.एम. पी. के रूप में तैयार की गयी है जो कि जोखिम प्रबंधन के मूल आधार पर आधारित है।

viii. सभी एच.ई.एम.एम. के सुरक्षा संबंधी उपकरणों के रख–रखाव की जाँच जाँच–सूची बनाकर की जा रही है।

ix. एस.एम.पी. के जारुकता कार्यान्वयन एवं समीक्षा हेतु एक विशेष अभियान 20.05.2019 से 25.05.2019 के बीच एनसीएल के सभी परियोजनाओं में चलाया गया।

x. त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक सभी दस परियोजनाओं में की गई है।

xi. कम्पनी स्तरीय द्विपक्षीय एवं त्रिपक्षीय सुरक्षा समिति की बैठक क्रमांक 12 एवं 13 सितम्बर, 2019 को आयोजित की गई।

xii. दुर्घटनाओं के समयानुसार विशलेषण एवं यूनियन के सदस्यों के द्वारा सुझाए गये सलाहों के आधार पर सभी परियोजनाओं में रात्रि पाली में थकान के चलते होने वाली दुर्घटनाओं को दूर करने हेतु पाली के समय में परिवर्तन किया गया है।

7.3 एनसीएल को प्राप्त सुरक्षा पुरस्कार

i. इस वर्ष ककरी परियोजना को दुर्घटना रहित लम्बे अन्तराल एवं सबसे कम इंजुरी की दर हेतु वर्ष 2015 एवं 2016 का राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार दिनांक 16.12.2019 को दिया गया है।

ii. झिंगुरदा परियोजना को एपेक्स इंडिया के द्वारा प्लेटिनम सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया है।

iii. अमलोरी परियोजना को एपेक्स इंडिया के द्वारा गोल्ड सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया है।

iv. ककरी परियोजना को एपेक्स इंडिया के द्वारा सिल्वर पुरस्कार दिया गया है।

v. कोल इंडिया के स्थापना दिवस के अवसर पर एनसीएल को कॉरपोरेट सुरक्षा पुरस्कार प्रदान किया गया है।

iv. श्री आर.के. सिंह मुख्य प्रबंधक (खान) जो जयंत परियोजना के प्रबंधक है उन्हें एच.बी. घोष श्रेष्ठ प्रबंधक का पुरस्कार मिला है।

8.0 प्रोजेक्ट प्लानिंग एवं डेवलपमेंट

एनसीएल में 10 बड़ी खुली खदानें संचालित हैं, जिसमें से 7 पूर्ण खनन परियोजनाएँ और 3 निर्माणाधीन खनन परियोजनाएँ। एनसीएल बोर्ड ने मई 2019 में ग्रीनफ़ील्डस खुली खदान सेमरिया ओसीपी (2 मि.ट.प्र.व.) का अनुमोदन किया है। प्रोजेक्ट हेतु वैधानिक मंजूरिया प्रक्रिया में है और वर्ष 2022–23 से व्यवसायिक रूप से तेमरिया ओ.सी.पी. से उत्पादन संभावित है। वर्ष 2019–20 में दो विस्तार परियोजनाएँ अनुमोदित की गई हैं और तीन नई / विस्तार परियोजनाए को वर्ष 2020–21 में प्रारम्भ किए जाने की योजना है। एनसीएल में 6 पूर्ण गैर खनन परियोजनाएँ हैं।

8.1 पूर्ण परियोजनाएँ

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि. टन प्रतिवर्ष)	स्वीकृत पूँजी (करोड़ में)	समापन की निर्धारित तिथि	समापन की वास्तविक तिथि
खनन परियोजना					
1	अमलोरी विस्तार खुली खदान	10.00	1670.65	मार्च 2016	मार्च 2016
2	बीना एक्सटेंशन खुली खदान	6.00	337.61	दिसम्बर 2013	दिसम्बर 2013
3	झिंगुरदह खुली खदान	3.00	63.12	मार्च 1987	मार्च 1987
4	ककरी खुली खदान	3.00	186.59	मार्च 1991	मार्च 1993
5	कृष्णशिला खुली खदान	4.00	741.62	मार्च 2013	अप्रैल 2016
6	निगाही विस्तार खुली खदान	15.00	2333.06	मार्च 2018	मार्च 2018
7	खड़िया विस्तार खुली खदान	10.00	1382.07	मार्च 2018	मार्च 2019
गैर खनन परियोजनाएँ					
1	केन्द्रीय कमर्शाला		68.72	मार्च 2002	मार्च 2002
2	बिना डिशेलिंग प्लांट		16.69	अगस्त 1997	अगस्त 1997
3	नेहरू शताब्दी चिकित्सालय		19.91	अप्रैल 1997	अगस्त 2002
4	एकीकृत जल प्रदाय योजना		18.87	मार्च 1989	मार्च 1989
	जल प्रदाय योजना फेस–I एवं II		9.28	अप्रैल 1999	जून 1998 और अप्रैल 1999
5	संचार स्कीम		5.04	अप्रैल 1996	मार्च 1996
6	132 के.भी. सबस्टेशन मेढ़ौली (आर.सी.ई.)		5.43	मार्च 2001	मार्च 2001

गोरबी खनन परियोजना कोल रिजर्व समाप्त हो जाने के कारण 01 जुलाई 1997 को बंद हो गई।

8.2 निर्माणाधीन परियोजनाएँ

क्र. सं.	परियोजना का नाम	क्षमता (मि.टन प्रतिवर्ष)	स्वीकृत पूँजी (करोड़ में)	समापन की निर्धारित	समापन तिथि की वास्तविक तिथि
खनन परियोजना					
1	खड़िया विस्तार खुली खदान (10 से 20 मिलियन टन प्रतिवर्ष)	20.00	2158.13	मार्च 2021	मार्च 2021
2	दुधीचुआ विस्तार खुली खदान (10 से 20 मिलियन टन प्रतिवर्ष)	20.00	2536.56	मार्च 2022	मार्च 2022
3	ब्लॉक–बी विस्तार खुली खदान (3.5 से 8 मिलियन टन प्रतिवर्ष)	8.00	1533.81	मार्च 2023	मार्च 2023
4	सेमरिया खुली खदान (2 मिलियन टन प्रतिवर्ष, ग्रीनफ़ील्ड)	2.00	396.58	मार्च 2026	मार्च 2026

8.3 भावी कार्यक्रम एवं नई परियोजनाएँ

2020–21 मे 3 नई/विस्तार खुली खदान परियोजनाओ को प्रारम्भ किया जाना है :–

1. झिंगुर्दाह बॉटम खुली खदान (2 मिलियन टन प्रतिवर्ष)
2. खड़िया विस्तार खुली खदान (10 से 15 मिलियन टन प्रतिवर्ष)
3. निगाही विस्तार खुली खदान (15 से 25 मिलियन टन प्रतिवर्ष)

8.4 गवेषण और वेधन

सीएमपीडीआई, आरआई–VI द्वारा भूगर्भीय गवेषण हेतू वेधन किया गया।

(मीटर में)

	2018–19			2019–20				2020–21
	सीआईएल	नान–सीआईएल	योग	लक्ष्य	सीआईएल	नान–सीआईएल	योग	प्रस्तावित लक्ष्य
सीएमपीडीआई	9227	36899	46126	47000	6496	32888	39384	53000
एमईसीएल	17717.50	–	17717.50	16000	10404	–	10404	8000

8.5 दिनांक 31.03.2020 तक एनसीएल में किराए पर लगाए गए उपकरणों द्वारा ओवरवर्डन के उत्खनन/निष्कासन के कार्य की स्थिति रिपोर्ट

क्र. सं.	परियोजना	अनुबंध दिया गया	स्वीकृति पत्र / जारी करने की तिथि	अवार्ड (कार्य) की मात्रा (एम बीसीएम)	अवार्ड (कार्य) की दर (रू./बीसीएम)	अवधि (वर्ष)	प्रारम्भ होने की तिथि
1	अमलोरी	मेसर्स सिक्कल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, चेन्नई	एनसीएल/एसजीआर/सीएमसी/ए.एम.एल./18–19/196 दिनांक 28.04.2018	145	92.73	4.25	24.06.2018
2	अमलोरी (डी/एल बेंच)	मेसर्स गजराज माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	एनसीएल/एसजीआर/सीएमसी/ए.एम.एल./18–19/562 दिनांक 17.12.2018	21.35	69.31	2.5	01.02.2019
3	अमलोरी	मेसर्स बीआईपीएल बीपीएल जाइंट वैंचर, नवजीवन विहार, विंध्यानगर (एमपी)	एनसीएल/एसजीआर/सीएमसी/अमलोहरी/19–20/69 दिनांक 20.03.2020	50.17	95.45	2.5	–
4	बीना एक्स्ट–I	मेसर्स के एन इंटरनेशनल, अनपरा	एनसीएल/एसजीआर/सीएमसी/बीना/17–18/206 दिनांक 20.04.2017	25.97	90.67	3	05.06.2017
5	बीना एक्स्ट–II	मेसर्स वीपीआर माइनिंग इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	एनसीएल/एसजीआर/सीएमसी/बीना/18–19/422 दिनांक 06.09.2018	50.04	105.93	2.3	01.10.2018
6	ब्लॉक–बी	मेसर्स बीजीआर माइनिंग इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड, नेल्लोरे (ए.पी.)	एनसीएल/एसजीआर/सीएमसी/बीएलबी/15/227 दिनांक 19.06.2015	106.95	81.80	5	20.06.2015

7	ब्लॉक–बी	मेसर्स नीलकंठ माइनिंग कंपनी, भुज कच्छ (गुजरात)	एनसीएल / एसजीआर / सीएमसी / ब्लॉक–बी / 19–20 / 68 दिनांक 19.03.2020	95.40	99.61	6	–
8	दूधीचुआ	मेसर्स बी जी आर – गजराज कॉन्सोर्टियम	एनसीएल / एसजीआर / सीएमसी / डीसीएच / 17–18 / 481 दिनांक 21.12.2017	103	108.33	3	02.01.2018
9		मेसर्स गजराज माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड	एनसीएल / एसजीआर / सीएमसी / डीसीएच / 18–19 / 35 दिनांक 25.01.2019	78.63	92.80	3	20.03.2019
10	जयंत	मेसर्स दिलीप बिल्डकोन लिमिटेड, भोपाल	एनसीएल / एसजीआर / सीएमसी / जेएनटी / 18–19 / 421 दिनांक 05.09.2018	78.58	107.74	3	16.10.2018
11	ककरी	मेसर्स बघेल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, सोनेभद्र (यू.पी.)	एनसीएल / एसजीआर / सीएमसी / केकेआर / 17–18 / 269 दिनांक 05.06.2017	14.75	77.91	3	10.07.2017
12	झिंगुरदा	मेसर्स सिक्कल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड, चेन्नई	एनसीएल / एसजीआर / सीएमसी / जेआरडी / 16–17 / 28 दिनांक 12.01.2017	28.28	107.82	4	10.03.2017
13	झिंगुरदा	मेसर्स बघेल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, सोनेभद्र (यू.पी.)	एनसीएल / एसजीआर / सीएमसी / जेआरडी / 19–20 / 143 दिनांक 04.05.2019	10.17	59.48	2	03.06.2019
14	खड़िया–II	मेसर्स बीजीआर–वीपीआर कॉन्सोर्टियम, हैदराबाद	एनसीएल / एसजीआर / सीएमसी / केएचडी / 16–17 / 26 दिनांक 12.01.2017	123.64	97.24	5	30.01.2017
15	खड़िया	मेसर्स वी–पी–आर माइनिंग इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड, हैदराबाद	एनसीएल / एसजीआर / सीएमसी / खड़िया / 19–20 / 274 दिनांक 17.08.2019	98.88	94.80	5	03.10.2019
16	कृष्णशिला–I	मेसर्स पी.सी. पटेल इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड	एनसीएल / एसजीआर / सीएमसी / केएसएल / 18–19 / 426 दिनांक 10.09.2018	50.1	78.85	5	10.10.2018

17	कृष्णशिला–II	मेसर्स बीजीआर माइनिंग इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड, नेल्लोरे (ए.पी.)	एनसीएल / एसजीआर / सीएमसी / केएसएल / 16 / 433 दिनांक 02.12.2016	40.04	60.42	5	24.12.2016
18	निगही–I (डी / एल बेंच)	मेसर्स दिलीप बिल्डकोन लिमिटेड, भोपाल	एनसीएल / एसजीआर / सीएमसी / निगही / 19–20 / 383 दिनांक 18.11.2019	186.23	113.98	4.25	02.04.2024
19	निगही–III	मेसर्स बी.एल.ए.–आर. ए.माइनिंग (जेवी)	एनसीएल / एसजीआर / सीएमसी / निगही / 19–20 / 321 दिनांक 25.09.2019	30.66	105.91	3	22.10.2019

8.6 **वर्ष 2018–19 की तुलना में वर्ष 2019–20 के लिए आउटसोर्सिंग अनुबंध के माध्यम से ओवरबर्डन हटाने के कार्य का सूचना / डेटा**

वित्तीय वर्ष	क्र. सं.	परियोजना	सम्मानित (अवर्डेड) मात्रा (एम बीसीएम)	अवधि (वर्ष)	अनुमानित लागत जीएसटी छोड़कर (रुपया कोरोड़ में)	अवर्डेड राशि जीएसटी छोड़कर (रुपया कोरोड़ में)	प्रतिशत (%) अनुमानित लागत के संबंध में	कांट्रैक्टर
वित्तीय वर्ष 2018–19	1	अमलोहरी	145	4.25	1258.96	1139.47	–9.49%	मेसर्स सिक्कल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड
	2	जयंत	78.58	3	785.98	717.45	–8.72%	मेसेर्स दिलीप बिल्डकोन लिमिटेड
	3	बीना	50.05	2.3	415.99	448.87	7.90%	मेसेर्स वी–पी–आर इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
	4	कृष्णशिला	50.07	5	408.53	334.78	–18.05%	मेसेर्स पी.सी. पटेल इन्फ्रा प्राइवेट लिमिटेड
	5	अमलोहरी	22.7	2.5	180.35	157.34	–12.76%	मेसेर्स गजराज माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
	6	दूधीचुआ	78.63	3	663.35	651.1	–1.85%	मेसेर्स गजराज माइनिंग प्राइवेट लिमिटेड
वित्तीय वर्ष 2019–20	1	झींगुरदा	10.17	2	67.43	60.49	–10.29%	मेसर्स बघेल इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
	2	खड़िया	3.80	5	906.11	937.38	3.45%	मेसर्स वी–पी–आर माइनिंग इनफ्रास्ट्रक्चर प्राइवेट लिमिटेड
	3	निगाही	186.23	4.25	2044.80	2122.74	3.81%	मेसर्स दिलीप बिल्डकोन लिमिटेड
	4		30.66	3	352.83	342.72	–7.97%	मेसर्स बीएलए–आरए माइनिंग (जेवी)

	5	ब्लॉक–बी	95.40	6	857.27	782.35	–8.74%	मेसर्स सिक्कल लॉजिस्टिक्स लिमिटेड (कार्य प्रारम्भ न होने की वजह से कार्य को निरस्त कर दिया गया)
	6		95.40	6	858.45	805.26	–6.20%	मेसर्स नीलकंठ माइनिंग क.

8.7 **दिनांक 31.03.2020 की कोयला लोडिंग और परिवहन के कार्य की स्थिति रिपोर्ट**

क्र. सं.	परियोजना	अनुबंध का विवरण / कार्य का नाम	अनुबंध दिया गया	स्वीकृति पत्र / जारी करने की तिथि	अवार्ड (कार्य) की मात्रा (टन)	अवधि (वर्ष)		दिनांक 31.03.2019 को निष्पादित मात्रा
1	बीना	बीना स्टोक्यर्ड (आरओएम कोयला) से मोबाइल क्रशर और क्रास्ड कोयले का बीना व्हार्फ़्वल तक परिवहन	मेसर्स आरपीएल–एसआरपी–यूआई–जेवी	एनसीएल / सीएमसी / बीना / मोबाइल क्रशर / 2016 / 94 दिनांक 26.02.2016	4500000	10.09.2016	09.09.2019 (4 माह समय विस्तार के तहत)	906723.00
2		बीना एक्सटैन्शन मोबाइल क्रशर से बीना–काकरी व्हार्फ्वल	मेसर्स संजय उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / बीना / 2016 / 365 दिनांक 03.12.2016	4500000	18.04.2017	16.04.2020 (समय विस्तार के तहत दिनांक 16.07.2020 तक)	1112543.00
3	ब्लॉक–बी	बीना स्टोक्यर्ड (आरओएम कोयला) से मोबाइल क्रशर और क्रास्ड कोयले का बीना व्हार्फ़्वल तक परिवहन।	मेसर्स कंडोई ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / बीना / मोबाइल क्रशर / 2019 / 213 दिनांक 27.09.2019	4500000	28.01.2020	27.01.2023	91580.00
4		ब्लॉक–बी स्टोक्यर्ड से सिंगरौली स्पार साडिंग	मेसर्स बीपीएल–बीआईपीएल (जेवी)	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / ब्लॉक–बी / 2017 / 17 दिनांक 14.01.2017	10220000	28.01.2017	19.04.2019 (समय विस्तार के तहत)	289884.00
5		ब्लॉक–बी से मोरवा साडिंग	मेसर्स बीआईपीएल–ओटी–आरपीएल (जेवी)	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / ब्लॉक–बी / 2019 / 94 दिनांक 26.04.2019	10220000	03.05.2019	02.05.2021	3933351

6	दुधीचुआ	दुधीचुआ स्टोक्यर्ड से दुधीचुआ सीएचपी	मेसर्स आरपीएल प्रोजेक्ट्स लिमिटेड	एनसीएल / एसजीआर / सीएमसी / सीटी / डीसी एच / 2018 / 45 दिनांक 27.02.2018	6900000	23.03.2018	22.03.2021	701825.00
7		दुधीचुआ सर्फ़ेस माइनर से दुधीचुआ व्हार्फ्वल	मेसर्स ओटी–एसएससी (जेवी)	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / दूधिचूआ (एस–एम) / 2016 / 86 दिनांक 22.02.2016	9000000	11.03.2016	10.03.2020 (समय विस्तार के तहत)	2378506.00
8		दुधीचुआ मोबाइल क्राशर से दुधीचुआ व्हार्फ्वल	मेसर्स ओटी–आईएम डबल्यूपीएल–आरएसएसजी (जेवी)	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / डीसीएच / मोबाइल क्रशर / 2017 / 87 दिनांक 21.04.2017	3600000	05.10.2017	03.10.2020	1316926.00
9	जयंत	जयंत मोरवा स्पार साईडिंग	मेसर्स आर.के. ट्रांसपोर्ट एंड कंस्ट्रकसन लिमिटेड	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / जेएनटी (एस–एम) / 2018 / 228 दिनांक 06.10.2018	11000000	16.10.2018	14.10.2020	4134460.00
10		जयंत (वेस्ट) स्टोक्यर्ड से सीएचपी	मेसर्स संजय उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / जेएनटी (वेस्ट) / 2018 / 57 दिनांक 12.03.2018	6300000	04.05.2018	02.05.2021	1150757.00
11		जयंत स्टोक्यर्ड से दुधीचुआ व्हार्फ़्वल	मेसर्स बीएलए–डबल्यूएमएस (जेवी)	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / जेएन टी–डीसीएच (डबल्यू डबल्यू) / 2017 / 73 दिनांक 29.03.2017	4000000	18.04.2017	17.04.2019	748959.00

12		जयंत ईस्ट क्रास्सकोल से दुधीचुआ व्हाफ़र्वल	मेसर्स केएफ़सी फुएलको कोन्सोर्टिउम	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / जेएनटी / 2019 / 189 दिनांक 17.08.2019	4000000	17.09.2019	16.09.2021	890497.00
13		जयंत (ईस्ट) से सीएचपी	मेसेर्स आरपीएल–ओटी (जेवी)	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / जेएनटी (ईस्ट) / 2018 / 08 दिनांक 10.01.2018	9000000	15.01.2018	14.01.2021	2060799.00
14		जयंत (ईस्ट) से मोबाइल क्रशर पॉइंट	मेसेर्स बीएलए–आरए माइनिंग (जेवी)	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / जेएनटी / मोबाइल क्रशर / 2018 / 81 दिनांक 12.04.2018	9000000	27.04.2018	25.04.2021	1678755.00
15	खड़िया	खड़िया स्टोक्यर्ड से खड़िया सीएचपी	मेसेर्स गंगोत्री एंटरप्राइजेज़ लिमिटेड	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / खड़िया / 2015 / 62 दिनांक 29.05.2015	14718000	02.05.2015	01.05.2019	118288.00
16		खड़िया स्टोक्यर्ड से सीएचपी	मेसर्स कंडोई ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / खड़िया / 2019 / 138 दिनांक 14.06.2019	10800000	22.06.2019	21.06.2022	1145316.00
17		खड़िया वेस्ट स्टोक्यर्ड से मोबाइल क्रशर और कोयले का क्रासिंग	मेसेर्स बीएलए –डबल्यू एमएस (जेवी)	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / केएचडी / मोबाइल क्रशर / 2016 / 298 दिनांक 10.09.2016	8000000	04.05.2017	03.05.2020 (समय विस्तार के तहत)	1899990.00
18	कृष्णशिला	कृष्णशिला सर्फ़ेस माइनर से बीना व्हाफ़र्वल	मेसेर्स संजय उद्योग प्राइवेट लिमिटेड	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / केएस एल (एस–एम) / 2019 / 22 दिनांक 31.01.2019	8400000	03.02.2019	02.02.2022	2219415.00

19	झिंगुरदा	झिंगुरदा मोबाइल क्रशर	मेसेर्स बीएलए प्रोजेक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / झींगुरदा / मोबाइल क्रशर / 2015 / 243 दिनांक 16.12.2015	3000000	04.06.2016	03.06.2019	198333.00
20		झींगुरदा स्टोक्यर्ड से मोबाइल क्रशर और कोयले का क्रशिंग कर तथा क्रस्सड कोयले का झींगुरदा व्हार्फ्वल तक परिवहन	मेसर्स आरपीएल–ओटी (जेवी)	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / झींगुरदा / मोबाइल क्रशर / 2019 / 21 दिनांक 31.01.2019	7672000	19.06.2019	18.06.2022	1688334.00
21		झिंगुरदा लोडिंग	मेसर्स बीएलए–डबल्यूएमएस (जेवी)	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / जेआरडी / लोडिंग / 2016 / 317 दिनांक 07.10.2016	3000000	28.10.2016	27.10.2019	286728.00
22	अमलोहरी	अमलोहरी स्टोक्यर्ड से मोबाइल क्रशर और कोयले का क्रशिंग कर तथा क्रस्सड कोयले का अमलोहरी व्हार्फ्वल तक परिवहन	मेसर्स बीएलए–आरए–इन्फ्रा (जेवी)	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / एएमएल / मोबाइल क्रशर / 2019 / 25 दिनांक 04.02.2019	6000000	19.06.2019	17.06.2022	1166692.00
23	निगही	स्टोक्यर्ड से मोबाइल क्रशर और निगही व्हार्फ़्वल	मेसर्स कंडोई ट्रांसपोर्ट लिमिटेड	एनसीएल / सीएमसी / सीटी / एनजीएच / मोबाइल क्रशर / 2019 / 98 दिनांक 30.04.2019	3600000	18.05.2019	17.05.2022	1214529.00

8.8 **कोयला परिवहन के लिए वित्तीय वर्ष 2019–20 के तुलना मे वित्तीय वर्ष 2018–19 की सूचना / डेटा**

कोयला परिवहन अवर्डेड कांट्रैक्ट एसओआर के संबंध में अनुबंध मे रूपांतर :

कार्यो की नाम	अनुमानित राशि (रु.)	प्रदान की गई (अवर्डेड) राशि (रु.)	प्रतिशत (%) अंतर
2018–19			
जयंत सरफेस माइनर से मोरवा साइडिंग	1302522000.00	1069532000.0	–17.89%
जयंत ईस्ट मोबाइल क्रशर कोयला परिवहन	355770000.00	272550000.0	–23.39%
झिंगुरदा मोबाइल क्रशर कोयला परिवहन	607830640.00	427432800.0	–29.68%
कृष्णशिला सरफेस माइनर	639744000.00	472752000.0	–26.10%
अमलोहरी मोबाइल क्रशर कोयला परिवहन	665640000.00	461877000.0	–30.61%
2019–20			
बीना स्टोक्यर्ड (रॉम कोल) से मोबाइल क्रशर और क्रास्ड कोयले का बीना व्हार्फ़र्वल तक परिवहन।	506520000.00	296075000.00	–41.55%
कोयले की ढुलाई ब्लॉक–बी से मोरवा साडिंग	1570653400.00	1003651000.00	–36.10%
जयंत ईस्ट क्रास्सड कोल से दुधीचुआ व्हार्फ़र्वल	286400000.00	188892000.00	–34.05%
कोयले की ढुलाई खड़िया स्टोक्यर्ड से खड़िया सीएचपी	522828000.00	323926000.00	–38.04%
कोयले की ढुलाई स्टोक्यर्ड से मोबाइल क्रशर और निगही व्हार्फ़र्वल	428256000.00	277569000.00	–35.19%

8.9 **कंपनी (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के अनुसार वायापार के नियम में बदलाओ**

व्यापार में किसी प्रकार का परिवर्तन नहीं हुआ।

9.0 पर्यावरणीय प्रबंधन

सतत विकास के लिए स्वच्छ वातावरण बनाए रखना एन.सी.एल. का प्रमुख लक्ष्य है और यह पर्यावरणीय प्रदर्शन के प्रति हर कर्मचारी के योगदान और जिम्मेदारी से हासिल किया जाता है। इस उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए, विभिन्न पहलों का अभ्यास व प्रचार किया जा रहा है।

एन.सी.एल. ने आई.एस.ओ. 9001:2015, आई.एस.ओ. 14001 : 2015, ओ.एच.एस.ए.एस. 18001 : 2007 के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करते हुए एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आई.एम.एस.) के तहत पर्यावरण प्रबंधन और सतत विकास के लिए नियमावलियों, नीति, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को अच्छी तरह से परिभाषित और दस्तावेज किया है।

9.1 वन / पारिस्थिति की न्यूनीकरण उपाय :

एनसीएल की परियोजनाओ में भारत सरकार के पर्यावरण वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय / संबन्धित उत्तरप्रदेश एवं मध्यप्रदेश राज्य सरकार द्वारा वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है।31.03.2020 तक कुल 8342.198 हेक्टर वनभूमि के व्यपवर्तन हेतु स्वीकृति प्रदान की गयी है,जिसमे से कुल 7946.702 हेक्टर वनभूमि का हस्तानंतरण किया गया वर्ष 2019–20 में 16.392 हेक्टर वनभूमि अधिग्रहित कर लिया गया है।

इन व्यवर्तन आदेश में उपयोग करने वाली संस्था द्वारा अनुपालन करने हेतु कुछ शर्तो का उल्लेख किया गया है। ये शर्ते मूलतः नेट वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण (सी.ए.) खनन किए गए क्षेत्र का पुनरुद्धार, खनन क्षेत्र के चारो और सुरक्षा ज़ोन का निर्माण, खनन कार्यो में लगाए गए कर्मियों एवं कामगारों को जलावन हेतु लकड़ी की पूर्ति इत्यादि से संबन्धित है। इन शर्तो की मूल आवशयकता, वनभूमि एवं इनके परिस्थिति की तंत्र के घटको (वन्यजीव,फ्लोरा,फ़ौना,वायो–डायवरसिटी, इत्यादि) पर खननकार्यो के कारण होने वाले प्रभाव को सुधारना / कम करना है, एनसीएल की परियोजनाओ द्वारा किए गए वन / इकोलोजिकल सुधार कार्यो के संक्षिप्त विवरण नीचे दिये गए है।

(क) *क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण:*

कोयला खनन एवं अन्य उद्देश्यों के लिए व्यपवर्तित वनभूमि के बदले में किया गया वनीकरण क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण कहलाता है। पूर्व में वनभूमि के बराबर गैर

वनभूमि में क्षतिपूर्ति वृछारोपण किया जाता था। केंद्रीय सरकार/केंद्रीय सरकार के उपक्रम की परियोजनाओ के लिए खास प्रावधान है। इसके अनुसार व्यपवर्तित वनभूमि के दोगुणे क्षतिग्रश्त वनभूमि में क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण किया जाना है।राज्य वनविभाग को खाली या क्षतिग्रस्त वनभूमि क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु खोजना होता है, तथा उपयोग करने वाली संस्था को क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु संबन्धित राज्य वनविभाग को धनराशि जमा करना होता है।

व्यपवर्तित वनभूमि के बदले में कुल 4671.645 हेक्टर गैर वनभूमि उपलब्ध कराई गयी है तथा उसे क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु आवशयक कीमत के साथ संबन्धित वनविभाग को हस्तांतरित की गयी है। इसके अतिरिक्त कुल 7245.492 हेक्टर क्षतिग्रस्त वनभूमि संबन्धित वनविभाग द्वारा क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु पहचान की गई है तथा एनसीएल द्वारा इनपर क्षतिपूरक वृक्षारोपण हेतु 19163.627 लाख रुपये भुगतान किए गए है। 2019–20 में एनसीएल द्वारा क्षतिपूर्ति वृक्षारोपण हेतु 3166.25 लाख रुपये भुगतान किए गए है।

(ख) *नेट वर्तमान मूल्य (एन.पी.वी.) :*

एनसीएल द्वारा वन वयपवर्तन आदेशानुसार 41471.764 लाख रुपये नेट वर्तमान मूल्य के रूप में भुगतान किए गए है। 2019–20 में एनसीएल द्वारा नेट वर्तमान मूल्य हेतु 2840.72 लाख रुपये भुगतान किए गए है।

(ग) *खनन किए गए क्षेत्र का जैवीय पुनरुद्धार :*

वाहय अधिभार ढेर (ओ.बी.डी.) तथा आंतरिक अधिभार ढेर जो खनन क्षेत्र के पुनभराओ के कारण निर्माण होता है तथा योजनानुसार ऊंचाई प्राप्त कर लेता है का तकनीकी सुधार रेटेनिंगवाल/टेरेस/स्टेप इत्यादि के द्वारा किया जाता है। इस के बाद उसका जैवीय पुनरुद्धार कार्य उचित लोकल स्पेसींज का वृक्षारोपण के द्वारा किया जाता है। वर्ष 2019–20 में 211.88 हेक्टर अधिभार ढेर क्षेत्र में 5.29 लाख पौधे का वृक्षारोपण कर जैवीय पुनरुद्धार कार्य किया गया है। 31.03.20 तक वाहय अधिभार ढेर तथा आंतरिक अधिभार ढेर पर कुल 2920.01हेक्टर में 155.16 लाख पौधे रोपण कर तकनीकी एवं जैवीय पुनरुद्धार कार्य किया जा चुका है।

(घ) *सुरक्षा जोन*

एनसीएल द्वारा सुरक्षा जोन क्षेत्र के डेढ़ गुणा क्षति ग्रस्त वन भूमि में वानिकी कार्य हेतु लागत भुगतान किया गया है।

(च) *सामाजिक वानिकी*

आवासीय कालोनी, सड़क के बगल में तथा अन्य समतल भूमि में एनसीएल द्वारा वृहद वृक्षारोपण किया गया है। इससे सभी और वृहद हरियाली का विकास हुआ है जो हवा, जल एवं ध्वनि प्रदूषण को नियंत्रित करने में सहायक है। वर्ष 2019–20 में कुल 5750 पौधे सामाजिक वानिकी प्रोग्राम के तहत लगाये गये है। 31.03.2020 तक कुल 87.42 लाख पौधे सामाजिक वानिकी प्रोग्राम के तहत लगाए गए है।

(छ) 31.03.2020 तक कुल 242.59 लाख पौधे जैवीय पुनरुद्धार एवं सामाजिक वानिकी प्रोग्राम के तहत लगाये गये है।

9.2 **प्रदूषण नियंत्रण उपाय :**

ए. *वायु प्रदूषण नियंत्रण उपाय :*

i. कोयला प्राप्त करने वाले पिट पर स्वचालित वाटर स्प्रिंकलर स्थापित किये गए हैं और ये सेंसरों के माध्यम से संचालित होते हैं।

ii. कोयला बंकरो, स्थानांतरण बिंदुओं और लोडिंग बिंदुओं पर स्थायी वाटर स्प्रिंकलर स्थापित किये गए हैं और नियंत्रण वाल्व के माध्यम से संचालित होते हैं।

iii. क्रसर हाउस के कोयला प्राप्त करने वाले पिट के निचले तल पर डस्ट साइकलोन की व्यवस्था की गयी है।

iv. सी.एच.पी. के बाहर कोयले के महीन चूर्ण के उत्सर्जन को कम करने के लिए सभी कोयला हैंडलिंग संयंत्र (सी.एच. पी.) पूर्ण रूप से आच्छादित किए गए हैं।

v. ड्रिलों मे धूल निष्कर्षण यंत्रो की व्यवस्था की गयी है।

vi. धूल के उत्सर्जन मे कमी करने के लिए खदानों के संपर्क मार्ग एवं सेवा सड़को को डामरीकरण करने की व्यवस्था की गयी है।

vii. हाल सड़कों पर धूल दमन के लिए नियमित अंतराल से गतिशील वाटर स्प्रिंकलर प्रयोग किए जाते हैं।

viii. वायु उत्सर्जित धूल को अवरुद्ध करने के लिए खान सीमा पर घनी हरित पट्टी आवरण के रूप में बनाई गई है।

ix. मार्च 2020 तक एन.सी.एल. में रोपित पौधों की संख्या 2.42 करोड़ है।

x. ओवर बर्डन डम्प सुधार योजना के तहत धूल उत्सर्जन को रोकने के लिए निष्क्रिय ओवर बर्डन डम्पों पर वानस्पतिक आवरण की व्यवस्था की गयी है।

xi. एच.ई.एम.एम. में संचालकों के लिए धूल सुरक्षित केबिन प्रदान किए गए हैं। धूल के संपर्क में आने वाले कर्मचारियों को धूल मास्क प्रदान किए गए हैं।

xii. सीएचपी और कोयला डम्पों पर फायर हाइड्रेंट प्रणाली की स्थापना की गयी है।

xiii. कोयला लदाई के समय कोयले के धूल दबाने के लिए पानी का छिड़काव नियमित रूप से किया जाता है। इसके अलावा रेलवे विभाग और कोल इंडिया लिमिटेड के द्वारा कोयला परिवहन के लिए मालगाड़ी के डिब्बों को ढँकने के लिए संयुक्त अध्ययन किया जा रहा है।

xiv. गैसीय उत्सर्जन को कम करने के लिए एच.ई.एम.एम.का नियमित रखरखाव और आवधिक मरम्मत की जाती है।

xv. आस–पास की हवा की गुणवत्ता जाँचने के लिए नियमित रूप से वायु की गुणवत्ता की निगरानी की जा रही है एवं किसी भी प्रतिकूल रिपोर्ट के मामले मे सुधारात्मक कार्यवाही की जा रही है।

xvi. 09 सीएएक्यूएमएस इन्सटाल्ड एवम् एसपीसीबी और सीपीसीबी से कनेक्ट किये जा चुके है।

xvii. तीन रोड स्वीपिंग मशीन एवम् तीन फोगिंग मशीन कार्यरत है ।

(ब) *जल प्रदूषण नियंत्रण उपाय :*

जल प्रदूषण का नियंत्रण चालू खदानों में गाद अवरोधक (सिल्ट अरेस्टर्स), खदान, कार्यशाला एवं सी.एच.पी. से निकले बहिस्त्राव केलिएसंलग्न 11 अपशिष्ट जल शोधनसयंत्र (ई.टी.पी.) एवं आवासीय परिसर से निकले मलजल के लिए 9 घरेलू मलजल शोधन सयंत्र (डी.एस.टी.पी.) के माध्यम सेकिया गया है।

(i) *अपशिष्ट जल शोधन संयंत्र (ई.टी.पी.) :*

एकीकृत अपशिष्ट जलशोधन संयंत्रों को खदान, कार्यशाला और सीएचपी से अपवाह के उपचार लिए निर्मित किया गया है। संयंत्र में जालसे तेल और ग्रीस को पुनः:प्राप्त करने की प्रणाली,फ्लेश मिक्सर मे रासायनिक पदार्थ मिलाने के पश्चात निलंबित ठोस पदार्थों को क्लारिफायर के माध्यम से हटाना, कीचड़ सुखाने के प्रावधान, पाइपलाइन और पंपिंग व्यवस्था शामिल है। स्वच्छ उपचारित जल का पुनः उपयोग हाल सड़कों पर छिड़काव और औद्योगिक उद्देश्यों के लिए किया जाता है।

(ii) *घरेलू मलजल शोधन संयंत्र (डी.एस.टी.पी.) :*

सक्रिय स्लज प्रक्रिया के साथ टाउनशिपों में नों घरेलू मलजल शोधन संयंत्र बनाए गए हैं। संयंत्र में ऑक्सीकरण के लिए वायुमंडल इकाईयाँ, निलंबित ठोस पदार्थों को हटाने के लिए क्लारिफायर, कीचड़ सुखाने का प्रावधान, ग्रिट हटाने की सुविधा, सीवर लाइन, मैनहोल, पंप हाउस, कंट्रोल रूम आदि होती हैं। उपचारित पानी का बागवानी / कृषि में फिर से उपयोग किया जाता है। सूखे कीचड़ को मूल्यवान खाद के रूप में कृषि में उपयोग किया जाता है।

(iii) *गाद अवरोधक :*

अपवाहजल के साथ पर्याप्त मात्रा मे गाद का प्रवाह होता है। पानी के साथ प्राकृतिक जल श्रोत में बहने वाली गाद को अवरुद्ध करने के लिए गाद अवरोधक के साथ कैच ड्रेन खदान में बनाई गई हैं। कैच ड्रेनों मे ईकट्ठा हुए गाद गिरोह को नियमित अंतराल पर साफ किया जाता है। जलमार्ग मे बहने वाले गाद (सिल्ट) को चेक बांध और सिल्टेशन तालाब के माध्यम से रोका जाता है। फ़िल्टर पैड के साथ गेबियन्स (तार बक्से मे पैक किये गए ढीले पत्थर) सक्रिय डम्पों के अग मार्ग पर और जलमार्ग के साथ, जल स्त्रोत को गाद के अपवाह से सुरक्षित रखते हैं।

(iv) *तेल की पुनः प्राप्ति*

तेल और ग्रीस ट्रैप से प्राप्त हुए बहते हुए तेल को ड्रमों मे एकत्रित किया जाता है जिसको ऊँचे पक्के स्थान पर रखा जाता है जहाँ बिखरें तेलों को ग्रहण करने के लिए नालियों की व्यवस्था है। वाहनों एवं भारी वाहनों (एच.ई.एम.एम.) के रख रखाव के दौरान संग्रहीत प्रयुक्त तेल टाइट लीक प्रूफ ड्रमों मे संग्रहीत एवं भरा जाता है। रद्दी प्रयुक्त तेल जोकि खतरनाक (श्रेणी – 5.1) है, के भंडारण के लिए प्रत्येक परियोजना के लिए राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से पृथक प्राधिकार विधिवत लिया गया है। इस प्रयुक्त तेल को ई–नीलामी के माध्यम से अधिकृत रीसाइक्लर्स को व्ययन के लिए दिया जाता है।

(V) *तेल युक्तः खतरनाक ठोस अपशिष्ट का व्ययन :*

यह खतरनाक अपशिष्ट श्रेणी 5.2 के अंतर्गत आता है। राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से प्राधिकार विधिवत लिया जाता है और इन कचरों को विशेष रूप से निर्मित शेड में संग्रहीत किया जाता है और राज्य में उपलब्ध अधिकृत सामान्य उपचार, संग्रहण और व्ययन स्थान के माध्यम से व्ययन किया जाता है।

(सी) **ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपाय**

i. विस्फोटक संचालन केवल 13:00 से 14:00 घंटों के बीच यानि पाली परिवर्तन के दौरान ही किया जाता है।

ii. जहाँ भी आवश्यक हो, कर्मचारियों को कान–मफ और कान–प्लग दिए जाते हैं।

iii. कालोनियों और खदान सीमाओं के आस–पास घना पौधरोपण आवरण बनाया गया है।

iv. सभी उपकरणों का नियमित रखरखाव नियमित आधार पर किया जा रहा है।

9.3 विशेष गतिविधिः एन.सी.एल. में पारिस्थितिकीय बहाली का काम

खदान एवम् आवास क्षेत्र में वायु प्रदूषण नियंत्रण के लिए दस रोड स्वीपिंग मशीन एवम् दस ट्रक माउंटेड डस्ट सप्रेशन सिस्टम विथ मिस्ट गन खरीदी जा चुकी है।

9.4 पर्यावरणीय मंजूरी

एन.सी.एल. की सभी खनन परियोजनाएं पर्यावरण और वन मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त पर्यावरण मंजूरी के साथ काम कर रहीं हैं। प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड से वायु और जल की सहमति भी ली जाती है।

क्र.सं	विवरण	पर्यावरणीय मंजूरी (क्षमता एमटी प्रतिवर्ष में)	टिप्पणियाँ
1	31.03.2020 तक कुल पर्यावरणीय मंजूरी क्षमता	127.97 एमटीपीए	
2	वर्ष 2019–20 में दी गयी पर्यावरणीय मंजूरी क्षमता (अतिरिक्त क्षमता)	11.75 एमटीपीए	• निगाही की पर्यावरण मंजूरी क्षमता 18.75 एमटीवाई से बढ़कर 21.00 एमटीवाई प्रतिवर्ष हो गई है। • दुधिचुआ की पर्यावरण मंजूरी क्षमता 15.50 एमटीवाई से बढ़कर 25.00 एमटीवाई प्रतिवर्ष हो गई है।

9.5 पर्यावरण निगरानी

- वर्ष के दौरान सी.एम.पी.डी.आई. प्रयोगशालाओं के माध्यम से वायु, जल और ध्वनि की नियमित पर्यावरणीय निगरानी की जाती है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा निर्धारित दिशानिर्देशों के अनुसार पद्धति, आवृत्तिआदि का सख्ती से पालन किया गया था।
- कानून के अनुसार निगरानी के परिणाम राज्य प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और पर्यावरण एवं वन मंत्रालय को प्रस्तुत किए गए थे।

9.6 पर्यावरण संरक्षण और कानूनों की जागरूकता के लिए समारोह / सेमिनार

ए. कंपनी ने एन.सी.एल. मुख्यालय में तथा अन्य प्रशासनिक क्षेत्रों में भी विश्व पर्यावरण दिवस (5 जून, 2019) को मनाने के लिए अपने पर्यावरण विभाग के माध्यम से विभिन्न कार्यक्रमों का आयोजन किया। एन.सी.एल. मुख्यालय में आयोजित समारोह मे कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, निदेशकगणों, विभागाध्यक्षों, अधिकारी एवं कर्मचारी शामिल हुये।

एन.सी.एल. की परियोजनाओं में पर्यावरण जागरूकता हेतु, वृक्षारोपण, प्रश्नोत्तरी (क्विज) प्रतियोगिता, ड्राइंग प्रतियोगिता आदिविभिन्न गतिविधियों का आयोजन किया गया।

बी. कंपनी ने एन.सी.एल., मुख्यालय और विभिन्न परियोजनाओं में खान बंद करने की योजना सॉलिड–वेस्ट के प्रबंधन पर संगोष्ठियाँ भी आयोजित की हैं।

9.7 पुरस्कार और मान्यता

वर्ष के दौरान एनसीएल को सम्मानित किया गया।

- मेटल एवं माइनिंग क्षेत्र में सर्वश्रेस्ठ पर्यावरण प्रबंधन के लिए 19वा एनुअल ग्रीनटेक एनवायरनमेंट अवार्ड 2019।
- एससीओपीई कार्पोरेट कम्युनिकेशन (सीसी) अवार्ड 2019 "इन्नोवेटिव स्टेकहोल्डर इंटरफ़ेस" अवार्ड सर्वश्रेस्ठ इन्नोवेटिव स्टेकहोल्डर–एनसीएल कनैक्ट।
- डन एवं ब्रैडस्ट्रीट अवार्ड माइनिंग एवं एक्सप्लोरेसनः कोयला, सर्वश्रेस्ठ मिनीरत्न माइनिंग एवं एक्सप्लोरेसन में एवं सर्वश्रेस्ठ मिनीरत्न।
- सीएमडी एनसीएल श्री पी.के. सिन्हा को इंडियन चैंबर ऑफ कॉमर्स पब्लिक सैक्टर एंटरप्राइसेस एक्सेलेंस अवार्ड से नवाजा गया उनके पीपीएसई कोयला क्षेत्र में अभूतपूर्व योगदान कर राष्ट्र निर्माण में।
- संचालन कार्य में अभूतपूर्व योगदान के लिए वर्ष की मिनी रत्न कंपनी पुरस्कार से सम्मानित एवं इंडियन चैंबर ऑफ

कॉमर्स द्वारा कार्पोरेट गवर्नेंस पुरस्कार से सम्मानित किया गया।

- पौल्टरी फ़ार्मिंग द्वारा 500 आदिवासी महिलाओ आजीविका प्रदान करने के लिए सीएसआर टाइम्स अवार्ड।
- अपेक्स इंडिया ओक्यूपेसनल हैल्थ एवं सेफटि अवार्ड एनसीएल के झिगुरदह परियोंजना स्वास्थ एवं सुरक्षित कार्यस्थल बनाने एवं सबसे लंबी अवधि तक दुर्घटना मुक्त क्षेत्र होने पर पुरस्कार प्राप्त हुआ।
- कोल इंडिया की 45वी स्थापना दिवस पर "कोरपोरेट परफॉर्मेंस" "क्वालिटी अवेरनेस" एवं स्वछ्ता पखवाड़ा में प्रथम पुरस्कार और "कॉर्पोरेट अवार्ड सेफटि में" एवं "कॉर्पोरेट अवार्ड पर्यावरण में" द्वितीय पुरस्कार।
- एनसीएल की काकरी परियोजना को राष्ट्रीय सुरक्षा पुरस्कार (खान) 2015–16 प्राप्त हुआ सबसे ज्यादा समय तक दुर्घटना रहित एवं कम चोटिल दर की होने के लिए।
- पौल्टरी फ़ार्मिंग द्वारा आदिवासी महिलाओ को आजीविका प्रदान करने के लिए ईटी नाव अवार्ड।
- विज्ञान मेला भोपाल में पर्यावरण कार्य के लिए वर्ष 2019–20 में "बेस्ट पेविलीओन पुरस्कार" के लिए द्वितीय पुरस्कार।

10.0 मान्यता

प्रबंधन प्रणाली और प्रक्रियाओं में निरंतर सुधार के लिए आपकी कंपनी ने इसकी सभी परियोजनाओं और इकाइयों मे आई.एस. ओ. 9001:2015, आई.एस.ओ. 14001:2015 और ओ.एच.एस.ए. एस. 18001:2007 मानकों की आवश्यकता के अनुरूप वैश्विक स्तर पर मान्यता प्राप्त गुणवत्ता, पर्यावरण तथा स्वास्थ्य और सुरक्षा प्रबंधन प्रणाली निम्नलिखित गतिविधियों के संबंध में लागू की है :–

यह सेवा की गुणवत्ता में सुधार करने और व्यावसायिक स्वास्थ्य, सुरक्षा और पर्यावरण प्रणालियों के प्रदर्शन को और बढ़ाने के लिए एन.सी.एल. के गहन प्रयासों को दर्शाता है। यह उपलब्धि एन.सी. एल. के उच्च प्रदर्शन स्तर की अंतरराष्ट्रीय मान्यता और निगमित उत्कृष्टता के पिछले कार्य निष्पादन रिकार्ड में जुड़ी है।

11.0 मानव संसाधन विकास

11.1 *कुशलता की रिक्ति को कम करना*

अ. *श्रमशक्ति*

कंपनी की कुल श्रमशक्ति (अपरेंटिस अधिनियम, 1961 के तहत अपरेंटिस को छोड़कर) 31 मार्च 2020 को 14382 थी, जबकि 31 मार्च, 2019 को 14456 थी। श्रमशक्ति का विवरण नीचे प्रस्तुत है :

क्र. सं.	विवरण	दिनांक 31.03.2020	दिनांक 31.03.2019
1	अधिकारी	1658	1759
2	पर्यवेक्षक	1973	1684
3	लिपिक कर्मचारी	953	961
4	अत्यधिक कुशल / कुशल	7457	7211
5	अर्ध कुशल / अकुशल	2341	2841
कुल		**14382**	**14456**

ब. ***भर्ती***

वर्ष 2019–20 के दौरान एनसीएल ने अलग–अलग माध्यम जैसे कि सीधी भर्ती, अनुकंपा नियुक्ति और भूमि अधिग्रहण के सापेक्ष नियुक्ति के तहत 134 व्यक्तियों को नियुक्ति दी।

स. ***कौशल विकास***

सर्वांगीण प्रशिक्षण के माध्यम से कंपनी महत्वपूर्ण श्रमशक्ति की क्षमता के विकास पर जोर देती है। एनसीएल में एक सुव्यवस्थित शीर्ष प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय उत्थान प्रशिक्षण संस्थान (सीईटीआई) है और सभी क्षेत्रों में 10 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (वीटीसी) हैं। सीईटीआई द्वारा जेनेरिक स्किल्स ट्रेनिंग / सॉफ्ट स्किल ट्रेनिंग जैसे कि विभिन्न क्षेत्रों में कार्यरत हमारे कर्मचारियों के संतुलित कौशल विकास और क्षेत्र विशेष मे ज्ञानवर्धन को बढ़ावा देने की पहल और विस्तार पर विशेष ध्यान दिया जाता है,

निदेशक (तक / संचालन), एनसीएल सीईटीआई में प्रशिछु को संबोधन करते हुए

जिससे हमारे संस्थान को एक पूर्ण प्रशिक्षण संस्थान में परिवर्तित किया जा सके जो कि अब तक केवल तकनीकी प्रशिक्षण पर ध्यान केंद्रित कर रहा था और हमें जेनेरिक स्किल ट्रेनिंग के लिए आईआईसीएम और अन्य प्रबंधन संस्थानों जैसे बाहरी संस्थानों पर निर्भर करना पड़ता था, जिनसे हमारे कुछ ही कर्मचारी लाभान्वित हो पा रहे थे।

i. **सिम्युलेटर (अनुकारी) प्रशिक्षण** : सिमुलेशन (अनुकरण) के माध्यम से एचईएमएम ऑपरेटरों को उन्नत प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कंपनी ने इस साल पहले से उपलब्ध डंपर सिमुलेटर के साथ ड्रैगलाइन, शोवेल और डोजर के लिए नए सिमुलेटर जोड़े। सिम्युलेटर प्रशिक्षण न केवल एनसीएल के कर्मचारियों के लिए बल्कि अन्य सहायक कंपनियों के ऑपरेटरों के लिए भी प्रदान किया जाता है। कुल मिलाकर 3222 कर्मचारी को विभिन्न एचईएम मशीनों के लिए सिम्युलेटर प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

सीईटीआई में सिम्युलेटर प्रशिक्षण

ii. **अपरेंटिसशिप प्रशिक्षण** : एनसीएल ने ट्रेड अपरेंटिस के लिए अप्रेंटिसशिप अधिनियम, 1961 के अनुसार अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण योजना (एटीएस) को सफलतापूर्वक लागू किया है। अब तक, 311,313 और 1092 उम्मीदवारों के क्रमशः 3 बैचों को विभिन्न नामित ट्रेडों जैसे वेल्डर, इलेक्ट्रीशियन और फिटर आदि में प्रशिक्षुता प्रशिक्षण के लिए चुना गया है। वर्तमान तिथि के अनुसार, कुल मिलाकर कुल 1092 प्रशिक्षु अप्रेंटिसशिप प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं, जो वर्तमान निर्देशों (संविदा कर्मियों सहित कुल श्रमशक्ति का 2.5% – 10%) के अनुपालन में एनसीएल की कुल श्रमशक्ति का 3.74% है । वर्तमान में 1500 अपरेंटिस के 4 थे बैच के अनुबंध की प्रक्रिया चल रही है।

iii. **कौशल विकास** : कौशल विकास और उद्यमिता 2015 के लिए भारत सरकार की राष्ट्रीय नीति के अनुरूप, एनसीएल ने अपने कर्मचारियों को अपनी पहल के तहत कौशल विकास प्रशिक्षण दिया और वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान 289 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया।

iv. **व्यावसायिक प्रशिक्षण** : मुख्य रूप से तकनीकी और प्रबंधन पाठ्यक्रम (बी.टेक, एमबीए, बीबीए आदि) के कुल 974 कॉलेज छात्रों को अप्रैल 2019 से मार्च 2020 तक एनसीएल में इंटर्नशिप प्रशिक्षण/व्यावसायिक प्रशिक्षण प्रदान किया गया है।

v. ***वर्ष 2019–20 हेतु प्रशिक्षण के आंकड़े :***

वर्ष 2019–20 में अधिकारियों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण का प्रकार		**2019–20**
विदेश		17
बाहरी		188
आईआईसीएम		249
आंतरिक	एसटीसी	342
	सेमिनार	692
महायोग		**1488**

वर्ष 2019–20 मे कर्मचारियों का प्रशिक्षण

प्रशिक्षण का प्रकार		**2019–20**
बाहरी		178
आंतरिक	एसटीसी	4864
	सेमिनार	380
महायोग		**5242**

सीईटीआई में आंतरिक प्रशिक्षण के लिए लक्ष्य और उपलब्धि

वर्ष	**विवरण**	**कार्य क्रमों की संख्या**	**अधि कारी**	**पर्य वेक्षक**	**कर्म चारी**	**कुल**
2019-20	लक्ष्य	146	380	410	1460	2250
	प्राप्ति	141	342	381	2470	3193
	% प्राप्ति	97%	90%	93%	169%	142%

vi. **एमओयू उपलब्धि** : 5.33% अधिकारियों को 5% के लक्ष्य के सापेक्ष सेंटर ऑफ एक्सीलेंस में प्रशिक्षण दिया गया और इस प्रकार 106.5% एमओयू लक्ष्य प्राप्त किया गया।

vii. ***अन्य प्रमुख उपलब्धियाँ :***

- सीईटीआई कैंपस में एमडीआई (मैनेजमेंट डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट) निर्माणाधीन है। इसमे एक नए हॉल का निर्माण किया जा रहा है जिसमें 200 प्रशिक्षुओं को समायोजित किया जा सकता है। साथ ही, प्रति कमरा 40 प्रशिक्षुओं के बैठने की क्षमता लिए 5 कमरे निर्माणाधीन है।
- एनसीएल मुख्यालय में एचआरडी विभाग के समन्वय से दिनांक 25.09.2019 को एक जेन्नेक्स्ट सेमिनार आयोजित किया गया था। इसमे एनसीएल परियोजनाओं/इकाईयों और मुख्यालय के लगभग 300 युवा अधिकारियों ने भाग लिया।
- आईसीओएमएस 2019 के दौरान उत्खनन विभाग के साथ दिनांक 13–14 दिसंबर, 2019 को एक प्रदर्शनी का आयोजन किया गया।
- एचआरडी विभाग के समन्वय से दिनांक 30.12.2019 को दुधिचुआ परियोजना में एक ड्रैगलाइन सेमिनार का आयोजन किया गया।
- श्री चन्द्र वाधवा (पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई) और श्री अमल कुमार दास (पूर्व अध्यक्ष, आईसीएआई और पूर्व निदेशक–वित्त, एनसीएल) द्वारा आंतरिक लागत नियंत्रण प्रणाली (आईसीसीएस) के कार्यान्वयन की समीक्षा हेतु एक विशेष दो दिवसीय प्रशिक्षण एनसीएल के अधिकारियों के लिए सीईटीआई, एनसीएल में आयोजित किया गया था।
- परियोजनाओ मे सामान्य पाली उत्पादन दल (खनन, उत्खनन और ई एंड एम अधिकारियों) के साथ 3 संवादमूलक सत्र आयोजित किए गए।

क्र.	हमारी उपलब्धि	वित्त वर्ष 2019–20
1	कार्य दिवस प्रशिक्षण की कुल संख्या	40,015
2	कुल प्रशिक्षित कर्मचारियों की संख्या	6730
3	सीईटीआई मे निष्पादित विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण	66
4	सीईटीआई मे प्रशिक्षित कुल कर्मचारियों की संख्या	3193
5	सिम्यूलेटर (अनुकारी) पर प्रशिक्षित कुल ओपरेटरों की संख्या (एनसीएल व अन्य अनुषंगी कंपनिया)	627
6	आईटीआई ट्रेड अप्रेंटिस की संख्या	1405
7	विश्वविद्यालय के छात्रों के लिए इंटर्नशिप प्रशिक्षण	974
8	व्यावसायिक प्रशिक्षण केंद्र मे प्रशिक्षित श्रमिकों की कुल संख्या	6996
9	आईआईसीएम प्रशिक्षण हेतु कुल कार्य दिवस प्रशिक्षणों की संख्या	1811
10	बाहरी तथा ओईएम (बीईएमएल, कुम्मिंस, एलएंडटी, कोमास्तु) प्रशिक्षण हेतु कुल कार्य दिवस प्रशिक्षणों की संख्या	1580
11	अन्य अनुषंगी कंपनियों मे भूमिगत प्रशिक्षण के लिए भेजे गए कर्मचारियों की संख्या (68 अधिकारी व 22 कर्मचारी)	90
12	प्रशिक्षण हेतु विदेश भेजे गए कर्मचारियों की संख्या	17

11.2 *कार्य–जीवन की गुणवत्ता में सुधार*

एनसीएल का उद्देश्य कर्मचारियों की उच्च संतुष्टि/सहभागिता के लिए एवं कार्य/जीवन की गुणवत्ता में सुधार के लिए कार्यस्थल पर सर्वोत्तम सुविधाएं प्रदान करना है। कुछ सुविधाओं का विवरण निमन्वत हैं :

अ. **कैंटीन** : एनसीएल द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में 41 कैंटीन संचालित है जिसमें हमारे कर्मचारियों के लिए स्वास्थ्यकर और स्वादिष्ट भोजन परोसा जाता है। ये कैंटीन वाटर कूलर, पर्याप्त बैठने की जगह, एयर कंडीशनर, वॉशरूम आदि के साथ आरओ वाटर प्यूरीफायर जैसी सुविधाओं से सुसज्जित हैं। इन 41 कैंटीनों में से 28 कैंटीन पूरी तरह से वातानुकूलित हैं। कृष्णशिला, खड़िया और बीना क्षेत्र में वर्ष 2019–20 के दौरान 05 नए कैंटीन जोड़े गए हैं।

बीना क्षेत्र के कैंटीन का उद्घाटन

ब. **विश्राम आश्रय** : हमारे कर्मचारियों के लिए प्रत्येक क्षेत्र/इकाई में विश्राम आश्रय प्रदान किया जाता है। एनसीएल मे कुल 29 विश्राम स्थल हैं, जिनमें से 08 पूरी तरह से वातानुकूलित हैं। इन विश्राम आश्रयों में बैठने के लिए पर्याप्त जगह और आराम के लिए उचित गद्दों के साथ आराम करने की जगह है। इन सभी स्थानों को साफ सुथरी स्थिति में रखा गया है। 02 विश्राम आश्रय वर्ष 2019–20 के दौरान जोड़े गए हैं।

स. **आदर्श शौचालय** : एनसीएल मे 575 शौचालय हैं जिसमे 461 पुरुष और 114 महिलाओं के लिए हैं। ये शौचालय उपयुक्त स्थानों पर हर समय उन सभी व्यक्तियों के लिए उपलब्ध हैं जो खदानों और प्रतिष्ठानों में कार्यरत हैं। ये शौचालय साफ और स्वच्छता की स्थिति में अनुरक्षित हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान 19 नए शौचालय जोड़े गए हैं।

द. **पेयजल** : 18 एम.जी.डी. क्षमता वाली एकीकृत जलापूर्ति योजना के माध्यम से सभी आवासीय कॉलोनियों में नियमित रूप से पानी की आपूर्ति होती है। इसके अतिरिक्त, कार्यालय परिसर, कैंटीन, रेस्ट शेल्टर, क्लब, स्टेडियम, वर्कशॉप, सीएचपी, साइट स्टोर आदि में 187 वाटर कूलर के साथ आरओ वाटर प्यूरीफायर मशीनों की भी स्थापना की गई हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान 37 आर. ओ. वाटर प्यूरीफायर जोड़े गए हैं। इसके अलावा, कर्मचारियों को उनके काम के स्थान पर पीने का पानी ले जाने के लिए उचित पानी की बोतलें भी प्रदान की जाती हैं।

इ. **शिशुसदन** : एनसीएल मे महिला कर्मचारियों के लिए अनुकूल काम करने की स्थिति बनाने के लिए, एनसीएल मुख्यालय, नेहरू शताब्दी चिकित्सालय (एनएससी) और निगाही क्षेत्र में स्थित 03 शिशुसदन का निर्माण किया है।

शिशुसदन, एनसीएल मुख्यालय

वर्ष 2019–20 मे एनसीएल मुख्यालय और निगाही क्षेत्र में शिशुसदन बनाए गए हैं। इन शिशुसदनो में बच्चों की देखभाल के लिए विभिन्न आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध हैं जैसे अलग–अलग शौचालय, बिस्तर, खिलौने, झूले, शैक्षिक आइटम आदि। एनसीएल के अन्य क्षेत्रों में शिशुसदन सुविधाएं निर्माणाधीन हैं।

च. **कल्याण पखवाड़ा प्रतियोगिता** : कल्याण पखवाड़ा प्रतियोगिता अप्रैल 2019 में आयोजित की गई थी। सभी क्षेत्रों/इकाईयों के कल्याण सुविधाओं जैसे कॉलोनी, कैंटीन, रेस्ट शेल्टर, वॉशरूम, और ठेकेदार श्रम शिविर, पीने के पानी की सुविधाओं आदि का निरीक्षण किया गया था। स्वच्छता की स्थिति का समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है। समिति का मुख्यालय द्वारा विधिवत गठन किया गया है। खनिक दिवस 2019 के केंद्रीय समारोह में उत्कृष्ट प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया।

छ. **हाउस कीपिंग ऑडिट** : हाउसकीपिंग मानकों में लगातार सुधार करने और सुधार के क्षेत्रों की पहचान करने के लिए, एनसीएल ने वर्ष 2019–20 में अपने सभी एरिया/यूनिट के हाउसकीपिंग ऑडिट की शुरुआत की। यह ऑडिट वर्ष 2019 में दो बार किया गया और सुधार के क्षेत्रों की पहचान आगे के उन्नयन के लिए की गई । अंतर क्षेत्रीय प्रतियोगिताएं और हाउसकीपिंग अभियान भी समय–समय पर आयोजित किए जाते हैं। कार्यक्रम 5 एस की अवधारणा के अनुरूप लागू किया गया है।

11.3 *जीवन की गुणवत्ता में सुधार*

जीवन की गुणवत्ता में सुधार, कंपनी के कर्मचारी उत्थान कार्यक्रमो की प्राथमिकताओ में से एक है। इसमे कर्मचारियों और उनके परिवारों के समग्र कल्याण के लिए आवासीय क्षेत्रों में उत्कृष्ट सुविधाएं बनाई गई हैं।

अ. **आवास सुविधाएं** : एनसीएल अपने सभी कर्मचारियों को आवास सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। आवास अच्छी स्थिति में हैं और इन आवासों की मरम्मत और रखरखाव का काम नियमित रूप से किया जाता है। विभिन्न क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों में अधिकारियों, पर्यवेक्षी कर्मचारियों और कर्मचारियों के लिए 16159 कंपनी के आवास हैं। 16101 आवासों में अपग्रेडेशन के लिए पहचान की गई है और उनमें से 31.01.20 तक 15469 (96%) आवासों को अपग्रेड किया गया है।

ब. **शैक्षिक सुविधाएं** : एनसीएल में कर्मचारी के बच्चों को बेहतर शिक्षा प्रदान करने के लिए 10 वित्त पोषित स्कूल काम कर रहे हैं। इनमें 07 डीएवी पब्लिक स्कूल,

02 केंद्रीय विद्यालय और 01 दिल्ली पब्लिक स्कूल हैं। एनसीएल इन स्कूलों में सभी प्रकार की आधुनिक सुविधाओं को सुनिश्चित करता है जैसे प्रत्येक कक्षा में स्मार्ट बोर्ड, सीसीटीवी कैमरा, लड़कों और लड़कियों के लिए अलग से मॉडल शौचालय, रैंप, ऑडिटोरियम, कंप्यूटर लैब, लैंग्वेज लैब, अच्छी तरह से सुसज्जित प्रयोगशालाएं और पुस्तकालय आदि। केवी स्कूल, सिंगरौली में अटल टिंकरिंग लैब की भी स्थापना की गई है। छात्रों के परिवहन के लिए 64 स्कूल बसें संचालित है।

अन्य विद्यालय जैसे बीना इंटरमीडिएट कॉलेज, विद्या भारती से संबद्ध सरस्वती शिशु मंदिर, सरकारी स्कूल (प्राथमिक, जूनियर हाई स्कूल और इंटर कॉलेज) को एनसीएल द्वारा अनुदान–सहायता या अन्य सामयिक बुनियादी ढांचे का समर्थन दिया जाता है।

वर्ष 2020–21 के दौरान सभी स्कूलों में राष्ट्रीय सेवा योजना और राष्ट्रीय कैडेट कोर शुरू करने की योजना है जिसके लिए आवश्यक प्रक्रियाएं पूरी हो चुकी हैं।

उपरोक्त स्कूलों में 25% सीटें बीपीएल परिवार के बच्चों के लिए शिक्षा के अधिकार अधिनियम के प्रावधानों के तहत निहित की गई हैं।

दुधिचुआ का ड्रॉन दृश्य

स. **उच्च शिक्षा के लिए दिया गया वित्तीय सहयोग :**

i. **ट्यूशन और छात्रावास शुल्क की प्रतिपूर्ति :** एनसीएल द्वारा वेतन बोर्ड के कर्मचारियों के बच्चों को तकनीकी और चिकित्सा शिक्षा प्राप्ति के लिए ट्यूशन फीस और छात्रावास शुल्क की प्रतिपूर्ति की वित्तीय सहायता प्रदान की जाती है। वर्ष 2019–20 में 334 छात्रों को 1,51,44,117 रुपये (एक करोड़ इक्यावन लाख चवालीस हजार एक सौ सत्रह रुपये मात्र) की राशि की प्रतिपूर्ति की गई ।

ii. **कोल इंडिया स्कॉलरशिप स्कीम :** ऐसे कर्मचारियों के बच्चे जो संबंधित परीक्षा (कक्षा V से शुरू) में मानदंडों के अनुसार उत्कृष्ट योग्यता का प्रदर्शन करते हैं, उनके आगे के अध्ययन के लिए एक विशेष दर पर छात्रवृत्ति प्रदान की जाती है। वर्ष 2019–20 में, 51 छात्रों को 1,02,900.00 रुपये की राशि की प्रतिपूर्ति की गई।

द. **चिल्ड्रन पार्क / गार्डन :** एनसीएल अपने आवासीय क्षेत्र में अधिक से अधिक सुविधाओं को जोड़कर शहर के जीवन समतुल्य सुविधा प्रदान करने के लिए प्रतिबद्ध है। इस दिशा में एनसीएल में 20 पार्क और 03 उद्यान विकसित किए गए हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान, 16 पार्कों का उन्नयन किया गया है और 2 नए पार्क जिनमे ओपन एयर जिम जैसी सुविधाएं हैं, को जोड़ा गया है।

बाल उद्यान, ककरी क्षेत्र

इ. **मनोरंजन सुविधाएँ :** एनसीएल कर्मचारियों की मनोरंजक गतिविधियों का भी ध्यान रखता है। एनसीएल में 13 अधिकारी क्लब, 13 कार्यकर्ता क्लब, 06 स्टेडियम, 23 बाल उद्यान, 12 जिम, 03 बैडमिंटन कोर्ट, 03 वॉलीबॉल कोर्ट, 12 टेबल टेनिस कोर्ट, 02 लॉन टेनिस कोर्ट, 01 स्विमिंग पूल, 01 स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स आदि हैं। वर्ष 2019–20 के दौरान कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए मौजूदा सुविधाओं के उन्नयन के अलावा, 2 वॉलीबॉल कोर्ट, 01 बैडमिंटन कोर्ट और 2 बास्केट बॉल कोर्ट जोड़े गए हैं।

च. **एथलेटिक्स अकादमी :** एनसीएल में वर्ष 2019–20 में कंपनी के खेल क्षेत्र में प्रगति की महत्वाकांक्षा के साथ

एथेलेटिक्स अकादमी, जयंत क्षेत्र

गहन आवासीय कोचिंग के लिए 40 खिलाड़ी बच्चों की क्षमता के साथ एक एथलेटिक्स अकादमी की स्थापना की है।

छ. **अन्य सामुदायिक सुविधाएं** : विवाह और अन्य सामुदायिक/पारिवारिक समारोह आयोजित करने के लिए 02 बहुउद्देशीय सर्व–सुविधायुक्त सामुदायिक भवन है। सामुदायिक भवन 24 कमरों, बड़े हॉल, रसोई की सुविधा, लॉन, वॉशरूम आदि से सुसज्जित हैं। इनमें से एक जयंत क्षेत्र मे वर्ष 2019–20 के दौरान जोड़ा गया है।

कल्याण मंडपम, जयंत क्षेत्र

11.4 *कंपनी से कर्मचारी जुड़ाव*

कर्मचारियों के प्रदर्शन में सुधार के लिए कंपनी में एक कर्मचारी जुड़ाव ढांचा लागू करने का लगातार प्रयास रहा है। रूपरेखा के तहत निम्नलिखित पहलों को लागू किया गया है।

अ. **कर्मचारी परामर्श** : एनसीएल में कर्मचारियों के लिए परिवार परामर्श एक सतत गतिविधि है। भावनात्मक मुद्दों, पारिवारिक मुद्दों, कार्य व परिवार में सामंजस्य स्थापित कर विभिन्न समस्याओं से निपटने के लिए परामर्श सेवाएँ दी जाती हैं। इनका उद्देश्य समस्या ग्रस्त कर्मचारियों की प्रेरणा में सुधार करना और उन्हे उत्पादक बनाने में मदद करना है।

ब. **पुरस्कार/मान्यता** : एनसीएल अपने कर्मचारियों को पुरस्कार और सार्वजनिक मान्यता कार्यक्रम के माध्यम से प्रेरित करता रहता है। वर्ष 2019–20 के दौरान कुल 2028 कर्मचारियों को उनके बेहतर प्रदर्शन/उपलब्धियों के लिए पुरस्कार दिया गया। पुरस्कार विभिन्न शुभ तिथियों पर आयोजित बड़े सार्वजनिक समारोहों में प्रदान किए गए।

स. **कैरियर निर्माण** : वर्ष 2019–20 के दौरान एनसीएल ने 1972 कर्मचारियों को उच्च पदों पर पदोन्नति प्रदान की। एनसीएल ने सभी क्षेत्रों में पदोन्नति पाने वाले कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के साथ पदोन्नति का उत्सव आयोजित किया।

द. **परफोर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड स्कीम** : एनसीएल ने परिचालन दक्षता में सुधार के लिए कर्मचारी प्रेरणा हेतु एक परफॉर्मेंस लिंक्ड रिवॉर्ड स्कीम लागू की है। प्रदर्शन मानकों को समान रूप से और पारदर्शिता के साथ प्रत्येक भूमिका के लिए तय किया जाता है और प्राप्तकर्ताओं को हर महीने प्रोत्साहन का भुगतान किया जाता है।

इ. **उपरोक्त के अलावा** : एनसीएल द्वारा अपने कर्मचारियों विशेष रूप से एचईएमएम ऑपरेटरों को प्रेरित करने के लिए, स्पॉट इंसेंटिव के माध्यम से उन्हें और उनके परिवार को बधाई देने के साथ साथ कार्यस्थलों के विशिष्ट स्थानों पर उनकी तस्वीरों को प्रदर्शित किया जाता है।

11.5 *विविधता और विशिष्टता का लक्ष्य*

एनसीएल ने विविधता और समावेशिता बनाए रखने के लिए अपने महिला कर्मचारियों और विकलांग कर्मचारियों को कार्य मे संलग्न करने के लिए, सभी बाधाओं को दूर करने का सर्वश्रेष्ठ प्रयास किया।

अ. **महिला सशक्तीकरण** : महिला कर्मचारियों के लिए कार्य के माहौल को अनुकूल बनाने के लिए, एनसीएल ने 15 पहल की हैं जो वर्ष 2019–20 में लागू की गई। इसमें योग, खेल, सेमिनार, कार्यशालाएं, कार्य जीवन संतुलन, आत्म जागरूकता कार्यक्रम, नेतृत्व विकास कार्यक्रम आदि एवं व्यक्तिगत कार्यक्रम जैसे कि जन्मदिन समारोह, 'महीने की उत्कृष्ट महिला कर्मचारी' को पुरस्कार आदि सभी क्षेत्रों और प्रतिष्ठानों में हर महीने आयोजित किए गए।

एनसीएल ने महिला कर्मचारियों के अपने WIPS (वुमेन इन पब्लिक सेक्टर) फोरम का भी गठन किया है जो वर्ष 2019–20 के दौरान पूरी तरह कार्यात्मक है। सभी महिला कर्मचारियों ने उत्साहपूर्वक इसकी सदस्यता के लिए नामांकन किया।

महिला कर्मचारियों के लिए कार्य जीवन संतुलन कार्यशाला

ब. **दिव्याङ्ग कर्मचारी** : कंपनी अपने दृष्टिबाधित कर्मचारियों की सुविधा के लिए आवश्यक सॉफ्टवेयर सुविधाएं प्रदान करती है। इसमें कंपनी के कार्यस्थल के साथ–साथ अन्य उपयोगी स्थानों पर रैंप, सुविधाजनक

सुलभ शौचालय एवं अन्य बाधा मुक्त सुविधाएं शामिल है। कंपनी अपने आवास आवंटन, स्थानांतरण/पदस्थापना, आदि में दिव्याङ्ग कर्मचारियों को वरीयता देती है।

स. **अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग कर्मचारी** : एनसीएल मे अनु. जाति/अनु. जनजाति/अन्य पिछड़ा वर्ग, पूर्व सैनिकों और पीडब्ल्यूडी कर्मचारियों को पदोन्नति/भर्ती में निर्धारित आरक्षण नीति को लागू किया जाता है। एनसीएल लगातार विभिन्न समूहों के व्यक्तियों को बढ़ाने के लिए प्रयासरत है। 31.03.2020 के अनुसार कुल श्रमशक्ति में कर्मचारियों की विभिन्न श्रेणियों का प्रतिनिधित्व निम्नानुसार है ::

क्र. सं.	समुदाय/समूह	दिनांक 31.03. 2019 को	% प्रतिनिधित्व	दिनांक 31.03. 2020 को	% प्रतिनिधित्व
1	अनु. जाति	2192	15.16	2407	16.73
2	अनु. जनजाति	1248	8.63	1388	9.65
3	अन्य पिछड़ा वर्ग	2304	15.94	2537	15.94
4	महिलाएं	565	3.91	544	3.78
5	पीडब्ल्यूडी	62	0.43	64	0.44
6	कुल श्रमशक्ति	14456	–	14382	–

11.6 *स्वच्छ भारत मिशन*

एनसीएल अपने परिसर और परिवेश के क्षेत्रों को साफ–सुथरा रखने के लिए पूर्णतः प्रतिबद्ध है। स्वच्छ भारत के लिए राष्ट्रीय उद्देश्य के अनुरूप, कंपनी ने सिंगरौली और सोनभद्र जिले के पर्यावरण सूचकांक को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।

श्री पी. के. सिन्हा, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, एनसीएल द्वारा शासकीय उच्चतर माध्यमिक कन्या विद्यालय, सिंगरौली में वृक्षारोपण का शुभारंभ

स्वच्छता रथ पहल

एनसीएल में स्वछता एक सतत प्रक्रिया है और इसके लिए विभिन्न प्रयास किए गए हैं जैसे, डोर टू डोर कूड़े का संग्रह, सड़कों और सड़कों के किनारे की सफाई, नाली की सफाई, कार्यालय काइजन, स्वच्छ विद्यालय अभियान, स्वच्छ अस्पताल/औषधालय, वृक्षारोपण, पानी के टैंकों की सफाई आदि।

एनसीएल स्वच्छता रथ, स्वच्छता रैलियां, नुक्कड़ नाटक, पौधों का वितरण और स्वच्छता किट, बैनर, पोस्टर, वॉल पेंटिंग, स्वच्छता प्रतियोगिता, श्रमदान, स्वच्छता प्रदर्शनियां, स्वच्छता चैंपियंस, स्वच्छता आईडोल, स्वच्छता दूत इत्यादि की पहचान और सम्मान जैसे विभिन्न नवीन अभियान गतिविधियों द्वारा अपने कर्मचारियों के साथ–साथ स्थानीय लोगों को जागरूक करने और प्रेरित करने में मुख्य भूमिका निभाता है। वर्ष 2019–20 के दौरान पूरी कंपनी में प्लास्टिक के संग्रह और जूट/कपड़े के थैले के वितरण के लिए प्लास्टिक मुक्तिधाम की पहल की गई।

प्लास्टिक मुक्तिधाम पहल, सिंगरौली

11.7 *खेलों का प्रोत्साहन और बढ़ावा*

कर्मचारियों और परिवारों के समग्र भलाई के उद्देश्य के साथ और राष्ट्रीय स्तर पर एक विशिष्ट पहचान बनाने के लिए, एनसीएल ने खेल और खेलों को अभूतपूर्व बढ़ावा दिया।

अ. **आरोहण** : खेलों में आगामी प्रतिभाओं के लिए 'आरोहण' (एनसीएल समर कैंप 2019) नामक प्रमुख मेगा स्पोर्ट्स इवेंट का आयोजन 15 मई, 2019 से 15 जून '2019' तक एक महीने के लिए किया गया। समर कैंप में 2750 बच्चों ने भाग लिया। इसे बच्चों और उनके साथ–साथ माता–पिता दोनों की जबरदस्त सकरात्मक प्रतिक्रिया मिली। शिविर में क्रिकेट, एथलेटिक्स, फुटबॉल, बैडमिंटन, वॉलीबॉल, टेबल टेनिस, कबड्डी जैसे नियमित खेल शामिल थे। वर्ष 2019–20 मे नृत्य, वाद्य और स्वर, कला और शिल्प, फोटोग्राफी, पत्रकारिता और स्केटिंग जैसे विभिन्न नए कार्यक्रमों को भी जोड़ा गया।

आरोहण समापन समारोह, निगाही क्षेत्र

ब. एनसीएल ने युवा कर्मचारियों के लिए 14 अंतर क्षेत्रीय और 03 अखिल भारतीय स्मारक प्रतियोगिताओं का आयोजन किया। वर्ष 2019–20 मे एनसीएल ने कोल इंडिया का

आरोहण के दौरान सावेदिक प्रशिक्षण

अंतर कंपनी फुटबॉल टूर्नामेंट भी आयोजित किया। एनसीएल अंतर कंपनी कबड्डी टूर्नामेंट में विजेता रहा और अंतर सब्सिडियरी फुटबॉल, बैडमिंटन (महिला) और वॉलीबॉल में उप–विजेता रहा। एनसीएल ने ऑल इंडिया पब्लिक सेक्टर एथलेटिक्स मीट और इंटर सब्सिडियरी एथलेटिक्स मीट में हैमर थ्रो और 77 किलोग्राम भारोत्तोलन में चौंपियनशिप हासिल की। एनसीएल के 15 कर्मचारी वर्ष 2019–20 में इंटर सब्सिडियरी प्रतियोगिताओ के विभिन्न खेलों में शीर्ष 3 पदों पर बने रहे।

विजय स्टेडियम, जयंत क्षेत्र

11.8 *समारोह और कार्यक्रम*

एनसीएल ने राष्ट्रीय हित, भारतीय मूल्यों और दर्शन के साथ कर्मचारियों के एकीकरण हेतु शुभ दिवस मनाने के लिए कई सार्वजनिक समारोह आयोजित किए। वर्ष 2019–20 के दौरान, निम्नलिखित महत्वपूर्ण दिवस मनाए गए :

क्र.सं.	कल्याणकारी आयोजन	दिनांक
1	गणतन्त्र दिवस	26 जनवरी, 2020
2	अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस	8 मार्च, 2020
3	अंबेडकर जयंती	14 अप्रैल, 2019
4	मई दिवस	1 मई, 2019
5	आतंकवाद विरोधी दिवस	21 मई, 2019
6	विश्व तंबाकू निषेध दिवस	31 मई, 2019
7	अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस	21 जून, 2019
8	स्वतंत्रता दिवस	15 अगस्त, 2019
9	शिक्षक दिवस	5 सितम्बर, 2019
10	गांधी जयंती	2 अक्टुबर, 2019
11	एकता दिवस	31 अक्टुबर, 2019
12	कोल इंडिया स्थापना दिवस	1 नवंबर, 2019
13	संविधान दिवस	26 नवंबर, 2019
14	एनसीएल स्थापना दिवस	28 नवंबर, 2019

11.9 *महिला मंडल*

एनसीएल के अधिकारियों की महिला समकक्ष, महिला मंडल संस्था, एनसीएल की विभिन्न पहलों को लागू करने में एक सक्रिय भागीदार रही है। इसने कौशल विकास के लिए विभिन्न कार्यक्रम आयोजित किए। महिला मंडल ने विद्यालयों में प्रस्तुतियाँ, स्कूल बैग, स्टेशनरी, कुर्सियाँ वितरित की। महिला मंडल द्वारा जरूरतमंद व्यक्तियों को कंबल, जूट बैग, सिलाई मशीन, छतरियां आदि प्रदान किया। महिला मंडल ने स्वच्छ भारत अभियान, मेडिकल कैंपस आदि के तहत स्वच्छता किट और कूड़ादान के वितरण जैसी स्वच्छता संबंधी गतिविधियों को भी सफलता पूर्वक सम्पन्न किया।

कोविड–19 के कारण स्वास्थ्य आपातकालीन स्थिति में महिला मंडल ने जरूरतमंद व्यक्तियों को मास्क, सैनिटाइजर और खाद्य सामग्री वितरित की।

11.10 *प्रणाली सुधार की पहल*

एनसीएल ने मानव संसाधन को विशिष्ट पहचान देने एवं व्यावसायिक एकीकरण हेतु कई प्रणाली सुधार पहल किए है।

अ. *मानव संसाधन ऑडिट :*

मानव संसाधन ऑडिट सिफारिशों को लागू करना एमओयू 2019–20 के मानव संसाधन मापदंडों में से एक था। एनसीएल के कार्मिक विभाग द्वारा संगठनात्मक लक्ष्यों को प्राप्त करने एवं एचआर प्रक्रियाओं की व्यवस्थित प्रगति के लिए किए गए मानव संसाधन लेखा परीक्षा की सिफारिशों को एनसीएल में सफलतापूर्वक लागू किया गया है। सिफारिशों में कल्याण, औद्योगिक संबंध, अधिष्ठापन और ऑन–बोर्डिंग, सामान्य प्रशासन आदि जैसे कर्मियों की गतिविधियों के हर क्षेत्र को शामिल किया गया। वर्ष 2019–20 में एचआर ऑडिट रिपोर्ट की कुल 34 चिन्हित सिफारिशों को लागू किया गया है।

ख. *पीसीएमएम आकलन :*

पीसीएमएम मूल्यांकन 2018–19 में आयोजित किया गया था और संगठन के कार्यबल में लगातार सुधार करने और परिपक्वता स्तर 2 को प्राप्त करने के लिए एनसीएल में पीसीएमएम मूल्यांकन की सिफारिशें लागू की गई ।

11.11 *उत्पादक और सक्रिय औद्योगिक संबंध पहल*

समावेश एनसीएल की व्यावसायिक प्रक्रिया का केंद्र है विशेषतः तब जब मामला कर्मचारियों के बारे में आता है। हमने निर्णय लेने और सर्वोत्तम औद्योगिक संबंधों के लिए ट्रेड यूनियनों के साथ साझेदारी में समावेश की संस्कृति समाहित की है।

अ. *एनसीएल में औद्योगिक संबंध :*

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड सभी कार्यरत श्रमिक संगठनो के साथ सामंजस्यपूर्ण और उत्पादक औद्योगिक संबंध रखता है। कंपनी भर में द्विपक्षीय औद्योगिक संबंध प्रक्रिया के माध्यम से हितधारकों की संतुष्टि के उच्च स्तर को सुनिश्चित किया जाता है।

प्रबंधन की सहभागी शैली को सभी स्तरों पर प्रोत्साहित किया जाता है और हमारे पास कर्मचारियों की शिकायत के साथ–साथ संगठन के उत्पादन और उत्पादकता से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा करने और संबोधित करने के लिए द्विपक्षीय बातचीत की प्रणाली भी है।

कंपनी स्तर जेसीसी मीटिंग

प्रबंधन द्वारा विभिन्न विवादों/शिकायतों को द्वि–पक्षीय चर्चाओं और आईआर बैठकों के सहभागी तरीके के माध्यम से सुलझाने के परिणाम स्वरूप पूर्ण सफलता प्राप्त हुई।

उत्पादकता और सुरक्षा में सुधार के लिए सभी परियोजनाओं की शिफ्ट टाइमिंग में बदलाव, बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम की शुरुआत, उत्पादकता सुधार योजना के लिए प्रदर्शन मापदंडों की शुरुआत, लॉकडाउन की अवधि के दौरान सामान्य उपस्थिति और उत्पादन को बनाए रखते हुए कोविड–19 के खिलाफ लड़ने के लिए विभिन्न उपायों का कार्यान्वयन, आउटसोर्सिंग सेवा प्रदाताओं को काम करना, ठेकेदार के कर्मचारियों का प्रबंधन करना, मजदूरी संशोधन को सुचारू रूप से लागू करना, प्रेरक गतिविधियाँ लागू करना आदि को श्रमिक संगठनो के समर्थन से लागू किया गया है।

11.12 *कोविड–19 के प्रसार की रोकथाम के लिए तैयारी*

मार्च 2020 में, नोवेल कोरोना वायरस (कोविड–19) की महामारी के कारण, पूरे देश को लॉकडाउन के तहत लाया गया। कोयला खनन एक आवश्यक सेवा होने के नाते हमारे कार्यबल को कोविड–19 के प्रसार से सुरक्षित रखते हुये कार्य जारी रखना महत्वपूर्ण है।

प्रबंधन यह सुनिश्चित कर रहा है कि सभी कर्मचारी कार्यस्थल पर मास्क पहने, हाथ धोएँ, मशीनों और उपकरणों के सैनिटाइजेशन और उनके उपयोग के दौरान सामाजिक दूरी के मानदंडों का पालन करें।

कर्मचारी की थर्मल स्कैनिंग

प्रबंधन ने कर्मचारियों उनके परिवारों को उनके यात्रा इतिहास के आधार पर घर/संस्थागत संगरोध (होम/इन्स्टीट्यूशनल क्वाराइंटाइन) को लागू किया। कर्मचारियों के इकट्ठा होने से बचने के लिए घर से कार्यकीय कार्य करने की अवधारणा, न्यूनतम श्रमशक्ति का उपयोग, कंपित कार्यावधि इत्यादि की प्रणाली की व्यवस्था की।

नोवेल कोरोनावायरस (कोविड–19) की महामारी से बचाव की तैयारियों के तहत, कंपनी ने पीपीई, वेंटिलेटर, ऑक्सीजन पाइप, मास्क आदि के साथ नेहरू शताब्दी चिकित्सालय में 50 प्रथक्कृत बेड तैयार किए। जयंत और अमलोरी क्षेत्रों के कल्याण मंडपों मे 150 बिस्तर वाले संगरोध घरों (क्वाराइंटाइन होम) को तैयार किया गया है।

कंपनी ने आवासीय परिसरों और आस–पास के गांवों मे धूमन (फ्यूमिगेशन) और सैनिटाइजेशन के उपाय भी किए हैं। उपरोक्त के अलावा, कंपनी ने आसपास के गांवों, दैनिक वेतन भोगियों आदि को मास्क, सैनिटाइजर और राशन किट भी वितरित किए हैं।

कार्यशाला का सैनिटाइजर

कंपनी द्वारा जिला प्रशासन के साथ निकट समन्वय में काम करने के लिए क्यूआरटी (क्विक रेसपोन्स टीम) की निगरानी मे एक नियंत्रण कक्ष की स्थापना के है जो चौबीस घंटे संचालित किया जा रहा है।

11.13 *कर्मचारी स्वास्थ्य*

कर्मचारियों का स्वास्थ्य कंपनी के स्थायी संचालन के लिए महत्वपूर्ण सफलता कारकों में से एक है। इसी प्रकार समीपवर्ती क्षेत्रों की जनसंख्या के एनसीएल पर निर्भरता के कारण स्वास्थ्य सेवा भी एक महत्वपूर्ण क्षेत्र है क्योंकि हम इस क्षेत्र के प्रमुख स्वास्थ सेवा प्रदाता हैं।

अ. एनसीएल मे कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल हेतु 150 बिस्तर वाले मल्टीस्पेशलिटी अस्पताल (नेहरू शताब्दी चिकत्सालय), 02 केंद्रीय अस्पतालों और 10 औषधालय संचालित है। 36 चिकित्सा विशेषज्ञ, 57 जीडीएमओ और 291 स्वास्थ्य कर्मचारियों द्वारा एनसीएल के कर्मचारी, उनके परिवारों और आस–पास के गांवों में चौबीसों घंटे चिकित्सा सेवाएं प्रदान की जाती है। मरीजों की देखभाल के लिए 30 बेसिक लाइफ सपोर्ट और 01 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस उपलब्ध हैं। इसके अलावा वर्ष 2019–20 के दौरान, 10 एडवांस लाइफ सपोर्ट एम्बुलेंस के क्रय की प्रक्रिया शुरू की गई है।

कंपनी ने वर्ष 2019–20 के दौरान कर्मचारी स्वास्थ्य देखभाल के अंतर्गत, बहुत गंभीर स्थिति के रोगियों के लिए एयर एम्बुलेंस सेवा की सुविधा प्रदान कर एक बड़ी सफलता हासिल की है।

ब. **रैपिड मेडिकल चेकअप कैंप** : वर्ष 2019 में, एनसीएल के सभी क्षेत्रों/इकाईयों में मेडिकल चेकअप कैंप आयोजित किए गए, जिसमें चिन्हित महत्वपूर्ण कर्मचारियों की जीवन शैली की बीमारियों जैसे बीपी, शुगर, विजन टेस्ट आदि की जाँच की गई और तदनुसार उन्हें अग्रिम इलाज के लिए सलाह दी गई। एनसीएल के सभी क्षेत्रों/इकाइयों मे इसे चरणबद्ध तरीके से आयोजित किया गया।

स. **योग शिविर** : एनसीएल के प्रत्येक क्षेत्र में योगशालाएँ स्थापित की गई हैं। कर्मचारियों और उनके परिवार के सदस्यों के लिए निःशुल्क योग शिविर का आयोजन उनके

आंतरिक ज्ञान व शरीर और दिमाग को सशक्त बनाने के लिए किया जाता है। विश्व योग दिवस पर बड़े पैमाने पर कर्मचारी एवं उनके परिवारजन शामिल हुये।

विश्व योग दिवस, एनसीएल मुख्यालय, सिंगरौली

11.14 *सामाजिक–आर्थिक योगदान*

अ) *भू–विस्थापितों हेतु रोजगार एवं पुनर्वास*

i) कंपनी ने पहले ही छह पुनर्वास स्थलों को विकसित कर चुकी है। 3 उत्तर प्रदेश राज्य (रेहटा, अम्बेडकर नगर और जवाहर नगर) में, 3 मध्य प्रदेश राज्य (चंद्रपुर, नंदगाँव और जैतपुर) में और एक अन्य नया पुनर्वास स्थल ब्लॉक–बी परियोजनामे आवश्यक नागरिक सुविधाओं के साथ तैयार किया गया है।

ii) स्थापना के बाद से 31 मार्च, 2020 तक कुल 4427 परिवारों में से 3304 परिवारों का पुनर्वास किया जा चुका है।

iii) 2019–20 में, अधिग्रहीत भूमि के एवज मे कुल 43 भू–विस्थापितों हेतु रोजगार को एनसीएल के कार्याकारी निदेशकों द्वारा अनुमोदित किया गया है। 22 भू–विस्थापितों को नियुक्ति पत्र जारी किया गया है और इनमें से 21 भू–विस्थापितों ने वर्ष 2019–20 में कंपनी मे पदभार ग्रहण कर लिया हैं।

बी) *भूमि और घर का भुगतान तथा आर एंड आर लाभ का मुआवजा*

(i) वर्ष 19–20 के दौरान 15.6548 हेक्टेयर किराए की भूमि और घर के मुआवजे का भुगतान किया जा चुका है। कुल राशि रु. 12.4024 करोड़ रुपये का वितरण किया जा चुका है ।

(ii) वर्ष 2019–20 के दौरान, एनसीएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अपनी 245वीं बैठक में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की पहली अनुसूची के अनुसार भूमि और अन्य परिसंपत्तियों के संशोधित मुआवजा के लिए सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम 1957 की धारा 9(1) के तहत एस. ओ. क्रमांक 3065 दिनांकित 20.10.2011 के माध्यम से जयंत परियोजना के प्रसार हेतु अधिग्रहित भूमि के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है। कलेक्टर, सिंगरौली द्वारा पत्र संख्या 782/भू–अर्जन/आर/20 सिंगरौली दिनांक 13.03.2020 के माध्यम से आवश्यक निर्देश जारी किए गए है, जिनके अनुसार आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

(iii) वर्ष 2019–20 के दौरान, एनसीएल बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स द्वारा अपनी 246वीं बैठक में आरएफसीटीएलएआरआर अधिनियम 2013 की दूसरी अनुसूची की अनुरूपता के साथ आर एंड आर नीति, 2012 के मौजूदा प्रावधानों के लिए स्वीकृति प्रदान की गई है और सीबीए (ए एंड डी) अधिनियम 1957 की धारा 9(1) के तहत एस. ओ. क्रमांक 3065 दिनांकित 20.10.2011 के माध्यम से जयंत परियोजना के प्रसार हेतु अधिग्रहित भूमि से प्रभावित परिवारों की मांगों पर विचार भी किया गया है। आरएंडआर लाभों के संवितरण के उद्देश्य से, जिला प्रशासन से पात्र व्यक्तियों के प्रमाणीकरण और सत्यापन के लिए संपर्क किया गया है और आवश्यक कार्रवाई की जा रही है।

12.0 राजभाषा कार्यान्वयन (राजभाषा)

12.1 नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एक मिनी रत्न कंपनी), कोल इंडिया लिमिटेड की एक सहायक कंपनी है जो कि एमपी और यूपी के क्रमशः सिंगरौली और सोनभद्र जिले में स्थित है। एनसीएल भाषा के आधार पर "क" क्षेत्र के अंतर्गत आता है, इसलिए हिंदी में 100% कार्यालयीन कार्य करना अनिवार्य है। इस कंपनी में हिंदी में काम करने के लिए अनुकूल वातावरण है और अधिकारी/कर्मचारी हिंदी में प्रभावी ढंग से काम करने के लिए आवश्यक ज्ञान और कौशल रखते हैं।

12.2 भारत के राजभाषा नियमों और विनियमों के 100% कार्यान्वयन के लिए एनसीएल ने राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जारी वार्षिक कार्यक्रम 2019–20 के अनुसार राजभाषा कार्यान्वयन के लक्ष्यों को प्राप्त करने में महत्वपूर्ण सफलता प्राप्त की है। उपर्युक्त के अनुपालन में, राजभाषा में किए जाने वाले कार्यों को गति प्रदान करने के लिए वार्षिक कार्यक्रम, राजभाषा की त्रैमासिक कार्यशालाओं का आयोजन किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन समिति की त्रैमासिक बैठक भी हुई।

12.3 'विश्व हिंदी दिवस 'और 'अंतर्राष्ट्रीय मातृभाषा दिवस' का आयोजन कॉर्पोरेट स्तर पर किया गया और इस अवसर को चिह्नित करने के लिए सेमिनार भी आयोजित किए गए।

12.4 कंपनी की उच्च स्तरीय बैठकों जैसे संयुक्त सलाहकार समिति, कल्याण बोर्ड और श्रमिक संगठनो की बैठकों में कार्यवाही हिंदी में की जाती है और बैठकों के सारवृत्त भी हिंदी में जारी किए जाते है। एनसीएल, मुख्यालय और क्षेत्र/इकाईयों के पुस्तकालय प्रख्यात लेखकों की पुस्तकों/साहित्य से समृद्ध हैं।

12.5 कंपनी के सभी 2008 कंप्यूटरों मे हिंदी में काम करने के लिए यूनिकोडकी सुविधा प्रदान की गई है। एनसीएल की वेबसाइट हिंदी और अंग्रेजी में द्विभाषी है। राजभाषा अधिनियम, 1963 की धारा 3 (3) और राजभाषा नियम, 1976 के नियम – 5 और 11 के 100% कार्यान्वयन को सुनिश्चित करने के लिए जोर दिया जाता है। केंद्र और राज्य सरकार के विभिन्न कार्यालयों के साथ हिंदी में पत्राचार किया जाता है।

12.6 परंपरा को ध्यान में रखते हुए, 'राजभाषा पखवाड़ा 'का आयोजन 14 से 28 सितंबर, 2019 तक किया गया, जिसमें अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक, एनसीएल द्वारा हिंदी में अधिकतम आधिकारिक कार्य करने और हिंदी कार्यान्वयन को गति देने के लिए अपील जारी की गई थी। पखवाड़ा के दौरान, विभिन्न प्रतियोगिताओं जैसे कि नोटिंग–ड्राफ्टिंग, हिन्दी टंकण, त्वरित भाषण,राजभाषा कार्यान्वयन पर प्रश्नोत्तरी, एनसीएल के हिंदी और गैर–हिंदी कर्मचारियों के लिए प्रश्नोत्तरीऔर स्कूलों के छात्रों के लिए निबंध लेखन प्रतियोगिता आयोजित की गई। विजेताओं और प्रतिभागियों को राजभाषा पखवाड़ा के समापन समारोह के अवसर पर नकद और सांत्वना पुरस्कार दिए गए। एनसीएल की विभिन्न परियोजनाओं में कविसम्मेलन का आयोजन किया गया जिसमें हिंदी के प्रचार–प्रसार के लिए कविताओं का पाठ किया गया था।

12.7 राजभाषा पखवाड़ा के समापन समारोह में, कृष्णशिला और बीना क्षेत्र को हिंदी में किए गए सर्वश्रेष्ठ कार्यों के लिए 'स्वर्गीय शंकर दयाल सिंह पुरस्कार योजना 'के तहत क्रमशः प्रथम व द्वितीय शील्ड और प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया।

12.8 राजभाषा के कार्यान्वयन के आकलन के लिए एनसीएल मुख्यालय के 02 विभागों में निरीक्षण किया गया। राजभाषा कार्यान्वयन को गति देने के लिए समिति द्वारा सुझाव भी दिए गए।

12.9 एनसीएलकी मासिक पत्रिका ''पैनोरमा'' हिंदी में प्रकाशित हुई और वितरित की गई।

12.10 राजभाषा की प्रगति की समीक्षा करने के लिए टीओएलआईसी (शहर की कार्यालयीन भाषा कार्यान्वयन समिति) की अर्धवार्षिक बैठक दिनांक 20 मार्च 2020 को एनटीपीसी, विंध्यनगर और 25 सितंबर 2019 को निगाही क्षेत्र में क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय (केंद्रीय), भोपाल, राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा विधिवत गठित समिति के साथ आयोजित की गई। हिंदी में प्रकाशित बैठक के सारवृत्त में, उचित कार्रवाई करने के लिए निर्देश दिए गए थे। 25 सितंबर 2019को आयोजित टीओएलआईसी की बैठक में, एनसीएल मुख्यालय के अधिकारियों को प्रश्नोत्तरी प्रतियोगिता और चित्र कहनी लेख प्रतियोगिता के लिए शील्ड और प्रशंसा पत्र से सम्मानित किया गया।

12.11 साल भर "दिन का शब्द" और "दिन का विचार" के तहत अंग्रेजी शब्दों का अर्थ हिंदी में लिखा जाता है और कर्मचारियों के बीच हिंदी में काम करने के लिए जागरूकता विकसित करने के लिए कार्यालय के प्रवेश द्वार पर उनके विचारों के साथ हिन्दी भाषातत्वज्ञ के पोस्टर प्रदर्शित किए जाते हैं।

12.12 हमने एनसीएल की सभी इकाईयों और कार्यालयों में राजभाषा कार्यान्वयन के लिए निष्ठापूर्वक प्रयास किए हैं।

13.0 चिकित्सा सेवा

13.1 नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का चिकित्सा विभाग कर्मचारियों, उनके परिवार के आश्रित सदस्यों, सेवानिवृत्त कर्मचारी (अधिकारी व कर्मचारी) पति/पत्नी के साथ, स्थानीय लोगों और आसपास के क्षेत्रों में गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले गरीब और जरूरतमंद लोगों के लिए एक समग्र स्वास्थ्य सेवा प्रदान कर रहा है। इसका उद्देश्य रोगनिरोधी, प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवा के माध्यम से कंपनी के कार्य बल को स्वस्थ और उत्पादक बनाए रखना है। इस महान कार्य को करने में, विशेषज्ञ चिकित्सक, सामान्य ड्यूटी मेडिकल अधिकारी, पैरामेडिकल स्टाफ, नर्सिंग स्टाफ, तकनीशियन और गैर–मेडिकल कर्मचारी महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

13.2 एनसीएल में तीन (03) अस्पताल हैं, जिनमे मरीजों हेतु बिस्तरों की कुल संख्या 200 है। एनएससी एनसीएल का केंद्रीय एवं मुख्य अस्पताल है जो कि जयंत में स्थित है और इसमे बिस्तरों की कुल संख्या 150 है। अन्य 02 क्षेत्रीय अस्पतालों में केंद्रीय अस्पताल, सिंगरौली में 35 और क्षेत्रीय अस्पताल बीना– कृष्णशिला अस्पताल में 15 बिस्तर हैं।

13.3 उपरोक्त सुविधाओं के अलावा, 09 परियोजनाओं में से प्रत्येक में एक (01) स्थानीय औषधालय हैं और दूधीचुआ क्षेत्र मे दो (02) औषधालय हैं।

13.4 सभी डिस्पेंसरी और अस्पतालों में मरीजों के लिए ओपीडी की सुविधा और चौबीसों घंटे आपातकालीन सुविधा है। अस्पतालों में भर्ती या विशेषज्ञ से परामर्श की आवश्यकता वाले रोगियों को एनएससी, जयंत और केंद्रीय अस्पताल, सिंगरौली में भेजा जाता है। कर्मचारियों और उनके आश्रित परिवार के सदस्यों के लिए एनएससी, जयंत या केंद्रीय अस्पताल सिंगरौली में आपातकालीन परिवहन के लिएएम्बुलेंस की सुविधा उपलब्ध है।

13.5 नेहरू शताब्दी चिकित्सालय (एनएससी), जयंत सभी परियोजना औषधालयों के लिए केंद्रीय अस्पताल के रूप में कार्यरत हैं जो चौबीसों घंटे, वर्ष में 24×7 और 365 दिन

नेहरू शताब्दी चिकित्सालय, जयंत

एनसीएल के चिकित्सकों द्वारा एन.एस.सी. जैन ओटी में सल्य चिकित्सा

स्वास्थ्य सेवा प्रदान करता हैं और चिकित्सा के कुछ विषयों में प्राथमिक, द्वितीयक और तृतीयक स्वास्थ्य सेवाएँ प्रदान करता हैं। निकटवर्ती पीएसयू (एनटीपीसी) अस्पतालों, जिला अस्पताल, पीएचसी, एमपीईबी, यूपीएसईबी, हिंडाल्को अस्पताल, रिलायंस पावर आदि से भी मरीजों को एनएससी में इलाज हेतु भेजा जाता है।

प्रसूति और स्त्री रोग, बाल रोग, हड्डी रोग, नेत्र, ईएनटी, दंत चिकित्सा, त्वचा विज्ञान नियमित रूप से ओपीडी में उपलब्ध रहते हैं। पैथोलॉजी विभाग में अधिकांश आवश्यक और अनिवार्य जाँच की जाती है। ब्लड बैंक की सुविधा भी उपलब्ध है। रेडियोलॉजी विभाग में एक्स–रे, अल्ट्रासोनोग्राफी, सीटी स्कैन, एमआरआई स्कैन और रंगीन डॉपलर की सुविधाएं उपलब्ध हैं। चिकित्सा विभाग में ईसीजी, ईईजी, टीएमटी, इकोकार्डियोग्राफी, होल्टर मॉनिटरिंग, पीएफटी की सुविधा भी उपलब्ध है। क्रोनिक किडनी रोगों से पीड़ित रोगियों के लिए, चार (04) हेमोडायलिसिस मशीनों के साथ सीएपीडी की सुविधा भी उपलब्ध है। अन्य विशिष्ट सुविधाएं यानी डायग्नोस्टिक एंडोस्कोपी, कोलोनोस्कोपी, वेंटीलेटर के साथ सीसीयू, मल्टीपेरा मॉनिटर, नेब्युलाइजर, डिफिब्रिलेटर, एनआईसीयू, लेबर रूम, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, डायबिटिक फुट केयर क्लिनिक, हाइपरटेंशन क्लिनिक, वेलनेस सेंटर और डाइट काउंसलिंग उपलब्ध हैं। आपातकालीन चिकित्सा विभाग को 24 घंटे आपातकालीन सेवाएं प्रदान करने के लिए एक अलग इकाई के रूप में बनाया गया है। आर्थोस्कोपिक सर्जरी की सुविधा हाल ही में जोड़ी गई है। गुर्दे की पथरी के रोगियों के लिए एनएससी में लिथोट्रिप्सी मशीन लगाई गई है जो सीआईएल में अपनी तरह की अनोखी है। यूरोडायनामिक अध्ययन भी उपलब्ध है।

13.6 **मधुमेह औषधालय तथा कल्याण केंद्र** : जीवन शैली की बीमारियों की बढ़ती हुई घटनाओं के कारण एनएससी और केन्द्रीय चिकित्सालय, सिंगरौली में एक कल्याण औषधालय स्थापित किया गया है। यहां मरीजों का इलाज किया जाता है और मधुमेह के फूट केयर, किडनी और आंखों की देखभाल के लिए परामर्श दिया जाता है। आहार, जीवन शैली और व्यावसायिक रोगों के लिए नियमित परामर्श यहां किया जा रहा है।

13.7 फिजियोथेरेपी और पुनर्वास उपचार का आवश्यक और अभिन्न अंग है, खासकर चोट और सर्जरी के बाद। अच्छी तरह से सुसज्जित फिजियोथेरेपी विभाग एनएससी, जयंत और केंद्रीय अस्पताल, सिंगरौली में कार्यरत है। वर्ष 2019–20 में, इन केंद्रों पर कुल 8276 व्यक्तियों का इलाज किया गया है।

13.8 *प्रमुख निष्पादन – सामान्य शल्य प्रक्रियाएं*

मेजर सर्जरी			माइनर सर्जरी		
	2018-19	**2019-20**		**2018-19**	**2019-20**
सामान्य सर्जरी	457	471	सामान्य सर्जरी	547	405
ओर्थोपेडिक्स	229	248	ओर्थोपेडिक्स	50	76
नेत्र	309	369	नेत्र	15	60
ईएनटी	48	37	ईएनटी	5	20
स्त्री रोग व प्रसूति	222	141	स्त्री रोग व प्रसूति	6	9
कुल	**1265**	**1266**	**कुल**	**623**	**570**

13.9 *प्रमुख निष्पादन – विशेष गतिविधियाँ*

	2018-19	**2019-20**		**2018-19**	**2019-20**
डायलिसिस इकाई			**गैर इनवेसिव कार्डियक लैब**		
हीमोडाय–लिसिस	1178	1252	कलर डॉप्लर के साथ इको–कार्डिओग्राफी	1245	1385
सीएपीडी	35	23	टीएमटी	328	377
रेडियोलोजी			एचओएलटी ईआरएस	27	41
सीटी स्केन	1083	1460	ईईजी	83	100
एमआरआई	494	427	सीसीयू एंड एनआईसीयू	1268	1656
यूएसजी	9582	9078	एंडोस्कोपी	213	238

13.10 *प्रमुख निष्पादन दृबाह्य रोगी विभाग और आंतरिक गतिविधियाँ*

वित्त वर्ष हेतु एनसीएल के अस्पताल			**2018-19**	**2019-20**
नेहरू शताब्दी चिकित्सालय	ओपीडी मामले	पात्र	130278	148951
		गैर–पात्र	68320	72476
		कुल	**198598**	**221427**
	आंतरिक भर्ती	पात्र	5430	6242
		गैर–पात्र	8496	8912
		कुल	**13926**	**15154**
केंद्रीय चिकित्सालय, सिंगरौली	ओपीडी मामले	पात्र	32142	29331
		गैर–पात्र	9314	8068
		कुल	**41456**	**37399**
	आंतरिक भर्ती	पात्र	575	511
		गैर–पात्र	561	521
		कुल	**1136**	**1032**
बीना चिकित्सालय	ओपीडी मामले	पात्र	64942	65478
		गैर–पात्र	155	502
		कुल	**65097**	**65980**
	आंतरिक भर्ती	पात्र	248	353
		गैर–पात्र	20	45
		कुल	**268**	**398**
अन्य औषधालय	ओपीडी मामले	पात्र	232710	228458
		गैर–पात्र	4544	6941
		कुल	**237254**	**235399**
ओपीडी मामलों का महायोग			**542405**	**560205**
आंतरिक भर्ती का महायोग			**15330**	**16584**

13.11 *वर्ष 2019–20 मे एनएससी मे बिस्तर अधिग्रहित दर का महीना के अनुसार प्रतिशत (कुल बिस्तर –150)*

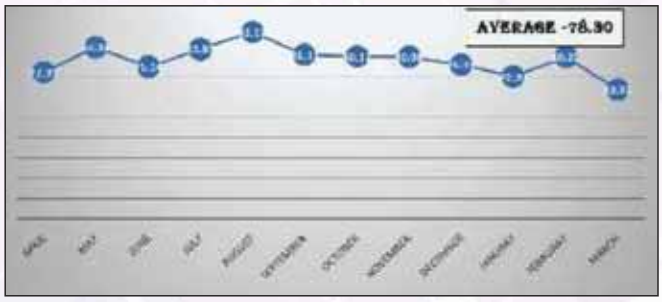

13.12 एनसीएल कर्मचारियों के पीएमई (आवधिक चिकित्सा परीक्षण) परियोजना औषधालयों और एनसीएल के क्षेत्रीय अस्पतालों में किए जाते हैं। आईएमई (आरंभिक चिकित्सा परीक्षण) और पीएमईको 11 वीं सुरक्षा समिति की अनुशंसा के अनुसार किया जाता है। यह निर्णय लिया गया कि एनसीएल की कुल श्रमशक्ति के 1/5 वें भाग के लिए आवधिक चिकित्सा परीक्षण (पीएमई) की जानी है।

वर्ष	**लक्ष्य**	**सम्पन्न हुआ**	**प्राप्ति**
2018	2900	3775	130 %
2019	2880	3524	115 %

संविदाकर्मियों के रोजगार पूर्व आईएमई (आरंभिक चिकित्सा परीक्षण) को परियोजना औषधालयों/क्षेत्रीय अस्पतालों में किया जा रहा है।

वर्ष	आईएमई
2018	2619
2019	2828

13.13 *सम्मेलन :*

- दो दिवसीय अंतर सब्सिडियरी स्तर सम्मेलन, (कोल इंडिया स्तर), NOMECON–2019, 23–24 नवंबर 2019 के बीच एनएससी द्वारा आयोजित किया गया था। विषयों में न्यूमोकोनियोसिस और व्यावसायिक स्वास्थ्य पर कार्यशाला, चिकित्सा विज्ञान में हालिया प्रगतियों पर उन्नत सीएमई (सतत चिकित्सा शिक्षा), जीवन शैली रोगों के लिए बेसिक लाइफ सपोर्ट इनपुट (मूलभूत जीवन समर्थन निविष्ट) आदि शामिल हैं ।
- ट्रामा और क्रिटिकल केयर में दिनांक 30/6/2019 को एक कार्यशाला आयोजित की गई थी। इसमें 135 डॉक्टरों और पैरामेडिकल स्टाफ ने भाग लिया था।
- पैरामेडिकल स्टाफ का सम्मेलन। एनसीएल के फार्मासिस्टों का एक सम्मेलन 17 नवंबर 2019 को आयोजित किया गया था। जिला अस्पताल, एनटीपीसी शक्तिनगर और विंध्यनगर के अस्पतालों और एलएएनसीओ अस्पताल और हिंडाल्को अस्पताल के आसपास के अस्पतालों के फार्मासिस्टों ने भी कार्यक्रम में भाग लिया।

13.14 **सतत चिकित्सा शिक्षा (सीएमई)** कार्यक्रम नियमित रूप से एनएससी, जयंत में आयोजित किए जा रहे हैं। भारत के प्रतिष्ठित अस्पतालों से चिकित्सा के विभिन्न विषयों के विशेषज्ञों को व्याख्यान देने और चिकित्सा विज्ञान के विभिन्न नवीनतम विषयों और तकनीकों पर कार्यशाला आयोजित करने के लिए आमंत्रित किया जाता है। एनसीएल और बाहरी संकायों के चिकित्सक भी चिकित्सा हितों के विभिन्न विषयों पर व्याख्यान देते हैं।

वित्त वर्ष 2018–19 में प्रत्येक 2 घंटे की अवधि वाले कुल 16 सीएमई कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें से 08 सीएमई कार्यक्रम बाह्य संकायों द्वारा आयोजित किए गए थे। वित्त वर्ष 2019–20 में प्रत्येक 2 घंटे की अवधि वाले कुल 12 सीएमई कार्यक्रम आयोजित किए गए जिनमें से 08 सीएमई कार्यक्रम बाह्य संकायों द्वारा आयोजित किए गए थे।

13.15 **गरीब और जरूरतमंद मरीजों की इलाज लागत में छूट** : वित्त वर्ष 2018–19 में एनसीएल की सीएसआर नीति के तहत 35 गरीबों और जरूरतमंद मरीजों के इलाज पर खर्च मे कुल 3,18,393.70 रुपये की राशि की छूट दी गई। वित्त वर्ष 2019–20 में 34 गरीबों और जरूरतमंद मरीजों के इलाज पर खर्च मे कुल 4,36,990. 80 रुपये की राशि की छूट दी गई ।

13.16 **दिनांक 1 जुलाई, 2013 से एनएससी, जयंत में एक केंद्रीकृत रेफरल और सीपीआरएमएसई (CPRMSE)/ सीपीआरएमएसएनई (CPRMSNE) प्रकोष्ठ** ने काम करना शुरू कर दिया। यह प्रकोष्ठकोल इंडियाकी सूचीबद्ध अस्पतालों के बिलों को सीजीएचएस दरों के अनुसार मंजूरी दे रहा है, जहाँ हमारे रोगियों को तृतीयक देखभाल के लिए भेजा जाता है। सीपीआरएमएसके तहत सीआईएल/एनसीएलके सेवानिवृत्त कर्मचारियों और उनके जीवनसाथी के ओपीडी/इनडोर उपचार के दावों की देखभाल इस प्रकोष्ठ द्वारा की जाती है। इसके गठन के बाद से, 763 सेवानिवृत्त अधिकारी और 664 सेवानिवृत्त कर्मचारी सीआईएल के सीपीआरएमएस का लाभ उठा रहे हैं। भुगतान सीधे सूचीबद्ध अस्पतालों और सेवानिवृत्त कर्मचारियों को ऑनलाइन किया जाता है।

13.17 **सामाजिक निगमित दायित्व (सभी अस्पताल और औषधालय)** : एनसीएल नियमित रूप से एनसीएल के आसपास के गांवों में रहने वाले समाज के गरीब और कमजोर वर्ग के लिए विभिन्न स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन करता है, जो निःशुल्क है। शिविर पूरे वर्ष आयोजित किए गए थे। इन शिविरों में कुछ प्रसिद्ध चिकित्सक और सर्जन, प्लास्टिक सर्जन, ऑन्कोलॉजिस्ट, नेफ्रोलॉजिस्ट, कार्डियोलॉजिस्ट, यूरोलॉजिस्ट, ईएनटी विशेषज्ञ जैसे कि सीआईएल के सूचीबद्ध अस्पतालों जैसे मैक्स हॉस्पिटल, नई दिल्ली; एम्स, फरीदाबाद; यशोदा अस्पताल, हैदराबाद और आईएमएस , बीएचयू , वाराणसी जैसे संस्थानों ने सिंगरौली के स्थानीय लोगों के लिए अपनी सेवाएँ दी। प्रत्येक परियोजना औषधालय अपनी स्वयं की सीएसआर औषधालय चला रही है, जहां नियमित बाह्य रोगी विभाग में गरीब मरीजों के लिए मुफ्त चिकित्सा परामर्श दिया जाता है।

एक डिस्पेंसरी ऑन व्हील्स (मोबाइल मेडिकल वैन) सिंगरौली के पास के गांवों की आवश्यकता को पूरा कर रही है। इन दौरों का कुल मिलाकर खर्चवित्त वर्ष 2018–19 और 2019–20 मे क्रमशः 86,530.62 तथा 85,561.48 रूपये था।

13.18 ***वर्तमान वित्त वर्ष 2019–20 के लिए सीएसआर के तहत गतिविधियाँ इस प्रकार हैं–***

डिस्पेंसरी ऑन व्हील्स के दौरे सहित एनसीएल में सीएसआर के तहत चिकित्सा शिविर आयोजित किए गए। इनके अलावा, पूरे वर्ष विभिन्न जागरूकता शिविरों का आयोजन किया गया। सीएसआर कैम्प का विवरण निम्न तालिका में दिया गया है :

वर्ष	डिस्पेंसरी ऑन व्हील्स		सीएस–आर कैंपों में संख्या	कैंपों की सीएस–आर लाभा–र्थियों की संख्या	नियमित ओपीडी में सीएस आर लाभा–र्थियों की संख्या	सीएस –आर व्यय (एनएस –सी)
	कुल दौरों की संख्या	कुल लाभा–र्थियों की संख्या				
2018-19	16	680	106	19356	16590	41 लाख
2019-20	18	719	92	12475	18180	259.13 लाख (एएल आई एम सीओ सीएस आर सहित)

13.19 **परिवार कल्याण** : निम्नलिखित आंकड़ों में सभी पात्र और गैर–पात्र मामले शामिल हैं।

वर्ष	सामान्य प्रसव	एलएससीएस	आईयूसीडी	महिला नसबंदी
2018–19	1405	946	160	361
2019–20	1002	957	94	196

13.20 **दवाएं/शल्यक वस्तु निम्न के माध्यम से खरीदे जाते हैं :**

खरीद का माध्यम	कुल आदेश मूल्य	आदेश प्राप्त	शेष
दर अनुबंध	34518751.18	22972193.29	11546557.89
गैर आरसी	2252204.08	1545902.27	706301.81
सीएसआर आरसी	00	00	00
सीएसआर गैर आरसी	00	00	00
जीईएम पोर्टल	7886756.97	7886756.97	00
कुल	4,46,57,712.23	3,24,04,852.53	1,22,52,859.70

13.21 ***एनएससी की उपलब्धियां :***

अ. एचएलएल एचआईटीईएस द्वारा एनएससी के 150 से 250 बिस्तरों के उन्नयन के लिए ईपीआर प्रस्तुत किया गया है।

ब. केंद्रीकृत एयर कंडीशनिंग का कार्य प्रक्रियाधीन है जिसका 75% कार्य पूरा हो गया है।

स. एनएससी, जयंत को क्रिटिकल केयर मेडिसिन में सुपर स्पेशियलिटी कोर्स (पोस्ट पीजी) में 2 सीटों के लिए डिप्लोमैट ऑफ नेशनल बोर्ड्स (डीएनबी) द्वारा मान्यता प्राप्त है। निरीक्षण के बाद सर्जरी के लिए प्रत्यायन अभी भी प्रतीक्षित है।

द. एनएससी, जयंत और केंद्रीय अस्पताल, सिंगरौली को आयुष्मान भारत के लिए पंजीकृत और सूचीबद्ध किया गया है।

इ. एनएससी में जनऔषधि केंद्र (दुकान) का निर्माण किया गया है। दुकान आवंटन के लिए शीघ्र ही निविदा मंगाई जाएगी।

च. एनएससी में नवजात शिशुओं की देखभाल के लिए पांच ओपन केयर सिस्टम की नियोनेटल केयर यूनिट–अधिष्ठापन का उन्नयन किया गया है।

छ. एनसीएल के विभिन्न अस्पतालों और औषधालयों के लिए 12 एएलएस एम्बुलेंस के क्रय/किराये पर रखने के लिए प्रस्ताव प्रक्रियाधीन है।

ज. बीना कृष्णशिला अस्पताल का विलय हो गया और इसका उन्नयन प्रक्रियाधीन है।

झ. बीना में प्राथमिक चिकित्सा कार्यक्रम का आयोजन सफलतापूर्वक किया गया।

13.22 ***राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रमरू सरकार द्वारा प्रायोजित राष्ट्रीय स्वास्थ्य कार्यक्रम एनसीएलमें भी चल रहे हैं जैसे :***

अ. रिवाइज्ड नेशनल ट्यूबर्कुलोसिस कंट्रोल प्रोग्राम (आरएनटीसीपी)।

ब. एचआईवी हेतु इंटीग्रटेड काउंसलिंग और टेस्ट सेंटर (आईसीटीसी)।

स. टीकाकरण पर सार्वभौमिक कार्यक्रम।

द. अंधापन नियंत्रण कार्यक्रम।

इ. राष्ट्रीय परिवार कल्याण कार्यक्रम।

13.23 ***दिनांक 31/03/2020 तक एनसीएल अस्पतालों में कोविड–19 की तैयारी :***

कोविड–19 की आपदा से उत्पन्न वर्तमान स्थिति के मद्देनजर महामारी से लड़ने की हमारी तैयारी इस प्रकार है–

i. नोडल अधिकारी– डॉ. विनोद कुमार, मेडिसिन स्पेशलिस्ट

ii. म.प्र. राज्य सरकार द्वारा नोडल अधिकारी का प्रशिक्षण। एनसीएल और पैरा–मेडिकल्स स्टाफ के सभी डॉक्टर नोडल अधिकारी द्वारा प्रशिक्षित किया गए ।

iii. कोरोना के प्रयोगशाला परीक्षण के लिए जिला अस्पताल सिंगरौली (म.प्र.) और जिला अस्पताल रॉबर्ट्सगंज (उ.प्र.) के साथ संपर्क करना।

iv. एनएससी, जयंत में पृथकृत वार्ड में पचास बिस्तर। चिन्हित कोविड रोगियों के लिए अलग प्रवेश और निकास बिंदुओं के साथ समर्पित खंड।

v. कोविड रोगियों के परिवहन के लिए समर्पित बीएलएस एम्बुलेंस।

vi. कोविड रोगियों के लिए समर्पित आईसीयू बिस्तरों की संख्या–2

vii. एनएससी में आईसीयूमें बिस्तरों की कुल संख्या–10

viii. एनएससी, जयंत में कफ कोल्ड फीवर स्क्रीनिंग क्लीनिक चल रहा है।

ix. डॉक्टरों और पैरा–मेडिकल्स स्टाफ हेतु ड्यूटी रोस्टर तैयार किया गया है ।

x. संगरोध केंद्र– एनसीएल के विभिन्न केंद्रों पर बिस्तरों की कुल संख्या 150 है ।

क्र.	क्षेत्र	बिस्तर
1.	केंद्रीय चिकित्सालय सिंगरौली, सिंगरौली, म.प्र.	03
2.	बीना कृष्णशिला अस्पताल, बीना, उ.प्र.	02
3.	कल्याण मंडपम, जयंत, म.प्र.	45
4	खेल अकादमी, जयंत, म.प्र.	50
5.	कल्याण मंडपम, अमलोरी, म.प्र.	50

14.0 सतर्कता विभाग की गतिविधियाँ

14.1 ***सतर्कता सेट अप***

(ए) नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में स्थापित सतर्कता का नेतृत्व भारत सरकार द्वारा नियुक्त एक निदेशक स्तर के अधिकारी मुख्य सतर्कता अधिकारी करते हैं। 13 (तेरह) विभिन्न विषयों से संबंधित अधिकारी, जिसमें महाप्रबंधक (एमएम/सतर्कता) भी शामिल हैं, सतर्कता विभाग की गतिविधियों को पूरा करने में मुख्य सतर्कता अधिकारी की सहायता करते हैं। सतर्कता विभाग में चार वरिष्ठ कार्मिक सहायक और 1 लिपिक भी पदस्थापित किए गए हैं।

(बी) भ्रष्टाचार प्रवण क्षेत्र ध्यानाकर्षण का केंद्र होते हैं। इन क्षेत्रों में कोई भी निवारक या दंडकारी कार्रवाई पूरे संगठन पर एक प्रदर्शनकारी और गुणक प्रभाव प्रदर्शित करता है।

14.2 ***सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 का अनुपालन :***

i) **सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 का अनुपालन** : केंद्रीय सतर्कता आयोग के परिपत्र सं. 019/वीजीएल/029, दिनांक 02.08.2019 के निर्देशों के अनुपालन हेतु नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली में 28.10.2019 से 03.11.2019 तक मनाया गया था।

ii) वास्तव में, इस वर्ष जागरूकता अभियान नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली द्वारा सिंगरौली के इलाकों में अक्टूबर, 2019 के पूरे महीने में सामूहिक प्रतीक्षा के साथ शुरू किया गया और सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के साथ समाप्त हो गया। सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 के दौरान, बैनर और पोस्टर एनसीएल कार्यालय के प्रमुख स्थानों और सिंगरौली में प्रदर्शित किए गए थे।

iii) सतर्कता जागरूकता का संदेश फैलाने के लिए, सतर्कता जागरूकता दौड़ एनसीएल की सभी क्षेत्रों और मुख्यालय कार्यालय, सिंगरौली में आयोजित किया गया था, जिसमें विद्यालय के साथ–साथ कर्मचारियों ने भी संदेश प्रेषण में भाग लिया।

iv) सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 के अनुपालन में, 28.10.2019 को सुबह 10:30 बजे सीएमडी कार्यालय परिसर में शपथ लेने का समारोह शुरू हुआ। इस अवसर पर श्री पी के सिन्हा, अध्यक्ष–सह–प्रबंध–निदेशक, नॉर्दर्न कोल फील्ड लिमिटेड श्री गुणाधर पाण्डेय, निदेशक (तकनीकी/संचालन), श्री नागनाथ ठाकुर, निदेशक (वित्त), श्री प्रियरंजन कुमार, महाप्रबंधक (का./सतर्कता) विभागाध्यक्ष, विभिन्न विभागों के महाप्रबंधकों के साथ मुख्यालय के अधिकारी और कर्मचारी मौजूद थे। शपथ ग्रहण समारोह बाद, भारत के उपराष्ट्रपति और मुख्य सतर्कता आयुक्त के संदेश को पढ़ा गया। इस वर्ष सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाने का विषय "भ्रष्टाचार मिटाएँ : नया भारत बनाएँ" था।

v) इसी तरह, सतर्कता जागरूकता सप्ताह–2019 का पालन एनसीएल के विभिन्न क्षेत्रों में प्रतिज्ञा और संदेश को पढ़ने से शुरू किया गया था, जो निम्नानुसार हैं : 1 अमलोरी क्षेत्र, 2 निगाही क्षेत्र, 3 जयंत क्षेत्र, 4 दुधिचुआ क्षेत्र, 5 खडिया क्षेत्र, 6 कृष्णाशिला क्षेत्र, 7 बीना क्षेत्र, 8 ककरी क्षेत्र, 9 झिंगुरदा क्षेत्र, 10 ब्लॉक–बी क्षेत्र, 11 नेहरू शताब्दी चिकित्सालय, जयंत 12 केंद्रीय कार्यशाला / केंद्रीय स्टोर और एकीकृत जल आपूर्ति प्रणाली, खडिया।

vi) सतर्कता जागरूकता सप्ताह – 2019 का उद्घाटन दिवस समारोह 28.10.2019 को सुबह 11:00 बजे केंद्रीय उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान में आयोजित किया गया, जहाँ कंपनी के निदेशक मौजूद थे।

vii) सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 के उद्घाटन समारोह में वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के साथ सभी क्षेत्र महाप्रबंधक उपस्थित थे। श्री प्रियरंजन कुमार, महाप्रबंधक (सतर्कता / कार्मिक) ने मेहमानों का स्वागत किया और ईमानदारी : जीवन की एक शैली पर अपने विचार व्यक्त किए।

viii) इस अवसर पर भ्रष्टाचार को रोकने और मुकाबला करने के लिए एनसीएल से संबंध विशेष रुप से निजी क्षेत्र के कॉर्पोरेट / फर्म ईमानदारी प्रतिज्ञा को प्रशासित किया गया है। सीवीसी के निर्देशों के अनुसार नागरिक प्रतिज्ञा भी पेश की गई थी।

ix) ई–प्लेज की अवधारणा को सीवीसी अवधारणा के निर्देशों के अनुसार लागू किया गया है। सत्यनिष्ठा प्रतिज्ञा से जुडने के लिए एनसीएल (www.ncl.cil.in) की वेबसाइट में एक लिंक प्रदान किया गया है। नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली के सभी क्षेत्रों और इकाईयों में इसके लिए एक अभियान चलायी गई थी।

x) वेंडरमीट (विक्रेता मिलन) का आयोजन 30.10.2019 को ऑफिसर्स क्लब, एनसीएल, सिंगरौली में मुख्यालय कार्यालय में किया गया था, जिसमें सौ से अधिक विक्रेताओं ने भाग लिया और अपनी शिकायतों को प्रस्तुत किया। इसी कड़ी में विक्रेताओं की बैठक एनसीएल की क्षेत्र में भी आयोजित की गई थी जिसका नेतृत्व महाप्रबंधक / क्षेत्रों के प्रमुख ने किया था।

xi) 28.10.2019 से 02.11.2019 तक सतर्कता जागरूकता, निविदाएँ, जेम पोर्टल, ई खरीददारी, पी सी अधिनियम और मूल्य एवं नैतिकता आदि विषयों पर कई प्रशिक्षण – कार्यक्रम सीईटीआई में आयोजित की गईं जिसमें आंतरिक एवं बाह्य संकायों ने अपने बहुमूल्य विचार प्रकट किए।

xii) बाह्य गतिविधियों (बीना, उज्जैन) के लिए सीवीसी के निर्देशों के अनुसार 10 बाहरी स्कूल / कॉलेजों का चयन किया गया है। सप्ताह के दौरान प्रत्येक शहर के तीन कॉलेजों और दो स्कूलों में आयोजित वाद विवाद और निबंध लेखन प्रतियोगिता की गई थी। प्रत्येक स्कूल / कॉलेज में प्रत्येक प्रतियोगिता में प्रथम, दूसरे और तीसरे स्थान धारकों को पुरस्कार वितरित किए गए थे।

xiii) सतर्कता जागरूकता सप्ताह 2019 का समापन अधिकारी क्लब, एन सी एल मुख्यालय में 12.11.2019 को आयोजित हुआ, जिसके मुख्य अतिथि श्री पी.के. सिन्हा, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक थे।

xiv) सतर्कता जागरूकता सप्ताह के दौरान एनसीएल दौरान किए गए विभिन्न गतिविधियों को व्यापक रूप से प्रेस द्वारा कवर किया गया था।

14.3 ***सुधार किए गए व्यवस्था :***

(1) एनसीएल के सतर्कता विभाग ने व्यवस्था को सुधारने के लिए कई पहल किए हैं। निम्न में से कुछ महत्वपूर्ण है एसओपी (स्टैंडर्ड ऑपरेटिंग सिस्टम) वयवस्था सुधार के लिए निम्न है :

(i) बिल ट्रैकिंग वयवस्था के लिए एसओपी।

(ii) रेल एवं रोड वेब्रिज के परिचालन एवं रखरखाओ के लिए एसओपी।

(iii) ठेकेदार के टिप्पर के माध्यम से कोयले के परिवहन के लिए एसओपी।

(iv) सिविल अभियांत्रिकी कार्य के लिए एसओपी।

(v) डीजल वितरण इकाई के लिए एसओपी।

14.4 **ओडीआई सूची** : ओडीआई सूची तैयार की गई है।

14.5 **संवेदनशील पदों से अधिकारियों का क्रमावर्तन (अदला बदली)** : संवेदनशील पदों पर काम करने वाले अधिकारी नियमित रूप से स्थानांतरित किए जा रहे हैं। वर्ष 2019–20 में संवेदनशील पदों से स्थानांतरित अधिकारियों की संख्या 67 है ।

14.6 **सतर्कता जागरूकता में आयोजित प्रशिक्षण पाठ्यक्रम** : वित्तीय वर्ष 2019–20 में, जागरूकता जैसे विषयों पर 60 अधिकारियों को कवर करने के लिए 02 प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए गए।

14.7 **निलंबित अधिकारियों की संख्या** : शून्य

14.8 **निगरानी और जांच :**

(ए) *रिपोर्ट की अवधि के दौरान जांच के लिए जोड़े गए मामलों की संख्या*

01.04.2019 तक प्रारंभिक शेष	02
जांच के लिए अवधि के दौरान जोड़े गए मामलों की संख्या	07
अवधि के दौरान विस्थापित	03
शेष बकाया 31.03.2020 को	06

(बी) *रिपोर्ट की अवधि के दौरान विभागीय जांच के तहत मामलों की संख्य*

विभागीय पूछताछ के तहत मामले की संख्या (01.04.2019 तक प्रारंभिक शेष)	03
अवधि के दौरान निर्णित	00
विभागीय पूछताछ के तहत जुड़े मामले की संख्या	01
शेष (31.03.2020 को)	02

(सी) **निरीक्षण** : कुल 43 औचक निरीक्षण / नियमित निरीक्षण विचाराधीन अवधि में किए गए थे।

14.9 **दंडात्मक सतर्कता**

चार्जशीट जारी		जुर्माना लगाया							
मामूली दंड प्रक्रिया (नियम 31 के तहत)	प्रमुख दंड प्रक्रिया (नियम 29 के तहत)	बर्खास्तगी / हटाना	लोअर रैंक में किया गया	निम्न वेतन के चरण में करना	वेतन वृद्धि का स्थगन / रोक	प्रमोशन पर रोक	निंदा	अन्य (सावधानी चेतावनी आदि)	कोई कार्रवाई नहीं (एक्सॉन रेशन)
04	शून्य	01	शून्य	02	शून्य	शून्य	05	03	01

14.10 **शिकायतों का ऑनलाइन पंजीकरण** : ऑनलाइन शिकायतें एनसीएल की वैबसाइट www.nclcil.in दर्ज की जा सकती हैं !

15.0 कंप्यूटरीकरण / डिजिटलीकरण

15.1 ***कोलनेट :***

कोलनेट, एक ईआरपी पैकेज, कोयला मंत्रालय, कोयला इंडिया लिमिटेड और इसकी अनुषगी कंपनियों, क्षेत्रों, कोलियरियों के माध्यम से सूचना के संग्रह और प्रसार के माध्यम से व्यापार कार्यात्मकताओं को एकीकृत करने के लिए विकसित एक एकीकृत एप्लिकेशन सॉफ्टवेयर पैकेज को दो चरणों में मेसर्स ईसीआईएल, हैदराबाद के द्वारा नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में कार्यान्वित किया गया है। सभी मॉड्यूल अर्थात् कार्मिक सूचना प्रणाली और पेरोल, एफआईएस (वित्त सूचना प्रणाली) बिल ट्रेकिंग प्रणाली सहित, बिक्री, उत्पादन, सामग्री प्रबंधन और उपकरण रखरखाव को कार्यान्वित किया गया है। मार्च–2018 के महीने में सभी मॉड्यूल को लागू कर दिया गया और सभी परियोजनाओं को सौंप दिया गया है और तब से कोलनेट के सभी मॉड्यूल सुचारु रूप से कार्यरत हैं।

15.2 ***ओआईटीडीएस (ऑपरेटर स्वतंत्र ट्रक डिस्पैच सिस्टम) :***

जीपीएस आधारित ओआईटीडीएस, जो वास्तविक समय के आधार पर दोनों ड्रैगलाइन और सावल–डम्पर संयोजन के संचालन की निगरानी करता है, 5 परियोजनाओं में अर्थात् जयंत, अमलोरी, खडिया, दुद्धीचुआ और निगाही में संचालित हैं। जयंत परियोजना में ओआईटीडीएस मेसर्स सीएमसी लिमिटेड, कोलकाता (वर्तमान में मेसर्स टीसीएस द्वारा अधिग्रहित) द्वारा निष्पादित किया गया था और 2002 से कार्यात्मक है। अमलोरी, खडिया, दुद्धीचुआ और निगाही परियोजनाओं में, ओआईटीडीएस को मेसर्स लाइका जिओसिस्टम प्राइवेट लिमिटेड द्वारा 2014 / 15 में निष्पादित किया गया था। यह सिस्टम डम्पर्स के आवागमन को ट्रैक करता है और शोवेलों और ड्रैगलाइन के संचालन पर नजर रखता है, ओबी की मात्रा रिकॉर्ड करता है और उपकरण के महत्वपूर्ण मानकों पर नजर रखता है।

15.3 ***ऑन लाइन फाइल ट्रेकिंग सिस्टम :***

एनसीएल द्वारा ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग सिस्टम विकसित किया गया है जो एनसीएल के लैन नेटवर्क में काम करता है। यह प्रणाली एनसीएल मुख्यालय में 2013 के बाद से उपयोग में है और परियोजनाएं नवंबर 2014 से उपयोग कर रही हैं।

15.4 ***बायोमेट्रिक उपस्थिति :***

एनसीएल ने अगस्त 2013 में एनसीएल मुख्यालय, सीईटीआई और केन्द्रीय अस्पताल में अधिकारी और गैर–अधिकारी दोनों कर्मचारियों के लिए बॉयोमीट्रिक आधारित उपस्थिति प्रणाली तैनात की है। इस प्रणाली को मेसर्स फोर्चुना इम्पेक्स, कोलकाता ने कमीशन किया था। यह प्रणाली वर्तमान में मुख्यालय में कार्यात्मक है।

एनसीएल के सभी क्षेत्रों, केंद्रीय कार्यशालाओं, जयंत और एनसीएल की अन्य सभी सहायक इकाइयों में, ठेकेदार/विक्रेता अपने कर्मचारियों/मजदूरों के साथ केवल बायोमेट्रिक सिस्टम के माध्यम से अपनी उपस्थिति को दर्ज कर रहे हैं।

कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) द्वारा दिए गए आदेश के अनुसार सभी परियोजनाओं और इकाइयों में आधार आधारित बायोमेट्रिक उपस्थिति प्रणाली को कार्यान्वित किया गया है।

15.5 ***ई–ऑफिस :***

ई–ऑफिस कार्यालय ऑटोमेशन के लिए एक पहल है जो फाइलों के इलेक्ट्रॉनिक संचलन और डेटा के अभिलेखन और पुनरूप्राप्ति को सक्षम करता है। यह दैनिक फाइल संसाधन का प्रबंधन और संसाधन करेगा। ई–ऑफिस एनआईसी द्वारा विकसित और सुरक्षा के द्रष्टीकोण से परीक्षित है जो एन.सी.एल. की सभी परियोजनाओं/इकाईयों और मुख्यालय में लागू किया गया है।

15.6 ***आईटी पहल :***

एनसीएल की सभी परियोजनाओं/इकाईयों और मुख्यालयों में कोलनेट (एक ईआरपी पैकेज) के सभी सात मॉड्यूल को लागू किया गया है। जीपीएस आधारित ओआईटीडीएस (ऑपरेटर स्वतंत्र ट्रक डिस्पैच सिस्टम), 5 (पाँच) परियोजनाओं में अर्थात् जयंत, अमलोरी, खडिया, दुद्धीचुआ और निगाही में संचालित है। ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग सिस्टम पहले से ही ऑपरेशन में है।

15.7 ***कंपूटरीकरण :***

मौजूदा अनुप्रयोग/सिस्टम

- कोलनेट (एक ईआरपी) जिसमें सात (07) मॉड्यूल शामिल हैं यथा पीआईएस (कार्मिक सूचना प्रणाली), एफआईएस (वित्त सूचना प्रणाली), वेतन, बिक्री, उत्पादन, सामग्री प्रबंधन प्रणाली और उपकरण रखरखाव व्यवस्था पूरे एनसीएल में चालू है।
- खदान योजना और सर्वेक्षण के लिए आटोकैड सॉफ्टवेयर।
- भूतपूर्व मेसर्स सीएमसी लिमिटेड द्वारा लागू ऑपरेटर स्वतंत्र ट्रक डिस्पेच सिस्टम (ओआईटीडीएस), कोलकाता जयंत परियोजना में कार्यात्मक है।
- मेसर्स लाइका जिओसिस्टम्स प्राइवेट लिमिटेड, ऑस्ट्रेलिया द्वारा कार्यान्वित ऑपरेटर स्वतंत्र ट्रक डिस्पैच सिस्टम (ओआईटीडीएस), इसके कार्यान्वयन एजेंसी मेसर्स एल्काम टेक्नोलॉजी लिमिटेड, गुड़गांव के माध्यम से अमलोरी, खाडिया, दुद्धीचुआ और निगाही परियोजनाओं में कार्यात्मक है।
- एनसीएल में बॉयोमैट्रिक आधारित उपस्थिति अभिलेखन प्रणाली।
- ई–ऑफिस
- सी.एम.पी.आई.डी.एल.के माध्यम से ऑनलाइन सतर्कता शिकायत प्रणाली तथा ऑनलाइन भर्ती प्रणाली।
- एन.आई.सी. के माध्यम से ई–निविदा द्वारा सामग्री, कार्य तथा सेवाओं हेतु ई–प्रोक्योरमेंट।
- फाइल ट्रैकिंग प्रणाली और बिल ट्रैकिंग प्रणाली।
- ई–आवास प्रणाली क्रियान्वित है।

15.8 ***भावी–कार्यक्रम :***

- जयन्त परियोजना में ऑपरेटर स्वतंत्र ट्रक प्रेषण प्रणाली (ओ.आई.टी.डी.एस.) का प्रतिस्थापन।
- एनसीएल में अस्पताल प्रबंधन प्रणाली (HMS) के साथ सीआईएल आधारित न्यू ईआरपी 'SAP' का कार्यान्वयन।
- र्सनल कम्प्यूटरों, उनके बाह्य उपकरणों, प्रिंटर और स्कैनर की अतिरिक्त जरूरत और प्रतिस्थापन।
- सिविल वर्क्स के लिए ई–मापन पुस्तक (ई–एमबी), विकास और कार्यान्वयन के अधीन है।

16.0 संचार सुविधाएं

16.1 ***जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली :***

मेसर्स ऑरेंज बिजनेस सर्विसेस इंडिया टेक्नोलॉजी प्रिवेट लिमिटेड, मुंबई एनसीएल में खदानों के भीतर जाने वाले वाहनों और कोयला परिवहन वाहनों पर नजर रखने के लिए जीपीएस आधारित वाहन ट्रैकिंग प्रणाली के लिए 5 साल की अवधि के लिए किराये के मॉडल पर काम कर रहा है। ट्रैक किए जाने वाले वाहनों की पहचान करने के लिए जीपीएस/जीपीआरएस उपकरणों और एक आरएफ आईडी टैग के साथ लगाया जाता है।

वर्तमान में, 400 वाहनों को जीपीएस–आरएफआईडी उपकरणों के साथ फिट किया गया है और स्वचालित चालान की तैयारी के लिए स्नैपशॉट के लिए बूम बैरियर, आरएफआईडी रीडर और कैमरा के साथ 23 रोड वेटब्रिज लगाए गए हैं। वाहनों के ऑनलाइन वेब सक्षम रियल टाइम ट्रैकिंग ने अधिकारियों को एकल स्क्रीन पर वजन विवरण के साथ वाहनों की परियोजना वार गतिविधि को देखने की सुविधा प्रदान की है। वाहन ट्रैकिंग सिस्टम (वीटीएस) मार्गों के उल्लंघन के खिलाफ अलर्ट उत्पन्न करता है, मार्ग, अनुचित ठहराव, भू–बाड़, पार्क बाड़, छेड़छाड़ और गति उल्लंघन जैसे उल्लंघन के लिए ट्रिगर किया जाता है। मुख्यालय में प्रत्येक क्षेत्र/परियोजना और सर्वर नियंत्रण कक्ष में इसकी निगरानी की जा रही है।

16.2 ***सीसीटीवी निगरानी प्रणाली :***

कार्य के लिए वर्क ऑर्डर मेसर्स हनीवेल ऑटोमेशन लिमिटेड, कोलकाता को दिया गया है। एनसीएल ने सीसीटीवी निगरानी प्रणाली एनसीएल की इकाईयाँ में स्थापित की है, जिसमें 550 आईपी आधारित कैमरे शामिल हैं, जो विभिन्न परियोजनाओं/खानों में स्थापित किए गए हैं, जैसे कि प्रवेश, निकास, दुकानें, तौलघर, सीएचपी, कार्यशालाएं, डीजल स्टेशन, अवरोध और आदि। यह प्रणाली सामग्री की चोरी को रोकने और खानों की सभी गतिविधियों पर नजर रखने में मदद करती है।

16.3 ***टेलीफोन एक्सचेंज :***

नया सर्वर आधारित IP EPABX टेलीफोन एक्सचेंज एनसीएल मुख्यालय, निगाही परियोजना और कृष्णशिला परियोजना में स्थापित किए गए हैं। एनसीएल मुख्यालय, निगाही परियोजना और कृष्णशिला परियोजना में स्थापित एक्सचेंजों की सब्सक्राइबर क्षमता क्रमशः 1400, 1500 और 400 है। ये अग्रिम प्रौद्योगिकी के सर्वर आधारित उच्च मानक एक्सचेंज हैं जो उच्च अस्तरीय सेवा देने में सक्षम हैं। निम्नलिखित सुविधाएं/सेवाएं इन सर्वर आधारित IP EPABX टेलीफोन एक्सचेंजों के साथ उपलब्ध हैं :

1) 20 पार्टी वीडियो सम्मेलन
2) शिकायत प्रबंधन प्रणाली
3) आपातकालीन प्रतिक्रिया प्रणाली
4) मोबाइल ग्राहक (मोबाइल पर डेस्क फोन का विस्तार करने के लिए)
5) ऑपरेटर कंसोल
6) आईपी फोन
7) LAN के माध्यम से दूरस्थ स्थानों पर वॉयस कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए फॉरेन एक्स्चेंज सब्सक्राइबर (FXS)

शेष 10 परियोजनाएं/इकाईयां आईपी टेलीफोन एक्सचेंज हैं जो परियोजनाओं/इकाईयों की दूरसंचार आवश्यकता को पूरा करते हैं। ये ध्वनि के सहज प्रवाह के लिए वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) पर काम कर रहे हैं।

16.4 ***वॉकी–टॉकी (VHF) :***

वायरलेस कनेक्टिविटी को मजबूत करने और परियोजनाओं के खदान क्षेत्र में संचार को बढ़ाने के लिए, 600 डिजिटल हैंडहेल्ड ट्रांसीवर सेट की खरीद का आदेश दिया गया है। यह हमें खानों में एक मजबूत संचार चौनल बनाने में सक्षम करेगा जो बदले में उत्पादन में सुधार करने में मदद करेगा।

16.5 ***वाइड एरिया नेटवर्क (WAN) :***

एनसीएल मुख्यालय और परियोजनाओं/क्षेत्रों/इकाईयों को ऑप्टिकल फाइबर केबल नेटवर्क के माध्यम से और रेडियो बैकअप के साथ ऑप्टिकल फाइबर केबल के माध्यम से वेटब्रिज के माध्यम से परियोजनाओं/इकाईयों को जोड़ने के लिए 10 ळइचे के साथ हाई स्पीड वैन कनेक्टिविटी स्थापित की गई है। यह कार्य मेसर्स रेलटेल कार्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड द्वारा निष्पादित किया गया था। ई–ऑफिस/कोलनेट/इंटरनेट/

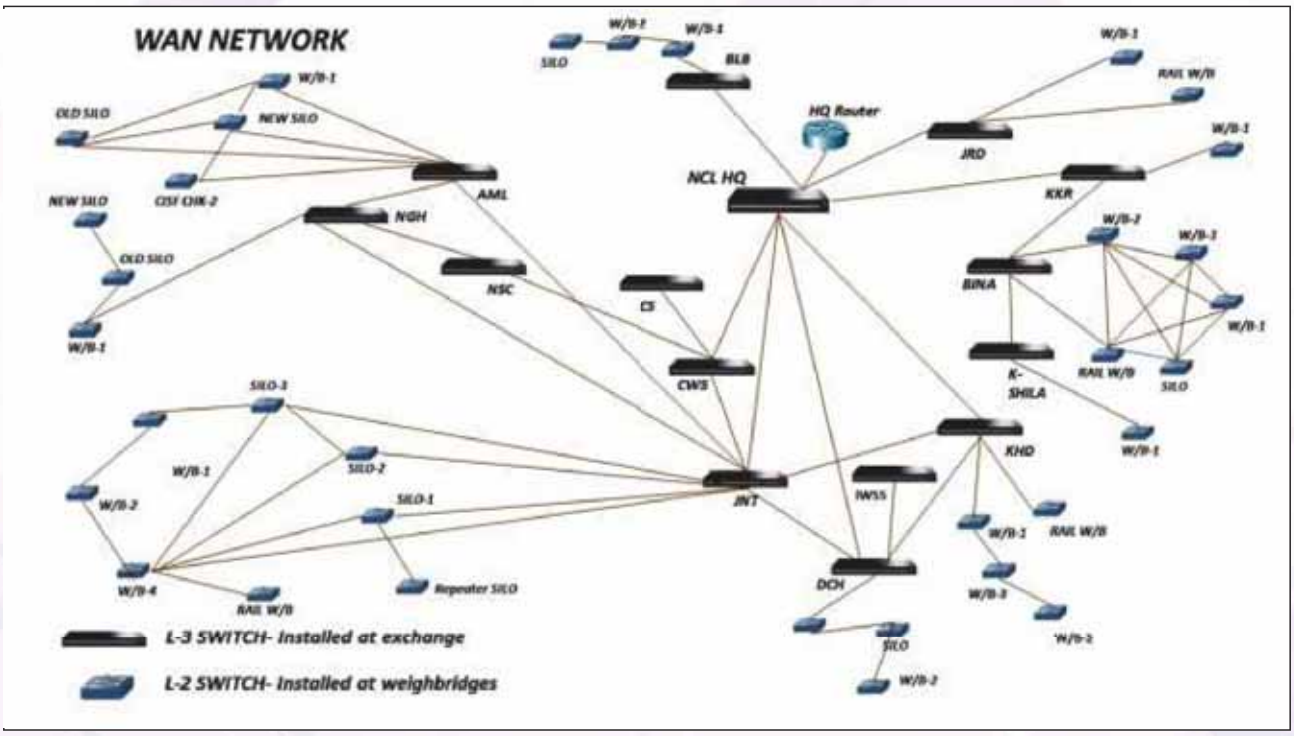

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग और वीओआईपी/सीसीटीवी विस्तृत क्षेत्र नेटवर्क (एक मीडिया के रूप में) के माध्यम से काम कर रहा है।

नेटवर्क प्रबंधन प्रणाली के माध्यम से एनसीएल मुख्यालय से पूरे नेटवर्क की निगरानी की जाती है।

16.6 *आईपी आधारित रेडियो नेटवर्क :*

सभी परियोजनाओं/इकाइयों के साथ फाइबर आधारित WAN कनेक्टिविटी के अलावा, E & T विभाग ने रेडियो नेटवर्क के माध्यम से परियोजनाओं/इकाईयों के साथ एक मजबूत वायरलेस WAN कनेक्टिविटी की स्थापना की है, जो 100 एमबीपीएस अपलिंक और डाउनलिंक के न्यूनतम बैंडविड्थ के साथ आवाज और डेटा संचार के लिए एक वैकल्पिक मीडिया के रूप में है। यदि ऑप्टिकल फाइबर केबल क्षतिग्रस्त हो जाती है या डिस्कनेक्ट हो जाती है तो रेडियो सिस्टम अपने आप लोड पर लग जाता है। फाइबर नेटवर्क के साथ यह रेडियो नेटवर्क एनसीएल में 100% वैन (WAN) कनेक्टिविटी प्राप्त करने में मदद करता है।

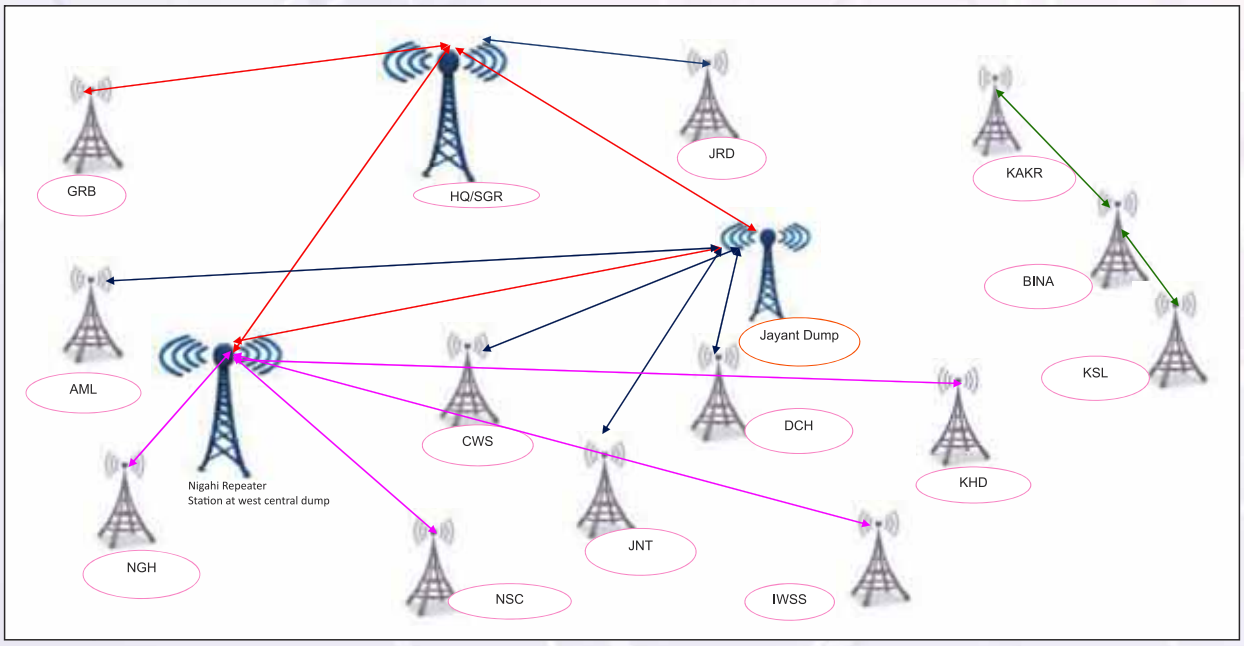

16.7 ***इंटरनेट लिज्जड़ लाइन :***

एनसीएल मुख्यालय के माध्यम से इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रदान करने के लिए, इंटरनेट लीज्ड लाइन को तीन अलग–अलग इंटरनेट सेवा प्रदाताओं से लिया गया है, जैसे 155 एमबीपीएस प्रति सेकेंड रेलटेल कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया लिमिटेड, मेसर्स बीएसएनएल द्वारा 155 एमबीपीएस और 20 एमबीपीएस मेसर्स पावर ग्रिड द्वारा प्रदान किया जा रहा है जो विभिन्न आईटी पहल के कार्यान्वयन में मदद करता है।

16.8 ***नेटवर्क सुरक्षा :***

यूटीएम डिवाइस एनसीएल मुख्यालय में एक स्टैंड–बाय डिवाइस के साथ पूर्ण नेटवर्क सुरक्षा प्रदान करने के लिए स्थापित किए जाते हैं, यह निर्बाध सुरक्षा 24*7 प्रदान करता है और वेबसाइटों और उनकी सामग्री को फिल्टर करता है।

16.9 ***वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग :***

आईपी आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली को एनसीएल मुख्यालय से सीआईएल और सीआईएल की अन्य सहायक कंपनियों के बीच स्थापित किया गया है।

उपरोक्त के अलावा, एनसीएल ने आईपी आधारित वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग प्रणाली स्थापित की है, 1 नग एमसीयू मुख्यालय में और 12 नग विभिन्न परियोजनाओं/इकाईयों (जेआरडी/केकेआर/केएसएल/बीना/केएचडी/डीसीएच/जेएनटी/सीडब्ल्यूएस/एनएससी/एनजीएच/एएमएल/ब्लॉक–बी) में स्थापित वीसी एंड पॉइंट।

16.10 ***सीयूजी मोबाइल सुविधा :***

पोस्टपेड सिम मोबाइल संचार के लिए नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के कर्मचारी को प्रदान किया गया है, अर्थात् वॉयस और डेटा सेवाओं के लिए।

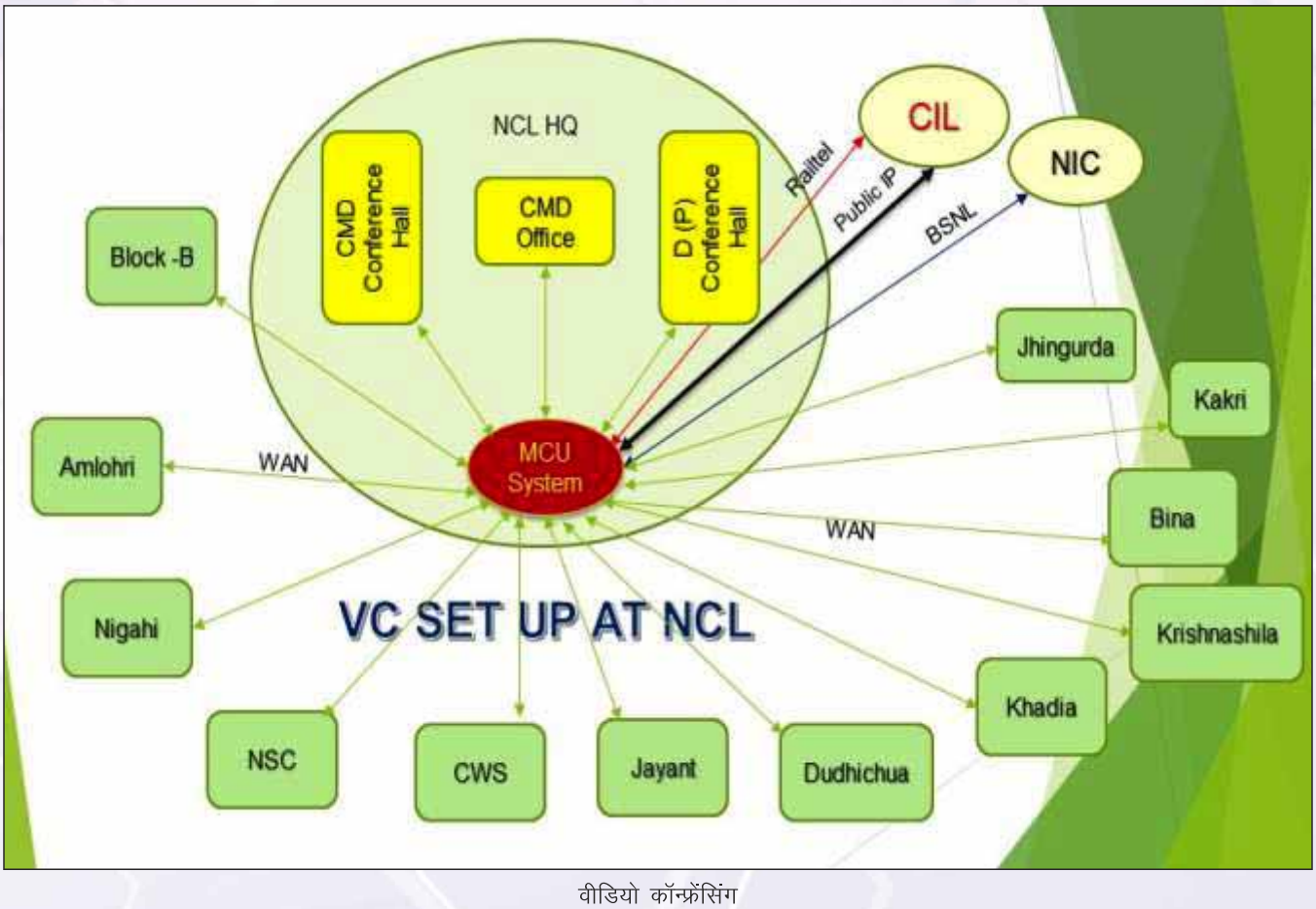

वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग

16.11 *कंप्लेंट लोडिंग सिस्टम :*

ई एंड टी विभाग ने लैन (LAN) / वैन(WAN) में एक ऑनलाइन पोर्टल (http://172.22.9.63) विकसित किया है जो एनसीएल टेलीफोन, लैन (LAN) / वैन (WAN) और फोटोकॉपियर / फैक्स से संबंधित विभिन्न शिकायतों को दर्ज करने के लिए एक शिकायत दर्ज करने की प्रणाली का गठन करता है। नाम, पदनाम, विभाग और परियोजना द्वारा संपर्क नंबर खोजने के लिए ऑनलाइन मोबाइल निर्देशिका भी उपलब्ध है।

17.0 कॉर्पोरेट सामाजिक दायित्व

कंपनी (सीएसआर नीति) नियम 2014 के साथ पठित 8(1) कंपनी अधिनियम 2013 में धारा 134(3) अन्तर्गत अपेक्षित सीएसआर गतिविधियो पर वार्षिक रिपोर्ट अनुलग्नक–I के रूप में सलग्न है।

18.0 *ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन एवं विदेशी विनिमय आय एवं व्यय :*

18.1 कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) जो कंपनी (लेखा) नियम, 2014 के नियम (8) के साथ पढ़ा गया है, के प्रावधानों के अनुसार एनर्जी, टेक्नोलॉजी अवशोषण और विदेशी मुद्रा कमाई और आउटगो के संरक्षण के संबंध में इस रिपोर्ट में अनुलग्नक–II में दिया गया है।

18.2 *कर्मचारियों के विवरण :*

कर्मचारियों के पारिश्रमिक के संबंध में कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 197 एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5 (2) के तहत सूचना।

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 197 एवं कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिक की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम 2014 के नियम 5(2) के अनुसार जानकारी कंपनी के लिए लागू नहीं है क्योंकि एमसीए द्वारा सरकारी कंपनियों को जीएसआर 463(ई) दिनांक 05.06.2015 के तहत छूट दी गई है।

इसके अलावा पारिश्रमिक के संदर्भ में शीर्ष दस कर्मचारियों के नाम दर्शाने वाला विवरण अनुलग्नक–III में दिया गया है।

19.0 लेखा अंकेक्षक :

19.1 वर्ष 2019–20 के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक (सीएजी) के द्वारा पत्र संख्या : सीएवी / सीओवाई / सेन्ट्रल गवर्मेन्ट / एनसीएफएल(3) / 219 दिनांक 02.08.2019 एवं सीएवी / सीओवाई / सेन्ट्रल गवर्मेन्ट / एनसीएफएल(3) / 1726 दिनांक 20.09.2019 के माध्यम से कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 139 के अन्तर्गत नियुक्त सांविधिक तथा शाखा लेखा अंकेक्षकों की पारिश्रमिक, जिसे कम्पनी अधिनियम, 2013 की धारा 142 के प्रावधानों के अनुसरण में 31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए एनसीएल की 255वीं बैठक जो सिंगरौली में 29.05.2020 को आयोजित हुई। 07 अगस्त, 2019 को आयोजित 34वीं वार्षिक सामान्य बैठक में कम्पनी द्वारा प्रदत्त अधिकारों का प्रयोग करते हुए बोर्ड द्वारा निर्धारित किया गया, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है :–

ऑडिट फर्म का नाम	स्थिति	अंकेक्षण शुल्क अनुशंसित (आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर रिपोर्टिंग सहित)	यात्रा भत्ता और आउट ऑफ पॉकेट व्यय	कर की प्रतिपूर्ति
मेसर्स जे.एन. शर्मा एंड कं., चार्टर्ड एकाउंटेंट्स, कानपुर	मुख्य / वैधानिक लेखा अंकेक्षक	रुपये 10,33,594.00	रु 5,16,797.00 तक सीमा तक वास्तविक पर	वास्तविक पर
मेसर्स जे के ए एंड कं., चार्टर्ड अकाउंटेंट, भोपाल	शाखा लेखा अंकेक्षक	रुपये 3,78,985.00	रु 1,89,492.00 की सीमा तक वास्तविक पर	वास्तविक पर
मेसर्स आरएएमकेएआरएजे एवं एसोसिएट्स चार्टर्ड अकाउंटेंट, वाराणसी	शाखा लेखा अंकेक्षक	रुपये 3,78,985.00	रु 1,89,492.00 की सीमा तक वास्तविक पर	वास्तविक पर

19.2 एनसीएल की सचिवीय लेखा अंकेक्षण करने के लिए मेसर्स माहेश्वरी आर एंड एस्सोसिएट्स, प्रैक्टिसिंग कंपनी सचिव, कोलकाता को कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 204 के अनुसार एनसीएल के बोर्ड द्वारा अपनी दिनांक 04 मई एवं 05 मई 2020 को आयोजित 253वीं बैठक मे वित्त वर्ष 2019–20 के लिए 50,000/– (रुपये पचास हजार मात्र) प्लस लागू जीएसटी के कुल पारिश्रमिक एवं पॉकेट खर्च जैसे की आवास, भोजन, अस्थायी आवास, स्थानीय परिवहन व्यय पर सचिवीय लेखा अंकेक्षक के रूप में नियुक्त किया गया।

19.3 लागत खातों के लेखा अंकेक्षण के लिए केंद्र सरकार के निर्देशों के अनुसार, 31मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए एनसीएल के लागत खातों की लेखा अंकेक्षण के लिए लागत अंकेक्षकों के रूप में लागत लेखाकारों की 3 फर्मों की नियुक्ति के प्रस्ताव को फॉर्म सीआरए 2 के माध्यम से केंद्रीय सरकार को सूचित किया गया था और उनके अनुसार तदनुसार नियुक्त किया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148 एवं कंपनी (लागत रिकॉर्ड और अंकेक्षण) नियम, 2014 के तहत वर्ष 2019–20 के लिए लागत लेखा अंकेक्षकों के विवरण नीचे दिए गए हैं :

क्र.सं.	लागत लेखा परीक्षा फर्म का नाम
1	मेसर्स एबीके एंड अस्सोसिएट्स (एफआरएन–000036) लागत लेखाकार, 404 शालीमार कार्पोरेट सेंटर, 8–बी, साउथ तुकोगंज, इंदौर (म.प्र.) 452001
2	मैसर्स आर.के. पटेल एंड कंपनी (एफआरएन–100180) लागत लेखाकार, 101–3/1, गोल्ड आर्केड, ऑफ क्यौर वेल हॉस्पिटल, इंदौर (म.प्र.) 452001
3	मेसर्स के.बी. सक्सेना एंड एसोसिएट्स (एफआरएन–000313) लागत लेखाकार, तीसरी मंजिल, शगुन पैलेस, सप्रू मार्ग, हजरतगंज, लखनऊ (उ.प्र.) 226001

19.4 कंपनी अपने कॉस्ट के रिकॉर्ड को कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 148(1) और कंपनी (कॉस्ट रिकॉर्ड एवं अंकेक्षण) नियम, 2014 के अनुसार तैयार करती है। वर्ष 2018–19 के लिए लागत लेखा अंकेक्षण रिपोर्ट फाइलिंग की देय तिथि के भीतर एक्सबीआरएल मोड के तहत दायर की गई है। वर्ष 2018–19 के लिए लागत लेखापरीक्षा रिपोर्ट में कोई विशिष्ट या प्रतिकूल टिप्पणियां नहीं हैं। वर्ष 2019–20 के लिए लागत लेखा अंकेक्षण रिपोर्ट अंतिम रूप देने की प्रक्रिया में है और फाइलिंग की निर्धारित तिथि के अनुसार दायर की जाएगी।

20.0 लेखा अंकेक्षक का प्रतिवेदन

20.1 वैधानिक लेखा अंकेक्षक की रिपोर्ट में किए गए अवलोकनों पर प्रबंधन के जवाब और कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 के तहत आवश्यक नियंत्रक और महालेखा परीक्षक (सीएजी) की टिप्पणियों को इस रिपोर्ट के अनुलग्नक–XI और वार्षिक खातों के अनुलग्नक में क्रमशः दिया गया है ।

20.2 सचिवीय लेखा अंकेक्षक ने निर्धारित फॉर्म एमआर–3 में सचिवीय लेखा अंकेक्षण रिपोर्ट जारी की है अनुलग्नक IV के रूप में संलग्न है। सचिवीय लेखा परीक्षकों की टिप्पणियां और प्रबंधन का उत्तर अनुलग्नक–IV(ए) के रूप में संलग्न है।

21.0 कारपोरेट शासन (गवर्नेंस) :

कारपोरेट गवर्नेंस कंपनी के उद्देश्यों के माध्यम से सैद्धांतिक प्रक्रिया एवं संरचना प्रदान करता है। उद्देश्य को प्राप्त करने का उपाय एवं तय कार्य निष्पादन का अनुवीक्षण की प्रणाली है। इसमें स्पष्ट रूप से कंपनी प्रबंधन, बोर्ड, शेयर धारकों एवं अन्य स्टेक होल्डरो के मध्य संबंधो का उल्लेख है। कॉर्पोरेट गवर्नेंस का मुख्य उद्देश्य शेयरधारको के वैल्यू में वृद्धि करना एवं अन्य स्टेक धारको जैसे–उपभोक्ता, कर्मचारी एवं समाज के हितों की सुरक्षा करना एवं समस्त संगठनो के बीच भरोसा एवं आपसी विश्वास का वातावरण बनाना है। भारी उद्योग और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय के अंतर्गत डीपीई द्वारा जारी पत्र संख्या 18(8)/2005–जीएम दिनांक 14/05/2010 सीपीएसई के लिए निगम से संबन्धित शासन प्रणाली पर दिशानिर्देश कंपनी द्वारा अनुपालन किया जाता है।

21.1 *कंपनी की फिलोस्फी :*

कंपनी की फिलोस्फी विधि, नियम एवं दिशा–निर्देशों के अनुसार पूरी तरह पारदर्शिता, ईमानदारी,जिम्मेदार, गोपनियता, नियंत्रण, सामाजिक दायित्व, प्रकटीकरण एवं रिपोर्टिंग सुनिश्चित करना है।

कंपनी में पूर्ण परिभाषित एवं सुसज्जित नीति है, जो निम्नानुसार है।

- निदेशकों एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए आचार संहिता।
- कोल इंडिया लिमिटेड (सीआईएल) के डेसीगनेटेड व्यक्तियों द्वारा ट्रेडिंग की विनिमयित निगरानी और रिपोर्ट करने के लिए आचार संहिता।

- कोल इंडिया लिमिटेड (होल्डिंग कंपनी) की व्हिसटल ब्लोवर नीति।

21.2 ***निदेशक मंडल :***

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 2(45) के संदर्भ में यह सरकारी कंपनी है जो की कोल इंडिया लिमिटेड के पूर्ण स्वामित्व वाली उसकी अनुषंगी कंपनी है। कंपनी के व्यापार का प्रबंध निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है एवं वे राष्ट्रपति के द्वारा नियुक्त किए जाते हैं। कोयला मंत्रालय, भारत सरकार/शेयर होल्डरों द्वारा संघ की नियमावली के प्रावधानों के अनुसार कंपनी के निदेशकों की संख्या एवं बोर्ड की संरचना की जाती है। निदेशकों को योग्यता के तौर पर कोई शेयरों को रखने की आवश्यकता नहीं है।

(ए) ***बोर्ड का आकार :***

संघ की नियमावली के द्वारा निदेशकों की अधिकतम संख्या 15 निश्चित की गई है कोयला मंत्रालय के पत्र क्र. 21/35/2005–एएसओ (vi) दिनांक 06/06/2008 के अनुसार निदेशक मण्डल में अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक सहित 05 कार्यकारी निदेशक होंगे, 02 सरकारी अंशकालिक निदेशक (नामित); 05 गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक एवं 3 स्थायी आमंत्रि में रहेंगे।

(बी) ***निदेशक मंडल का गठन :***

वर्ष 2019–20 के निदेशकगण का गठन निम्नानुसार है:–

क्र.	नाम	पदनाम	पदभार ग्रहण	स्थिति
अध्यक्ष				
1	श्री पी. के. सिन्हा	अध्यक्ष	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	पूरे वर्ष
कार्यकारी निदेशकगण				
2	श्री गुणाधर पाण्डेय	सदस्य	निदेशक (तक./संचा.)	पूरे वर्ष
3	श्री पी.एम. प्रसाद	सदस्य	निदेशक(तक./यो एवं परि)	02.08.2019 तक
4	श्री एन.एन. ठाकुर	सदस्य	निदेशक (वित्त) एवं निदेशक (कार्मिक) अतिरिक्त प्रभार 25.02.2020 तक	पूरे वर्ष
5	श्री एम.के. प्रसाद	सदस्य	निदेशक (तक.यो. एवं परि.) अतिरिक्त प्रभार	14.08.2019 को नियुक्ति
6	श्री बिमलेंदु कुमार	सदस्य	निदेशक (कार्मिक)	25.02.2020 को नियुक्ति
सरकारी अंशकालिक (नामिनी) निदेशकगण				
7	श्रीमती रीना सिन्हा पूरी	सदस्य	संयुक्त सचिव/वित्तीय सलाहकार, कोयला मंत्रालय, नई दिल्ली	29.11.2019 तक
8	श्री मुकेश चौधरी	सदस्य	निदेशक, एमओसी, नई दिल्ली	29.11.2019 से 17.03.2020 तक नियुक्ति
9	श्री एम. नागाराजू	सदस्य	संयुक्त सचिव, एमओसी	17.03.2020 को नियुक्ति
10	श्री एस.एन. प्रसाद	सदस्य	निदेशक (विपणन), सीआईएल	30.11.2019 तक
11	श्री एस.एन. तिवारी	सदस्य	निदेशक (विपणन), सीआईएल	23.12.2019 को नियुक्ति
गैर–सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकगण				
12	प्रो. ए.के. अग्रवाल	सदस्य	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	16.11.2019 तक
13	श्री एस.के. माहेश्वरी	सदस्य	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	16.11.2019 तक
14	डा. एस.एम. झारवाल	सदस्य	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	01.02.2020 तक
15	श्रीमती रमीलाबेन बारा	सदस्य	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	11.03.2020 तक
16	श्री बी.पी. पाण्डेय	सदस्य	गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक	पूरे वर्ष
स्थाई आमंत्री				
17	श्री सुनील अग्रवाल	स्थायी आमंत्री	एपीसीसीएफ, मध्य प्रदेश सरकार, भोपाल	पूरे वर्ष
18	श्री एस.के. झा	स्थायी आमंत्री	सीओएम, ईसी रेलवे	पूरे वर्ष
19	श्री प्रकाश तिवारी	स्थायी आमंत्री	निदेशक(संचालन), एनटीपीसी	पूरे वर्ष

नोट :

1. श्री पी.एम. प्रसाद, ने 02.08.2019 को बीसीसीएल के अध्यक्ष एवं सह प्रबंधक के पद पर नियुक्ति के बाद एनसीएल से निदेशक (तक./परि. एवं यो.) एनसीएल का कार्यभार त्याग दिया।
2. श्री एम.के. प्रसाद, निदेशक (तक./परि. एवं यो.) एसईसीएल ने 14.08.2019 से निदेशक (तक./परि. एवं यो.) एनसीएल का अतिरिक्त प्रभार वर्ष के अंत तक संभाला।
3. कोयला मंत्रालय के नियुक्ति आदेश के अनुसार सरकारी अंशकालिक निदेशकों में परिवर्तन हुआ।
4. श्री एस.के. माहेश्वरी, प्रो. ए.के. अग्रवाल एवं डॉ. एस.एम. झारवाल, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी नियुक्ति पत्र के अनुसार कार्यकाल पूरा होने के बाद निदेशक नहीं रहे।
5. राज्यसभा एमपी चुनाव में नामित होने के बाद श्रीमती रमीलाबेन बारा ने 11.03.2020 को निदेशक पद से इस्तीफा दिया।

31.03.2020 को निदेशकगण की कुल संख्या 08 थी (05 पूर्ण कालिक निदेशक, 02 अंशकालिक सरकारी निदेशक, 01 गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक) है। इनके अतरिक्त 03 स्थायी आमंत्रि (01 सदस्य पू.म. रेलवे से, 01 मध्य प्रदेश सरकार के वन विभाग से और 01 सदस्य एनटीपीसी से) भी निदेशक मण्डल में है।

वर्ष के दौरान 04 स्वतंत्र निदेशक के जाने के बाद (जैसा की पहले कहा गया है) अब वर्तमान में 31.03.2020 को निदेशक मण्डल में केवल एक स्वतंत्र निदेशक है। जिसके संदर्भ में कंपनी के विधान के अनुसार कोयला मंत्रालय एवं कोल इंडिया (नियंत्रक कंपनी) से जल्द से जल्द स्वतंत्र निदेशक की खाली पद एवं एक महिला निदेशक के पद को तत्काल भरने के लिए निवेदन किया गया है।

(सी) ***निदेशकों का कार्यकाल और आयु***

अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों की आयु सीमा 60 (साठ) वर्ष है। अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक और अन्य पूर्णकालिक निदेशक को पदभार ग्रहण करने की तिथि से 05 (पांच) वर्ष की अवधि या पदधारी की सेवानिवृत्ति की तारीख तक या भारत सरकार के अगले निर्देश तक, जो भी पहले हो के लिए नियुक्त किया जाता है। अंशकालिक आधिकारिक निदेशक (सरकारी निदेशक/सीआईएल नामिनी) मंत्रालय/भारत सरकार के दिशनिर्देशों के अनुसार बोर्ड से सेवानिवृत्त होते हैं। स्वतंत्र निदेशकों को भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा 03 (तीन) वर्षों की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है।

(डी) ***बोर्ड मीटिंग की संख्या और निदेशकों की उपस्थिति***

वर्ष के दौरान एनसीएल के निदेशक मंडल की कुल 11(ग्यारह) बैठकें हुई जो निम्न है : 241वीं/23.04.2019, 242वीं/27.05.2019, 243वीं/28.06.2019, 244वीं/31.07.2019, 245वीं/28.08.2019, 246वीं/18.09.2019, 247वीं/27.09.2019, 248वी/06.11.2019, 249वीं/21.12.2019, 250वीं/27.01.2020 एवं 251वीं/01.03.2020, सभी बैठकों में अपेक्षित गणपूर्ति उपस्थित था।

एनसीएल की 34 वीं वार्षिक आम बैठक 07.08.2019 को आयोजित की गई। वर्ष 2019–20 के दौरान कोई अतिरिक्त साधारण सभा नहीं हुई।

वर्ष 2019–20 के दौरान बोर्ड की बैठक, वार्षिक आम बैठक में निदेशकों और स्थायी आमंत्रियों की उपस्थिति एवं डायरेक्टरशीप का विवरण इस प्रकार रहा :

क्र. सं.	नाम	ग्रहित पद	कार्यकाल के दौरान आयोजित बोर्ड की बैठकों की संख्या	बोर्ड की बैठकों में भाग लिया	34वीं एजीएम बैठक जो 7.8.19 को हुई में हिस्सा लिया	31.03.20 को अन्य सार्वजनिक कंपनियों निदेशक रहे
अध्यक्ष						
1	श्री पी.के. सिन्हा	अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	11	11	हाँ	शून्य
कार्यकारी निदेशकगण						
2	श्री गुणाधर पाण्डेय	निदेशक (तकनीकी/संचालन)	11	11	हाँ	शून्य
3	श्री पी.एम. प्रसाद	निदेशक (तकनीकी/परियोजना और योजना)	04	04	लागू नहीं	लागू नहीं

4	श्री एन.एन. ठाकुर	निदेशक (वित्त) और (कार्मिक) (अतिरिक्त प्रभार)	11	10	हाँ	शून्य
5	श्री एम.के. प्रसाद	निदेशक (तक.योज एवं परि.) / अतिरिक्त प्रभार	07	07	लागू नहीं	लागू नहीं
6	श्री बिमलेंदु कुमार	निदेशक (कार्मिक)	01	01	लागू नहीं	शून्य
सरकारी अंशकालिक (नामिनी) निदेशकगण						
7	श्रीमती आर.एस. पूरी	सरकारी अंशकालिक निदेशक	08	06	नहीं	लागू नहीं
8	श्री मुकेश चौधरी	सरकारी अंशकालिक निदेशक	03	03	लागू नहीं	लागू नहीं
9	श्री एम. नागराजू	सरकारी अंशकालिक निदेशक	–	–	लागू नहीं	01
10	श्री एस.एन. प्रसाद	सरकारी अंशकालिक निदेशक	08	04	हाँ (प्रॉक्सि के माध्यम से)	लागू नहीं
11	श्री एस.एन. तिवारी	सरकारी अंशकालिक निदेशक	02	02	लागू नहीं	02
गैर–सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशकगण						
12	प्रो. ए.के. अग्रवाल	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक	08	08	हाँ	लागू नहीं
13	श्री एस.के. माहेश्वरी	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक	08	08	हाँ	लागू नहीं
14	डॉ. एस.एम. झारवाल	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक	10	10	हाँ	लागू नहीं
15	श्रीमती. रामिलाबेन बारा	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक	11	10	हाँ	लागू नहीं
16	श्री बी.पी. पाण्डेय	गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशक	11	08	हाँ	03
स्थाई आमंत्री						
17	श्री सुनील अग्रवाल	एपीसीसीएफ, म.प्र. सरकार, भोपाल	11	00	नहीं	शून्य
18	श्री एस.के. झा	सीओएम, ईसी रेलवे	11	02	नहीं	शून्य
19	श्री प्रकाश तिवारी	निदेशक (संचालन), एनटीपीसी	11	04	नहीं	01

(ई) ***व्यक्तिगत हित का प्रकटीकरण***

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 184 (1) एवं नियम 9(1) के अनुसार वित्त वर्ष 2019–20 के लिए हित के प्रकटीकरण कंपनी के सभी निदेशकों द्वारा किया गया है जिसे 23.04.2019 को हुई 241वीं बैठक में निदेशक मंडल द्वारा नोट किया गया था। कोई भी निदेशक एक दूसरे से संबंधित नहीं हैं। इनके अलावा गैर सरकारी अंशकालिक निदेशक द्वारा कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 149(6) के तहत प्रकटीकरण दिया गया।

(एफ) ***बोर्ड बैठक के समक्ष रखी गई जानकारी***

निदेशक मण्डल के पास कंपनी के अंदर की किसी भी सूचना को प्राप्त करने की पहुँच होती है। निदेशक मण्डल को आपूर्ति की गई जानकारी में शामिल हैं :

- वार्षिक परिचालन योजना, पूंजी और राजस्व बजट या किसी भी प्रकार का कोई अपडेट।
- कंपनी के त्रैमासिक और वार्षिक वित्तीय परिणाम।

- लाभांश की घोषणा।
- कंपनी के प्रदर्शन की आवधिक समीक्षा।
- भारी मशीनों की उपलब्धता और उपयोग की आवधिक समीक्षा।
- लागू कानूनों के अनुपालन पर आवधिक रिपोर्ट।
- वार्षिक रिपोर्ट, निदेशकों की रिपोर्ट आदि।
- बोर्ड की सभी समितियों की बैठक के कार्यवृत्त।
- बड़े अनुबंधों/समझौतों का अधिनिर्णय।
- निदेशकों द्वारा किसी हित लाभ के बारे में खुलासा या अन्य कंपनियों में उनके द्वारा धारण निदेशक की गई पद के बारे में जानकारी।
- श्रमशक्ति बजट।
- सुरक्षा, पूर्व में लिए गए निदेशक मण्डल द्वारा फैसले पर कार्रवाई की रिपोर्ट, घातक या गंभीर दुर्घटनाओं और भूमि अधिग्रहण आदि से संबंधित जानकारी ।
- कारण बताओ, मांग, अभियोजन नोटिस और दंड नोटिस जो भौतिक रूप से महत्वपूर्ण हैं ।
- कोई अन्य भौतिक रूप से महत्वपूर्ण जानकारी ।

(जी) ***निदेशकगण के विवरण***

निदेशक मण्डल में अपने संबंधित क्षेत्र में विशेषज्ञता रखने वाले सदस्य शामिल हैं। निदेशकों का विस्तृत बायोडाटा/प्रोफाइल अनुलग्नक–V के रूप में संलग्न है।

(एच) ***निदेशक मंडल की समितियाँ***

निदेशक मण्डल ने निम्नाकिंत निदेशक मण्डल की समितियों का गठन किया है :–

i. अंकेक्षण समिति।

ii. नामांकन और पारिश्रमिक समिति।

iii. जोखिम प्रबंधन समिति।

iv. निगमित सामाजिक दायित्व समिति।

v. मूल्यांकन, निरुपन और परियोजनाओं के अनुमोदन के लिए सशक्त उप–समिति।

vi. तकनीकी उप–समिति।

vii. नये शक्तियों का प्रत्यायोजन के अनुसार बोर्ड की सशक्त समिति।

21.3 अंकेक्षण समिति

लोक उद्यम विभाग, केन्द्रीय पब्लिक सेक्टर इंटरप्राइजेज हेतु कार्यालय ज्ञापन संख्या 18(8)/2005– जीएम दिनांक 14 मई 2010 द्वारा जारी कारपोरेट गवर्नेन्स के दिशा निर्देशों के अनुसरण में एवं कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 177 के अनुसरण में एनसीएल के निदेशक मंडल ने लेखा परीक्षा समिति का गठन किया। समिति का प्राथमिक कार्य निदेशक मंडल को वित्तीय रिपोर्ट की समीक्षा के द्वारा उनकी जिम्मेदारियों को पूर्ण करने में उन्हें सहायता देना है, यह वित एवं कंपनी के अंकेक्षण, लेखाकरण एवं वित्तीय प्रतिवेदन प्रकिया पर आंतरिक नियंत्रण की प्रणाली है। यह समिति आंतरिक अंकेक्षणों की रिपोर्ट की समीक्षा करती है, सांविधिक अंकेक्षकों से सलाह लेती है एवं उनके जाँचों पर चर्चा करती है। इनके अतिरिक्त कंपनी द्वारा लागू लेखाकरण नीति की समीक्षा करती है।

(ए) ***संरचना, सदस्यों के नाम एवं अंकेक्षण समिति की उपस्थिति***

डीपीई के अध्याय 4 के दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 177 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए और एनसीएल के निदेशक मण्डल में निदेशक के बदलाव के कारण वर्ष के दौरान अंकेक्षण समिति को निदेशक मंडल द्वारा अपनी 241वीं, 245वीं, 249वीं एवं 251वीं मीटिंग जो 23.04.2019, 28.08.2019, 21.12.2019 एवं 01.03.2020 की हुई, में पुनर्गठित किया गया :–

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, अंकेक्षण समिति की 09 (नौ) बैठके हुई जो निम्न है : 114वीं/22.04.2019, 115वीं/27.05.2019, 116वीं/31.07.2019, 117वीं/17.09.2019, 118वीं/27.09.2019, 119वीं/05.11.2019, 120वीं/20.12.2019, 121वीं/27.01.2020 और 122वीं/01.03.2020।

समिति का विवरण निम्न है :

क्र. सं.	समिति के सदस्य के नाम	पद	कार्यकाल	उनके कार्यकाल के दौरान हुई मीटिंग	मीटिंग की संख्या जिसमें शामिल हुए
स्वतंत्र निदेशक					
1	श्री एस.के. महेश्वरी	अध्यक्ष	16.11.2019 तक	06	06
2	प्रो. ए.के. अग्रवाल	सदस्य	16.11.2019 तक	06	06
3	डॉ. एस.एम. झारवाल	सदस्य*	01.02.2020 तक	08	08
4	श्री बी.पी. पाण्डेय	सदस्य*	पूरे वर्ष	08	07
5	श्रीमती रमीलाबेन बारा	सदस्य	21.12.2019 से 11.03.2020 तक	02	02
सरकारी अंशकालिक निदेशक					
6	श्रीमती रीना सिन्हा पूरी–संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, कोयला मंत्रालय	सदस्य	29.11.2019 तक	06	05
7	श्री मुकेश चौधरी, निदेशक, कोयला मंत्रालय	सदस्य	21.12.2019 से 17.03.2020 तक	03	03 (01 आमंत्री एवं 02 सदस्य)
8	श्री एस.एन. प्रसाद, निदेशक (मार्केटिंग)– कोल इंडिया लिमिटेड	सदस्य	30.11.2019 तक	06	01
9	श्री एस.एन. तिवारी, निदेशक (मार्केटिंग)– कोल इंडिया लिमिटेड	सदस्य	01.03.2020 से	02	02 (आमंत्री के रूप में)
कार्यकारी निदेशक					
10	श्री गुणाधर पाण्डेय, निदेशक (तक./संचा.)	सदस्य	पूरे वर्ष	09	09
11	श्री एन.एन. ठाकुर, निदेशक (वित्त) एवं (कार्मिक 25.02.2020 तक)	आमंत्री	पूरे वर्ष	09	08
12	श्री पी.एम. प्रसाद, निदेशक (तक./परि एवं योज.)	आमंत्री	02.08.2019 तक	03	02
13	श्री एम.के. प्रसाद, निदेशक (तक./परि एवं योज.)	आमंत्री	28.08.2019 से	06	05
14	श्री बिमलेंदु कुमार, निदेशक (कार्मिक)	आमंत्री	01.03.2020 से	01	01

* *समिति के सदस्यों की सहमती से संबन्धित स्वतंत्र निदेशक ने समिति में अन्तरिम रूप से अध्यक्ष की भूमिका निभाई जब तक की निदेशक मण्डल द्वारा अन्य स्वतंत्र निदेशक की नियुक्ति नहीं हुई।*

आंतरिक अंकेक्षण प्रमुख बैठकों के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी हैं।

(बी) ***अंकेक्षण समिति की भूमिका/क्षेत्र***

अंकेक्षण समिति की भूमिका में निम्नांकित के कार्य क्षेत्र सम्मिलित हैं :

ए) कंपनी की वित्तीय प्रतिवेदन प्रक्रिया को देखना एवं सुनिश्चित करने के लिए इसकी वित्तीय सूचना का प्रकटन की वित्तीय वितरण सही, पर्याप्त एवं विश्वसनीय है।

बी) लेखा अंकेक्षण शुल्क के निर्धारण की निदेशक मंडल को संस्तुति, लेखा अंकेक्षक की पारिश्रमिक, नियुक्ति की शर्तें यदि आवश्यकता पड़े तो।

सी) सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा अन्य सेवाओं के लिए सांविधिक अंकेक्षकों को भुगतान का अनुमोदन।

डी) वार्षिक वित्तीय विवरणों का बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के पूर्व प्रबंधन द्वारा समीक्षा करना जिसके विषय का विवरण निम्न है :

i. कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) (सी) के अनुबंध में बोर्ड के प्रतिवेदन में शामिल किए जाने वाला निदेशकगण के दायित्व विवरण में शामिल किया जाने वाली अपेक्षित सामग्री।

ii. लेखा नीतियों एवं पद्धतियों में, यदि कोई बदलाव हो तो, एवं इसके पीछे का कारण।

iii. प्रबंधन द्वारा निर्णय के प्रयोग पर आधारित मुख्य लेखा विवरण को संबद्ध कर आकलनों की प्रविष्टियाँ।

iv. अंकेक्षण निष्कर्ष में से उत्पन्न कोई तथ्य का वित्तीय विवरणों में सार्थक समायोजन।

v. वित्तीय विवरणों से संबंधित विधि आवश्यकताओं का अनुपालन।

vi. किसी संबंधित पार्टी के लेन–देन का प्रकटन एवं

vii. अंकेक्षण रिपोर्ट मसौदा में अर्हता।

ई) त्रैमासिक वित्तीय विवरणों का बोर्ड को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करने के पूर्व समीक्षा करना।

एफ) आंतरिक अंकेक्षकों के कार्य निष्पादन एवं आंतरिक नियंत्रण पद्धति की पर्याप्तता का प्रबंधन द्वारा समीक्षा करना।

जी) आंतरिक अंकेक्षण विभाग की संरचना विभाग के विभागाध्यक्ष की वरिष्ठता एवं स्टाफिंग, आंतरिक अंकेक्षण की सूचना संरचना क्षेत्र/विस्तार एवं पर्याप्तता सहित जो है आंतरिक अंकेक्षण कार्य के पर्याप्तता की समीक्षा करना।

एच) सार्थक निष्कर्ष एवं उसके अनुपालन हेतु आंतरिक अंकेक्षकों एवं /या अंकेक्षकों के साथ विचार–विमर्श।

आई) धोखाधड़ी या अनियमितता या सामग्री स्वरूप का आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों का असफल होना एवं बोर्ड को विषयों की सूचना देना। जहाँ सामग्री स्वरूप के आंतरिक नियंत्रण पद्धतियों एवं बोर्ड को विषयों की सूचना देने में धोखाधड़ी या अनियमितता या असफलता की संभावना है वहाँ इस विषयों में आंतरिक अंकेक्षकों/एजेंसियों द्वारा किसी आंतरिक जॉचों के निष्कर्षों की समीक्षा करना।

जे) प्रतिष्ठान के कोई क्षेत्र को सुनिश्चित करने के लिए लेखा का स्वरूप एवं क्षेत्र तथा पूर्व के अंकेक्षण पर विचार–विमर्श के बारे में अंकेक्षण प्रारंभ होने के पूर्व सांविधिक अंकेक्षकों के साथ विचार–विमर्श।

के) जमाकर्ताओं, डिबेंचर धारको, शेयर धारकों घोषित लाभाशों का कोई भुगतान नहीं होने के मामले में एवं लेनदारों के भुगतान में पर्याप्त दावों के लिए कारणों का अवलोकन करना।

एल) व्हीसल ब्लोवर मैकेनिज्म के कार्य की समीक्षा करना।

एम) सी एंड एजी लेखा अंकेक्षण पर अनुवर्ती कार्रवाई की समीक्षा करना।

एन) संसद की सार्वजनिक उपक्रम (सीओपीयू) पर समिति की अनुशंसा पर कृत कार्रवाई के अनुपालन की समीक्षा करना।

ओ) स्वतंत्र अंकेक्षक, आंतरिक अंकेक्षक एवं निदेशक मंडल के मध्य सम्प्रेषण के रास्ते खुला रहने का प्रावधान रखना।

पी) कंपनी में समस्त संबंधित पार्टी के लेन–देन की समीक्षा करना। इस उद्देश्य के लिए अंकेक्षण समिति के एक सदस्य को पदनामित कर सकती है जो लेन–देन संबंधित पार्टी की समीक्षा करने के लिए उत्तरदायी होगा।

क्यू) राशि की सम्पूर्णता, अनावश्यक प्रयासों की कटौती एवं समस्त अंकेक्षण स्रोतों का प्रभावशाली उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए स्वतंत्र अंकेक्षकों के साथ अंकेक्षण प्रयासों के समन्वय की समीक्षा करना।

आर) स्वतंत्र अंकेक्षक एवं प्रबंधन के साथ निम्नांकित विचार एवं समीक्षा करना :

i. कंप्यूटरीकृत सूचना पद्धति नियंत्रण एवं सुरक्षा सहित आंतरिक नियंत्रण की पर्याप्तता और प्रबंधन की अनुक्रियाओं के साथ एवं

ii. प्रबंधन के साथ स्वतंत्र लेखा परीक्षा एवं आंतरिक लेखा परीक्षा के संबंधित निष्कर्ष एवं संस्तुति।

एस) प्रबंधन, आंतरिक अंकेक्षकों एवं स्वतंत्र अंकेक्षक के साथ निम्नांकित का विचार एवं समीक्षा करना :

i. पूर्व अंकेक्षण संस्तुतियों की स्थिति सहित वर्ष के दौरान महत्वपूर्ण निष्कर्ष।

ii. क्रिया–कलापों के विस्तार पर प्रतिबंध या अपेक्षित सूचना की पहुँच सहित अंकेक्षक कार्य के दौरान आई कोई कठिनाईयाँ।

टी) अंकेक्षण समिति के टर्म आफ रिफरेंस में उल्लेखित अन्य कोई कार्य पूरा करना।

(सी) ***संदर्भ की शर्तें :***

अंकेक्षण समिति की संदर्भ की शर्तें कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 177 के अनुरूप एवं भारी उद्योग एवं पब्लिक इंटरप्राइजेज, विभाग लोक उद्यम के द्वारा सीपीएसई के कॉरपोरेट गवर्नेंस पर जारी दिशा–निर्देशों के अनुरूप है।

अंकेक्षण समिति के निर्देशन की शर्तें संगठन के साथ–साथ उसके समस्त व्यावसायिक पक्षों पर लागू है :

- बोर्ड के समक्ष प्रस्तुत करने से पूर्व वित्तीय विवरण की समीक्षा।
- आंतरिक नियंत्रण प्रणाली अनुमोदन या संबंधित पक्षों के साथ कंपनी के लेनदेन के किसी भी बाद के संशोधन की आवधिक समीक्षा।
- सरकारी अंकेक्षक एवं सांविधिक अंकेक्षकों की प्रतिवेदन की समीक्षा।
- संचालित कार्य निष्पादन की तुलना के साथ मानक पैरमीटर की समीक्षा।
- परियोजना एवं अन्य पूँजीगत योजना की समीक्षा।
- आंतरिक अंकेक्षण का निष्कर्ष/आपत्तियों की समीक्षा।
- समपरिणाम का विकास एवं प्रभावी आंतकिरक अंकेक्षण कार्य।
- बोर्ड द्वारा जारी निर्देशों सहित किसी भी प्रकरण का विशेष अध्ययन/जाँच।
- स्वतंत्र अंकेक्षक के कार्यनिष्पादन एवं आडिट प्रक्रिया के समीक्षा।
- रिस्क प्रबंधन एवं आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली के मुल्यांकन।
- यदि आवश्यक हो तो सार्वजनिक प्रस्तावों और संबंधित मामलों के माध्यम् से उठाये गये धन के अंतिम उपयोग की निगरानी करना।
- अंतर निगम ऋण एवं निवेश की जाँच।
- जहाँ आवश्यक हो, कंपनी के परिसंपत्तियों या उपक्रम का मुल्यांकन।

(डी) ***अंकेक्षण समिति द्वारा सूचना/जानकारी की समीक्षा :***

अंकेक्षण समिति निम्नलिखित सूचना/जानकारी की समीक्षा करेगी :

- प्रबंधन चर्चा एवं वित्तीय स्थिति का विश्लेषण एवं संचालन का परिणाम।
- प्रबंधन द्वारा प्रस्तुत संबंधित पार्टी के लेन–देनों का विवरण।
- सांविधिक अंकेक्षकों द्वारा जारी प्रबंधन पत्र/आंतरिक नियंत्रण की कमजोरियों का पत्र।
- आंतरिक नियंत्रण के कमजोरियों से संबंधित आंतरिक अंकेक्षण प्रतिवेदन,
- मुख्य आंतरिक अंकेक्षक की नियुक्ति एवं हटाने का प्रस्ताव अंकेक्षण समिति के समक्ष रखा जायेगा, एवं
- मुख्य अधिकारी/मुख्य वित्त अधिकारी द्वारा वित्तीय विवरणों का प्रमाणीकरण/घोषणा।

(ई) **आंतरिक अंकेक्षण समिति की शक्तियाँ :**

भूमिका के अनुरूप, निदेशक मण्डल द्वारा अंकेक्षण समिति को पर्याप्त शक्तियाँ प्रत्यायोजित की गई हैं, जो निम्नवत् है :–

- शर्तो के संदर्भ में किसी भी गतिविधियों की जाँच कर सकती है।
- किसी भी कर्मचारी के बारे में या उससे सूचना माँग सकती है।
- निदेशक मण्डल के अनुमोदनपरान्त किसी बाहरी विधिक एवं पेशेवर विशेषज्ञ से सलाह ले सकती है।
- यदि आवश्यक हुआ तो प्रासंगिक विशेषज्ञताओं वाले बाहरी लोगों की उपस्थिति सुरक्षित रख सकती है।
- व्हीसल ब्लोअर की सुरक्षा करना।

21.4 ***निगमित समाजिक दायित्व समिति :***

निगमित समाजिक दायित्व (सीएसआर) एवं सततता, कंपनी की उसके स्टेकहोल्डरों के प्रति प्रतिबद्धता है जिसके अनुसार कंपनी अपने व्यवसाय को आर्थिक, समाजिक, पर्यावरण की दृष्टि से निरंतर पारदर्शी तरीके से चलाती है। स्टेकहोल्डरों के अंतर्गत कर्मचारी, निवेशक, अंशधारक, उपभोक्ता, व्यवसाय साझीदार, सिविल सोसायटी समूह, सरकारी एवं गैर सरकारी संगठन, स्थानीय समुदाय, पर्यावरण एवं समाज आदि आते हैं।

सीएसआर पोलिसी सीआईएल बोर्ड द्वारा पारित है जो कोल इण्डिया एवं उसकी अनुषंगी कंम्पनियों पर 30.06.2014 से लागू है, के तर्ज पर एनसीएल बोर्ड द्वारा सीएनआर पोलिसी पारित की गई है। पोलिसी को एनसीएल के वेबसाईट www.nclcil.in पर 'पॉलिसी' मद के तहत् दर्शाया गया है।

इन दिशा–निर्देशों के अनुसार एमयूओ में सीएसआर एवं सततता को गैर वित्तीय मानकों के अंतर्गत अनिवार्य तत्व के रूप में सम्मिलित किया गया है।

अधिनियम के उपरोक्त प्रावधानों और डीपीई द्वारा जारी दिशा–निर्देशों के मद्देनजर बोर्ड ने सीएसआर और स्थिरता समिति का गठन किया था पर कंपनीज एक्ट, 2013 के आने के बाद सीएसआर समिति का गठन एक्ट के प्रावधान के अनुसार किया गया। सीएसआर समिति की अध्यक्षता गैर सरकारी अंशकालिक (स्वतंत्र निदेशक) द्वारा की जाती है।

(ए) ***संरचना, सदस्यों के नाम एवं सी.एस.आर समिति के अध्यक्ष :***

सीएसआर समिति जिसकी अध्यक्षता गैर कार्यकारी अंशकालिक (स्वतंत्र) निदेशक द्वारा की जाती है, का एनसीएल बोर्ड की 241वीं, 245वीं और 251वीं बैठक जो वर्ष के दौरान 23.04.2019, 28.08.2019 और 01.03.2020 को हुई बैठक में निदेशक के बदलाव के कारण पुनर्गठन किया गया।

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान सीएसआर समिति की कुल 8 (आठ) बैठके हुई जो निमन्वत है 21वीं/27.05.2019, 22वीं/28.06.2019, 23वीं/28.08.2019, 24वीं/17.09.2019, 25वीं/06.11.2019, 26वीं/11.11.2019, 27वीं/20.12.2019 एवं 28वीं/27.01.2020। समिति का विवरण इस प्रकार है :–

क्र. सं.	समिति के सदस्य के नाम	पद	कार्यकाल	उनके कार्यकाल के दौरान हुई मीटिंग	मीटिंग की संख्या जिसमें शामिल हुए
स्वतंत्र निदेशक					
1	डॉ. एस.एम. झारवाल	अध्यक्ष	01.02.2020 तक	08	08
2	श्री एस.के. महेश्वरी	सदस्य	16.11.19 तक	06	06
3	प्रो. ए.के. अग्रवाल	सदस्य	16.11.19 तक	06	06
4	श्री बी.पी. पाण्डेय	सदस्य	23.04.2019 से	08	07
5	श्रीमती रमीलाबेन बारा	सदस्य	23.04.2019 से 11.03.20 तक	08	08
कार्यकारी निदेशक					
6	श्री गुणाधर पाण्डेय, निदेशक (तक./संचा.)	सदस्य	पूरे वर्ष	08	08
7	श्री एन.एन. ठाकुर, निदेशक (वित्त) एवं (कार्मिक 25.02.2020 तक)	सदस्य	पूरे वर्ष	08	08
8	श्री पी.एम. प्रसाद, निदेशक (तक./परि एवं योज.)	सदस्य	02.08.2019 तक	02	02
9	श्री एम.के. प्रसाद, निदेशक (तक./परि एवं योज.)	सदस्य	28.08.2019 से	06	04 (01 आमंत्री और 03 सदस्य के रूप में)
10	श्री बिमलेंदु कुमार, निदेशक (कार्मिक)	सदस्य	01.03.2020 से	लागू नहीं	लागू नहीं

महाप्रबंधक (सीएसआर) बैठकों के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी हैं।

21.5 *नामांकन एवं पारिश्रमिक समिति :*

डीपीई के दिशानिर्देशों के अनुसार, एनसीएल ने वर्ष 2019–20 के दौरान नामांकन और पारिश्रमिक समिति का गठन किया है, जिसमें अंशकालिक निदेशक यानी नामांकित निदेशक और स्वतंत्र निदेशक शामिल हैं। इस समिति की अध्यक्षता स्वतंत्र निदेशक करते हैं।

(ए) *नामांकन और पारिश्रमिक समिति कि रचना, बैठक एवं उपस्थिति*

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 178 के प्रावधानों और कॉर्पोरेट गवर्नेंस पर डीपीई दिशानिर्देशों के अध्याय 5 के प्रावधानों को ध्यान में रखते हुए, एनसीएल बोर्ड ने 23.04.2019 एवं 01.03.2020 को आयोजित अपनी 241वीं एवं 251वीं बैठक में नामांकन और पारिश्रमिक समिति का पुनर्गठन किया।

वर्ष 2019–20 के दौरान दो बैठके हुई 5वीं / 22.04.2019 को और 6वीं / 28.06.2019 को समिति का विवरण इस प्रकार है :

क्र. सं.	समिति सदस्य का नाम	पद	कार्यकाल	कार्यकाल के दौरान बैठकों की संख्या	बैठकों में शामिल
स्वतंत्र निदेशक					
1	डॉ. एस.एम. झारवाल	अध्यक्ष	01.02.2020 तक	02	02
2	प्रो. ए.के. अग्रवाल	सदस्य	16.11.2019 तक	02	02
3	श्री एस.के. महेश्वरी	सदस्य	16.11.2019 तक	02	02
4	श्री बी.पी. पाण्डेय	सदस्य	23.04.2019 से	01	01
5	श्रीमती रमीलाबेन बारा	सदस्य	23.04.2019 से 11.03.2019	01	01
सरकारी अंशकालिक निदेशक					
6	श्रीमती रीना सिन्हा पूरी–संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, कोयला मंत्रालय	सदस्य	29.11.2019 तक	02	01
7	श्री एस.एन. प्रसाद, निदेशक (विपणन) (कोल इंडिया लिमिटेड)	सदस्य	30.11.2019 तक	02	00
8	श्री एस.एन. तिवारी, निदेशक (विपणन) (कोल इंडिया लिमिटेड)	सदस्य	01.03.2020 से	लागू नहीं	लागू नहीं
कार्यकारी निदेशक					
9	श्री एन.एन. ठाकुर, निदेशक (वित्त) एवं (कार्मिक 01.03.2020 तक)	आमंत्री	पूरे वर्ष	02	02
10	श्री बिमलेंदु कुमार, निदेशक (कार्मिक)	आमंत्री	01.03.2020 से	लागू नहीं	लागू नहीं

महाप्रबंधक (कार्मिक / ईई), समिति की बैठकों के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी हैं।

21.6 *जोखिम प्रबंधन समिति*

जोखिम प्रबंधन समिति, लोक उद्यम विभाग एवं कम्पनी अधिनियम 2013 की धारा 134 में तहत् कोरपोरेट गवर्नेन्स पर दिये गये दिशा निर्देश के तहत कार्य करती है।

वांछित प्रक्रिया को निदेशक मण्डल के समक्ष प्रस्तुत कर जोखिम आश्वासन एवं न्युनीकरण प्रकिया के संबंध में सूचित किया जाता है एवं परिभाषित कार्य प्रणाली द्वारा जोखिम नियंत्रण सुनिश्चित करने हेतु कार्यकारी प्रबंधन की समिक्षा की जाती है।

(ए) *जोखिम प्रबंधन समिति की संरचना, बैठके एवं उपस्थिति :*

वर्ष के दौरान निदेशक मण्डल में निदेशक के परिवर्तन के कारण, जोखिम प्रबंधन समिति को निदेशक मण्डल की 241वीं एवं 245वीं बैठक जो 23.04.2019 और 28.08.2019 को हुई को पुनर्गठित किया गया।

वर्ष 2019–20 के दौरान, जोखिम प्रबंधन समिति की 22.04.2019 को 01 (एक) बैठक हुई जिसमें सभी सदस्य उपलब्ध रहे।

समिति का विवरण निम्न है :–

क्र. सं.	नाम	समिति में पद	स्थिति	कार्यकाल के दौरान हुई बैठक की संख्या	बैठकों की संख्या
स्वतंत्र निदेशक					
1	प्रो. ए.के. अग्रवाल	अध्यक्ष	16.11.19 तक	01	01
2	श्री एस.के. माहेश्वरी	सदस्य	16.11.19 तक	01	01
3	डॉ. एस.एम. झारवाल	सदस्य	1.2.2020 तक	01	01
4	श्रीमती रमीलाबेन बारा	सदस्य	23.04.2019 से 11.03.2020 तक	लागू नहीं	लागू नहीं
कार्यकारी निदेशक					
5	श्री गुणाधर पाण्डेय, निदेशक (तक./संचा.)	सदस्य	पूरे वर्ष	01	01
6	श्री एन.एन. ठाकुर निदेशक (वित्त) एवं (कार्मिक 01.03.2020 तक)	सदस्य	पूरे वर्ष	01	01
7	श्री पी.एम. प्रसाद, निदेशक (तक./योज एवं परि.)	सदस्य	02.08.2019 तक	01	01
8	श्री एम.के. प्रसाद निदेशक (तक./योज एवं परि.)	सदस्य	28.08.2019 से	लागू नहीं	लागू नहीं

महाप्रबंधक (सीपी), मुख्य जोखिम अधिकारी के रूप में समिति के बैठकों के समन्वय के लिए नोडल अधिकारी हैं।

21.8.0 ***निदेशक मंडल की अन्य समितियाँ***

बोर्ड की अन्य उप समितियों, जो कि कंपनी अधिनियम, 2013 या डीपीई दिशानिर्देशों के प्रावधानों के अनुसार अनिवार्य नहीं हैं, का विस्तृत विवरण निम्नाकिंत हैं :–

21.8.1 ***सशक्त उप समिति (एम्पावर्ड सब कमेटी)***

यह समिति परियोजना निगरानी, परियोजना प्रस्ताव, परियोजना समीक्षा, परियोजना अनुशंसा एवं नयी परियोजना की सिफारिश का कार्य करती है।

(ए) ***समिति की संरचना, बैठके एवं उपस्थिति :–***

वर्ष के दौरान एनसीएल के निदेशक मण्डल में निदेशक के परिवर्तन के कारण, एनसीएल के निदेशक मण्डल की सशक्त उप समिति का पुनर्गठन निदेशक मण्डल की 241वीं, 245वीं एवं 251वीं बैठक जो 23.04.2019, 28.08.2019 एवं 01.03.2020 को हुई, में किया गया। वर्ष 2019–20 के दौरान सशक्त समिति की एक (1) बैठक (चौथी) बैठक 27.05.2019 को हुई। समिति का विवरण निम्न है :–

क्र. सं.	समिति के सदस्य का नाम	समिति में पद	कार्यकाल	कार्यकाल के दौरान हुई बैठक की संख्या	बैठकों की संख्या
1	श्री पी.के. सिन्हा, सीएमडी, एनसीएल	अध्यक्ष	पूरे वर्ष	01	01
स्वतंत्र निदेशक					
2	श्री एस.के. माहेश्वरी	सदस्य	16.11.19 तक	01	01
3	प्रो. ए.के. अग्रवाल	सदस्य	16.11.19 तक	01	01
4	डॉ. एस.एम. झरवाल	सदस्य	01.02.20 तक	01	01
5	श्री बी.पी. पाण्डेय	सदस्य	पूरे वर्ष	01	01

6	श्रीमती रमीलाबेन बारा	सदस्य	21.12.2019 से 11.03.2020 तक	01	01
सरकारी अंशकालिक निदेशक					
7	श्रीमती रीना सिन्हा पूरी, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, कोयला मंत्रालय	सदस्य	29.11.19 तक	01	00
8	श्री एस.एन. प्रसाद, निदेशक (विपणन), कोल इंडिया	सदस्य	30.11.19 तक	01	00
9	श्री एस.एन. तिवारी निदेशक (विपणन), कोल इंडिया	सदस्य	01.03.20 से	लागू नहीं	लागू नहीं
कार्यकारी निदेशक					
10	श्री गुणाधर पाण्डेय, निदेशक (तक./संचा.)	सदस्य	पूरे वर्ष	01	01
11	श्री एन.एन. ठाकुर निदेशक (वित्त) एवं (कार्मिक 25.02.2020 तक)	सदस्य	23.04.19 से	01	01
12	श्री पी.एम. प्रसाद, निदेशक (तक./परि.एवं यो)	सदस्य	02.08.2019 तक	01	01
13	श्री एम.के. प्रसाद, निदेशक(तक./परि. एवं यो)	सदस्य	28.08.2019 से	लागू नहीं	लागू नहीं
अन्य सदस्य					
14	श्री सलिल कुमार झा, सीओएम, ईसी रेल्वे–स्थायी आमंत्रि	सदस्य	पूरे वर्ष	01	00

21.8.2 ***तकनीकी उप समिति :***

यह समिति एनसीएल बोर्ड द्वारा तकनीकी मुद्दों पर एक सलाहकार निकाय के रूप में गठित की गई थी।

(ए) ***तकनीकी उप समिति की संरचना, बैठकें एवं उपस्थिति***

वर्ष के दौरान एनसीएल के निदेशक मण्डल में निदेशक के परिवर्तन के कारण, एनसीएल के निदेशक मण्डल की तकनीकी उप समिति का पुनर्गठन निदेशक मण्डल की 241वीं एवं 245वीं बैठक जो 23.04.2019, एवं 28.08.2019 को हुई, में किया गया। वर्ष के दौरान तकनीकी उप समिति की कोई भी बैठक नहीं हुई। समिति का विवरण निम्न है।

क्र.सं.	नाम	समिति में पद	कार्यकाल
स्वतंत्र निदेशक			
1	प्रो. ए.के. अग्रवाल	अध्यक्ष	16.11.19 तक
2	श्री एस.के. माहेश्वरी	सदस्य	16.11.19 तक
3	डॉ. एस.एम. झरवाल	सदस्य	01.02.20 तक
4	श्रीमती रमीलाबेन बारा	सदस्य	23.04.2019 से 11.03.2020 तक
5	श्री बी.पी. पाण्डेय, निदेशक	सदस्य	23.04.2019 से
कार्यकारी निदेशक			
6	श्री गुणाधर पाण्डेय, निदेशक (तक./संचा.)	सदस्य	पूरे वर्ष
7	श्री एन.एन. ठाकुर निदेशक (वित्त) एवं (कार्मिक 25.02.2020 तक)	सदस्य	पूरे वर्ष
8	श्री पी.एम. प्रसाद, निदेशक (तक./परि. एवं यो)	सदस्य	02.08.2019 तक
9	श्री एम.के. प्रसाद, निदेशक (तक./परि. एवं यो)	सदस्य	28.08.2019 से

21.8.3 *संशोधित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार निदेशकों की सशक्त समिति*

कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक मण्डल ने संशोधित शक्तियों को प्रत्यायोजन के अनुसार निदेशकों की सशक्त समिति को पारित किया जिसके अनुसार एनसीएल बोर्ड द्वारा 18 सितंबर, 2019 को आयोजित 246 वीं बैठक में निदेशक मंडल की सशक्त समिति का गठन किया गया, जिसके तहत खरीद और अनुबंधों में नयी शक्तियों का प्रत्यायोजन के अनुसार पारित कर सके।

(ए) *निर्देशकों की संशोधित समिति के अनुसार संशोधित शक्तियों के प्रत्यायोजन के अनुसार निदेशकों की सशक्त समिति की संरचना, बैठकें एवं उपस्थिति*

कोल इंडिया के निर्देशों को ध्यान में रखते हुए एवं एनसीएल के निदेशक मण्डल में निदेशको के परिवर्तन के कारण निदेशकों की उपरोक्त सशक्त समिति का पुनर्गठन निदेशक मण्डल की 249वीं एवं 251वीं बैठक जो वर्ष 2019–20 के दौरान 21.12.2019 एवं 01.03.2020 हुई, में किया गया। निदेशकों की सशक्त समिति की एक (01) बैठक 01/27.01.2020 को हुई। समिति का विवरण निम्न है :–

क्र. सं.	समिति के सदस्य के नाम	समिति में पद	कार्यकाल	कार्यकाल के दौरान हुई बैठक की संख्या	बैठकों कि संख्या जिसमें उपस्थित हुए
1	श्री पी.के. सिन्हा, अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक	अध्यक्ष	पूरे वर्ष	01	01
स्वतंत्र निदेशक					
2	श्री एस.के. माहेश्वरी	सदस्य	16.11.19 तक	लागू नहीं	लागू नहीं
3	डॉ. एस.एम. झारवाल	सदस्य	01.02.2020 तक	01	01
4	श्री बी.पी. पाण्डेय	सदस्य	पूरे वर्ष	01	01
5	श्रीमती रमीलाबेन बारा	सदस्य	11.03.2020 तक	01	01
सरकारी अंशकालिक निदेशक					
6	श्रीमती रीना सिन्हा पूरी, संयुक्त सचिव एवं वित्त सलाहकार, कोयला मंत्रालय	सदस्य	29.11.2019 तक	लागू नहीं	लागू नहीं
7	श्री मुकेश चौधरी, निदेशक, कोयला मंत्रालय	सदस्य	21.12.2019 से 17.03.2020 तक	01	01
8	श्री एस.एन. प्रसाद निदेशक (विपणन), कोल इंडिया	सदस्य	30.11.19 तक	लागू नहीं	लागू नहीं
9	श्री एस.एन. तिवारी, निदेशक (विपणन), कोल इंडिया	सदस्य	01.03.2020 से	01	01 (आमंत्री के रूप में)
कार्यकारी निदेशक					
10	श्री गुणाधर पाण्डेय, निदेशक (तक./परि.)	सदस्य	पूरे वर्ष	01	01
11	श्री एन.एन. ठाकुर, निदेशक (वित्त) एवं (कार्मिक 25.02.2020 तक)	सदस्य	पूरे वर्ष	01	01
12	श्री एम.के. प्रसाद निदेशक (तक./परि. एवं यो)	सदस्य	पूरे वर्ष	01	01

21.9 ***वार्षिक साधारण बैठक/अतिरिक्त साधारण बैठक/स्वतंत्र निदेशकगण की बैठक***

(ए) *वार्षिक साधारण बैठक*

विगत् तीन वर्षों में हुई वार्षिक साधारण बैठक का विवरण निम्नलिखित है :–

विवरण	2017–18 32वीं एजीएम	2018–19 33वीं एजीएम	2019–20 34वीं एजीएम
दिनांक	05.07.2017	16.07.2018	07.08.2019
समय	पूर्वाह्न 10.30 बजे	पूर्वाह्न 10.00 बजे	पूर्वाह्न 09.30 बजे
दिन	बुधवार	सोमवार	बुधवार
स्थान	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय सिंगरौली (म.प्र.)	होटल रेडिसन जस. खजुराहो (म.प्र.)	होटल हायत रीजेंसी, अमृतसर, एमबीएम फॉर्म्स, जीटी रोड़, अमृतसर, पंजाब–143001
विशेष संकल्प	शून्य	शून्य	02

(बी) *अतिरिक्त साधारण बैठक*

विवरण	2017–18	2018–19	2019–20
दिनांक	21.3.2018	शून्य	शून्य
समय	पूर्वाह्न 11.00 बजे		
दिन	बुधवार		
स्थान	कंपनी का पंजीकृत कार्यालय, सिंगरौली (म.प्र.)		
विशेष संकल्प	नहीं		

(सी) *स्वतंत्र निदेशकगण की बैठक*

चालू वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान स्वतंत्र निदेशकगणों की बैठक नहीं हुई। हालाँकि कार्पोरेट मंत्रालय ने अपने सर्क्युलर क्रमांक 2/1/2020–सीएल–वी दिनांक 24.03.2020 में वित्त वर्ष 2019–20 के लिए यह स्पष्ट किया कि यदि स्वतंत्र निदेशक बैठक नहीं कर पाते हैं, तो उसे उल्लंघन के रूप में नहीं देखा जाएगा।

21.10 ***निदेशकगणों का पारिश्रमिक***

कंपनी के सभी निदेशकगणों की नियुक्ति राष्ट्रपति द्वारा की जाती है। नियुक्ति किसी भी ओर से या तो 3 महीने की सूचना या 3 महीने का तनख्वा देकर समाप्त की जा सकती है। समस्त पूर्णकालिक कार्यकारी निदेशकों की नियम व शर्ते तथा पारिश्रमिक कंपनी/कोल इंडिया लिमिटेड के संघ की नियमावली की शर्तो पर राष्ट्रपति द्वारा निर्धारित की जाती है।

(ए) *कार्यकारी निदेशकगण*

कोल इंडिया लिमिटेड एवं भारत सरकार, द्वारा निर्धारित वेतनमान के अनुरूप कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का भुगतान किया जाता है। वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के कार्यकारी निदेशकों के पारिश्रमिक का विवरण निम्नवत् दिया गया है, जो प्रारूप एमजीटी– 9 में भी दर्शाया गया है एवं कंपनी के वेबसाईट www.nclcil.in पर भी संदर्भ हेतु अपलोड किया गया है।

कार्यकारी निदेशकगण और प्रमुख प्रबन्धक कार्मिक का पारिश्रमिक :

कंपनी के प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और कंपनी के अन्य प्रमुख प्रबन्धक कार्मिक का पारिश्रमिक

क्र. सं.	नाम	वेतन	सुविधाएँ	सेवा निवृत्ति के बाद के लाभ जैसे प्रोविडेंट फंड एवं अन्य फंड में योगदान	कुल परिश्रमिक
1	श्री पी.के. सिन्हा	37,25,581.50	10,50,770.62	5,37,275	53,13,627.12
2	श्री गुणाधर पांडे	46,52,712.92	4,13,791.59	5,34,538	56,01,042.51
3	श्री पी.एम प्रसाद	14,21,111.25	2,19,202.50	2,04,828	18,45,141.75
4	श्री एन.एन. ठाकुर	42,03,942.35	8,66,037.68	5,23,890	54,93,869.93
5	श्री एम.के.प्रसाद	–	–	–	शून्य
6	श्री बिमलेंदु कुमार	2,72,044.64	1,18,381.20	70,704.40	4,61,130.24 (भुगतान सेंट्रल कोलफील्ड्स द्वारा किया गया।)
7	श्री हर्ष चौहान	12,45,036.80	86,105.03	1,70,166	15,01,307.83

बी) *अंशकालिक सरकारी निदेशकगण (सरकारी नामित निदेशक) :*

वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न अवधि में पद पर रहे ऐसे अंशकालिक सरकारी निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान एनसीएल द्वारा नहीं किया गया है।

(सी) *अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकगण :*

वर्ष 2019–20 के दौरान विभिन्न अवधि में अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को पारिश्रमिक का भुगतान एनसीएल द्वारा नहीं किया गया। पर एनसीएल द्वारा अंशकालिक, गैर सरकारी निदेशकों को बोर्ड एवं समिति की बैठकों में उपस्थित रहने के लिए कंपनी एक्ट 2013 एवं डीपीई की दिशा निर्देशों के अंतर्गत कोल इंडिया लिमिटेड बोर्ड द्वारा निर्धारित दर (अधिकतम सीमा के अंदर) बैठक शुल्क का भुगतान किया जाता है। अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकों को वर्ष 2019–20 के दौरान बैठक शुल्क के भुगतान का विवरण निदेशकगण प्रतिवेदन के फार्म एमजीटी–9 जो एनसीएल के वेबसाइट www.nclcil.in पर संदर्भ हेतु अपलोड किया गया है।

अंशकालिक गैर सरकारी निदेशकगण को दिये गये पारिश्रमिक का विवरण निम्नवत है :

क्र. सं.	पारिश्रमिक का विवरण	निदेशकगण के नाम					कुल राशि (रुपये में)
1.	स्वतंत्र निदेशक	सीए एस. के. माहेश्वरी	प्रो. अरुण कुमार अग्रवाल	डॉ. एस. एम. झारवाल	श्रीमती रामिलाबेन बारा	श्री बी. पी. पांडेय	
	बोर्ड एवं समिति की बैठक में उपस्थिति हेतु फीस	4,80,000	4,80,000	6,20,000	4,60,000	5,00,000	25,40,000
	अन्य, कृपया निर्दिष्ट करें	–	–	–	–	–	–
	कुल (1)	4,80,000	4,80,000	6,20,000	4,60,000	5,00,000	25,40,000

(डी) *स्थाई आमंत्री*

एनसीएल के स्थाई आमंत्री को निदेशक मण्डल की बैठक हेतु पारिश्रमिक का भुगतान नहीं किया गया ।

21.11 ***सांविधिक प्रकटीकरण :***

कारपोरेट गवर्नेन्स के सर्वोत्तम पद्धति के प्रकरण में एवं डीपीई के दिशा–निर्देश के अनुपालन में निम्नलिखित प्रकटीकरण तैयार किए गए हैं :–

(ए) *संबन्धित पार्टी से महत्वपूर्ण लेन–देन :*

कंपनी हित एवं संभावित विरोध को दृष्टिगत रखते हुए 31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष में निदेषकगण या वरिष्ठ प्रबंधक कार्मिक या इनके संबंधितों के साथ कंपनी द्वारा कोई लेन–देन नहीं किया गया जो कि बड़े पैमाने पर कंपनी के हित के साथ संभावित दुष्प्रभाव हो सकता है।

वर्ष 2019–20 के दौरान संबंधित पार्टी के साथ कोई अनुबंध या व्यवस्था के संबंध में बोर्ड की बैठकों में कोई एजेण्डा नहीं रखा गया। संबंधित पार्टी डिसक्लोजर टिप्पणी 38 ''लेखा के अतिरिक्त नोट'' में बिन्दु 6 (ई) में दर्शाया गया है।

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 188 के तहत फॉर्म एओसी–2 अनुलग्नक–VI के रूप में संलग्न है।

(बी) *कंपनी द्वारा विधि के अनुपालन का विवरण :*

निदेशक मण्डल ने कंपनी पर लागू विभिन्न विधियों के अनुपालन पर नजर रखी है एवं विगत तीन वर्षों के दौरान कंपनी के ध्यान में ऐसे कोई प्रकरण नहीं लाया गया है जिसमें कंपनी द्वारा अनुपालन न किए जाने के लिए सरकार द्वारा जारी किसी मामले से संबंधित दिशा–निर्देशों के आधार पर किसी प्राधिकारी द्वारा कंपनी पर अनुपालन न किए जाने के लिए प्रतिकूल रिपोर्ट, दण्ड, निहित किया गया।

(सी) *डीपीई के कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशा–निर्देशों का अनुपालन :*

निदेशक मंडल, लेखा परीक्षा समिति, प्रकटीकरण प्रतिवेदन, आचार संहिता आदि के संदर्भ में दिशा–निर्देशों का अनुपालन किया गया है। कारपोरेट गवर्नेंस के शर्तो के अनुपालन के संबंध में कंपनी अंकेक्षक का प्रमाण–पत्र इस प्रतिवेदन के साथ अनुलग्नक–VII में संलग्न है।

अवर सचिव कोयल मंत्रालय, भारत सरकार, नई दिल्ली को कारपोरेट गर्वनेंस के अनुपालन की तिमाही अनुपालन रिपोर्ट निर्धारित प्रोफार्मा में नियमित रूप से भेजी जाती है। प्रथम, द्वितीय, तृतीय एवं चर्तुथ तिमाही का रिपोर्ट कोयला मंत्रालय को क्रमशः 15 जुलाई, 2019, 14 अक्टूबर, 2019, 11नवम्बर, 2019 एवं 07 मई, 2020 को तय समय के भीतर भेजा गया।

(डी) *राष्ट्रपति के निर्देश :*

एनसीएल को वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान केन्द्रीय सरकार द्वारा माननीय राष्ट्रपति का कोई निर्देश जारी नहीं किया गया है।

(ई) *व्ययों का विवरण :*

लेखा पुस्तक में व्यय को डेबिट किए जाने संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है, जो व्यवसाय के उद्देश्य के लिए न की गई हो सिर्फ सीएसआर के खर्चे छोड़कर।

निदेशक मंडल एवं उच्च प्रबंधन के लिए व्यय की गई व्यक्तिगत प्रकृति राशि को डेबिट किए जाने संबंधी कोई रिपोर्ट प्राप्त नहीं हुई है। प्रशासनिक कार्यालय व्यय का विवरण वार्षिक लेखा विवरण में दिया गया है।

21.12 *संचार के साधन :*

कंपनी अपने अंशधारकों के साथ संचार हेतु वार्षिक प्रतिवेदन, आम बैठकें एवं वेबसाइट के माध्यम से प्रकटीकरण, कार्यालय जनरल ''एनसीएल पानोरमा'' एवं प्रमुख अंग्रेजी समाचार–पत्र एवं स्थानीय दैनिक के माध्यम से संवाद स्थापित करती है।

उपरोक्त के अतिरिक्त कंपनी की वार्षिक रिपोर्ट घटनाक्रमों को कंपनी के वेबसाइट : www.nclcil.in में अपलोड किया जाता है। कंपनी से संबंधित सूचना, ताजी जानकारी एवं घोषणाएं कंपनी वेबसाइट पर देखी जा सकती है। इसी क्रम में कंपनी के उपलब्धियों की जानकारी आम जनता में प्रदर्शित करने के लिए प्रेस वार्ता भी आयोजित की जाती है।

21.13 *बोर्ड सदस्यों का प्रशिक्षण :*

निदेशक मंडल को कंपनी में व्यावसाय संबंधित समस्त प्रकरणों, संबद्ध जोखिम, आगे की रणनीति आदि के बारे में पूरी जानकारी दी जाती है।

कार्यकारी निदेशकगण अपने वांछित विशेषता एवं अनुभव सद्‌गुणों के कारण संबेधित कार्य क्षेत्रों के प्रमुख होते है। उन्हें कंपनी के व्यापार की जोखिम की रूपरेखा की जानकारी होती है। अंशकालिक निदेशकों को भी कंपनी के व्यापार मंडल की पूरी जानकारी दी जाती है।

सभी कार्यकारी निदेशकगण को कोल इंडिया की पॉलिसी के तहत भारत एवं विदेश में प्रशिक्षण दिया जाता है। स्वतंत्र निदेशकगण हेतु समय–समय पर कारपोरेट गवर्नेस पर प्रशिक्षण प्रायोजित किए जाते हैं। कंपनी के नवनियुक्त निदेशकगण को कंपनी के विभिन्न पहलुओं जैसे–संविधान, विजन एवं मिशन कथन, कोर गतिविधियाँ, बोर्ड प्रक्रियायें, रणनीति निदेशों आदि से परिचित कराया जाता है। निदेशक को डीपीई एवं इंस्टीट्यूट ऑफ डायरेकटर, हैदराबाद द्वारा कराये गए प्रशिक्षण में भाग लेने के लिए कंपनी द्वारा नामित किया जाता है और वे उपरोक्त प्रशिक्षण लेते हैं।

21.14 *व्हीसल ब्लोअर नीति :*

इस नीति का गठन कंपनी के आचार संहिता के अनैतिक व्यवहार, वास्तविक व संदिग्ध, धोखा–धड़ी व उल्लंघन को प्रबंधन के समक्ष प्रस्तुत करने हेतु कर्मचारियों को अवसर प्रदान करने हेतु किया गया। यह प्रतिशोध व जुल्म से कर्मचारियों को सुरक्षा के लिए आवश्यक रक्षोपाय के लिए प्रदान किया गया है। ऐसी कोई सूचना प्राप्त नहीं हुई है कि किसी भी व्हीसल ब्लोअर को अंकेक्षण समिति से मिलने के लिए रोका गया हो।

सीआईएल के व्हीसल ब्लोअर नीति कंपनी के कर्मचारियों के नैतिक व्यवहार सौहार्द्रपूर्ण बनाने एवं विभिन्न स्टेक होल्डर्स (दांवधारियों) के रूचि को बढ़ाने में सीआईएल की व्हीसल ब्लोअर नीति को प्रक्रिया में लाया सीआईएल कि अनुशंगी होने के संदर्भ में यह नीति एनसीएल में लागू होती है इसे कंपनी की वैबसाइट www.nclcil.in पॉलिसी में दर्शाया गया है।

21.15 ***ईमानदारी समझौता एवं आईईएम :***

कंपनी ने समझौता ज्ञापन में पारदर्शिता अंतर राष्ट्रीय भारत (टीआईआई) सहित ईमानदारी समझौता कार्यक्रम क्रियान्वित करने एवं इसमें व्यवसाय लेनदेन, संविदा एवं क्रय प्रक्रियाओं में पारदशिता बढ़ाने पर केन्द्रित किया है। कंपनी समझौता ज्ञापन अंतर्गत समस्त प्रमुख क्रय एवं संविदा कार्य में गतिविधियों में ईमानदारी समझौता क्रियान्वित करने हेतु प्रतिवद्ध है। केन्द्रीय सतर्कता आयुक्त (सीवीसी), अनुवीक्षण गतिविधियों के लिए दो स्वतंत्र वाह्य मोनिटर्स को टीआईआई के परामर्ण से श्रेष्ठ व्यक्तियों को नामित किया गया है। ईमानदारी समझौता से स्थापित पद्धतियों को एवं क्रिएटिंग ट्रस्ट द्वारा प्रक्रियों एवं सीवीसी के पूर्ण सहयोग किया गया है।

21.16 ***निदेशकगण एवं वरिष्ठ अधिकारियों के लिए आचार संहिता :***

कंपनी के निदेशकगण एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक के लिए आचार संहिता बोर्ड द्वारा बनाई गई है जिसे सभी संबंधितों को परिचालित किया गया है एवं उसे कंपनी के वेबसाइट www.nclcil.in पर रखा गया है। कंपनी के निदेशकगण एवं वरिष्ठ प्रबंधन कार्मिक ने 31 मार्च 2020 के समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के आचार संहिता के प्रावधान के अनुपालन की पुष्टि की है।

21.17 ***प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट :***

डीपीई द्वारा जारी कॉर्पोरेट शासन पर दिशानिर्देशों के अनुपालन में विभिन्न विषयों पर प्रबंधन द्वारा संक्षिप्त चर्चा और विश्लेषण को एक रिपोर्ट में संकलित किया गया है जो निदेशक–रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में अनुलग्नक–VIII में संलग्न है।

21.18 ***डीपीई दिशानिर्देशों का अनुपालन :***

डीपीई ने दिशा निर्देश/नियम/प्रक्रिया जारी किए हैं जिन्हें प्रत्येक सीपीएसई को मानना है और वित्तीय वर्ष के अंत में अनुपालन/अनुपालन नहीं का प्रमाण–पत्र 30 अप्रैल तक कारण बताते हुए कोयला मंत्रालय को भेजना है।

उपर्युक्त के अनुकरण में एनसीएल ने समय पर 12 अप्रैल 2020 को कोयला मंत्रालय को अनुपालन/अनुपालन नहीं (यदि कोई हो तो विवरण एवं कारण सहित) का प्रमाण पत्र भेजा।

21.19 ***सीपीएसई की पूंजी पुनः संरचना :***

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कंपनी ने निवेश और सार्वजनिक संपत्ति प्रबंधन विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 27 मई, 2016 को जारी किए गए केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पूंजी पुनर्गठन पर दिशा–निर्देशों का पूरी तरह से अनुपालन किया है जो निम्नाकिंत है :

(ए) *बोनस शेयर*

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान दिशनिर्देशों के अनुसार बोनस शेयर जारी करने की आवश्यकता नहीं थी।

(बी) *लाभांश का भुगतान*

कंपनी ने वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान अंतरिम लाभांश की घोषणा की थी और 3911.83 करोड़ रुपये (804.09 करोड़ रुपये का डीडीटी) रुपये को अधिकतम लाभांश का भुगतान कोल इंडिया लिमिटेड को किया था।

(सी) *शेयरों का विभाजन*

दिशा–निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान शेयरों के विभाजन की आवश्यकता नहीं थी।

(डी) *शेयरों की पुनर्खरीद*

दिशा–निर्देशों के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान शेयरों के पुर्नखरीद की आवश्यकता नहीं थी।

21.20 ***शेयरों का डिमटेरियलाइजेशन :***

एमसीए नियमों के अनुपालन में, कंपनी ने अपने शेयरधारकों को डिमटेरियलाइजेसन की सुविधा नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड (एनएसडीएल) को डिपॉजिटरी और एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड को रजिस्ट्रार और ट्रांसफर एजेंट के रूप में नियुक्त करके प्रदान की है। 31.03.2020 को डीमैटरियलाइज्ड और भौतिक मोड में रखे गए शेयरों का विवरण निम्नानुसार है :

धारण करने की विधि		शेयरों
एनएसडीएल	(कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा)	6309402
भौतिक	(कोल इंडिया लिमिटेड नामित)	3
कुल		**6309405**

एनसीएल के शेयर का आईएसआईएन कोड INE02ET01017 है।

22.0 अन्य वैधानिक खुलासे

22.1 ***कंपनी के मुख्यालय में एनसीएल के वार्षिक लेखा की उपलब्धता :***

वर्ष 2019–20 के लिए नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वार्षिक लेखा कंपनी के मुख्यालय एवं कंपनी की वैबसाइट पर उपलब्ध है ताकि कोल इंडिया लिमिटेड के शेयरधारकों को मांग पर उपलब्ध हो।

22.2 ***वार्षिक रिटर्न/वार्षिक रिटर्न के निष्कर्ष :***

ए) *वार्षिक रिटर्न*

वार्षिक रिटर्न नियमित रूप से आरओसी को दाखिल किया जाता है। वर्ष 2018–19 का वार्षिक रिटर्न कंपनी के रजिस्ट्रार को निर्धारित समयावधि में दाखिल किया गया। वर्तमान वर्ष 2019–20 में वार्षिक रिटर्न को एमजीटी–7 में निर्धारित समय में फाइल किया जाएगा।

बी) *वार्षिक रिटर्न के निष्कर्ष*

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (3)(ए), जिसे कंपनी के (प्रबंधन एवं प्रशासन) नियम 2014 के नियम 12(1) साथ पढ़ा जाए, के अंतर्गत वांछित अनुरूप वार्षिक रिटर्न का उद्धहरण फार्म सं. एमजीटी–9 को एनसीएल के बेबसाईट www.nclcil.in पर अपलोड कर दिया गया। उसी की प्रति अनुलग्नक–X के रूप में संलग्न है।

22.3 ***स्वतंत्र निदेशकगण की घोषणा :***

कंपनी अधिनियम–2013 के धारा 149(6) के अंतर्गत स्वतंत्र निदेशक द्वारा घोषणा की गई है कि वे स्वतंत्रता मापदण्ड को पूरा करते हैं, जो बोर्ड द्वारा रिकार्ड कर लिया गया है।

22.4 ***कंपनी द्वारा ऋण गारंटी एवं निवेश :***

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186 के प्रावधानों के अनुपालन में दिए गए किसी भी ऋण, गारंटी एवं निवेश का प्रति अनुलग्नक–XII के रूप में संलग्न है।

22.5 ***वित्तीय वर्ष के समाप्ति के पश्चात् और रिपोर्ट तैयार होने तक किसी भी प्रकार का मटिरियल चेंज एवं कमिटमेंट वित्तीय विवरण में परिवर्तन :***

किसी तरह की भौतिक परिवर्तन एवं प्रतिवद्धता नहीं की गई है जिससे कंपनी के वित्तीय वर्ष के समाप्ति पश्चात् वित्तीय विवरण में जो परिवर्तन किया गया है उससे कंपनी के वित्तीय स्थिति पर किसी भी प्रकार का प्रभाव नहीं पड़ा है। कोरोना वायरस का प्रकोप भारत और दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों में भारी

परेसनी और मंदी का कारण बन रहा है। कंपनी ने अपने व्यापार के संचालन पर इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। इसकी समीक्षा और आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, इसके वित्तीय परिणाम पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं पड़ा है। कंपनी भविष्य की आर्थिक स्थितियों और उसके व्यवसाय पर प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

22.6 ***जमा :***

जैसा कि कंपनी के सांविधिक अंकेक्षण रिपोर्ट में रिपोर्ट किया गया है कंपनी ने धारा 73 से 76 (कंपनी अधिनियम 2013 के अध्याय–V) के अंतर्गत या अधिनियम की किसी अन्य प्रावधान के तहत किसी भी प्रकार को कोई जमा स्वीकार नहीं किया गया।

22.7 ***कोर्ट/अधिकरण आदेश :***

कोर्ट व अधिकरण द्वारा किसी भी प्रकार का कोई भी आदेश जारी नहीं किया गया है, जो भविष्य में कंपनी के चालू संस्था एवं परिचालन को प्रभावित करें।

22.8 ***आंतरिक वित्तीय नियंत्रक प्रणाली :***

वित्तीय विवरणों के संदर्भ में कंपनी के पास वित्तीय विवरणों के लिए पर्याप्त आंतरिक नियंत्रण और संदर्भ है। वर्ष के दौरान परिसम्पत्ति संरक्षण एवं कंपनी की गतिविधियां संस्था के नीतियों एवं प्रक्रियाओं के अनुसार संचालित है या नहीं इसका मूल्यांकन कर नियंत्रण को सुनिश्चित किया गया। इसके उपरान्त सीएजी लेखा परीक्षा, सांविधिक लेखा परीक्षा एवं आंतरिक लेखा परीक्षा में रिपोर्ट योग्य कोई भी भौतिक की डिजाइन व परिचालन में नहीं है।

22.9 ***जोखिम प्रबंधन योजना :***

(प) संगठन के विभिन्न कार्य क्षेत्र में जोखिम पहचान करने हेतु चिन्हित करने का प्रावधान, निर्धारण एवं मिटीगेशन नियंत्रण का व्यवसाय नीति में नीतियों के माध्यम से निर्धारित एवं आवश्यक मिटीगेशन नियंत्रण उपायों को महत्वपूर्णता दी जाती है एवं प्रबंध जोखिम का प्रभावीढंग से वाह्य एवं आंतरिक को चिन्हित कर, नीतियों के माध्यम से उसे कम करने के कदम उठाए जाते हैं। सीआईएल एवं इसमें अनुसंगियों के लिए जोखिम प्रबंधन नीति बनाई जा चुकी है। एनसएल द्वारा सीआईएल एवं अन्य अनुसांगियों के लिए बनाई गई जोखिम प्रबंधन नीति को लागू करने हेतु समस्त कदम लिए जा चुके हैं एवं आने वाले वर्षों में इस नीति का क्रियान्वयन अपेक्षित है।

(ii) कंपनी का प्रबंधन निर्धारण में भविष्य के लिए चौकसी एवं महत्वपूर्ण जोखिम को चिन्हित करना जिससे कंपनी भविष्य में सामना कर सके।

(ए) प्राथमिकता वाले जोखिमों के लिए शमन योजनाओं को पहचानने, प्राथमिकता देने और तैयार करने की एक प्रक्रिया और

(बी) जोखिम प्रबंधन प्रक्रिया के निर्वहन में विभिन्न अधिकारियों, समिति और बोर्ड की भूमिकाओं और जिम्मेदारियों का एक ढांचा

(iii) इस जोखिम प्रबंधन ढांचे के हिस्से के रूप में, जोखिम मालिकों और शमन योजना के मालिकों की पहचान की गई है/प्रत्येक जोखिम के लिए नामांकित किया गया है और निरंतर जोखिम निगरानी और जोखिम शमन को सुनिश्चित करने के लिए इसी शमन योजना तैयार की गई है।

(iv) एनसीएल के निदेशक मंडल की एक उप–समिति का गठन किया गया है अर्थात जोखिम प्रबंधन समिति (आरएमसी)।

(v) अर्धवार्षिक आधार पर कार्यशाला आयोजित की जाती है जिसमें सभी विभागीय प्रमुखों के साथ–साथ संबंधित जोखिम मालिक और जोखिम कम करने वाले अधिकारी शामिल होते हैं कार्यशाला मुख्य जोखिम अधिकारी द्वारा बुलाई जाती है और कार्यकारी निदेशक अध्यक्ष रहते है।

(vi) कार्यशाला की सिफारिशों के आधार जोखिम रजिस्टर में बदलाव के लिए छमाही पर जोखिम प्रबंधन समिति में विचार और विचार–विमर्श के लिए रखा जाता है।

(1) नयी जोखिम का आना।

(2) वर्तमान जोखिम को हटाना।

(3) पहले से उपस्थित जोखिम के नाम/पैमाने में बदलाव।

(4) जोखिम अंक में वृद्धि/घटाव।

(5) जोखिम का स्पिलिट या मर्जर।

(6) जोखिम जो महत्व रखते है उनकी संशोधित सूची।

(vii) जोखिम रजिस्टर की अंतिम स्वीकृति, जोखिम जो मायने रखता है और जोखिम प्रबंधन समिति द्वारा दिए गए निर्देश पर एक कार्रवाई रिपोर्ट फिर एनसीएल बोर्ड के सामने रखी जाती है।

22.10 ***अधिनियम 2013 के अंतर्गत कार्यस्थल पर (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) महिलाओं के यौन उत्पीड़न सूचना का प्रकटीकरण :***

कार्यक्षेत्र पर महिलओं के यौन उत्पीड़न (रोकथाम, निषेध एवं निवारण) अधिनियम 2013 के अंतर्गत एक आंतरिक शिकायत समिति का गठन किया गया है एवं वर्ष के दौरान कोई प्रकरण की सूचना नहीं मिली है।

22.11 ***डेजिग्नेटड व्यक्तियों द्वारा आंतरिक लेन–दिन के रोकथम के लिए आंतरिक कार्य विधि एवं आचरण की नियमावली :***

आंतरिक प्रक्रियाओं और इनसाइडर ट्रेडिंग की रोकथाम के लिए आचार संहिता भी एनसीएल की वेबसाइट पर अपलोड की गई है। यह नीति ढांचा कोल इंडिया (नियंत्रक कंपनी) के शेयर में इनसाइडर ट्रेडिंग को रोकने के लिए तैयार किया गया है।

22.12 ***निदेशकगण का दायित्व :***

डीपीई के दिशा–निर्देश में आगामी वित्तीय वर्ष के प्रारंभ होने के पूर्व एनसीएल प्रबंधन एवं सीआईएल/कोयला मंत्रालय, भारत सरकार के मध्य समझौता ज्ञापन हस्ताक्षरित किया गया है। इस अनुबंध के अंतर्गत निर्धारित लक्ष्य के विरूद्ध वर्ष के प्रारंभ में कंपनी ने निर्धारित लक्ष्य की प्राप्त किया एवं वर्ष के अंत में एनसीएल के कार्य निष्पादन को मूल्यांकित किया।

समझौता ज्ञापन प्रणाली दक्षता के निष्पादन करने में समर्थ है क्योंकि वहाँ विविध प्रकार के मानदंड वित्तीय एवं गैर वित्तीय (सक्रिय, विनिर्दिष्ट सकेटर एवं विनिर्दिष्ट पैरामीटर्स इंटरप्राइजेज) दोनों हैं। यह प्रणाली बड़े उद्देश्यों एवं समग्र वृद्धि को पूरा करने में अत्यधिक सहयोग करता है। यह पूरी प्रक्रिया स्टेक होल्डर्स के मामले में पारदर्शिता एवं दायित्व भी सुनिश्चित करती है।

22.13 ***मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक :***

कंपनी अधिनियम 2013 के धारा 203 के प्रावधानों के अनुसार मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक निम्नानुसार है :–

श्री पी.के. सिन्हा – अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (पूर्ण वर्ष)

श्री एन.एन.ठाकुर – मुख्य वित्तीय अधिकारी (पूर्ण वर्ष)

श्री हर्ष चौहान – कंपनी सचिव (पूर्ण वर्ष)

22.14 ***निदेशक मंडल समिति एवं निदेशकगण के कार्य निष्पादन का वार्षिक मूल्यांकन :***

एनसीएल एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी के रूप में पंजीकृत है एवं किसी स्टॉक एक्सचेंज के साथ सूचीवद्ध नहीं है एवं इस कारण कंपनी को इसके मंडल, समिति एवं वैयतिक निदेशकगणों के कार्यनिष्पादन के मूल्यांकन वांछित नहीं है।

तथापि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) कारपोरेट मामले के मंत्रालय के पत्र एफ नं. 1/2/2014– सीएलवी के अनुसार लागू नहीं होती है, जहाँ निदेशक के कार्य का मूल्यांकन मंत्रालय या केन्द्रीय सरकार के किसी प्रशासनिक द्वारा किया जाता है। एनसीएल के संदर्भ में निदेशक के कार्य का मूल्यांकन कोयला मंत्रालय द्वारा किया जाता है, जो कि कंपनी का प्रशासनिक मंत्रालय है।

22.15 ***अनुषंगी कंपनी/संयुक्त उद्यम/एनसीएल के सहयोगी :***

एनसीएल की कोई अनुषंगी कंपनी/संयुक्त उद्यम/एनसीएल के सहयोगी कंपनी नहीं है।

22.16 ***सचिवीय मानकों का अनुपालन :***

निदेशक मंडल की बैठकों पर सचिवीय मानक–1 के खंड 9 के तहत आवश्यक सभी लागू सचिवीय मानकों का पालन किया गया है और सचिवीय लेखा परीक्षक ने भी इसकी जांच की है और इसकी सूचना दी है।

22.17 ***लेखा परीक्षा योग्यता***

यह हमेशा अनक्वालिफाईड वित्तीय विवरण पेश करने का कंपनी का प्रयास है।

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर वैधानिक लेखा परीक्षकों के अवलोकनों के प्रबंधन के जवाब वित्तीय विवरणों के अनुलग्नक XI के रूप में प्रस्तुत किए गए हैं। 31 मार्च 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी के खातों पर कंपनी अधिनियम 2013 के अनुभाग 143 के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां भी वित्तीय विवरणों से जुड़ी हुई हैं।

22.18 ***सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण :***

वर्ष 2019–20 के लिए कंपनी के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक एवं निदेशक (वित्त) ने निदेशक मंडल को कंपनी अधिनियम 2013 के तहत सीईओ/सीएफओ प्रमाणीकरण को प्रस्तुत किया है जिसे निदेशकगण के रिपोर्ट के परिशिष्ट के रूप में अनुलग्नक–IX में दिया गया है।

22.19 ***कंपनियों के अधिनियम 2013 की धारा 134 (3) (क्यू) और कंपनियों (खातों) 2014 के नियम 8 (5)***

(Vii) नियमों के तहत नियामकों या अदालतों या न्यायाधिकरणों द्वारा पारित महत्वपूर्ण आदेश जारी हुए हो जो कंपनी के अस्तित्व में रहने या भविष्य की संचालन के संदर्भ में हो की सूचनाः

रेग्युलेटर या कोर्ट या ट्राईबुनल के द्वारा कोई महत्वपूर्ण या मटिरियल आदेश जारी नहीं हुआ है जिसका प्रभाव कंपनी के भविष्य में पड़े।

22.20 ***कंपनियों के अधिनियम 148 (1) 2013 और नियम (8) (ix) कंपनियों (नियम) नियम, 2014 के तहत केंद्र सरकार द्वारा निर्दिष्ट लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के बारे में सूचनाः***

केंद्र सरकार ने कंपनियों के अधिनियम, 2013 की धारा 148 (1) के तहत लागत रिकॉर्ड के रखरखाव के लिए कोयला उद्योग को निर्दिष्ट किया है और तदनुसार इस तरह के खाते और रिकॉर्ड बनाए और बनाए रखे जाते हैं।

22.21 ***लेखा परीक्षकों द्वारा धारा 143 (12) के तहत रिपोर्ट किए गए धोखाधड़ी के संबंध में विवरण, जो केंद्र सरकार के लिए रिपोर्ट करने योग्य हैं :***

सांविधिक लेखापरीक्षक द्वारा ऐसी कोई धोकाधड़ी की रिपोर्ट नहीं की गयी है।

23.0 समझौता ज्ञापन के संदर्भ में मानदंड

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के लिए अध्यक्ष एनसीएल और अध्यक्ष सीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन (एमओयू) सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) भारी उद्योग मंत्रालय और सार्वजनिक उद्यम मंत्रालय भारत सरकार के दिशानिर्देशों के अनुसार हस्ताक्षरित है। एमओयू पैरामीटर के संदर्भ में 2018–19 के दौरान एनसीएल का प्रदर्शन सक्षम प्राधिकारी द्वारा 'बहुत अच्छा' एमओयू अंक 90.69 के रूप में वर्गीकृत और चालू वित्त वर्ष के लिए मूल्यांकन किया जा रहा है।

24.0 निदेशक के उत्तरदायित्वों का विवरण

24.1 ***कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134 (5) के अनुसार निम्न कथन अनुमोदित हैं :–***

i) वित्तीय वर्ष जो की 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुआ है उसका वार्षिक लेखा तैयार करने के लिए उपयुक्त लेखा मानदण्ड का पालन किया गया तथा उचित स्पष्टीकरण दिया गया, जो कि सामग्री गमन से संबंधित है।

ii) निदेशकों ने ऐसी लेखा नीतियों का चयन एवं एकरूपता से उपयोग किया है तथा उचित एवं दूरदर्शी न्याय एवं अनुमान लगाया है जिससे वित्तीय वर्ष की समाप्ति पर विगत वर्ष के लिए कंपनी के लाभ या हानि एवं राजकीय मामलों पर सही एवं उपयुक्त विचार दिया जा सके।

iii) इस नियम के प्रावधानों के अनुसार निदेशकों ने पर्याप्त लेखा रिकार्डो के रख–रखाव के लिए उपयुक्त एवं पर्याप्त सावधानियों रखी हैं जिससे की कंपनी की परिसम्मत्तियों का संरक्षण किया जा सके तथा धोखाधड़ी एवं अनियमितता से बचाव किया जा सके।

iv) 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्श के लिए विभागीय अधार पर निदेशक मंडल द्वारा वार्षिक लेखा तैयार किया है।

v) निदेशक ने कंपनी द्वारा अनुसरण किए जाने वाले आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को निर्धारित किया था और ऐसा आंतरिक नियंत्रण पर्याप्त है और प्रभावी ढंग से परिचालन कर रहा है।

vi) निदेशकों ने सभी लागू कानूनों के प्रावधानों का अनुपालन सुनिश्चित करने के लिए उचित प्रणाली तैयार की थी और ऐसी प्रणाली पर्याप्त और प्रभावी ढंग से संचालित हो रही थी।

25.0 अभिस्वीकृति

25.1 निदेशक मंडल ने कोयला मंत्रालय और कोल इंडिया लिमिटेड से प्राप्त मूल्यवान मार्गदर्शन एवं निरन्तर समर्थन के लिए उनका हार्दिक आभार व्यक्त किया है। निदेशकगण, भारत सरकार के विभिन्न अंगों विशेषकर वन एवं पर्यावरण मंत्रालय और वित्त मंत्रालय तथा योजना आयोग, महानिदेशक, खान संरक्षा, भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक, अंकेक्षण बोर्ड के अध्यक्ष व सदस्यों, सांविधिक अंकेक्षकों, रजिस्ट्रार ऑफ कम्पनीज् म.प्र. एवं उ.प्र. की राज्य सरकारों तथा स्थानीय प्रशासनिक प्राधिकारियों द्वारा प्रदान सहयोग एवं सहायता के लिए, उनका भी धन्यवाद ज्ञापन करते हैं।

25.2 निदेशकगण, मूल्यवान उपभोक्ताओं विशेष रूप से एनटीपीसी व उप्रराविउनिलि, बैंकर्स, संविदाकारों एवं आपूर्तिकर्ताओं को भी उनसे प्राप्त मूल्यवान सहयोग एवं सहायता के लिए धन्यवाद देते हैं।

25.3 निदेशकगण सांविधिक लेखा परीक्षकों मेसर्स जे.एन. शर्मा एंड कंपनी, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, कानपुर को उनके अभिमत लेखा तैयार कराने में बहुमूल्य मार्गदर्शन एवं महत्वपूर्ण विषयों पर बहुमूल्य योगदान के लिए उन्हें धन्यवाद देते हैं। निदेशकगण आंतरिक लेखा परीक्षकों को

उनके द्वारा कार्यनिष्पादन में सुधार हेतु उनके द्वारा दी गई सेवाओं एवं सुझावों के लिए धन्यवाद देते हैं।

25.4 निदेशकगण समस्त स्तरों के कर्मचारियों एवं श्रम संगठन की उनकी कार्य के प्रति प्रतिबद्धता, निष्ठा एवं कठिन परिश्रम की भी सराहना करते हैं, जिसके महत्वपूर्ण योगदान के फलस्वरूप कंपनी ने वर्ष के दौरान उत्कृष्ट कार्य निष्पादन प्राप्त किया।

निदेशक मण्डल के लिए व निदेशक मण्डल की ओर से

ह./–
(प्रभात कुमार सिन्हा)
अध्यक्ष–सह प्रबंध निदेशक

दिनांक : 29.06.2020
स्थान : सिंगरौली

संलग्न अनूलग्नक की सूची :

अनुलग्नक–I : सीएसआर का वार्षिक रिपोर्ट

अनुलग्नक–II : ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन एवं विदेशी विनिमय आय एवं व्यय

अनुलग्नक–III : कंपनी अधिनियम, 2013 और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति और पारिश्रमिक) नियम, 2014 के नियम 5(2) के अंतर्गत प्रबंधकीय कार्मिकों के पारिश्रमिक का विवरण

अनुलग्नक–IV : सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट एवं प्रबंधन स्पष्टीकरण

अनुलग्नक–V : निदेशकगणों का विवरण

अनुलग्नक–VI : फार्म एओसी–2 में धारा 188(1) के अंतर्गत संबंधित पार्टियों से अनुबंध व व्यवस्थाएं

अनुलग्नक–VII : कारपोरेट गवर्नेस प्रमाण–पत्र

अनुलग्नक–VIII : प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण रिपोर्ट

अनुलग्नक–IX : सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण–पत्र

अनुलग्नक–X : फॉर्म संख्या–एमजीटी 9 में धारा 92(3) के अंतर्गत वार्षिक रिटर्न का उद्धरण सार

अनुलग्नक–XI : स्वतंत्र अंकेक्षक प्रतिवेदन एवं प्रबंधन के जवाब

अनुलग्नक–XII : कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(4) के अंतर्गत प्रकटीकरण

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–I

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 134(3) के खण्ड (ओ) के अनुसार वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सी.एस.आर गतिविधियों पर वार्षिक रिपोर्ट

1.0 नार्दर्न कोलफिल्ड्स लिमिटेड (एन.सी.एल) की निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) नीति की संछिप्त रूप रेखा :

(ए) एन.सी.एल अपने निगमित सामाजिक दायित्व (सी.एस.आर) के क्रियान्वयन के लिए सी.आई.एल.सी.एस.आर नीति का अनुसरण करता है जो 29 मई 2014 को आयोजित 307 वीं बैठक में सी.एस.आर के लिए सी.आई.एल बोर्ड द्वारा अनुमोदित की गई एवं जिसका बाद में सी.आई.एल बोर्ड द्वारा 15 अक्टूबर 2015 को आयोजित 321वीं बैठक में संशोधन किया गया। इस नीति का स्वरूप कंपनी अधिनियम 2013 के अनुसार तैयार किया गया तथा निगम कार्य मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा दिनांक 27.02.2014 को जारी अधिसूचना के अनुरूप तथा डी.पी.ई. के दिशा–निर्देश के अनुसार किया गया।

(बी) सी.एस.आर नीति का मुख्य उद्देश्य, समाज के सतत विकास के लिए सी.एस.आर को एक प्रमुख व्यवसाय प्रक्रिया बनाने की ओर कंपनी के लिए दिशा–निर्देश तैयार करना है। इसका उद्देश्य सरकार के कल्याणकारी उपायों में वृद्धि करने की भूमिका में सहयोग प्रदान करना है जो उसकी गतिविधियों के तात्कालिक और दीर्घावधि की सामाजिक और पर्यावरणीय परिणामों पर आधारीत है।

(सी) एन.सी.एल ने सतत विकास के लिए एक अनुकूल उपकरण के रूप में निगमित सामाजिक दायित्व को अपनाया है। एन.सी.एल का कुछ हिस्सा जिला–सिंगरौली (म.प्र.) और कुछ हिस्सा जिला–सोनभद्र (उ.प्र.) में स्थित है जो कि बुनियादी ढांचा, स्वास्थ्य सुविधाओं, साक्षरता, रोजगार दर इत्यादि के मामले में भारत के कम विकसित क्षेत्रों में शामिल है। एन.सी.एल अपने विभिन्न योजनाओं/गतिविधियों के माध्यम से इस क्षेत्र के गरीब और वंचित लोगों के उत्थान तथा उन्हे सुविधाएं प्रदान करने के लिए प्रयासरत है।

भू–विस्थापित, परियोजना प्रभावित व्यक्ति एवं परियोजना के 25 किलोमीटर के परिक्षेत्र मे निवासरत व्यक्ति सी.एस.आर के मुख्य लाभार्थी है। उत्तर प्रदेश एवं मध्यप्रदेश के अन्य भागों मे निवासरत गरीब एवं जरूरतमंद व्यक्ति द्वितीय के लाभार्थी है।

(डी) एन.सी.एल की सी.एस.आर गतिविधियों का दायरा नई कंपनी अधिनियम 2013 की अनुसूची–VII के अनुसार है।

(ई) पिछले तीन वित्तीय वर्षो के कंपनी के औसत शुद्ध लाभ के 2% के आधार पर या विगत वर्ष के कोयला उत्पादन का रू. 2.00 प्रति टन, जो भी उच्चतम हो, सी.एस.आर निधि में आवंटित किया जाता है। किसी वर्ष के सी.एस.आर बजट की व्ययन की गई राशि रद्द (लैप्स) नहीं होती है तथा उसे बाद के वर्ष के सी.एस.आर बजट मे जोड़ दिया जाता है।

(एफ) एन.सी.एल मे सी.एस.आर के लिए एक बोर्ड स्तर की समिति गठित है जो प्रत्येक छः महीने मे सी.एस.आर गतिविधियों के क्रियान्वयन की समीक्षा करती है और सी.एस.आर गतिविधियाओ के लिए व्यय की जाने वाली राशि की अनुशंसा करती है।

1.2. वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान एन.सी.एल द्वारा किए गए सीएसआर गतिविधियों/परियोजनाओं का संक्षिप्त विवरण

एन.सी.एल ने क्षेत्र के सतत विकास और समुदाय के समग्र कल्याण को सुनिश्चित करने की दिशा में बहुत ही व्यवस्थित और केंद्रित दृष्टिकोण अपनाया है। एन.सी.एल के परिचालन क्षेत्र के आसपास 2011–12 में आधारभूत सर्वेक्षण किया गया था। एन.सी.एल में सी.एस.आर कार्यो की पहचान आधारभूत सर्वेक्षण के आधार पर तथा समुदाय के सदस्यो जैसे स्थानीय निर्वाचित प्रतिनिधि (सांसद, विधायक, सरपंच) और जिला प्रशासन के परामर्श से की जाती है।

एन.सी.एल ने मुख्यतः बुनियादी ढांचागत क्षेत्रों में अपनी सी.एस.आर परियोजनाओं को केंद्रित किया है जैसे की सड़कों के माध्यम से पहुंच मार्ग में सुधार, जलआपूर्ति, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, खेलों एवं कला/संस्कृति को बढ़ावा आदि। वित्तीय वर्ष 2019–20 में, एन.सी.एल ने इन परियोजनाओं में निधि प्रवधान रु. 92.77 करोड़ के विरुद्ध, सी.एस.आर मद से 83.33 करोड़ रुपये व्यय किया है।

व्यापक सी.एस.आर मद एवं संबंधित व्यय निम्नानुसार हैं :–

i. सड़क निर्माण (गाँव जोड़ो अभियान)

किसी भी क्षेत्र के विकास के लिए पहुँच और पहुंच मार्ग दो बहुत महत्वपूर्ण कारक हैं। एन.सी.एल का गाँव जोड़ो अभियान एक परियोजना है, जो एन.सी.एल द्वारा सिंगरौली और आस–पास के विभिन्न गाँवों को मुख्य सड़कों और आस–पास के नगर क्षेत्रों से

जोड़ने के लिए प्रारंभ किया गया है। निकटवर्ती कस्बे/बाजार स्थानों को जोड़ने एवं दूर दराज के गांवों की आसान पहुंच मार्ग ने सार्वजनिक परिवहन में वृद्धि के साथ–साथ ग्रामीणों के जीवन को कई तरह से प्रभावित किया है, जैसे कि बाजारों में उत्पादन की पहुंच, शिक्षा के लिए बेहतर विकल्प, युवाओं के लिए कौशल विकास और रोजगार, चिकित्सा/आपातकाल की स्थिति में अस्पतालों और अन्य निजी डॉक्टरों की पहुँच आदि। इस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में कुल 12.18 करोड़ रूपये का व्यय हुआ है।

एन.सी.एल ने वित्त वर्ष 2019–20 में 12.18 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ लगभग 19 किलोमीटर सड़कों का निर्माण/कारपेट/चौड़ीकरण किया है।

चित्र 1 : पर्सोहर रोड़ से प्राथमिक विद्यालय, हरिजन बस्ती, पिपरा ग्राम पंचायत (0.5 कि.म.) सड़क और गौशाला से खजुरा बैगा बस्ती, बिरकुनिया ग्राम पंचायत (2 कि.म.) तक सड़क।

ii. *आधार भूत संरचना (आधार)*

एन.सी.एल की आधार परियोजना गांवों में बुनियादी ढांचागत सुविधाएं प्रदान करने पर केंद्रित है। वित्त वर्ष वित्त वर्ष 2019–20 में एन.सी.एल द्वारा किए गए बुनियादी ढांचे के कार्यों में सामुदायिक भवनों का निर्माण, सामुदायिक/सार्वजनिक/घरेलू शौचालयों का निर्माण, नालियों का निर्माण, सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना, सौर ऊर्जा संयंत्र, श्मशान–घाट का निर्माण, हाट का विकास आदि शामिल है। इस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में, कुल 13.13 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

एन.सी.एल ने सामुदायिक भवन (07 नग), घरेलु शौचालय (1450 नग), सार्वजनिक शौचालय (10 नग), श्मशान घाट (1 नग), ग्रामीण हाट (2 नग), सौरलाइट (125 नग) का निर्माण किया। वित्तवर्ष 2019–20 में 13.13 करोड. रुपये के कुल व्यय के साथ।

चित्र 2 : शक्तिनगर में सब्जी हाट (स्थानीय बाजार) का निर्माण। प्लेटफार्म, छत, जल निकाशी का इंतजाम सुनिश्चित कर लगभग 300 विक्रेताओं को लाभ।

iii. *जल आपूर्ति (स्वच्छ जल)*

एन.सी.एल का स्वच्छ जल परियोजना क्षेत्र में पानी की उपलब्धता और संरक्षण में सुधार पर केंद्रित है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में इस परियोजना के तहत, एन.सी.एल ने यु.आई.डी. एस.एस.एम.टी (छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना) योजना के तहत सिंगरौली जिले के लिए एकीकृत पेयजल योजना मे योगदान किया है,ताकि क्षेत्र में सुरक्षित पेयजल सुनिश्चित किया जा सके। एन.सी.एल ने विद्यालयों, स्वास्थ्य केंद्र, रेलवे स्टेशन और अन्य सार्वजनिक स्थानों पर वाटर कूलर के साथ आर. ओ, हैंडपंप और ट्यूबवेल स्थापित किये हैं। एन.सी. एल ने अपने चरों ओर के विभिन्न गाँवों में जल के संरक्षण और भूमिगत जल के स्तर को बढ़ाने के लिए तालाबों और चेक डैम

एन.सी.एल ने 468 नग हैंडपंप, 10 आरओ/वाटरकूलर और 03 नग ट्यूबवेल लगाए। एन.सी.एल ने 09 तालाबों और 04 चौक डैमों का निर्माण/ विकास किया तथा सिंगरौली जिले के लिए एकीकृत पेयजल योजना को सहयोग प्रदान किया। वित्त वर्ष 2018–19 में, रु. 10.30 करोड़ के कुल खर्च के साथ।

का निर्माण किया है। इस परियोजना के अंतर्गत वित्तीय वर्ष 2019–20 में, कुल 5.44 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

चित्र 3 : वर्षा जल के संरक्षण के लिए सिलफोरी ग्राम पंचायत में चेक डैमका विकास।

iv. कौशल विकास और रोजगार सृजन (कौशल)

एन.सी.एल की कौशल परियोजना ग्रामीण क्षेत्रों में PAPs/युवाओं/महिलाओं आदि को अलग–अलग रोजगार एवं स्वरोजगार से जुड़े कौशल प्रदान करने की दिशा में केन्द्रित है। एन.सी.एल ने विभिन्न प्रकार के प्रशिक्षण विभिन्न क्षेत्रों में प्रदान किए हैं जैसे की मुर्गी पालन, मत्स्य पालन, बुनियादी कंप्यूटर शिक्षा, मोबाइल रिपेयरिंग, इलेक्ट्रीशियन, ड्राइविंग, इलेक्ट्रिक मोटर रेविन्डिंग, ब्यूटीशियन, हेयरड्रेसिंग, कढ़ाई, सिलाई, बैग बुनाई इत्यादि। इस क्षेत्र के आपपास के गाँवों में 1400 से अधिक बेरोजगारों (पुरुष और महिला दोनों) के लिए योग्य प्रशिक्षकों के माध्यम से रोजगार सृजन के लिए प्रशिक्षण प्रदान किया गया है। इस परियोजना के अंतर्गत, वित्तीय वर्ष 2019–20 में, कुल 2.94 करोड़ रूपये का व्यय हुआ है।

चित्र 4 : मुर्गी पालन परियोजना इस परियोजना से 750 आदिवासी परिवारों को लाभ होता है और प्रति परिवार 36000 से 42000 रुपये की औसत वार्षिक आय होती है।

v. स्वास्थ्य (सब स्वस्थ)

एन.सी.एल ने 120 से अधिक संख्या में स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए, 259 दिव्यांगजनों के बीच 456 नग सहायता उपकरणों का वितरण किया गया, और 02 सरकारी अस्पतालों का विकास किया। वित्तीय वर्ष 2018–19 में 04.67 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ।

एन.सी.एल के विभिन्न परियोजना औषधालयों और अस्पताल में गरीब ग्रामीणों को प्रदान की जाने वाली स्वास्थ्य सुविधाओं के अलावा, एनसीएल की सब स्वस्थ परियोजना इस क्षेत्र में शिशु मृत्यु दर, मातृ मृत्यु दर, कुपोषण, संस्थागत प्रसव, टीकाकरण आदि जैसे स्वास्थ्य संकेतकों में सुधार के लिए प्रयास रत है। वित्तीय वर्ष 2019–20 में, एनसीएल ने विद्युतीकरण के लिए सौर ऊर्जा प्रणाली प्रदान करके सोनभद्र जिले में 80 नग सार्वजनिक

चित्र 5 : दिव्यांगजन हेतु सहायक उपकरण जैसे साइकिल (मोटराइज्ड एंड मैनुअल), व्हीलचेयर, श्रवण यंत्र, घुटने और टखने के पैर के ऑर्थोसिस आदि का वितरण। 524 लोग लाभान्वित।

स्वास्थ्य केंद्रों का विकाश किया। एन.सी.एल आवश्यक चिकित्सा उपकरणों के माध्यम से सरकारी उप–स्वास्थ्य केंद्रों और मातृ शिशु स्वास्थ्य केंद्रों (MCH) को जिला प्रशासन, सिंगरौली के साथ समन्वय में शिशुमृत्यु दर और मातृ मृत्यु दर में सुधार करने की दिशा में काम कर रहा है। एन.सी.एल ने विभिन्न गांवों, परियोजनाओं, केन्द्रीय अस्पताल और एन.एस.सी में विविन्न प्रकार के स्वास्थ्य शिविर आयोजित किए जैसे की परिवार नियोजन शिविर, रक्ताल्पता पता लगाने का शिविर, महिलाओं के लिए कैंसर का पता लगाने का शिविर, मूत्र–विज्ञान शिविर, मधुमेह शिविर, नेत्र शिविर, बाल स्वास्थ्य जांच शिविर आदि। एन.सी.एल ने सिंगरौली, सतना, और सोनभद्र जिलों में दिव्यांग जनों को सहायता उपकरण भी वितरित किए। इसके अलावा, किशोर छात्राओं के बीच स्वास्थ्य और स्वच्छता को लक्षित करते हुए सिंगरौली और सोनभद्र जिले के 24 सरकारी विद्यालयों में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन और इंसीनेटर लगाए गए।इस परियोजना के अंतर्गत, वित्तवर्ष 2019–20 में, 9.80 करोड़ रूपये का व्यय हुआ है।

vi. खेल/कला एवं संस्कृति (खेल तरंग)

एन.सी.एल ने खेल, कला और संस्कृति को बढ़ावा देने के लिए 1.97 करोड़ रुपये खर्च किए हैं। परियोजना/इकाईयों में आयोजित 15 दिनों के प्रशिक्षण शिविरों में आसपास के गांवों के लगभग 1600 युवाओं ने भाग लिया। कबड्डी, कराटे, फुटबॉल और वॉलीबॉल को बढ़ावा देने के लिए आसपास के गांवो में ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन किया गया तथा सरकारी स्कूलों और गांवों को खेल सामग्री प्रदान की गई।

चित्र 6 : 15 दिवसीय खेल प्रशिक्षण शिविर। वॉलीबॉल, कबड्डी और एथलेटिक्स में 150 गांवों के लगभग 1600 युवाओं ने भाग लिया।

vii. शिक्षा (सब–साक्षर)

एन.सी.एल अपने सब–साक्षर परियोजना के माध्यम से क्षेत्र में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार के लिए प्रतिबद्ध है। एन.सी.एल 10 से अधिक विद्यालयों में अनुदानों के माध्यम से एनसीएल परिसर में संचालित विद्यालयों में स्थानीय ग्रामीणों/के बच्चों की शिक्षा को सहयोग प्रदान करता है। एन.सी.एल बड़े पैमाने पर सरकारी

एन.सी.एल ने 10 एन.सी.एल सहायता प्राप्त विद्यालयों में स्थानीय गांवों के बच्चों की शिक्षा का सहयोग किया। एन.सी.एल ने 45 से अधिक सरकारी विद्यालयों और 31 आंगनवाड़ियों में कक्षाओं, शौचालयों, पीने के पानी, प्रयोग शालाओं, फर्नीचर, सीखने के उपकरण, प्रयोगशाला के सामान आदि जैसे बुनियादी ढांचे के विकास किया। वित्तीय वर्ष 2019–20 में, 37.59 करोड़ रुपये के कुल व्यय के साथ।

चित्र 7 : खुटार गाँव में आंगनवाड़ी केंद्र का निर्माण। जमुअल (कसर) गाँव में प्राथमिक विद्यालय का निर्माण। वित्त वर्ष 2019–20 में, एनसीएल ने लगभग 45 सरकारी विद्यालयों और 31 आंगनवाड़ियों का विकाश किया।

प्राथमिक, मध्य और उच्च विद्यालयों के बुनियादी ढाँचे और गाँवों में आंगनबाडी के विकास की दिशा में काम कर रहा है, जिसमें कक्षाओं, शौचालयों, प्रयोगशालाओं, पुस्तकालयों, छात्रावास, खेल के मैदानों आदि की सुविधा प्रदान की गई है। एन.सी.एल ने पाँच सरकारी विद्यालयों में एक प्रायोगिक परियोजना प्रारम्भ की है जिस का लक्ष्य स्मार्ट कक्षाओं के माध्यम से प्राथमिक स्तर पर गुणवत्ता पूर्ण शिक्षा प्रदान करना है। इस परियोजना के अंतर्गत, वित्त वर्ष 2019–20 में, कुल 37.59 करोड़ रुपये का व्यय हुआ है।

1.3 सी.एस.आर नीति एवं कार्यक्रम/प्रोजेक्ट के लिए वेब लिंक :

सी.एस.आर नीति एवं कार्यक्रम/परियोजनाएं एन.सी.एल के वेबलिंक http://nclcil.in/HI/page.php?pid=30 पर देखा जा सकता है।

2.0 सी.एस.आर समिति का गठन

वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान, एनसीएल की सीएसआर समिति में निम्नलिखित सदस्यों शामिल रहे :

क्र.स	समिति के सदस्य का नाम	पद	वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान कार्यकाल
अंशकालिक गैर–सरकारी निदेशक, एन.सी.एल			
1	डॉ. एस.एम. झारवाल	अध्यक्ष	01.02.2020 तक
2	सीए. एस.के. माहेश्वरी	सदस्य	16.11.2019 तक
3	प्रो. ए.के. अग्रवाल	सदस्य	16.11.2019 तक
4	श्री बी.पी. पांडे	सदस्य	23.04.2019 से प्रभावी
5	श्रीमती रामिलाबेन बाड़ा	सदस्य	23.04.2019 से 11.03.2020
कार्यकारी निदेशक, एन.सी.एल			
6	श्री गुनाधर पांडे	सदस्य	संपूर्ण वर्ष
7	श्री एन.एन. ठाकुर	सदस्य	संपूर्ण वर्ष
8	श्री पी.एम. प्रसाद	सदस्य	02.08.2020 तक
9	श्री एम. के. प्रसाद	सदस्य	28.08.2019से प्रभावी
10	श्री बिमलेंदु कुमार	सदस्य	01.03.2020 से प्रभावी

3.0 पिछले तीन वित्तीय वर्षों में कंपनी का औसत शुद्ध लाभ

क्र. सं.	वित्तीय वर्ष	शुद्ध लाभ (लाख में)
1	2016–17	309108.00
2	2017–18	408972.00
3	2018–19	665916.00
	विगत तीन वर्षों का औसत शुद्ध लाभ	461332.00
	औसत का 2%	9226.64
पिछले वर्ष (2018–19) के कोयला उत्पादन के 2 रुपए प्रतिटन के आधार पर		
	वित्त वर्ष 2017–18 में कोयला उत्पादन	101.50 MT
	सीएसआर निधि 2 रुपए प्रतिटन कोयला उत्पादन के आधार पर	रु. 2030.00 लाख

4.0 निर्धारित सी.एस.आर व्यय (उप्रयुक्त आइटम 3 में राशि का दो प्रतिशत)

निर्धारित सी.एस.आर व्यय 92.27 करोड़ रुपये (रुपये निन्यान वे करोड़, सत्ताईस लाख मात्र) है, जो पिछले तीन वर्षों के औसत शुद्ध लाभ के 2% के बराबर है, जिसमे रु. 83.33 करोड़ रुपये (रुपये तेरयाशी करोड़, तैंतिस लाख मात्र) वित्तीय वर्ष 2019–20 में खर्च किए गए।

5.0 वित्तीय वर्ष के दौरान खर्च की गई सी.एस.आर राशि का विवरण

(i) वित्तीय वर्ष 2019–20 के लिए सी.एस.आर के तहत एन. सी.एल द्वारा खर्च की जाने वाली कुल राशि : रु. 92.27 करोड़ (रुपये निन्यानवे करोड़, सत्ताईस लाख मात्र)

(ii) अव्ययित राशि, यदि कुछ हो तो : रु. 8.94 करोड़ (रुपये आठ करोड़, चौरानवे लाख मात्र)

(iii) वित्तीय वर्ष के दौरान सी.एस.आर राशि को जिस प्रकार खर्च किया गया, उसका विवरण।

वित्तीय वर्ष 2019–20 के दौरान सी.एस.आर गतिविधियाँ और सम्बन्धित खर्च राशि का विवरण अनुलग्नक–1 के रूप में संलग्न है।

6.0 अव्ययित राशि का कारण

वित्तीय वर्ष (2019–20) में, सी.एस.आर के अंतर्गत कुल व्यय 83.33 करोड़ रूपये हैं, जब कि कुल सी.एस.आर निधि का प्रावधान 92.27 करोड़ रूपये हैं।

अव्ययित राशि का कारण :

कुछ कार्य बिभिन्न कारणों के चलते समय पर पूर्ण नहीं किये जा सके, जैसे कि कार्यान्वयन एजेंसिओं द्वारा फंड के उपयोग में देरी, निविदाओं का रद्द होना और वापस लेना और कोविड–19 महामारी का प्रकोप।

7.0 सी.एस.आर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी

सी.एस.आर नीति का कार्यान्वयन और निगरानी, सी.एस.आर उद्देश्यों और कंपनी की नीति के अनुपालन में है :

ह./–	ह./–	ह./–
पी.के. सिन्हा	**बी.पी. पाण्डेय**	**बी. कुमार**
सीएमडी,	अध्यक्ष,	निदेशक (कार्मिक),
एनसीएल	सीएसआर समिति	एनसीएल

दिनांक : 29 जून, 2020

अनुलग्नक–1 : एन.सी.एल 2019–20 में सी.एस.आर गतिविधियों का वार्षिक रिपोर्ट

(अनुलग्नक–1)

क्र. सं.	सीएसआर परियोजना / गतिविधि	परियोजना का क्षेत्र	परियोजना या कार्यक्रम स्थान			स्वीकृत राशि परियोजना या कार्यक्रम वार	परियोजनाओं या प्रोग्राम उप–शीर्ष पर खर्च की गई राशि (1) परियोजनाओं या कार्यक्रम पर प्रत्यक्ष व्यय (2) अधिक सिर	रिपोर्टिंग अवधि तक संचयी व्यय	खर्च की गई राशि : प्रत्यक्ष रूप से या किसी एजेंसी के माध्यम से
			स्थानीय क्षेत्र या अन्य	जिला	राज्य				
1	दादर के रास्ते NH 75 को जोड़ने वाली चिंगई टोला (10 किमी) पर सड़क का निर्माण	सड़क निर्माण	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	350	60	60	एनसीएल अमलोरी
2	काचनी में आरसीसी सड़क का निर्माण और काचनी में ढलान पर नाली	सड़क निर्माण	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	200	58.63	67.93	एनसीएल अमलोरी
3	200 ग्रामीण महिलाओं को टेलरिंग, सॉफ्ट टॉयज और बैग बनाने के सर्टिफिकेट प्रोग्राम	कौशल	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	15	15	15	जिला प्रशासन, सिंगरौली
4	रीवा जिले के 43 स्कूलों के शौचालयों में पानी की व्यवस्था करना (स्वच्छ विद्यालय अभियान के दौरान निर्माण)	शिक्षा	अमलोरी	रीवा	म.प्र.	36.55	22.1	22.1	जिला प्रशासन, रीवा
5	ग्राम जरहा में 3.5 किमी आरसीसी रोड़ का निर्माण	सड़क निर्माण	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	350	111.81	275.23	एनसीएल अमलोरी
6	भरुहा और अमझर में आंगनवाड़ी केंद्र में टेबल, कुर्सियां, अलमीरा और कालीन प्रदान करना	शिक्षा	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	2	1.17	1.68	एनसीएल अमलोरी
7	दसौती में खेल मैदान का निर्माण	खेल	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	30	3.04	20.22	एनसीएल अमलोरी
8	वार्ड 26 के दसौती गांव में आंगनवाड़ी केंद्र	शिक्षा	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	10	10.2	10.2	एनसीएल अमलोरी

9	दसौती गाँव (800 मीटर), वार्ड 26 में सड़क का निर्माण	सड़क निर्माण	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	60	46.63	46.63	एनसीएल अमलोरी
10	जिला प्रशासन, सिंगरौली के माध्यम से डिस्ट्रिक्ट डिफरेंटली एबल्ड रिहेबिलिटेशन सेंटर को सहयोग	शिक्षा	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	42	37.8	37.8	जिला प्रशासन, सिंगरौली
11	सरकार को टेबल कुर्सी, कंप्यूटर, पानी फिल्टर आदि जैसी बुनियादी सुविधाएं प्रदान करना। कॉलेज, वैधन	शिक्षा	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	1.12	0.34	0.66	एनसीएल अमलोरी
12	गाँव पचोर में सामुदायिक हॉल का निर्माण, वॉर्ड नंबर 44	ग्रामीण विकास	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	20	3.1	3.1	एनसीएल अमलोरी
13	प्राथमिक विद्यालयों के आंगनवाड़ी में शिक्षण उपकरण, फर्नीचर और अन्य उपकरण उपलब्ध कराना	शिक्षा	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	10	6.79	6.79	एनसीएल अमलोरी
14	आंगनवाड़ी और प्राथमिक स्कूलों में वर्दी, स्वच्छता/स्वास्थ्य किट, स्कूल बैग आदि प्रदान करना	शिक्षा	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	5	3.35	3.35	एनसीएल अमलोरी
15	स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता, सरकार पर जागरूकता शिविरों का आयोजन। पंचायतों में योजनाएँ और पात्रताएँ, शिक्षा, आजीविका बढ़ाने की प्रथाएँ आदि	शिक्षा	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	5	1.89	4.39	एनसीएल अमलोरी
16	सिंगरौली परियोजना को 2 वर्षों के लिए बदलने के लिए वाहन किराए पर लेना	अन्य	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	15	6.65	9.23	एनसीएल अमलोरी
17	परिवर्तन सिंगरौली परियोजना के तहत आवंटित पंचायतों में सामुदायिक मोबलाइजरों के लिए निधि का प्रावधान।	अन्य	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	7	7	7	जिला प्रशासन, सिंगरौली
18	ग्रामीण स्वरोजगार प्रशिक्षण संस्थानों (RSETI) इलेक्ट्रिक मोटर और रिवाइंडिंग के माध्यम से कौशल विकास प्रशिक्षण	कौशल	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	10	9.46	9.46	RSETI, सिंगरौली
19	सिलाई और सिलाई केंद्र चलाने और जरूरतमंद, गरीब और प्रशिक्षित महिलाओं को मशीनों का वितरण	कौशल	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	5	3.27	3.27	एनसीएल अमलोरी

20	परिवर्तनकारी परियोजना के तहत सरकारी स्कूलों में स्टेशनरी आइटम (कॉपियां, बैग, पेंसिल और जियोमेट्री बॉक्स, कलर पेंसिल) की आपूर्ति	शिक्षा	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	5	1.96	1.96	एनसीएल अमलोरी
21	ट्रांसफॉर्म सिंगरौली परियोजना के तहत तत्काल आधार पर उपयोग के लिए फ्लेक्सी फंड चरण 1	ग्रामीण विकाश	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	10	4.25	9.82	एनसीएल अमलोरी
22	वीणा वादिनी पब्लिक स्कूल, बुहेला में शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	10	7.73	7.73	एनसीएल अमलोरी
23	ट्रांसफॉर्म सिंगरौली चरण II के तहत गतिविधियों के लिए फ्लेक्सी फंड	ग्रामीण विकाश	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	10	2.11	2.11	एनसीएल अमलोरी
24	एमओयू के माध्यम से सीधी जिले में हैंडपंपों की स्थापना (203 नहीं)।	पेय जल	अमलोरी	सीधी	म.प्र.	162.4	91.59	91.59	जिला प्रशासन, सीधी
25	30 नग की स्थापना। ट्रांसपोर्ट सिंगरौली के तहत आवंटित ग्राम पंचायत में हैंडपंप	पेय जल	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	24	1.3	13.38	एनसीएल अमलोरी
26	सिंगरौली जिले के 05 तहसील और देवसर अस्पताल में 18 बैठा सुलभ शौचालय का निर्माण।	स्वच्छता	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	150	67.62	67.62	जिला प्रशासन, सिंगरौली
27	मजनखुर्द के ग्रामीणों में तालाब का विकास। ट्रांसफॉर्म सिंगरौली इनिशिएटिव्स के तहत	जल संरक्षण	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	8	8	8	जिला प्रशासन, सिंगरौली
28	स्वच्छता पखवाडा 2019–20 11 जून – 31 जून	स्वच्छता	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	2.5	2.41	2.41	एनसीएल अमलोरी
29	स्वच्छता ही सेवा 11 सितम्बर – 2 अक्टूबर, 2019	स्वच्छता	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	2.5	2.3	2.3	एनसीएल अमलोरी
30	ग्रामीण युवाओं के लिए विभिन्न खेलों में 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन	खेल	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	9.63	7.82	7.82	एनसीएल अमलोरी
31	साबर परियोजना, अमलोहरी के तहत स्कूलों को सहायता	शिक्षा	अमलोरी	सिंगरौली	म.प्र.	286.57	286.57	286.57	एनसीएल अमलोरी
32	स्थानीय कला और संस्कृति का संरक्षण और संवर्धन	कला एवं संस्कृति	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	10	9.4	9.6	एनसीएल, दुधिचुआ

33	दुधिचुआ परियोजना के आसपास पीएपी और बेरोजगार ग्रामीणों के लिए नौकरी से जुड़ा कौशल विकास कार्यक्रम	कौशल	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	10	6.56	9.81	एनसीएल, दुधिचुआ
34	कौशल विकास परियोजना	कौशल	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	10	6.17	9.39	एनसीएल, दुधिचुआ
35	आसपास के गाँवों में गाँव के खेल को बढ़ावा देना	खेल	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	2	0.5	1.81	एनसीएल, दुधिचुआ
36	सिंगरौली परियोजना के तहत तत्काल आधार पर उपयोग के लिए फ्लेक्सी फंड	ग्रामीण विकास	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	10	4.47	10.34	एनसीएल, दुधिचुआ
37	फ्लेक्सी फंड से ट्राम्सफ्रॉम सिंगरौली परियोजना	ग्रामीण विकास	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	10	3.39	7.57	एनसीएल, दुधिचुआ
38	नौकरी से जुड़े लोगों ने गोद लिए गए गांवों में ग्रामीणों को प्रशिक्षण दिया	कौशल	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	10	4.75	9.75	एनसीएल, दुधिचुआ
39	गांवों में खेल को बढ़ावा	खेल	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	5	1.08	3.25	एनसीएल, दुधिचुआ
40	चिकित्सा शिविर मुख्य रूप से गोद लिए गए गांवों में महिलाओं और बच्चों को केंद्रित करने के लिए केंद्रित है	स्वास्थ्य देखभाल	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	10	10	10	एनसीएल, दुधिचुआ
41	प्रशिक्षकों/प्रशिक्षुओं के लिए गिलर्स के लिए प्रशिक्षण केंद्र का विस्तार। आइटम मोटर चालित सिलाई मशीन उपकरण/कपड़े एक और 2 साल के लिए	कौशल	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	3	0.9	2.09	एनसीएल, दुधिचुआ
42	बभनी ब्लाक (उ.प्र.) के सेवाकुंज आश्रम करिदाद गांव में सोलर लाइटिंग मास्ट (10 नग) की स्थापना	पर्यावरण	दुधिचुआ	सोनभद्र	उ.प्र.	5	4.75	4.75	एनसीएल, दुधिचुआ
43	एनसीएल के परिचालन क्षेत्र के आसपास के गांवों में आरओ की स्थापना के माध्यम से/पाइपलाइन के माध्यम से पीने योग्य पानी की आपूर्ति	पेय जल	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	74.35	2.85	47.42	नगर निगम, सिंगरौली
44	बाबहनी ब्लॉक यूपी में सेवाकुंज आश्रम, कारिदास यात्रा, चपकी में छात्रावास का निर्माण	शिक्षा	दुधिचुआ	सोनभद्र	उ.प्र.	540	60.5	60.5	एनसीएल, दुधिचुआ

45	सैटलाइट स्कूल झापड़ हावा टोला कटिहार में अतिरिक्त कमरे का निर्माण	शिक्षा	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	5	5.19	5.19	एनसीएल, दुधिचुआ
46	फुलकेश खैरा के पंचायत के प्राथमिक और मध्य विद्यालय में 3 नग शौचालय का निर्माण	शिक्षा	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	10	10.85	10.85	एनसीएल, दुधिचुआ
47	प्राथमिक विद्यालय डुमरचुआ चुर्की में बाउंड्री वॉल का निर्माण और शौचालय की मरम्मत	शिक्षा	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	15	7.06	10.06	एनसीएल, दुधिचुआ
48	सिंगरौली को बदलने के तहत खिरवा, कटिहार, खैरा और कोसर पंचायत में 5 आंगनवाड़ी में विकास कार्य	शिक्षा	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	20	16.33	15.92	एनसीएल, दुधिचुआ
49	चकरिया पंचायत में आंगनवाड़ी का निर्माण	शिक्षा	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	10	12.43	12.43	एनसीएल, दुधिचुआ
50	फुलकेश, खैरा पंचायत में एक अंगवाड़ी भवन का निर्माण	शिक्षा	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	15	14.83	14.83	एनसीएल, दुधिचुआ
51	आंगनवाड़ी कर्मक 3 चुरकी पंचायत में शौचालय का विकास कार्य और निर्माण	शिक्षा	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	6	6.47	6.47	एनसीएल, दुधिचुआ
52	चुर्की पंचायत में 2 नग आंगनवाड़ी का निर्माण	शिक्षा	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	30	10.32	31.02	एनसीएल, दुधिचुआ
53	खिरवा पंचायत में हरिजन बस्ती रोड में छोटे पुल (पुलिया) का निर्माण	सड़कें	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	25	0.24	21.24	एनसीएल, दुधिचुआ
54	कटिहार पंचायत में घरघटिया नाला में पुलिया का निर्माण	सड़कें	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	20	1.9	17.49	एनसीएल, दुधिचुआ
55	सिधार पंचायत में दीपवा टोला में पुलिया का निर्माण	सड़कें	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	20	0.15	14.09	एनसीएल, दुधिचुआ
56	विधान सभा 81 देवसर, सिद्धार पंचायत, बड़गड़ गाँव कटिहार पंचायत, ग्राम पंचायत सितुलखुर्द में 73 नग हैंडपंपों के विभिन्न स्थानों की स्थापना	पेय जल	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	51.1	22.69	36.69	एनसीएल, दुधिचुआ
57	चुरकी, खैरा, खिरवा, सिधार, कोसर पंचायत में 50 नग हैंडपंप की स्थापना	पेय जल	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	48	34.18	34.18	एनसीएल, दुधिचुआ

58	सीएसआर परिचालन क्षेत्र में स्वास्थ्य शिविर का आयोजन	स्वास्थ्य देखभाल	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	5	1.88	1.88	एनसीएल, दुधिचुआ
59	ग्रामीण युवाओं के लिए विभिन्न खेलों में 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन	खेल	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	9.62	9.15	9.15	एनसीएल, दुधिचुआ
60	सब साक्षर परियोजना, दुधचुआ के तहत स्कूलों को सहायता	शिक्षा	दुधिचुआ	सिंगरौली	म.प्र.	338.57	338.57	338.57	एनसीएल, दुधिचुआ
61	निगाही परियोजना में बनौली गाँव के पास नाले पर चेक डैम बनाना।	जल संरक्षण	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	35	0.52	24.15	एनसीएल, निगाही
62	कौशल विकास (कंप्यूटर प्रशिक्षण CCC पाठ्यक्रम)	कौशल	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	10	3.54	7.9	एनसीएल, निगाही
63	प्राथमिक विद्यालय, शौचालय के साथ पोखरा टोला (लड़कों और लड़कियों), खुटार के लिए चारदीवारी का निर्माण	शिक्षा	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	8	1.17	6.95	एनसीएल, निगाही
64	आंगनवाड़ी भवन का निर्माण हैंडपंप (2 नं.), खुटार के साथ	शिक्षा	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	55	15.45	24.6	एनसीएल, निगाही
65	आंगनवाड़ी भवन का निर्माण हैंडपंप (2 नं.), खटकरी के साथ	शिक्षा	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	55	20.37	24.92	एनसीएल, निगाही
66	खटखरी गांव में 10 नग हैंडपंप की स्थापना	पेय जल	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	10	7.81	7.81	एनसीएल, निगाही
67	आंगनवाड़ी भवन का निर्माण हैंडपंप (2 नं.), सिगही के साथ	शिक्षा	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	55	38.18	44.98	एनसीएल, निगाही
68	आंगनवाड़ी भवन का निर्माण हैंडपंप (2 नं.), अमिलवन के साथ	शिक्षा	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	55	19.59	40.54	एनसीएल, निगाही
69	3 नग के लिए चारदीवारी का निर्माण। सरकारी स्कूल, अमिलवान	शिक्षा	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	20	0.28	14.41	एनसीएल, निगाही
70	आंगनवाड़ी भवन का निर्माण हैंडपंप (1 नं.), गहिला के साथ	शिक्षा	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	28	8.65	13.75	एनसीएल, निगाही
71	पुरवा मध्यिका शाला अमरा और पुरवा मध्यमिका शाला अमिलवन को डेस्क–बेंच (100 नग) प्रदान करना	शिक्षा	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	4	3.3	3.3	एनसीएल, निगाही

72	प्राथमिक विद्यालय सिंगाही और पादखुरी को 92 नं. डीएससी–बेंच प्रदान करना	शिक्षा	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	4	3.06	3.06	एनसीएल, निगाही
73	सिंगाही गाँव के स्कूलों के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराना	खेल	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	2	0.5	0.5	एनसीएल, निगाही
74	खटकरी गाँव में स्कूलों के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराना	खेल	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	2	0.5	0.5	एनसीएल, निगाही
75	घरौली, नंदगांव, खुटार, खटकरी, गहिलारा, सिंगाही और अमिलवन गांव में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन।	स्वास्थ्य देखभाल	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	15	2.39	12.55	एनसीएल, निगाही
76	नंदगाँव के लिए खेल की वस्तुओं का वितरण	खेल	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	2	0.5	0.5	एनसीएल, निगाही
77	प्राइमरी स्कूल माणिक चौरा, गहिलारा गाँव के लिए 50 नग डीडीसी–बेंच उपलब्ध कराना	शिक्षा	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	2	1.65	1.65	एनसीएल, निगाही
78	नंदगांव गांव के क्लस्टर नंबर 2 की सड़कों की पीसीसी सड़क का निर्माण	सड़क निर्माण	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	30	23.45	24.58	एनसीएल, निगाही
79	1 साल के लिए मुहेर गांव में टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति	पेय जल	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	15	4.83	4.83	एनसीएल, निगाही
80	सिंगरौली परियोजना के तहत तत्काल आधार पर उपयोग के लिए फ्लेक्सी फंड	ग्रामीण विकास	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	20	5.4	14.08	एनसीएल, निगाही
81	ट्रांसफॉर्म सिंगरौली के तहत वाहन किराए पर लेना	अन्य	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	7.5	3.39	4.64	एनसीएल, निगाही
82	खुटार में आंगनवाड़ी में फर्नीचर उपलब्ध कराना	शिक्षा	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	1	0.66	0.66	एनसीएल, निगाही
83	स्वच्छ्ता पखवाड़ा	स्वच्छता	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	2.5	2.35	2.35	एनसीएल, निगाही
84	स्वच्छ्ता ही सेवा	स्वच्छता	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	2.5	2.3	2.3	एनसीएल, निगाही
85	कलेक्ट्रेट सिंगरौली में आने वाले ग्रामीण लोगों के लिए बुनियादी सुविधाओं का विकास	ग्रामीण विकास	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	18	14.4	14.4	एनसीएल, निगाही
86	ग्रामीण युवाओं को खेल प्रशिक्षण प्रदान करना	खेल	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	9.62	8.05	8.05	एनसीएल, निगाही

87	आसपास के क्षेत्रों में चिकित्सा शिविर का आयोजन	स्वास्थ्य देखभाल	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	5	2.51	2.51	एनसीएल, निगाही
88	सीएसआर के तहत ग्रामीण खेल प्रशिक्षण का समापन समारोह	खेल	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	8.8	8.39	8.39	एनसीएल, निगाही
89	सब साक्षर परियोजना, निगाही के तहत स्कूलों को सहायता	शिक्षा	निगाही	सिंगरौली	म.प्र.	439.04	439.04	439.04	एनसीएल, निगाही
90	सरस्वती विद्या मंदिर, सरस्वती शिशु मंदिर, प्राइमरी स्कूल रेहटा, काकड़ी रणहोर आदि में डेस्क 450 बेंच उपलब्ध कराना।	शिक्षा	ककरी	सोनभद्र	उ.प्र.	16.2	1.29	15.75	एनसीएल, ककरी
91	11 नग का संचालन और रखरखाव। विद्युतीकरण कार्य सहित एनजीटी के आदेश के अनुसार काकड़ी परियोजना के आसपास के विभिन्न गाँवों में स्थापित आरओ प्लांट	पेय जल	ककरी	सोनभद्र	उ.प्र.	100	15.06	44.99	एनसीएल, ककरी
92	काकड़ी के आसपास के विभिन्न गाँवों में 30 हैण्ड पम्पों की स्थापना	पेय जल	ककरी	सोनभद्र	उ.प्र.	23.7	3.47	3.47	एनसीएल, ककरी
93	काकड़ी ग्राम में सामुदायिक भवन का निर्माण	ग्रामीण विकास	ककरी	सोनभद्र	उ.प्र.	20	7.87	17.93	एनसीएल, ककरी
94	बागवान गौड़ घर से आदर्श बाल विद्यालय मंदिर तक निर्माणाधीन सड़क	सड़क निर्माण	ककरी	सोनभद्र	उ.प्र.	50	2.68	37.67	एनसीएल, ककरी
95	अनपरा रेलवे स्टेशन तक 300 मीटर लंबाई की सीसी सड़क का निर्माण	सड़क निर्माण	ककरी	सोनभद्र	उ.प्र.	40	0.56	29.72	एनसीएल, ककरी
96	कराटे, एम्ब्रॉयडरी और पैराल्ट्रेनिंग, स्किल डेवलपमेंट, समान्य सामग्री, स्कूली बच्चों को म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट प्रदान करना, काकड़ी एरिया के आस–पास के गांवों में स्कूली बच्चों को प्रतिभावान, गरीब छात्रों को शिक्षा प्रदान करना।	शिक्षा	ककरी	सोनभद्र	उ.प्र.	6	0.66	6.35	एनसीएल, ककरी
97	कबड्डी टूर्नामेंट के आयोजन में सहायता	खेल	ककरी	सोनभद्र	उ.प्र.	0.3	2.27	2.27	एनसीएल, ककरी
98	कंप्यूटर सेंटर काकड़ी के माध्यम से कंप्यूटर शिक्षा और प्रशिक्षण प्रदान करना	कौशल	ककरी	सोनभद्र	उ.प्र.	2	0.27	0.27	एनसीएल, ककरी

99	बाल विद्या मंदिर काकड़ी से राजेंद्र दुबे के घर, काकड़ी (500 मीटर) तक सीसी सड़क का निर्माण।	सड़कें	ककरी	सोनभद्र	उ.प्र.	50	27.1	27.1	एनसीएल, ककरी
100	एनजीटी के आदेश के अनुपालन में 1 साल के लिए ककरी गांव में पानी के टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति	पेय जल	ककरी	सोनभद्र	उ.प्र.	32.81	15.03	28.05	एनसीएल, ककरी
101	पीएचसी, नगवा का विकास	स्वास्थ्य देखभाल	ककरी	सोनभद्र	उ.प्र.	28.54	14.3	14.3	एनसीएल, ककरी
102	50 नग की स्थापना। जिला अपराधी के माध्यम से फतेहपुर जिले (यूपी) में हैंडपंप	पेय जल	ककरी	सोनभद्र	उ.प्र.	39.5	32	32	जिला प्रसाशन, फतेहपुर
103	मुख्य सड़क से स्माशान घाट परसी तक 300 मीटर सीसी अप्रोच रोड का निर्माण	सड़क निर्माण	ककरी	सोनभद्र	उ.प्र.	20	3.23	3.23	एनसीएल, ककरी
104	ग्रामीण युवाओं के लिए खेल प्रशिक्षण शिविर का आयोजन	खेल	ककरी	सोनभद्र	उ.प्र.	9.62	7.33	7.33	एनसीएल, ककरी
105	चिकित्सा स्वास्थ्य शिविर का आयोजन	स्वास्थ्य देखभाल	ककरी	सोनभद्र	उ.प्र.	5	1.98	1.98	एनसीएल, ककरी
106	सब सकर परियोजना के तहत स्कूलों को समर्थन, काकड़ी	शिक्षा	ककरी	सोनभद्र	उ.प्र.	238.24	238.24	238.24	एनसीएल, ककरी
107	चितही टोला में तालाब विकास। (Ph II)	जल संरक्षण	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	20	14.96	14.96	एनसीएल, ब्लॉक–बी
108	चितरंगी में शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	15	1.76	13.87	एनसीएल, ब्लॉक–बी
109	मरम्मत और रखरखाव। नौधिया बस स्टैंड और कांस्टेबल की। सार्वजनिक शौचालय की	ग्रामीण विकास	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	30	1.45	20.18	एनसीएल, ब्लॉक–बी
110	दादर पंचायत में तालाब का गहरीकरण	जल संरक्षण	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	50	5.31	21.51	एनसीएल, ब्लॉक–बी
111	बाउंड्री वॉल और एडिशनल रूम, गॉव में हैण्डपम्प का निर्माण। सैटेलाइट प्राइमरी स्कूल जामुल, कासार	शिक्षा	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	60	36.79	56.79	एनसीएल, ब्लॉक–बी
112	बैगा बस्ती, कसार के पास बुकरू नाला पर पुलिया का निर्माण	सड़क निर्माण	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	20	20	20	एनसीएल, ब्लॉक–बी

113	परेवा नाला श्मशान घाट, गोरबी का निर्माण	ग्रामीण विकास	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	30	1.09	29.59	एनसीएल, ब्लॉक–बी
114	सरकार में चारदीवारी का निर्माण। प्राथमिक विद्यालय पोंडी तृतीय	शिक्षा	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	40	13.19	31.39	एनसीएल, ब्लॉक–बी
115	मदरसा, सोलंग में तारों का निर्माण	स्वच्छता	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	5	4.67	4.67	एनसीएल, ब्लॉक–बी
116	शासकीय प्राथमिक विद्यालयों शिवहरी टोला, पोंडी तृतीय में अतिरिक्त कमरों का निर्माण	शिक्षा	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	40	29.05	39.09	एनसीएल, ब्लॉक–बी
117	आस–पास के गांवों में (50 नग) हैंडपंपों की स्थापना	पेय जल	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	35	8.38	29.68	एनसीएल, ब्लॉक–बी
118	गोंडवाली पंचायत में तालाब का विकास	जल संरक्षण	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	20	7.42	7.42	एनसीएल, ब्लॉक–बी
119	3 नग का निर्माण। गोंडवाली पंचायत में पीने की सुविधा के साथ आंगनवाड़ी	शिक्षा	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	30	28.87	28.87	एनसीएल, ब्लॉक–बी
120	सिंगरौली रेलवे स्टेशन के पास तालाब की सफाई	स्वच्छता	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	2	1.8	1.8	एनसीएल, ब्लॉक–बी
121	प्राथमिक विद्यालय, चमारखो पंचायत में चारदीवारी का निर्माण	शिक्षा	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	30	11.63	26.69	एनसीएल, ब्लॉक–बी
122	गोंडवाली पंचायत में पुलिया का निर्माण	सड़क निर्माण	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	30	18	18	एनसीएल, ब्लॉक–बी
123	3 नग का निर्माण। नौधिया जीपी में नालियां (800 मीटर)	स्वच्छता	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	20	11.73	16.72	एनसीएल, ब्लॉक–बी
124	परेवा नाले पर श्मशान घाट का निर्माण	ग्रामीण विकाश	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	35	0.5	0.5	एनसीएल, ब्लॉक–बी
125	आंगनवाड़ियों और प्राथमिक विद्यालयों में शिक्षण उपकरण, फर्नीचर और अन्य उपकरण प्रदान करना	शिक्षा	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	10	8.85	9.95	एनसीएल, ब्लॉक–बी
126	स्वच्छता, स्वास्थ्य और स्वच्छता, सरकार पर जागरूकता शिविरों का आयोजन। पंचायतों में योजनाएँ और पात्रताएँ, शिक्षा, आजीविका बढ़ाने की प्रथाएँ आदि	शिक्षा	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	5	0.03	4.18	एनसीएल, ब्लॉक–बी

127	2 साल के लिए सिंगरौली परियोजना को बदलने के लिए वाहन किराए पर लेना	अन्य	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	15	5.68	5.68	एनसीएल, ब्लॉक–बी
128	आंगनवाड़ियों के माध्यम से आवंटित पंचायतों के लिए कुपोषित महिलाओं और बच्चों के लिए पोषण की खाई को पूरा करना	स्वास्थ्य देखभाल	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	5	0.39	4.54	एनसीएल, ब्लॉक–बी
129	सिंगरौली परियोजना के तहत असिंचित क्षेत्रों में सौर लाइटों की स्थापना	पर्यावरण	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	20	5.82	19.32	एनसीएल, ब्लॉक–बी
130	परिवर्तन सिंगरौली परियोजना के तहत आवंटित पंचायतों में सामुदायिक मोबलाइजर/संसाधन व्यक्तियों के लिए निधि प्रावधान	अन्य	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	7	2.8	2.8	लखनऊ विश्वविद्यालय
131	आसपास के उच्च माध्यमिक विद्यालयों में प्रयोगशाला उपकरण उपलब्ध कराना	शिक्षा	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	10	0.13	8.39	एनसीएल, ब्लॉक–बी
132	कौशल विकास प्रशिक्षण	कौशल	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	10	0.21	9.37	एनसीएल, ब्लॉक–बी
133	वित्तीय समावेशन के लिए धन (ग्रामीणों को डिजिटल साक्षरता, बैंक खाता खोलने, आधार/पैन/योजनाओं, आदि के साथ प्रशिक्षण)	शिक्षा	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	5	2.56	4.79	एनसीएल, ब्लॉक–बी
134	1 साल के लिए मुहेर गांव में टैंकर के माध्यम से पीने के पानी की आपूर्ति	पेय जल	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	10	6.1	9.99	एनसीएल, ब्लॉक–बी
135	सिंगरौली परियोजना के तहत तत्काल आधार पर उपयोग के लिए फ्लेक्सी फंड	ग्रामीण विकाश	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	10	3.48	9.61	एनसीएल, ब्लॉक–बी
136	ट्रांसफॉर्म सिंगरौली कार्यक्रम के तहत ब्लॉक–बी में आवंटित ग्राम पंचायत में वर्दी, किट, शिक्षण उपकरण आदि प्रदान करना	शिक्षा	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	15	8.66	14.34	एनसीएल, ब्लॉक–बी
137	ब्लॉक–बी परियोजना में सामुदायिक जुटावकों के माध्यम से ट्रांसफॉर्म सिंगरौली परियोजना के तहत गांवों का सर्वेक्षण	अन्य	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	1.5	0.6	0.6	एनसीएल, ब्लॉक–बी

138	स्वच्छ्ता पखवाड़ा 2019 का आयोजन	स्वच्छता	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	1.5	1.42	1.42	एनसीएल, ब्लॉक–बी
139	स्वच्छ्ता ही सेवा	स्वच्छता	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	1.5	1.29	1.29	एनसीएल, ब्लॉक–बी
140	सिंगरौली रेलवे स्टेशन के पास तालाब की आवधिक सफाई	स्वच्छता	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	2	2	2	एनसीएल, ब्लॉक–बी
141	परियोजनाओं / इकाइयों के सीएसआर परिचालन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन	स्वास्थ्य देखभाल	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	5	1.85	1.85	एनसीएल, ब्लॉक–बी
142	एनसीएल के सीएसआर परिचालन क्षेत्र में रहने वाले ग्रामीण युवाओं के लिए विभिन्न खेलों में 15 दिनों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना	खेल	ब्लॉक–बी	सिंगरौली	म.प्र.	9.63	8.23	8.23	एनसीएल, ब्लॉक–बी
143	शौचालय का निर्माण 30 नग 7 स्थानों पर	स्वच्छता	कृष्णशिला	सोनभद्र	उ.प्र.	60	10.21	52.254	एनसीएल, कृष्णशिला
144	सरकार प्राथमिक विद्यालय, मिश्रा में 06 कमरों, शौचालय और रसोईघर का निर्माण।	शिक्षा	कृष्णशिला	सोनभद्र	उ.प्र.	50	31.67	42.61	एनसीएल, कृष्णशिला
145	कौशल विकास के तहत कालीन बनाने का प्रशिक्षण	कौशल	कृष्णशिला	सोनभद्र	उ.प्र.	6	1.12	5.9	एनसीएल, कृष्णशिला
146	भैरवा गांव में सीसी रोड का निर्माण	सड़क निर्माण	कृष्णशिला	सोनभद्र	उ.प्र.	120	25.58	25.58	एनसीएल, कृष्णशिला
147	स्वच्छता पखवाड़ा	स्वच्छता	कृष्णशिला	सोनभद्र	उ.प्र.	1.5	1.43	1.43	एनसीएल, कृष्णशिला
148	स्वच्छता ही सेवा पखवाड़ा	स्वच्छता	कृष्णशिला	सोनभद्र	उ.प्र.	1.5	1.49	1.49	एनसीएल, कृष्णशिला
149	सोनभद्र जिले में सार्वजनिक स्वास्थ्य केंद्रों (80 नग) में सौर ऊर्जा प्रणाली प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	कृष्णशिला	सोनभद्र	उ.प्र.	258	258	258	एनसीएल, कृष्णशिला
150	सीएसआर के तहत स्वास्थ्य शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	कृष्णशिला	सोनभद्र	उ.प्र.	5	4.64	4.64	एनसीएल, कृष्णशिला

151	ग्रामीण युवाओं के लिए विभिन्न खेलों में 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन	खेल	कृष्णशिला	सोनभद्र	उ.प्र.	9.63	7.91	7.91	एनसीएल, कृष्णशिला
152	म्योरपुर और बभनी में कस्तूरबा गांधी बालिका विद्यालयों का नवीनीकरण	शिक्षा	कृष्णशिला	सोनभद्र	उ.प्र.	44.23	10	10	एनसीएल, कृष्णशिला
153	100 नग को स्डट ड्राइविंग प्रशिक्षण। आसपास के गांवों के युवक।	कौशल	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	6	2.98	2.98	आई.टी.आई दुधी
154	स्थानीय समुदाय की आवश्यकता और आवश्यकता के आधार पर विभिन्न परियोजना और इकाइयों द्वारा कौशल विकास परियोजनाएं आयोजित की जानी हैं।	कौशल	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	10	4.97	4.97	आई.टी.आई दुधी
155	02 नग की स्थापना और कमीशनिंग। घोसरी और जमशिला गाँव में आर.ओ प्लांट	पेय जल	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	20	1.36	13.56	एनसीएल बीना
156	4 नग की स्थापना के माध्यम से सुरक्षित पेयजल तक पहुंच प्रदान करना। वाटर एटीएम/आरओ यूनिट	पेय जल	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	39	5.01	27.59	एनसीएल बीना
157	सीएसआर योजना के तहत चंदुर, घड़सारी और बड़वानी गांव में 04 नग सार्वजनिक शौचालय का निर्माण	स्वच्छता	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	15	0.69	14.13	एनसीएल बीना
158	9 नगों का संचालन। सीएसआर के तहत आरओ प्लांट	पेय जल	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	65	10.76	21.92	एनसीएल बीना
159	बीना परियोजना के तहत केएसएल रेलवे स्टेशन के लिए पानी के रंग के साथ आरओ प्लांट का इंस्टालेशन	पेय जल	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	9	8.58	8.58	एनसीएल बीना
160	सब्जी पुशकार्ट के चक्र का वितरण	कौशल	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	4	2.88	2.88	एनसीएल बीना
161	बीना प्राइमरी स्कूल में पानी की व्यवस्थाओं के साथ नए लड़के और लड़कियों के शौचालयों का निर्माण	शिक्षा	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	8	5.25	7.39	एनसीएल बीना
162	बीना इंटरमीडिएट कॉलेज में पानी की आपूर्ति की व्यवस्था के साथ नए लड़के और लड़कियों के शौचालय का निर्माण	शिक्षा	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	10	7.44	9.5	एनसीएल बीना

163	जिला प्रशासन, सोनभद्र को तीरंदाजी उपकरण	खेल	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	21	10.13	10.13	जिला प्रशासन, सोनभद्र
164	एनएसडीसी पाठ्यक्रम के अनुसार कौशल आधारित विकास की आवश्यकता है	कौशल	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	15	7.07	11.32	आई.टी.आई दुधी
165	बीना के पास के गाँवों में गाँव के खेल को संवारना	खेल	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	4	2.35	2.35	एनसीएल बीना
166	ग्राम हीथ शिविर (04 नग)	स्वास्थ्य देखभाल	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	2.8	2.2	2.2	एनसीएल बीना
167	सीएसआर स्कीमबी बीना परियोजना के तहत प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रकर्म, सोनभद्र का नवीनीकरण और विकास	स्वास्थ्य देखभाल	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	25	20.25	20.25	एनसीएल बीना
168	सोनभद्र जिले के दुद्धी तहसील में 04 गाँवों में स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन	स्वास्थ्य देखभाल	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	3.5	3.36	3.36	एनसीएल बीना
169	सीएसआर के तहत आस–पास के गांवों में स्थापित आरओ प्लांट के बिजली बिल	पेय जल	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	17.74	17.74	17.74	एनसीएल बीना
170	16 जून से 30 जून 2019 तक स्वच्छता पखवाड़ा की सीएसआर गतिविधि	स्वच्छता	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	2.5	2.24	2.24	एनसीएल बीना
171	11 सितम्बर से 27 अक्टूबर, 2019 के दौरान स्वच्छता पखवाड़ा की सीएसआर गतिविधि।	स्वच्छता	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	2.5	2.5	2.5	एनसीएल बीना
172	सब साक्षर परियोजना के तहत स्कूलों को समर्थन, बीना	शिक्षा	बीना	सोनभद्र	उ.प्र.	271.54	271.54	271.54	एनसीएल बीना
173	कौशल विकास : स्नातक छात्रों के लिए बैंकिंग और लेखा प्रशिक्षण	कौशल	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	10	6.68	9.54	आई.टी.आई दुधी
174	कौशल विकास : ब्यूटी कल्चर एंड हेयर ड्रेसिंग	कौशल	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	15	10.16	14.52	आई.टी.आई दुधी
175	कौशल विकास : घरेलू उपकरणों (इलेक्ट्रॉनिक्स) की मरम्मत और रखरखाव	कौशल	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	15	9.91	14.16	आई.टी.आई दुधी
176	महिला सशक्तीकरण और बाल कल्याण के लिए विभिन्न गतिविधियों का आयोजन	महिला सशक्तीकरण	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	3.4	1.17	2.53	एनसीएल, खड़िया

177	परियोजना प्रभावित लोगों (पीएपी) के लिए विभिन्न चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी गतिविधियों को व्यवस्थित करना	स्वास्थ्य देखभाल	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	20	7.77	17.07	एनसीएल, खड़िया
178	ग्राम पंचायत पिपरी में इंद्र वीर सिंह हाउस तक रामकृष्ण गौड़ घर से होते हुए सोनवाली टोले से सीसी रोड़ (3.00 KM) का निर्माण	सड़क निर्माण	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	300	297.96	297.96	एनसीएल, खड़िया
179	चिलकटांड़ बस्ती में अश्मशान घाट में बोरवेल के साथ स्ट्रक्चरल स्टील शेड का निर्माण	ग्रामीण विकास	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	40	32.4	32.4	एनसीएल, खड़िया
180	टैंकर के माध्यम से चिलकाटांड बस्ती में पीने योग्य पानी की आपूर्ति	पेय जल	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	20	7.06	7.06	एनसीएल, खड़िया
181	चौकी गांव में तालाब का गहरीकरण और एक तरफ घाट निर्माण	जल संरक्षण	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	40	26.83	26.83	एनसीएल, खड़िया
182	20–25 वर्ष आयु वर्ग के पीएपी और स्थानीय लोगों के लिए वॉलीबॉल शिविर	खेल	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	20	12.9	12.9	एनसीएल, खड़िया
183	प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र, कोटा में वाटर कूलर सह आरओ की स्थापना	पेय जल	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	1	0.7	0.7	एनसीएल, खड़िया
184	जिला प्रशासन सोनभद्र के साथ एमओयू आधार पर विकास भवन, रॉबर्ट्सगंज में पब्लिक के लिए वर्कशॉप और वेटिंग हॉल की छत के शीर्ष पर क्षमता 25 किलोवाट क्षमता के हाइब्रिड सोलर पावर प्लांट (ऑफ ग्रिड सोलर प्लांट) की स्थापना।	पर्यावरण	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	37.99	33	33	एनसीएल, खड़िया
185	सरकार में 2 कमरों का निर्माण। खड़िया में प्राथमिक विद्यालय	शिक्षा	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	12	13.18	13.18	एनसीएल, खड़िया
186	गतिविधियों से संबंधित संगठन महिला सशक्तिकरण और बाल आसपास के गांवों में कल्याणकारी गतिविधियाँ खड़िया परियोजना।	महिला सशक्तीकरण	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	2	1.36	1.36	एनसीएल, खड़िया

187	पीएचसी का विकास, नाई बाजार, रोबेर्ट्सगंज	स्वास्थ्य देखभाल	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	24.39	19.68	19.68	एनसीएल, खड़िया
188	स्वच्छता पखवाड़ा	स्वच्छता	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	2.5	1.88	1.88	एनसीएल, खड़िया
189	कौशल विकास प्रशिक्षण : ट्रेड ड्राइवर/ टैक्सी ड्राइवर में	कौशल	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	75	35.78	35.78	आई.टी.आई दुधी
190	यूपीनेडा द्वारा एमओयू आधार पर पिपरी ग्राम पंचायत और कुलडोमरी ग्राम पंचायत में सौर स्ट्रीट लाइट की स्थापना का प्रावधान	पर्यावरण	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	33.35	30.2	30.2	न्छम्क।, सोनभद्र
191	स्वच्छता ही सेवा	स्वच्छता	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	2.5	2.38	2.38	एनसीएल, खड़िया
192	विभिन्न खेलों में 15 दिनों का प्रशिक्षण शिविर आयोजित करना	खेल	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	9.63	9.3	9.3	एनसीएल, खड़िया
193	चिलकडांड़ गांव में सड़क निर्माण	सड़कें	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	35	0.7	24.7	एनसीएल, खड़िया
194	सब्जी मंडी पर शेड के साथ प्लेटफार्म उपलब्ध कराना	ग्रामीण विकास	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	29	5.06	18.06	एनसीएल, खड़िया
195	सब साक्षर परियोजना के तहत स्कूलों को समर्थन, खड़िया	शिक्षा	खड़िया	सोनभद्र	उ.प्र.	264.23	264.23	264.23	एनसीएल, खड़िया
196	कटाई और सिलाई पास के गांवों में महिलाओं और शिक्षकों के मानदेय के लिए	कौशल	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	3.5	0.72	2.26	एनसीएल, जयंत
197	जयंत परियोजना में संचालित होने वाले कटाई, टेलोरिन, कढ़ाई और बुनाई केंद्र के लिए कच्चा माल और सम्मान	कौशल	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	3.5	0.96	0.96	एनसीएल, जयंत
198	प्रौढ़ शिक्षा (महिला) और गरीब स्कूली बच्चों (मुफ्त शिक्षा) के लिए सहायता प्रदान करना	शिक्षा	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	1.5	0.93	0.93	एनसीएल, जयंत
199	जयंत प्रोजेक्ट के तहत जयंत मोर के पास बस स्टैंड परिसर का निर्माण और विकास।	ग्रामीण विकास	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	150	143.76	249.76	एनसीएल, जयंत
200	जयंत परियोजना में सीएसआर योजना–16–17 के तहत फेज –1 में मड़वानी क्षेत्र को मुडवानी इको पार्क के रूप में विकसित करने के लिए मुडवानी डैम का विकास और सुदृढ़ीकरण।	प्रयावरण	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	400	2.5	2.5	नगर निगम, सिंगरौली

201	मधौली में 3 नग चौक डैम का निर्माण	जल संरक्षण	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	100	41.45	41.45	एनसीएल, जयंत
202	वयस्क शिक्षा (महिला) और गरीब छात्र के लिए सहायता	शिक्षा	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	1.5	0.36	0.36	एनसीएल, जयंत
203	जयंत क्षेत्र के गाँवों के पास मुफ्त चिकित्सा शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	5	0.8	3.65	एनसीएल, जयंत
204	कपरदेई, खोखवा और सुलक्खनला ग्राम पंचायत में हैंडपंप (प्रत्येक ग्राम पंचायत में 20)	पेय जल	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	46.5	1.99	38.63	एनसीएल, जयंत
205	कपूरदेई ग्राम पंचायत, चितरंगी में सामुदायिक हॉल का निर्माण	ग्रामीण विकास	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	60	60.24	60.24	एनसीएल, जयंत
206	कपूरदेई ग्राम पंचायत, चितरंगी में 2 नग आंगनवाड़ी का निर्माण	शिक्षा	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	30	7.04	27.25	एनसीएल, जयंत
207	मध्य विद्यालय, कपूरदेई ग्राम पंचायत में चारदीवारी का निर्माण	शिक्षा	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	15	0.44	8.14	एनसीएल, जयंत
208	सरकारी माध्यमिक विद्यालय, सुलक्खनला ग्राम पंचायत में चारदीवारी का निर्माण	शिक्षा	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	15	0.47	8.2	एनसीएल, जयंत
209	सुलखानकला से खोखवा तक सड़क का निर्माण (3.5 किलोमीटर)	सड़कें	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	350	170.05	170.05	एनसीएल, जयंत
210	कपूरदेई/खोखवा/सुलखानकला ग्राम पंचायत के आगनवाड़ी में खेल उपकरणों की खरीद और वितरण	खेल	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	6	4.95	4.95	एनसीएल, जयंत
211	सुलखानकला/खोखवा/कपूरदेई ग्राम पंचायत के प्राथमिक, माध्यमिक विद्यालय में खेल सामग्री उपलब्ध कराना	खेल	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	5	1	1	एनसीएल, जयंत
212	सुलखाना/खोखवा/कपूरदेई ग्राम पंचायत के ग्रामीणों को स्वास्थ्य किट और स्वच्छता किट प्रदान करना	स्वास्थ्य देखभाल	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	5	1	1	एनसीएल, जयंत
213	मेधौली गाँव में पीने के पानी की व्यवस्था, पीओएस के साथ आरसीसी टैंक का निर्माण और मेधौली में टैंकर के माध्यम से पानी की आपूर्ति	पेय जल	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	40	23.99	23.99	एनसीएल, जयंत

214	सिंगरौली परियोजना के तहत तत्काल आधार पर उपयोग के लिए फ्लेक्सी फंड	ग्रामीण विकास	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	20	0.8	5.85	एनसीएल, जयंत
215	सीएसआर के माध्यम से जयंत में खेल अकादमी का संचालन	खेल	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	226.67	28.85	28.85	एनसीएल, जयंत
216	विभिन्न खेलों में 15 दिवसीय प्रशिक्षण शिविर का आयोजन	खेल	जयंत	सिंगरौली	म.प्र.	9.63	8	8	एनसीएल, जयंत
217	सरकारी कार्यालयों में खरीद और वितरण का वितरण। कन्या उच्च विद्यालय पंजरे और अंबेडकर उच्चतर माध्यमिक विद्यालय	शिक्षा	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	10	6.11	6.11	एनसीएल, मुख्यालय
218	2 नग का निर्माण। सिंचाई के उद्देश्य से अडगड़िया नाला और डोंगिया नाला पर चेकडैम	जल संरक्षण	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	45	5.1	38.2	एनसीएल, मुख्यालय
219	प्राथमिक विद्यालय चुरकी और पुराने मध्य विद्यालय चुर्की में किचन शेड का निर्माण	शिक्षा	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	15	11.85	11.85	एनसीएल, मुख्यालय
220	सिंगरौली जिले में स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	स्वास्थ्य देखभाल	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	130	1.4	105.66	एनसीएल, मुख्यालय
221	सिंगरौली जिले में स्थानीय युवाओं के लिए आईटीआई खोलना	शिक्षा	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	50	0.37	37.54	एनसीएल, मुख्यालय
222	चारदीवारी का निर्माण, सैटेलाइट स्कूल डुमरचुआ और प्राथमिक विद्यालय कन्हाना, चुरकी पंचायत में 02 नग कमरे और विकास कार्य	शिक्षा	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	80	43.62	43.62	एनसीएल, मुख्यालय
223	सरकारी हाई स्कूल पोंडी–बरगवां में बाउंड्री वॉल, 7 कमरे और शौचालय और विकास कार्यों का निर्माण	शिक्षा	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	105.19	63.34	86.53	एनसीएल, मुख्यालय
224	चितरंगी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में शीतलन जल बूथ के साथ आरओ का प्रावधान	पेय जल	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	15	10.16	10.58	एनसीएल, मुख्यालय
225	जिला अस्पताल, वैधन में आरओ प्लांट की स्थापना, संचालन और रखरखाव के लिए जिला प्रशासन को सौंपना।	पेय जल	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	20	9.93	9.93	एनसीएल, मुख्यालय

226	ग्रामीणों के लिए प्रौढ़ शिक्षा	शिक्षा	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	4	1.6	1.6	जिला प्रशासन, सिंगरौली
227	जिले में IMR और MMR को कम करके स्वास्थ्य संस्थानों का सुदृढ़ीकरण	स्वास्थ्य देखभाल	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	128.02	128.02	128.02	जिला प्रशासन, सिंगरौली
228	पंजरे गाँव में नाला (नाली) का निर्माण, वार्ड क्र. 5 सीएसआर के तहत (चरण–II)	स्वच्छता	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	200.35	96.51	122.28	एनसीएल, मुख्यालय
229	घोरा घाट, चतरी ग्राम पंचायत पर चेक डैम का निर्माण	जल संरक्षण	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	18.51	16.72	16.72	एनसीएल, मुख्यालय
230	करेला ग्राम पंचायत में करेला स्कूल में पानी की आपूर्ति का प्रावधान	शिक्षा	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	6.4	3.2	4.48	एनसीएल, मुख्यालय
231	स्वच्छ भारत मिशन परियोजना के तहत सिंगरौली जिले के चितरंगी ब्लॉक में 04 ग्राम पंचायतों में अजगढ़, करैला, बिरकुनिया और चुर्की में घरेलू शौचालयों का निर्माण	स्वच्छता	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	803.17	552.05	660.9	एनसीएल, मुख्यालय
232	चकलेवा मुख्य सड़क से मिरचौड़ी सीमा, सिलफोरी ग्राम पंचायत (चरण–I और II) तक सड़क का निर्माण	सड़क निर्माण	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	171.33	13.01	146.65	एनसीएल, मुख्यालय
233	गुरुचरवा मुख्य सड़क से रणहोर सीमा तक सड़क निर्माण, सिलफोरी ग्राम पंचायत (चरण–I और II)	सड़क निर्माण	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	197.88	29.82	194.06	एनसीएल, मुख्यालय
234	सीएसआर के तहत रेलवे स्टेशन को गोद लेकर स्वच्छ भारत अभियान में भागीदारी	स्वच्छता	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	200	25.12	25.12	उत्तर पूर्व रेलवे
235	गौशाला से खजुरा बैगा बस्ती, बिरकुंआ ग्राम पंचायत तक सड़क की देखभाल	सड़क निर्माण	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	72	29.12	60.54	एनसीएल, मुख्यालय
236	पंजरे के शशिकिया अनुसूचि जाति कन्या आश्रम में दो कमरों और शौचालयों का निर्माण	शिक्षा	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	30	9.55	9.55	एनसीएल, मुख्यालय
237	स्वच्छ विद्यालय अभियान के तहत सिंगरौली जिले में निर्मित शौचालयों के लिए पानी की व्यवस्था	शिक्षा	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	35.01	35.01	35.01	जिला प्रशासन, सिंगरौली

238	चुरी पंचायत में सुयार कोहली नाला, डुमरचुआ में आरसीसी डबल बॉक्स का निर्माण	सड़क निर्माण	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	50	5.27	5.27	एनसीएल, मुख्यालय
239	बरगवां गाँव में बोरदा खांदी तालाब, बिरकुणिया जीपी, जिघनिया टोला, खिरवा जीपी और मध्य विद्यालय के पास तालाब का गहरीकरण	जल संरक्षण	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	63.35	5.12	36.64	एनसीएल, मुख्यालय
240	स्मॉल होल्डर की पोल्ट्री प्रोजेक्ट	कौशल	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	375	75	375	जिला प्रशासन, सिंगरौली
241	क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देने के लिए जिला खेल संवर्धन सोसायटी का योगदान, सोनभद्र	खेल	मुख्यालय	सोनभद्र	उ.प्र.	5	2.5	2.5	जिला प्रशासन, सोनभद्र
242	पिपरा में प्राथमिक विद्यालय हरिजन बस्ती, पाराशर तक एप्रोच रोड़ का निर्माण	सड़कें	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	95	3.86	80.5	एनसीएल, मुख्यालय
243	बंजारा होटल/उर्मिला पब्लिक स्कूल (बजरंग नगर) से बनारसी होटल (1900 मीटर), ऑडी (यू.पी.) तक सीसी रोड़ का निर्माण	सड़कें	मुख्यालय	सोनभद्र	उ.प्र.	150	67.46	102.18	एनसीएल, मुख्यालय
244	जिला प्रशासन के माध्यम से रॉबर्ट्सगंज क्षेत्र में सौर स्ट्रीट लाइट (300 नग) की स्थापना।	पर्यावरण	मुख्यालय	सोनभद्र	उ.प्र.	66	6.6	66	उ.प.ने.डा
245	जिला प्रशासन, सिंगरौली के माध्यम से सिंगरौली जिला क्रिकेट संघ को वित्तीय सहायता के माध्यम से इस क्षेत्र में खेल को बढ़ावा देना	खेल	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	4	2	2	जिला प्रशासन, सिंगरौली
246	सरकारी स्कूलों (पंजरे हाई स्कूल और कन्या विद्यालय, सिंगरौली) में खेल की वस्तुओं का वितरण	खेल	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	1	0.55	0.55	एनसीएल, मुख्यालय
247	रामकृष्ण मिशन चौरिटेबल अस्पताल, वृन्दाबन, मथुरा के मुफ्त सामान्य वार्डों के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	स्वास्थ्य देखभाल	मुख्यालय	मथुरा	उ.प्र.	150	15	150	रामकृष्ण मिशन, वृन्दावन

248	सार्वजनिक पुस्तकालय के नवीकरण और रामकृष्ण मिशन अद्वैत आश्रम, लुक्सा, वाराणसी में नए सौर ऊर्जा उत्पादन की स्थापना के लिए वित्तीय सहायता	शिक्षा	मुख्यालय	वाराणसी	उ.प्र.	10	2	10	रामकृष्ण मिशन, वाराणसी
249	10 नग का निर्माण। बस्ती जिले में सामुदायिक हॉल (U.P.)	ग्रामीण विकास	मुख्यालय	बस्ती	उ.प्र.	125	62.5	112.5	जिला प्रशासन, बस्ती
250	सरकार में ढांचागत कार्य। प्राथमिक विद्यालय, पंजरे, सिंगरौली	शिक्षा	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	10	7.8	7.8	एनसीएल, मुख्यालय
251	U.I.D.S.M.T के तहत सिंगरौली जिले के लिए पेयजल योजना के लिए वित्तीय सहायता प्रदान करना (छोटे और मध्यम शहरों के लिए शहरी बुनियादी ढांचा विकास योजना) योजना	पेय जल	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	468	46.8	468	जिला प्रशासन, सिंगरौली
252	5 सरकारी स्कूलों सिंगरौली, म.प्र. में गुणवत्तापूर्ण गणित शिक्षा प्रदान करने के लिए पायलट प्रोजेक्ट के लिए सीएसआर कार्य–सहायता का विस्तार	शिक्षा	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	15.84	5.7	14.25	प्रकाश बिंदु फाउंडेशन
253	24 सरकारी में सेनेटरी पैड वेंडिंग मशीन, इंक्रीनेटर और सेनेटरी नैपकिन की खरीद और स्थापना। भारत सरकार के स्वामित्व वाली निगम (सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम) की सरकार एचएलएल लाइफकेयर लि. के साथ एमओयू के माध्यम से सिंगरौली और सोनभद्र जिले में स्कूल	स्वास्थ्य देखभाल	मुख्यालय	सिंगरौली / सोनभद्र	उ.प्र. / म.प्र.	143.7	99.93	99.93	एचएलएल लैफेकेर लिमिटेड
254	4 नग का निर्माण। सुलभ शौचालय के साथ एमओयू के माध्यम से वाराणसी हवाई अड्डे से सिंगरौली तक सार्वजनिक शौचालय।	स्वच्छता	मुख्यालय	सोनभद्र	उ.प्र.	117.43	27.8	27.8	सुलभ इंटरनेशनल सोसिअल सेर्वविस आर्गेनाईजेशन
255	जिला प्रशासन, सिंगरौली के साथ समझौता ज्ञापन के माध्यम से एसएचपी (छोटे धारक मुर्गी) के माध्यम से एससी / एसटी महिलाओं के बीच आजीविका के अवसर पैदा करना	कौशल	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	125	84	84	जिला प्रशासन, सिंगरौली

256	मध्य विद्यालय में शेड का निर्माण, बिरकुनिया और विकास बिरकुनिया जीपी में जीपीएस जिगनाहवा में काम करता है।	शिक्षा	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	35	28.31	28.31	एनसीएल, मुख्यालय
257	गढ़खड से गुडरीखोली (6 KM) और खुटार से डिबाटोला (3.4 Kms) तक 2 नग सड़क (BT + CC) गाँव की सड़कों का निर्माण	सड़कें	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	534	112.31	112.31	एनसीएल, मुख्यालय
258	केशवधाम, मथुरा द्वारा चलाई जाने वाली इंटरकॉलेज में दूसरी मंजिल पर कक्षाओं के पुनर्निर्माण के लिए वित्तीय सहायता	शिक्षा	मुख्यालय	मथुरा	उ.प्र.	77	46.2	46.2	Keshav Dham, Vrindavan, Mathura U.P.
259	सेवा कुंज आश्रम, चपकी में 3 दिवसीय खेल टूर्नामेंट का आयोजन	खेल	मुख्यालय	सोनभद्र	उ.प्र.	20	20	20	सेवा समर्पण संस्थान
260	केंद्रीय अस्पताल द्वारा स्वास्थ्य शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	17	3.82	3.82	एनसीएल, मुख्यालय
261	एनसीएल के नजदीकी गांव में ग्रीन हाट का निर्माण	ग्रामीण विकास	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	22	7.47	7.47	जिला प्रशासन, सिंगरौली
262	स्वच्छता पखवाड़ा (16 जून से 30 जून)	स्वच्छता	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	1.5	1.42	1.42	एनसीएल, मुख्यालय
263	स्वच्छता ही सेवा (11.09.2019 से 27.10.2019 तक)	स्वच्छता	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	1.5	1.47	1.47	एनसीएल, मुख्यालय
264	TISS, मुंबई द्वारा CSR प्रस्तावों की समीक्षा	अन्य	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	6.48	1.2	1.2	एनसीएल, मुख्यालय
265	एनसीएल के निकटवर्ती गांवों में रहने वाले छात्रों और ग्रामीणों के लिए योग/ध्यान शिविरों का आयोजन	स्वास्थ्य देखभाल	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	0.81	0.81	0.81	एनसीएल, मुख्यालय
266	कला महोत्सव, भोपाल के लिए वित्तीय सहायता	खेल	मुख्यालय	भोपाल	म.प्र.	10	10	10	सोसाइटी फॉर कल्चर एंड एनविरोंमेंट, भोपाल
267	सब साक्षर परियोजना के तहत स्कूलों को सहायता, एनसीएल मुख्यालय	शिक्षा	मुख्यालय	सिंगरौली	म.प्र.	370.65	370.65	370.65	एनसीएल, मुख्यालय
268	सिंगरौली और सोनभद्र जिले में दिव्यांगजनों को सहायक उपकरणों का वितरण और वितरण	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली/सोनभद्र	म.प्र./उ.प्र.	50	50	50	आलीमको

269	स्वच्छ्ता पखवाड़ा	स्वच्छता	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	1	0.87	0.87	एनसीएल, एनएससी
270	एकाधिक बहु–विषयक ग्रामीण स्वास्थ्य शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	3	2.94	2.94	एनसीएल, एनएससी
271	नेत्र शिविर/मोतियाबिंद ऑपरेशन	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	2.5	1.17	1.17	एनसीएल, एनएससी
272	दंत चिकित्सा शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	1.5	0.54	0.54	एनसीएल, एनएससी
273	परिवार कल्याण शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	2	1.7	1.7	एनसीएल, एनएससी
274	कार्डियोलॉजी शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	2	1.86	1.86	एनसीएल, एनएससी
275	श्वसन शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	1	0.92	0.92	एनसीएल, एनएससी
276	गुर्दा रोग शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	1	0.47	0.47	एनसीएल, एनएससी
277	एचआईवी सहायता जागरूकता शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	1	0.89	0.89	एनसीएल, एनएससी
278	कैंसर शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	1	0.48	0.48	एनसीएल, एनएससी
279	ड्रग्स	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	16	7.78	7.78	एनसीएल, एनएससी
280	बहरापन का डेरा	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	1	0.44	0.44	एनसीएल, एनएससी
281	ऑर्थो शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	6	5.6	5.6	एनसीएल, एनएससी
282	थैलेसीमिया	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	2	2	2	एनसीएल, एनएससी
283	बाल स्वास्थ्य शिविर	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	4.5	3.17	3.17	एनसीएल, एनएससी

284	गरीब मरीजों के लिए शुल्क माफ	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	5	4.37	4.37	एनसीएल, एनएससी
285	बेबी शो	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	1.5	0.49	0.49	एनसीएल, एनएससी
286	ब्रेस्ट फीडिंग कैंप	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	0.5	0.46	0.46	एनसीएल, एनएससी
287	न्यूरोलॉजी कैंप	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सिंगरौली	म.प्र.	2	1.62	1.62	एनसीएल, एनएससी
288	सतना जिले में सहायता और उपकरणों का वितरण	स्वास्थ्य देखभाल	एनएससी	सतना	म.प्र.	252	252	252	आलीमको
289	2 नग की स्थापना। अजगढ़ में झगड़वा और बखेरिहवा टोला में सिंचाई के लिए सोलर सिस्टम डीप ट्यूबवेल	पेय जल	सीडब्ल्यूएस	सिंगरौली	म.प्र.	.15	12.53	12.53	एनसीएल, सीडब्ल्यूएस
290	बुनाई और सिलाई पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	कौशल	सीडब्ल्यूएस	सिंगरौली	म.प्र.	10	1.94	1.94	एनसीएल, सीडब्ल्यूएस
291	सीडब्ल्यूएस कॉलोनी, जयंत के पास बस वेटिंग शेड का निर्माण	ग्रामीण विकास	सीडब्ल्यूएस	सिंगरौली	म.प्र.	5	5.1	5.1	एनसीएल, सीडब्ल्यूएस
292	एस.सी / एस.टी परिवारों के लिए धुआँ रहित चूल्हा (200 नग)	स्वास्थ्य देखभाल	सीडब्ल्यूएस	सिंगरौली	म.प्र.	2	3.56	3.56	एनसीएल, सीडब्ल्यूएस
293	अजगढ गाँव में हरिजन बस्ती से बांध तक सीसी सड़क का निर्माण (2.20 किलोमीटर)	सड़क निर्माण	सीडब्ल्यूएस	सिंगरौली	म.प्र.	200	81.29	81.29	एनसीएल, सीडब्ल्यूएस
294	सरकार में सबमर्सिबल पंप सहित 02 नग बोरवेल बनाना। अजगढ गाँव में जूनियर हाई स्कूल और हाई स्कूल	पेय जल	सीडब्ल्यूएस	सिंगरौली	म.प्र.	12	10.69	10.89	एनसीएल, सीडब्ल्यूएस
295	स्वास्थ्य शिविर के 12 नगों का आयोजन और अजगढ गाँव और गर्दा बस्ती में गरीब लोगों को मुफ्त दवाइयाँ वितरित करना	स्वास्थ्य देखभाल	सीडब्ल्यूएस	सिंगरौली	म.प्र.	10	2.48	5.82	एनसीएल, सीडब्ल्यूएस
296	अजगड़ गांव में खैवारी टोला के पास मार्ग के लिए स्ट्रक्चरल स्टील पुलिया बनाना	सड़क निर्माण	सीडब्ल्यूएस	सिंगरौली	म.प्र.	28.29	5	5	एनसीएल, सीडब्ल्यूएस

297	खेल मैदान की चारदीवारी के साथ खेल मैदान का विकास। हाई स्कूल, अजगड	खेल	सीडब्ल्यूएस	सिंगरौली	म.प्र.	31.47	9	9	एनसीएल, सीडब्ल्यूएस
298	ग्रामीणों के लिए स्वास्थ्य शिविरों का आयोजन	स्वास्थ्य देखभाल	सीडब्ल्यूएस	सिंगरौली	म.प्र.	5	1.19	1.19	एनसीएल, सीडब्ल्यूएस
299	सब साक्षर परियोजना के तहत स्कूलों को सहायता, CWS	शिक्षा	सीडब्ल्यूएस	सिंगरौली	म.प्र.	484.43	484.44	484.44	एनसीएल, सीडब्ल्यूएस
300	सीएसआर के तहत चटका गांव में सामुदायिक हॉल का निर्माण	ग्रामीण विकास	झिंगुरदा	सिंगरौली	म.प्र.	60	55.51	55.51	एनसीएल, झिंगुरदा
301	सिंगरौली का रूपांतरण	ग्रामीण विकास	झिंगुरदा	सिंगरौली	म.प्र.	10	8.2	9.56	एनसीएल, झिंगुरदा
302	गांवों में खेल प्रशिक्षण शिविर	खेल	झिंगुरदा	सिंगरौली	म.प्र.	9.62	0.24	0.24	एनसीएल, झिंगुरदा
303	स्वच्छता ही सेवा	स्वच्छता	झिंगुरदा	सिंगरौली	म.प्र.	1.5	1.5	1.5	एनसीएल, झिंगुरदा
304	सिमला कॉलोनी से बोदरवाहा गाँव तक मौजूदा सड़क का सुदृढ़ीकरण और कारपेटिंग	सड़क निर्माण	झिंगुरदा	सिंगरौली	म.प्र.	26.46	1.53	26.19	एनसीएल, झिंगुरदा
305	चटका गाँव में छात्रों के लिए खेल सामग्री उपलब्ध कराना	खेल	झिंगुरदा	सिंगरौली	म.प्र.	3.5	0.48	3.16	एनसीएल, झिंगुरदा
306	चटका गांव में सीसी सड़क का निर्माण	सड़क निर्माण	झिंगुरदा	सिंगरौली	म.प्र.	75	0.97	70.82	एनसीएल, झिंगुरदा
307	चिकित्सा शिविर	स्वस्थ्य देखभाल	झिंगुरदा	सिंगरौली	म.प्र.	5	2.45	2.45	एनसीएल, झिंगुरदा
308	साबर परियोजना, झिंगुरदा के तहत स्कूलों को सहायता	शिक्षा	झिंगुरदा	सिंगरौली	म.प्र.	226.11	226.11	226.11	एनसीएल, झिंगुरदा
	कुल							**8332.80**	

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–II

ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन एवं विदेशी विनिमय आय एवं व्यय का विवरण

कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 134 (3) (एम) के प्रावधानों के अनुसार सूचना नियम 8 (लेखा) नियम 2014 के नियम 8 के साथ पढ़ें के संदर्भ में ऊर्जा संरक्षण, तकनीकी समावेशन एवं विदेशी विनिमय आय एवं व्यय का विवरण।

क) ऊर्जा का संरक्षण

1.0 वर्ष 2019–20 के दौरान ऊर्जा संरक्षण के लिए किये गये उपाय

क) विद्युत ऊर्जा

i) पावर फैक्टर छूट के रूप में म.प्र.पू.क्षे.वि.वि.क. लिमिटेड के आपूर्ति विन्दूओं पर वर्ष 2019–20 में रू. 2.98 करोड़ अर्जित किया। एनसीएल रू. 11.12 करोड़ का टीओडी (टाइम आफ डे) खपत छूट भी प्राप्त किया और बिल के शीघ्र भुगतान हेतु रू. 13.91 लाख प्रोत्साहन स्वरूप प्राप्त हुआ।

ii) उच्च वाटकी पारंपरिक लाईट फिटिंग को एनर्जी एफिसिएंट, एलईडी लाईट से बदला गया। इसके लिए मेसर्स ईईएसएल से जीईएम पोर्टल के माध्यम सें कार्यालयों, स्ट्रीटलाईट, माईंस लाईट एवं टाउनशिप लाईट विभिन्न परियोजनाओ/इकाईयो के लि, क्रय किया गया और वर्ष 2019–20 के दौरान लगातार इसका उपयोग किया जा रहा है जो निम्नांकित है :–

क्र. सं.	विवरण	मात्रा (नग)
1	एलईडी इण्डस्ट्रीयल हाई बेलाईट फिटिंग 200–240 वाट	1437
2	एलईडी फ्लूड लाईट फिटिंग 190–210 वाट	1863
3	एलईडी स्ट्रीट लाईट फिटिंग 120–140 वाट	2939
4	एलईडी हाई बे लाईट फिटिंग 100–150 वाट	159
5	एलईडी स्ट्रीट लाईट फिटिंग 70–85 वाट	1327
6	एलईडी स्ट्रीट लाईट फिटिंग 35–45 वाट	2643
7	एलईडी ट्यूब रॉड 4 फूट 16/18/20/24 वाट	26033
8	पिनटाईप एलईडी लैम्प 12–15 वाट	10100
9	पिनटाईप एलईडीलैम्प 9 वाट	14542
	एलईडी लूमरीस/लैंप की कुल संख्या	61043

वर्तमान परम्परागत 400 वाट, 250 वाट, 150 वाट, 40 वाट, एचपीएसवी एवं टयूब लाईट फिटिंग्स के स्थान में एलईडी लगाने के परिणाम स्वरूप कुल उर्जा खर्च में लगभग रू. 8.42 करोड की बचत हुई। एलईडी बदलाव का खर्च रू. 5.75 करोड हुआ, जिसका पर बैंक समय 08 महीने रहा।

iii) सीएचपी स्ट्रीटलाईट खदानों एवं आवासीय परिसर में जैसे– अमलोरी, जयंत, ककरी, कृष्णशिला, खड़िया, निगाही एवं दूधीचुआ परियोजना में टाइम स्विचेज लगाया गया है।

iv) सर्वेआफ पूराने पारम्परिक एसी के स्थान पर 5 स्टार रेटिंग 39 नग 2.0 टीआर टीस्प्लीट एसी और 115 नग 1.5 टीआर इनवर्टर एसी लगाया गया।

v) पावर फैक्टर के सुधार के लिए वर्ष 2019–20 के दौरान ककरी में 1800 केवीएआर, दूधीचुआ में 1200 केवीएआर एवं जयंत परियोजना में 2000 केवीएआर की उच्च क्षमता वाली का अतिरिक्त संधरित्र बैंक लगाया गया।

vi) वर्ष 2019–20 के दौरान झिंगुर्दाह ओसीपी, ब्लॉक–बी ओसीपी, मुख्यालय एनसीएल एवं जयंत ओसीपी के लिए इलुमिनेसन सर्वे के लिए सीएमपीडीआईएल ने ऊर्जा खपत बेंच मार्किंट रिपोर्ट दिया।

vii) वर्ष 2019–20 के दौरान कृष्णशिला, ककरी एवं निगाही परियोजना की खदानों एवं टाउनशिप्स में (26 नग 03 फेस एवं 1478 नग 01 फेस) अतिरिक्त एनर्जी मीटर लगाये गये।

बी) इंधन और स्नेहक (फ्यूल एवं लुब्रिकेन्टस)

i) एनसीएल की समस्त परियोजनाओ में डीजल खपत के अनुविक्षण के लिए अनुमोदित व्यापक दिशानिर्देशों का कड़ाई से अनुपालन।

ii) खदानों का वास्तवीक डीजल खपत का सीएमपीडीआईएल बेंचमार्क डाटा के साथ अनुविक्षण उद्देश्य के लिए मासिक आधार पर तुलना की जा रही है।

2.0 ऊर्जा की खपत में कमी के लिए निवेश और प्रस्तावों जो लागू किये गए

क्र.सं.	विवरण	रू. (लाख)
ए)	अतिरिक्त संधरित्र बैंक पावर फैक्टर के सुधार के लिए स्थापित	23.92
बी)	एनसीएल के विभिन्न परियोजनाओ में स्ट्रीट एवं फ्लड लाईटिंग के स्थान पर एनर्जी एफिसिएन्ट एलईडी लैम्प का उपयोग	574.64
सी)	जयंत और दुधिचुआ के खदानों एवं टाउनशिप में एनर्जी मीटर लगाना	1.733
डी)	सीएचपी, खदानों एवं आवासीय परिसरों एवं अन्य जगहों में स्ट्रीट लाईटिंग के लिए टाइम स्वीच	10.39
ई)	एनर्जी एफिसिएन्ट उपकरण जैसे–बीईई 5 स्टार रेटेड एयर कंडिसनर आदि को सर्वे ऑफ करने का उपयोग	71.38
	कुल	**682.06**

उपलब्धि :

एनसीएल ने एमपीपीकेवीसीसीएल को पावर फैक्टर और टीओडी खपत पर छूट की आपूर्ति से 14.24 करोड़ कमाए हैं और वर्ष 2019–20 के दौरान शीघ्र भुगतान प्रोत्साहन।

3.0 विद्युत ऊर्जा, ईंधन और स्नेहक की खपत

ए) विद्युत ऊर्जा

क्र. सं.	विवरण	2019–20	2018–19	% वृद्धि / कमी
(1)	कोयला उत्पादन में ऊर्जा / टन की खपत (केडबल्यूएच / टन)	3.83	3.97	(–) 3.52
(2)	मिश्रित उत्पादन के प्रति घन मीटर ऊर्जा की खपत जैसे कि कोयला प्लस ओबी और आर.एच. (केडब्ल्यूएच / क्यूबिक मीटर समग्र)	2.44	2.52	(–) 3.17

बी) ईंधन और स्नेहक

	ड्रैगलाइन उत्पादन (लीटर प्रति घन मीटर) को छोड़कर मिश्रित उत्पादन के प्रति घन मीटर एचएसडी की खपत	1.03	1.01	(+) 1.98
	मिश्रित उत्पादन के प्रति घन मीटर स्नेहक की खपत (लीटर प्रति घन मीटर)	0.028	0.03	(–) 6.66

बी. प्रौद्योगिकी अवशोषण – तकनीकी समावेशन

प्रौद्योगिकी अवशोषण के संबंध में विवरणों का खुलासा

शोध एवं विकास (आर एंड डी)		
1	कम्पनी द्वारा क्षेत्र विशेष में किये गये शोध एवं विकास (आर एंड डी)	शोध एवं विकास गतिविधियां कोल इंडिया लिमिटेड में केन्द्रित है। अधोलिखित विज्ञान एवं प्रोद्योगिकी प्रोजेक्ट सीआईएल के जरिये विभिन्न प्रतिष्ठित शोध संस्थाओ जैसे– आईआईटी आईएसएम, एसएएमईईआर, आईआईटी बॉम्बे, एनआरएससी, आईएसआरओ, बीआईटी मेसरा आदि के सहयोग से क्रियान्वित है। 1) कोयला खानो में सुरक्षा एवं उत्पादकता की अभिवधि हेतु वीआरएमएस का विकास। 2) सिंगरौली कोलफील्ड्स के मेन बेसिन में गाविटी, मगनेटिक और एएमटी डाटा के 3–डी इनवर्स मोड़लिंग का उपयोग करते हुए टेक्टोनिक अध्ययन हेतु एकीकृत जियोफिजिकल अप्रोच। 3) अच्छी रिकवरी हेतु मल्टीलेयर ट्रायल ब्लास्टिंग। 4) खुली खदानों में स्लोप अस्थायित्व/फेल्योर का अनुमान लगाने हेतु स्वदेशी अर्लिवार्निंग रडार सिस्टम का विकास। 5) सेटेलाईट डाटा एवं ग्राउन्ड अवलोकन का उपयोग करते हुए कोलफील्ड्स क्षेत्रों में क्षेत्रीय वायु गुणवत्ता मॉनिटरींग हेतु तकनीकी का विकास। 6) ड्रैगलाईन डम्प के उपर शावेल–डम्पर डंप के सभी टियर्स हेतु डिजाईन के लिये दिशानिर्देशों का विकास (ड्रैगलाईन डंप के भूजल स्तर को ध्यान में रखते हुए) वर्ष 2019–20 में एनसीएल बोर्ड ने अधोलिखित एस एंड टी प्रोजेक्ट्स, आईआईटी, बीएचयू से हुए एमओयू के अधीन, अनुमोदित किए है : 1 (अ) लंबी अवधि के स्थायी डंप स्लोप के डिजाईन (उचित बेंचिंग और वेजिटेशन के जरिए) हेतु डंप स्लोप का स्टेबिलीटी मूल्यांकन और स्लोप स्टेबिलीटी मॉडल का विकास – भाग–ए (ब) लंबी अवधि के स्थायी डंप स्लोप के डिजाईन (उचित बेंचिंग और वेजिटेशन के जरिए) हेतु डंप स्लोप का स्टेबिलीटी मूल्यांकन और स्लोप स्टेबिलीटी मॉडल का विकास – भाग–बी 2) सिंगरौली क्षेत्र के प्राकृतिक जल केंद्रों पर माईनिंग और ताप विद्युत केंद्रों के प्रभाव का विस्तृत अध्ययन और उनकी अनुशंसा। 3) एनसीएल में लगे ड्रैगलाईन का बिग डाटा एनालिटिक्स के जरिए कैपसिटी युटिलाईजेशन की बेहतरी। 4) खनन् क्षेत्रों की वायु गुणवत्ता पर समीपवर्ती उद्योगों का योगदान। 5) बंद गोरबी खान में फ्लाई ऐश भराव के इम्पैक्ट एसेसमेंट का अध्ययन और ग्राउंडवाटर और मिट्टी को अम्लीय जल के प्रदूषण से रोकने हेतु ट्रीटमेंट/प्रबंधन।

		6 खुली और भूमिगत निष्कर्षण में टीडीआर और मशीन लर्निंग टेक्नीक के जरिए भूमि व्यवहार का मूल्यांकन।
2	उपरोक्त शोध एवं विकास के फलस्वरूप फायदे	अनुमोदित प्रोजेक्ट्स की समयावधि 2 से 3 वर्ष की है। एनसीएल द्वारा किये जा रहे वैज्ञानिक अध्ययनों तथा सीआईएल के आर एण्ड डी बोर्ड द्वारा अनुमोदित प्रोजेक्ट्स से खान सुरक्षा, उत्पादकता, कोयला निष्कर्षण की गुणवत्ता के साथ–साथ खनन् क्रियाकलापों पर पर्यावरणीय प्रभावों के शमन (मिटिगेशन) प्रक्रिया नियोजित की गई है।
3	भावीकार्य योजना	NEERI के जरिए एनसीएल में पर्यावरण प्रयोगशाला की स्थापना, क्षेत्र में पर्यावरणीय अध्ययन हेतु की जानी है।
4	शोध एवं विकास के मद में किये गये खर्च (ए) कैपिटल (बी) रिकरिंग (सी) योग (डी) शोध एवं विकास के मद में किये गये कुल टर्नओवर का प्रतिशत	सीआईएल के समस्त आर एंड डी प्रोजेक्ट्स हेतु सीएमपीडीआईएल नोडल एजेन्सी है। वर्ष 2019–20 में एस एंड टी अध्ययनों हेतु रू. 6.44 करोड़ का अनुमोदन किया गया है, जिसमें प्रथम वर्ष के प्रोजेक्ट्स हेतु अनुमानित आवश्यकता रू. 4.11 करोड़ है।

प्रौद्योगिकी अभिग्रहण, अनुकूलन एवं नवीनीकरण		
1	प्रौद्योगिकी अभिग्रहण की दिशा में प्रयास संक्षेप में	• एनसीएल में विभिन्न तकनीकी इवेंट्स और ब्रेन स्टार्मिंग सत्र आयोजित किये गये जिससे मानव संसाधन के तकनीकी अपग्रेडेशन के साथ–साथ एनसीएल/माईनिंग सेक्टर के संबंधित क्षेत्रों में फ्रेश आर एंड डी/वैज्ञानिक अध्ययनों के प्रस्तावों के आमंत्रण को सुनिश्चित किया जा सके। • नवीनीकरण, इन्क्यूबेशन और उद्योग उपक्रम (एन्त्रेप्रेन्यूरशीप) हेतु एनसीएल और आईआईटी, बीएचयू ने संयुक्त रूप से एनसीएल–आईआईटी, बीएचयू इनक्युबेशन केन्द्र की स्थापना आईआईटी, बीएचयू में की है। एनसीएल सिंगरौली में सैटेलाइट सेन्टर उपग्रह केन्द्र की स्थापना हेतु प्रक्रिया जारी है।
2	उपरोक्त प्रयास से लाभ	• अनुसंधान प्रस्तावों, प्लांट डिजाइन, उपकरण आदि का टेक्निकल वेटिंग। • अनुशंसाओं के व्यवसायीकरण हेतु बाहरी अनुसंधान केन्द्रों के इनपुट्स और आउटपुट्स के प्रति प्रतिक्रिया। • बाह्य एजेन्सीस के साथ प्रोद्योगिकी स्थानान्तरण और एनसीएल में खुद की सुविधाओं का विकास, जिसे प्राप्त करने के लिये एनसीएल वर्तमान में प्रयासरत है। • एनसीएल द्वारा किये गये नवीनता/सुधारों दस्तावेजीकरण। • मजबूत और प्रभावी ज्ञान प्रबन्धन पद्धति का निर्माण।

		• एनसीएल के प्रोजेक्ट्स / न्यू इंनिशियेटिव के प्रभावी क्रियान्वयन को सुनिश्चित करने हेतु बाटम लाईन ट्रेकिंग। • रख–रखाव और संचालन के साथ–साथ प्रशासनिक कार्यों में मानक अभ्यासों को सुनिश्चित करना। • उद्योग को बनाये रखने हेतु कूटनीतिक योजना। • क्षेत्रीय युवावों का कौशल विकास और नियोजन, साथ ही माइनिंग संचालनों को तकनीकी मजबूती प्रदान करना।
3	आयातित प्रोद्योगिकी की स्थिति में विगत् 5 वित्तीय वर्षों में आयातित अनुरोधों से संबंधित जानकारी (i) आयातित प्रौद्योगिकी (ii) आयात का वर्ष (iii) प्रौद्योगिकी को पूर्णतः अभिग्रहित कर लिया गया है (iv) पूर्णतः अभिग्रहित नहीं किया गया है, तो वह क्षेत्र जहाँ यह नहीं हो पाया है, कारण और भावी कार्य योजना	निरंक

सी. विदेशी विनिमय आय एवं व्यय

(i) निर्यात से संबंधित गतिविधियाँ, निर्यात बढ़ाने की पहल, उत्पादों और सेवाओं के लिए नए निर्यात बाजारों का विकास और निर्यात योजनाएँः कंपनी निर्यात गतिविधियों में नहीं लगी है।

(ii) कुल विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल किया और अर्जित किया

(रु. करोड़ में)

क्र.सं.	विवरण	वर्तमान वर्ष	पिछले वर्ष
(ए)	विदेशी मुद्रा अर्जित की	शून्य	शून्य
(बी)	विदेशी मुद्रा का इस्तेमाल किया		
i)	सी.आई.एफ. आयात का मूल्य		
ए)	कच्चा माल	शून्य	शून्य
बी)	स्टोर, पुर्जे और घटक	26.64	29.23
सी)	पूंजीगत वस्तुएं	14.87	20.36
ii)	यात्रा खर्च	0	0.12
iii)	प्रशिक्षण व्यय	0.01	1.05

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–III

निदेशकगण के प्रतिवेदन के संलग्नक का भाग कंपनी अधिनियम 2013 (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति एवं पारिश्रमिक) नियम 2014 के अंतर्गत नियम 5 (2) के अनुसार सूचना

भाग – ए

क्र. सं.	नाम	पदनाम कार्य का प्रकार	वर्ष के दौरान पारिश्रमिक (रु.)	रोजगार के प्रकार (स्थाई /अस्थाई)	शैक्षणिक योग्यता	अनुभव (वर्ष)	स्थापना की तिथि	31 मार्च 2019 को उम्र	धारित अंतिम रोजगार	धारित अंतिम अंशों का %	क्या निदेशक /प्रबंधक से संबंधित है?
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
(ए)	समीक्षा अंतर्गत पूरे वित्तीय वर्ष में नियुक्त एवं जहाँ वित्तीय वर्ष के लिए कुल पारिश्रमिक की प्राप्ति रु. 1,02,00,000 /– से कम नहीं है। .....शून्य.....										
(बी)	समीक्षा अंतर्गत के लिए वित्तीय वर्ष के भाग के लिए नियुक्तियाँ एवं जहाँ वित्तीय वर्ष के किसी भाग के लिए प्राप्त पारिश्रमिक जो कुल रु. 8,50,000 /– प्रतिमाह से कम नहीं है। .....शून्य.....										
(सी)	पूर्व वर्ष के नियुक्तियाँ या भाग एवं प्रबंध निदेशक /डब्लूटीईडी /प्रबंधक द्वारा निकाली गई अतिरिक्त पारिश्रमिक की प्राप्ति एवं कंपनी के साम्य अंशों के 2% से कम रखी गई है। .....शून्य.....										

भाग – बी

क्र. सं.	कर्मचारी संख्या	कर्मचारी नाम	पारिश्रमिक	पद	एनसी एल में अंश	रोजगार का प्रकार	योग्यता	एनसीएल में रोजगार प्रारंभ करने की तिथि	उम्र	आखिरी रोजगार कहा गया
1	90176520	विपिन कुमार	5392777.08	महाप्रबंधक (खनन)	शून्य	स्थायी	बी.एस.सी., इंजीनियरिंग (खनन)	10.13.2003	57 वर्ष	सीसीएल
2	90147984	संगीता तिवारी	5274200.18	प्रमुख चिकित्सा अधिकारी (विशेष)	शून्य	स्थायी	एम.डी. (पथेलौजी)	5.30.2018	54 वर्ष	एसईसीएल
3	90083973	रंजन कुमार	5217014.43	महाप्रबंधक (खनन)	शून्य	सेवानिवृत	डीआईपी. इंजीनियरिंग (खनन)	3.14.2005	60 वर्ष	एमसीएल
4	90158551	सुनील दत्त	5182651.94	महाप्रबंधक (वित्त)	शून्य	स्थायी	बी.एस.सी., आइसीडब्ल्यूए, सीएस	1.20.2020	58 वर्ष	सीआईएल
5	90125428	सतेन्द्र कुमार	5141938.95	महाप्रबंधक (खनन)	शून्य	स्थायी	बी.ई. (खनन)	10.09.2003	57 वर्ष	एसईसीएल
6	90156886	अनिल कुमार	5090728.20	महाप्रबंधक	शून्य	सेवानिवृत	ए.एम.आई. (इलेक्ट्रिकल)	12.07.2017	60 वर्ष	एमसीएल
7	90107509	तापस कुमार	5081404.77	महाप्रबंधक	शून्य	स्थायी	बी.ई. (इलेक्ट्रिकल)	8.16.2018	57 वर्ष	डब्ल्यूसीएल
8	90176082	आत्मेश्वर पाठक	5073606.31	महाप्रबंधक	शून्य	स्थायी	बी.टेक. (खनन)	2.28.2003	59 वर्ष	सीसीएल
9	90069758	अजीत कुमार	5048908.17	जीएम (एमएम)	शून्य	स्थायी	बी.एस.सी., इंजीनियरिंग	3.30.2017	59 वर्ष	सीसीएल
10	90158817	सुब्रता कुमार	4983524.19	मुख्य चिकित्सा सेवाएं	शून्य	स्थायी	एम.बी.बी.एस.	8.6.1988	58 वर्ष	शुरूआत से ही एनसीएल में हैं।

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–IV

माहेश्वरी आर एंड एसोशिएट
कंपनी सेक्रेटरी

"16 ब्रिटिश इंडिया स्ट्रीट"
दूसरी माला, रूम संख्या–2डी,
कोलकाता–700069
26389129(आर)
मो. : 9432232757
ई–मेल : rashmi3309@rediffmail.com

फार्म संख्या एमआर–3

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 204 (1) और कंपनी (प्रबंधकीय कार्मिकों की नियुक्ति तथा पारिश्रमिक) (नियम 2014 के नियम संख्या 9 के अनुसरण में)

सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट

31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए

सेवा में,

सदस्यगण
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
पोस्ट–सिंगरौली कोलियरी,
सिंगरौली (म.प्र.)–486889

हमने एनसीएल (इसके बाद इसे कंपनी कहा गया है) द्वारा लागू सांविधिक प्रावधानों के अनुपालन और अच्छी निगमित प्रथाओं के पालन का सचिवीय लेखापरीक्षा की है। सचिवीय लेखा परीक्षा इस तरह से की गई है, जिससे हमें निगमित आचरण/सांविधिक अनुपालन के मूल्यांकन तथा उस पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए उपयुक्त आधार मिला है।

सचिवीय लेखा परीक्षा के दौरान कंपनी के लेखों/कागजातों/कार्यसूची पुस्तकों, दायर किए गए फार्म व रिटर्न तथा कंपनी द्वारा बनाए गए अन्य रिकार्ड के ऑनलाइन सत्यापन और कंपनी के अधिकारियों, एजेन्टों एवं अधिकृत प्रतिनिधियों द्वारा दी गई जानकारी के आधार पर हम यह रिपोर्ट करते हैं कि हमारे मतानुसार कंपनी ने दिनांक 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष की अवधि के दौरान निम्नलिखित वैधानिक अनुदेशों का अनुपालन किया एवं कंपनी में विधिवत् बोर्ड की प्रक्रिया है और निम्नांकित रिपोर्टिंग के अधीन अनुपालन तंत्र लागू है।

हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त हुए वित्तीय वर्ष के लिए कंपनी द्वारा बनाये गये पुस्तकों, प्रपत्रों, रिटर्न और अन्य अभिलेखों की जाँच निम्नलिखित प्रावधानों के तहत की :–

(1) कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम।

(2) प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम 1956 ('एससीआरए') और उसके अंतर्गत बनाए गए नियम (अंकेक्षित अवधि के दौरान कंपनी में लागू नहीं)

(3) निक्षेपागार अधिनियम 1996 और उसके अंतर्गत बनाए गए विनियम और उपनियम।

(4) विदेशी विनिमय प्रबंधन अधिनियम, 1999 तथा इसके अंतर्गत बनाए गए नियम एवं विनियम प्रत्यक्ष विदेशी निवेश, सीमा पार प्रत्यक्ष निवेश तथा विदेशी वाणिज्यिक उधारीयो की सीमा (अंकेक्षित अवधि के दौरान कोई क्रिया/घटना नहीं)।

(5) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 (सेबी अधिनियम) के तहत निम्नलिखित विनियम एव दिशा निर्देश :

(ए) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयरों के पर्याप्त अधिग्रहण और टेकओवर) विनियम, 2011 (अंकेक्षित अवधि के दौरान कंपनी में लागू नहीं)

(बी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (आंतरिक वायापार का निषेध) विनियम, 2015 (अंकेक्षित अवधि के दौरान कंपनी में लागू नहीं)

सी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (पूंजी जारी और प्रकटीकरण अपेक्षाए) विनियम, 2018 (अंकेक्षित अवधि के दौरान कंपनी में लागू नहीं)

डी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (शेयर आधारित कर्मचारी लाभ) विनियम, 2014 (अंकेक्षित अवधि के दौरान कंपनी में लागू नहीं)

ई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (ऋण प्रतिभूतियां जारी करना एवं सूचीकरण) विनियम, 2008 (अंकेक्षित अवधि के दौरान कंपनी में लागू नहीं)

एफ) कंपनी अधिनियम तथा ग्राहकों से लेनदेन से संबन्धित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इशू के रैजिस्ट्रार एवं शेयर हस्तांतरण एजेंट) विनियम, 1993 (अंकेक्षित अवधि के दौरान कंपनी में लागू नहीं)

जी) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (इक्विटि शेयर्स का असूचीकरण) विनियम, 2009 (अंकेक्षित अवधि के दौरान कंपनी में लागू नहीं)

एच) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (प्रतिभूतियों की पुनः खरीद) विनियम, 2018 (अंकेक्षित अवधि के दौरान कंपनी में लागू नहीं)

आई) भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड (लिस्टिंग दायित्व एवं प्रकटीकरण आवश्यकता) विनियम, 2015

(अप) लोक उद्यम विभाग के पत्र संख्या ओएम नंबर 18 (8)/2005–जीएम दिनांक 14 मई, 2010 द्वारा जारी कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देश।

(अपप) भारतीय कंपनी सचिव संस्थान द्वारा जारी सचिवीय मानक।

हम रिपोर्ट करते हैं कि कंपनी में प्रचलित अनुपालन प्रणाली एवं इससे संबन्धित दस्तावेजो एवं लेखों के नमूना जांच के आधार पर, कंपनी ने विशेष रूप से अपने पर लागू निम्नलिखित कानून जिसमे पर्यावरण कानून भी शामिल है के प्रावधानों का अनुपालन किया है :

1. खान अधिनियम, 1952 (अंतिम संशोधन, 1983) :
   1) खान नियम, 1955
   2) खान व्यावसायिक प्रशिक्षण नियम, 1966
2. कोयला खान विनियम, 2017
3. खान और खनिज (विकास और विनियम) अधिनियम, 1957
4. खान और खनिजों के संरक्षण और विकास नियम, 2017
5. खान क्रेच नियम, 1961
6. कोयला खदान पिटहैड बाथ नियम, 1946
7. भारतीय विस्फोटक अधिनियम, 1884

8. भारतीय विस्फोटक नियम, 2008
9. कोयला खदान संरक्षण और विकास अधिनियम, 1974
10. खनिज रियायत नियम, 1960
11. कोलियरी नियंत्रण आदेश, 2000 एवं कोलियरी नियंत्रण नियम, 2004
12. मजदूरी भुगतान (खान) नियम, 1956
13. मातृत्व लाभ (खान एवं सर्कस) नियम, 1963
14. अनिर्दिष्ट वेतन भुगतान (खान) नियम, 1989
15. कोयला खदान भविष्य निधि और विविध प्रावधान अधिनियम, 1948
16. कोयला खदान पेंशन योजना, 1998
17. वेतन भुगतान अधिनियम, 1936
18. कोयला धारक क्षेत्र (अधिग्रहण और विकास) अधिनियम, 1957
19. भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापन में उचित मुआवजा और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 और नियम, 2014
20. पर्यावरण संरक्षण अधिनियम, 1986 एवं पर्यावरण संरक्षण नियम, 1986
21. जल प्रदूषण (नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1974 और नियम, 1975
22. जल उपकर (नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1977 एवं इसके तहत बनाए गए नियम
23. वायु प्रदूषण (नियंत्रण एवं रोकथाम) अधिनियम, 1981 और वायु प्रदूषण (नियंत्रण एवं रोकथाम) नियम, 1982
24. भारत वन अधिनियम, 1957
25. पर्यावरण प्रभाव आकलन अधिसूचना, 2006
26. खतरनाक अपशिष्ट रखरखाव एवं प्रबंधन अधिनियम, 1989
27. खतरनाक और अन्य अपशिष्ट (प्रबंधन और ट्रांस सीमा परिचालन) नियम, 2016
28. ई–कचरा प्रबंधन नियम, 2016
29. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और रखरखाव नियम, 1998 और 2016
30. प्लास्टिक अपशिष्ट प्रबंधन नियम, 2016
31. अपशिष्ट निर्माण और विध्वंस प्रबंधन नियम, 2016
32. बिजली अधिनियम, 2003 और बिजली नियम, 2005
33. सार्वजनिक देयता बीमा अधिनियम, 1991 एवं इसके तहत बनाए गए नियम
34. इंडियन बियूरो ऑफ माइनस (सीनियर टेक्निकल असिस्टेंट (सर्वे)जूनियर टेक्निकल असिस्टेंट (सर्वे) एंड जूनियर सर्वे) भर्ती नियम,1990
35. इंडियन बियूरो ऑफ माइनस (बिजली पर्यवेक्षक एवं इलेक्ट्रीशियन) भर्ती नियम, 1990

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि :

- कंपनी के निदेशक मंडल में कार्यकारी निदेशक, गैर–कार्यकारी निदेशक और स्वतंत्र निदेशक का उचित संतुलन है इस टिप्पणी के साथ कि 02 स्वतंत्र निदेशकों के दिनांक 16.11.2019, 01 स्वतंत्र निदेशक का दिनांक 01.02.2020 को कार्यकाल पूरा होने पर एवं 01 स्वतंत्र ६ महिला निदेशक द्वारा दिनांक 11.03.2020 को इस्तीफा देने के पश्चात, 04 स्वतंत्र निदेशकगण एवं 01 महिला निदेशक का पद रिक्त है जिसे भरा जाना शेष है।

  हालांकि, एक केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम होने के कारण निदेशको की नियुक्ति, मूल्यांकन और उत्तराधिकार से संबंधित कुछ कॉरपोरेट गवर्नेंस मामलों के प्रावधानों के अनुपालन के लिए अनुप्रयोज्य नियंत्रक ढांचागत संरचना यहा भी लागू है।

- समीक्षाधीन अवधि के दौरान निदेशक मंडल की संरचना में बदलाव, कानून के प्रावधानों के अनुपालन के तहत ही किया गया है।

- विषम परिस्थितियों को छोड़कर निदेशक मण्डल की सभी बैठको की सूचना, एजेंडा और एजेंडा पर विस्तृत नोट कम से कम सात दिन पूर्व भेजा जाता है एवं बैठक में सार्थक भागीदारी हेतु एजेंडा आइटम पर बैठक से पूर्व अतिरिक्त जानकारी और स्पष्टीकरण प्राप्त करने हेतु प्रणाली प्रभावी है।

- मुख्यतः सभी फैसले सर्व सहमति से लिए जाते है परंतु अलग मत रखने वाले सदस्यों के मतो को लिखा और कार्यवृत के भाग के रूप में अभिलेखित किया जाता है।

समीक्षावधि के दौरान कंपनी द्वारा उल्लेखित अधिनियम, नियम, विनियम, दिशानिर्देशों, मानकों आदि के प्रावधानों का अनुपालन किया है जिसपर हमारी टिप्पणी निम्न है :

- जैसा की रिपोर्ट में दर्शाया गया है कि डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में गैर–आधिकारिक अंशकालिक / स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति की जानी है।

- वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए रुपया 92.27 करोड़ खर्च किए जाने की आवश्यकता थी जबकि कंपनी ने रुपया 83.33 करोड़ ही खर्च किया है। वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों के मद में रुपया 8.94 करोड़ खर्च नहीं हुए है।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लागू कानूनों, नियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अनुपालन की निगरानी करने और सुनिश्चित करने के लिए कंपनी के आकार और प्रचालनों के अनुरूप कंपनी में उपयुक्त तंत्र और प्रक्रिया हैं।

हम यह भी रिपोर्ट करते हैं कि लेखा परीक्षा अवधि के दौरान कंपनी ने कोई भी विशिष्ट कार्य नहीं किया है जिसका प्रभाव उपरोक्त कानून, नियम, अधिनियम, दिशानिर्देशों, मानकों इत्यादि के अनुसारणन में कंपनी के कार्यकलापों पर पड़े।

इस रिपोर्ट को हमारे सम–तिथि के पत्र के साथ पढ़ा जाय, जो 'अनुलग्नक ए' के रूप में संलग्न है एवं इस रिपोर्ट का अभिन्न अंग है।

कृते माहेश्वरी आर एंड एसोशिएट
कंपनी सचिव

रश्मि माहेश्वरी
कंपनी सचिव
सी.पी. संख्या : 3309
एफसीएस : 5126
यूडीआईएन : एफ005126बी000396825

स्थान : कलकत्ता

दिनांक : 29 जून, 2020

माहेश्वरी आर एंड एसोशिएट
कंपनी सेक्रेटरी

"16 ब्रिटिश इंडिया स्ट्रीट"
दूसरी माला, रूम संख्या–2डी,
कोलकाता–700069
26389129(आर)
मो. : 9432232757
ई–मेल : rashmi3309@rediffmail.com

सेवा में,

सदस्यगण
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
पोस्ट–सिंगरौली कोलियरी,
सिंगरौली (म.प्र.)–486889

इस पत्र को सम तिथि की हमारी रिपोर्ट के साथ पढ़ा जाय :

1. सचिवीय लेखो का रखरखाव कंपनी प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी जिम्मेदारी हमारे अंकक्षण के आधार पर इन सचिवीय लेखो पर राय व्यक्त करना है।
2. हमने अंकक्षण प्रथाओं और प्रक्रियाओं का पालन किया है, जो सचिवीय लेखो की सत्यता के बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करने के लिए उपयुक्त थे। नमूना जांच के आधार पर सत्यापन किया गया ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि सही तथ्य सचिवीय लेखो में परिलक्षित होते हैं। हम मानते हैं कि हमारे द्वारा की जाने वाली प्रक्रियाएं और व्यवहार हमारी राय बनाने के लिए एक उचित आधार प्रदान करते हैं।
3. हमने कंपनी के वित्तीय रिकॉर्ड और पुस्तकों के लेखा की सत्यता और उपयुक्तता का सत्यापन नहीं किया है।हमने कंपनी अधिनियम 2013 और उससे संबंधित नियम के तहत कंपनी द्वारा बनाए गए लेखा, कागजातों के रखरखाओ और इस वित्त वर्ष के वित्तीय विवरण जो कंपनी के मामलों की स्थिति के बारे में सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण प्रदान करते है पर सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा जारी रिपोर्ट पर भरोसा किया है।
4. जहाँ भी आवश्यक हो, हमने कानूनों, नियमों और विनियमों और घटनाओं आदि के अनुपालन के बारे में प्रबंधन प्रतिनिधित्व प्राप्त किया है।
5. निगमित और अन्य लागू कानूनों, नियमों, विनियमों, मानकों के प्रावधानों का अनुपालन प्रबंधन की शजिम्मेदारीश है। हमारा परीक्षण नमूना जांच के आधार पर प्रक्रियाओं के सत्यापन तक सीमित है।
6. सचिवीय लेखा परीक्षा रिपोर्ट न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए और ना ही प्रबंधन द्वारा कंपनी मामलो में प्रभावकारिता या प्रभावशीलता के साथ संचालन का आश्वासन है ।

कृते माहेश्वरी आर एंड एसोशिएट
कंपनी सचिव

रश्मि माहेश्वरी
कंपनी सचिव
सी.पी. संख्या : 3309
एफसीएस : 5126
यूडीआईएन : एफ005126बी000396825

स्थान : कलकत्ता

दिनांक : 29 जून, 2020

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–IV (ए)

सचिवीय लेखा परिक्षक की टिप्पणियों पर प्रबंधन के जबाब

क्र. सं.	सचिवीय लेखा परीक्षक द्वारा अवलोकन	प्रबंधन के जवाब
1.	02 स्वतंत्र निदेशकों के दिनांक 16.11.2019, 01 स्वतंत्र निदेशक का दिनांक 01.02.2020 को कार्यकाल पूरा होने पर एवं 01 स्वतंत्र/महिला निदेशक द्वारा दिनांक 11.03.2020 को इस्तीफा देने के पश्चात, 04 स्वतंत्र निदेशकगण एवं 01 महिला निदेशक का पद रिक्त है जिसे भरा जाना शेष है। डीपीई दिशानिर्देशों और कंपनी अधिनियम, 2013 के अनुपालन में गैर–आधिकारिक अंशकालिक/स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक की अपेक्षित संख्या में नियुक्ति की जानी है।	निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार के कोयला मंत्रालय द्वारा की जाती है जिसमें कंपनी की कोई भूमिका नहीं होती है। हालाँकि, स्वतंत्र निदेशकों और महिला निदेशक के रिक्त पदों को जल्द से जल्द भरने के लिए पत्राचार किया गया है।
2	वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों के लिए रुपया 92.27 करोड़ खर्च किए जाने की आवश्यकता थी जबकि कंपनी ने रुपया 83.33 करोड़ ही खर्च किया है। वर्ष के दौरान सीएसआर गतिविधियों के मद में रुपया 8.94 करोड़ खर्च नहीं हुए है।	धारा 135 (5) के प्रावधान के अनुसार, सीएसआर पर वार्षिक रिपोर्ट में व्यय न हो पाने के निम्न कारणों को बताया गया है : "वर्ष 2019–20 के दौरान रुपया 92.27 करोड़ के सीएसआर फंड के तहत विभिन्न सीएसआर गतिविधियों के लिए रुपया 83.33 करोड़ खर्च किया गया है। राशि के खर्च न होने का कारण यह है कि कुछ योजनाओं में देरी हुई और निम्न कारणो से तय समय पर पूरी नहीं हो पाई जैसे कि कार्यान्वयन एजेंसीयो द्वारा फंड के उपयोग में देरी, निविदाओं को रद्द होना, पुनर्निविदा और कोविड–19 महामारी का प्रकोप।"

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–V

निदेशकों का संक्षिप्त विवरण

1 श्री प्रभात कुमार सिन्हा अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक (डीआईएन–07599781)

श्री प्रभात कुमार सिन्हा (58 वर्ष), ने 22 दिसम्बर 2017 से एनसीएल के अध्यक्ष–सह–प्रबंध निदेशक का पदभार ग्रहण किया है और पूर्ण जिम्मेवारी के साथ कंपनी के प्रदर्शन, लोग और उपक्रम के लिए कार्य कर रहे है जिसमे कंपनी के व्यावसायिक योजना का विकास और क्रियान्वयन करना शामिल है। जनवरी 1962 में पैदा हुए श्री सिन्हा ने वर्ष 1982 में रायपुर इंजीनियरिंग कॉलेज रायपुर से खनन अभियांत्रिकी(इंजीनियरिंग) में स्नातक की उपाधि प्राप्त की। उन्होने वर्ष 1988 में आईएसएम दृधनबाद से 'माइन प्लानिंग और डिजाइन' में परास्नातक की उपाधि प्राप्त की। श्री सिन्हा को खुली खदान और भूमिगत खदान कार्यो में 36 सालों का पेशेवर अनुभव है। उन्हे कोल इंडिया लिमिटेड के व्यक्ति,वस्तु और परियोजना प्रबंधन एवं परिचालन का व्यापक अनुभव है।

एसईसीएल, डबल्यूसीएल और एनसीएल के खुली खदान और भूमिगत खदानों में श्री सिन्हा ने उत्पादन इकाई के प्रमुख के रूप में लगातार वर्षो में 100% से अधिक लक्ष्य प्राप्ति की उपलब्धि के साथ कार्य किया है। उन्होंने सीएमपीडीआईएल मुख्यालय के विज्ञान एवं प्रोध्योगिकी विभाग में भी कार्य किया है। वर्ष 2007 से 2016 तक एनसीएल में प्रोजेक्ट मैनेजर (योजना/प्रबन्धक) और प्रोजेक्ट हैड के रूप में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने अपने करियर (पेशेवर जीवन) में कई रंग जोड़े है। उन्होने अपनी टीम को एक दिन में 2.05 लाख टन और 15.5 मिलियन टन वार्षिक वर्ष 2010–11में सर्वाधिक उत्पादन, जो की जयंत क्षेत्र (10 मि.ट.) के इतिहास में रिकॉर्ड है के लिए प्रेरित किया। उन्होने एनसीएल के जयंत और अमलोरी ओसीपी में एक आक्रामक प्रक्रिया पुनर्रचना (रिइंजीनियरिंग) कार्यक्रम का नेतृत्व किया जिसमे कम लागत पर अपनी उतपादकता में सुधार किया।

श्री सिन्हा को एसईसीएल में 03 अगस्त 2016 को निदेशक (पी एंड पी) के पद पर नियुक्त किया गया और अपने एक वर्ष चार माह के कार्यकाल के दौरान इन्होने 752.459 हैकटेयर भूमि का भौतिक अधिग्रहण किया, एमओईएफ (MOEF) और सीसी से 8 खदानों के लिए टीओआर और एक के लिए ईसी (EC) प्राप्त किया, 383 हेक्टेयर वन भूमि के लिए चरण II की अनुमति पाई और एसईसीएल डम्प ढलानों की निगरानी हेतु स्लोप स्टेबिलिटी रडारो (ढलान स्थिरता रडारो) को प्रचलित किया।

श्री सिन्हा ने वर्ष 2008 में पोलैंड में तथा 2011 में इस्तांबुल, (तुर्की) में विश्व खनन कॉंग्रेस में भारतीय कोयला उद्योग का प्रतिनिधित्व किया है। उन्होंने वर्ष 2014 के दौरान उन्नत प्रबंधन विकास कार्यक्रम में प्रशिक्षण के लिए स्वीडन, स्विट्जरलैंड, और जर्मनी का भी दौरा किया। वह सितंबर 2016 के दौरान लास वेगास, यूएसए अंतर्राष्ट्रीय मिनिएक्स्पो 2016 का भी हिस्सा थे। जून 2017 की अवधि के दौरान सीआईएल/सीएमपीडीआई और सीआईएसआरओ ऑस्ट्रेलिया के बीच एमओयू के तहत प्रोध्योगिकी मिशन का प्रतिनिधित्व करने का सम्मान भी इन्हें प्राप्त है।

उनकी योग्यता, उनके तकनीकी पेपर जिसका शीर्षक 'डम्प स्लोप मॉनिटरिंग एट जयंत – द न्यू परसपेक्टिव' है और जिसे चौथे एशियन माइनिंग कॉंग्रेस जो वर्ष 2012 में कोलकाता में आयोजित हुआ था में प्रस्तुत किया गया था, में अभिव्यक्त होती है। इसके अतिरिक्त तकनीकी पेपर जिसका शीर्षक' इफैक्ट ऑफ प्रोडक्शन ब्लास्ट ऑन डम्प स्टेबिलिटी इन ओपेन पीट माइंस' है और जिसे एफआरएजीबीएलएएसटी–10 जिसका आयोजन नवम्बर 2012 को नई दिल्ली मे हुआ था तथा तकनीकी पेपर जिसका शीर्षक 'इनवायरनमेंट सशटेनिबिलिटी एनालिसिस इन एसईसीएल' है और जिसे एनएक्सजीएनएमआईएफयू (NxGnMiFu) – 2017 (नेक्स्ट जेनेरेशन माइनिंग फ्युचर 2017) सम्मेलन नई दिल्ली में (15–17 फरवरी 2017) प्रस्तुत किया गया था में अभिवयक्त होती है।

उन्हे कई प्रतिष्ठित पुरस्कारों से सम्मानित किया गया है जैसे की वर्ष 2010–11 के लिए एमपीसीसीबी– भोपाल द्वारा परियोजना प्रमुख के रूप में पर्यावरण–प्रबंधन में उत्कृष्टता सम्मान, लगातार दो वर्षो (2012, 2013) के लिए सर्वश्रेष्ठ खानप्रबंधक का एच बी घोष मेमोरियल पुरस्कार, जिसकी मेजबानी एमजीएमआई द्वारा कोलकाता में की गयी थी। वर्तमान में वे माइनिंग, जियोलोजिकल एंड मेटालर्जिकल इंस्टीट्यूट और इंडियन माइन मैंनेजर्स एसोशिएसन के साथ भी जुड़े हुए है।

श्री सिन्हा कार्य में अपने बहु–आयामी अनुभव का उपयोग करते है जिससे की वे सक्षम रणनीतिकार बन सके और संस्थान को सर्वाधिक लाभकारी दिशा में ले जा सके तथा संकट–प्रबंधन में सफलता प्राप्त कर सके। वह संस्थान में अपने नेतृत्वक्षमता को स्वतंत्र विचार– विनियम, टीम–वर्क और एक सकारात्मक मनोबल के साथ निष्पादित करते है।

2. श्री एम. नागाराजू, अधिकारिक अंशकालीन निदेशक (डीआईएन–06852727)

श्री एम. नागाराजू (54 वर्ष), की नियुक्ति कोयला मंत्रालय में संयुक्त सचिव के रूप में हुई। आप 1993 बैच के त्रिपुरा कैडर के आईएएस अधिकारी रहे है। आप 17.03.2020 को एनसीएल बोर्ड में अधिकारिक अंशकालीन निदेशक नियुक्त हुए।

श्री एम. नागाराजू आईएएस, भारत सरकार के त्रिपुरा वित्त मंत्रालय के वित्त विभाग में कार्य किए है जहा आप विश्व बैंक में सलाहकार के पद पर थे। श्री नागाराजू ने वर्ष 1988–90 में फिलोस्फी में स्नातकोतर की उपाधि हैदराबाद विश्वविद्यालय से प्राप्त कि। वे निवास स्थान, स्टोनहिल कॉलेज, यूएसए 2018–19 में विजिटिंग रिसर्च स्कॉलर, विजिटिंग फेलो, सेंटर ऑफ एडवांस्ड स्टडी ऑफ इंडिया, पेन्सिलवेनिया 2012–13 के लिए गए और 2005 में ट्रेड नेगोशिएशन में हार्वर्ड अनविर्स्टी में कार्यकारी शिक्षा पूरी की। त्रिपुरा के वित्त, उद्योग और वाणिज्य, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण और समाज कल्याण और सामाजिक शिक्षा विभागों में प्रमुख सचिव और सचिव के रूप में उन्होंने सरकार की सेवा की। उनके कार्यकाल के दौरान, त्रिपुरा राज्य सरकार को शासन में अपनी उपलब्धियों के लिए कई मोर्चों में मान्यता दी गई थी। (1) इंडिया टुडे 2016 द्वारा 'ई गवर्नेंस में सबसे बेहतर छोटा राज्य' (2) वर्ष 2016 में 26 से 21 तक 'शिशु मृत्यु दर (आईएमआर) को कम करने' के लिए त्रिपुरा को भारत सरकार द्वारा दूसरा पुरस्कार भी दिया गया था और (3) त्रिपुरा को 2016 में 'ईज ऑफ डूइंग बिजनेस' के लिए भारत सरकार द्वारा उत्तर पूर्व में सर्वश्रेष्ठ राज्य का दर्जा दिया गया है।

3. श्री एस. एन. तिवारी, अधिकारिक अंशकालीन निदेशक (डीआईएन–07911040)

श्री एस. एन. तिवारी (58 वर्ष), ने 01 दिसंबर, 2019 से कोल इंडिया लिमिटेड के निदेशक (विपणन) के रूप में पदभार ग्रहण किया। वर्तमान पद को ग्रहण करने से पहले आप महाप्रबंधक (विपणन एवं विक्रय) कोल इंडिया में थे। श्री तिवारी ने बी.एस.सी, इंजीनियरिंग कि शिक्षा बिरला इंस्टीट्यूट ऑफ टेक्नोलॉजी MESRA से डिस्टिंक्शन के साथ की। श्री तिवारी अपने बैच में तीसरे स्थान पर थे। उन्होंने उसी संस्थान से एमबीए डिग्री भी की है। श्री तिवारी ने हिंदुस्तान मोटर्स में टेस्ट इंजीनियर के रूप में एक छोटे से कार्यकाल के बाद 1986 में कोल इंडिया लिमिटेड में अपने पेशेवर कैरियर की शुरुआत की। कोल इंडिया में 33 वर्षों से अधिक के करियर के साथ उन्होंने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में विपणन एवं विक्रय डिवीजन में कई क्षमताओ में काम करने वाले मार्केटिंग एंड सेल्स ऑपरेशंस के संपूर्ण क्षेत्र में व्यापक प्रदर्शन किया है।

4 श्री बी.पी. पाण्डेय, गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशक (डीआईएन–01393312)

श्री बी. पी. पाण्डेय (62 वर्ष), ने 13/12/2018 को एनसीएल में गैर–आधिकारिक अंशकालिक निदेशक का पदभार ग्रहण किया। वह उत्तराखंड (पूर्व उ.प्र.) कैडर के 1983 बैच के भारतीय प्रशाशनिक अधिकारी है। उन्होंने स्नात्कोत्तर की उपाधि वनस्पति विज्ञान (पारिस्थितिकी) एवं एमबीए की उपाधि प्राप्त की है। उन्होंने उत्तर प्रदेश सरकार (वर्ष 2000 तक), उत्तराखंड सरकार (वर्ष 2001 से 2006 तक) और भारत सरकार के लिये (वर्ष 2006 से 2013 एवं 2014 से 2017 तक) विभिन्न उच्च पदों जैसे, जिला मैजिस्ट्रेट पर कार्य किया, राज्य के विभिन्न सार्वजनिक उपक्रमो में बतौर मुख्य अधिकारी, राज्य सचिव के रूप में मुख्यतरू ऊर्जा, वन एवं पर्यावरण, कृषि, सहकारी, वाटेरशेड विकास, कर–निर्धारण एवं पेय विभाग आदि में कार्य किया। उन्हे ऊर्जा क्षेत्र, प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन (भूमि, जल, वन एवं वाटेरशेड) एवं ग्रामीण विकास का व्यापक अनुभव है। उन्हें बाह्य वित्त पोषित परियोजनायें (जैसे कि विश्व बैंक, एशियन डेव्लपमेंट बैंक एवं यूरोपियन यूनियन) के लिए वाटेरशेड प्रबंधन, सामाजिक भूमि का पुनर्ग्रहण, पीने का पानी और स्वच्छता, वन संसाधनों का प्रबंधन एवं पनबिजली परियोजनाएं में निर्माण और कार्यान्वयन का व्यापक अनुभव है।

उन्होंने रसायनिक एवं पेट्रो रसायनिक में संयुक्त सचिव एवं केंद्रीय सार्वजनिक उपक्रम, ऊर्जा क्षेत्र उपक्रमो में सीवीओ के रूप में भी कार्य किया है। उन्होंने वर्ष 2013–14 में उत्तराखंड सरकार में बतौर अतिरिक्त मुख्य सचिव (आयुक्त ऊर्जा, वन एवं ग्रामीण विकास) के पद पर कार्य किया। तत्पश्चात वर्ष 2014 में उन्होंने भारत सरकार में वाणिज्य विभाग, वाणिज्य और उद्योग मंत्रालय एवं कपड़ा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव एवं वित्तीय सलाहकार के पद पर भी कार्य किया।

वर्ष 2015 में उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय में अतिरिक्त सचिव का पदभार संभाला। वर्ष 2016 के अगस्त माह से लेकर मार्च, 2017 तक उन्होंने ऊर्जा मंत्रालय में विशेष सचिव के पद पर कार्य किया जहाँ उन्होंने ऊर्जा संरक्षण और ऊर्जा दक्षता, हाइड्रो ऊर्जा विकास, नीतियाँ एवं योजना, प्रशिक्षण और अनुसंधान, अंतरराष्ट्रीय सहयोग आदि से संबन्धित कार्यभार संभाला इनके अतिरिक्त बतौर डीजी, ऊर्जा दक्षता के ब्यूरो एवं सीएमडी आरईसी के भी पद पर कार्य किया।

इस समय वे उत्तराखंड जल विद्युत निगम लिमिटेड (यूजेवीएनल), उत्तराखंड पावर कारपोरेशन लिमिटेड (यूपीसीएल) एवं उत्तराखंड पावर ट्रांसमिसन लिमिटेड(पीटीसीयूएल) के निदेशक मण्डल में स्वतंत्र निदेशक है।

5. श्री गुणाधर पाण्डेय, निदेशक (तकनीकी/संचालन) (डीआईएन–07124780)

श्री गुणाधर पाण्डेय (59 वर्ष), निदेशक (तकनिकी) की उम्र 59 वर्ष है। उन्होंने एनसीएल में निदेशक तकनीकी एवं संचलन का पदभार 01/02/2015 से ग्रहण किया। वह कंपनी कि 05 परियोजनाओ के साथ–साथ उत्पादन, विपणन एवं विक्रय, सुरक्षा एवं बचाव, उत्खनन, सामाग्री प्रबंधन, औध्योंगिक अभियंता एवं ई एंड एम जैसे मुख्य विभाग भी संभाल रहे है।

उन्होंने वर्ष 1982 में खनन उद्योग, सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में कनिष्ठ अमियन्ता के पद से अपने करियर की शुरुआत की। अपने कार्यकाल में उन्होने विभिन्न पदो पर विभिन्न ओपेनकास्ट व अंडरग्राउंड खानों में कार्य किया। इन्होंने ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सेंक्टोरिया एवं सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड के बड़े प्रोजेक्टो में कार्य किया है एवं वर्तमान में एनसीएल में है। उनके पास विभिन्न राज्य – झारखंड, पश्चिम बंगाल, मध्य प्रदेश, एवं उत्तर प्रदेश में भूमि अधिग्रहण कार्य का अनुभव है, यहाँ उन्होंने खान की स्थापना एवं उनके संचालन हेतु पर्यावरण एवं वन अनुमति लेने एवं संबन्धित सांविधिक आवश्यकताओ क सम्पादन किया। ईसीएल के राजमहल क्षेत्र के महाप्रबंधक के रूप में कार्य करते हुए उन्होंने उच्चतम कोयला उत्पादन के साथ उच्चतम मुनाफा प्राप्त किया।

श्री पाण्डेय ने वर्ष 1982 में इंडियन स्कूल ऑफ माइंस, धनबाद से बी.टेक (माइनिंग) की शिक्षा पूर्ण की। उन्होने प्रथम श्रेणी माइन मैनेजर काम्पीटेन्सी प्रमाण पत्र भी प्राप्त किया। वर्ष 2010 में उन्होने चीन की यात्रा की, जो एशिया में एक बड़ा कोयला उत्पादक देश है। वहाँ उन्होने ओपेनकास्ट एवं अंडरग्राउंड खानों के बड़े प्रोजेक्ट में प्रशिक्षण प्राप्त किया। उन्होने कोल इंडिया लिमिटेड की खानों में सुरक्षा एवं वयवसायिक स्वास्थ मानको में वृद्धि के उद्देश्य से वर्ष 2015 में सीआईएल बोर्ड के सदस्यो एवं अन्य के साथ ऑस्ट्रेलिया का दौरा किया।

वर्तमान में श्री पाण्डेय 01 फरवरी 2015 से निदेशक (तकनीकी/संचालन) के पद पर नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली में पदस्थ है, जहाँ उच्च यंत्रीकृत 10 बड़ी ओपेनकास्ट परियोजनाए है एवं कंपनी के कारपोरेट उद्देश्यों की पूर्ति तथा कार्य निष्पादन मानको यथा–सुरक्षा को दृष्टिगत रखते हुए उत्पादन, प्रेषण एवं विक्रय, संरक्षण, पर्यावरण, निरंतरता, पारामीटर्स, गुणवत्ता, सामाजिक दायित्यों का निर्वहन, राष्ट्रीय ऊर्जा आवशयकता के संबंध में योगदान तथा कंपनी के सुचारु एवं प्रभावशाली कार्य द्वारा समस्त कार्य निष्पादन मानको को प्राप्त करने का दायित्व आप पर है।

6. डॉ. अनिंद्य सिन्हा निदेशक (तकनीकी/परी. एवं योजना) (डीआईएन–08069992)

डॉ. अनिंद्य सिन्हा (57 वर्ष), एक स्नातक खनन अभियंता, कोयला खदानों के प्रबंधन के लिए प्रथम श्रेणी का खान प्रबन्धक की क्षमता का प्रमाण पत्र एवं पोलैंड से डॉकटरेट की उपाधि, ने उनके भारत एवं विदेशों में कोयला क्षेत्रों में कार्य करने के 35 से अधिक वर्षो का अनुभव रहा है। आपका 10 वर्षो तक सीआईएल में बीसीसीएल एवं एमसीएल की खुली एवं अंडरग्राउंड खदानों में, 3 वर्षो का पोलैंड में शेक्षणिक अनुसंधान, 20 वर्षो का सीएमपीडीआईएल में खान प्लानिंग एवं डिजाइन में एवं 2 वर्षो का कोयला मंत्रालय, भारत सरकार, में कोल ऊर्जा ईंधन एवं लीगनाइट के विकास नीति की योजना पर कार्य करने का अनुभव रहा है।

डॉ. सिन्हा ने 30.04.2020 को निदेशक (तकनीकी), एनसीएल का पदभार संभाले। आपकी वर्तमान पदस्थपना से पूर्व, आप भारत सरकार के कोयला मंत्रालय में प्रोजेक्ट सलाहकार (संयुक्त सचिव के समान पद) पर रहे। आपने कोयला मंत्रालय को सभी तकनीकी क्षेत्रों में सहयोग किया, खासकर कोयला खनन परियोजना के विकास में, कोयला एवं लीगनाइट के अन्वेषन में, सीबीएम/सीएमएम, माइन पर्यावरण और जलवायु परिवर्तन, क्लीन कोल टेक्नालजी, जिसमे कोल वॉशिंग, कोल गैसिफिकेसन, यूसीजी, सीटीएल, कोयला निकासी के लिए बुनियादी ढांचा आदि। आप फरवरी, 2018 से सीएमपीडीआईएल में सरकारी नामित निदेशक के पद पर भी रहे है।

डॉ. सिन्हा ने खनन अभियंता में वर्ष 1984 में स्नातक एवं वर्ष 1986 में स्नात्कोतर की डिग्री इंडियन स्कूल ऑफ माइंस (आईएसएम) जो वर्तमान में आईआईटी (आईएसएम), धनबाद है से प्राप्त किया। आपने अपने बैच में सर्वश्रेष्ठ अंक प्राप्त किया, आईएसएम में अनेकों पुरस्कार/स्कॉलर्शिप प्राप्त करने के अलावा, आपको एमजीएमआई का प्रतिष्ठित पिक्केरिंग मेडल एवं आईएसएम के गोल्ड मेडल से सम्मानित किया गया। बाद में आपने वर्ष 1993–96 में पोलिश सरकार की फेलोशिप (भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय में यूपीएससी के द्वारा चयनित) के अंतर्गत विज्ञान एवं टेक्नालजी (एजीएच), क्रेका, पोलैंड से डोकटोरल की शिक्षा प्राप्त की। आपने भूमिगत खदानों में माइन वेंटीलेशन एवं एयर कंडिशनिंग पर रिसर्च किया। जिसके दौरान आपने पोलैंड के श्रेष्ठ लंबी दीवार खान का दौरा एवं अध्ययन किया। उस दरमियान आपने कई रिसर्च पेपर जारी करने के अलावा, पोलैंड की विज्ञान की पोलिश अकेडमी (पैन) के को–डेवलपर भी रह चुके है। तत्पश्चात आपने वर्ष 2008 में फिलीपींस के मनीला में आसियान इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट (एआईएम) का प्रोजेक्ट प्लानिंग, डेव्लपमेंट एवं मैनेजमेंट का कोर्स में सम्मलित हुए। आपने कोयला मंत्रालय में खनन प्लान/खनन क्लोसर प्लान मान्यता

प्राप्त योग्य व्यक्ति रहे एवं क्यूसीआई–एनएबीईटी से प्रतिष्ठित ईआईए/ईएमपी बनाने के लिए ईआईए संयोजक भी रहे है। आपको खनन के क्षेत्र में योगदान के लिए वर्ष 2017 में द इंस्टीटियूसन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) द्वारा "एमिनेंट इंजीनियर अवार्ड" से नवाजा गया।

एक प्रॉफेशनल के रूप में डॉ. सिन्हा ने कोयला विकास से संबन्धित विभिन्न समितियों एवं वर्किंग ग्रुप के साथ कोल इंडिया एवं कोयला मंत्रालय का प्रतिनिधित्व करते हुए, पोलैंड, स्पेन, स्विट्जरलैंड आदि का दौरा किया। कोयले के क्षेत्र की नीतियों एवं मुद्दो पर राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय फोरमो पर कई तकनीकी दस्तावेजो प्रस्तुत करने में महत्वपूर्ण योगदान रहा है। आप कई प्रॉफेशनल संस्था जैसे इंस्टीटियूसन ऑफ इंजीनियर्स (इंडिया) एवं माइनिंग, जियोलॉजिकल एवं मेटर्जीकल इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया (एमजीएमआई) के आजीवन सदस्य है।

7. श्री बिमलेंदु कुमार, निदेशक (कार्मिक), एनसीएल (डीआईएन–08718209)

श्री बिमलेंदु कुमार (58 वर्ष), ने निदेशक (कार्मिक) के रूप में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) में 25.02.2020 से कार्यभार ग्रहण किया। वह मानव संसाधन प्रबंधन से संबंधित सभी कार्यों के लिए जिम्मेदार है।

श्री कुमार ने 36 वर्ष के प्रबंधकीय अनुभव के साथ वर्ष 1984 में कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी, भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) से अपने करियर की शुरुआत की, जहाँ वह एचईएमएम की मरम्मत और रखरखाव में शुरू में लगे रहे और बाद में एमआईएस में। बीसीसीएल में अपने कार्यकाल के दौरान उन्होंने एचईएमएम की निगरानी के लिए एकल विकसित सॉफ्टवेयर तैयार किया, जिसका बाद में पूरे सीआईएल में पालन किया गया। वर्ष 1996 में उन्हें कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनी सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड में स्थानांतरित कर दिया गया और सीआरएस, बरकाकाना में तैनात किया गया। उनके प्रबंधकीय कौशल के कारण सीआरएस की संरचनात्मक शॉप लाल रंग की हो गई। वह सीआरएस बरकाकाना में आईएसओ 9001 क्यूएमएस के निर्माण, कार्यान्वयन, ऑडिटिंग और प्रमाणन में सहायक थे।

वर्ष 2003 में, उन्हें सीएमपीडीआईएल में स्थानांतरित कर दिया गया, जहां उन्होंने कई बड़ी खानों की आईएसओ 14001 ईएमएस प्रमाणपत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई जैसे गवेरा, कुसमुंडा और दीपका, कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों के कई केंद्रीय कार्यशालाओं को आईएसओ 9001 क्यूएमएस प्रमाणपत्र भी दिलाया। उनके कार्यकाल के दौरान गांधी नगर अस्पताल सीसीएल रांची को आईएसओ 9001 क्यूएमएस प्रमाणन, मान्यता दी गई थी।

वह सीएमपीडीआई में मानकीकृत प्रबंधन प्रणाली के प्रमुख संकाय थे और कोल इंडिया लिमिटेड की सहायक कंपनियों में कई प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए। उन्होंने सीएमपीडीआई के मानव संसाधन विकास प्रभाग का नेतृत्व किया जहाँ उन्होंने कोल इंडिया लिमिटेड की ओर से प्रबंधन प्रशिक्षुओं का तकनीकी प्रशिक्षण शुरू किया। उन्होंने सीएमपीडीआई के 80% से अधिक कार्यकारी को प्रशिक्षित करना सुनिश्चित किया और अच्छी संख्या में अधिकारियों को माइन नियोजन और भूवैज्ञानिक रिपोर्ट तैयार करने के लिए उपयोग किए गए सॉफ्टवेयर में प्रशिक्षित किया गया। उन्होंने सीएमपीडीआई के कार्मिक और प्रशासन (का. एवं प्र.) प्रभाग का भी नेतृत्व किया। एचओडी (पी एंड ए) के रूप में उनके कार्यकाल के दौरान, सीएमपीडीआई विशिष्ट कारणों से शून्य घंटे का नुकसान हुआ था। और सीएमपीडीआई में 50% से अधिक कर्मचारियों को प्रशिक्षण दिया गया।

बाद में, वह सीसीएल में तैनात थे और कल्याण और प्रशासन विभाग के प्रमुख थे, जहाँ उनके नेतृत्व में कई नीतियों को तैयार किया गया था। इन विभागों की प्रमुख प्रथाओं का मानकीकरण किया गया।

आपने अपनी बी. टेक. (माइन–मकेनिकल) एवं एम.टेक. (आईईएम) की शिक्षा आईएसएम (धनबाद) जिसे अब आईआईटी (आईएसएम) धनबाद के नाम से जाना जाता है। उन्होंने पीजीडीआईआरपीएम, पीजीडीएमएम और डीसीओ भी किया है। वह एक आईएसओ 9000 प्रमाणित लीड ऑडिटर और सिक्स सिग्मा ब्लैक बेल्ट प्रमाणित है।

अपने कुशल प्रबंधकीय कौशल के लिए जाने जाने वाले, श्री कुमार को बीसीसीएल में उनके कार्यकाल के दौरान नवाचार के लिए और सीएमपीडीआई में कार्यकाल के दौरान सर्वश्रेष्ठ विभागाध्यक्ष का पुरस्कार दिया गया।

8. श्री आर.एन. दुबे, निदेशक (वित्त) एनसीएल (डीआईएन–08749387)

श्री राम नारायण दुबे (58 वर्ष), ने 1 जून 2020 को नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) के निदेशक (वित्त) का पदभार ग्रहण किया। उन्हें लंबे समय तक 32 वर्षों तक कोल इंडिया की सेवा करने का व्यापक अनुभव है। एनसीएल के निदेशक (वित्त) के रूप में शामिल होने से पहले, श्री दुबे कोल इंडिया मुख्यालय, कोलकाता में महाप्रबंधक (वित्त) के रूप में कार्यरत थे।

श्री दुबे ने वर्ष 1987 में साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल) से कोल इंडिया में अपना करियर शुरू किया और उसके बाद उन्हें वर्ष 1988 में भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल) में स्थानांतरित कर दिया गया। श्री दुबे ने वर्ष 2013 तक बीसीसीएल में काम किया जिसके बाद वे कोल इंडिया मुख्यालय कोलकाता में तैनात थे।

कोल इंडिया में अपने कार्यकाल के दौरान उन्हें 2019 में महाप्रबंधक (वित्त) में पदोन्नत किया गया था। वह पेशे से चार्टर्ड अकाउंटेंट (सीए) हैं और मार्केटिंग में एमबीए की डिग्री है। कोल इंडिया में अपने कार्यकाल के दौरान, उन्होंने खरीद और खरीद में वित्तीय पहलुओं का व्यापक अनुभव हासिल किया। उन्होंने सीआईएल के एमएम डिवीजन में भारी उपकरणों के आयात पर भी ध्यान दिया और भारी उपकरणों के वैश्विक निविदाओं को अंतिम रूप देने में सक्रिय रूप से शामिल था। वह वर्ष 2018 में सीआईएल मुख्यालय के कॉर्पोरेट लेखा और कराधान विभाग में शामिल हो गए। जहां उन्हें जीएसटी से संबंधित मामलों से निपटने के अलावा सीआईएल स्टैंडअलोन और समेकित खातों को अंतिम रूप देने की जिम्मेदारी मिली।

9. श्री सुनील अग्रवाल, स्थायी आमंत्रि, एनसीएल

श्री सुनील अग्रवाल, को 05 जून, 2017 से एनसीएल के निदेशक मंडल में 'स्थायी आमंत्रित' के रूप में नियुक्त किया गया है। वह 1988 बैच के एमपी कैडर के एक भारतीय वन सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में वह अतिरिक्त प्रधान मुख्य वन संरक्षक के रूप में तैनात हैं। श्री अग्रवाल जबलपुर इंजीनियरिंग कॉलेज से बीई (सिविल) हैं और वर्ष 2014 से 2016 तक शहडोल में मुख्य वन संरक्षक के रूप में शामिल होने से पहले 2004 से 2009 तक GOI प्रतिनियुक्ति फॉर्म पर इंदौर, धार, झाबुआ, सिवनी और छिंदवाड़ा वन प्रभागों में डीएफओ के पद पर भी रह चुके हैं।

10. श्री सलिल कुमार झा, स्थायी आमंत्रि, एनसीएल

श्री सलिल कुमार झा, को अप्रैल 2017 से एनसीएल के निदेशक मंडल में 'स्थायी आमंत्रित' के रूप में नियुक्त किया गया है। वह एक भारतीय रेलवे यातायात सेवा अधिकारी हैं। वर्तमान में, वह मुख्य परिचालन प्रबंधक, पूर्व मध्य रेलवे, हाजीपुर में तैनात हैं।

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–VI

एओसी–2 से धारा 188(1) के अंतर्गत संबंधित पार्टियों सहित अनुबंध व व्यवस्थाएं

फॉर्म एओसी–2

(अधिनियम के धारा 134 के धारा(3) एवं कंपनीज् (लेखा) नियम, 2014 के नियम 8(2) के खण्ड (एच) के अनुसरण में) (वर्ष 2019–20)

कंपनीज् अधिनियम 2013 के धारा 188 के उप धारा (1) में संबंधित पार्टियों सं संदर्भित कंपनी द्वारा अनुबंधित/व्यवस्थाओं को विवरण का प्रकटीकरण में निश्चित बड़े लेन–देन उनके तृतीय प्रावधानों में शामिल है।

क्र.सं.	विवरण	विस्तृत
1.	बड़े लम्बे आधार पर सामग्री अनुबंधों का व्यवस्थओं या लेन–देनों का विवरण	
ए)	संबंधित पार्टियों के नाम एवं संबंध के प्रकार	लागू नहीं
बी)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन–देन का प्रकार	लागू नहीं
सी)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन–देन की अवधि	लागू नहीं
डी)	मूल्य सहित अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन की मूक शर्तों, यदि कोई हो	लागू नहीं
ई)	ऐसे अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन करने के लिए स्पष्टीकरण	लागू नहीं
एफ)	बोर्ड द्वारा अनुमोदन की तिथियाँ	लागू नहीं
जी)	अग्रिम के रूप में भुगतान की गई राशि, यदि कोई हो	लागू नहीं
एच)	धारा 188 के प्रथम प्रावधान अंतर्गत वांछित अनुसार सामान्य बैठक में स्वीकृत किए गए विशेष संकल्प की तिथि	लागू नहीं
2.	बड़े लम्बे आधार पर सामग्री अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देनों का विवरण	31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय विवरणों के लिए अतिरिक्त नोटों के नोट 38 (6) (डी) पर दर्शाया गया है।
ए)	संबंधित पाटी का नाम एवं संबंध	
बी)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन–देन का प्रकार	
सी)	अनुबंधों/व्यवस्थाओं/लेन–देन की अवधि	
डी)	मूल्य सहित अनुबंधों या व्यवस्थाओं या लेन–देन की मूक शर्तों, यदि कोई हो	
ई)	बोर्ड द्वारा स्वीकृत आँकड़े, यदि कोई हो	
एफ)	अग्रिमों की राशि का भुगतान, यदि कोई हो	

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–VII

Avinash Kumar Gupt
M.com, ACS

AVINASH GUPT & CO.
Company Secretaries

कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशा–निर्देशों का अनुपालन प्रमाण–पत्र

सेवा में,

सदस्यगण,
नार्द्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
सीआईएन : यू10102एमपी1985जीओआई003160
जिला–सिंगरौली (म.प्र.) 486889

मैंने 31 मार्च 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के लिए नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों के अनुपालन की जांच की है जैसा की सार्वजनिक उपक्रम विभाग (डीपीई) भारत सरकार द्वारा जारी केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (सीपीएसई) के लिए कॉर्पोरेट प्रशासन पर दिशानिर्देशों में निर्धारित की गयी है।

कॉर्पोरेट प्रशासन की शर्तों का अनुपालन प्रबंधन की जिम्मेदारी है। हमारी परीक्षाएं प्रक्रियाओं की समीक्षा और उसके क्रियान्वयन तक सीमित थीं, जो कंपनी द्वारा कॉर्पोरेट दिशानिर्देशों की शर्तों के अनुपालन के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई है। यह कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों पर न तो एक ऑडिट है और न ही एक राय है।

हमारी राय में और हमारी सर्वश्रेष्ठ जानकारी के अनुसार और मुझे दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, मैं यह प्रमाणित करता हूँ कि कंपनी ने कॉरपोरेट गवर्नेंस की शर्तों का अनुपालन किया है जैसा कि केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों (CPSEs) के लिए कॉर्पोरेट गवर्नेंस दिशानिर्देशों में निर्धारित किया गया है। इसके अलावा लागू

ए) 02.02.2020 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए बोर्ड और अंकेक्षण समिति में स्वतंत्र निदेशकों/गैर–सरकारी अंशकालिक निदेशकों की संख्या पूर्वोक्त दिशा–निर्देशों के अनुसार नहीं थी।

बी) 12.03.2020 से 31.03.2020 तक की अवधि के लिए, कोई महिला निदेशक कंपनी बोर्ड में नियुक्त नहीं की गई थी।

इस संबंध में यह सूचित किया जाता है कि निदेशकों की नियुक्ति भारत सरकार द्वारा की जाती है और स्वतंत्र निदेशक और महिला निदेशक के रिक्त पदों को भरने के लिए निदेशण किया गया है।

मैं आगे कहता हूँ कि इस तरह के अनुपालन न तो कंपनी की भविष्य की व्यवहार्यता के लिए एक आश्वासन है और न ही दक्षता या प्रभावशीलता जिसके साथ प्रबंधन ने कंपनी के मामलों का संचालन किया है।

कृते अवनीश गुप्त एंड कंपनी
कंपनी सचिव

अवनीश कुमार गुप्त
प्रोपराइटर
एम. संख्या : एसीएस49151
सी.पी. संख्या : 22308
यूडीआईएन : ए049151बी000382561

स्थान : सिंगरौली
दिनांक : 25 जून, 2020

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–VIII
प्रबंधन चर्चा एवं विश्लेषण प्रतिवेदन

1 उद्योग संरचना और विकास

कोयला और ऊर्जा सुरक्षा

एनर्जी आउटलुक 2040 तक वैश्विक ऊर्जा परिवर्तन को आकार देने वाली ताकतों और उस परिवर्तन के आसपास की प्रमुख अनिश्चितताओं की पड़ताल करता है। यह दर्शाता है कि बढ़ती ऊर्जा वैश्विक ऊर्जा मांग में वृद्धि को कैसे आगे बढ़ाती है और कैसे आने वाले दशकों में तेल, गैस, कोयला और अक्षय आपूर्ति सहित विविध आपूर्ति के माध्यम से मांग पूरी की जाएगी।

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं की अगुवाई में दुनिया का विद्युतीकरण जारी है, जिसमें अक्षय ऊर्जा लगातार बढ़ती हुई भूमिका निभा रही है। दुनिया में विद्युतीकरण जारी है, बिजली की खपत में मजबूती से वृद्धि हो रही है। ET परिदृश्य में, Outlook पर प्राथमिक ऊर्जा में संपूर्ण विकास का लगभग तीन–चौथाई हिस्सा बिजली उत्पादन के लिए उपयोग किया जाता है, जिसमें 2040 तक बिजली क्षेत्र द्वारा अवशोषित सभी प्राथमिक ऊर्जा का लगभग आधा हिस्सा होता है।

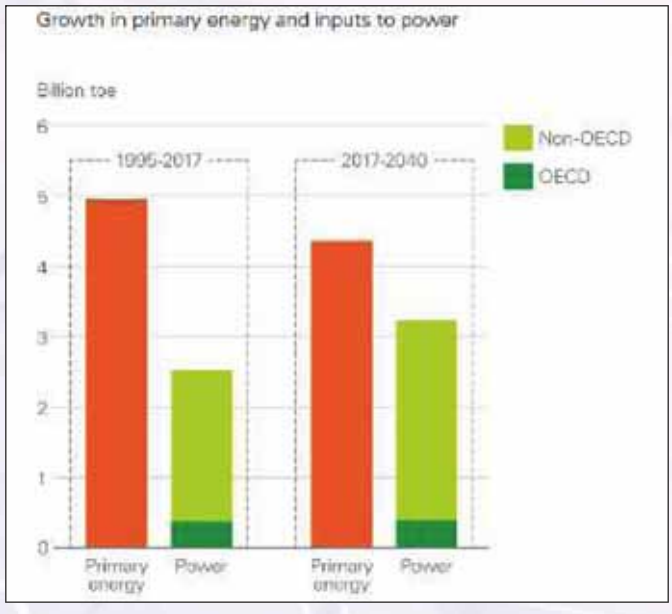

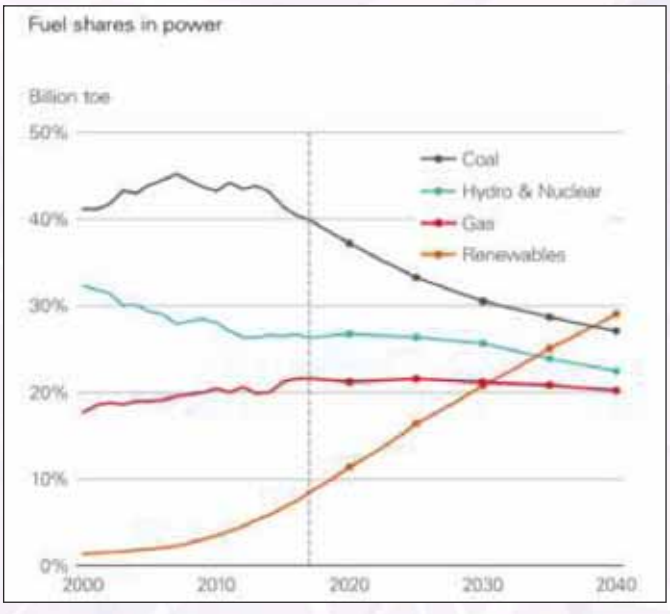

बिजली की मांग में लगभग सभी वृद्धि विकासशील अर्थव्यवस्थाओं से उपजी है, जिसका नेतृत्व चीन और भारत कर रहे हैं। OECD में मांग में वृद्धि बहुत कम है, जो धीमी आर्थिक विकास और अधिक परिपक्व, विकसित अर्थव्यवस्थाओं में आर्थिक विकास की मांग की कमजोर प्रतिक्रिया को दर्शाती है।

वैश्विक बिजली उत्पादन में ईंधन का मिश्रण कोयला, परमाणु और हाइड्रो की कीमत पर अक्षय ऊर्जा हिस्सेदारी हासिल करने के साथ भौतिक रूप से बदल जाता है। प्राकृतिक गैस का हिस्सा मोटे तौर पर लगभग 20% है। 2040 तक अक्षय ऊर्जा वैश्विक शक्ति के सबसे बड़े स्रोत के रूप में कोयले से आगे निकल जाएगी। बिजली उत्पादन में वृद्धि का लगभग दो–तिहाई हिस्सा अक्षय है, वैश्विक बिजली क्षेत्र में उनकी हिस्सेदारी लगभग 30% तक बढ़ रही है। इसके विपरीत, कोयले की हिस्सेदारी काफी कम हो जाती है, जैसे कि 2040 तक यह वैश्विक बिजली क्षेत्र में ऊर्जा के प्राथमिक स्रोत के रूप में अक्षय ऊर्जा से आगे निकल जाती है।

विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बिजली की मांग का मजबूत विकास अक्षय ऊर्जा को घुसने में मदद करता है, लेकिन कोयले की मांग भी पैदा करता है। ओईसीडी और विकासशील अर्थव्यवस्थाओं में बिजली की मांग के विपरीत रुझान इस बात को प्रभावित करते हैं कि बिजली क्षेत्र किस हद तक विघटित हो सकता है।

2017–2040 में प्राथमिक ऊर्जा शक्ति में परिवर्तन

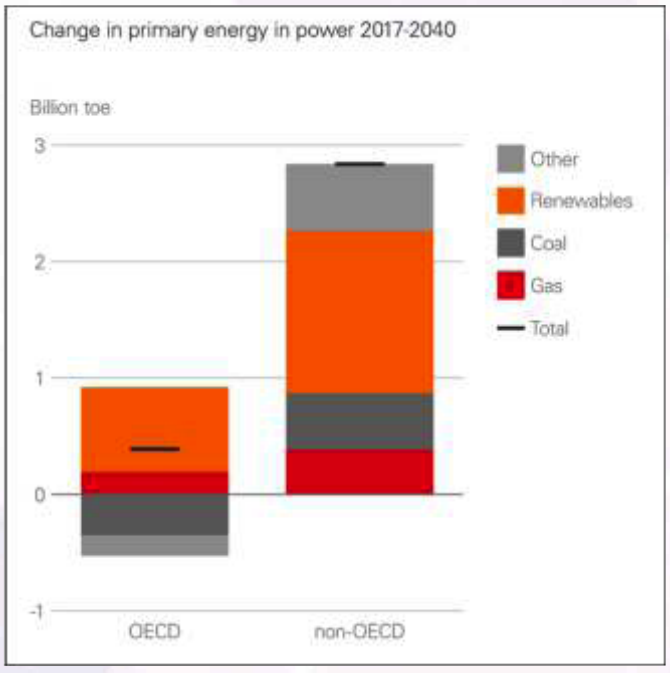

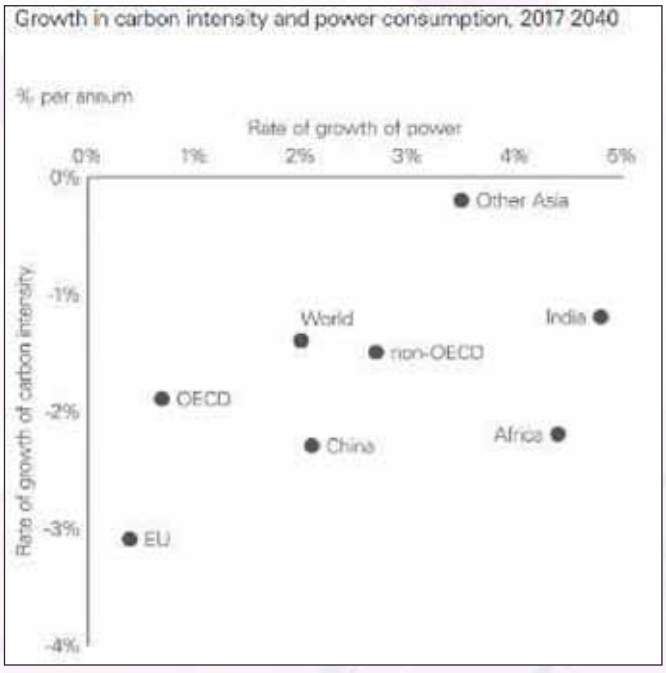

कोयला उद्योग का विकास और एनसीएल

1971 से पहले, देश के कोयला उत्पादन में निजी खानों का योगदान लगभग 74% था। कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण और पुनः संरचनाकरण सत्तर के दशक की शुरुआत में किया गया था। सबसे पहले कोकिंग कोल की खानों को 16 अक्टूबर 1971 अधिग्रहित किया गया था। टिस्को और आईआईएससीओ को छोड़कर 1 मई 1972 को खदानों का राष्ट्रीयकरण कर दिया गया और भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL) का गठन किया गया। इसके बाद 1973 में एनसीडीसी से संबंधित अन्य सभी कोयला खानों को राष्ट्रीयकृत क्षेत्र में लाया गया, जिसका नामकरण कोल माइंस अथॉरिटी लिमिटेड (CMAL) के रूप में किया गया। इस प्रकार, 1973 में तत्कालीन NCDC से संबंधित सिंगरौली कोलफील्ड की खदानों को भी CMAL ने अपने कब्जे में ले लिया था।

नवंबर 1975 में, कोल इंडिया लिमिटेड (CIL) का गठन किया गया था और 1971 और 1973 में राष्ट्रीयकृत सभी खानों को CIL के प्रशासनिक नियंत्रण में रखा गया था, जिसकी 5 सहायक कंपनियाँ थीं। ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ECL), भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (BCCL), सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (CCL), वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (WCL) और सेंट्रल माइन प्लानिंग एंड डिजाइन इंस्टीट्यूट लिमिटेड (CMPDIL)। इन सभी सहायक कंपनियों का प्रबंधन स्वतंत्र कंपनी बोर्डों द्वारा किया गया था। सीसीएल और डब्ल्यूसीएल को 1985–86 में एक बार फिर से संगठित किया गया था, जिससे कोयला उत्पादक सहायक कंपनियाँ साउथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (SECL) और नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (NCL) का गठन किया गया था। SECL को आगे चलकर CIL की एक और सहायक कंपनी महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (MCL) बनाई गई।

सिंगरौली कोलफील्ड में व्यवस्थित कोयला खनन की शुरुआत 1964 में एनसीडीसी द्वारा की गई थी। झिंगुरदह ओसीपी पहली खदान थी जिसने 1966–67 से कोयला उत्पादन शुरू किया था। सिंगरौली कोयला क्षेत्र 1962–73 के दौरान एनसीडीसी के कमांड क्षेत्र में था, उसके बाद 1975 तक सीएमएएल के तहत और फिर 1975 से 1985 तक सीसीएल के तहत। 1985 में एनसीएल के गठन के साथ, सिंगरौली में अपने मुख्यालय के साथ सिंगरौली कोलफील्ड एनसीएल की कमान में आ गया।

2. उद्देश्य :

- कोयला खनन के कारोबार और कोयले की खानों के प्रबंधन को कोल इंडिया लिमिटेड की तरफ से उसके निर्देशों के तहत जारी रखने के लिए।
- इस प्रयोजन के लिए खदान, क्वेरी, लाभकारी कोयले और अन्य उप–उत्पादों और सभी आवश्यक संयत्र, खानों, स्थापना, कार्यों आदि का संचालन और प्रबंधन स्थापित करना।
- कोयला वाशरी/शुद्धिकरण के किसी भी व्यवसाय को आगे बढ़ाने और उनसे उत्पन्न होने वाले अन्य उप–उत्पादों से निपटने के लिए।

- कोयला और उप–उत्पादों में खोज करना, उन्हें प्राप्त करना, उन पर काम करना, उन्हें व्यापार योग्य बनाना, बेचना और सौदा करना।
- कोलियरी और खान मालिक के रूप में कार्य करना और कोयले के व्यापारियों और वाहक के रूप में कार्य करना।
- कोयला उत्पादन के तर्कसंगत और समन्वित विकास को सुनिश्चित करने और क्षमता और विभिन्न परियोजनाओं के इष्टतम उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए किसी भी कोयला खदानों के पुनर्गठन और पुनर्निर्माण के लिए और उन्हें अच्छे वाणिज्यिक सिद्धांतों पर संचालित करने के लिए प्रबंधन करना।
- लक्ष्य और सरकार की आर्थिक नीति के अनुसार कोयले के उत्पादन को उसके लाभ और कोयले के उपोत्पाद की योजना के रूप में व्यवस्थित करना।
- वित्त की व्यवस्था, प्रतिस्थापन व्यय और ऋणों का पुनर्भुगतान यदि कोई हो अपने स्वयं के आंतरिक संसाधनों से और उचित लाभांश का भुगतान करने के अपने दायित्व के संबंध में नई परियोजनाओं पर योजना व्यय में वापस खींचने के लिए।
- कोयला खनन और कोयला शुद्धिकरण में तकनीकी जानकारी विकसित करना और कोयला भंडार के दोहन के साथ–साथ कोयले के उपयोग से संबंधित अनुसंधान और विकास का कार्य करना ताकि विदेशी तकनीकी सहयोग पर निर्भरता समाप्त हो जाए।
- संसाधनों की उत्पादकता में सुधार, अपव्यय को रोककर और निवेश की आवश्यकता को पूरा करने के लिए पर्याप्त बाहरी संसाधनों को जुटाकर आंतरिक संसाधनों के उत्पादन को अनुकूलित करना।
- एस एंड टी और आर एंड डी योजनाओं के तहत कोयला खंड में अनुसंधान गतिविधियों की प्रभावशीलता को बढ़ावा देना, समन्वय करना और सुनिश्चित करना।
- पर्यावरण प्रबंधन योजना (ईएमपी), पर्यावरण प्रभाव आकलन (ईआईए) और कोयला खनन के लिए खदान बंद करने की योजना और एनसीएल द्वारा सीएमपीडीआईएल के माध्यम से संबंधित परियोजनाओं की शुरुआत करना।
- सुरक्षा, संरक्षण और गुणवत्ता के संबंध में कोयले का उत्पादन करने के लिए।
- सही समय पर सही कीमत पर सर्वोत्तम गुणवत्ता के उत्पाद के साथ उपभोक्ताओं को संतुष्ट करने के लिए।

3 कार्य

i) कोयला का उत्पादन

कोयले का उत्पादन मुख्य कार्य है और कंपनी 10 ओपन कास्ट कोयला खानों के माध्यम से कोयला उत्पादन कर रही है।

ii) वाश्ड कोयले का उत्पादन

एनसीएल में बिजली संयंत्रों के लिए वाश्ड कोयले की आपूर्ति के लिए बीना परियोजना में स्थापित एक डैशलिंग प्लांट है।

iii) विद्युत संयंत्रों और अन्य उद्योगों को कोयले आवश्यकता अनुसार आपूर्ति करना

एनसीएल का उत्पादन लगभग 86% कोयले को विद्युत क्षेत्र में भेजा जाता है और शेष कोयला का वितरण सीमेंट उद्योग, एल्यूमिनियम उद्योग आदि जैसे उपभोक्ताओं को भेजा जाता है।

iv) पर्यावरण प्रबंधन सेवाएं

एनसीएल ने आईएसओ 9001 : 2015, आईएसओ 14001 : 2015 और ओएचएसएएस 18001 : 2007 के अंतर्राष्ट्रीय मानकों का अनुपालन करते हुए अपने एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) के तहत सतत विकास के लिए मैनुअल, नीति, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को अच्छी तरह से परिभाषित और प्रलेखित किया है। एनसीएल भारत सरकार एवं राज्य सरकारों से परियोजनाओं के लिए वन मंजूरी प्राप्त करता है। एनसीएल खनन के लिए विकृत वन भूमि के बदले प्रतिपूरक वनीकरण करता है और वृक्षारोपण के माध्यम से जैविक पुनर्ग्रहण किया जाता है। कंपनी वायु, जल और ध्वनि प्रदूषण नियंत्रण उपायों के लिए आवश्यक कदम उठाती है।

v) सिस्टम सेवाएं

कोलनेट (एक ईआरपी) जिसमें सात (07) मॉड्यूल शामिल हैं। पीआईएस (कार्मिक सूचना प्रणाली), एफआईएस (वित्त सूचना प्रणाली), पेरोल, बिक्री, उत्पादन, सामग्री प्रबंधन प्रणाली और उपकरण रखरखाव प्रणाली पूरे एनसीएल में चालू हैं। NCL की

5 परियोजनाओं में GPS आधारित OITDS संचालित है। NIC द्वारा विकसित और सुरक्षा और AADHAR सक्षम बायोमेट्रिक अटेंडेंस सिस्टम के लिए परीक्षण किया गया। ऑनलाइन फाइल ट्रैकिंग पहले से ही चालू है। ई–ऑफिस, कार्यालय स्वचालन के लिए एक पहल है, जिसे एनआईसी द्वारा विकसित किया गया है और एनसीएल की सभी परियोजनाओं/इकाइयों में लागू किया गया है। खरीद नीति को पारदर्शी बनाते हैं, सभी खरीद जीईएम पोर्टल के माध्यम से की जाती हैं। ई–वेस प्रणाली लागू की गई है।

vi) मानव संसाधन विकास

एनसीएल ने प्रबंधन में श्रमिकों की भागीदारी की अवधारणा का पालन किया और सौहार्दपूर्ण औद्योगिक संबंधों को बनाए रखा और कर्मचारियों के कल्याण और सामाजिक सुविधाओं पर भी ध्यान दिया। कंपनी के पास एनसीएल में एक अच्छी तरह से स्थापित शीर्ष प्रशिक्षण केंद्र, केंद्रीय उत्खनन प्रशिक्षण संस्थान (CETI) और सभी क्षेत्रों में 10 व्यावसायिक प्रशिक्षण संस्थान (VTC) हैं। वर्कर्स, ऑपरेटर्स, सुपरवाइजरों और फ्रंट लाइन मैनेजर्स को आवश्यकता आधारित प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है। कंपनी के कर्मचारियों को भारत में प्रतिष्ठित पेशेवर संस्थानों और विदेश में प्रशिक्षण के लिए प्रायोजित किया जाता है।

vii) भूमि अधिग्रहण और आर एंड आर

कंपनी परियोजनाओं से जुड़े आवश्यक नागरिक सुविधाओं के साथ परियोजना प्रभावित व्यक्तियों (पीएपी) के विकास और पुनर्वास के लिए पुनर्वास स्थल विकसित करती है। वर्ष के दौरान, 15.6548 हे. का मुआवजा, किराए की भूमि और घर का भुगतान किया जाता है। वर्ष के दौरान रु. 12.4024 करोड़ की कुल क्षतिपूर्ति की गई है।

4. शक्ति, कमजोरी, अवसर और खतरे

क्षमता

i) एनसीएल के पास लगभग 7 बिलियन टन पावर श्रेणी के कोयले का भंडार है जो मेगा पिटहेड पावर प्लांट से जुड़ा हुआ है। लगभग 82 प्रतिशत कोयले का प्रेषण पिटहेड उपभोक्ताओं को किया गया है। सिंगरौली क्षेत्र में जुड़े संयंत्र और अन्य आगामी संयंत्रों की क्षमता में विस्तार।

ii) एमजीआर/बेल्ट पाइप कन्वेयर के माध्यम से निकासी की जा रही है। कोल कटनी–चोपन रेल लाइन कोलफील्ड्स से होकर जाती है एवं रेलवे द्वारा रेल लाइन के दोहरीकरण का कार्य किया जा रहा है।

iii) समस्त खदानों में साइलो के माध्यम से रैपिड लोडिंग प्रणाली की सुविधा सहित उच्च क्षमता कोल हैंडलिंग प्लांट्स (वर्तमान/योजनाबद्ध) है।

iv) खुली खान विधि पद्धति द्वारा कोयला भंडार से प्रतिस्पर्धा दरों पर यंत्रीकृत थोक मात्रा में उत्पादन संभावित है। कोल सीम के हल्के ढाल में ड्रैगलाइन लगाए जाने से संचालन लागत कम हुई है।

v) पर्याप्त भंडार/अधिशेष के साथ वित्तीय सुदृढ़ता उत्पादन बढ़ाने और बुनियादी सुविधाओं को बढ़ाने के लिए विकास योजना का लगातार समर्थन कर सकती है।

vi) अनुभवी कर्मियों, उत्पादक कार्य संस्कृति, प्रबंधन कार्य की भागीदारी शैली, अच्छा औद्योगिक संबंध, कर्मचारी की उच्चता, कंपनी के लोगों की निष्ठा, प्रशासन और प्रबंधन कार्य में उच्च स्तर की पारदर्शिता।

कमी :

i) कोयला भंडार की गहराई बढ़ने से प्रति टन लागत बढ़ी है।

ii) निम्न श्रेणी का कोयला है जो सिर्फ ऊर्जा उत्पादन के लिए है।

iii) मेन बेसिन रिजर्व संरक्षित वन के अंतर्गत होने से गवेषण अभी तक पूर्ण नहीं हुआ है।

iv) प्रमुख शहरों के साथ सिंगरौली की खराब कनेक्टिविटी।

v) जमा कोयला के भौगोलिक रूप से बिखरे हुए दूरस्थ स्थान कोयला निकासी सुविधाओं को काफी प्रभावित करते हैं।

vi) कुशल और अनुभवी जनशक्ति की क्रमिक कमी और ताजा भर्तियों में कठिनाई कंपनी में मानव संसाधन पूल को बुरी तरह प्रभावित कर सकती है।

vii) किफायती आउटसोर्सिंग विकल्पों पर निर्भरता कंपनी को भविष्य में उत्पादन जोखिमों को उजागर कर सकती है।

viii) निकासी में रसद बाधा।

ix) पर्यावरणीय मंजूरी के साथ जुड़ी कठोर अनुपालनाएँ।

अवसर

i) अपने स्थान के आधार पर, एनसीएल दूरस्थ एवं पश्चिमी बिजली घरों को कोयला कम परिवहन लागत पर।

ii) प्रत्येक परियोजना के साथ संलग्न कोयला हैंडलिंग संयंत्रों से उपभोक्ताओं को कुचले कोयले की आपूर्ति आश्वस्त की।

iii) नई परियोजनाओं के विस्तार और संबद्ध गतिविधियों के लिए पर्याप्त नकद भंडार।

iv) पूरे भारत में 24*7 बिजली सुनिश्चित करने के लिए कोयला ऊर्जा का एक प्रमुख और सस्ता स्रोत है।

खतरे

i) गढ़वा से सिंगरौली और सिंगरौली से कटनी खंड तक रेल लाइन की दोहरी करण में देरी से कोयले के उत्पादन और प्रेषण को प्रतिबंधित कर सकता है।

ii) गंभीर रूप से प्रदूषित क्षेत्र और कड़े एनजीटी की शर्तों की सूची में सिंगरौली और कठोर एनजीटी की शर्तें।

iii) सरकार द्वारा पर्यावरण संवेदन शील क्षेत्रों की घोषणा (जहां खनन की अनुमति नहीं दी जाएगी)।

iv) भूमि अधिग्रहण, पुनर्वास और पुनर्स्थापना की उच्च लागत।

v) अक्षय ऊर्जा में विश्वव्यापी तकनीकी उन्नयन निकट भविष्य में कोयले की मांग को कम कर सकता है।

vi) नियामक द्वारा नए प्रवेशकों के लिए वाणिज्यिक कोयला खनन की अनुमति के साथ, कंपनी को कठोर प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है।

5. खंडवार संचालन

कोयला उत्पादन एनसीएल के कारोबार का एकमात्र क्षेत्र है और एमसीएल सीआईएल की तीसरी सबसे बड़ी कोयला उत्पादनवाली सहायक कंपनी है और सबसे बड़ी मात्रा (कोयला उत्पादन और ओवर बर्ड हटाने) का संचालन करती है।

6. आउटलुक

एनसीएल में 2019–20 के दौरान कोयले का उत्पादन पिछले वर्ष के उत्पादन के 6.45% की वृद्धिशील वृद्धि के साथ 108.052 मेट्रिक टन रहा और 2020–21 में 113.25 मेट्रिक टन कोयला उत्पादन की योजना बनाई है। कोल इंडिया लिमिटेड की 1 बिलियन टन योजना एनसीएल के योगदान में भविष्य की परियोजनाओं से उत्पादन वृद्धि का अनुमान लगाया गया है।

NCL लगातार बड़ी क्षमता वाले HEMM के साथ अत्यधिक मशीनीकृत खानों के लिए प्रयासरत है। सिंगरौली कोयला क्षेत्र की कोई भूमिगत खदान नहीं है; हालांकि, एनसीएल द्वारा उन्नत उत्पादन तकनीक के साथ सिंगरौली कोयला क्षेत्र के मुख्य बेसिन में उच्च क्षमता वाली भूमिगत खानों को विकसित करने का प्रस्ताव है।

7. जोखिम और चिंताएं

(i) लगभग 50 प्रतिशत कोयला भंडार वन क्षेत्र के अंतर्गत है। वर्तमान नियम में 10 किलोमीटर की परिधि से अधिक में पर्यावरण के प्रति संवेदनशील क्षेत्रों की घोषणा से भंडार को खतरा हो सकता है।

(ii) सिंगरौली शहर खुली खान से निकालने योग्य कोयला भंडार पर स्थित है और शहर के लोगों पुनर्वास न होने की स्थिति में कोयला अनुपयोगी पड़ा रह जायेगा।

iii) विस्तार परियोजनाओं की बढ़ती हुई ओवर बर्डेन को हटाने के लिए आउट सोर्सिंग एवं ठेके के कार्यान्वयन की योजना बनाई गई है, जिसमें सफलता का जोखिम शामिल है।

iv) आरएफसीटीएलएआर अधिनियम 2013 के प्रावधानों के अनुसार आर एंड आर के उच्च लागत के जमीन का अधिग्रहण किया जा सकता है। पीएएफएस द्वारा रोजगार के मांग के कारण नये / विस्तार परियोजनायें गैर लाभकारी हो सकती है।

8. आंतरिक नियंत्रण प्रणाली

एक मजबूत और कुशल आंतरिक नियंत्रण प्रणाली एनसीएल में है और यह संचालन के आकार और परिमाण के अनुरूप है। सीएमडी एनसीएल, के नियंत्रण में आंतरिक अंकेक्षण विभाग के कार्य सभी परिचालन और लेन देन गतिविधियों से स्वतंत्रता की समस्या क्षेत्रों की देख रेख और शीर्ष प्रबंधन के सामने लाना ।

विभाग आंतरिक नियंत्रण के उद्देश्य से कार्य करता है। विभाग विभिन्न परिचालनों के साथ–साथ लेन–देन की गतिविधियों का अंकेक्षण करता है और समय पर निर्णय और दिशा–निर्देश के लिए उच्च प्रबंधन के सामाने खामियाँ रखता है, ताकि वह धोखा धड़ी और जोखिम समाप्त हो जाए। बाहरी ऑडिट फर्मों द्वारा परिवर्तन ऑडिट, की एक प्रणाली पूरे साल पूरे वैधानिक आवश्यकता को पूरा करने और कॉर्पोरेट प्रशासन के उद्देश्य को पूरा करने की दिशा में चल रही है। सीआईएल द्वारा बनाई गई एक अच्छी तरह से परिभाषित दायरों है, जो संगठन के संचालन के सभी पहलुओं को आंतरिक अंकेक्षण कार्यों के लिए कवर करती है।

आंतरिक अंकेक्षकों की आंतरिक अंकेक्षण रिपोर्टों का अवलोकन परियोजना के साथ ही मुख्यालय स्तर पर आंतरिक अंकेक्षण विभाग और संबंधित कार्यात्मक विभाग दोनों में सुधारात्मक कार्रवाई करने के लिए अध्ययन किया जाता है। आंतरिक वित्तीय नियंत्रण को मजबूत करने और सांविधिक प्रावधान को पूरा करने के उद्देश्य के लिए, भंडार – पुर्जों और अचलसंपत्तियों के भौतिक सत्यापन को बाहरी ऑडिट कंपनियों द्वारा वार्षिक आधार पर आयोजित किया जाता है। ऑडिट फर्मों की टिप्पणियों को ठीक से लिया जाता है और परियोजना अधिकारियों से उनके साथ बैठक आयोजित कर के चर्चा की गई और विसंगतियों के समय पर सुधार के लिए कदम उठाए गए।

आंतरिक नियंत्रण प्रणाली को मजबूत करने के लिए सीएजी फॉर्म का निरीक्षण हमारे उपायों का हिस्सा है। सीएजी अवलोकन का जवान नियमित आधार पर दिया जाता है। जरूरी मानते समय उपचारात्मक उपाय लेने के लिए अवलोकन की अच्छी तरह से देख भाल की जाती है। अंकेक्षण के दौरान सीएजी के साथ चर्चा और इसके बाद अंकेक्षण के मुद्दों का समाधान करने के लिए सिस्टम बहुत प्रभावी है और आंतरिक अंकेक्षण विभाग कार्यात्मक विभागों और सीएजी को ऑडिट के मुद्दों के निर्बाध निवारण के लिए एक साथ लाने में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है।

जहाँ तक कॉर्पोरेट गवर्नेंस का संबंध है, आंतरिक अंकेक्षण विभाग एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। आंतरिक अंकेक्षकों की रिपोर्ट चर्चा के लिए एनसीएल की अंकेक्षण समिति के समक्ष रखी गई है कार्रवाई की गई रिपोर्ट को रख कर चर्चा की उचित रूप से ध्यान रखा गया है। अंकेक्षण समिति की बैठक ऑडिट प्रक्रिया की प्रभावकारिता और इसकी प्रभावशीलता का पता लगाने के लिए आंतरिक अंकेक्षकों के साथ चर्चा के लिए आयोजित की जाती है।

वित्तीय परिदृश्यों में सुधार के लिए आंतरिक अंकेक्षण विभाग के अंतर्गत कार्य करने के लिए 12 मई, 2015 को एनसीएल में एक लागत नियंत्रण इकाई की स्थापना की गई थी। एमओयू के प्रावधान के अनुसार एनसीएल में स्थापित लागत नियंत्रण इकाई ने लागत नियंत्रण उपायों पर कार्यात्मक विभागों के बीच नियमित चर्चा की व्यवस्था की है। लगातार निगरानी के परिणाम स्वरूप ओवरटाइम और रविवार के खिलाफ तैनाती पर नियंत्रण हुआ है। इसने लागत पहलुओं के बारे में जागरुकता भी पैदा की है।

9. परिचालन प्रदर्शन के संबंध में वित्तीय प्रदर्शन पर चर्चा

परिचालनात्मक प्रथाओं को संचालन प्रदर्शन और अंततः वित्तीय प्रदर्शन को बेहतर बनाने के तरीके के रूप में देखा गया है। एनसीएल के परिणाम वित्तीय प्रदर्शन के साथ सकारात्मक संबंधों के अस्तित्व का समर्थन करते हैं। लाभ प्रदता और विकास दोनों के साथ आउट सोर्सिंग का एक सकारात्मक संबंध पाया गया है। प्रथाओं और प्रदर्शन के बीच कुछ संबंध भी महत्वपूर्ण थे जो दर्शाता है कि प्रदर्शन पर प्रथाओं के प्रभाव का संदर्भ निर्भर हो सकता है।

वित्तीय प्रदर्शन एक भ्रामक निर्भर चर है जो एक साथ कई चरों से प्रभावित होता है और कुछ परिचालनात्मक प्रथा कुछ व्यवस्थाओं में सकारात्मक परिणाम दे सकती है, लेकिन दूसरों में नकारात्मक परिणाम।

एक प्रबंधन दर्शन के रूप में आपरेशनल प्रथा निरंतर सुधार पर बल देते हुए उपभोक्ता की अपेक्षाओं और जरूरतों को पूरा करने, पुनः कार्य, दीर्घ कालिक नियोजन, पुनर्डिजाइन करने वाली प्रक्रियाओं, प्रतिस्पर्धी बेंचमार्किंग, टीमवर्क, निरंतर परिणाम माप और एक करीबी रिश्ते पर बल देने वाली प्रथाओं की एक श्रृंखला के साथ एकीकृत करता है। आपूर्तिकर्ताओं के साथ यह भी एक तथ्य है कि वित्तीय प्रदर्शन पर गुणवत्ता के तरीकों और संगठनात्मक प्रदर्शन के बीच संबंधों के प्रभाव मिश्रित होते हैं। गुणवत्ता और प्रदर्शन के बीच

एक सकारात्मक कनेक्शन की उम्मीद है, लेकिन यह संबंध हमेशा सीधा नहीं होता है। आउटसोर्सिंग, किसी बाहरी स्रोत या मूल्य वर्धित गतिविधियों पर निर्भरता के रूप में, संगठनात्मक रणनीति का एक महत्वपूर्ण तत्व है, जो लागत को कम करने और प्रदर्शन में सुधार करने के लिए एक शक्तिशाली वाहन है।

सामान्य शब्दों में, यह पाया जाता है कि चालन संबंधी प्रथाओं और वित्तीय प्रदर्शन (विकास और लाभप्रदता) के बीच एक सकारात्मक संबंध है और यह इस धारणा का समर्थन नहीं करेगा कि प्रथाएं बेहतर प्रदर्शन कर सकती हैं या प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त निर्माण क्षमता भी बना सकती हैं। आकार एक नियंत्रण चर के रूप में उपयोग किया जाता है, लाभ प्रदता और विकास दोनों पर सकारात्मक संबंध साबित हुआ। एनसीएल लगातार मैन, मशीन और सामग्री के उपयोग पर अपनी पूर्ण क्षमता के लिए अपने कार्यों के प्रदर्शन को बेहतर बनाने और सेवाओं के लिए उनकी उपलब्धता के साथ संसाधनों का अधिकतम उपयोग करने में लगातार प्रयास कर रहा है।

10. कर्मचारियों की संख्या सहित मानव संसाधन, औद्योगिक संबंध मोर्चे में भौतिक विकास

पिछले वर्ष की तुलना में 31.03.2020 को श्रमशक्ति निम्नानुसार है :

को	अधिकारी	गैर–अधिकारी	कुल
31.03.2019	1759	12697	14456
31.03.2020	1658	12724	14382

एक सार्वजनिक क्षेत्र की उपक्रम कंपनी के रूप में एनसीएल अपने कर्मचारियों मध्य और वरिष्ठ प्रबंधन अधिकारियों, अन्य स्तर के अधिकारियों और प्रबंधन प्रशिक्षुओं को निरंतर प्रशिक्षण और विकास के अवसर प्रदान करता है। इसके अलावा, कंपनी बाहरी प्रशिक्षण कार्यक्रमों और भारत के बाहर अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षण सत्र भी व्यवस्था करती है।

11. एनसीएल में औद्योगिक संबंध

उत्पादन के दोनों पक्षों के हितों की सुरक्षा के लिए नियोक्ता और कर्मचारी दोनों के बीच सामंजस्यपूर्ण संबंध आवश्यक है। कर्मचारियों के साथ अच्छे संबंध बनाए रखने के लिए, प्रत्येक संगठन को कंपनी के हितधारकों के साथ किसी भी विवाद से बचना चाहिए या इसे जल्द से जल्द निपटाना चाहिए ताकि औद्योगिक शांति और उच्च उत्पादकता सुनिश्चित हो सके।

हमारी कंपनी में औद्योगिक संबंध अत्यधिक सौहार्दपूर्ण और सामंजस्यपूर्ण है। प्रबंधन के कामकाज का सहभागी तरीका विवादों/शिकायतों को आम तौर पर चर्चा के माध्यम से निपटाने की सुविधा प्रदान करता है, जिसके परिणामस्वरूप नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड में संबंध के सभी स्वस्थ लोकाचार बनाए रखने में मदद मिली है।

प्रबंधन की सहभागी शैली को सभी स्तरों पर प्रोत्साहित किया जाता है और हमारे पास कर्मचारियों की शिकायत के साथ–साथ संगठन के उत्पादन और उत्पादकता से संबंधित अन्य मुद्दों पर चर्चा करने और संबोधित करने के लिए द्विदलीय वार्ता की प्रणाली भी है।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का कार्मिक विभाग मुख्य रूप से मानवीय संबंधों से संबंधित है क्योंकि कार्मिक प्रबंधन का मुख्य विषय मानव शक्ति द्वारा किए गए कार्य को प्राप्त करना है।

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड का कार्मिक विभाग मुख्य रूप से मानवीय संबंधों से संबंधित है क्योंकि कार्मिक प्रबंधन का मुख्य विषय मानव शक्ति द्वारा किया जाने वाला कार्य है।

दूसरे शब्दों में एनसीएल स्वस्थ औद्योगिक संबंध के लिए प्रतिबद्ध है जो औद्योगिक शांति बनाए रखने में मदद करता है जो बेहतर प्रबंधन, उच्च उत्पादकता और एनसीएल के सतत विकास के लिए आवश्यक है।

12. मानव संसाधन में सामग्री विकास

मानव संसाधन का विकास दीर्घकालिक आर्थिक विकास के लिए NCL के महत्वपूर्ण उद्देश्यों में से एक है। मानव संसाधन विकास प्रशिक्षण और विकास, संगठनात्मक विकास, व्यक्तिगत समूह और संगठनात्मक प्रभावशीलता में सुधार के लिए कैरियर विकास का एकीकृत उपयोग है।

एनसीएल का मानव संसाधन विकास परिवेश हमारे कर्मचारियों की योग्यता, प्रेरणा और विकास सुनिश्चित करने में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है और संगठन के लक्ष्यों से संबंधित शिक्षण प्रदान करने में मदद करता है। यह उनके काम और काम के माहौल के प्रति व्यक्ति के मनोबल और दृष्टिकोण को प्रभावित करता है।

13. पर्यावरण संरक्षण, तकनीकी संरक्षण, अक्षय ऊर्जा विकास, विदेशी मुद्रा संरक्षण

आईएसओ 9001:2015, आईएसओ 14001:2015 और ओएचएसएएस 18001:2007 के अंतरराष्ट्रीय मानकों का पालन करते हुए एनसीएल ने अपने एकीकृत प्रबंधन प्रणाली, आईएमएस, के तहत सतत विकास के लिए मैनुअल, पॉलिसी, प्रक्रियाओं और दिशानिर्देशों को अच्छी तरह से परिभाषित और दस्तावेज किया है।

एनसीएल ने स्वेच्छा से हमारे व्यापार, एजेंडा के एक भाग के रूप में हमारे आर्थिक, पर्यावरण और सामाजिक चिंताओं के एक साथ प्रबंधन के लिए एक व्यापक प्रणाली को कार्यान्वित करने के लिए चुना है।

एनसीएल प्रौद्योगिकी संरक्षण के लिए उत्सुक है और सरकार द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुसार नवीकरणीय ऊर्जा के विकास के लिए कदम उठाए गए हैं। एनसीएल एचईएमएम के आयात को छोड़कर किसी भी विदेशी व्यापार में शामिल नहीं है।

14. निगमित सामाजिक दायित्व

निगमित सामाजिक दायित्व के तहत एनसीएल ने विशेषाधिकारों के उत्थान में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है।जल आपूर्ति, कौशल विकास, स्वास्थ्य सेवा, शिक्षा, स्कूलों के निर्माण, स्वच्छ भारत अभियान के तहत शौचालयों के निर्माण के लिए बुनियादी ढांचा तैयार करना और सीएसआर गतिविधियों के तहत भावी परियोजनाओं के लिए लक्ष्य निर्धारित किए गए हैं। एनसीएल ने अपने परिवेश के आसपास के समुदायों के साथ मजबूत संबंध और साझेदारी बनाई है।

कंपनी अधिनियम, 2013 में नया सीएसआर प्रावधान विशिष्ट इकाइयों पर व्यापारिक इकाइयों की सामाजिक जिम्मेदारी को चलाने के लिए स्पष्ट रूप रेखा और प्रक्रियाओं को स्थापित करने के लिए एक औपचारिक और अधिक जिम्मेदारी पर जोर देती है।कंपनी अधिनियम, कंपनियों (कॉर्पोरेट सामाजिक उत्तरदायित्व नीति) नियम 2014 के प्रावधानों के अनुसार और कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय के परिपत्र और अधिसूचनाओं के साथ, एनसीएल ने सिंगरौली और आसपास के क्षेत्रों में और आसपास सामाजिक जिम्मेदारी को चलाने के लिए आवश्यक ढांचा स्थापित किया है, कोल इंडिया लिमिटेड एवं एनसीएल की सीएसआर नीति द्वारा निर्दिष्ट कंपनी अधिनियम की अनुसूची–VII के अनुसार।

15. आर एंड डी और नवाचार

एनसीएल ने संगठन की अनुसंधान और विकास गतिविधियों को मजबूत करने के लिए नवंबर 2003 में IIT (BHU) के साथ एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। इस समझौता ज्ञापन के अनुसार, NCL और IIT (BHU) द्वारा एक सहयोगी अनुसंधान एवं विकास केंद्र (SARAS) विकसित किया जा रहा है, जिसके अंतर्गत 17 आर एंड डी परियोजनाओं के लिए F.Y. 2019–20 मे विचार किया गया है। यह आईआईटी (बीएचयू) के नवाचार और ऊष्मायन केंद्र का समर्थन करने का प्रस्ताव दिया गया है और नवाचारों को बढ़ावा देने और समर्थन करने के लिए सिंगरौली में उसी का एक उपग्रह केंद्र खोलने का प्रस्ताव है।

16. एनसीएल और सीआईएल के बीच समझौता ज्ञापन

हर वित्तीय वर्ष के लिए एनसीएल ने कोल इंडिया लिमिटेड के साथ एक समझौता ज्ञापन में भौतिक और वित्तीय प्रदर्शनों के लिए विभिन्न मापदंड स्थापित करने के लिए प्रवेश किया। उपलब्धियों को 1–5 के पैमाने पर वर्गीकृत किया जाता है, उत्कृष्ट कक्षा 1.0 से 1.5 और खराब 4.5 से 5.0 के रूप में है।

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–IX

सीईओ एवं सीएफओ प्रमाण–पत्र

सेवा में,

निदेशक मंडल,
नार्द्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
पो. सिंगरौली कोलियरी
जिला–सिंगरौली (म.प्र.) 486889

हम, श्री पी.के. सिन्हा, अध्यक्ष– सह–प्रबंध निदेशक, नार्दरन कोलफील्ड्स लिमिटेड एवं श्री एन.एन. ठाकुर, निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड वित्तीय कार्यों के लिए जिम्मेदार हैं और प्रमाणित करते हैं कि –

(ए) हमने 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों की समीक्षा की है, साथ ही लेखांकन नीतियों और अतिरिक्त नोट्स के साथ–साथ 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लिए वित्तीय परिणाम सेबी के विनियमन 33 के अनुसार (लिस्टिंग दायित्वों और प्रकटीकरण की आवश्यकता) नियम, 2015 और यह कि हमारे सर्वोत्तम ज्ञान और विश्वास के अनुरूप है।

i) इन कथन में कोई भौतिक रूप से असत्य बयान नहीं है या किसी भौतिक तथ्य या ऐसे बयान शामिल नहीं हैं जो आमक हो सकते हैं;

ii) ये कथन कंपनी की सत्य एवं स्वच्छ छवि परिदृश्य प्रस्तुत करते हैं और वर्तमान लेखाकरण मानको, नियम एवं कानून के अनुसार है, है;

(बी) हमारे संज्ञान एवं विश्वास में 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के दौरान कंपनी द्वारा कोई कपटपूर्ण अवैध लेन देन नहीं किया गया है और न कंपनी की आचार संहिता का उल्लघंन किया गया है।

(सी) कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग संबंधित आंतरित नियंत्रण प्रणाली की प्रभावशीलता का पूनर्मूल्यांकन एवं कंपनी की वित्तीय रिपोर्ट के लिए आंतरिक नियंत्रण स्थापित करना एवं उसका सुचारू रूप से संचालन एवं यदि आंतरिक नियंत्रण को डिजाइन अथवा संचालन में कोई कमी है तो उससे लेखा परीक्षक को अवगत कराना ताकि इस कमी में सुधार करने हेतु कदम उठाए जा सके।

(डी) हमने लेखा परीक्षक एवं लेखा परीक्षा समिति को इंगित किया है कि

i) वर्ष के दौरान संदर्भ अंतर्गत आंतरिक नियंत्रण वित्तीय रिपोर्ट में महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया है।

ii) वर्ष के दौरान लेखाकरण नीति में कोई महत्वपूर्ण बदलाव नहीं किया है।

iii) हमारी जानकारी में प्रबंधन या कर्मचारी जो कंपनी के आंतरिक नियंत्रण प्रणाली के वित्तीय रिपोर्ट पर महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं, किसी महत्वपूर्ण घोखेबाजी में शामिल नहीं है।

हस्ताक्षर/–
(एन–एन–ठाकुर)
निदेशक (वित्त) एवं सीएफओ
डीआईएन–08176571
नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड

हस्ताक्षर/–
(पी–के–सिन्हा)
अध्यक्ष–सह– प्रबंध निदेशक
डीआईएन–07599781
नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड

दिनांक : 30 मई, 2020

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–X

फॉर्म नं. एमजीटी – 9

वार्षिक रिटर्न का सार

दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष तक

कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 92(3) तथा कंपनी (प्रबंधन व प्रशासन) नियम, 2014 के नियम 12(1) के अनुसरण में

I. पंजीकरण और अन्य ब्यौरा :

1	सीआईएन	यू10102एमपी1985जीओआई003160
2	पंजीकरण तिथि	पंजीकरण संख्या 3160 दिनांक 28.11.1985
3	कंपनी का नाम	नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
4	कंपनी की श्रेणी/उप श्रेणी	श्रेणी – कंपनी अंशो द्वारा लिमिटेड (निजी कंपनी) उप श्रेणी – संघ सरकार की कंपनी
5	पंजीकृत कार्यालय का पता तथा संपर्क ब्यौरा	नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड, सिंगरौली, कोलियरी, पोस्ट–सिंगरौली, जिला–सिंगरौली (म.प्र.)–486889, फोन– 07805–266496
6	क्या कंपनी सूचीबद्ध है	नहीं
7	रजिस्ट्रार व ट्रांस्फर एजेंट का नाम, पता तथा संपर्क ब्यौरा यदि कोई हो	एनएसडीएल डेटाबेस मैनेजमेंट लिमिटेड, चौथी तल्ला, ट्रेड विंग ए विंग, कमला मिल्स कम्पाउण्ड, सेनापति बापत मार्ग, लोअर परेल, मुंबई–400013, दूरभाष– 022–49142594

II. कंपनी की प्रमुख व्यवसायिक गतिविधियां :

कंपनी के कुल टर्न ओवर का 10% या उससे ज्यादा योगदान करने वाली सभी व्यावसायिक गतिविधियां दर्शायी गयी है।

क्र. सं.	मुख्य उत्पाद/सेवाओ का नाम और विवरण	मुख्य उत्पाद/सेवाओ का एनआईसी कोड	कंपनी का कुल कारोबार का प्रतिशत
1	कोयला खनन	051–05101 तथा 051–05102	100.00

III. नियंत्रक, अनुषंगी तथा एस्सोसिएट कंपनियों का विवरण

	कंपनी का नाम और पता	सीआईएन / जीएलएन	नियंत्रक / अनुषंगी / एस्सोसिएट	धारित शेयर का %	लागू अनुभाग
	कोल इंडिया लिमिटेड, कोल भवन, प्रेमिसेस न. 04 एमएआर, प्लॉट न. एएफ–III, एक्शन एरिया–1ए, न्यू टाउन, राजरहाट, कोलकाता–700156	एल23109डबल्यूबी 1973जीओआई 028844	नियंत्रक कंपनी (100% अंश नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के)	100.00	अनुभाग 2(46) कंपनी अधिनियम 2013

IV. शेयर होल्डिंग पैटर्न (कुल इक्विटी प्रतिशत के रूप में इक्विटी शेयर कैपिटल का ब्योरा

i) श्रेणीवार शेयर होल्डिंग

शेयरधारको की श्रेणी		वर्ष की प्रारंभ में शेयरो की संख्या (01–04–2019 को)				वर्ष की अंत में शेयरो की संख्या (31–03–2020 को)				वर्ष के दौरान प्रतिशत परवर्तित
		डीमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	डीमैट	फिजिकल	कुल	कुल शेयरों का प्रतिशत	
ए.	**प्रोत्साहक**									
1)	*भारतीय :*									
ए)	व्यक्तिगत / एचयूएफ	0	3	3	0.00	0	3	3	0.00	0.00
बी)	केंद्रीय सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
सी)	राज्य सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
डी)	निगमित निकाय	6309402	0	6309402	100.00	6309402	0	6309402	100.00	0.00
ई)	बैंक / वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
फ)	कोई अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप कुल (ए) (1)	6309402	3	6309405	100.00	6309402	3	6309405	100.00	0.00
(2)	*विदेशी*									
ए)	अप्रवाशी भारतीय व्यक्तिगत	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00

बी)	अन्य–व्यक्तिगत	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
सी)	निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
डी)	बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ई)	कोई अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप कुल (ए) (2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	प्रोत्साहक की कुल शेयर होल्डिंग (ए) = (ए)(1) (ए)(2)	6309402	3	6309405	100.00	6309402	3	6309405	100.00	0.00
	प्रोत्साहक की कुल शेयर होल्डिंग (ए)	6309402	3	6309405	100.00	6309402	3	6309405	100.00	0.00
बी.	**सार्वजनिक शेयर होल्डिंग**									
(1)	संस्थान									
ए)	म्यूचुअल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
बी)	बैंक/वित्तीय संस्थान	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
सी)	केंद्रीय सरकार	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
डी)	राज्य सरकार (रे)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
ई)	वैंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
फ)	इन्शुरेंस कंपनियाँ	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
जी)	एफआईआई	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
एच)	विदेशी वैंचर कैपिटल फंड	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
आई)	अन्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप–कुल (बी)(1)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(2)	***गैर संस्थाए***									
ए	निगमित निकाय									
(i)	भारतीय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ii)	विदेशी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00

बी)	व्यक्तिगत									
(i)	1 लाख से अधिक नामिनल शेयर कैपिटल रखने वाले शेयरधारक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
(ii)	1 लाख से अधिक नामिनल शेयर कैपिटल रखने वाले शेयरधारक	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
सी)	अन्य (विनिर्दिष्ट)									
	गैर आवासीय भारतीय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	विदेशी निगमित निकाय	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	राष्ट्रीय विदेशी	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	क्लेयरिंग सदस्य	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	ट्रस्ट	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	विदेशी निकाय डी आर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	उप कुल (बी)(2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	पब्लिक की कुल शेयर होल्डिंग (बी) = (बी)(1)+(बी)+(2)	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	जीडीआर इवान एडीआर अभिरंशक द्वारा रखे गए शेयर	0	0	0	0.00	0	0	0	0.00	0.00
	महायोग (ए+बी+सी)	**6309402**	**3**	**6309405**	**100**	**6309402**	**3**	**6309405**	**100.00**	**0.00**

ii) प्रोत्साहक की शेयर होल्डिंग :

क्र.	शेयरधारक का नाम	वर्ष की प्रारम्भ में शेयरहोल्डिंग 01.04.2019 के अनुसार			वर्ष के अंत में शेयरहोल्डिंग 31.0.2020 के अनुसार			वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन % में
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के रेहन/ऋणगस्त % में	शेयरों की संख्या	कुपनी के कुल शेयरों का %	कुल शेयरों के रेहन/ऋणगस्त % में	
1.	**कोल इंडिया लिमिटेड** (03 नामित धारक जिसमें प्रत्येक के पास 01 अंश है)	**6309405**	**100**	**0**	**6309405**	**100**	**0**	**0.00**

iii) प्रोत्साहक के शेयरहोल्डिंग में परिवर्तन (कृपया निर्दिष्ट करे, अगर कोई बदलाव नहीं हुआ है)

क्र. सं.	विवरण	वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग		वर्ष के दौरान शेयरहोल्डिंग (2019–20)	
		शेयरो की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरो की संख्या	कंपनी के कुल शेयरो का %
1.	वर्ष के प्रारंभ में	6309405	100	6309405	100
2.	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी। इस वृद्धि/कमी का कारण बताया जाये (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	–		–	–
3	वर्ष के अन्त में	6309405	100	6309405	100

iv) चोटी के दस शेयरधारक का शेयर होल्डिंग पैटर्न (निदेशकों, प्रोत्साहकों एवं जीडीआरएस एवं एडीआरएस के धारको के अतिरिक्त) :– सभी शेयर प्रोमोटर के पास है–कोल इंडिया लिमिटेड

क्रं	शीर्ष 10 शेयरधारको में से प्रत्येक के लिए	वर्ष के प्रारंभ में शेयरहोल्डिंग 01.04.2019		वर्ष के अन्त में शेयरहोल्डिंग 31.03.2020	
1.	–	–	–	–	–

v) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिको की शेयरहोल्डिंग :

क्रं	प्रत्येक निदेशक तथा प्रबंधकीय कार्मिक की शेयर होल्डिंग	वर्ष की शुरुआत में शेयरहोल्डिंग 01–04–2019		वर्ष के दौरान संचयी शेयरधारिता 2019–20	
		शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %	शेयरों की संख्या	कंपनी के कुल शेयरों का %
1	**श्री पी. के. सिन्हा, सीएमडी– कोल इंडिया के नामिनी शेयर धारक**				
	वर्ष की शुरुआत में	01	0.00	01	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी। इस वृद्धि/कमी का कारण बताया जाये (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के अन्त में	01	0.00	01	0.00

2.	**श्री एन. एन. ठाकुर, निदेशक (वित्त)**				
	वर्ष की शुरुवात में	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी। इस वृद्धि/कमी का कारण बताया जाये (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	–	–	–	–
	वर्ष के अन्त में	0.00	0.00	0.00	0.00
3.	**श्री गुणाधर पाण्डेय, निदेशक (तक./संचा)**				
	वर्ष की शुरुआत में	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी। इस वृद्धि/कमी का कारण बताया जाये (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	–	–	–	–
	वर्ष के अन्त में	0.00	0.00	0.00	0.00
4.	**श्री पी.एम. प्रसाद, निदेशक (तक./यो. एवं परि.) (02.08.2019 तक)**				
	वर्ष की शुरुआत में	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी। इस वृद्धि/कमी का कारण बताया जाये (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	–	–	–	–
	वर्ष के अन्त में	0.00	0.00	0.00	0.00
5.	**श्री एम.के. प्रसाद, निदेशक (तक./यो. एवं परि.) (14.08.2019 से)**				
	वर्ष की शुरुआत में	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी। इस वृद्धि/कमी का कारण बताया जाये (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	–	–	–	–
	वर्ष के अन्त में	0.00	0.00	0.00	0.00

6.	**श्रीमती रीना सिन्हा पूरी, निदेशक (29.11.19 तक)**				
	वर्ष की शुरुआत में	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी। इस वृद्धि/कमी का कारण बताया जाये (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	–	–	–	–
	वर्ष के अन्त में	0.00	0.00	0.00	0.00
7.	**श्री एस.एन. प्रसाद, निदेशक–कोल इंडिया के नामिनी धारक (30.11.2019 तक)**				
	वर्ष की शुरुआत में	1	0.00	1	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी। इस वृद्धि/कमी का कारण बताया जाये (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के अन्त में	1	0.00	1	0.00
8.	**श्री मुकेश चौधरी, निदेशक (29.11.2019 से 17.03.2020 तक)**				
	वर्ष की शुरुआत में	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी। इस वृद्धि/कमी का कारण बताया जाये (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	–	–	–	–
	वर्ष के अन्त में	0.00	0.00	0.00	0.00
9.	**श्री एस.एन. तिवारी, निदेशक (23.12.2019 से)**				
	वर्ष की शुरुआत में	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी। इस वृद्धि/कमी का कारण बताया जाये (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	–	–	–	–
	वर्ष के अन्त में	0.00	0.00	0.00	0.00

10.	**श्री एम. नागाराजू, निदेशक (17.03.2020 से)**				
	वर्ष की शुरुआत में	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी। इस वृद्धि/कमी का कारण बताया जाये (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	–	–	–	–
	वर्ष के अन्त में	0.00	0.00	0.00	0.00
11.	**प्रो. ए.के. अग्रवाल, निदेशक (16.11.2019 तक)**				
	वर्ष की शुरुआत में	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी। इस वृद्धि/कमी का कारण बताया जाये (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	–	–	–	–
	वर्ष के अन्त में	0.00	0.00	0.00	0.00
12.	**श्री एस.के. माहेश्वरी, निदेशक (16.11.2019 तक)**				
	वर्ष की शुरुआत में	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी। इस वृद्धि/कमी का कारण बताया जाये (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	–	–	–	–
	वर्ष के अन्त में	0.00	0.00	0.00	0.00
13.	**डा. एस.एम. झारवाल, निदेशक (01.02.2020 तक)**				
	वर्ष की शुरुआत में	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी। इस वृद्धि/कमी का कारण बताया जाये (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	–	–	–	–
	वर्ष के अन्त में	0.00	0.00	0.00	0.00

14.	**श्रीमती रमीलाबेन बारा, निदेशक 11.03.2020 तक**				
	वर्ष की शुरुआत में	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी। इस वृद्धि/कमी का कारण बताया जाये (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	–	–	–	–
	वर्ष के अन्त में	0.00	0.00	0.00	0.00
15.	**श्री बी.पी. पाण्डेय, निदेशक**				
	वर्ष की शुरुआत में	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी। इस वृद्धि/कमी का कारण बताया जाये(जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)				
	वर्ष के अन्त में	0.00	0.00	0.00	0.00
16.	**श्री हर्ष चौहान, कंपनी सचिव**				
	वर्ष की शुरुआत में	0.00	0.00	0.00	0.00
	वर्ष के दौरान प्रोत्साहक की शेयरहोल्डिंग में तिथिवार वृद्धि/कमी। इस वृद्धि/कमी का कारण बताया जाये (जैसे आवंटन/स्थानांतरण/बोनस/स्वेट इक्विटी आदि)	–	–	–	–
	वर्ष के अन्त में	0.00	0.00	0.00	0.00

V) ऋणभार

बकाया ब्याज जो भुगतान हेतु देय नहीं है, सहित कंपनी का ऋणभार

वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ऋणी	जमा राशियों को छोड़कर प्रतिभूति ऋण	प्रतिभूति ऋण	जमा राशि	कुल ऋण भार
i) मूल राशि	0	0	0	0
ii) देय ब्याज जिसका भुगतान नहीं हुआ	0	0	0	0
iii) प्राप्त हुआ ब्याज जो देय नहीं है	0	0	0	0
कुल (I+II+III)	0	0	0	0

वित्तीय वर्ष के दौरान ऋण भार में परिवर्तन	0	0	0	0
वृद्धि	0	0	0	0
कमी	0	0	0	0
निबल परिवर्तन	0	0	0	0
वित्तीय वर्ष के अंत में ऋणभार	0	0	0	0
i) मूल राशि	0	0	0	0
ii) देय ब्याज जिसका भुगतान नहीं हुआ	0	0	0	0
iii) प्राप्त हुआ ब्याज जो देय नहीं है।	0	0	0	0
कुल (I+II+III)	0	0	0	0

VI) निदेशकों तथा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिकों का पारिश्रमिक

(ए) प्रबंधकीय निदेशक, पूर्णकालिक निदेशकों और प्रबन्धक का परिश्रमिक

(रुपये में) (रुपये में राउंड ऑफ किया)

क्रं. सं	पारिश्रमिक का विवरण	प्रबंधकीय निदेशक / पूर्णकालिक निदेशक / प्रबन्धक / मुख्य प्रबन्धक / केपीडी						कुल राशि
		श्री प्रभात कुमार, सीएमडी, एनसीएल (पूरे वर्ष)	श्री गुणाधर पाण्डेय, निदेशक (तक. / सांचा.) (पूरे वर्ष)	श्री पी.एम. प्रसाद, निदेशक (तक., यो एवं परि.) (02.08.2019 तक)	श्री एन.एन. ठाकुर, निदेशक (वित्त) (पूरे वर्ष)	श्री एम.के. प्रसाद, निदेशक (तक. यो एवं परि.) (14.08.2019) से अतिरिक्त प्रभार)	श्री बिमलेंदु कुमार, निदेशक (कार्मिक) 25.02.2020 से (परिश्रमिक सीसीएल से प्राप्त हुआ)	
1	कुल वेतन							
	(ए) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में उल्लिखित प्रावधान के अनुसार वेतन।	3725581.50	4652712.92	1421111.25	4103942.25	शून्य	272044.64	14175392.56
	(बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) के अंतर्गत परिलब्धियों का मूल्य	1050770.62	413791.59	219202.50	866037.68	–	118381.20	2668183.59
	(सी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन बदले लाभ	–	–	–	–	–	–	–

2.	स्टॉक विकल्प	–	–	–	–	–	–	–
3.	स्वेट इक्विटि	–	–	–	–	–	–	–
4.	कमिशन • मुनाफे का % • अन्य, उल्लेख करें	–	–	–	–	–	–	–
5	अन्य कृपया उल्लेख करें	537275.00	534538.00	204828.00	523890.00	–	70704.40	1871235.40
	कुल (ए)	5313627.12	5601042.51	1845141.75	5493869.93	–	461130.24	18714811.55
	अधिनियम के अनुसार सीलिड्ग	लागू नहीं						

बी. अन्य निदेशकों को पारिश्रमिक :

क्र.सं.	पारिश्रमिक के विवरण	निदेशक के नाम					कुल राशि (रुपये में)
1	स्वतंत्र निदेशक	**प्रो. ए.के. अग्रवाल**	**श्री एस.के. माहेश्वरी**	**डॉ. एस.एम. झारवाल**	**श्रीमती रमीलाबेन बारा**	**श्री बी.पी. पाण्डेय**	
	बोर्ड एवं समिति की बैठको में उपस्थित रहने के लिए फीस	480000.00	480000.00	620000.00	460000.00	500000.00	2540000.00
	कमिशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य, कृपया उल्लेख करे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल(1)	480000.00	480000.00	620000.00	460000.00	500000.00	2540000.00
2	अन्य गैर अधिकारी निदेशकगण	**श्रीमती रीना सिन्हा पूरी (29.11.19 तक)**	**श्री मुकेश चौधरी (29.11.19 से 17.03.20 तक)**	**श्री एम. नागाराजू 17.03.2020 से**	**श्री एस.एन. प्रसाद 30.11.2019 तक**	**श्री एस.एन. तिवारी 23.12.2019 से**	**कुल राशि (रुपये में)**
	बोर्ड एवं समिति की बैठको में उपस्थित रहने के लिए फीस	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कमिशन	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	अन्य, कृपया उल्लेख करे	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (2)	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य	शून्य
	कुल (बी)=(1+2)						
	अधिनियम के अनुसार सीलिड्ग	लागू नहीं					

सी. प्रबंध निदेशक/प्रबंधन/पूर्णकालिक निदेशक के अलावा मुख्य प्रबंधकीय कार्मिको का पारिश्रमिक

क्र.सं	पारिश्रमिक का विवरण	कुल राशि		
		श्री एन.एन. ठाकुर (सीएफओ)	श्री हर्ष चौहान कंपनी सचिव	कुल
1	कुल वेतन	मुख्य वित्तीय अधिकारी के पद हेतु किसी अतिरिक्त पारिश्रमिक का भुगतान कंपनी द्वारा नहीं किया गया।		
	(ए) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(1) में उल्लेखित प्रावधान के अनुसार		1245036.80	1245036.80
	(बी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(2) में उल्लिखित के अनुसार वेतन		86105.03	86105.03
	(सी) आयकर अधिनियम 1961 की धारा 17(3) के अंतर्गत वेतन बदले लाभ			
2	स्टॉक विकल्प		–	–
3	स्वेट ऑप्शन		–	–
4	कमिशन • मुनाफे का % • अन्य, उल्लेख करें		–	–
5	अन्य कृपया उल्लेख करें (सेवानिवृत्त के बाद के लाभ – पीएफ या अन्य फंड में भुगतान		170166.00	170166.00
	कुल	–	**1501307.83**	**1501307.83**

VII. अर्थदंड/दंड/अपराधों का संयोजन :

प्रकार	कंपनी अधिनियम की धारा	संक्षिप्त विवरण	लगाए गए अर्थदण्ड/दंड/फीस संयोजन का ब्योरा	प्राधिकारी (आरडी/एनसीएलटी/न्यायालय	यदि कोई अपील की हो तो उसका ब्योरा दें
ए. कंपनी					
अर्थदण्ड	कोई नहीं				
दंड					
अपराधों का संयोजन					
बी. निदेशकगण					
अर्थदण्ड	कोई नहीं				
दंड					
अपराधों का संयोजन					
सी.अन्य दोषी अधिकारी					
अर्थदण्ड	कोई नहीं				
दंड					
अपराधों का संयोजन					

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–XI

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सदस्यों को वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा पर रिपोर्ट

राय

हमने नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ("कंपनी") के वित्तीय विवरणों, जिसमें 31 मार्च 2020 तक तुलन पत्र और लाभ और हानि का विवरण, अन्य व्यापक आय सहित, इक्विटी में बदलाव का विवरण और नकदी प्रवाह का विवरण, वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी, जिसमें महत्वपूर्ण लेखांकन नीतियों और अन्य व्याख्यात्मक जानकारी का सारांश शामिल है, जिसमें उस वर्ष के लिए रिटर्न शामिल हैं, जो कि उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश में स्थित कंपनी की सात परियोजनाओं के शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा किया गया है।

हमारी राय में और हमारी सबसे अच्छी जानकारी के अनुसार और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार, उपरोक्त वित्तीय विवरण अधिनियम द्वारा आवश्यक जानकारी को आवश्यक तरीके से देते हैं और भारतीय लेखा मानकों के अनुरूप एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं। अधिनियम की धारा 133 के तहत, कंपनी (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015, (जैसा कि ''इंडस्ट्रीज़ एएस'') और अन्य लेखा सिद्धांतों के साथ पढ़ा जाता है, जो आमतौर पर भारत में कंपनी के मामलों की स्थिति के अनुसार स्वीकार किए जाते हैं। 31 मार्च 2020, और लाभ, इक्विटी में परिवर्तन और वर्ष के लिए नकदी प्रवाह उस तारीख को समाप्त हो गया।

राय के लिए आधार

हमने कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (10) के तहत निर्दिष्ट मानकों (ऑडिट) पर मानकों के अनुसार अपना अंकेक्षण किया। हमारी रिपोर्ट के वित्तीय विवरण अनुभाग की लेखापरीक्षा के लिए उन मानकों के तहत हमारी जिम्मेदारियों को ऑडिटर की जिम्मेदारियों में आगे वर्णित किया गया है। कंपनी के अधिनियम, 2013 और नियमों के प्रावधानों के तहत वित्तीय विवरणों की हमारी लेखापरीक्षा के लिए प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ भारत के चार्टर्ड एकाउंटेंट्स संस्थान द्वारा जारी आचार संहिता के अनुसार हम कंपनी से स्वतंत्र हैं और हमने इन आवश्यकताओं और आचार संहिता के अनुसार अपनी अन्य नैतिक जिम्मेदारियों को पूरा किया है।

हम मानते हैं कि हमने जो ऑडिट साक्ष्य प्राप्त किए हैं, वे हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उपयुक्त हैं।

प्रमुख लेखा परीक्षा मामले

मुख्य लेखा परीक्षा मामले वे मामले हैं, जो हमारे पेशेवर निर्णय में, वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट में सबसे महत्वपूर्ण थे।

इन मामलों को समग्र रूप से वित्तीय विवरणों के हमारे ऑडिट के संदर्भ में संबोधित किया गया था, और हमारी राय बनाने में, और हम इन मामलों पर एक अलग राय प्रदान नहीं करते हैं।

हमने अपनी रिपोर्ट में सूचित किए जाने वाले प्रमुख लेखापरीक्षा मामलों के नीचे वर्णित मामलों का निर्धारण किया है –

प्रमुख लेखा सामग्री	लेखा परीक्षा परिणाम
अनिश्चित कर स्थिति का मूल्यांकन 1. कंपनी के पास कंपनी के खिलाफ उठाई गई मांग के लिए सामग्री अनिश्चित विवादित आयकर और पुराने बिक्री कर मामले हैं, जिसमें इन विवादित मामलों के संभावित परिणाम का निर्धारण करने के लिए महत्वपूर्ण निर्णय शामिल है। कृपया टिप्पणी 38 (4) (1) देखें।	**मूल लेखा परीक्षा प्रक्रिया** 1. मूल्यांकन आदेश के साथ कंपनी के खिलाफ उठाए गए विवादित मांग के विवरण को प्राप्त किया और सत्यापित किया। हमने विवादित मांग के संबंध में उपयुक्त अधिकारियों के साथ कंपनी द्वारा दायर अपील के संबंध में विभिन्न अपील पत्रों का सत्यापन किया।
2. लेखा अधिभार 2. ओबीआर गणना एक तकनीकी मूल्यांकन है, तकनीकी डेटा का उपयोग ओबीआर लेखांकन के मामले में एडवांस स्ट्रिपिंग, कोल एक्सपोज़र, ओबीआर, करंट और एवरेज रेशियो आदि के संबंध में किया जाता है, जिसमें ओबीआर के औसत अनुपात और वर्तमान अनुपात के बीच पर्याप्त भिन्नता के लिए समायोजन सहित। **(महत्वपूर्ण लेखा नीतियां 2.19 देखें।)**	**2. मूल लेखा परीक्षा प्रक्रिया** 2. अधिभार लेखांकन का विस्तृत विवरण और गणना पत्रक प्राप्त सत्यापित किया।

वित्तीय विवरण और लेखा परीक्षक की रिपोर्ट के अलावा अन्य जानकारी

कंपनी का निदेशक मंडल अन्य सूचनाओं की तैयारी के लिए जिम्मेदार है। अन्य जानकारी में निदेशक की रिपोर्ट में शामिल जानकारी शामिल है जिसमें की निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक सीएसआर रिपोर्ट, निगमित प्रशासन और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट पर रिपोर्ट एवं अनुसंधान एवं विकास शामिल है, लेकिन इसमें वित्तीय विवरण और हमारे लेखा परीक्षक की रिपोर्ट शामिल नहीं है। निदेशक की रिपोर्ट का अनुलग्नक, सीएसआर रिपोर्ट, कॉर्पोरेट प्रशासन और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट पर रिपोर्ट एवं अनुसंधान विकास, इस रिपोर्ट की तारीख तक हमें उपलब्ध नहीं कराई गई है और हमें इस लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट बाद हमारे लिए उपलब्ध होने की उम्मीद है।

इस संबंध में वित्तीय वक्तव्यों पर हमारी राय अन्य जानकारी को कवर नहीं करती है और हम आश्वासन निष्कर्ष के किसी भी रूप को व्यक्त नहीं करते हैं।

वित्तीय विवरणों के ऑडिट के संबंध में, हमारी जिम्मेदारी दूसरे को पढ़ने की है, ऊपर दी गई जानकारी हमे उपलब्ध होने पर और ऐसा करने पर, यदि अन्य जानकारियॉ वित्तीय विवरणो के साथ भौतिक रुप से असंगत होती है, या हमारे ऑडिट के दौरान प्राप्त हमारे ज्ञान या अन्यथा भौतिक रूप से गलत प्रतीत होती है।

जब हमें निदेशक की रिपोर्ट को प्रदान किया जायेगा है और हम निदेशक की रिपोर्ट को अनुलग्नक सहित निदेशक की रिपोर्ट, सीएसआर रिपोर्ट, आर एंड डी और कॉर्पोरेट प्रशासन और प्रबंधन चर्चा और विश्लेषण रिपोर्ट पढेंगे और अगर हम निष्कर्ष निकालते हैं कि इसमें कोई सामग्री गलत है या यदि हमें ऐसा लगे तो उस मामले को शासन के समक्ष प्रस्तुत करेंगे तो हम इस मामले में और लागू नियम कानून के तहत कार्रवाई करेंगे ।

वित्तीय विवरणों के लिए प्रबंधन की जिम्मेदारी

कंपनी का निदेशक मंडल कंपनी अधिनियम, 2013 ("अधिनियम") की धारा 134 (5) में वर्णित मामलों के लिए जिम्मेदार है, इन वित्तीय वक्तव्यों की तैयारी के संबंध में जो वित्तीय स्थिति का सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं, वित्तीय प्रदर्शन, कंपनी के इक्विटी और नकदी प्रवाह में भारतीय लेखांकन मानक और अन्य लेखा सिद्धांतों के अनुसार आम तौर पर भारत में स्वीकार किए जाते हैं। इस जिम्मेदारी में कंपनी की संपत्ति की सुरक्षा के लिए और धोखाधड़ी और अन्य अनियमितताओं को रोकने और पता लगाने के लिए अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार पर्याप्त लेखांकन रिकॉर्ड का रखरखाव भी शामिल है; उचित लेखांकन नीतियों का चयन और इस्तेमाल; निर्णय और प्राक्कलन जो उचित और विवेकपूर्ण हैं; पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का डिजाइन, कार्यान्वयन और रखरखाव, जो प्रभावी तरीके से लेखांकन रिकॉर्ड्स की सटीकता और पूर्णता सुनिश्चित करने के लिए काम कर रहे थे, जो वित्तीय विवरण की तैयारी और प्रस्तुति के लिए प्रासंगिक है जो एक सही और निष्पक्ष दृष्टिकोण देते हैं और जो चाहे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण सामग्री के दुरुपयोग से मुक्त होते हैं ।

वित्तीय विवरणों को तैयार करने में प्रबंधन कंपनी की क्षमता का आकलन करने के लिए चालू समुत्थान प्रकटीकरण के रूप में जारी रखने के लिए ज़िम्मेदार होता है, जैसा कि लागू होने से संबंधित मामलों और लेखांकन के चिंता के आधार का उपयोग करते हुए जब तक प्रबंधन या तो कंपनी को बंद करने या बंद करने का इरादा रखता है या संचालन या ऐसा करने के लिए कोई वास्तविक विकल्प नहीं है। निदेशक मंडल कंपनी की वित्तीय रिपोर्टिंग प्रक्रिया की देखरेख के लिए भी जिम्मेदार हैं।

वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा के लिए लेखा परीक्षक की जिम्मेदारियां

हमारा उद्देश्य इस बारे में उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या संपूर्ण रूप से वित्तीय विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण भौतिक दुर्व्यवहार से मुक्त हैं और एक ऐसा अंकेक्षण रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारी राय भी शामिल है। उचित आश्वासन उच्च स्तर का आश्वासन है, लेकिन यह गारंटी नहीं है कि एसएएस के अनुसार किया गया ऑडिट हमेशा मौजूद होने पर किसी सामग्री के गलत होने का पता लगाएगा। अशुद्ध विवरण धोखाधड़ी या त्रुटि से उत्पन्न हो सकती हैं और माना जाता है कि सामग्री, यदि व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर, तो इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने के लिए यथोचित अपेक्षा की जा सकती है।

एसएएस के अनुसार एक ऑडिट के भाग के रूप में, हम पेशेवर निर्णय लेते हैं और पूरे ऑडिट में पेशेवर संदेह को बनाए रखते हैं। हम भी :

- वित्तीय विवरणों की सामग्री के गलत विवरण के जोखिमों को पहचानतें और उनका आकलन करते, चाहे वे धोखाधड़ी या त्रुटि के कारण हों, उन जोखिमों के लिए ऑडिट प्रक्रियाओं को डिजाइन और निष्पादित करते है और ऑडिट साक्ष्य प्राप्त करते है जो हमारी राय के लिए आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त और उचित हो। धोखाधड़ी के परिणामस्वरूप होने वाली सामग्री के गलत विवरण का पता नहीं लगाने का जोखिम त्रुटि के परिणामस्वरूप होने वाले एक से अधिक है, क्योंकि धोखाधड़ी में मिलीभगत, जालसाजी, जानबूझकर चूक, गलत बयानी या आंतरिक नियंत्रण की अधिभावी शामिल हो सकती है।

- लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं को डिजाइन करने के लिए ऑडिट के लिए प्रासंगिक आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की समझ प्राप्त करते हैं जो परिस्थितियों में उपयुक्त हैं। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (3) (i) के तहत, हम इस बात पर अपनी राय व्यक्त करने के लिए भी जिम्मेदार हैं कि क्या कंपनी के पास पर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और इस तरह के नियंत्रणों का संचालन प्रभावशीलता है।

- इस्तेमाल की गई लेखांकन नीतियों की उपयुक्तता और प्रबंधन द्वारा किए गए लेखांकन अनुमानों और संबंधित खुलासों की तर्कशीलता का मूल्यांकन करते हैं ।

- लेखांकन के चालू समुत्थान के आधार के प्रबंधन के उपयोग की उपयुक्तता पर निष्कर्ष निकाला है, और प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य के आधार पर, क्या एक घटना या शर्तों से संबंधित सामग्री की अनिश्चितता मौजूद है जो कंपनी की क्षमता पर महत्वपूर्ण संदेह डाल सकती है या यदि हम निष्कर्ष निकालते हैं कि एक महत्वपूर्ण अनिश्चितता मौजूद है या वित्तीय विवरणों में संबंधित खुलासे पर ध्यान आकर्षित करने की आवश्यकता है या, यदि इस तरह के खुलासे अपर्याप्त हैं तो हम अपनी लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में ध्यान आकर्षित करेंगे। हमारी आंकेक्षण रिपोर्ट की निष्कर्षता अंकेक्षण रिपोर्ट की तारीख तक प्राप्त अंकेक्षण साक्ष्य पर आधारित है। हलांकि, भविष्य में होने वाली घटनाओं या स्थितियों से कंपनी को चालू समुत्थान का विषय बना रह सकता है।

- खुलासे सहित वित्तीय वक्तव्यों की समग्र प्रस्तुति, संरचना और सामग्री का मूल्यांकन करें, और क्या वित्तीय विवरण अंतर्निहित लेनदेन और घटनाओं को इस तरह से दर्शाते हैं जो निष्पक्ष प्रस्तुति प्राप्त करते हैं।

वित्तीय वक्तव्यों में व्यक्तिगत रूप से या कुल मिलाकर गलत बयानों का विवरण है, जिससे यह संभावना बनती है कि वित्तीय विवरणों के एक यथोचित जानकार उपयोगकर्ता के आर्थिक निर्णय प्रभावित हो सकते हैं। हम मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हुए (i) हमारे ऑडिट कार्य के दायरे की योजना बनाने और हमारे काम के परिणामों के मूल्यांकन में मात्रात्मक भौतिकता और गुणात्मक कारकों पर विचार करते हैं; और (ii) वित्तीय वक्तव्यों में किसी भी पहचान किए गए गलत विवरण के प्रभाव का मूल्यांकन करने के लिए।

हम अन्य मामलों में, अंकेक्षण की योजनाबद्ध गुंजाइश और समय और महत्वपूर्ण ऑडिट निष्कर्षों के साथ, आंतरिक नियंत्रण में किसी भी महत्वपूर्ण कमियों को शामिल करते हैं, जिसे हम अपने ऑडिट के दौरान पहचानते हैं को शासन के साथ संवाद करेंगे।

हम उन लोगों को भी एक बयान के साथ शासन प्रदान करते हैं जिन्हें हमने स्वतंत्रता के संबंध में प्रासंगिक नैतिक आवश्यकताओं के साथ अनुपालन किया है, और उन सभी रिश्तों और अन्य मामलों के साथ संवाद करने के लिए जिन्हें हमारी स्वतंत्रता पर सहन करने के लिए उचित माना जा सकता है, और जहां लागू हो, संबंधित सुरक्षा उपाय।

शासन के साथ आरोपित मामलों से संप्रेषित मामलों से, हम उन मामलों को निर्धारित करते हैं जो वर्तमान अवधि के वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्षा में सबसे अधिक महत्व रखते थे और इसलिए वे प्रमुख लेखापरीक्षा मामले हैं। हम अपने अंकेक्षण की रिपोर्ट में इन मामलों का वर्णन करते हैं जब तक कि कानून या विनियमन इस मामले के बारे में सार्वजनिक प्रकटीकरण नहीं करता है या जब अत्यंत दुर्लभ परिस्थितियों में, हम यह निर्धारित करते हैं कि हमारी रिपोर्ट में किसी मामले का संचार नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि ऐसा करने के प्रतिकूल परिणामों के लिए यथोचित उम्मीद की जाएगी। इस तरह के संचार के सार्वजनिक हित लाभ को आगे बढ़ाने के लिए थे।

मुख्य मुद्दे

हम निम्नलिखित बातों पर ध्यान आकर्षित करते हैं :

- दीर्घावधि एवं अग्रिमों अंतर्गत गैर चालू परिसम्पत्तियों, व्यापार प्राप्य एवं अन्य चालूदेयताओं के शेषों के अधिकांश प्रकरणों की पुष्टि की गई है। ऐसे शेषों का पुष्टि/सुलह यदि कोई निश्चेय नहीं है, का परिणामी प्रभाव है।

- हम ध्यान आकर्षित करते हैं कि नोट संख्या 38(4)(i) आकस्मिक देयता के बारे में (कंपनी ऋण के रूप में स्वीकार नहीं किए जाने के खिलाफ दावा) कुल राशि में रु. 3513.07 करोड़ रुपये आयकर विवादित विवाद। इस राशि में मूलधन और ब्याज की मांग शामिल है। बैलेंस शीट की मांग के नोटिस की तारीख से अवधि के लिए ब्याज की गणना न तो की गई है और न ही आकस्मिक देयता में शामिल है।

- हम परित्यक्त गोरबी माइंस के संबंध में नोट संख्या 38 (6)(के) पर ध्यान आकर्षित करते हैं: गोरबी खानों को 1998–99 में सालों पहले बंद कर दिया गया था। कोयला मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार परिपत्र सं. 55011/(1)/2009–सीपीएएम दिनांक 18 फरवरी 2011, खदान बंद करने की योजना की आवश्यकता और एस्क्रो खाते में जमा की जाने वाली राशि, मौजूदा और परिचालन खानों पर लागू होती है। हालाँकि प्रावधान रुपये की धुन के लिए मौजूद है। गोरबी खदान के लिए 23 करोड़। यह मामला सीएमपीडीआईएल को भेजा गया था, जिन्होंने अनुमानित लागत को 33.44 करोड़ रुपये में संशोधित किया है जो गोरबी खानों के लिए खदान बंद करने के तहत प्रावधान होना चाहिए। 23 करोड़ रुपये की उपरोक्त राशि में 22.43 करोड़ रुपये की लागत का एसिड पिट जल प्रबंधन शामिल है, जो एनटीपीसी द्वारा एमओयू दिनांक 3 जनवरी, 2019 के अनुसार एनसीएल और एनटीपीसी के बीच में प्रवेश किया जाएगा और इसलिए इसके लिए आवंटित निधि नहीं है अधिक एनसीएल द्वारा प्रदान किए जाने की आवश्यकता है। हालांकि गोरबी खानों की खदान बंद करने की गतिविधियों को पूरा करने के लिए 0.82 करोड़ रुपये की शेष राशि को बरकरार रखने की सिफारिश की गई है। अंतिम समीक्षा और पुष्टि के लिए सीएमपीडीआईएल के साथ मामला उठाया जाएगा। सीएमपीडीआईएल से निकासी के लंबित होने तक, यथास्थिति बनाए रखी जा रही है।

- नोट नं वित्तीय विवरणों को 38 (4) (ई) (ii), जो कंपनी के संचालन और प्रबंधन द्वारा मूल्यांकन के रूप में कोविड –19 महामारी के प्रभाव और अनिश्चितता का वर्णन करता है।

कोविड–19 लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण, हमने इन प्रतिबंधों के कारण ऑनलाइन ऑडिट किया; प्रबंधन इस उद्देश्य के लिए नियुक्त चार्टर्ड एकाउंटेंट्स की फर्मों द्वारा वर्ष के अंत तक वस्तु सूची और अचल संपत्तियों का भौतिक सत्यापन नहीं कर सका। इसलिए, हम वर्ष के अंत में सूची सूची/अचल संपत्तियों की मौजूदगी और स्थिति पर समाधान पाने के लिए संबंधित वैकल्पिक लेखा परीक्षा प्रक्रियाओं पर भरोसा करते हैं।

उपरोक्त मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य मामले

ए) हमने निदेशक मंडल द्वारा अपनाए गए वित्तीय विवरणों पर कानपुर में 30.05.2020 (मूल रिपोर्ट) दिनांकित एक ऑडिट रिपोर्ट जारी की थी। कंपनी अधिनियम, 2013 की धारा 143 (6) (ए) के तहत भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों के अनुसार, हमने उक्त ऑडिट रिपोर्ट को संशोधित किया है। यह ऑडिट रिपोर्ट उस मूल रिपोर्ट को तोड़ देती है जिसे भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक की टिप्पणियों पर विचार करने के लिए उपयुक्त रूप से संशोधित किया गया है, जैसा कि नीचे कहा गया है। मूल रिपोर्ट की तारीख के बाद की घटनाओं पर हमारी ऑडिट प्रक्रिया केवल इस पैराग्राफ में वर्णित वस्तुओं के लिए किए गए संशोधनों तक ही सीमित है।

बी) हमने कंपनी के वित्तीय वक्तव्यों में शामिल सात परियोजनाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं का लेखा–जोखा नहीं किया है जिनकी वित्तीय विवरणी/वित्तीय जानकारी 31 मार्च 2020 तक कुल 10,903.04 करोड़ रुपये की संपत्ति और रुपये के कुल राजस्व को दर्शाती है। वर्ष के लिए 10,283.12 करोड़ रुपये उस तारीख को समाप्त हो गए जैसा कि इन परियोजनाओं के वित्तीय विवरणों/सूचनाओं में माना गया है जिनकी लेखा परीक्षकों द्वारा रिपोर्ट की गई है जिनकी रिपोर्ट हमें प्रदान की गई है

और अब तक की राय और मात्राओं से संबंधित है। परियोजनाओं के संबंध में शामिल पूरी तरह से इस तरह के शाखा लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट पर आधारित है।

सी) भारत के नियंत्रक और महालेखा परीक्षक के कार्यालय के अनुपूरक अंकेक्षण पर, यह देखा गया है कि :–

क) ध्यान आकर्षित करना है कि, वित्तीय विवरण के नोट नंबर 36 'आयकर व्यय" एवं इंड एएस12 'आयकर' के संशोधन एवं अपेंडिक्स C से इंड 12 के रूप में आयकर के अनिश्चितताओं के लिए लेखांकन को स्पष्ट करता है। लाभ / (कर नुकसान), कर आधार, अप्रयुक्त कर हानि, अप्रयुक्त कर क्रेडिट और कर दरों के निर्धारण पर व्याख्या की जानी है, जब इंडस्ट्रीज 12 के तहत आयकर उपचार पर अनिश्चितता है। सूचना के आधार पर और उक्त मानक के अनुपालन में हमारे पास उपलब्ध स्पष्टीकरण, यह बताना है कि, 12 के रूप में परिशिष्ट सी को इंड–12 को अपनाने से कंपनी के वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

ख) पैरा नं 2.23.1.2 पर ध्यान आकर्षित करना, जो महत्वपूर्ण लेखा नीतियों की 'भौतिकता' में, यह बताना है कि, प्रबंधन ने भौतिकता की अवधारणा के आधार को बदल दिया है जहां 'मौजूदा समय से पहले की गई त्रुटियों, चूक को वर्तमान अवधि के दौरान सारहीन और समायोजित माना जाता है।' यदि कुल मिलाकर ऐसी सभी त्रुटियां और चूक कंपनी के अंतिम ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार परिचालन से कुल राजस्व का 1% (वैधानिक लेवीज से अधिक) नहीं है"; पिछले वर्ष की लेखा नीति के अनुसार 'सीआईएल समेकित के अंतिम लेखा परीक्षित वित्तीय विवरण के अनुसार परिचालन से कुल राजस्व का 0.50% (वैधानिक उत्तोलन का शुद्ध)।' इंडस्ट्रीज AS–8 के अनुपालन में – 'लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों में परिवर्तन', के संबंध में यह ज्ञात हो कि ऐसी संशोधित नीति के कारण, कंपनी के वित्तीय विवरण पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है।

इन मामलों के संबंध में हमारी राय संशोधित नहीं है।

अन्य कानूनी और विनियामक आवश्यकताओं पर रिपोर्ट –

1. जैसे की अधिनियम 2013 धारा 143 की उपधारा 11 के अनुसार केन्द्रीय सरकार द्वारा जारी कंपनी (अंकेक्षकों की रिपोर्ट) आदेश 2016 ('आदेश') में अपेक्षित है। हम अनुलग्नक 'ए' में आदेश 1 (बी) के पैरा 3 एवं 4 विनिर्दिष्ट मामलों पर दे रहे हैं।

2. जैसा कि कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(5) के अंतर्गत अपेक्षित है। हम अनुलग्नक 'सी' और 'डी' में लेखापरीक्षक के संबंध में सुझाव दिए गए पद्धति का अनुपालन करने, उस पर की गई कार्रवाई तथा उसका कंपनी के लेखाओं एवं वित्तीय विवरण पर असर के बाद भारत के नियंत्रक और महालोखा परीक्षक द्वारा जारी निर्देशों पर विवरण दे रहे हैं।

3. जैसा कि अधिनियम की धारा 173(3) में अपेक्षित है, हम रिपोर्ट करते हैं कि –

ए. हमने सभी सूचना और स्पष्टकरण मांगे हैं तथा उसे प्राप्त किया है जो कि हमारे जानकारी एवं विश्वास के अनसार हमारे लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए आवश्यक है।

बी. हमारी राय में जैसा कि कानून द्वारा अपेक्षित है। कंपनी द्वारा लेखा की उचित पुस्तकें रखी गई जैसा कि इन पुस्तकों की हमारी जाँच से प्रतीत होता है और हमारे द्वारा नहीं किए गए परियोजनाओं / इकाईयों से हमारी लेखा परीक्षा के प्रयोजनों के लिए पर्याप्त होने वाले उचित रिटर्न प्राप्त किए हैं।

सी. इस रिपोर्ट उल्लिखित तुलनपत्र तथा लाभ–हानि विवरण और कैश फ्लो का विवरण लेखा की पुस्तकों के अनुरूप है।

डी. शाखा लेखा परीक्षकों द्वारा कंपनीज़ अधिनियम 2013 की धारा 173(3) के अंतर्गत अंकेक्षित कंपनी की परियोजनाओं / इकाईयों के लेखाओं पर रिपोर्ट हमें भेज दी गई है और इस रिपोर्ट को तैयार करने में ऊपर हमारे द्वारा उचित कार्रवाई की गई है।

ई. हमारी राय में भारतीय लेखा मानक के साथ पठित अधिनियम की धारा 133 के अंतर्गत विनिर्दिष्ट लेखा उस मानकों का अनुपालन उपरोक्त वित्तीय विवरण में करते हैं।

एफ. 31 मार्च 2020 तक निदेशकों से प्राप्त लिखित अभ्यवेदन के आधार पर, जिसे निदेशक मंडल द्वारा रिकार्ड किया गया, कोई भी निदेशक 31 मार्च 2020 तक अधिनियम की धारा 164 (2) के अनुसार निदेशक के रूप में नियुक्त होने से डिसक्वालिफाइड नहीं हो सका।

जी. लेखा परीक्षक की रिपोर्ट में शामिल अन्य मामलों के संबंध में कंपनी के वित्तीय रिपोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के पर्याप्तता के संबंध में एवं ऐसे नियंत्रणों को प्रभावशाली परिचालन का हमारी अलग रिपोर्ट ''अनुलग्न बी'' का संदर्भ लें।

1. कंपनी ने वित्तीय स्थिति पर लम्बित पर मामलों में इसके प्रभाव को प्रकट किया गया है जो वित्तीय विवरण की टिप्पणी संख्या 38(4)(1) में दिया गया है।

2. कृत्रिम (डेरीवेटिव) संविदाओं सहित कंपनी में कोई दीर्घकालीक संविदाएँ नहीं है जिससे निकट भविष्य में सामग्री को कोई क्षति हो। वहाँ ऐसी केई राशि नहीं है जिसका कंपनी द्वारा निदेशकों की शिक्षा तथा संरक्षण निधि में हस्तांतरण आवश्यक हो।

3. ऐसी काई राशि नहीं है जिसका कंपनी के द्वारा इन्वेस्टर शिक्षा एवं संरक्षण का हस्तांतरण आवश्यक हो।

कृते **जे.एन. शर्मा एंड कंपनी**
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फ़र्म पंजीकृत संख्या – 000833सी

ह./–
(ए.के. वर्मा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या – 075755

स्थान : कानपुर

दिनांक : 04.08.2020

संलग्नक 'ए'

स्वतन्त्र लेखा परीक्षकों के प्रतिवेदनों का अनुलग्नक

संदर्भ : नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड

31 मार्च 2020 नार्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड के संबंध में हमारी सम संख्यक दिनांक की रिपार्ट विधिक एवं विनियामक आवश्यकताओं के अनुच्छेद में विनिर्दिष्ट

I.(ए) कंपनी के पास सामान्यतया अचल परिसम्पत्तियों का परिणात्मक विवरण एवं उनकी अवस्थिति साहित प्रदर्शितपूर्ण विवरण का समुचित रिकार्ड उपलब्ध है। तथापि फर्नीचर एवं फिक्चर्स, लाइट फिटिंग एवं कार्यालय के उपकरण के विषय में इसे अचल परिसम्पत्ति खाता में विशेष रूप से सम्बंद्ध नहीं किया गया है।

(बी) कोविड–19 लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण, अचल परिसम्पत्तियों का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

(सी) कोल बियरिंग एरिया (अधिग्रहण एवं विकास) अधिनियम 1957 के अंतर्गत कोयला मंत्रालय द्वारा जारी अधिसूचना की शर्तों में कंपनी द्वारा पट्टे पर दी गई भूमि का अधिग्रहण किया गया है। कंपनी ने कंपनी के नाम पर अचल समर्थकों के शीर्षक कार्यों को नहीं रख रही है, हालांकि यह समझाया गया है कि सरकार के भूमि अभिलेख में कंपनी के नाम पर प्रक्षेपण का उत्परिवर्तन किया गया है। कंपनी ने एनटीपीसी को लीज पर लीजहोल्ड का कुछ हिस्सा दिया है लेकिन एनटीपीसी को पट्टे पर दी गई भूमि का विवरण हमें उपलब्ध नहीं कराया गया है। नोट नंबर 38 (6) (के) देखें कंपनी फ्रीहोल्ड के टाइटल डीड्स को नहीं रखी है।

II. कोविड –19 लॉकडाउन प्रतिबंधों के कारण, वर्ष के दौरान वस्तु सूची का कोई भौतिक सत्यापन नहीं किया गया था।

III. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टकरण के अनुसार अधिनियम की धारा 189 के अंतर्गत रखे जाने वाले रजिस्टर में दर्ज कंपनियों, फर्म या अन्य पार्टियों को कोई सुरक्षित अथवा असुरक्षित ऋण स्वीकृत नहीं किया गया है। इसलिए कंपनीज् (लेखा परीक्षकों का प्रतिवेदन) आदेश, 2016 के अनुच्छेद (iii) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

IV. हमारी राय एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टकरण के अनुसार कंपनी द्वारा ऋण एवं किए गए विनिदेश के संबंध में अधिनियम की धारा 185 एवं 186 के प्रावधानों के अनुपालन किया गया है।

V. हमारी राय एवं हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार अधिनियम की धारा 73 से 76 अथवा कोई अन्य संबंधित प्रावधान के अंदर कंपनी ने कोई जमा स्वीकार्य नहीं किया है इसलिए कंपनीज़ (लेखापरीक्षकों के प्रतिवेदन) आदेश 2016 के अनुच्छेद V के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

VI. अधिनियम की धारा 148 की उपधारा (I) अंतर्गत लागत रिकार्ड के रख–रखाव के लिए केन्द्र सरकार द्वारा बनाए गए नियमों के अनुसरण में कंपनी द्वारा रखे गए लेखा का हमने मोटे तौर पर समीक्षा की है एवं हमारी राय है कि प्रत्यक्ष निर्धारित लेखा एवं रिकार्डर रखा गया है।

VII. सांविधिक एवं अन्य बकाया के संबंध में हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टकरण के अनुसार :

ए) उपयुक्त प्राधिकारियों सहित कंपनी में लागू देयों एवं कपनी सामान्यतया नियमित जमा में अविविवादित सांविधिक देयों एवं शामिल भविष्य निधि, आयकर, विक्रयकर, सेवाकर, कस्टमकर, आवकारीकर, मूल्यवर्धितकर, शेष एवं अन्य सांविधिक देयों उपयुक्त प्राधिकारी सहित कंपनी में लागू है, जैसा कि हमें सूचित किया गया है कि कंपनी कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम के प्रावधान लागू नहीं है।

हमें दी गई जानकारी एवं स्पष्टीकरण के अनुसार जो 31 मार्च 2020 तक एरियर के रूप में देय तिथि से छः माह से अधिक अवधि के लिए भविष्य निधि, आयकर, विक्रीकर, सेवाकर, कस्टम ड्यूटी, आबकारी ड्यूटी, मूल्य वर्धित कर, शेष एवं अन्य सांविधिक देयों से संबंधित अविविादित देय राशि नहीं है।

बी) कंपनी के रिकार्ड के अनुसार आयकर, विक्रयकर, सेवाकर, कस्टम ड्यूटी, आबकारी ड्यूटी, मूल्य वर्धितकर एवं शेष जिनमें कोई विवाद है, को जमा नहीं किया गया जो निम्नानुसार है :–

संविधित का नाम	देयों का प्रकार	कुल विवादित राशि	राशि से संबंधित अवधि	फार्म जहाँ डिस्पपुट पेंडिंग है
आयकर अधिनियम	आयकर	34,91,65,02,535.00	2012–13 से 2016–17	आयकर के उपायुक्त (टीडीएस)
		1,34,04,751.00	2018–19	आयकर के उपायुक्त (अपील), जबलपुर
		89,73,700.00	2014–15	आयकर अपीलीय न्यायाधिकरण
		19,17,43,033.00	विभिन्न वर्ष 1990–91 से 2004–05	उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश
केंद्रीय उत्पाद शुल्क अधिनियम 1994	एक्साइज ड्यूटी	5,32,31,96,000.00	विभिन्न वर्ष 2010–11 से 2014–15	सीईएसटीएटी, नई दिल्ली
वित्त अधिनियम 1994	सेवा कर	28,72,81,233.00	विभिन्न वर्ष 2005–06 से 2013–14	सीईएसटीएटी, नई दिल्ली
म.प्र. वैट अधिनियम, केन्द्रीय विक्रयकर अधिनियम 1956, प्रवेश कर एवं म.प्र. वन अधिनियम	म.प्र. वैट	1,90,55,63,195.00	विभिन्न वर्ष 2007–08 से 2015–16	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, जबलपुर
		15,180.00	विभिन्न वर्ष 1998–99 से 2007–08	अतिरिक्त / उपायुक्त, सतना
		47,57,54,478.00	विभिन्न वर्ष 2007–08 2013–14	व्यावसायिक कर अपीलीय बोर्ड, भोपाल
		38,04,97,856.00	विभिन्न वर्ष 2001–02 से 2008–09	उच्च न्यायालय मध्य प्रदेश, जबलपुर
	केन्द्र विक्रयकर	1,82,15,59,189.00	विभिन्न वर्ष 1992–93 से 2015–16	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, जबलपुर
		88,25,45,880.00	विभिन्न वर्ष 1997–98 से 2010–11	अतिरिक्त / उपायुक्त, सतना
		–	2012–13	अतिरिक्त आयुक्त ग्रेड II (अपील), वाराणसी
		81,95,595.00	2013–14 एवं 2014–15	अतिरिक्त आयुक्त ग्रेड II (अपील), सोनेभद्र
		3,04,05,206.00	विभिन्न वर्ष 2012–13 एवं 2013–14	अपीलीय प्राधिकारी, मिर्जापुर
		2,60,92,86,012.00	विभिन्न वर्ष 2002–03 एवं 2015–16	व्यावसायिक कर अपीलीय बोर्ड, भोपाल
		95,458.00	1998–99 एवं 2000–2001	व्यावसायिक कर अपलीय बोर्ड, वाराणसी
		6,29,14,960.00	2003–04 एवं 2007–08	उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर
	प्रवेश कर	1,93,22,22,145.00	विभिन्न वर्ष 1996–97 से 2015–16	प्रथम अपीलीय प्राधिकारी, जबलपुर
		1,90,90,000.00	2003–04	अतिरिक्त / उपायुक्त, सतना
		16,17,91,438.00	विभिन्न वर्ष 1997–98 से 2013–14	व्यावसायिक कर अपीलीय बोर्ड, भोपाल
		25,03,62,394.00	2001–02	उच्च न्यायालय, मध्य प्रदेश, जबलपुर

उ.प्र. वैट अधिनियम एवं प्रवेशकर	उ.प्र. वैट	9,91,27,908.87	विभिन्न 1988–89 से 2013–14	अपीलीय प्राधिकारी, रोबर्सगंज, मिर्जापुर
		83,05,312.00	2009–10	अतिरिक्त आयुक्त, ग्रेड 2 (अपील), सोनभद्र
		57,10,301.00	विभिन्न वर्ष 2012–13 से 2015–16	अतिरिक्त आयुक्त, ग्रेड 2 (अपील), वाराणसी
		5,33,96,262.00	2015–16	अतिरिक्त आयुक्त, (अपील), वाराणसी
		2,68,69,394.00	विभिन्न वर्ष 2007–08 से 2009–10	उच्च न्यायालय, उत्तर प्रदेश
	प्रवेश कर	81,57,025.00	2010–11 से 2013–14	1 अपीलीय प्राधिकरण, मिर्जापुर
		28,35,13,087.00	2012–13	अतिरिक्त आयुक्त ग्रेड 2 (अपील), सोनीभद्र
		11,03,96,999.00	2015–16	वाणिज्यिक कर अपीलीय बोर्ड, वाराणसी
	उ.प्र ट्रेड कर	10,02,982.35	1998–99 एवं 2003–04	वाणिज्यिक कर अपीलीय बोर्ड, वाराणसी
कुल		**51,87,78,79,509.22**		

नोट : संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए डिमांड नोटिस की तारीख तक वैधानिक लेवी की विवादित मांग पर ब्याज पर विचार किया गया है।

यह सूचित किया गया है कि उपरोक्त विवादित मांग में से, कंपनी ने विरोध के तहत 1689.43 करोड़ रुपये जमा किए हैं, जिसका विवरण निम्नानुसार है :

क्र. संख्या	बकाया का प्रकार	प्रोटेस्ट के तहत जमा राशि (रूपय करोड़ में)
1.	आयकर	1413.96
2.	सेवा कर	11.24
3.	वैट सीएसटी एवं प्रवेश कर	264.23
कुल		**1689.43**

VIII. वर्ष के दौरान कंपनी पर किसी वित्तीय संस्थान, बैंक, सरकार अथवा डिबेचर होल्डर्स का कोई ऋण अथवा उधार नहीं है। इसलिए कंपनीज़ (लेखा परीक्षक प्रतिवेदन) आदेश 2016 के अनुच्छेद 3 (viii) के प्रावधानों के अनुसार कंपनी पर लागू नहीं है।

IX. वर्ष के दौरान कंपनी ने प्रारंभिक पब्लिक ऑफर अथवा अन्य पब्लिक आफर (अन्य किसी ऋण माध्यम सहित) एवं आवधिक ऋण द्वारा कोई राशि प्राप्त नहीं की है।

X. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण/व्यवस्था के अनुसार वर्ष के दौरान कंपनी का किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा कोई भी धोखाधड़ी की सूचना रिपोर्ट नहीं की गई है।

XI. हमें दी गई सूचना एवं स्पष्टीकरण/व्यवस्था एवं कपनी के रिकार्ड का हमारी जाँच में अपेक्षित अधिदिष्ट अनुमोदन के अनुसार प्रबंध की या मानदीय के किलए कंपनी ने भुगतान/प्रावधान किया है, जिसे अधिनियम के अनुसूची–V के धारा 197 के प्रावधान के साथ पढ़ा जाए।

XII. हमारी राय में एवं हमें दी गई सूचना एवं व्याख्या के अनुसार कंपनी निधि कंपनी नहीं है। इसलिए कंपनीज़ के अनुच्छेद 3(XII) के प्रावधान (अंकेक्षण प्रतिवेदन) आदेश, 2016 कंपनी में लागू नहीं है।

XIII. हमें दी गई सूचना एवं व्याख्या के अनुसार एवं कंपनी के रिकार्ड की हमारी जाँच के आधार पर अधिनियम के धारा 177 एवं 188 सहित संबंधित पार्टी के लेन–देन के अनुपालन में लागू एवं विवरणों को जहाँ ऐसे लेन–देन एवं विवरण अपेक्षित है, को लागू लेखाकरण मानकों द्वारा वित्तीय विवरण में प्रकट किया गया है।

XIV. हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्या एवं कंपनी की रिकार्ड की हजारी जाँच के आधार पनर कंपनी ने वर्ष के दौरान कोई अधिमान्य आवंटन या अंशों का निजी नियोजन या डिवेंचरों का पूर्ण या आंशिक परिवर्तन नहीं किया है।

XV. हमें दी गई जानकारी एवं व्याख्या एवं कंपनी की रिकार्ड की हमारी जाँच में कंपनी ने निदेशकगण या उससे जुड़े हुए व्यक्तियों के साथ गैर नगद लेन–देनों में प्रवेश नहीं किया है। इसलिए कंपनीज़ (अंकेक्षकों के प्रतिवेदन) आदेश 2016 के अनुच्छेद 3 (XV) के प्रावधान कंपनी पर लागू नहीं हैं।

XVI. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के अधिनियम 1934 की धारा 45–ए के अंतर्गत कंपनी का पंजीकृत होना अपेक्षित नहीं है।

कृते जे.एन.शर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फ़र्म पंजीकृत संख्या – 000833C

ह./–
(ए.के.वर्मा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या – 075755

स्थान : कानपुर

दिनांक : 04.08.2020

संलग्नक – 'बी'

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड की वित्तीय स्थिति के बारे में उस दिनांक को स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट का लेखा–जोखा

कंपनीज़ अधिनियम 2013 ('अधिनियम') के धारा 143 के उप धारा 3 क्लॉज़ (i) अंतर्गत आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों पर प्रतिवेदन

हमने नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड ('कंपनी') का उस तिथि तक वर्ष के अंत के लिए कंपनी के वित्तीय विवरणों पर हमारे अंकेक्षण के साथ 31 मार्च 2020 की वित्तीय रिपोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंतणों का अंकेक्षण किया गया है।

आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के लिए प्रबंधन का दायित्व :

भारत के चार्डर्ड एकाउन्टेंट्स के संस्थान द्वारा जारी वित्तीय रिपोटिंग के विषय में आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के अंकेक्षण पर मार्गदर्शन आवश्यक अवयव को ध्यान में रखते हुए कंपनी स्थापित आध्णारित स्थापना एवं आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के रख–रखाव का दायितव कंपनी प्रबंधन पर है।

इन जिम्मेदारियों में कंपनी की नीतियों के अनुसरण सहित उचित आंतरिक वित्तीय नियंत्रण की डिजाइन, कार्यान्वयन एवं रख–रखाव जिससे इसके व्यवसाय का सुव्यवस्थित एवं कुशल संचालन सुनिश्चित करना, इसके परिसम्पत्तियों की सुरक्षा, धोखा–धड़ी एवं गलतियों को खोजना एवं बचाव लेखाकरण रिकार्ड वास्तविक 2013 के अंतर्गत वांछित वित्तीय सूचनाओं को समय पर तैयार करना भी शामिल है।

अंकेक्षको का दायित्व :

हमारे अंकेक्षण पर आधारित वित्तीय रिपोटिंग के विषय में कंपनी आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर अपनी राय व्यक्त करना हमारा दायित्व है।

हमने हमारा अंकेक्षण पर वित्तीय रिपोटिंग मार्गदर्शक टिप्पणी के विषय में आंतरिक वित्तीय नियिंत्रणों पर मार्गदर्शन टिप्पणी के अनुसार किया है एवं आईसीएलआई द्वारा जारी अंकेक्षण पर मानको एवं कंपनीज़ अधिनियम 2013 की धारा 143 (10) के अंतर्गत निर्धारित समझे गए आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के दोनों नियंत्रणों एवं भारत के चार्डर्ड एकाउन्ट्स के संस्थानों द्वारा दोनों जारी किए गए। उन मानकों एवं अपंक्षित मार्गदर्शक टिप्पणी का जिसे हम नैतिक आवश्यकताओं सहित पालन करते हैं एवं योजना जहाँ पर्याप्त वित्तीय रिपोटिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों के विषय में अंकेक्षण के निष्पादन में प्राप्त समुचित आश्वासन को संस्थापित किए एवं रख–रखाव तथा समस्त संबंधित विषय में ऐसे नियंत्रणों का प्रभावी संचालन करते हैं।

हमारे अंकेक्षण पर वित्तीय रिपोर्टिंग एवं उनके प्रभावी संचालन के विषय में आंतरिक विीय नियंत्रण प्रणाली की उपयुक्तता के संबंध में अंकेक्षण साक्ष्य प्राप्त करने के लिए निष्पादित की जा रही प्रक्रियाएँ शामिल हैं। हमारे अंकेक्षण में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण समझौता करना सम्मिलित है, जोखिम का निर्धारण जैसे वर्तमान कमजोरियों एवं जाँच तथा जोखिम निर्धारण के आधार पर के डिजाइन का मूल्यांकन एवं आंतरिक नियंत्रण का प्रभावी संचालन।

वित्तीय विवरण के सामग्री के गलत बयानी के जोखिम का निर्धारण सहित धोखा एवं मूल के कारण का अंकेक्षकों के न्याय पर निर्भर प्रक्रियाओं का चयन किया गया।

हमें विश्वास है कि अंकेक्षण साख्य जो हमारे द्वारा प्राप्त किए गए वह वित्तीय रिपोर्टिंग पर कंपनी के आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणालियों पर अंकेक्षण विचार के लिए एक आधार प्रदान करने हेतु पर्याप्त एवं उपयुक्त है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का अर्थ :

कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग के विषय में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रक्रिया डिजाइन किया है। वित्तीय रिपोर्टिंग के विश्वसनीयता के संबंध में उपयुक्त आश्वासन प्रदान करने की प्रक्रिया तैयार करना है। कंपनी ने वित्तीय रिपोर्टिंग के विश्वसनीयता के संबंध में वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण के लिए प्रक्रिया डिजाइन कर उपयुक्त आश्वासन प्रदान किया है तथा बाह्य उद्देश्यों के लिए सामान्यतया स्वीकार्य लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसार वित्तीय विवरणों को तैयार किया जाता है। कंपनी के वित्तीय रिपोर्टिंग के विषय में आंतरिक वित्तीय नियंत्रण में इन नीतियों एवं प्रक्रियाएँ तथा

(1) रिकार्डों के रख–रखाव से संबंधित लेन–देनों का शुद्धता एवं पूरी तरह से उपयुक्त विवरण एवं कपनी के परिसम्पत्तियों का जमा,

(2) सामान्यतया स्वीकृत लेखाकरण सिद्धांतों के अनुसरण में वित्तीय विवरणों के अनुज्ञा तैयारी आवश्यक रूप से प्रदार किए कए उपयुक्त आश्वासनों के रिकार्ड किए गए लेन–देनों एवं कंपनी के मात्र प्रबंधन के प्राधिकारी एवं निदेशकगणों के अनुसार कंपनी द्वारा की गई प्राप्ति एवं व्यय एवं

(3) अनाधिकृत कब्जे का रोकथाम या समय से खोज के संबंध में वास्तविक आश्वासन प्रदान करना या कंपनी के परिसम्पत्तियों का डिपोजीशन या उपयोग वित्तीय विवरणों पर प्रभावित कर सकता है।

वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का निहित परिसीमाएँ/प्रतिबंध में मिलीभगत सीाव है या मूल या धोखा–धड़ी घटित होने और उसका पता नहीं लगाने के कानरण मैटेरियल सममैनेजमेंट नियंत्रणों का अनुचित प्रबंध शामिल है। इसके अलावा जोखिम के संबंध में भावी अवधि के वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रणों का कोई मूल्यांकन प्रक्षेपण है। यह वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण अपर्याप्त होते हैं क्योंकि शर्तों में परिवर्तन या नीतियों के अनुपालन की डिग्री या प्रक्रिया बिगड़ सकती है।

मत

हमारी राय में कंपनी के पास सभी क्षेत्रों में वित्तीय रिपोर्टिंग पर अपर्याप्त आंतरिक वित्तीय नियंत्रण प्रणाली है और ऐसे वित्तीय रिपोर्टिंग पर इस प्रकार का आंतरिक वित्तीय नियंत्रण 31 मार्च 2020 से संचालित है, वित्तीय रिपोर्टिंग पर आंतरिक वित्तीय नियंत्रण पर निहित आवश्यक तत्वों पर भारत के चार्टर्ड एकाउन्टेंट्स संस्थान द्वारा जारी दिशा–निर्देशों पर स्थापित है, जो निम्न को छोड़कर है –

- कंपनी को इनवेन्ट्री मैनेजमेंट एवं बैक लेन–देन में आंतरिक नियंत्रण को सशक्त करने की आवश्यकता है।

कृते जे.एन. शर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फ़र्म पंजीकृत संख्या : 000833C

ह./–
(ए.के. वर्मा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 075755

स्थान : कानपुर

दिनांक : 04.08.2020

अनुलग्नक – सी

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सहायक लेखाकार की रिपोर्ट

क्र.सं.	निर्देश जारी किए गए	वैधानिक लेखापरीक्षक की टिप्पणी
1	समरूप मानचित्र को ध्यान में रखते हुए कोयला स्टॉक मापन किया गया था या नहीं. क्या भौतिक स्टॉक माप रिपोर्ट सभी मामलों में समोच्च नक्शा के साथ हैं? साल के दौरान बनाई गई नई ढेर, यदि कोई हो, तो सक्षम प्राधिकारी की मंजूरीली है?	समरूप मानचित्र को ध्यान में रखते हुए कोयला स्टॉक मापन किया गया है और स्टॉक मापन रिपोर्ट के भौतिक सत्यापन में समोच्च नक्शा के साथ है।हमें बताया गया है कि जहां कहीं भी नया ढेर बनाया गया है, सक्षम प्राधिकारी की मंजूरी ली गई है।
2	क्या कंपनी ने एक क्षेत्र के विलय / विभाजन / पुनः संरचना के समय परिसंपत्तियों और संपत्तियों के भौतिक सत्यापन का आयोजन किया था. यदि हां, तो क्या संबंधित सहायक कंपनी अपेक्षित प्रक्रिया का पालन करती है।	लागू नहीं
3	क्या सीआईएल और इसकी सहायक कंपनियों में प्रत्येक खदान के लिए अलग एस्क्रो खाता बनाए रखा गया है साथ ही खाते के निधि के उपयोग की भी जांच करें।	कंपनी ने प्रत्येक खान के लिए पृथक एस्क्रो खाता बनाए रखा हैकुल खदान बंद करने के दायरे का हिस्सा बनाने के लिए वर्ष–दर–साल आधार पर किए गए खदान बंद होने का खर्च प्रारंभ में एस्क्रो खाते से पुनर्प्राप्त करने योग्य माना जाता है और उसके बाद वर्ष में दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है जिसमें प्रमाणन एजेंसी की सहमति के बाद राशि वापस ले ली जाती है।
4	क्या माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा लगाए गए अवैध खनन के लिए दंड का असर उचित रूप से माना जाता है और इसके लिए जिम्मेदार ठहराया गया है।	हमें सूचित किया गया है कि कंपनी ने अवैध खनन नहीं किया है

कृते जे.एन.शर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फ़र्म पंजीकृत संख्या : 000833C

ह./–
(ए.के.वर्मा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 075755

स्थान : कानपुर

दिनांक : 04.08.2020

अनुलग्नक : डी

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के सहायक लेखाकार की रिपोर्ट

क्र.सं.	निर्देश जारी किए	सांविधिक लेखा परीक्षक की टिप्पणी
1.	क्या सूचना प्रोद्योगिकी प्रणाली के माध्यम से लेखांकन लेनदेन में प्रक्रिया करने के लिए कॉम्पामी की व्यवस्था है? यदि हाँ, तो वित्तीय अनुमानों के साथ–साथ खातों की अखंडता पर सूचना प्रोद्योगिकी प्रणाली के बाहर लेखांकन लेनदेन के प्रसंस्करण के निहितार्थ, यदि कोई हो, कहा जा सकता है।	कंपनी ई आर पी प्रणाली कोलनेट" के माध्यम से अपने लेखांकन लेनदेन की प्रक्रिया कर रही है;
2.	चाहे मौजूदा ऋण का कोई पुनर्गठन हो या छूट / ऋण / ऋण / ब्याज आदि को लिखना हो। कंपनी को ऋण चुकाने में असमर्थता के कारण कंपनी को ऋणदाता द्वारा बनाया गया? यदि हाँ, तो वित्तीय प्रभाव को बताया जा सकता है।	जैसा कि हमें समझाया गया है, वित्त वर्ष 2019–20 के दौरान इस तरह के मामले नहीं हैं
3.	क्या केंद्रीय / राज्य एजेंसियों से विशिष्ट योजनाओं के लिए प्राप्त धनराशि प्राप्त / प्राप्य की गई थी या उसके नियमों और शर्तों के अनुसार उसका उचित उपयोग किया गया था? विचलन के मामलों की सूची बनाएं।	कंपनी को हमारे या अन्य शाखा लेखा परीक्षक द्वारा लेखा परीक्षा की गई किसी भी परियोजना में कोई निधि नहीं मिला है जिसकी रिपोर्ट हमें सौंपी गई है।

कृते जे.एन. शर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फ़र्म पंजीकृत संख्या : 000833C

ह./–
(ए.के. वर्मा)
पार्टनर
सदस्यता संख्या : 075755

स्थान : कानपुर

दिनांक : 04.08.2020

निदेशक मंडल के प्रतिवेदन का अनुलग्नक–XII

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा गारंटी, निवेश, ऋण और अग्रिम का विवरण

(कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 186(4) के संदर्भ में प्रकटीकरण)

(रुपये करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	राशि		उद्देश्य
ए	**गैर–चालू**			
ए	***ऋण और अग्रिम***			
	ऋण			
	• सुरक्षित, अच्छा माना गया	3.48		कर्मचारी हित का भाग माना गया।
	• असुरक्षित, अच्छा माना गया	–		
	• क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–		
	• क्रेडिट बिगड़ा	–		
	कम : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	–		
	कुल (ए)		**3.48**	
बी	***अन्य वित्तीय संपत्ति***			
	बैंक जमा		0.19	अधिशेष निधि जमा करना
	स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना के तहत बैंक में जमा करना		–	
	साइट बहाली के लिए जमा और प्राप्य			
	खदान बंद करने की योजना के तहत बैंक में जमा करना		810.53	कोयला मंत्रालय द्वारा जारी खान बंद करने के दिशा–निर्देशों की आवश्यकता के लिए खान बंदी एस्क्रो फंड में जमा
	अन्य जमा (खदान समवर्ती व्यय को बंद करें)		106.53	प्रोग्रेसिव माइन क्लोजर गतिविधि पर किए गए खर्च के लिए एस्क्रो फंड से प्राप्तियाँ
	खदान बंद करने के खर्च के लिए एस्क्रो खाते से प्राप्य		37.47	
	अन्य जमा और प्राप्य	–		
	कम : अन्य जमा और प्राप्य के लिए भत्ता	–	–	
	कुल (बी)		**954.72**	

सी	***अन्य गैर – वर्तमान परिसंपत्ति***			
	(i) पूंजी अग्रिम	23.33		
	कम : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	0.68	22.65	कंपनी के लिए परिसंपत्तियों की खरीद के लिए
	(ii) पूंजीगत अग्रिमों के अलावा अन्य अग्रिम			
	(ए) उपयोगिताओं के लिए सुरक्षा जमा	41.19		
	कम : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	–	41.19	पी एवं टी, बिजली आदि के लिए सेक्युर्टी जमा।
	(बी) अन्य जमा और अग्रिम	27.91		
	कम : संदिग्ध ऋण के लिए प्रावधान	0.64	27.27	प्रतिदिन सेवाओं के लिए और विविध वस्तुओं और अन्य सेवाओं आदि की खरीद के लिए सुरक्षा जमा
	कुल (सी)		**91.11**	
	कुल (ए+बी+सी)		**1049.31**	
बी	**वर्तमान ऋण और अग्रिम**			
ए	***ऋण***			
	• सुरक्षित, अच्छा माना गया	1.44		कर्मचारी हित का भाग माना गया।
	• असुरक्षित, अच्छा माना गया	––		
	• क्रेडिट जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि हुई है	–		
	• क्रेडिट बिगड़ा	–		
	कम : संदिग्ध ऋण के लिए भत्ता	–		
	कुल (ए)		**1.44**	
बी	***अन्य वित्तीय संपत्ति***			
	चालू			
	होल्डिंग कंपनी में सरप्लस जमा		–	
	साइट बहाली के लिए जमा और प्राप्य			
	अन्य जमा (खदान समवर्ती व्यय को बंद करें)		–	
	खदान बंद करने के खर्च के लिए एस्क्रो खाते से प्राप्य		37.46	प्रगतिशील खदान बंद करने की गतिविधियों पर किए गए व्यय के लिए एस्क्रो फंड से प्राप्य
	अन्य जमा और प्राप्य	–		
	अर्जित ब्याज	–	128.05	निवेश, बैंक जमा और सरप्लस फंड के अन्य उधार पर अर्जित ब्याज

	दावे और अन्य प्राप्य	47.64		
	दावों और अन्य प्राप्तियों के लिए भत्ता	21.38	26.26	मुख्य रूप से ग्राहक और आयकर रिफंड से प्राप्य, ठेकेदारों, ग्राहकों और आपूर्तिकर्ताओं से वसूली योग्य राशि, कर्मचारी लाभ निधि आदि के दावे शामिल हैं।
	कुल (बी)		**191.77**	
सी	***अन्य चालू संपत्ति***			
बी	राजस्व के लिए अग्रिम (वस्तुओं और सेवाओं)	35.36		
	कम : संदिग्ध अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.50	34.86	विविध वस्तुओं की खरीद के लिए
सी	वैधानिक बकाया का अग्रिम भुगतान	850.94		
	कम : द्वैध ऋण के लिए प्रावधान	—	850.94	विभिन्न वैधानिक कृत्यों की आवश्यकता के अनुसार
(डी)	संबंधित पक्षों को अग्रिम		—	
(ई)	अन्य अग्रिम और जमा	2000.04		
	कम : द्वैध ऋण के लिए प्रावधान	0.93	1999.11	कर्मचारियों को देय राशि के खिलाफ वसूली और विभिन्न विविध खर्चों, आयकर, वाणिज्यिक कर, आदि के विरोध में अग्रिम जमा के खिलाफ अग्रिम
(एफ)	इनपुट टैक्स क्रेडिट प्राप्य	1406.66		
	कम : प्रावधान	—	1406.66	जीएसटी अधिनियम के तहत इनपुट टैक्स क्रेडिट का उपयोग/रिफंड किया जाना है
	कुल (सी)		**4291.57**	
	कुल (ए/बी/सी)		**4484.78**	
सी	**गारंटी**	—	**0.00**	
डी	**निवेश**			
	चालू			
	म्यूचुअल फंड निवेश			
	यूटीआई म्यूचुअल फंड		0.22	अतिरिक्त फंड का विभिन्न सेक्यूरिटीस में निवेश
	एसबीआई म्यूचुअल फंड		0.28	
	कुल	**0.50**		

GOVERNMENT OF INDIA
INDIAN AUDIT AND ACCOUNTS DEPARTMENT
OFFICE OF THE DIRECTOR GENERAL OF AUDIT (COAL)
OLD NIZAM PALACE, 234/4, A. J. C. BOSE ROAD,
KOLKATA-700020

No.68/DGA (C)/Kol//LA-I/Accounts/NCL/2019-20/2020-21

CONFIDENTIAL

सेवा में,
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक,
नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड,
सिंगरौली,
मध्य प्रदेश

विषय : नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी।

महोदय,

नॉर्दर्न कोलफील्ड लिमिटेड के दिनांक 31.03.2020 को समाप्त वित्त वर्ष के वित्तीय विवरण पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 146(6)(बी) के अंतर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणी प्रेषित की जा रही है।

कृपया इसकी पावती भेजे।

संलग्नक : यथोपरि

भवदीय,

ह./–
(मौसमी राय भट्टाचार्य)
लेखापरीक्षा के महानिदेशक (कोयला)
कोलकाता

दिनाँक : 11.08.2020
स्थान : कोलकाता

नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड के 31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष के लेखों पर कंपनी अधिनियम 2013 की धारा 143(6)(बी) के अन्तर्गत भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की टिप्पणियाँ

वित्तीय प्रतिवेदन प्राधारिक संबंधित कंपनी अधिनियम 2013 (अधिनियम) के अनुसार दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के वित्तीय विवरण तैयार करने की जिम्मेदारी कंपनी के प्रबंधन की है। अधिनियम की धारा 143(10) के अंतर्गत निर्मित लेखा परीक्षा के मानकों के अनुसार अधिनियम की धारा 143 के अंतर्गत वित्तीय विवरण पर अपनी टिप्पणी देने के लिए भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक द्वारा अधिनियम की धारा 139(5) के अंतर्गत नियुक्त सांविधिक अंकेक्षक की जिम्मेदारी है। यह उनके द्वारा दिनांक 30 मई, 2020 की अंकेक्षण रिपोर्ट तथा 4 अगस्त, 2020 की संशोधित अंकेक्षण रिपोर्ट के माध्यम से किया गया है।

भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक की ओर से मैंने अधिनियम की धारा 143(6)(ए) के अनुसरण में नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड के दिनांक 31 मार्च, 2020 को समाप्त वित्तीय वर्ष के वित्तीय विवरण का पूरक लेखा परिक्षण किया। यह पूरक लेखा परीक्षा बिना कार्यरत सांविधिक अंकेक्षक के सहयोग से स्वतंत्र रूप से की गई है तथा मूल रूप से यह सांविधिक अंकेक्षकों और कंपनी के कर्मचारियों से जाँच–पड़ताल तथा चयनित कुछ लेखा रिकोड़ों की परीक्षा तक ही सीमित रही है।

पूरक लेखा परीक्षा के दौरान मेरी कुछ टिप्पणियों के फलस्वरूप सांविधिक अंकेक्षक के रिपोर्ट में किए गए संशोधन के मद्दे नजर अधिनियम की धारा 143(6)(बी) के अंतर्गत सांविधिक अंकेक्षण रिपोर्ट के संबंध में और कोई टिप्पणी नहीं करनी है या कुछ भी जोड़ना नहीं है।

नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक के लिए
व नियंत्रक महालेखा परीक्षक की ओर से

ह./–
(मौसमी राय भट्टाचार्य)
लेखापरीक्षा के महानिदेशक (कोयला)
कोलकाता

दिनांक : 11.08.2020

स्थान : कोलकाता

वार्षिक वित्तीय प्रतिवेदन 2019-20

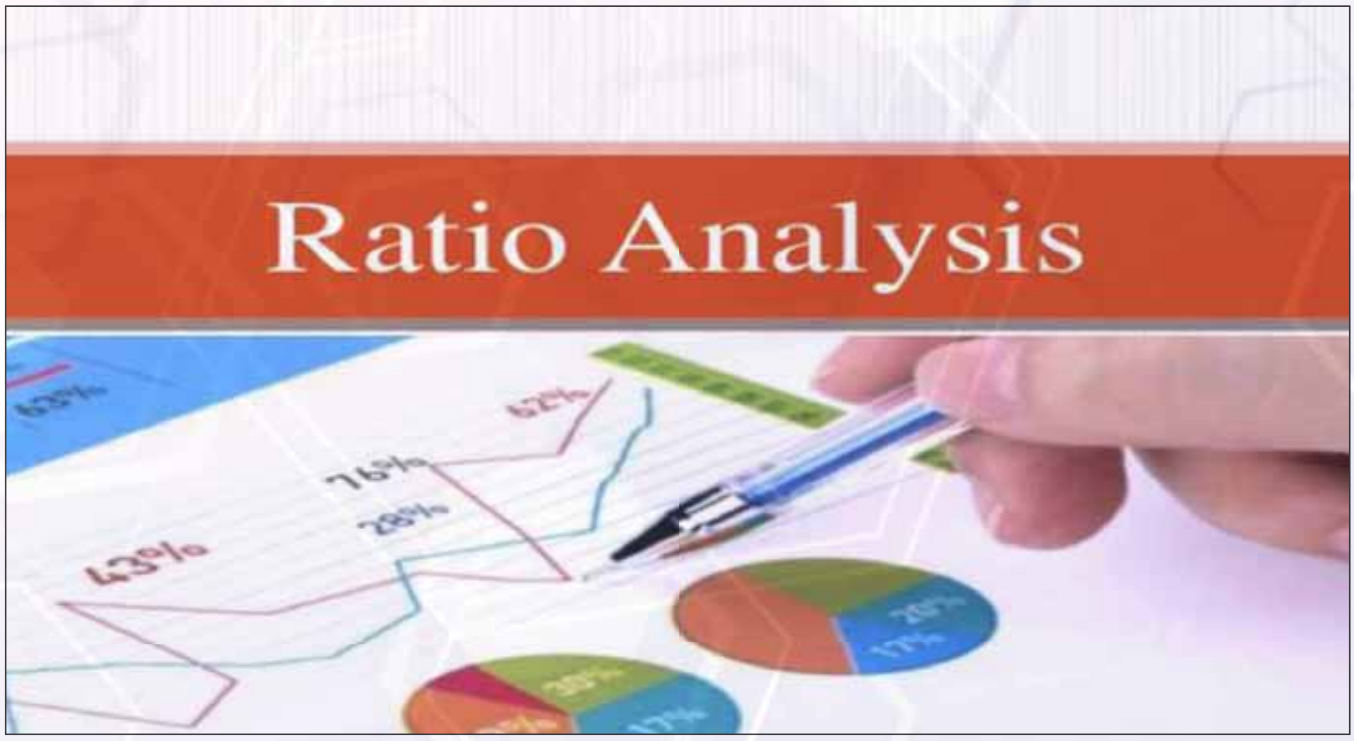
Ratio Analysis

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनी)
तुलन पत्र

(रु. करोड़ में)

	टिप्पणी न.	के अनुसार	
		31.03.2020	31.03.2019
परिसम्पत्तियाँ			
गैर चालू परिसम्पत्तियाँ			
(ए) परिसम्मपत्ति, संयंत्र एवं उपकरण	3	4,535.22	4,436.80
(बी) पूँजीगत कार्य में प्रगति	4	455.78	556.64
(सी) परिसम्पत्तियों का मूल्यांकन एवं अन्वेशन	5	251.40	271.10
(डी) अमूर्त परिसम्पत्तियाँ	6	-	-
(ई) विकास अंतर्गत अमूर्त परिसम्पत्तियाँ			
(एफ) निवेश परिसम्पत्ति			
(जी) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ			
(i) निवेश	7	-	-
(ii) ऋण	8	3.48	5.05
(iii) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	9	954.72	768.36
(एच) आस्थगित कर परिसम्पत्तियाँ (विशुद्ध)		19.96	-
(आई) अन्य गैर चालू परिसम्पत्तियाँ	10	91.11	87.06
कुल गैर चालू परिसम्पत्तियाँ (ए)		**6,311.67**	**6,125.01**
चालू परिसम्पत्तियाँ			
(ए) वस्तुसूची	12	669.54	674.03
(बी) वित्तीय परिसम्पत्तियाँ			
(i) निवेश	7	0.50	642.12
(ii) प्राप्य व्यापार	13	1,850.15	954.45
(iii) नगद एवं नगद समतुल्य	14	754.65	602.74
(vi) अन्य बैंक शेष	15	2,690.81	3,118.62
(v) ऋण	8	1.44	1.43
(vi) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	9	191.77	164.17
(सी) चालू कर परिसम्पत्तियाँ		1,974.83	-
(डी) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	11	4,291.57	3,789.85
कुल चालू परिसम्पत्तियाँ (बी)		**12,425.26**	**9,947.41**
कुल परिसम्पत्तियाँ (ए+बी)		**18,736.93**	**16,072.42**

साम्य एवं देयता			
साम्य			
(ए) साम्य अंश पूँजी	16	630.94	630.94
(बी) अन्य साम्य	17	3,751.63	3,546.76
कंपनी के साम्य धारकों का आरोपनीय साम्य		**4,382.57**	**4,177.70**
गैर नियंत्रण ब्याज		-	-
कुल साम्य (ए)		**4,382.57**	**4,177.70**
देयता			
गैर चालू देयता			
(ए) वित्तीय देयता			
(i) उधार	18	-	-
(ii) व्यापार देय			
(iii) अन्य वित्तीय देयता	20	148.96	187.19
(बी) प्रावधान	21	7,909.73	6,817.52
(सी) स्थगित कर देयता (विशुद्ध)		-	5.55
(डी) अन्य गैर–चालू देयता	22	12.95	13.86
कुल गैर–चालू देयता (बी)		**8,071.64**	**7,024.12**
चालू देयता			
(ए) वित्तीय देयता			
(i) उधार	18	-	-
(ii) व्यापार देय			
सूक्ष्म और लघु उद्योगों के लेनदारों का कुल बकाया	19	0.70	0.67
सूक्ष्म और लद्यु उद्योगों के अलावा लेनदारों का कुल बकाया	19	974.17	921.83
(iii) अन्य वित्तीय देयता	20	2,257.26	264.58
(बी) अन्य चालू देयता	23	2,805.52	3,297.70
(सी) प्रावधान	21	245.07	265.37
(डी) चालू कर देयता (विशुद्ध)		-	120.45
कुल चालू देयता (सी)		**6,282.72**	**4,870.60**
कुल साम्य एवं देयता (ए+बी+सी)		**18,736.93**	**16,072.42**

वित्तीय विवरण के आंतरिक भाग से संबंधित टिप्पणियाँ

हमारी सलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.एन. शर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फ़र्म पंजीकृत सं. 000833C

(ए.के. वर्मा)
पार्टनर
सदस्यता सं. 75755

दिनांक : 30.05.2020
स्थान : सिंगरौली

निदेशक मण्डल की ओर से

(पी.के. सिन्हा)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन–07599781

(एन.एन. ठाकुर)
निदेशक (वित्त) एवं सी.एफ.ओ.
डीआईएन–08176571

(पी.महेश्वर राव)
महाप्रबंधक (वित्त)

(हर्ष चौहान)
कंपनी सचिव

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनी)

लाभ हानि का विवरण

(रु. करोड़ में)

		टिप्पणी न.	वर्ष के अंत में	
			31.03.2020	31.03.2019
	संचालन से राजस्व	24		
ए	विक्रय (उत्पाद शुल्क के अलावा लेविज का विशुद्ध)		15,556.52	14,905.60
बी	अन्य संचालन राजस्व (विशुद्ध)		719.92	615.81
(i)	**संचालन से राजस्व (ए+बी)**		**16,276.44**	**15,521.41**
(ii)	अन्य आय	25	633.89	714.71
(iii)	**कुल आय (I + II)**		**16,910.33**	**16,236.12**
(iv)	**व्यय**			
	खपत की गई सामग्री की लागत	26	2,106.98	2,031.09
	व्यापार में समाप्त की सामग्री/कार्य में प्रगति का वस्तुसूची में परिवर्तन	27	(32.33)	39.59
	उत्पाद शुल्क			
	कर्मचारी लाभ व्यय	28	2,618.41	2,559.36
	ऊर्जा खपत		349.20	324.49
	निगमित सामाजिक दायित्व व्यय	29	83.33	73.57
	मरम्मत	30	272.83	262.30
	ठेका व्यय	31	2,411.89	2,395.03
	वित्त लागत	32	54.21	24.66
	मूल्यह्रास/परिशोधन/हानि व्यय		440.49	539.29
	प्रावधान (विशुद्ध वापसी)	33	(16.04)	14.84
	बट्टे खाते (पूर्व प्रावधान का विशुद्ध)	34	-	-
	स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन (विशुद्ध)		922.09	575.84
	अन्य व्यय	35	713.82	736.90
	कुल व्यय (IV)		**9,924.88**	**9,576.96**
(V)	**असाधारण मदों एवं कर पूर्व लाभ (I–IV)**		**6,985.45**	**6,659.16**
(VI)	असाधारण मद		-	-
(VII)	**कर पूर्व लाभ (V–VI)**		**6,985.45**	**6,659.16**
(VIII)	कर व्यय	36	2,014.02	2,547.88

(IX)	**नियमित संचालन से अवधि के लिए लाभ (VII–VIII)**		**4,971.43**	**4,111.28**
(X)	बंद संचालन से लाभ/(हानि)			
(XI)	बंद संचालन का कर व्यय			
(XII)	बंद संचालन से लाभ (हानि) (कर पश्चात्) (X-XI)			
(XIII)	जेवी[एस]/एसोशिएट्स लाभ (हानि) में अंश			
(XIV)	**अवधि के लिए लाभ (IX+XII+XIII)**		**4,971.43**	**4,111.28**
	अन्य व्यापक आय	37		
	ए (i) लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत न जाने योग्य मद		(67.67)	(45.04)
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जो कि लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत नहीं		17.03	15.74
	बी (i) मदों जो कि लाभ या हानि के लिए पुनःवर्गीकृत किए जा सकते		-	-
	(ii) मदों से संबंधित आयकर जो कि लाभ या हानि में पुनःवर्गीकृत किए जा सकते		-	-
(XV)	**कुल अन्य व्यापक आय**		**(50.64)**	**(29.30)**
(XVI)	**(XIV+XV) अवधि के लिए कुल व्यापक आय (तुलनात्मक लाभ (हानि) एवं अवधि के लिए अन्य व्यापक आय**		**4,920.79**	**4,081.98**
	लाभ के कारण :			
	कंपनी के मालिक		4,971.43	4,111.28
	गैर नियंत्रण ब्याज		4,971.43	4,111.28
	अन्य व्यापक आय के कारण :			
	कंपनी के मालिक		(50.64)	(29.30)
	गैर नियंत्रण ब्याज		(50.64)	(29.30)
	कुल व्यापक आय के कारण :			
	कंपनी के मालिक		4,920.79	4,081.98
	गैर नियंत्रण ब्याज		4,920.79	4,081.98
(XVII)	**साम्य अंश के अनुसार आय (नियमित संचालन हेतु)**			
	(1) मूल		7,879.40	6,101.22
	(2) तनुकृत		7,879.40	6,101.22

(XVIII)	**साम्य अंश के अनुसार आय (बंद संचालन हेतु)**			
	(1) मूल		-	-
	(2) तनुकृत		-	-
(XIX)	**साम्य शेयर के अनुसार आय (डिस्कंटीन्यूड एवं नियमित संचालन हेतु)**			
	(1) मूल		7,879.40	6,101.22
	(2) तनुकृत		7,879.40	6,101.22

टिप्पणी (38) (6) (सी) में ईपीएस गणना का संदर्भ लें।

वित्तीय विवरण के आंतरिक भाग से संबंधित टिप्पणियाँ

हमारी सलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.एन. शर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फ़र्म पंजीकृत सं. 000833C

(ए.के. वर्मा)
पार्टनर
सदस्यता सं. 75755

दिनांक : 30.05.2020
स्थान : सिंगरौली

निदेशक मण्डल की ओर से

(पी.के. सिन्हा)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन–07599781

(एन.एन. ठाकुर)
निदेशक (वित्त) एवं सी.एफ़.ओ.
डीआईएन–08176571

(पी.महेश्वर राव)
महाप्रबंधक (वित्त)

(हर्ष चौहान)
कंपनी सचिव

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनी)

नकदी प्रवाह विवरण (अप्रत्यक्ष प्रद्धति)

(रु. करोड़ में)

		वर्ष के अंत में	
		31.03.2020	31.03.2019
I.	**संचालन गतिविधि से कैश फ्लो**		
	कर पूर्व कुल विस्तृत आय	6,917.78	6,614.12
	समायोजन हेतु :		
	अचल परिसम्पत्तियों का ह्त्रास/हानि	440.49	539.29
	बैंक जमा पर ब्याज आय	(356.41)	(359.71)
	अचल परिसम्पत्तियों के विक्रय पर हानि/लाभ	2.72	4.42
	अवधि के दौरान प्रावधान एवं बट्टे खाते	94.07	(18.10)
	निवेश से लाभांश आय	(38.91)	(49.99)
	विनिमय दर से प्राप्ति	(0.22)	(0.28)
	इस्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन (विशुद्ध)	922.09	575.84
	लेखा लागत	54.21	24.66
	चालू/गैर चालू परिसम्पत्तियों एवं देयता पूर्व संचालन लाभ	**8,035.82**	**7,330.25**
	समायोजन हेतु :		
	व्यापार प्राप्य	(1,005.56)	(48.36)
	वस्तु सूची	4.03	38.79
	व्यापार देय	52.37	147.38
	अल्प/दीर्घावधि ऋण/अग्रिम एवं अन्य चालू परिसम्पत्तयाँ	(705.66)	(277.25)
	अल्प/दीघावधि देयता एवं प्रावधान	1,558.47	(450.62)
	संचालन से कैश प्राप्ति	7,939.47	6,740.19
	आयकर का भुगतान	(4,117.78)	(2,717.15)
	संचालन गतिविधियों से विशुद्ध कैश फ्लो (ए)	**3,821.69**	**4,023.04**
II.	**निवेश गतिविधियों से नकद फ्लो**		
	अचल सम्पत्ति का क्रय	(408.06)	(1,325.79)
	उपकरणों के विक्रय से आगम	3.11	4.58

	संरचना के विकास के लिए प्राप्त अनुदान	(0.91)	1.26
	निवेश से लाभांश	38.91	49.99
	क्रय/विक्रय का निवेश (विशुद्ध)	641.62	(642.12)
	ब्याज प्राप्ति (टीडीएस सहित)	343.55	290.95
	बैंक जमा में निवेश/जमा लेखा	428.29	(411.29)
	निवेश कार्यकलाप से विशुद्ध नकद (बी)	**1,046.51**	**(2,032.42)**
III.	**वित्त पोषित कार्यकलाप से नकद फ्लो**		
	शेयर की वापसी खरीद	-	(355.00)
	सीआईएल से ऋण प्राप्ति	-	-
	वित्त पोषित कार्यकलाप के ब्याज एवं वित्त लागत से संबंधित	(0.37)	(0.56)
	लाभांश, लाभांश कर एवं विपरित आय पर कर (वापसी खरीद)	(4,715.92)	(2,958.97)
	वित्त पोषित कार्यकलाप में उपयोग की गई विशुद्ध कैश (सी)	**(4,716.29)**	**(3,314.53)**
नकद में विशुद्ध आय/(कमी) नकद एवं नकद समतुल्य (ए+बी+सी)		**151.91**	**(1,323.91)**
नकद एवं नकद समतुल्य प्रारंभिक वर्ष में (नकद एवं नकद समतुल्य घटकों के लिए टिप्पणी 14 देखें)		**602.74**	**1,926.65**
नकद एवं नकद समतुल्य वर्ष के अंत में (नकद एवं नकद समतुल्य घटकों के लिए टिप्पणी 14 देखें)		**754.65**	**602.74**
(ब्रेकेट प्रदर्शित आऊटफ्लो में समस्त आँकड़े)			

हमारी सलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.एन. शर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फ़र्म पंजीकृत सं. 000833C

(ए.के. वर्मा)
पार्टनर
सदस्यता सं. 75755

दिनांक : 30.05.2020
स्थान : सिंगरौली

निदेशक मण्डल की ओर से

(पी.के. सिन्हा)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन–07599781

(एन.एन. ठाकुर)
निदेशक (वित्त) एवं सी.एफ़.ओ.
डीआईएन–08176571

(पी.महेश्वर राव)
महाप्रबंधक (वित्त)

(हर्ष चौहान)
कंपनी सचिव

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनी)

31.3.2020 को समाप्त वर्ष के लिए इक्विटी में बदलाव का विवरण

ए. इक्विटी शेयर पूँजी

(रु. करोड़ में)

विवरण	शेष राशि 01.04.2018 तक	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तन	शेष राशि 31.03.2019	शेष राशि 01.04.2019	वर्ष के दौरान इक्विटी शेयर पूंजी में परिवर्तित	शेष राशि 31.03.2020
6309405 रुपये के इक्विटी शेयर। 1000/– प्रत्येक पूरी तरह से भुगतान किया गया	682.80	(51.86)	630.94	630.94	-	630.94

बी. अन्य साम्य

(रु. करोड़ में)

विवरण	अन्य संचयी		सामान्य संचय	बनाए रखा कमाई (बहाल)	अन्य व्यापक आय	कुल
	पूंजीगत निष्क्रय संचय	पूंजीगत संचय				
01.04.2017 को शेष राशि	**-**	**-**	**2,051.57**	**653.93**	**21.39**	**2,726.89**
लेखांकन नीति में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
पहले अवधि त्रुटियों	-	-	-	-	-	-
01.04.2017 को बनाए रखा शेष	-	-	2,051.57	653.93	21.39	2,726.89
वर्ष के दौरान जोड़ों	51.86	-	204.10	-	-	255.96
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
पहले अवधि त्रुटियों	-	-	-	-	-	-
वर्ष के दौरान लाभ	-	-	-	4,111.28	(29.30)	4,081.98
विनियोग	-	-	-	-	-	-
सामान्य रिजर्व में से स्थानांतरण करें	-	-	-	(204.10)	-	(204.10)
अन्य भंडार में से/स्थानांतरित करें	-	-	-	-	-	-
अंतरिम लाभांश	-	-	-	(1,996.53)	-	(1,996.53)
अंतिम लाभांश	-	-	-	-	-	-
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(410.39)	-	(410.39)
विपरित आय पर कर (वापसी खरीदें)	-	-	-	-	-	-
बोनस शेयर जारी करना	-	-	-	-	-	-

अंतिम लाभांश (वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए)	-	-	-	(400.00)	-	(400.00)
फाइनल डिविडेंड पर कॉर्पोरेट लाभांश कर (वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए)	-	-	-	(81.43)	-	(81.43)
वितरित आय पर कर (वापस खरीदें)	-	-	(70.62)	-	-	(70.62)
शेयरों का बायबैक	-	-	(355.00)	-	-	(355.00)
31.03.2019 को शेष राशि	**51.86**	**-**	**1,830.05**	**1,672.76**	**(7.91)**	**3,546.76**
01.04.2020 को शेष राशि	**51.86**	**-**	**1,830.05**	**1,672.76**	**(7.91)**	**3,546.76**
वर्ष के दौरान परिवर्धन	-	-	248.57	-	-	248.57
वर्ष के दौरान समायोजन	-	-	-	-	-	-
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन	-	-	-	-	-	-
इस साल का मुनाफा	-	-	-	4,971.43	(50.64)	4,920.79
विनियोग	-	-	-	-	-	-
जनरल रिजर्व से/के लिए स्थानांतरण	-	-	-	(248.57)	-	(248.57)
अन्य भंडार से/के लिए स्थानांतरण	-	-	-	-	-	-
अंतरित लाभांश	-	-	-	(3,911.83)	-	(3,911.83)
कॉर्पोरेट लाभांश कर	-	-	-	(804.09)	-	(804.09)
अंतिम लाभांश (वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए)	-	-	-	-	-	-
फाइनल डिविडेंड पर कॉर्पोरेट लाभांश कर (वित्तीय वर्ष 2018–19 के लिए)	-	-	-	-	-	-
विपरित आय पर कर (वापस खरीदें)	-	-	-	-	-	-
शेयरों की वापसी	-	-	-	-	-	-
शेष राशि 31.03.2020 तक	**51.86**	**-**	**2,078.62**	**1,679.70**	**(58.55)**	**3,751.63**

*नोट – 17 अन्य इक्विटी भी देखें।

हमारी सलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.एन. शर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फ़र्म पंजीकृत सं. 000833C

(ए.के. वर्मा)
पार्टनर
सदस्यता सं. 75755

दिनांक : 30.05.2020
स्थान : सिंगरौली

निदेशक मण्डल की ओर से

(पी.के. सिन्हा)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन–07599781

(एन.एन. ठाकुर)
निदेशक (वित्त) एवं सी.एफ़.ओ.
डीआईएन–08176571

(पी.महेश्वर राव)
महाप्रबंधक (वित्त)

(हर्ष चौहान)
कंपनी सचिव

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनी)

31.03.2020 को समाप्त वर्ष के लिए अकेक्षण वित्तीय परिणामों का विवरण

क्र. सं.	विवरण	तिमाही समाप्ति			समाप्ति वर्ष	
		31.03.2020 अंकेक्षित	31.12.2019 गैर अंकेक्षित	31.03.2019 अंकेक्षित	31.03.2020 अंकेक्षित	31.03.2019 अंकेक्षित
1.	**संचालन से आय**					
	(ए) विशुद्ध विक्रय	4,184.61	4,039.13	4,077.42	15,556.52	14,905.60
	(बी) अन्य संचालित आय	187.57	191.75	151.25	719.92	615.81
	संचालन से कुल आय (ए+बी)	**4,372.18**	**4,230.88**	**4,228.67**	**16,276.44**	**15,521.41**
2.	अन्य आय	233.73	138.52	80.73	633.89	714.71
3.	**कुल आय (1+2)**	**4,605.91**	**4,369.40**	**4,309.40**	**16,910.33**	**16,236.12**
4.	**व्यय**					
	(ए) खपत सामग्रियों की लागत	608.21	562.43	588.26	2,106.98	2,031.09
	(बी) तैयार माल, जारी कार्य एवं बिक्री योग्य माल के वस्तुसूची में परिवर्तन	(52.30)	7.85	(84.42)	(32.33)	39.59
	(सी) कर्मचारी लाभ व्यय	698.96	673.83	818.49	2,618.41	2,559.36
	(डी) पावर एक्सपेंस	90.95	88.25	81.24	349.20	324.49
	(ई) निगमित सामाजिक दायित्वों पर व्यय	62.15	8.67	44.82	83.33	73.57
	(एफ) मरम्मत	101.71	66.75	80.90	272.83	262.30
	(जी) ठेका व्यय	622.48	661.04	669.33	2,411.89	2,395.03
	(एच) वित्त लागत	14.52	13.25	(18.87)	54.21	24.66
	(आई) ऋण चुकौती / क्षति व्यय	98.20	119.40	180.61	440.49	539.29
	(जे) प्रावधाने	(0.01)	(0.18)	16.02	(16.04)	14.84
	(के) बट्टे खाते (पिछले प्रावधानों का नेट)	-	-	-	-	-
	(एल) स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन (विशुद्ध)	183.81	239.28	35.74	922.09	575.84
	(एम) अन्य व्यय	191.82	173.79	199.73	713.82	736.90
	कुल व्यय (ए+एल तक)	**2,620.50**	**2,614.36**	**2,611.85**	**9,924.88**	**9,576.96**
5.	**अन्य आय वित्त लागत और असाधारण वस्तुओं (3–4) से पहले संचालन से लाभ / (हानि)**	**1,985.41**	**1,755.04**	**1,697.55**	**6,985.45**	**6,659.16**
6.	असाधरण मद्	-	-	-	-	-
7.	**कर पूर्व लाभ (5–6)**	**1,985.41**	**1,755.04**	**1,697.55**	**6,985.45**	**6,659.16**

8.	कर व्यय	567.03	544.04	596.00	2,014.02	2,547.88
9.	**अवधि के लिए शुद्ध लाभ/(7–8)**	**1,418.38**	**1,211.00**	**1,101.55**	**4,971.43**	**4,111.28**
10.	**अन्य व्यापक आय/(हानि) (विशुद्ध कर)**					
	ए (i) वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं किया जाएगा	(74.67)	(21.21)	81.35	(67.67)	(45.04)
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत नहीं होंगे	18.79	5.34	(28.43)	17.03	15.74
	बी (i) वे आइटम जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-	-	-	-
	(ii) उन वस्तु से संबंधित आयकर जिन्हें लाभ या हानि के लिए पुनर्वर्गीकृत किया जाएगा	-	-	-	-	-
11.	**कुल व्यापक आय/(हानि) (ए+बी)**	**1,362.50**	**1,195.13**	**1,154.47**	**4,920.79**	**4,081.98**
12.	प्रदत्त (पेड–अप) साम्य अंश पूँजी (वर्तमान मूल्य के 6309405 साम्य अंश 1000/– प्रत्येक पूरी तरह भुगतान किए गए)	630.94	630.94	682.80	630.94	630.94
13.	अर्जित पर अंश (ईपीएस) (असाधारण मदों) (प्रत्येक रू. 1000/–) (वार्षिक नोट) (रू. में)					
	(ए) मूल	**2,248.04**	**1,919.36**	**1,703.88**	**7,879.40**	**6,101.22**
	(बी) डायलूटेड	**2,248.04**	**1,919.36**	**1,703.88**	**7,879.40**	**6,101.22**
वित्तीय विवरण के आंतरिक भाग से संबंधित टिप्पणियाँ						

हमारी सलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.एन. शर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फ़र्म पंजीकृत सं. 000833C

(ए.के. वर्मा)
पार्टनर
सदस्यता सं. 75755

दिनांक : 30.05.2020
स्थान : सिंगरौली

निदेशक मण्डल की ओर से

(पी.के. सिन्हा)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन–07599781

(एन.एन. ठाकुर)
निदेशक (वित्त) एवं सी.एफ.ओ.
डीआईएन–08176571

(पी.महेश्वर राव)
महाप्रबंधक (वित्त)

(हर्ष चौहान)
कंपनी सचिव

नॉर्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड
(कोल इंडिया के अनुषंगी कंपनी)

सम्पत्तियों एवं देयताओं का विवरण

(रु. करोड़ में)

क्र. स.	विवरण	के अनुसार	
		31.03.2020	31.03.2019
ए	**साम्य एवं देयता**		
(1)	**निधि अंश धारक**		
	ए) अंश पूंजी	630.94	630.94
	बी) संचय एवं अतिरिक्त	3,751.63	3,546.76
	उप कुल निधि अंश धारक	**4,382.57**	**4,177.70**
(2)	**गैर चालू देयता**		
	ए) दीर्घावधि उधार	-	-
	बी) आस्थगित कर देयता (विशुद्ध)	-	5.55
	सी) अन्य दीर्घावधि देयता	161.91	201.05
	डी) दीर्घावधि प्रावधान	7,909.73	6,817.52
	उप कुल गैर चालू देयता	**8,071.64**	**7,024.12**
(3)	**चालू देयता**		
	ए) अल्पावधि उधार	-	-
	बी) प्राप्य व्यापार	974.87	922.50
	सी) अन्य वित्तीय देयताएं	2,257.26	264.58
	डी) अन्य चालू देयताएं	2,805.52	3,297.70
	ई) अल्पावधि प्रावधान	245.07	265.37
	एफ) चालू कर देयताएं (विशुद्ध)	-	120.45
	उप कुल चालू देयताएं	**6,282.72**	**4,870.60**
	कुल साम्य एवं देयताएं	**18,736.93**	**16,072.42**
बी	**परिसम्पत्तियाँ**		
(1)	**गैर–चालू परिसम्पत्तियाँ**		
	ए) सम्पत्ति, प्लांट एवं उपकरण	4,535.22	4,436.80
	बी) पूंजीगत कार्य में प्रगति	455.78	556.64
	सी) अन्वेषण एवं पुनर्मूल्यांक सम्पत्तियाँ	251.40	271.10
	डी) गैर चालू परिसम्पत्तियों का बिक्री तक रोकना	-	-
	ई) गैर–चालू निवेश	-	-
	एफ) आस्थगित कर सम्पत्तियाँ (विशुद्ध)	19.96	-
	जी) दीर्घावधि ऋण एवं अग्रिम	3.48	5.05
	एच) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	954.72	768.36
	आई) अन्य गैर–चालू परिसम्पत्तियाँ	91.11	87.06
	उप योग–गैर–चालू परिसम्पत्तियाँ	**6,311.67**	**6,125.01**

(2)	**चालू परिसम्पत्तियाँ**		
	ए) चालू निवेश	0.50	642.12
	बी वस्तुसूची	669.54	674.03
	सी) प्राप्य व्यापार	1,850.15	954.45
	डी) नकद एवं नकद समतुल्य	754.65	602.74
	ई) अन्य बैंक बचत	2,690.81	3,118.62
	एफ) अल्पावधि ऋण एवं अग्रिम	1.44	1.43
	जी) अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ	191.77	164.17
	एच) चालू कर परिसम्पत्तियाँ	1,974.83	0.00
	आई) अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ	4,291.57	3,789.85
		12,425.26	9,947.41
	कुल परिसम्पत्तियाँ	**18,736.93**	**16,072.42**

1)	वित्तीय परिणामों के उपरोक्त कथन की लेखापरीक्षा समिति द्वारा समीक्षा की गई और निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदित किया गया। वैधानिक लेखा परीक्षकों ने उसी की समीक्षा/ऑडिट किया है।
2)	पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के उन लोगों के साथ तुलनीय बनाने के लिए पुनव्यवस्थित/पुनः व्यवस्थित और पुनः व्यवस्थित किया जाता है, जहाँ भी आवश्यक माना जाता है।

हमारी सलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.एन. शर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फ़र्म पंजीकृत सं. 000833C

(ए.के. वर्मा)
पार्टनर
सदस्यता सं. 75755

दिनांक : 30.05.2020
स्थान : सिंगरौली

निदेशक मण्डल की ओर से

(पी.के. सिन्हा)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन–07599781

(एन.एन. ठाकुर)
निदेशक (वित्त) एवं सी.एफ़.ओ.
डीआईएन–08176571

(पी.महेश्वर राव)
महाप्रबंधक (वित्त)

(हर्ष चौहान)
कंपनी सचिव

टिप्पणी 1 : कारपोरेट सूचना

नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल) ने स्वेच्छा से पूरी कंपनी में व्यापक एवं संयुक्त एकीकृत प्रबंधन प्रणाली (आईएमएस) का चयन किया है। जो कि आईएसओ 9004:2008, आईएसओ 14001:2004 एवं ओएचएसएएस 800:2007 मानकों का अनुपालन आर्थिक, पर्यावरणीय एवं व्यावसायिक स्वास्थ्य एवं संरक्षा समकालिक प्रबंधन करती है। कंपनी ने स्वयं की कारपोरेट प्रबंधन नीति का गठन किया है एवं संगठन के उद्देश्यों एवं लक्ष्यों के प्राप्ति के लिए प्रतिबंध है।

नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड का गठन नवम्बर 985 में कोल इंडिया लिमिटेड सहायक कंपनी के रूप में हुआ। इसका मुख्यालय सिंगरौली, जिला– सिंगरौली (म.प्र.) में स्थित है। सिंगरौली वाराणसी से (220 कि.मी.) सड़क मार्ग द्वारा जुड़ा हुआ है। नजदीकी रेलवे स्टेशन सिंगरौली में स्थित है जो कटनी–चोपन मार्ग कोलफील्ड्स की पूर्वी सीमा के समानान्तर दौड़ती है। दिल्ली जाने के लिए नजदीकी रेलवे स्टेशन रेनुकूट है। जो गढ़वा–चोपन रेल मार्ग स्थित है। नजदीकी निजी हवाई पट्टी म्योरपुर (60 कि.मी.) की दूरी में स्थित है।

सिंगरौली का क्षेत्र करीब 2002 वर्ग किलोमीटर का है। कोलफील्ड्स मुख्य रूप से दो घाटियों जैसे मोहर सब बेसिन (32 वर्ग किलो मीटर) एवं सिंगरौली मुख्य बेसिन (890 वर्ग किलोमीटर)। मोहर सब बेसिन का मुख्य भाग मध्य प्रदेश सीधी जिले में और छोटा सा भाग सोनभद्र जिले में स्थित है। सिंगरौली मुख्य बेसिन कोलफील्ड्स के पश्चिमी क्षेत्र में स्थित है जो मुख्य रूप से उपयोग नहीं हुआ है। वर्तमान कोयला खनन का कार्य एवं भविष्य के ब्लॉक मोहर सब बेसिन में स्थित है।

टिप्पणी 2 : महत्वपूर्ण लेखाकंन नीतियाँ

2.1 वित्तीय विवरणों के तैयार करने का आधार

कंपनी के वित्तीय विवरण कंपनी (भारतीय लेखाकंन मानक) नियम 205 के अंतर्गत भारतीय लेखाकंन मानकों (आईएनडीएएस) के अनुरूप तैयार की जाती है।

वित्तीय विवरण ऐतिहासिक लागत के आधार पर तैयार किया गया है, के अलावा :–

- कुछ निश्चित वित्तीय सम्पत्तियाँ एवं देयताओं को उचित मूल्य पर मापा गया है। (लेखाकंन नीति वित्तीय दस्तावेज के पैरा– 2.4 का संदर्भ लें),
- परिभाषित लाभ योजनाएं– उचित मूल्य पर मापित सम्पत्ति योजना
- लागत पर माल या एनआरवी दोनों में से जो कम हो (लेखाकंन नीति के अनुच्छेद 2.20 का संदर्भ लें।

2.1.1 राशि का पूर्णांक

इन वित्तीय विवरणों की राशि जब तक इंगित न की गई हो, को रूपए करोड़ में, दो दशमलों अंकों का पूर्णांक किया गया है।

2.2 चालू और गैर चालू वर्गीकरण

कंपनी ने अपनी तुलन पत्र में सम्पत्तियों एवं देनदारियों को चालूगगैर चालू वर्गीकरण के आधार पर दर्शाया है। कंपनी द्वारा सम्पत्ति को चालू तब माना जाएगा जब :–

(ए) यह कि सम्पत्ति का मूल्य पाना या उसे बचने का इरादा हो या खपत करने की उम्मीद उसके सामान्य परिचालन में किया जा सके।

(बी) सम्पत्ति को मुख्य रूप से ट्रेडिंग में रखा गया हो।

(सी) रिपोर्टिंग समय के बाद यह उम्मीद करना कि सम्पत्ति का मूल्य 2 महीने के अंदर प्राप्त कर लिया जाएगा, या

(डी) सम्पत्ति को नकदी या नकदी के बराबर माना जाएगा। (जैसा कि भारतीय लेखाकंन मानक 7 में परिभाषित किया गया है)। जब तक कि सम्पत्ति के आदान–प्रदान में बंधन या रिपोर्टिंग समय के बाद 12 महीनों की देनदारी निपटारा करने के लिए उपयोग किया जाए। इसके अलावा सभी सम्पत्तियों का वर्गीकरण गैर चालू के रूप में किया गया है।

देयता को कंपनी द्वारा वर्तमान के रुप में माना जाता है जब :

(ए) यह अपने सामान्य संचालन चक्र में देयता को व्यवस्थित करने की अपेक्षा करता है;

(बी) मुख्य रुप से व्यापार के उद्देश्य के लिए यह दायित्व रखता है;

(सी) देयता को रिपोर्टिंग अवधि के बाद बारह महीनों के भीतर समाधान करता है; या

(डी) रिपोर्टिंग अवधि के बाद कम से कम बारह महीनों के लिए निपटान करने के लिए उसके पास बिना शर्त अधिकार नहीं है। देयता की शर्तों, जो प्रतिरुप के विकल्प पर हो सकती है, इसके परिणामस्वरुप साम्य के मुद्दे के निपटारे का परिणाम उसके वर्गीकरण को प्रभावित नहीं करता है ।

अन्य सभी देनदारियों को गैर–वर्तमान के रुप में वगीकृत किया गया है।

2.3 राजस्व की पहचान

भारतीय लेखाकन मानक 115, अनुबंध से राजस्व ग्राहक के साथ भारतीय लेखाकन मानक 11 निर्माणाधीन अनुबंध और आईएनडी 18 राजस्व पहचान का स्थान ले लिया और यह अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न होने वाले सभी राजस्व पर लागू हो भारतीय लेखाकन मानक 115 ग्राहकों के साथ अनुबंध से उत्पन्न होने वाले राजस्व के लिए एक पांच–चरण मॉडल की स्थापना करता है और इसके लिए आवश्यक है कि राजस्व को उस राशि को पहचान करती है जिसके लिए कंपनी किसी ग्राहक को माल या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है। कोल इंडिया लिमिटेड "सीआईएल या कंपनी" ने भारतीय लेखाकन मानक पूर्व प्रभावी विधि को अपनाया है।

भारतीय लेखाकन मानक 115 संस्थानो से अपने ग्राहकों के साथ अनुबंध के लिए मॉडल के प्रत्येक चरण को लागू करते समय सभी प्रासंगिक तथ्यों और परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए निर्णय लेने की अपेक्षा करती है। मानक एक अनुबंध प्राप्त करने की वृद्धिशील लागतों और एक अनुबंधको पूरा करने से सीधे संबंधित लागतों के लिए लेखांकन को भी निर्दिष्ट करता है।

ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व

कोल इंडिया लिमिटेड एक भारतीय राज्य नियंत्रित उद्यम है जिसका मुख्यालय कोलकाता, पश्चिम बंगाल, भारत में है और विश्व में सबसे बड़ी कोयला उत्पादक कंपनी है ग्राहकों के साथ अनुबंध से राजस्व उस राशि को रेकोगनाइज़ करती है जिसके लिए कंपनी किसी ग्राहक को माल या सेवाओं के हस्तांतरण के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है कंपनी ने आमतौर पर निष्कर्ष निकाला है कि यह अपने राजस्व व्यवस्था में प्रमुख है क्योंकि यह सामान या सेवाओं को ग्राहक को स्थानांतरित करने से पहले नियंत्रित करता है।

भारतीय लेखाकन मानक 115 के सिद्धांतों को निम्नलिखित पाँच चरणों का उपयोग करके लागू किया जाता है :

चरण 1 : अनुबंध की पहचान

कंपनी ग्राहक के साथ तभी अनुबंध करती है, जब निम्नलिखित सभी मानदंडों को पूरा किया जाता है :

ए) अनुबंध के पक्षकारों ने अनुबंध को मंजूरी दे दी है और अपने संबंधित दायित्वों को निभाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।

बी) कंपनी हस्तांतरित किए जाने वाले सामान या सेवाओं के बारे में प्रत्येक पार्टी के अधिकारों की पहचान कर सकती है;

सी) कंपनी को हस्तांतरित की जाने वाली वस्तुओं या सेवाओं के लिए भुगतान की शर्तों की पहचान कर सकती है;

डी) अनुबंध में वाणिज्यिक पदार्थ हैं (यानी, कंपनी के भविष्य के नकदी प्रवाह का जोखिम, समय या राशि अनुबंध के परिणाम स्वरूप बदलने की उम्मीद है); तथा

ई) यह संभव है कि कंपनी उस विचार को एकत्र करेगी जिसके लिए वह उन वस्तुओं या सेवाओं के बदले हकदार होगा जिन्हें ग्राहक को हस्तांतरित किया जाएगा (प्राप्त करने की राशि, जिसके लिए कंपनी हकदार होगी, अनुबंध में बताई गई कीमत से कम हो सकती है (यदि प्राप्त राशि परिवर्तनशील है) क्योंकि कंपनी ग्राहक को मूल्य रियायत, छूट, छूट, धन वापसी, क्रेडिट की पेशकश कर सकती है या प्रोत्साहन के लिए हकदार हो सकती है।

अनुबंधका संयोजन

कंपनी एक ही ग्राहक (या ग्राहक के संबंधित पक्ष) के साथ एक ही समय में या उसके बाद दर्ज किए गए दो या अधिक अनुबंधों को जोड़ती है और अनुबंध के लिए एक एकल अनुबंध के रूप में खाता है यदि निम्न मानदंडों में से एक या अधिक मिलते हैं :–

ए) अनुबंधों को एक एकल वाणिज्यिक उद्देश्य के साथ एक पैकेज के रूप में नेगोंसीएट की जाती है।

बी) एक अनुबंध में भुगतान की जाने वाली राशि की मात्रा दूसरे अनुबंध की कीमत या प्रदर्शन पर निर्भर करती है; या

सी) अनुबंध में दिए गए माल या सेवाओं (या प्रत्येक अनुबंध में वादा किए गए कुछ सामान या सेवाएं) एक एकल प्रदर्शन दायित्व हैं।

अनुबंध संशोधन

कंपनी एक अलग अनुबंध के रूप में एक अनुबंध संशोधन के लिए खाता है यदि निम्न दोनों स्थितियां मौजूद हैं

ए) अनुबंधित वस्तुओं का दायरा बढ़े हुए माल और सेवाओं के अलावा अलग–अलग होने के कारण बढ़ता है।

बी) अनुबंध की कीमत उस विचार की मात्रा से बढ़ जाती है जो कंपनी की स्टैंड–अलोन अतिरिक्त वायदा वस्तुओं या सेवाओं की बिक्री की कीमतों को दर्शाती है और विशेष अनुबंध की परिस्थितियों को प्रतिबिंबित करने के लिए उस मूल्य के लिए कोई उपयुक्त समायोजन करती है।

चरण 2 : प्रदर्शन दायित्वों की पहचान

अनुबंध की स्थापना के समय, कंपनी किसी ग्राहक के साथ अनुबंध में वादा किए गए सामान या सेवाओं का आकलन करती है और प्रदर्शन दायित्व के रूप में पहचानें कि ग्राहक को हस्तांतरित करने का प्रत्येक वादा :

ए) वस्तु या सेवा (या वस्तुओं या सेवाओं का एक बंडल) जो अलग है; या

बी) अलग–अलग वस्तुओं या सेवाओं की एक श्रृंखला जो काफी हद तक समान हैं और ग्राहक के लिए स्थानांतरण की समान पैटर्न है

चरण 3 : लेन–देन मूल्य का निर्धारण

कंपनी लेन–देन की कीमत निर्धारित करने के लिए अनुबंध की शर्तो और उसके प्रथागत व्यवसाय प्रथाओं पर विचार करती है। लेन–देन का मूल्य उस विचार की राशि है, जिसके बारे में कंपनी को उम्मीद है कि तीसरे पक्ष की ओर से एकत्र की गई राशियों को छोड़ कर किसी ग्राहक को दिए गए वादे या सेवाओं को हस्तांतरित करने के बदले में हकदार होगा। एक ग्राहक के साथ अनुबंध में वादा किए गए प्रतिफल में निश्चित राशि, चर राशि या दोनों शामिल हो सकते हैं।

लेन–देन की कीमत निर्धारित करते समय, कंपनी निम्नलिखित में से सभी के प्रभावों पर विचार करती है :

- परिवर्तनशील प्रतिफल
- परिवर्तनशील प्रतिफल के
- महत्वपूर्ण वित्त पोषण घटक का अस्तित्व
- ग्राहक को देय प्रति पूर्ति

छूट, धन की वापसी, शाख, मूल्य रियायतें, प्रोत्साहन, प्रदर्शन बोनस या अन्य समान वस्तुओं के कारण प्रतिफल अलग–अलग हो सकती है। वादा किया गया प्रतिफल भी भिन्न हो सकता है यदि कंपनी प्रतिफल के हकदार भविष्य की घटना गैर–घटना पर आकस्मिक हो।

कुछ अनुबंधों में अर्थदंड निर्दिष्ट हैं। ऐसे मामलों में, अनुबंध के पदार्थ के अनुसार दंड का हिसाब लगाया जाता है जहाँ लेन–देन के मूल्य के निर्धारण में जुर्माना निहित है, यह परिवर्तनशील प्रतिफल का हिस्सा है।

कंपनी में केवल कुछ हद तक अनुमानित परिवर्तनशील प्रतिफल के कुछ या सभी लेन–देन मूल्य शामिल हैं, यह अत्यधिक संभावना है कि मान्यता प्राप्त संचयी राजस्व की मात्रा में एक महत्वपूर्ण उलट तब नहीं होगा जब परिवर्तनशील प्रतिफल के साथ जुड़ी अनिश्चितता बाद में होती है।

अनुबंध की स्थापना के समय, अगर यह अपेक्षा करता है कि कंपनी एक महत्वपूर्ण वित्त पोषण घटक के प्रभावों के लिए प्रतिफल की गई राशि को समायोजित नहीं करती है, जब वह किसी ग्राहक को एक बादा किए गए सामान सेवा को स्थानांतरित करता है और जब ग्राहक उस वस्तु या सेवा के लिए भुगतान करता है सेवा एक वर्ष या उससे कम की होगी।

यदि कंपनी ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करती है और ग्राहक को उस प्रतिफल के कुछ या सभी को वापस करने की अपेक्षा करती है तो कंपनी धन वापसी दायित्व की पहचान करती है। एक वापसी दायित्व को प्राप्त प्रतिफल (या प्राप्य) की मात्रा पर मापा जाता है, जिसके लिए कंपनी को हकदार होने की उम्मीद नहीं है (यानी लेन–देन मूल्य में शामिल राशि)। वापसी दायित्व (और लेन–देन की कीमत में इसी परिवर्तन, इस लिए, अनुबंध देयता) को परिस्थितियों में परिवर्तन के लिए प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में अद्यतन किया जाता है।

अनुबंध की स्थापना के बाद लेन–देन की कीमत विभिन्न कारणों से बदल सकती है, जिसमें अनिश्चित घटनाओं के समाधान या परिस्थितियों में अन्य परिवर्तन शामिल हैं जो उस प्रतिफल की राशि को बदलते हैं, जिसके लिए कंपनी को वादा किए गए सामान या सेवाओं के बदले में हकदार होने की उम्मीद है।

चरण 4 : लेन–देन की कीमत का आवंटन

लेन–देन का मूल्य आवंटित करते समय उद्देश्य कंपनी को प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व (या अलग–अलग अच्छा या सेवा) में लेन–देन की कीमत आवंटित करने के लिए होता है, जिसमें उस राशि पर विचार किया जाता है जिसमें कंपनी वादा किए गए ग्राहक को माल या सेवाएं। हस्तांतरण के बदले में हकदार होने की उम्मीद करती है।

एक सापेक्ष स्टैंड–अलोन विक्रय मूल्य के आधार पर प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए लेन–देन मूल्य आवंटित करने के लिए, कंपनी अनुबंध में प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व को अंत र्निहित अलग–अलग अच्छी या सेवा के अनुबंध पर उन स्टैंड–अलोन सेलिंग प्राइसेज के अनुपात में विक्रय मूल्य निर्धारित और आवंटित करती है।

स्टेप 5 : राजस्व की पहचान

कंपनी अपने ग्राहक को किए गए वादे के अनुसार वस्तु या सेवा को जब (या जैसे ही) अपने ग्राहक को हस्तांतरित कर लेती है। वस्तु को हस्तांतरित तब माना जाता है जब (या जैसे ही) वस्तु या सेवा ग्राहक के नियंत्रण में आ जाता है।

यदि निम्न मानदंडों में से एक पूरा होता है तो कंपनी वस्तु या सेवा का नियंत्रण अपने ग्राहक को समय–समय पर हस्तांतरित करके अपने दायित्वों को पूरा करती है और राजस्व की पहचान भी समय के साथ करती है :

(ए) ग्राहक कंपनी के प्रदर्शन द्वारा प्रदान किए गए लाभों को प्राप्त करता है और उपभोग करता है जैसा कि कंपनी करती है।

(बी) जिस प्रकार वस्तु को बनाया या बढ़ाया जाता है ठीक उसी प्रकार वह संपत्ति जो ग्राहक के नियंत्रण में होती है कंपनी के प्रदर्शन से बनाया या बढ़ाया जाता है।

(सी) कंपनी का प्रदर्शन कंपनी के लिए एक वैकल्पिक उपयोग के साथ एक संपत्ति नहीं बनाता है और कंपनी के पास अब तक के प्रदर्शन के भुगतान के लिए लागू करने योग्य अधिकार है।

समय के साथ जैसे ही कंपनी अपने प्रत्येक बाध्य प्रदर्शन को पूरा करती है, कंपनी उस प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में प्रगति को मापकर समय के साथ राजस्व को पहचानती है।

कंपनी समय के साथ प्रत्येक प्रदर्शन दायित्व के लिए प्रगति को मापने का एक ही तरीका लागू करती है और कंपनी उस विधि को समान प्रदर्शन दायित्वों के लिए लगातार लागू करती है और इसी तरह की परिस्थितियों में, प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में, कंपनी समय के साथ संतुष्ट प्रदर्शन दायित्व की पूर्ण संतुष्टि की दिशा में अपनी प्रगति को फिर से मापती है।

कंपनी अनुबंध के तहत वादा किए गए शेष वस्तुओं या सेवाओं के सापेक्ष तारीख को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के ग्राहक को मूल्य के प्रत्यक्ष माप के आधार पर राजस्व पहचानने के लिए आउटपुट तरीके लागू करती है। आउटपुट विधियों में प्रदर्शन के सर्वेक्षण से लेकर आज तक पूर्ण किए गए परिणाम, प्राप्त परिणामों के मूल्यांकन, उपलब्धियों की प्राप्ति, निश्चित समयावधि में इकाइयों का उत्पादन अथवा इकाइयों को देना शामिल है ।

जैसे–जैसे समय के साथ हालात बदलते हैं, कंपनी प्रदर्शन दायित्व के परिणाम में किसी भी बदलाव को प्रतिबिंबित करने के लिए प्रगति के अपने उपाय को अधतन करती है। कंपनी की प्रगति के माप में इस तरह के बदलावों को लेखांकन नीतियों, लेखांकन अनुमानों और त्रुटियों में परिवर्तन के अनुसार लेखांकन अनुमान में परिवर्तन के रूप में जाना जाता है।

कंपनी समय के साथ संतुष्ट एक प्रदर्शन दायित्व के लिए राजस्व को केवल तब ही पहचानती है जब कंपनी यथोचित रूप से प्रदर्शन दायित्व की पूरी संतुष्टि के लिए अपनी प्रगति को माप सकती है। जब (या के रूप में) एक प्रदर्शन दायित्व संतुष्ट हो जाता है, तो कंपनी लेन–देन मूल्य की राशि को राजस्व के रूप में पहचानती है (जो परिवर्तनशील प्रतिफल को बाहर करता है जो उस प्रदर्शन दायित्व के लिए आवंटित किए गए हैं)

यदि एक प्रदर्शन की बाध्यता समय के साथ संतुष्ट नहीं करती है तो कंपनी किसी एक निश्चित समय के आधार पर प्रदर्शन दायित्व की पूर्ति करती है। उस समय को निर्धारित करती है जिस समय पर एक ग्राहक एक वस्तु या सेवा का नियंत्रण प्राप्त करता है और कंपनी एक प्रदर्शन दायित्व को संतुष्ट करती है, कंपनी नियंत्रण हस्तांतरण के संकेतकों पर विचार करती है जिसमें निम्नलिखित शामिल, किन्तु इसी तक सीमित नहीं, हैं :

ए) कंपनी के पास वस्तु एवं सेवा का वर्तमान अधिकार हो।

बी) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा का कानूनी अधिकार हो।

सी) कंपनी ने वस्तु या सेवा का भौतिक अधिकार हस्तांतरित कर दिया है।

डी) ग्राहक के पास वस्तु या सेवा के मालिकाना अधिकार का जोखिम और रिवार्ड हो।

ई) ग्राहक ने वस्तु या सेवा को स्वीकार कर लिया है।

जब किसी भी पक्ष ने अनुबंध के लिए ने प्रदर्शन किया है, कंपनी तुलन पत्र में अनुबंध को अनुबंध संपत्ति या अनुबंध देयता के रूप में प्रस्तुत करती है और यह कंपनी के प्रदर्शन और ग्राहक के भुगतान के बीच संबंध पर निर्भर करता है।

अनुबंध संपत्ति

एक अनुबंध संपत्ति ग्राहक को हस्तांतरित वस्तुओं या सेवाओं के बदले में प्रतिफल का अधिकार है। यदि कंपनी ग्राहक प्रतिफल प्राप्त होने से पहले या भुगतान देय होने से पहले किसी वस्तु या सेवाओं को स्थानांतरित करती है, तो अनुबंधित परिसंपत्ति अर्जित प्रतिफल के रूप में पहचान की जाती है, जो सशर्त होती है।

प्राप्त व्यापार (ट्रेड रिसीवेबल)

एक प्राप्य कंपनी के उस अधिकार का प्रतिनिधित्व करता है जो बिना शर्त के होता है (अथार्थ प्रतिफल के भुगतान से पहले केवल समय बीतने की आवश्यकता होती है)।

अनुबंध दायित्व

एक अनुबंध देयता ग्राहक के लिए वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने का दायित्व है जिसके लिए कंपनी को ग्राहक से प्रतिफल (या प्रतिफल की राशि देय है) प्राप्त हुई है। यदि कोई ग्राहक कंपनी में वस्तुओं या सेवाओं को स्थानांतरित करने से पहले ग्राहक से प्रतिफल प्राप्त करता है, तो अनुबंध देयता की पहचान की जाती है, जब भुगतान किया जाता है या देय (जो भी पहले हो)।

ब्याज

प्रभावी आय विधि का उपयोग करके ब्याज आय की पहचान की जाती है।

लाभांश

भुगतान प्राप्त करने के अधिकार स्थापित होने पर निवेश से लाभांश आय की पहचान दी जाती है।

अन्य दावे

अन्य दावों (ग्राहकों से विलंबित प्रतिफल पर ब्याज सहित) की गणना तब की जाती हैं, जब प्राप्ति की निश्चितता होती है और इसे भरोसे से मापा जा सकता है।

2.4 सरकार से प्राप्त अनुदान

सरकार से प्राप्त अनुदान को तब तक नहीं माना जाएगा जब तक की यह आश्वासन न दिया जाए कि कंपनी उससे संबंधित शर्तों का अनुपालन करेगी और उचित निश्चित हो, की अनुदान प्राप्त होंगे।

सरकार अनुदान की लाभ एवं हानि विवरण में व्यवस्थित आधार पर समय के लिए जिसमें की कंपनी संबंधित लागत को जिसके एवज में प्राप्त हुआ होता है, की खर्चे के रुप दर्शाती है। संपत्ति से संबंधित सरकारी अनुदान/मदद को तुलन–पत्र में अनुदान को स्थगित आय के रुप में दर्शाया गया है एवं लाभ एवं हानि का विवरण संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर व्यवस्थित रुप से दर्शाया जाता है। आय से संबंधित अनुदान (जैसे की संपत्ति के अलावा अनुदान) को लाभ एवं हानि विवरण के अन्य आय के अंतर्गत दर्शाया गया है।

सरकारी अनुदान जो खर्चे या हानि जो पहले ही व्यय किये जा चुके है, के क्षतिपुर्ति के एवज में प्राप्त योग्य हो जाते है या कंपनी को तत्काल वित्तीय सहायता प्रदान करने के उद्देश्य से भविष्य में संबंधित बिना किसी लागत के लाभ एवं हानि विवरण में उस समय सम्मलित किया जाएगा जब वह प्राप्ति योग्य हो जाएगा।

सरकारी अनुदान या प्रमोटर के योगदान के स्वभाव को सीधे संपत्ति कोष में लिया जाएगा जो की अंशधारक निधि का भाग बन जाएगा।

2.5 पट्टे

एक अनुबंध है, या होता है, एक पट्टा अगर अनुबंध विचार के बदले में समय की अवधि के लिए पूर्व निर्धारित परिसंपत्ति के उपयोग को नियंत्रित करने का अधिकार देता है।

2.5.1 कंपनी एक पट्टेदार के रूप में

प्रारंभ तिथि में, पट्टेदार लागत पर एक सही संपत्ति का उपयोग करेगा और उस तिथि में भुगतान नहीं किए गए पट्टे के भुगतान के वर्तमान मूल्य पर एक पटुटा देयता होगी।

इसके बाद, उपयोग करने का अधिकार परिसंपत्ति को लागत मॉडल का उपयोग करके मापा जाता है, जबकि लीज़ देयता पर ली गई ब्याज को दर्शाने के लिए ली जाने वाली राशि को बढ़ाकर पट्टा देयता को मापा जाता है, ली गई भुगतानों को दर्शाने के लिए ले जाने वाली राशि को प्रकट करने और किसी भी पुनर्मूल्यांकन या पट्टे में संशोधन के लिए राशि को दर्शाते हैं।

2.5.2 पट्टादाता के रूप में कंपनी

सभी पट्टे या तो एक परिचालन पटूटे या एक वित्त पट्टे के रूप में।

एक पटुटे को एक वित्त पट्टे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो यदि यह सभी जोखिमों को स्थानांतरित करता है और अंतर्निहित परिसंपत्ति के स्वामित्व के लिए आकस्मिक है। एक पटुटे को एक परिचालित पटूटे के रूप में वर्गीकृत किया जाता है तो यदि यह अंतर्निहित जोखिम के स्वामित्व के लिए सभी जोखिमों और पुरस्कारों को पर्याप्त रूप से स्थानांतरित नहीं करता है।

परिचालित पट्टों– परिचालित पट्टों से लीज भुगतान को एक सीधी रेखा के आधार पर आय के रूप में मान्यता दी जाती है, जब तक कि एक और व्यवस्थित आधार पैटर्न का अधिक प्रतिनिधि नहीं होता है, जिसमें अंतर्निहित परिसंपत्ति के उपयोग से लाभ कम होता है।

वित्त पट्टा– एक वित्त पट्टे के तहत रखी गई संपत्ति को शुरू में अपनी तुलन–पत्र में मान्यता प्राप्त है और पटटे में शुद्ध निवेश को मापने के लिए पटूटे में निहित ब्याज दर का उपयोग करके पट्टे में शुद्ध निवेश के बराबर राशि के रूप में प्राप्य के रूप में प्रस्तुत करता है।

इसके बाद, पट्टा अवधि में वित्त आय को मान्यता दी जाती है, जो पट्टे में पट्टेदार के शुद्ध निवेश पर निरंतर आवधिक दर को दर्शाती है।

2.6 बिक्री हेतु गैर चालू परिसंपत्ति

कंपनी में गैर–चालू परिसंपत्ति का वर्गीकरण किया है एवं (या निपटान समूहों) उसे बिक्री हेतु रखा है यदि उनके ले जानी वाली रकम मुख्य रुप से उपयोग के बजाय बिक्री के माध्यम से वसूल की जायगी। बिक्री पूरी करने के लिए किये गये कार्य का यह दर्शाना जरुरी है कि बिक्री में किसी प्रकार बड़े बदलाव की संभावना नहीं है या बिक्री के निर्णय को टाल दिया जाएगा। संपत्ति के वर्गीकरण के एक वर्ष के भीतर प्रबंधन का बिक्री हेतु वचनबद्ध होना अनिवार्य हो।

इन उद्देश्यों से बिक्री लेन–देन में सम्मलित होगा एक गैर–चालू परिसंपत्ति का दूसरी गैर–चालू परिसंपत्ति के साथ आदान–प्रदान जब वह आदान–प्रदान किसी व्यावसायिक पदार्थ का हो। बिक्री के लिए रखे जाने का मापदंड तब होगा जब संपत्ति या निपटान समूह अपनी वर्तमान स्थिति में तुरंत बिक्री के लिए उपलब्ध हो, उस संपत्ति (या निपटान समूह) की बिक्री के लिए सामान्य या प्रथागत के अधीन हो, उसकी बिक्री की संभावना काफी ज्यादा होती है यदि वास्तव में उसे परित्यक्त नहीं किया गया हो। कंपनी संपत्ति या निपटान समूह की बिक्री की संभावना काफी ज्यादा तब मानेगी जब

- उपर्युक्त प्रबंधन उस संपत्ति (या निपटान समूह) के बिक्री के लिए वचनबद्ध हो ।

- सक्रिय कार्य कर खरीददार की पहचान और योजना को पूरा करने के लिए कार्य की शुरुआत की गई हो ।
- संपत्ति (या समूह) को बेचने के लिए उसके उचित मूल्य से संबंधित राशि पर रखी गयी हो ।
- बिक्री को पूर्ण रुप से तब माना जायेगा जब उसकी बिक्री वर्गीकरण के 1 वर्ष के भीतर पूर्ण रुप से हो चूकी हो।
- योजना को पूरा करने के लिए कार्य यह दर्शाते है कि योजना में कोई महत्वपूर्ण या योजना वापस लेने की संभावना नहीं है।

2.7 संम्पति, कारखाना और उपकरण (पीपीई)

जमीन की कीमत ऐतीहासिक लागत पर की जाती है, ऐतिहासिक लागत वह होती है जो जमीन के अधिग्रहण में सीधे रुप से सम्मलित रहती है जैसे की पुनर्वास खर्चे, स्थान्तरगमन लागत, संबंधित प्रमवित व्यक्ति की क्षतिपूर्ति के एवज मे न रोजगार आदि। पहचान के बाद, सभी अन्य संपत्ति, कारखाना और उपकरण के मद को उनकी लागत से संचित मूल्यह्रास के घटाव के बाद और किसी भी संचित क्षतिपूर्ति हानि लागत मॉडल के अंतर्गत से लिया जाता है। संपत्ति, कारखाना और उपकरण की मद में लागत जो सम्मलित है निम्न :–

(ए) क्रय की गई राशि, जिसमें आयात शुल्क एवं वापस नहीं किया जाने वाला क्रय कर से व्यापार छूट घटा कर।

(बी) प्रबंधन के अनुसार संपत्ति को उचित जगह पर सही अवस्था में लाने और चालू करने से संबंधित लागत।

(सी) जिस स्थान पर स्थित वह मद है वहाँ से उसे उखाड़ने, हटाने या ले जानी की शुरुआती अनुमानित लागत का दायित्व जो कंपनी उठाती है चाहे जब वह उस मद का अधिग्रहण करती है परन्तु दिये गये समय में माल के उत्पादन के अलावा परिणाम स्वरुप उस मद का इस्तेमाल दिये गये समय में किया गया हो।

संपत्ति, कारखाना एवं उपकरण के प्रत्येक मद के भाग लागत के साथ मद के कुल लागत से संबंधित मूल्यह्रास अलग से किया जाता है जबकी सम्पत्ति, संयंत्र व उपकरण (पीपीई) के दों का महत्वपूर्ण माग जिसका ठीक उसी प्रकार इस्तेमाल करने योग्य जीवन काल हो और मूल्यह्रास विधि का मूल्यह्रास प्रभार पता लगाने के लिए उनका समूह किया जाता है।

प्रत्येक दिन की वर्णित सेवाओं की लागत जैसे की मरम्मत और रख रखाव की पहचान लाभ और हानि विवरण में उस समय दर्शाया जाता है जिस समय वह किये गये हैं।

संपत्ति, कारखाना एवं उपकरण की मदों के अंशों में महत्वपूर्ण परिवर्तन कुल लागत से संबंधित होती है मदों की राशि में लिया जाता है अगर यह संभावित हो की मद से संबंधित भविष्य की आर्थिक लाभ कंपनी को प्राप्त होगी और वस्तु का विश्वसनीय रुप से मापा जाए। बदली हुई अंशो को उस राशि को अमान्य की जाएगी, जिसे अमान्य नीति के अनुसार जो नीचे दी गई है।

जब मुख्य निरीक्षण किया जाता है तब, संम्पति, कारखाना एवं उपकरण के मदों की राशि में लागत की पहचान की जाती है यदि यह संभावित हो की उससे होने वाली लाभ कंपनी को प्राप्त होगी और उसका मूल्यांकन विश्वासनीय तौर पर किया जा सके। पिछले निरीक्षण की किसी भी प्रकार की बची हुई राशि (जो भैतिक अंशों से अलग हो) अमान्य होगी।

निपटारा के वक्त संपत्ति, कारखाना एवं उपकरण के अंश को अमान्य किया गया है या जब संम्पति के उपयोग से भविष्य में किसी प्रकार की अर्थिक हित संभावित हो, संपत्ति, कारखाना एवं उपकरण के मद को अमान्य करने से प्राप्त लाभ या हानि को लाभ एवं हानि मे सम्मलित किया जाता है।

संपत्ति, कारखाना एवं उपकरण पर मूल्यहास के अलावा फ्री होल्ड जमीन के, संपत्ति के अनुमानित इस्तेमाल जीवन काल पर नियमित आधार पर लागत प्रतिरुप के अनुसार किया जाता है।

अन्य जमीन (पट्टे पर उठाई गई भूमि को सम्मलित कर)	:	परियोजना का जीवनकाल या पट्टा की अवधि दोनो में से जो कम हो।
इमारत	:	3 – 60 वर्ष
सड़के	:	3 – 10 वर्ष
दूरसंचार	:	3 – 9 वर्ष
रेलवे साइडींग	:	15 वर्ष
संयंत्र एवं उपकरण	:	5 – 30 वर्ष
कम्यूटर एवं लैपटाप	:	3 वर्ष
कार्यालय उपकरण	:	3 – 6 वर्ष
फर्नीचर एवं फीक्चर्स	:	10 वर्ष
वाहन	:	8 – 10 वर्ष

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर, प्रबंधन यह मानता है कि ऊपर दी उपयोगी जीवन उस अवधि का प्रतिनिधित्व करते हैं जिस पर प्रबंधन उस संपत्ति का उपयोग करने की अपेक्षा करता है, तो इस प्रकार से कंपनीज् अधिनियम 2013 की अनुसूची के भाग 'सी' में दी गई जीवन काल से संपत्ति की उपयोगी जीवन का अलग हो सकती है।

प्रत्येक वित्तीय वर्ष के अंत में संपत्ति की जीवन काल की समीक्षा की जाती है।

संम्पति, कारखाना एवं उपकरण की मूल्य संम्पति की वास्तविक लागत का 5% माना जाता है सिवाय संपत्ति के उन वस्तुओं का जैसे कि कोयले का टब, वाइडिंग शेप, हौलेज शेप, स्टोविंग पाइप एवं सुरक्षा लैम्प आदि जिसके लिए तकनीकी मूल्यांकित उपयोगी जीवनकाल (लाइफ) को एक वर्ष माना जाना है और बची हुई मूल्य शून्य मानी गई है।

संपत्ति जिन्हें वर्ष के दौरान जोड़ा/या खत्म किया गया हो पर मूल्यह्रास प्रो राटा आधार पर उस महीने जिसमें उस संपत्ति को जोड़ा या निपटारा किया गया, का ध्यान में रखते हुए किया जाता है।

'अन्य जमीन' के मूल्य कोयला से भरा क्षेत्र (अधिग्रहण एवं विकास) (सीबीए) अधिनियम 1957, जमीन अधिग्रहण अधिनियम 1894, भूमि अधिग्रहण पुर्नवास एवं स्थानांतरगमन (आरएफसीटीए एलएआर) अधिनियम, 2013 में निष्पक्ष मुआवजे और पारदर्शिता हस्तांतरण, जिसे परियोजना के शेष जीवन के आधार पर अमूर्त किया गया है और पट्टे पर उठाई गई भूमि के मामले में इस तरह के परिशोधन परियोजना की पट्टा अवधि या शेष जीवन पर आधारित है जो भी कम हो।

पूर्णतः मूल्यह्रास रोजाना उपयोग से समाप्त संपत्ति को संपत्ति कारखाना उपकरण के अंर्तगत बचे हुए मूल्य पर सर्वे ऑफ संपत्ति के रुप में दर्शाया जाता है एवं क्षति के लिए परीक्षण किया जाता है। कंपनी द्वारा की गई कुछ संपत्ति को जो उत्पादन, माल की ढुलाई या कंपनी की किसी पहले से ही मौजूद संपत्ति पर की गयी पूंजीकृत खर्चे को संपत्ति, कारखाना एवं उपकरण के अंतर्गत सक्रिय करने के संपत्ति के रुप में पाया जाता है।

भारतीय लेखांकन मानक का पारगमन

कंपनी का चुनाव किया जाता है ताकि कैरिंग मूल्य को लागत प्रतिरुप के अनुसार अपने सभी, कारखाना एवं उपकरण को जारी रख सके जैसा की वित्तीय विवरण जैसा की निश्चित तिथि को भारतीय लेखांकन मानक को पारगमन के रुप में पाया गया है, पिछले जीएएपी (आमतौर पर स्वीकार्य लेखा प्रमुख) के अनुसार मूल्यांकित किया है।

2.8 खान बन्दी, स्थल बहाली एवं पाबंदी लगाने को दायित्व

कंपनी का दायित्व जमीन के पुन सुधार एवं संरचना की पाबंदी लगाना भारत सरकार कोयला मंत्रालय की दिशा निर्देशों के अनुसार दोनों ही प्रकार के खान सतह एवं भूमिगत खान में खर्च होता है। कंपनी खान बन्दी, स्थल मरम्मत एवं पाबंदी लगाने के दायित्वों का मूल्यांकन राशि की विस्तार गणना एवं तकनीकी मूल्यांकन राशि को मुद्राफीति से बाहर रखा जाता है जो मुद्रा की समय मूल्य का वर्तमान बाजार मूल्यांकन एवं जोखिम दर्शाता है, की खर्चो की वर्तमान मूल्य का प्रावधान दायित्वों के निपटारे के लिए रखा गया है। अंतिम सुधार और खान बंदी के लिए दायित्वों से जुड़े हुए संबंधित संपत्तियों का अभिलेख कंपनी करती है उस समय दायित्वों एवं संबंधित, संपत्तियों की पहचान कंपनी द्वारा की जाती है। वह संम्पतति जो स्थल की मरम्मत के कुल लागत का प्रतिनिधित्व करती है (जैसा की सीएमपीडीआईएल द्वारा अनुमानित किया गया) खान बंदी योजना में सम्पत्ति, संयंत्र ब उपकरण (पीपीई) में अलग मद के रुप में पाया जाता है और बची हुई परियोजना/खान की जीवन काल में चुकाया जाता है।

अनवाइडिंग की घटाव की प्रभाव की वजह से समय के साथ प्रावधान का मूल्य प्रगतिशील रुप से निरंतर बढ़ता चला जाता है, व्यय के निर्माण को वित्तीय खर्च माना जाता है।

आगे खान बंदी योजना के अनुमोदन के अनुसार, इस उद्देश्य के लिए एक विशिष्ट एस्क्रो निधि खाता को बरकरार रखा जाता है। वर्ष दर वर्ष खान बंदी प्रगतिशील बढ़ने वाले खर्चे जो माइन बंदी दायित्व के अंश के रुप में शुरुआत में एस्को खाते से प्राप्त योग्य माना गया है एवं उसके बाद उस वर्ष जिसमें उसे निकाला गया है, प्रभावित संस्था की सहमत्ति के बाद के दायित्व के साथ समायोजित किया जाता है।

2.9 संपत्ति का गवेक्षण एवं मूल्याकंन

संपत्ति का गवेक्षण एवं मूल्याकंन में वे पूँजीकृत लागत सम्मिलित रहते हैं जो कोयला एवं उससे संबंधित संसाधन तकनीकी संभावना का निश्चय एवं चिन्हित संसाधनों का वाणिज्यिक व्यावहारिकता का निर्धारण लम्वित होने के कारण अन्य विषयों के साथ तुलना निम्नानुसार है :–

- ऐतिहासिक अन्वेषण आँकड़े का शोध और विश्लेषण करना;
- स्थलाकृतिक, भौगोलिक रासायनिक और भू भौतिक अध्ययन के माध्यम से अन्वेषण आँकड़ा एकत्र करना;
- अनवेषणात्मक ड्रिलिंग, ट्रेन्चिंग और नमूना;
- संससधन की मात्रा और ग्रेड का निर्धारण करना और जांचना;
- परिवहन और आधारिक संरचना आवश्यकताओं का सर्वेक्षण;
- बाजार और वित्त अध्ययनों का आयोजन।

उपर्युक्त में कर्मचारी परिश्रमिक, सामाग्री की लागत एवं ईंधन का उपयोग, ठेकेदार का भुगतान आदि सम्मलित है।

पूर्ण वास्तविक लागत जिसके होने की उम्मीद की जा रही है, में अवास्तविक अंग जो महत्वपूर्ण न हो अविभाजनीय दर्शाता है, के भाग होते हैं और जो भविष्य के अन्वेषण में कमी करें, ऐसी लागत के साथ पूंजीकृत अन्वेषण लागत को बतौर अन्वेषण एवं संपत्ति का मूल्यांकन के रुप में अभिलेख किया गया है। अन्वेषण एवं

मूल्यांकन लागत को परियोजना पर पूंजीकृत किया जाता है। तकनीकी सहायता की अपूर्ण पहचान के आधार पर और बतौर अलग मद के रुप में दर्शाया जाता है गैर–चालू परिसंम्पति के अंतर्गत उनका निरंतर मूल्यांकन संचित क्षति/प्रावधान से लागत को कम करके किया जाता है।

एक बार जब प्रमाणित भंडार की पहचान कर ली जाती है और खानद्यपरियोजना के विकास को स्वीकृत कर लिया जाता है अन्वेषण एवं मूल्यांकन परिसंपत्ति को पूंजी कार्य प्रगति के अंतर्गत विकास की ओर हस्तातंरित किया जाता है। जबकि प्रमाणित भंडार की पहचान न हो तो अन्वेषण एवं मूल्यांकन संपत्ति को अस्वीकार कर दिया जाता है।

2.10 विकास व्यय

जब प्रमाणित भंडार की पहचान हो जाए एवं खान/परियोजना के विकास की स्वीकृति मिल जाए, तो पूँजीकृत अंवेषण एवं मूल्यांकन लागत को बतौर परिसंपत्ति निर्माण के अंतर्गत बतौर पूंजी कार्य प्रगति पर है, के अंश के रुप में दर्शाया जाता है। विकास की अवस्था में निकाले गये कोयले की बिक्री से प्राप्त विशुद्ध पूँजीकृत विकास खर्चे होते हैं।

व्यावसायिक प्रचालन

परियोजना/खान को लाभ में तब लाया जाता है जब परियोजना/खान का व्यावसयिक इच्छा उत्पादन की प्राप्ति निरंतर आधार पर हो जाए चाहे परियोजना की रिपोर्ट की जो शर्ते निश्चित तौर पर या निम्न मानदंड की आधार पर कहीं गई है :–

(ए) अगली उसी वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जिस वर्ष परियोजना/खान अपने भौतिक उत्पादन अनुमोदित परियोजना रिपोर्ट रेटेड क्षमता का 25% का लक्ष्य प्राप्त करले या

(बी) कोयले का टचिंग करने का 2 वर्ष पूर्ण हो चुका हो।

(सी) उस वित्तीय वर्ष की शुरुआत से जहाँ उम्पादन का मूल्य, कुल व्यय से अधिक हो जो भी घटना पहले घटित हो जाये।

आय में लाये जाने के बाद, वह परिसंपत्ति जो पूंजी कार्य प्रगति पर है, के अंर्तगत आती है, का पुर्नवर्गीकरण किया जाता है बतौर संपत्ति, कारखाना एवं उपकरण बतौर परभाषिक शब्दावली 'अन्य खनन संरचना' के अदंर दर्शाया जाता है। अन्य खनन संरचना को उस वर्ष से परिशोधित किया जाता है जब खान को 20 वर्षो में आय में आ जाए या परियोजना के कार्य योग्य उम्र दोनों में से जो कम हो।

2.4 अमूर्त परिसंपत्ति

अमूर्त परिसंपत्ति जिन्हें अलग से अर्जित किया जाता है जो शुरुआत लागत में मापा जाता है निम्न अमूर्त परिसंपत्ति की शुरुआती पहचान को लागत से इकट्ठा हुए परिशोधित से घटा कर लिया जाता है। (उपयोगी उम्र से स्ट्रेट – लाइन के आधार पर गणना की जाती है) एवं संग्रहित क्षति से नुकसान यदि किसी प्रकार का हो। आंतरिक रुप से उत्पन्न हुए अमूर्त पूँजीकृत विकास लागत को बाहर रखा गया है, को पूँजीकृत नहीं किया जाता है बल्कि संबंधित खर्चे को लाभ एवं हानि विवरण में दिखाया गया है साथ ही अन्य व्यापक आया जो उस समय के दौरान हुए जिसमें खर्च भी किये गये, को दर्शाया गया है। अमूर्त परिसंपत्तियों का उपयोगी जीवन का मूल्यांकन सीमित या असीमित तरीके से किया जाता है। वह अमूर्त परिसंम्पतिया जिनकी उम्र सीमित हो को उपयोगी आर्थिक जीवन काल के आधार पर परिशोधित किया जाता है और क्षति का मूल्यांकन तब किया जाता है जब यह आदेश हो जाता है कि अमूर्त परिसंपत्ति खराब होने वाली है। वह अमूर्त परिसंपत्तियाँ जिसकी उपयोगी उम्र सीमित हो, कम से कम प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में क्षति की अवधि और विधि की समिक्षा की जाती है। परिसंपत्तियाँ से जुड़ी हुई उसके उपयोगी जीवन में बदलाव की उम्मीद या उससे जुड़ी हुई भविष्य के लाभ का खपत को, जो सही हो उसके अनुसार परिशोधित विधि या अवधि में बदलाव के वक्त ध्यान में रखा जाता है। सीमित उम्र की अमूर्त परिसंपत्ति पर हुए परिशोधित खर्चे को लाभ एवं हानि विवरण में लिया जाता है। अमूर्त परिसंपत्ति जिनका जीवन असीमित हो, को परिशोधित नहीं किया जाता बल्क प्रत्येक रिपोर्टिंग के वक्त उसके हानि की जाँच की जाती है।

अमूर्त परिसंपत्ति की पहचान न किये जाने की वजह से हुई लाभ या हानि को निपटारे से प्राप्त हुई विशुद्ध राशि और परिसंपत्ति की आगे ले जाई गई राशि के अंतर के द्वारा मापा जाता है और उसे लाभ एवं हानि विवरण में दर्शाया जाता है।

परिसंपत्ति का अन्वेषण और मूल्यांकन जो बिक्री खण्ड का कारण बनती है और जो बाहरी संस्था को बेचने के लिए प्रस्तावित हो (ऐसे खण्ड जिन्हें सीआईएल के लिए निर्धारित नहीं किया गया हो) बल्कि अमूर्त परिसंपत्ति के रुप में वर्गीकरण किया गया है और क्षति के लिए उसकी जाँच की जा रही है।

सॉफ्टवेयर की लागत को अमूर्त परिसंपत्ति के रुप में लिया गया है और उसका परिशोधित स्ट्रेट लाइन विधि के द्वारा ऐसे उपयोग करने की कानूनी अधिकार की अवधि या 3 वर्ष या दोनों में से जो कम हो, शून्य अवशिष्ट राशि के साथ किया जाता है।

2.12 संपत्ति की क्षति (वित्तीय संपत्ति के अलावा)

कंपनी प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में यह जाँच करती है कि कहीं कोई परिसंपत्ति की क्षति तो नहीं हाने वाली है। अगर ऐसा कुछ प्रतीत होता है तो कंपनी उस परिसंपत्ति से प्राप्त हाने वाली

राशि का पता लगाती है। यदि परिसंपत्ति से प्राप्त होने वाली राशि परिसंपत्ति से अधिक हो या उपयोग हाने वाली इकाई का मूल्य जो नकदी उत्पन्न करती है और उसके उचित मूल्य से निपटाने की लागत को घटाकर और किसी विशिष्ट परिसंपत्ति के लिए पाई जाती है, जब तक की परिसंपत्ति नकदी का अन्तर्वाह न उत्पन्न करने लगे बड़े पैमाने में अन्य संपत्ति या संपत्तियों के समूह से स्वतंत्र हो। जिन मामलों में वसूली योग्य राशि को नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई जो उस परिसंपत्ति से तुड़ी हो के लिए निर्धारित किया जाता है। क्षति की जाँच के लिए कंपनी व्यक्तिगत खान को बतौर अलग नकदी उत्पन्न करने वाली इकाई के रुप में लेती हैं।

अगर परिसंपत्ति की वसूली योग्य राशि का आंकलन उसके आगे ले जाने वाली राशि से कम मानी जाती है तथा परिसंपत्ति की आगे ले जाने वाली राशि वसूली योग्य राशि से कम की जाएगी और क्षति की पहचान लाभ एवं हानि के विवरण में दर्शाया जाएगा।

2.13 निवेश संपत्ति

संपत्ति (जमीन या इमारत या इमारत का भाग या दोनों) जिसे किराया आय के लिए रखा गया है या पूंजी के विकास के लिए या व्यापार के आय समय में बिक्री के लिए निवेश संपत्ति में वर्गीकरण किया गया है।

निवेश संपत्ति के प्रारंभ में उसकी लागत के अनुसार मापा जाता है जिसमें संबंधित लेन–देन संबंधित लागत और उधार की लागत जहाँ लागू हो।

निवेश के गुण को अनुमानित उपयोगी जीवन पर स्ट्रेट–लाइन विधि के अनुसार मूल्यह्रास किया जाता है।

2.14 वित्तीय उपकरण

एक वित्तीय दस्तावेज किसी भी प्रकार का वह अनुबंध होता है जो किसी इकाई के वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयता या दूसरी इकाई का सम्य दस्तावेज को बढ़ाता है।

2.14.1 वित्तीय परिसंपत्तियाँ:

2.14.1.1 प्रारंभिक पहचान और उसका माप

सभी वित्तीय संपत्तियों की शुरुआत में उचित मूल्य की पहचान की जाती है, उन मामलों में जहाँ। वित्तीय परिसंपत्ति उचित मूल्य पर नहीं दर्ज की जाती है ,लाभ या हानि के द्वारा जिसमें लेन–देन की लागत को जोड़ा जाता है जो उस वित्तीय परिसंपत्ति के अधिग्रहण में सम्मलित होता है। उन परिसंपत्तियों की खरीदी बिक्री जिनकी सुपर्दगी विनियम द्वारा तय सीमा के अंतर्गत निर्धारित की गयी हो या बाजार स्थान पर सम्मेलन (निरंतर तरीके से व्यापार) की पहचान व्यापार के दिन होती है, जो कि वह तिथि जिस दिन कंपनी उस परिसंपत्ति को खरीदने या बेचने के लिए वचनबद्ध होती है। जो किसी इकाई के वित्तीय परिसंपत्ति और वित्तीय देयता या बेचने के लिए वचनबद्व होती है।

2.14.2 आगामी माप

आगामी माप के लिए वित्तीय परिसंपत्ति को इन भार श्रेणियों में वर्गीकरण किया गया है :

- ऋण दस्तावेजों को परिशोधित लागत पर
- ऋण दस्तावेजों, को उचित मूल्य पर अन्य व्यापक आय के जरिए (एफवीटीओसीआई)
- ऋण दस्तावेज, व्युत्पत्र एवं साम्य दस्तावेज को उचित मूल्य पर लाभ या हानि के द्वारा (एफवीटीपीएल)
- साम्य दस्तावेज जिन्हें उचित मूल्य पर मापा गया है अन्य व्यापक आय के जरियें (एफवीटीओसीआई)

2.14.2.1 ऋण दस्तावेज परिशोधित लागत पर

ऋण दस्तावेज को परिशोधित लागत में मापा जाता है यदि दोनों ही निम्न शर्ते पूरी की हो।

(ए) परिसंपत्ति को व्यापार प्रतिरुप के अंतर्गत रखा गया हो जिसका उद्देश्य परिसंपत्ति को संभाल के रखना ताकि नकदी के बहाव को संग्रह किया जा सके।

(बी) परिसंपत्ति की कह बंधित शर्ते निश्चित दिन पर नकदी के बहाव को बढ़ावा देती है जो बकाया मूल राशि के भुगतान का मूल एंव ब्याज (एसपीपीआई) है।

प्रारंभिक माप के बाद वित्तीय उन परिसंपत्ति को बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है, प्रभावशाली ब्याज दर (इआईआर) के आधार का इस्तेमाल करके, परिशोधित लागत गणना, किसी भी प्रकार के छूट या बढ़ोत्तरी को ध्यान में रखते हुए एवं शुल्क या लागत जो इआईआर के अंदरुनी भाग हैं, लाभ और हानि में इआईआर लागत को वित्त आय में लिया जाता है। क्षति से उत्पन्न हुई हानि को लाभ या हानि में दर्शाया जाता है।

2.14.2.2 अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन

यदि निम्न दोनों मापदंड पूरे हो जाते हैं तो एक 'ऋणसाधन' को अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में वर्गीकृत किया जाता है :

अ) व्यापार प्रतिरूप का उद्देश्य संविदात्मक नकदी प्रवाह को इकट्ठा करके और वित्तीय परिसंपत्तियों को बैचकर दोनों हासिल किया गया है, और

बी) संपत्ति के सविदागत नकदी प्रवाह मूल और ब्याज का पूरी तरह से भुगतान का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य के श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों की शुरुआत और साथ ही प्रत्येक प्रतिवेदित तिथि को उचित मूल्य पर मापा जाता है उचित मूल्य आंदोलन अन्य व्यापक आय (ओसीआई) में मान्यता प्राप्त है। हालांकि, कंपनी ने ब्याज आय, क्षति और लाभ हानि में विदेशी लेन–देन लाभ या हानि को पहचान लिया है। परिसंपत्ति की मान्यता पर, ओसीआई में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को साम्य से लाभ–हानि के लिए पुनः वर्गीकृत किया गया है। एफ आईटी ओसी आई ऋण साधन रखने पर प्रभावी व्यापार पद्धति का उपयोग करते हुए ब्याज आय के रूप में ब्याज अर्जित किया गया है।

2.4.2.3 लाभ–हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधन

लाभ–हानि माध्यम से उचित मूल्य पर ऋण साधनों के लिए एक अवशिष्ट श्रेणी है। किसी भी ऋण साधन जो वर्गीकृत किए गए मानदंडों को परिशोधित लागत या एफवीटीओसी के रूप में पूरा नहीं करता है, को एफवीटीपीएल के रूप में वर्गीकृत किया गया है।

इसके अलावा कंपनी एक ऋण साधन को नामित करने का चुनाव कर सकती है, जो अन्यथा लाभ–हानि माध्यम से उचित मूल्य पर के रूप में परिशोधित लागत या एफवीटीओसीआई मानदंडों को पूरा करती है। हालांकि, ऐसे चुनावों की अनुमति केवल तभी दी जाती है जब कोई माप या मान्यता असंगतता को कम कर देता है या समाप्त कर देता है। (जिसे लेखांकन बेमेल' कहा जाता है)। कंपनी ने किसी भी ऋण साधन को एफवीटीपीएल के रूप में निर्दिष्ट नहीं किया है।

एफवीटीपीएल श्रेणी में शामिल ऋण उपकरणों को उचित मूल्य पर मापा जाता है जिसमें लाभ–हानि में मान्यता प्राप्त सभी परिवर्तन हैं।

2.34.2.4 अनुषंगी, सहयोगी और संयुक्त उपक्रमों में साम्य निवेश

भारतीय लेखाकंन मानक 03 के अनुसार (भारतीय लेखाकंन मानक की पहली बार गोद लेने के लिए), पारगमन की तिथि के अनुसार पिछले आमतौर स्वीकार्य लेखा के अनुसार इन मूलधन निवेशों की ले जाने वाली राशि को लागत माना जाता है। इसके बाद अनुषगी, सहयोगी और संयुक्त उपक्रमों में निवेश लागत पर मापा जाता है।

समेकित वित्तीय विवरण के मामले में, एसोसिएट्स और संयुक्त उपक्रमों में साम्य निवेश साम्य पद्धति के अनुरुप हिसाब किया जाता है जैसा कि भारतीय लेखाकंन मानक 28 के अनुच्छेद 10 में निर्धारित है।

2.44.2.5 अन्यसाम्य निवेश

भारतीय लेखांकन मानक 109 के दायरे में सभी अन्य साम्य निवेश को लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर मापा जाता है।

अन्य सभी साम्य उपकरणें के लिए, कंपनी निष्पक्ष मूल्य में अन्य व्यापक आय में आने वाले परिवर्तनों में प्रस्तुत चुनाव कर सकती है। कंपनी उपकरण के आधार पर ऐसा चुनाव करती है। वर्गीकरण प्रारंभिक पहचान पर किया जाता है जो अप्रतिसंहरणीय है।

अगर कंपनी अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य पर उपकरण को वर्गीकृत करने का निर्णय करती है, तो उपकरण पर सभी उचित मूल्य परिवर्तन, लाभांश को छोड़कर, अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है। निवेश की बिक्री पर अन्य व्यापक आय से लाभ एवं हानि तक की राशि का कोई पुनरावर्तन नहीं है। कंपनी साम्य के भीतर संचयी लाभ या हानि हस्तांतरित कर सकती है।

लाभ एवं हानि के माध्यम से उचित मूल्य श्रेणी के भीतर शामिल साम्य उपकरणों को लाभ एवं हानि में पहचान की गई सभी परिवर्तनों के साथ उचित मूल्य पर मापा जाता है।

2.14.2.6 अस्वीकृति

एक वित्तीय परिसंपत्ति (या, जहाँ लागू हो, वित्तीय संपत्ति का एक हिस्सा या समान वित्तीय परिसंपत्तियों के एक समूह का हिस्सा) मुख्य रूप से अस्वीकृति है (यानी तुलन–पत्र से निकाल दिया गया) जबः

- संपत्ति से नकदी उतार–चढ़ाव (कैश फलो) पाने का अधिकार समाप्त हो गया है, या
- कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी प्रवाह प्राप्त करने के लिए अपने अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या अन्य व्यवस्था के तहत किसी तीसरे पक्ष के भौतिक देरी के बिना पूरी तरह से प्राप्त नकदी उतार–चढ़ाव का भुगतान करने के लिए एक दायित्व ग्रहण किया है; और या तो (ए) कंपनी परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को काफी हद तक स्थानांतरित कर दिया है, या (बी) कंपनी न तो हस्तांतरित की है और नहीं परिसंपत्ति के सभी जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है, लेकिन परिसंपत्ति पर नियंत्रण स्थानांतरित कर दिया है।

जब कंपनी ने परिसंपत्ति से नकदी उतार–चढ़ाव प्राप्त करने के अधिकारों को स्थानांतरित कर दिया है या किसी व्यवस्था में प्रवेश किया है, तो यह मूल्यांकन करता है कि वह और कितने हद तक स्वामित्व के जोखिमों और पुरस्कारों को बरकरार रखा है। जब यह न जो स्थानांतरित हो गया और न ही परिसंपत्ति के सभी

जोखिमों और पुरस्कारों को बनाए रखा है, न ही परिसंपत्ति के नियंत्रण का हस्तांतरण भी करता है, कंपनी कंपनी की निरंतर भागीदारी की सीमा तक हस्तांतरित संपत्ति को पहचान लेता है। उस मामले में, कंपनी एक संबद्ध देयता को भी पहचानती है। स्थानांतरित संपत्ति और संबंधित देयता को उस आधार पर मापा जाता है जो कंपनी द्वारा बनाए गए अधिकारों और दायित्वों को दर्शाता है। हस्तातरित संपत्ति पर जमानत की रूप धारण करने वाली सतत् भागीदारी को संपत्ति का मूल ले जाने वाली राशि के निचले हिस्से में मापा जाता है और कंपनी को चुकाने की आवश्यकता के अनुसार अधिकतम राशि मिलती है।

2.14.2.7 वित्तीय संपत्तियों की क्षति (उचित मूल्य के अलावा)

भरतीय लेखाकंन मानक 109 के अनुसार, कंपनी में लागू अपेक्षित जमा–हानि (ईसीएल) प्रतिरुप को मापने और निम्नलिखित वित्तीय संपत्तियों और जमा जोखिम पर क्षति के नुकसान की पहचान करती है :

अ) वित्तीय संपत्तियों जो ऋण के साधन हैं, और परिशोधित लागत पर मापा जाता है जैसे– ऋण, उधार, प्रतिभूति, जमा, व्यापार प्राप्य और बैंक शेष।

बी) वित्तीय साधन जो ऋण के साधन हैं और जिसे एफवीटी ओसी आई के रूप में मापा जाता है

सी) भारतीय लेखाकंन मानक 17 के अन्तर्गत प्राप्य पट्टे

घ) व्यापार प्राप्तियां या नकद या किसी अन्य वित्तीय परिसंपत्ति का अधिग्रहण करने का कोई संविदात्मक अधिकार जो कि लेन–देन से उत्पन्न होता है भारतीय लेखांकन मानक 11 की तरह और भारतीय लेखांकन मानक 18 में है।

कंपनी क्षति हानि भत्ता की पहचान के लिए निम्नानुसार 'सरलीकृत दृष्टिकोण' करती है :

- व्यापार प्राप्तियों या अनुबंध राजस्व प्राप्य; तथा
- भारतीय लेखांकन मानक के दायरे में लेन–देन से उत्पन्न सभी पट्टे प्राप्तियां

2.14.3 वित्तीय देनदारियाँ

2.14.3.1 प्रारंभिक मान्यता एवं माप

कंपनी की वित्तीय देनदारियाँ में व्यापार और अन्य देनदारियाँ, बैंक ओवर ड्राफ्ट सहित ऋण एवं उधार शामिल हैं। सभी वित्तीय देनदारियों को शुरू में उचित मूल्य पर और ऋण तथा उधार एवं देनदारियों के मामले में प्रत्यक्ष रूप से विश्लेषण लेन–देन लागत के शुद्धता का पहचान किया जाता है।

2.14.3.2 आगामी माप

वित्तीय देनदारियों का माप उनके वर्गीकरण पर निर्भर करता है, निम्नानुसार वर्णित है :–

2.14.3.3 लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देयताएं

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर वित्तीय देनदारियों में लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में प्रारंभिक मान्यता पर नामित व्यापार और वित्तीय देनदारियों के लिए वित्तीय देनदारियां शामिल हैं। वित्तीय देनदारियों को व्यापार के लिए आयोजित किया जाता है यदि वे निकट अवधि में पुनर्खरीद के उद्देश्य के लिए किए जाते हैं। इस श्रेणी में कंपनी द्वारा दर्ज व्युत्पन्न वित्तीय साधन भी शामिल हैं जिन्हें भारतीय लेखांकन मानक 109 द्वारा परिभाषित हेज के संबंधों में हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया गया है। पृथक एम्बेडेड डेरिवेटिव को व्यापार के लिए भी वर्गीकृत किया जाता है जब तक उन्हें प्रभावी हेजिंग उपकरणों के रूप में नामित नहीं किया जाता है।

व्यापार के लिए रखे गई देनदारियों पर लाभ या हानि का लाभ या हानि में दर्शाया जाता है।

लाभ या हानि के माध्यम से उचित मूल्य पर प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय देनदारियों को मान्यता की प्रारंभिक तिथि के रूप में नामित किया गया है और यदि केवल भारतीय लेखाकन मानक 109 में मानदण्ड संतुष्ट हैं, देयताओं को एफवीटीपीएल के रूप में नामित किया गया है, उचित मूल्य लाभ/हानि जो कि स्वयं के क्रेडिट जोखिम में होने वाले परिवर्तन को ओसीआई में मान्यता प्राप्त है। ये लाभ/हानि को बाद में हस्तांतरित नहीं किया जाता है तथापि कंपनी साम्य के भीतर संचयी लाभ या हानि को हस्तांतरित कर सकती है। ऐसे दायित्व के उचित मूल्य अन्य सभी परिवर्तन लाभ और हानि के विवरण में दिए गए हैं। कंपनी ने लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य के रूप में किसी वित्तीय देयता को विनिर्दिष्ट नहीं किया है।

2.14.3.4 परिशोधित लागत पर वित्तीय देयताएं

प्रारंभिक मान्यता के बाद, इन्हें प्रभावी ब्याज दर विधि का उपयोग करके अमूर्त लागत पर मापा जाता है। जब देनदारियों को प्रभाबी ब्याज दर अमूर्तकरण प्रक्रिया के माध्यम से पहचान लिया जाता है लाभ और हानि, लाभ या हानि में पहचानी जाती है। अमूर्त लागत की गणना अधिग्रहण और शुल्क या लागत पर किसी भी छूट या प्रीमियम को ध्यान में रखकर की जाती है जो प्रभावी ब्याज दर का एक अभिन्न हिस्सा हैं। प्रभावी ब्याज दर अमूर्तकरण लाभ और हानि के विवरण में वित्त लागत के रूप में शामिल किया गया है। यह श्रेणी आमतौर पर उधार पर लागू होती है।

2.14.3.5 अस्वीकृति

देनदारी के तहत दायित्व का निर्वहन या समाप्त होने पर वित्तीय देयता को मान्यता दी जाती है, जब एक वर्तमान वित्तीय देयता को एक ही ऋणदाता से कभी भिन्य शब्दों पर बदल दिया जाता है या वर्तमान दायित्व की शर्तों को काफी हद तक संशोधित किया जाता है, तो इस तरह विनियम या संशोधन को मूल्य उत्तरदायित्व की मान्यता और नई देनदारी की मान्यता के रूप में माना जाता है। वित्तीय देयता (या वित्तीय देनदारी का भाग) को समाप्त करने या किसी अन्य पार्टी को हस्तांतरित करने या हस्तांतरित किए जाने वाले किसी भी गैर नकद परिसम्पत्तियों के हस्तांतरण के दायित्वों को ग्रहण करने वाला लाभ या हानि में पहचाना जाएगा।

2.14.4 वित्तीय परिसम्पत्तियों का पुनर्गठन

कंपनी प्रारंभिक मान्यता पर वित्तीय परिसम्पत्तियों और देनदारियों का वर्गीकरण निर्धारित करती है। प्रारंभिक मान्यता के बाद, वित्तीय परिसम्पत्तियों के लिए कोई पुनर्वितरण नहीं किया जाता है जो साम्य उपकरण और वित्तीय देनदारियाँ हैं, वित्तीय साधनों के लिए जो ऋण के साधन हैं, का पुनःवर्गीकरण तभी किया जाता है, जब उन सम्पत्तियों के प्रबंधन के लिए व्यापार मॉडल में कोई बदलाव आया हो, व्यापारिक स्वरूप में होने वाले बदलावों के लिए विलक्षण होने की संभावना है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन, कंपनी के संचालन के लिए महत्वपूर्ण है जो बाहरी या आंतरिक परिवर्तन के परिणाम स्वरूप व्यापार मॉडल का निर्धारण करता है। ऐसे परिवर्तन वाह्य पक्षों से स्पष्ट हैं। व्यवसाय मॉडल में बदलाव जब कंपनी या तो शुरू होती है या एक गतिविधि करने के लिए समाप्त होती है जो कि उनके कार्यों के लिए महत्वपूर्ण होती है। यदि कंपनी वित्तीय परिसम्पत्तियों को पुनर्व्यवस्थित करती है तो वह पुनर्व्यवस्था के तिथि से पुनः परिष्करण पर लागू होती है जो व्यापार मॉडल के बदलाव के तुरंत बाद अगली रिपोर्टिंग अवधि का पहला दिन है। कंपनी किसी भी पहले मान्यता प्राप्त, हानियों या (क्षति लाभ या हानि सहित) या ब्याज को पुनः पेस नहीं करती है।

मूल वर्गीकरण	संसोधित वर्गीकरण	लेखांकन विधि
परिशोधित लागत	एफवीटीपीएल	उचित मूल्य को पुनर्वगीकरण तिथि पर मापा जाता है। पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर लाभ/हानि में मान्यता प्राप्त है।
एफवीटीपीएल	परिशोधित लागत	पुनः जमा करने की तिथि पर उचित मूल्य उसकी नई सकल ले जाने वाली राशि बन जाती है। ईआईआर की गणना नई सकल ले जाने वाली राशि के आधार पर की जाती है।
परिशोधित लागत	एफवीटीओसीआई	उचित मूल्य को पुनर्वगीकरण तिथि पर मापा जाता ह। इसी में पिछली परिशोधित लागत और उचित मूल्य के बीच अंतर मान्यता प्राप्त है। पुनःवर्गीकरण के कारण ईआईआर में कोई परिवर्तन नहीं है।
एफवीटीओसीआई	परिशोधित लागत	पुनः वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई अमूर्त लागत ले जाने वाली राशि बन जाती है। तथापि ओसीआई में संचयी लाभ या हानि उचित मूल्य के विरूद्ध समायोजित की जाती है। परिणामस्वरूप, संपत्ति को मापा जाता है जैसे कि इसे हमेशा मिश्रित लागत पर मापा गया था।
एफवीटीपीएल	एफवीटीओसीआई	पुनः वर्गीकरण तिथि पर उचित मूल्य इसकी नई ले जाने की राशि बन जाती है। कोई समायोजन आवश्यक नहीं है।
एफवीटीपीएल	एफवीटीपीएल	संपत्ति को उचित मूल्य पर मापा जाना जारी है। ओआईसी में पहले से मान्यता प्राप्त संचयी लाभ या हानि को पुनः जमा करने की तिथि में लाभ या हानि को पुनः परिष्कृत किया गया है।

2.14.5 वित्तीय साधनों का प्रतिसंतुलन

वित्तीय परिसंपत्ति एवं वित्तीय देयता को आफसेट किया गया एवं विशुद्ध राशि को समेकित कर तुलन–पत्र में दर्शाया गया है। दी गई राशि को आफसेट करने के लिए यदि वर्तमान में लागू योग्य कानूनी अधिकार है एवं विशुद्ध आधार पर परिसंपत्ति की उगाही एवं देनदारी का निपटारा एक साथ करने का इरादा हो।

2.14.6 नकद और नकद समकक्ष

बैलेंस शीट में समतुल्य नकद में बैंकों में नकदी और हाथ और अल्पकालिक जमा तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता

के साथ होते हैं, जो मूल्य में परिवर्तन के एक तुच्छ जोखिम के अधीन होते हैं। नकदी प्रवाह के विवरण के प्रयोजन के लिए, नकद और नकद समतुल्य में नकदी और अल्पकालिक जमा राशि शामिल होते हैं, जैसा कि ऊपर परिभाषित किया गया है, बकाया बैंक ओवर ड्राफ्ट का शुद्ध, क्योंकि उन्हें कंपनी नकद प्रबंधन का अभिन्न अंग माना जाता है।

2.15 उधार लागत

जब क्वालीफाइंग परिसंपत्ति के अधिग्रहण निर्माण या उत्पादन के लिए सीधे उत्तरदायी उधार लागत के रुप में व्यय किया गया जैसे – भावी प्रयोग के लिए पर्याप्त अवधि में तैयार होने वाली परिसंपत्ति के लिए अनिवार्य है उसे प्रकरणों में उन परिसंपत्ति के लागत के कुछ भाग के रुप में पूँजीकृत किया गया, जिस तिथि तक तैयार होने वाली क्वालीफाइंग परिसंपत्ति को भावी प्रयोग के लिए मान्यता दी गई है।

2.16 कराधान

आयकर वर्तमान में देय और स्थगित कर के योग का प्रतिनिधित्व करता है।

वर्तमान कर एक अवधि के लिए कर योग्य लाभ (कर हानि) के संबंध में आयकरों की देय राशि (वसूली योग्य) है कर योग्य लाभ आय से पहले मुनाफे के मुकाबले अलग है क्योंकि लाभ और हानि अन्य व्यापक आय के रुप में पुनर्निमित किया गया है क्योंकि इसमें आय या व्यय की वस्तुओं को शामिल नहीं किया जाता है जो अन्य वर्षो में कर योग्य या घटाया जा सकता है और उससे उन वस्तुओं को शामिल नहीं किया जा सकता है जो कभी भी कर योग्य या घटाई नही जाती है वर्तमान कर के लिए कंपनी के देनदारी रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक अधिनियमित या स्थाई रुप से लागू की गई कर दरों का उपयोग कर की गई है।

स्थगित कर देयताओं की आम तौर पर सभी कर योग्य अस्थायी अंतरो के रुप में पहचान की जाती है। आस्थगित परिसंपत्ति आमतौर पर सभी कटौती योग्य अस्थाई अंतर के लिए पहचान की जाती है क्योंकि यह संभव है कि कर योग्य मुनाफा उपलब्ध होगा, जिसके साथ उन कटौती योग्य अस्थाई अतंर का उपयोग किया जा सकता है। ऐसी परिसंपत्ति और देनदारियों की पहचान नहीं की जाती है। यदि अस्थाई अतंर निकालने या प्रारम्भिक पहचान से (एक व्यापार संयोजन के अलावा) अन्य परिसंपत्तियों एवं देनदारियों के लेन–देन उत्पन्न होते हैं जो न तो कर योग्य लाभ और न ही लाभ का प्रभावित करता लाभ का का प्रवाहित करता है।

सहायक कर देनदारियां सहायक और सहयोगियों में निवेश से जुड़े कर योग्य अस्थायी मतभेदों के लिए मान्यता प्राप्त हैं, इसके अंतिरिक्त कंपनी अस्थायी अंतर के वापसी को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में विपरीत नहीं होगा। इस तरह के निवेश और हितों से जुड़े कटौती योग्य अस्थायी मतभेदों से उत्पन्न होने वाली स्थगित कर संपत्ति केवल इस हद तक मान्यता प्राप्त है कि यह संभव है कि अस्थायी मतभेदों के लाभों का उपयोग करने के लिए पर्याप्त कर योग्य मुनाफा होगा।

आस्थगित कर देयताओं को सहायक और सहायक कंपनियों में निवेश से संबद्ध कर योग्य अस्थायी अंतरों के लिए पहचाना जाता है, के अलावा जहाँ कंपनी अस्थायी अंतर के उत्क्रमण को नियंत्रित करने में सक्षम है और यह संभव है कि अस्थायी अंतर निकट भविष्य में नहीं उलट जाएगा। ऐसे निवेश और हितों से जुड़े घटाया अस्थायी मतभेदों से उत्पन्न होने वाली स्थाई कर की संपत्ति केवल उस सीमा तक ही पहचान प्राप्त है, जो संभवतः यह है कि पर्याप्त कर योग्य लाभ होगा, के एकज में अस्थायी अंतरों के लाभों का उपयोग किया जा सके।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों को ले जाने की मात्रा का प्रत्येक रिपोर्टिंग अवधि के अंत में समीक्षा की जाती है और इस सीमा तक कम हो जाती है कि यह अब संभव नहीं है कि संपत्ति के सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा। अपरिचित आस्थगित कर संपत्तियों को प्रत्येक रिपोर्टिंग वर्ष के अंत में पुनर्मूल्यांकन किया जाता है और इस सीमा से मान्यता प्राप्त है कि यह संभावित हो गया है कि आस्थगित कर संपत्ति के सभी या हिस्से को पुनर्प्राप्त करने के लिए पर्याप्त कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा।

आस्थगित कर परिसंपत्तियों और देयताओं को कर दरों (और कर कानून) के आधार पर मापा जाता है जिसे उस अवधि में लागू होने की उम्मीद की जाती है, जिसमें देयता का निपटारा होता है या परिसंपत्ति का एहसास होता है, जो कि रिपोर्टिंग अवधि के अन्त में अधिनियमित या अधिक अधिनियमित किया जाता है।

आस्थगित कर देयताओं और परिसंपत्तियों का मापन, टैक्स परिणामों को दर्शाता है जो कंपनी की अपेक्षा का पालन करता है कि रिपोर्टिंग अवधि के अंत में उसकी परिसंपत्तियों और देनदारियों के ले जाने वाले शशि को ठीक करने या उस का निपटान करने के तरीके किस प्रकार अपनाये जायेंगे।

वर्तमान और आस्थगित कर लाभ या हानि में पहचान की जाती है, इसमें अलवा कि जब वे अन्य व्यापक आय या सीधे साम्य में पहचाने गए वस्तुओं से संबंधित हों, तो इस मामले में, वर्तमान और आस्थगित कर भी अन्य व्यापक आय या सीधे साम्य में पहचानी जाती है, जहाँ व्यापारिक संयोजन के लिए प्रारंभिक लेखा से वर्तमान कर या स्थगित कर उठता है, कर प्रभाव व्यापार संयोजन के लिए लेखांकन में शामिल है।

2.17 कर्मचारी लाभ

2.17.1 अल्पकालीन लाभ

सभी अल्पकालिक कर्मचारी लाभ उस अवधि में पहचाने (रिकगनाइज्ड) जाते हैं जिसमें वे खर्च किए जाते हैं।

2.17.2 पूर्व रोज़गार लाभ और अन्य दीर्घकालिक कर्मचारी लाभ

2.17.2.1 परिभाषित योगदान योजनाएं

एक परिभाषित योगदान योजना प्रॉविडेंट फंड और पेंशन के लिए रोज़गार लाभ योजना है जिसके तहत कंपनी कानून के एक अधिनियमन के तहत गठित एक अलग सांविधिक निकाय (कोयला खान भविष्य निधि) द्वारा रखी गई निधि में निश्चित योगदान का' भुगतान करती है और कंपनी के पास कोई कानूनी वाध्यता नहीं होगा या अधिक मात्रा में भुगतान करने के लिए रचनात्मक दायित्व परिभाषित योगदान योजनाओं में योगदान के लिए दायित्व कर्मचारियों के लाभों और हानियों के समय में कर्मचारी लाभ व्यय के रूप में पहचान की गई है, जिसके दौरान कर्मचारियों द्वारा सेवाएं प्रदान की जाती हैं।

2.17.2.2 परिभाषित लाभ योजनाएं

एक परिभाषित लाभ योजना एक परिभाषित योगदान योजना के अलावा अन्य किसी रोजगार के बाद रोजगार योजना है। ग्रेच्यूटी अवकाश नकदीकरण को परिभाषित लाभ योजनाएं (लाभ की आन्तिम सीमा के साथ) परिभाषित लाभ योजनाओं के संबंध में कंपनी की शुद्ध दायित्वों को भविष्य और लाभ की राशि का आकलन करके गणना की जाती है, जो कर्मचारियों को अपनी सेवा के बदले वर्तमान और पूर्व की अवधि में कमाई होती है। लाभ वर्तमान मूल्य निर्धारित करने और योजना संपत्तियों के उचित मूल्य से कम होने पर छूट दी जाती है, यदि कोई हो। छूट दर भारत सरकार की सिक्योरिटीज की प्रचलित बाजार की पैदावार पर आधारित है, रिपोर्टिंग की तारीख के अनुसार, जो कंपनी की दायित्वों की शर्तों का अनुमान लगाने की परिपक्वता तिथि होती है और जो उसी मुद्रा में अंकित होती हैं जिसमें लाभ का भुगतान करने की उम्मीद की जाती है।

बीमांकिक मूल्यांकन के आवेदन में छूट दर, परिसंपत्तियों पर लौटने की उम्मीद की दरें, भावी वेतन वृद्धि, मृत्यु दर आदि के बारे में धारणाएं शामिल हैं। इन योजनाओं की दीर्घकालिक प्रकृति के कारण, इस तरह के अनुमान अनिश्चितताओं के अधीन हैं अनुमानित इकाई क्रेडिट विधि का उपयोग कर के प्रत्येक तुलन–पत्र पर बीमांक द्वारा गणना की जाती है। जब गणना कंपनी के लाभ के लिए परिणाम होती है, तो पहचान प्राप्ति परिसंपत्ति, योजना से किसी भी भविष्य के धन वापसी या योजना के भविष्य के योगदान में कमी के रूप में उपलब्ध आर्थिक लाभों के वर्तमान मूल्य तक सीमित होती है। कंपनी के लिए एक आर्थिक लाभ उपलब्ध है यदि यह योजना के जीवन के दौरान या योजना देनदारियों के निपटान पर यथा योग्य है।

शुद्ध परिभाषित लाभ देयता का पुनः माप, जिसमें योजना संपत्तियों (ब्याज को छोड़कर) और परिसंपत्तियों की सीमा का प्रभाव (यदि कोई हो, ब्याज को छोड़कर) पर लौटने पर विचार करने वाले बीमांकिक लाभ और हानियाँ शामिल हैं, तो अन्य व्यापक आय में तुरंत पहचान की जाती है कंपनी निर्धारित अवधि के लिए शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) पर शुद्ध ब्याज व्यय (आय) को परिभाषित लाभ दायित्व को वार्षिक अवधि की शुरुआत में शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति), योगदान और लाभ भुगतान के परिणामस्वरूप अवधि के दौरान शुद्ध परिभाषित लाभ देयता (परिसंपत्ति) में किसी भी परिवर्तन को ध्यान में रखते हुए। ब्याज व्यय और परिभाषित लाभ योजना से संबंधित अन्य खर्च लाभ और हानि में मान्यता प्राप्त हैं।

जब योजना के लाभ में सुधार होता है, कर्मचारियों द्वारा पिछली सेवा से संबंधित बढ़े हुए लाभ का हिस्सा लाभ और हानि के बयान में तत्काल खर्च के रूप में पहचाना जाता है।

2.17.3 अन्य कर्मचारी लाभ

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ अर्थात् एलटीए, एलटीसी लाइफ कवर योजना स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, पुनर्स्थापना भत्ता, सेवानिवृत चिकित्सा लाभ के बाद और खान दुर्घटना आदि में मृतक के आश्रितों को मुआवजे के आधार पर लाभ भी हैं। परिभाषित लाभ योजना के लिए ऊपर वर्णित आधार इन लाभों में विशिष्ट धन नहीं है।

कुछ अन्य कर्मचारी लाभ अर्थात् एलटीए, एलटीसी, लाइफ कवर स्कीम, समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना, पुनर्स्थापना भत्ता, सेवानिवृत चिकित्सा लाभ के बाद और खान में मृत्यु/दुर्घटना होने आदि में मृतक के आश्रितों को मुआवजे के आधार पर लाभ भी हैं। परिभाषित लाभ योजना के लिए ऊपर वर्णित आधार इन लाभों में विशिष्ट वित्त पोषण नहीं है।

2.18 विदेशी मुद्रा

कंपनी का रिपोर्ट की गई मुद्रा और इसके संचालन के बहुमत के लिए कार्यात्मक मुद्रा भारतीय रुपयों में है (आईएनआर) जिसका अर्थ आर्थिक परिस्थिति की प्रमुख मुद्रा है जिसमें यह संचालित होता है।

विदेशी मुद्राओं में लेनदेन, लेनदेन की तारीख में प्रचलित विनिमय दर का उपयोग करके कंपनी की सूचित मुद्रा में परिवर्तित हो जाता है। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बकाया विदेशी मुद्राओं में

संचित मौद्रिक संपत्ति और देनदारियों को रिपोर्टिंग अवधि के अंत में प्रचलित विनिमय दर पर अनुवाद किया गया। मौद्रिक परिसंपत्तियों और देनदारियों के निपटारे पर या मुद्रा की परिसंपत्तियां और देनदारियों के उन दरों से अलग होने पर विनिमय मतभेद जो उस अवधि या पिछले वित्तीय वितरणों के दौरान प्रारंभिक मान्यता पर अनुवादित किए गए थे, अवधि में लाभ और हानि के विवरण में मान्यता प्राप्त हैं जिसमें वे दृष्टिगोचर होते हैं।

लेन–देन की तिथि पर प्रचलित विनिमय दरों पर विदेशी मुद्रा में निहित गैर–मौद्रिक वस्तुएं मूल्यवान हैं।

2.19 स्ट्रिपिंग गतिविधि व्यय / समायोजन

खुली खदान में खनन के मामले में, कोयले की सीम के ऊपर मिट्टी और चट्टान से बना खदान अपशिष्ट पदार्थ (''ओवर वर्डेन'') को कोयले तक पहुँच पाने के लिए और इसकी निष्कर्षण निकालने की आवश्यकता होती है। इस मिट्टी के ढ़ेर को हटाने की गतिविधि को 'स्ट्रिपिंग' के रूप में जाना जाता है। खुली खदानों में, कंपनी को खान के लाइफ पर ऐसे खर्चों का सामना करना पड़ता है (तकनीकी रूप से अनुमानित)।

इसलिए, एक नीति के रूप में, प्रति दस लाख टन प्रति वर्ष और उससे अधिक की क्षमता वाले खानों में, स्ट्रिपिंग की लागत को हर तरह से तकनीकी रूप से मूल्यांकन औसत स्ट्रिपिंग अनुपात (ओबीः कोयला) पर लगाया जाता है, जो कि प्रत्येक खानों में निकासी गतिविधि के लिए परिसंपत्ति और अनुपात–विचलन खाता के बाद खानों को राजस्व में लाया जाता है।

तुलन–पत्र की तिथि पर छंटनी गतिविधि परिसंपत्ति और अनुपात के विचलन के विशुद्ध शेष के तहत स्ट्रिपिंग गतिविधि समायोजन के रूप में दिखाया गया है – मौजूदा प्रावधान / अन्य गैर–वर्तमान संपत्ति का प्रकरण जैसा हो, के अनुसार हो सकता है।

रिकॉर्ड के अनुसार ओवरबर्डन की रिपोर्ट की गई मात्रा को ओबीआर लेखा के अनुपात के लिए गणना किया जाता है, जहां बताई गई मात्रा और मापित मात्रा के बीच भिन्नता है, दो वैकल्पिक अनुमत सीमाओं के निचले भाग के भीतर है, जैसा कि नीचे दिया गया है :–

खान के ओवीआर की वार्षिक मात्रा	विचलन की अनुमत सीमाएँ %
1 मि. घन मीटर से कम	+/-5%
1 एवं 5 मि. घन मीटर के मध्य	+/-3%
5 मि. घन मीटर से अधिक	+/-5%

फिर भी, जहाँ विचलन ऊपर की अनुमति सीमा के अतिरिक्त है, वहाँ मापित मात्रा मानी जाती है।

एक मिलियन टन से कम की दर क्षमता वाली खानों के मामले में, उपरोक्त नीति लागू नहीं की जाती है और वर्ष के दौरान किए गए छंटनी गतिविधि की वास्तविक लागत को लाभ और हानि के विवरण में पहचान की जाती है।

2.20 वस्तु सूचियाँ

2.20.1 कोयले का भण्डार

कोयला / कोक की वस्तु सूचियाँ लागत के निचले स्तर और शुद्ध वसूली योग्य मूल्य पर बताई गई हैं। वस्तु सूचियों की लागत में भारतीय औसत विधि पद्धति के माध्यम से गणना की जाती है। माल की विशुद्ध प्राप्य मूल्य अनुमानित बिक्री मूल्य पूरा होने की समस्त अनुमानित लागत कम और बिक्री करने के लिए आवश्यक लागत का प्रतिनिधित्व करती है।

कोयले के बुक स्टॉक को उन खातों में माना जाता है जहाँ पुस्तक स्टॉक और मापित स्टॉक के बीच का अंतर +/-5% तक होता है और ऐसे मामलों में जहाँ अंतर +/-5% मापित स्टॉक पर आधारित है। इस तरह के स्टॉक को शुद्ध प्राप्य मूल्य या लागत में जो भी कम हो, माना जाता है। कोक को कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

कोयला और कोक–क्षेत्र को कम लागत या विशुद्ध प्राप्य मूल्य पर माना जाता है या कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

सलरी (कोकिंग / अर्द्ध–कोकिंग), वाशरियों की मिडिलिंग और उत्पादों द्वारा वास्तविक मूल्य पर माना जाता है, मूल्यवान और कोयले के स्टॉक के हिस्से के रूप में माना जाता है।

2.20.2 स्टोर्स और स्पेयर्स (पुर्जे)

केंद्रीय एवं क्षेत्रीय स्टोर्स में स्टोर्स और स्पेयर्स पुर्जों (लूज उपकरण भी शामिल हैं) का स्टॉक माना जाता है जो कीमतों के भंडार लेजर में दिखने वाले शेष के बराबर हैं और वे भारित औसत विधि के आधार पर की गई लागत पर मूल्यांकित हैं। भंडारों और स्पेयर्स पुर्जों की सूची खदानों / उप–भंडार / ड्रिलिंग कैंप / उपभोग केंद्रों पर पड़ी हुई है, वे केवल वास्तविक रूप से सत्यापित स्टोरों के अनुसार और कीमत पर मूल्यांकित हैं।

अनुपयोगी, क्षतिग्रस्त और अप्रचलित स्टोर्स और पुर्जों के लिए 100% की दर से प्रावधान किए गए हैं और 5 वर्षों के लिए स्टोर्स और स्पेयर्स के लिए 50% की दर से नहीं बढ़े गए हैं।

2.20.3 अन्य वस्तु सूचियाँ

कार्य–प्रगति सहित कार्यशाला लागत पर मूल्यांकित हैं। प्रेस कार्यों का स्टॉक (कार्य प्रगति में शामिल है) और केंद्रीय अस्पताल में प्रिंटिंग प्रेस स्टेशनरी और दवाईयों पर लागत मूल्यांकित की जाती हैं।

तथापि, स्टेशनरी के भण्डार (मुद्रण प्रेस में झूठ बोलने के अलावा), ईंटों, रेत, दवाई (केंद्रीय अस्पताल को छोड़कर), विमान के बख्तरबंद और स्क्रैप को उनके मूल्य महत्वपूर्ण नहीं होने के कारण सूची में नहीं माना गया है।

2.21 प्रावधान, आकस्मिक देयताएं और आकस्मिक संपत्ति

जब किसी पूर्व घटना के परिणामस्वरूप कंपनी की वर्तमान दायित्व (कानूनी या रचनात्मक) हो, तब प्रावधानों की पहचान की जाती है और यह संभव है कि दायित्व को निपटाने और दायित्व की मात्रा का एक विश्वसनीय अनुमान निकालने के लिए आर्थिक लाभों का बहिर्वाह करने की आवश्यकता होगी तो बनाया जा सकता है। जहाँ धन का समय मूल्य सामग्री, प्रावधान दायित्वों का निपटारा करने के लिए अपेक्षित व्यय के वर्तमान मूल्य पर निश्चित किया गया है। सभी प्रावधानों की समीक्षा प्रत्येक तुलन–पत्र की तारीख में की जाती है और जो वर्तमान सर्वश्रेष्ठ अनुमान को दर्शाती है।

जहाँ यह संभव नहीं है कि आर्थिक लाभों का बहिर्वाह आवश्यक हो या राशि को विश्वसनीय ढंग से अनुमानित नहीं किया जा सकता है, दायित्व का आकस्मिक दायित्व के रूप में खुलासा नहीं किया जाता है, जब तक कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं होती है। संभावित दायित्वों, जिसका अस्तित्व केवल एक या अधिक भावी अनिश्चित घटनाओं की घटना या गैर–घटना से पुष्टि हो जाएगी, जो पूरी तरह से कंपनी के नियंत्रण में नहीं है, उन्हें आकस्मिक देनदारियों के रूप में भी खुलासा किया जाता है जब तक कि आर्थिक लाभ के बहिर्वाह की संभावना दूरस्थ नहीं होती है।

आकस्मिक संपत्ति वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त नहीं हैं हालांकि, जब आय की प्राप्ति वास्तव में निश्चित है, तो संबंधित संपत्ति कोई आकस्मिक संपत्ति नहीं है और इसकी पहचान उचित है।

2.22 आय प्रति शेयर

अवधि के दौरान बकाया साम्य अंश की भारित औसत संख्या द्वारा कर के बाद शुद्ध लाभ को विभाजित करके प्रति शेयर मूल आय की गणना की जाती है। प्रति शेयर तनूकृत आय की गणना साम्य अंश की भारित औसत संख्या के आधार पर कर के बाद लाभ को विभाजित करके की जाती है, जो कि शेयरों की मूल आय के लिए माना जाता है और साम्य अंशों की भारित औसत संख्या, जो कि सभी तनूकृत संभावित साम्य अंशों के रूपांतरण पर जारी की जा सकती थी।

2.23 निर्णय और परिकल्पना आंकलन

भारतीय लेखाकंन मानक के साथ अनुरूप वित्तीय विवरणों की तैयारी के लिए प्रबंधन को आंकलन, निर्णय और धारणाएं बनाने की आवश्यकता होती है जो लेखांकन नीतियों के आवेदन तथा परिसंपत्तियों और देनदारियों की प्रतिवेदित मात्रा को प्रकटीकरण और रिपोर्ट की अवधि के दौरान राजस्व और व्यय की राशि प्रभावित करती है, वित्तीय विवरणों की तारीख में आकस्मिक संपत्ति और देनदारियों जटिल और व्यक्तिपरक निर्णयों को शामिल करते हुए लेखा नीतियों के आवेदन और इन वित्तीय विवरणों में मान्यताओं का उपयोग किया गया है। लेखा का आंकलन अवधि से लेकर अवधि तक बदल सकता है। वास्तविक परिणाम अनुमानित से भिन्न हो सकते हैं। आंकलन और अंतर्निहित मान्यताओं की निरंतर आधार पर समीक्षा की जाती है। लेखा अनुमान के लिए संशोधन उस अवधि में पहचाने गए हैं जिनमें आंकलन संशोधित किए गए हैं और यदि सामग्री, वित्तीय विवरणों के टिप्पणी में उनके प्रभाव का दर्शाया गया है।

2.23.1 निर्णय

कंपनी की लेखांकन नीतियों को लागू करने की प्रक्रिया में प्रबंधन ने निम्नलिखित निर्णयों का प्रावधान है, जिनका वित्तीय विवरणों में मान्यता प्राप्त राशियों पर सबसे महत्वपूर्ण प्रभाव पड़ता है।

2.23.1.1 लेखा नीतियों का निर्धारण

लेखांकन नीतियाँ ऐसे तरीके से तैयार की जाती हैं जिससे लेनदेन, अन्य घटनाओं और शर्तों के बारे में प्रासंगिक और विश्वसनीय जानकारी युक्त वित्तीय विवरण होते हैं, जिसके लिए वे आवेदन करते हैं। उन नीतियों को लागू करने की आवश्यकता नहीं है, जब उन्हें लागू करने का प्रभाव अनावश्यक हो।

भारतीय लेखांकन मानक की अनुपस्थिति में विशेष रूप से लेनदेन लागू होता है, अन्य घटना या स्थिति, प्रबंधन ने अपने निर्णय का उपयोग एक लेखांकन नीति के विकास और लागू करने में किया है जिसके परिणामस्वरूप जानकारी निम्नलिखित है :

क) उपयोगकर्ताओं की आर्थिक निर्णय लेने की आवश्यकताओं के जरूरतों संबंध और

ख) उस वित्तीय विवरणों में विश्वसनीय :

(i) कंपनी की वित्तीय स्थिति, वित्तीय प्रदर्शन और नकदी प्रवाह का ईमानदारी से प्रतिनिधित्व करना;

(ii) लेनदेन, अन्य घटनाओं और स्थितियों के आर्थिक सारांश को दर्शाता है और न तो केवल कानूनी रूप को;

(iii) तटस्थ हैं अर्थात पूर्वाग्रह से मुक्त;

(iv) विवेकपूर्ण हैं; और

(v) सभी सामग्रियों में निरंतर आधार पर पूर्ण हैं

निर्णय करने के संदर्भ में प्रबंधन और अवरोही क्रम में निम्नलिखित स्रोतों की प्रयोज्यता को समझता है;

(ए) समान और संबंधित मुद्दों से संबंधित भारतीय लेखांकन मानक में आवश्यकताओं; तथा

(बी) आकृतियाँ, देनदारियों, आय और भारतीय लेखांकन मानक में व्यय के लिए परिभाषाएं, पहचान मानदंड और माप अवधारणाएं।

निर्णय लेने में, प्रबंधन अंतर्राष्ट्रीय लेखा मानक बोर्ड की सबसे हाल की घोषणाओं को समझता है और अनुपस्थिति में उन अन्य मानक सेटिंग निकायों के बारे में, जो लेखा मानकों, अन्य लेखांकन साहित्य और स्वीकृत उद्योग प्रथाओं को विकसित करने के लिए समान वैचारिक रूपरेखा का उपयोग करते हैं कि ये उपरोक्त अनुच्छेद में स्रोतों के साथ संघर्ष नहीं करते हैं।

कंपनी खनन क्षेत्र में कार्य करती है (एक ऐसा क्षेत्र जहाँ अन्वेषण, मूल्यांकन, विकास उत्पादन चरण विभिन्न स्थलाकृतिक और भू–क्षेत्र के इलाकों पर आधारित हैं, जो दशकों से चल रहे पट्टा अवधि में फैला हुआ है और लगातार बदलाव की संभावना है) लेखा नीतियाँ जिनके आधार पर विकसित हुआ है अनुसंधान समितियों द्वारा समर्थित विशिष्ट उद्योग प्रथाओं पर और कई नियामकों द्वारा पिछले कई दशकों से इसके लगातार आवेदन के कारण अनुमोदित किया गया। विशिष्ट लेखांकन साहित्य की अनुपस्थिति में कुछ विशेष क्षेत्रों में मार्गदर्शन और मानकों जो विकास की प्रक्रिया में हैं। कंपनी लेखांकन साहित्य के विकास के साथ–साथ अनवरत लेखांकन नीतियों को विकसित करने का प्रयास करती रही है भारतीय लेखांकन मानक 8 के उपरोक्त विशेष ब्योरो को प्रक्रिया अनुरुप विवरणों के लिए किसी भी विकास में किया गया है।

वित्तीय विवरणों को लेखांकन के संबंद्ध आधार का उपयोग करते हुए संग्रहण के आधार पर तैयार किया जाता है।

2.23.1.2 भौतिकता

सामग्री जो भारतीय लेखांकन मानक के रूप में मदों में लागू होता है, प्रबंधन को निर्णय लेने में निर्णय का उपयोग करता है कि मद के अलग–अलग मद या समूह वित्तीय विवरणों में हैं या नहीं। भौतिकता का निर्धारण वस्तु के आकार और प्रकृति के संदर्भ में किया जाता है। निर्णायक कारक यह है कि क्या वित्तीय मूलों के आधार पर उपयोगकर्ताओं के आर्थिक फैसले पर अलग–अलग थे, को गलत तरीके से व्यक्तिगत रूप से या सामूहिक रूप से प्रभावित किया जा सकता है। प्रबंधन भारतीय लेखांकन मानक के अनुपालन आवश्यकताओं को निर्धारित करने के लिए भौतिकता के फैसले का भी उपयोग करता है। विशेष परिस्थितियों में या तो किसी प्रकृति या किसी मद की राशि या कुल वस्तुओं का निर्धारित कारक हो सकता है। इसके अलावा कंपनी को कानून द्वारा जरूरी होने पर अलग–अलग अस्थायी वस्तुओं को प्रस्तुत करने की आवश्यकता भी हो सकती है।

पूर्व अवधि से संबंधित चालू वर्ष में खोजे गए त्रुटियों/चूक को सारहीन माना जाता है और चालू वर्ष के दौरान समायोजित किया गया यदि सीआईएल समेकित के अंतिम ऑडिट किए गए वित्तीय विवरण के अनुसार, इस तरह की सभी त्रुटियाँ और कुल मिलाकर परिचालन से कुल राजस्व (वैधानिक लेवीज का) का 0.50% से अधिक नहीं है।

2.23.1.3 परिचालन पट्टे

कंपनी ने पट्टा समझौतों में प्रवेश किया है और निर्धारित नियमों और शर्तों के मूल्यांकन के आधार पर निर्धारित किया है, जैसा कि पट्टे की अवधि वाणिज्यिक संपत्ति के आर्थिक जीवन का एक बड़ा हिस्सा नहीं है और परिसंपत्ति का उचित मूल्य है, जो कि यह परिचालन पट्टों के रूप में ठेके के लिए खातों और सभी महत्वपूर्ण जोखिम और इन गुणों के स्वामित्व का पुरस्कार है।

2.23.2 आंकलन और मान्यताएं

प्रतिवेदिक तिथि पर आंकलन अनिश्चितता के भविष्य और अन्य प्रमुख स्रोतों के बारे में प्रमुख धारणाएं, जिनके पास अगले वित्तीय वर्ष में परिसंपत्तियों और देनदारियों की मात्रा में सामग्री समायोजन करने का एक महत्वपूर्ण जोखिम है, नीचे वर्णित है। समेकित वित्तीय विवरणों के लिए तैयार किए जाने पर कंपनी अपनी मान्यताओं और अनुमानों के आधार पर आधारित थी। भविष्य की घटनाओं के बारे में मौजूदा परिस्थितियों और मान्यताओं, तथापि बाजार में परिवर्तन या परिस्थितियों के कारण बदल सकती हैं जो कंपनी के नियंत्रण से बाहर हैं। ऐसे बदलाव तब होते हैं जब वे घटित होते हैं।

2.23.2.1 गैर–वित्तीय परिसंपत्ति की क्षति

जहाँ क्षति का संकेत है, यदि परिसंपत्ति या नकदी कमाने वाली यूनिट का वहन मूल्य इसकी वसूली योग्य राशि से अधिक है, निपटान की कम लागत और उसके उपयोग में मूल्य जो उसके निष्पक्ष मूल्य से अधिक है। कंपनी हानि के परीक्षण के प्रयोजन के लिए व्यक्तिगत खानों को अलग–अलग नकद पैदा करने वाली

इकाईयों के रूप में मानता है। उपयोग की जाने वाली मान डीसीएफ मॉडल पर आधारित है। नकदी प्रवाह अगले पांच सालों के लिए बजट से प्राप्त होता है और पुनर्गठन की गतिविधियों में शामिल नहीं होता है कि कंपनी अभी तक प्रतिबद्ध नहीं है या भविष्य में महत्वपूर्ण निवेश नहीं करता है जो सीजीयू की परिसंपत्ति के प्रदर्शन को बढ़ाएगा। वसूली योग्य राशि कैश फ्लो छूट के साथ–साथ अपेक्षित भावी नकदी प्रवाह और बहिर्वेशन के प्रयोजनों के लिए उपयोग की गई विकास दर के लिए उपयोग की गई छूट दर के प्रति संवेदनशील है। ये अनुमान अन्य खनन बुनियादी ढांचे के लिए सबसे अधिक प्रासंगिक हैं। विभिन्न नकद कमाने वाली यूनिट के लिए वसूली योग्य राशि का निर्धारण करने के लिए उपयोग की जाने वाली प्रमुख मान्यताओं का खुलासा किया गया है और संबंधित टिप्पणियों में आगे समझाया गया है।

2.23.2.2 कर

स्थगित कर की संपत्ति अप्रयुक्त कर हानियों के लिए उस हद तक पहचान की जाती है जो कि यह संभव है कि कर योग्य लाभ उपलब्ध होगा जिसके विरुद्ध घाटे का उपयोग किया जा सकता है। भावी कर नियोजन रणनीतियों के साथ भविष्य में कर योग्य मुनाफे की संभावित समय और स्तर के आधार पर आस्थगित कर संपत्ति की राशि को निर्धारित करने के लिए महत्वपूर्ण प्रबंधन निर्णय आवश्यक है।

2.23.2.3 निर्धारित लाभ योजना

निर्धारित लाभ उपदान योजना और अन्य पूर्व रोजगार के बाद के चिकित्सा लाभों की लागत और उपदान दायित्व के वर्तमान मूल्य को बीमांकिक मूल्य निर्धारण के तहत निर्धारित किया जाता है। एक बीमांकिक मूल्यांकन में विभिन्न धारणाएं शामिल होती हैं जो भविष्य में वास्तविक विकास से भिन्न हो सकती हैं। इसमें छूट दर, भविष्य के वेतन बढ़ने और मृत्यु दर का निर्धारण शामिल है।

मूल्यांकन और इसकी दीर्घकालिक प्रकृति में शामिल जटिलताओं के कारण, एक परिभाषित लाभ दायित्व इन मान्यताओं में परिवर्तन के प्रति अत्यधिक संवेदनशील है। प्रत्येक प्रतिवेदिक तारीख में सभी मान्यताओं की समीक्षा की जाती है। बदलने के लिए सबसे अधिक पैरामीटर छूट दर के लिए सबसे महत्वपूर्ण विषय है। भारत में संचालित योजनाओं के लिए उपयुक्त छूट दर का निर्धारण करने में, प्रबंधन रोजगार के बाद रोजगार के दायित्वों की मुद्राओं के अनुरूप मुद्राओं में सरकारी बॉन्ड की ब्याज दरों पर विचार करता है।

मृत्यु दर देश के सार्वजनिक रूप से उपलब्ध मृत्यु दर पर आधारित है। जनसांख्यिकीय परिवर्तनों के जवाब में उन मृत्यु दर को अंतराल पर ही बदलना होता है। भावी वेतन वृद्धि और उपदान की बढ़ोतरी भविष्य की मुद्रास्फीति की दर पर आधारित होती है।

2.23.2.4 वित्तीय साधनों का उचित मूल्य माप

जब वित्तीय परिसंपत्तियों और वित्तीय देनदारियों के उचित मूल्यों को तुलन–पत्र में दर्ज किया जाता है, तो उन्हें सक्रिय बाजारों में उद्धृत कीमतों के आधार पर नहीं मापा जा सकता है, उनका उचित मूल्य आमतौर पर स्वीकार किए गए मूल्यांकन तकनीकों का उपयोग करके कैश फ्लो छूट प्रतिरुप सहित मापा जाता है। इन मॉडलों के लिए इनपुट जहाँ संभव हो वहां देखे जाने योग्य बाजारों से लिया जाता है, लेकिन जहाँ यह संभव नहीं है, उचित मूल्यों को स्थापित करने के लिए एक डिग्री फैसले की आवश्यकता होती है। निर्णय में नकदी की जोखिम, क्रेडिट जोखिम, अस्थिरता और अन्य प्रासंगिक इनपुट/विचार जैसे निवेश शामिल हैं। अनुमानों में परिवर्तन और इन कारकों के बारे में अनुमान वित्तीय साधनों की रिपोर्ट किए गए उचित मूल्य को प्रभावित कर सकते हैं।

2.23.2.5 विकास के तहत अमूर्त संपत्ति

कंपनी लेखांकन नीति के अनुसार एक परियोजना के लिए विकास के तहत अमूर्त संपत्ति को पूँजी में परिणत करता है। लागत का प्रारंभिक पूंजीकरण प्रबंधन के निर्णय पर आधारित है कि तकनीकी और आर्थिक व्यवहार्यता की पुष्टि होने पर आमतौर पर परियोजना रिपोर्ट तैयार की जाती है और तब स्वीकृत हो जाती है।

2.23.2.6 बन्द खदान स्थल में पुनर्स्थापना और पाबंदी लगाने के दायित्व के लिए प्रावधान

बन्द खदान स्थल में पुनर्स्थापना और पाबंदी लगाने के दायित्व के लिए प्रावधान, धारणा और अनुमानों के लिए प्रावधान का उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए छूट दर, साइट बहाली और निराकरण की अनुमानित लागत और उन लागतों के अपेक्षित समय के संबंध में किए गए हैं। कंपनी परियोजना/खान के लाइफ के आधार पर कैश फ्लो छूट विधि का उपयोग करते हुए प्रावधान का अनुमान लगाती है।

- भारत सरकार, कोयला मंत्रालय द्वारा जारी दिशानिर्देशों में विनिर्दिष्ट के अनुसार प्रति हेक्टेयर अनुमानित लागत।
- छूट की दर (पूर्व कर की दर) जो कि समय के वर्तमान मूल्यों का मूल्यांकन करती है और देयता के लिए विशिष्ट जोखिम है।

2.24 संक्षिप्त उपयोग

ए.	सीजीयू	नकद कमाने वाली (जनरेटिंग) यूनिट
बी.	डीसीएफ	कैश फ्लो छूट
सी.	एफवीटीओसीआई	अन्य व्यापक आय के माध्यम से उचित मूल्य
डी.	एफवीटीपीएल	लाभ और हानि के माध्यम से उचित मूल्य
ई.	जीएएपी	आमतौर पर स्वीकार्य लेखांकन प्रमुख
एफ.	भारतीय लेखा मानक	भारतीय लेखा मानक
जी.	ओसीआई	अन्य व्यापक आमदनी
एच.	पी एण्ड एल	लाभ और हानि
आई.	पीपीई	संपत्ति, संयंत्र और उपकरण
जे.	एसपीपीआई	प्रधान और ब्याज का मात्र भुगतान
के.	ईआईआर	प्रभावी ब्याज दर

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी – 3 सम्पत्ति, संयंत्र एवं उपकरण

(रु. करोड़ में)

	पूर्ण स्वामित्व भूमि	अन्य भूमि	भूमि सुधार / पुनः स्थापना स्थल लागत	भवन (जलापूर्ति, सड़क एवं पुलिया सहित)	संयंत्र एवं उप–करणों	दूर–संचार	रेलवे साइडिंग	फर्नीचर एवं मरम्मत	कार्यालय उपकरण	वाहन	एयर क्राफ्ट	अन्य खनन आधारभूत संरचना**	सर्वे आफ परि–सम्पत्तियाँ	अन्य	कुल
सकल ढलाई राशि															
01 अप्रैल 2018 तक	0.04	341.40	276.43	473.66	3,091.69	53.54	44.75	35.63	18.83	38.00	-	84.44	63.21	-	4,521.62
वृद्धि	-	472.78	239.97	109.85	905.56	0.79	58.48	5.17	5.08	8.01		1.71	22.63		1,830.03
अपमार्जन / समायोजन	(0.01)	0.01		-	(31.87)	0.14	-	(0.74)	0.26	0.33	-	0.21	(8.99)	-	(40.66)
31 मार्च 2019 तक	0.03	814.19	516.40	583.51	3,965.38	54.47	103.23	40.06	24.17	46.34	-	86.36	76.85	-	6,310.99
1 अप्रैल 2019 तक	0.03	814.19	516.40	583.51	3,965.38	54.47	103.23	40.06	24.17	46.34	-	86.36	76.85	-	6,310.99
वृद्धि		85.95	15.74	27.28	365.01	0.51	0.90	3.96	3.23	16.59		28.21	13.22		560.60
अपमार्जन / समायोजन				(4.91)	(147.06)	0.69		(17.83)	9.45	(0.82)		4.95	(5.81)		(161.34)
31 मार्च 2020 तक	0.03	900.14	532.14	605.88	4,183.33	55.67	104.13	26.19	36.85	62.11	-	119.52	84.26	-	6,710.25
जमा अवमूल्यन एवं क्षति															
01 अप्रैल 2018 तक	-	47.42	86.30	36.26	1,077.87	23.46	6.83	9.31	10.51	10.08	-	14.32	15.49	-	1,337.85
वर्ष प्रभार		45.24	52.73	15.33	387.73	8.66	5.10	4.50	5.19	4.43		6.80			535.71
क्षति													3.58		3.58
अपमार्जन / समायोजन		-	-	(0.03)	(1.52)	(0.12)	0.53	0.02	(1.75)	(0.08)		-			(2.95)
01 मार्च 2019 तक	-	92.66	139.03	51.56	1,464.08	32.00	12.46	13.83	13.95	14.43	-	21.12	19.07	-	1,874.19
01 अप्रैल 2019 तक	-	92.66	139.03	51.56	1,464.08	32.00	12.46	13.83	13.95	14.43	-	21.12	19.07	-	1,874.19
वर्ष प्रभार		53.49	36.28	17.01	292.91	8.83	6.54	1.63	7.50	6.27		8.17			438.63

क्षति													1.86		1.86
अपमार्जन / समायोजन		(0.09)		1.76	(131.66)	(0.11)		(1.15)	(6.52)	(0.50)		(1.38)			(139.65)
31 मार्च 2020 तक	-	146.06	175.31	70.33	1,625.33	40.72	19.00	14.31	14.93	20.20	-	27.91	20.93	-	2,175.03
विशुद्ध ढुलाई राशि															
31 मार्च 2020 तक	0.03	754.08	356.83	535.55	2,558.00	14.95	85.13	11.88	21.92	41.91	-	91.61	63.33	-	4,535.22
31 मार्च 2019 तक	0.03	721.53	377.37	531.95	2,501.30	22.47	90.77	26.23	10.22	31.91	-	65.24	57.78	-	4,436.80

तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर संयंत्र और उपकरणों के तहत कुछ एचईएमएम के उपयोगी जीवन को संशोधित किया गया है, जिसके परिणामस्वरूप रुपये की अवधि के दौरान मूल्यह्रास में कमी आई है। 137.99 करोड़। भविष्य की अवधि पर प्रभाव का पता लगाने योग्य नहीं है क्योंकि अनुमान लगाना अव्यावहारिक है।

कोल माइंस (राष्ट्रीयकरण) अधिनियम 1973 के अनुसार अधिग्रहित भूमि को संबंधित भूमि के लिए अलग से शीर्षक कर्मों की आवश्यकता नहीं होती है। अधिग्रहित भूमि के लिए अन्य सभी शीर्षक कर्म कब्जे में हैं और कंपनी के पक्ष में भूमि सुधार हैं।

लैंड रिक्लेमेशन / साइट रिस्टोरेशन कॉस्ट में अनुमानित लागत शामिल होती है, जो खदान बंद होने की अवस्था में महंगाई (5% p.a.) के लिए बढ़ जाती है और फिर 8% की छूट दर पर छूट दी जाती है जो उचित मूल्य और जोखिम की वर्तमान बाजार दर को दर्शाती है।

आवासीय / आधिकारिक क्षेत्रों में स्थित सड़कों और कलवर्ट्स को 'बिल्डिंग' के तहत वर्गीकृत किया गया है और खनन क्षेत्रों में 'अन्य खनन आधारित सरचना' के तहत वर्गीकृत किया गया है।

इमारतों में विद्युत फिटिंग, जल आपूर्ति व्यवस्था और सेनेटरी फिटिंग की लागत शामिल है।

अपनी भौतिकता पर विचार करने पर ड्रैगलाइन और उच्च क्षमता के फावड़े के मामलों को छोड़कर, अचल परिसंपत्तिपर विभागीय खर्चों का पूंजीकरण नहीं किया जाता है।

नोट 2.7 में वर्णित उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है। हालांकि, परिसंपत्ति के एक अलग वर्ग के भीतर एम्बेडेड कुछ परिसंपत्तियों के मूल्य को अलग करने के लिए तकनीकी मूल्यांकन के लंबित होने से, इन परिसंपत्तियों को गैर–अलग–अलग वर्ग की संपत्ति के उपयोगी जीवन के आधार पर मूल्यह्रास प्रदान किया गया है।

टिप्पणी 4 : पूंजी कार्य में प्रगति

(रु. करोड़ में)

	भवन (सहित जल आपुर्ति, सड़क एवं पुलिया	संयंत्र एवं उपकरण	रेलवे साइडिंग	अन्य खनन आधारिक संरचना / विकास	रेल कॉरिडोर विकास खर्च	निर्माणा–धीन रेल कॉरिडोर	अन्य	कुल
सकल ढुलाई राशि								
1 अप्रैल 2018 तक	99.73	875.17	153.75	-			0.46	1,129.11
वृद्धि	66.26	390.30	34.49				6.31	497.36
पूंजीकरण / अपमार्जन	(107.68)	(896.45)	(43.60)				(5.09)	(1,052.82)
31 मार्च 2019 तक	58.31	369.02	144.64	-			1.68	573.65
1 अप्रैल 2019 तक	58.31	369.02	144.64	-			1.68	573.65
वृद्धि	11.51	193.71	9.91				42.44	257.57
पूंजीकरण / अपमार्जन / समायोजन	(52.28)	(345.79)	0.50				23.02	(374.55)
31 मार्च 2020 तक	17.54	216.94	155.05	-			67.14	456.67
इकट्ठा प्रावधान और क्षति								
1 अप्रैल 2018 तक	0.53	-	-	-			-	0.53
वर्ष प्रभार	0.14	16.34						16.48
क्षति								-
अपमार्जन / समायोजन								-
31 मार्च 2019 तक	0.67	16.34	-	-			-	17.01
1 अप्रैल 2019 तक	0.67	16.34	-	-			-	17.01
वर्ष प्रभार	0.22							0.22
क्षति								-
अपमार्जन / समायोजन		(16.34)						(16.34)
31 मार्च 2019 तक	0.89	-	-	-			-	0.89
विशुद्ध ढुलाई राशि								
31 मार्च 2019 तक	16.65	216.94	155.05	-			67.14	455.78
31 मार्च 2018 तक	57.64	352.68	144.64	-			1.68	556.64

परिसम्पत्तियाँ पूँजीगत कैपिटल डब्ल्यूआईपी निर्माण की तारीख से / अधिग्रहण जिसे खरीद (3 साल से अधिक समय तक इस्तेमाल नहीं किया जा सकता है, एक प्रावधान, चौथी वर्ष और उसके बाद के अवमूल्यन के बराबर बनाया गया है। 0.89 करोड रुपये की राशि का कुल प्रावधान (31.03.2019 तक 17.01 करोड़ रुपए) बताए गए थे, जिसे पर्याप्त माना जा सकता है।

टिप्पणी 5 : अन्वेषण एवं पुनर्मूल्यांकन सम्पत्ति

(रु. करोड़ में)

	अन्वेषण एवं पुनर्मूल्यांकन लागत
सकल ढुलाई राशि :	
1 अप्रैल 2018 तक	206.97
वृद्धि	79.93
अपमार्जन / समायोजन	
31 मार्च 2019 तक	286.90
1 अप्रैल 2019 तक	286.90
वृद्धि	12.76
अपमार्जन / समायोजन	(32.46)
31 मार्च 2020 तक	267.20
संचित प्रावधान एवं हानि	
1 अप्रैल 2018 तक	13.33
वर्ष के लिए शुल्क	2.47
हानि	
अपमार्जन / समायोजन	
31 मार्च 2019 तक	15.80
1 अप्रैल 2019 तक	15.80
वर्ष के लिए शुल्क	
हानि	
अपमार्जन / समायोजन	
31 मार्च 2020 तक	15.80
विशुद्ध ढुलाई राशि	
31 मार्च 2020 तक	251.40
31 मार्च 2019 तक	271.10

टिप्पणी 6 : अमूर्त सम्पत्ति

(रु. करोड़ में)

	कम्प्युटर सॉफ्टवेयर	बिक्री के लिए कोयला ब्लॉक	अन्य	कुल
ढुलाई राशि				
1 अप्रैल 2018 तक				-
वृद्धि				-
अपमार्जन / समायोजन				-
31 मार्च 2019 तक	-	-	-	-
1 अप्रैल 2019 तक	-	-	-	-
वृद्धि				-
अपमार्जन / समायोजन				-
31 मार्च 2019 तक	-	-	-	-
संचित अमूर्तकरण एवं हानि				
1 अप्रैल 2018 तक				-
वर्ष के लिए शुल्क				-
हानि				-
अपमार्जन / समायोजन				-
31 मार्च 2019 तक	-	-	-	-
1 अप्रैल 2019 तक	-	-	-	-
वर्ष के लिए शुल्क				-
हानि				-
अपमार्जन / समायोजन				-
31 मार्च 2020 तक	-	-	-	-
विशुद्ध ढुलाई राशि				
31 मार्च 2020 तक	-	-	-	-
31 मार्च 2019 तक	-	-	-	-

टिप्पणी 7 : निवेश

(रु. करोड़ में)

गैर चालू	इकाईयों की संख्या चालू वर्ष / (पिछले वर्ष)	अंकित मूल्य प्रति यूनिट चालू वर्ष / (पिछले वर्ष)	के अनुसार	
			31.03.2020	31.03.2019
शेयरों में निवेश				
म्युचुअल फंड निवेश (उद्धृत)				
अन्य निवेशों			-	-
कुल			-	-
निर्विवाद निवेश की कुल राशि			-	-
उद्धृत निवेश का कुल मूल्य			-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			-	-
निवेश के मूल्य में हानि की कुल राशि			-	-
चालू	**इकाइयों की संख्या वर्तमान वर्ष / (पिछले वर्ष)**	**एनएवी (रुपये में)**	**के अनुसार**	
			31.03.2020	31.03.2019
म्युचुअल फंड निवेश (उद्धृत)				
यूटीआई म्युचुअल फंड	678.815/(4339179.125)	3,251.4430	0.22	442.36
एसबीआई म्युचुअल फंड	906.797/(1991128.494)	3,109.0200	0.28	199.76
अन्य निवेश (अनुद्धृत)				
कुल			0.50	642.12
उद्धृत निवेश की कुल योग			0.50	642.12
गैर उद्धृत निवेश राशि का योग			-	-
उद्धृत निवेश का बाजार मूल्य			0.50	642.12
निवेश के मूल्य में क्षति की कुल राशि			-	-
*व्यापार की प्रति यूनिट एनएवी (उद्धृत) म्यूचुअल फण्ड अंकित मूल्य के बराबर है जैसा ऊपर उल्लिखित है।				
वर्गीकरण के लिए टिप्पणी 38(1) देखें।				

टिप्पणी 8 : ऋण

(रु. करोड़ में)

	के अनुसार			
	31.03.2020		31.03.2019	
गैर चालू				
ऋण				
– अच्छे समझे प्रतिभूत	3.48		5.05	
– अच्छे समझे अप्रतिभूत	-		-	
– ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि है	-		-	
– साख बिगड़ा	-		-	
घटाव : संदेहाजनक ऋण घटती				
कुल	**3.48**		**5.05**	
चालू				
ऋण				
– अच्छे समझे प्रतिभूत	1.44		1.43	
– अच्छे समझे अप्रतिभूत	-	-		
– ऋण जोखिम में उल्लेखनीय वृद्धि है	-	-		
– साख बिगड़ा	-	-		
घटाव : संदेहजनक ऋण घटती				
		1.44		**1.43**
वर्गीकरण के लिए 38 (1) का टिप्पणी देखें।				

टिप्पणी 9 : अन्य वित्तीय परिसम्पत्तियाँ

(रु. करोड़ में)

	के अनुसार			
	31.03.2020		31.03.2019	
गैर चालू				
बैंक जमा	0.19		0.67	
बैंक के साथ स्थानांतरण और पुनर्वास निधि योजना के				
तहत जमा	-		-	
साइट बहाली के लिए जमा और प्राप्यः				
माइन क्लोजर प्लान के तहत बैंक में जमा[1]		810.53		702.61
अन्य जमा (खदान समवर्ती व्यय)		106.53		65.08
खदान बन्द व्यय के लिए एस्क्रो खाता से प्राप्तियाँ		37.47		-
अन्य प्राप्तियाँ और जमा	-		-	
घटावः प्रावधान अन्य जमा व प्राप्तियाँ	-	-	-	-
कुल		954.72		768.36
चालू				
अतिरिक्त निधि जो होल्डिंग कंपनी के पास जमा		-		-
साइट बहाली के लिए जमा और प्राप्यः				
अन्य जमा (खदान समवर्ती व्यय)		-		-
खदान बन्द व्यय के लिए एस्क्रो खाता से प्राप्तियाँ		37.46		-
धारक कंपनी के साथ चालू खाता[2]		-		7.85
ब्याज अर्जित	128.05		115.19	
दावा और अन्य प्राप्तियाँ[3]	47.64		69.34	
घटाव : प्रावधान अन्य जमा व प्राप्तियाँ	21.38	26.26	28.21	41.13
कुल	191.77		164.17	

1. खान बंद योजना के तहत बैंक में जमा :

   कोयला मंत्रालय, भारत सरकार से माइन क्लोजर प्लान तैयार करने के दिशा–निर्देशों के बाद, एक एस्क्रो खाता खोला गया है। ईएससीआरओडब्यू खाते में अर्जित ब्याज सहित कुल जमा राशि का 80% तक हर पाँच साल बाद दिशानिर्देशों के अनुसार क्लोजर पाल की आवधिक परीक्षा के अनुरूप जारी किया जा सकता है। (साइट बहाली / खदान बंद करने के प्रावधान के लिए नोट 21 देखें)।

2. होल्डिंग के साथ वर्तमान खाता शेष :

सीआईएल / सहायक कंपनियों के साथ संतुलन		-		7.85
आरएसओ के साथ संतुलन		-		-
दिल्ली डेस्क कार्यालय के साथ संतुलन		-		-
कुल		-		7.85

3. ग्रेच्युटी के लिए नोट 21 के फुटनोट 1 और 2 का संदर्भ लें।				
एस्क्रो खाते की पुनः प्राप्ति :		**31.03.2020**		**31.03.2019**
प्रारंभिक तिथि में एस्क्रो अकाउंट (करंट/गैर करंट) में शेष		702.61		779.61
जोड़ें : चालू वर्ष के दौरान जमा शेष राशि		64.58		119.83
जोड़ें : वर्ष के दौरान ब्याज का श्रेय		43.34		40.70
घटाव : चालू वर्ष के दौरान वापस ली गई राशि		-		237.53
समापन तिथि पर एस्क्रो खाते (करंट/गैर चालू) में शेष		810.53		702.61
वर्गीकरण के लिए नोट 38(2) देखें।				

टिप्पणी 10 : अन्य गैर चालू

(रु. करोड़ में)

	के अनुसार			
	31.03.2020		31.03.2019	
(I) पूँजीगत अग्रिम	23.33		20.83	
घटाव : संदेहजनक प्रगति के लिए प्रावधान	0.68	22.65	0.67	20.16
(ii) पूँजी के अतिरिक्त अन्य अग्रिम				
(ए) उपयोगिताओं के लिए प्रतिभूत	41.19		41.71	
घटाव : संदेहजनक जमा के लिए प्रावधान	-	41.19	-	41.71
(बी) अन्य जमा एवं अग्रिम[1]	27.91		25.83	
घटावः संदेहजनक जमा के लिए प्रावधान	0.64	27.27	0.64	25.19
कुल		**91.11**		**87.06**

1. अन्य जमा राशियों और अग्रिम राशि में रु. 21.34 करोड़ (30.03.2019 रु. 20.87 करोड़) जमा शामिल हैं।

टिप्पणी 11 : अन्य चालू परिसम्पत्तियाँ

(रु. करोड़ में)

		के अनुसार			
		31.03.2020		31.03.2019	
(ए)	पूँजीगत अग्रिम	-		-	
	घटाव : संदेहजनक अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	-	-	-
(बी)	राजस्व (वस्तु एवं सेवाओं) के लिए अग्रिम	35.36		41.89	
	घटाव : संदेहजनक अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.50	34.86	0.26	41.63
(सी)	सांविधिक देय राशि का अग्रिम भुगतान[2]	850.94		831.55	
	घटाव : संदेहजनक अग्रिमों के लिए प्रावधान	-	850.94	-	831.55
(डी)	संबंधित पार्टी के लिए अग्रिम (सीएमपीडीआईएल)		-		
(ई)	अन्य अग्रिम एवं जमा[1]	2,000.04		1,796.13	
	घटाव : संदेहजनक अग्रिमों के लिए प्रावधान	0.93	1,999.11	2.57	1,793.56
(एफ)	इनपुट कर क्रेडिट प्राप्य[3]	1,406.66		1,123.11	
	घटाव : प्रावधान	-	1,406.66	-	1,123.11
	कुल		**4,291.57**		**3,789.85**

1. इसमें आयकर मद में 1264.64 करोड़ रुपये (31.03.2018 तक 1264.64 करोड़ रुपये) विक्रय कर 482.78 करोड़ रुपये (21.03.2018 तक 469.8 करोड़) एवं सेवा शुल्क 19.51 करोड़ रुपये (31.03.2018 तक 0.27 करोड़) जमा शामिल है।
2. वापसी योग्य (रिफंडेबल) आयकर रुपये 761.09 करोड़ शामिल (पिछले वर्ष 760.63 करोड़ रुपये)
3. जीएसटी (वस्तु एवं सेवा कर) प्रतिदाय शामिल।

टिप्पणी 12 : वस्तु सूची

(रु. करोड़ में)

		के अनुसार			
		31.03.2020		31.03.2019	
(ए)	कोयले का स्टॉक	276.23		243.90	
	विकास के तहत कोयला	-		-	
	कोयले का भंडार (विशुद्ध)		276.23		243.90
(बी)	भंडार और पुर्जों का स्टॉक (लागत पर)	391.07		428.63	
	जोड़े : भंडार में पारगमन	0.58		0.18	
	भंडार और पुर्जों की विशुद्ध स्टॉक (लागत पर)		391.65		428.81
(सी)	कार्यशाला कार्य और प्रेस कार्य		-		-
(डी)	केन्द्रीय अस्पताल में दवा का भंडारण		1.66		1.32
	कुल		**669.54**		**674.03**
मूल्यांकन की पद्धति : देखें टिप्पणी (नोट) सं. 2.20 – 'सूचियों' पर महत्त्वपूर्ण लेखांकन नीतियाँ					
जमानत की सुरक्षा के लिए देखें टिप्पणी सं. 38 (II) (2)					

तुलन–पत्र पर टिप्पणी

टिप्पणी के अनुलग्नक – 12

(लाख टन में मात्रा)
(लागत रु. करोड़ में)

तालिका–ए

अवधि के अंत में बुक स्टॉक के साथ खाते में अपनाया गया, स्टॉक का समापन

		समस्त भंडार		गैर वैंडबल स्टॉक		वैंडबल स्टॉक	
		मात्रा	लागत	मात्रा	लागत	मात्रा	लागत
1	(ए) 01.04.2019 के अनुसार प्रारंभिक भंडार	33.70	243.90	-	-	33.70	243.90
	(बी) प्रारंभिक भंडार में समयोजन						
2.	अवधि के लिए उत्पादन	1,080.53	15,389.96	-	-	1,080.53	15,389.96
3.	उप योग (1+2)	1,114.23	15,633.86	-	-	1,114.23	15,633.86
4.	अवधि के लिए बट्टे खाते						
	(ए) बाह्य प्रेषण	1,039.93	14,992.04	-	-	1,039.93	14,992.04
	(बी) कोयला का फीड वॉशरीज	34.30	365.59	-	-	34.30	365.59
	(सी) खुद का खपत	-	-	-	-	-	-
	कुल (ए)	1,074.23	15,357.63	-	-	1,074.23	15,357.63
5.	व्युत्पन्न भंडार	40.00	276.23	-	-	40.00	276.23
6.	मापने वाला भंडार	39.59	273.40	-	-	39.59	273.40
7.	अंतर (5–6)	0.41	2.83	-	-	0.41	2.83
8.	अंतर का ब्रेक अप :						
	(ए) 5% के भीतर अतिरिक्त	0.41	2.83	-	-	0.41	2.83
	(बी) 5% के भीतर कमी	-	-	-	-	-	-
	(सी) 5% से अधिक की अतिरिक्त	-	-	-	-	-	-
	(डी) 5% के भीतर कमी	-	-	-	-	-	-
9.	**समापन भंडार अपनाया खाता में**	**40.00**	**276.23**	**-**	**-**	**40.00**	**276.23**

तालिका–बी

कोयला का समापन स्टॉक का सारांश

	कच्चा कोयला				धूला/सिसेल्ड कोयला				अन्य		कुल	
	नान–कोकिंग				नान–कोकिंग				रद्दी			
	मात्रा	लागत	मात्रा	लागत	मात्रा	लागत	मात्रा	लागत	मात्रा	लागत	मात्रा	लागत
प्रारंभिक भंडार (अंवेक्षण)	-	-	33.70	243.90	-	-			-	-	33.70	243.90
घटाव : गैर प्राप्य कोयला	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
समायोजन प्रारंभिक भंडार (वेंडेबल)	-	-	33.70	243.90	-	-			-	-	33.70	243.90
उत्पादन	-	-	1,080.53	15,389.96	-	-	-	-	-	-	1,080.53	15,389.96
उठाव*												
(ए) बाह्य प्रेषण	-	-	(1,039.93)	(14,992.04)	-	-	(30.24)	(486.93)	(4.06)	(77.55)	(1,074.23)	(15,556.52)
(बी) कोयला फीड वॉशरीज में	-	-	(34.30)	(365.59)	-	-	34.30	365.59	-	-	-	-
(सी) स्वयं की खपत	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
बन्द स्टॉक**	-	-	40.00	276.23	-	-	4.06	-	-	-	44.06	276.23
घटाव : कमी	-	-	-	-	-	-	4.06	-	-	-	4.06	-
बन्द स्टॉक**	-	-	40.00	276.23	-	-	-	-	-	-	40.00	276.23

* ऑफटेक में बाहर प्रेषण, वॉशरी और खुद की खपत कोयला फीड शामिल है।

** गैर–वेंडेबल स्टॉक को छोड़कर।

वित्तीय विवरणों पर टिप्पणी

टिप्पणी 13 : प्राप्य व्यापार

(रु. करोड़ में)

	के अनुसार			
	31.03.2020		31.03.2019	
चालू				
प्राप्य व्यापार				
– अच्छे समझे गए				
– अच्छे नहीं समझे गए[1]	1,850.15		954.45	
– क्रेडिट जोखिम में महत्त्वपूर्ण वृद्धि				
– शाख	5.49		5.74	
	1,855.64		960.19	
घटाव : खराब और संदिग्ध ऋणों के लिए प्रावधान	5.49		5.74	
		1,850.15		954.45
कुल		1,850.15		954.45

1. कोयला गुणवत्ता वीचरण हेतु 198.34 करोड़ (रुपये 88.23 करोड़) का प्रावधान किया गया।

कोई भी व्यापार या अन्य प्राप्य कंपनी के निदेशकों या अन्य अधिकारियों से या तो स्वतन्त्र रूप से या किसी अन्य वायक्ति के साथ संयुक्त रूप से नहीं है।

वर्गीकरण के लिए नोट 38 (2) देखें।

नोट : संख्या संपार्श्विक सुरक्षा के लिए 38 (II) (2) देखें।

टिप्पणी 14 : नकद एवं नकद के समतुल्य

(रु. करोड़ में)

		के अनुसार	
		31.03.2020	31.03.2019
(ए)	बैंक के साथ शेष		
	– जमा लेखा में	682.11	1.05
	– चालू लेखा में		
	ए. ब्याज धारक (सीएलटीडी खाते आदि)	41.96	228.82
	बी. गैर ब्जाज धारक	30.58	372.87
	– नकद क्रेडिट खातों में	-	-
(बी)	भारत के बाहर बैंक शेष		
(सी)	हाथ में चेक, ड्राफ्ट और टिकट		
(डी)	हाथ में नकद	0.00	0.00
(ई)	भारत के बाहर हाथ में नकद		
(एफ)	अन्य	-	-
	कुल नकद और नकद समतुल्य	**754.65**	**602.74**
	बैंक ओवरड्राफ्ट		
	कुल नकद और नकद समतुल्य (बैंक ओवरड्राफ्ट का विशुद्ध)	**754.65**	**602.74**
वर्गीकरण के लिए नोट 38 (1) देखें।			
नकद और नकद समकक्षों के हाथ पर और बैंक, स्वीप अकाउंट्स और तीन महीने या उससे कम की मूल परिपक्वता वाले बैंकों के साथ सावधि जमा शामिल है।			

टिप्पणी 15 : अन्य बैंक शेष

(रु. करोड़ में)

	के अनुसार	
	31.03.2020	**31.03.2019**
बैंक के साथ शेष		
– जमा खाता[1]		
ए. सावधि जमा	2,690.81	3,118.62
बी. सीएलटीडी खाता आदि	-	-
– खदान बन्द योजना		
– स्थानांतरण एवं पुनर्वास निधि योजना		
– अवैतनिक लाभांश खातों		
– लाभांश खातों		
कुल	**2,690.81**	**3,118.62**

1. बैंकों के साथ जमा में रु. 3.63 करोड़ रुपये (31.03.2019 को 3.24 करोड़ रुपये) बैंक के साथ बीजी के लिए मार्जिन पैसे के रूप में प्रतिज्ञा की गई। 0.20 करोड़ (31.03.2019 को 0.36 करोड़ रुपये)

बैंक के साथ जमा राशि में रु. माननीय उच्च न्यायालय, कोलकाता के आदेश के अनुसार 6.48 करोड़ रुपये (31.03.2019 को 6.10 करोड़ रुपये) को अलग–अलग ब्याज वाले खाते में रखा गया है। इन जमाराशि पर जमा ब्याज रु. 0.11 करोड़ (पिछले वर्ष 0.11 करोड़ रुपये)।

अन्य बैंक शेषों में सावधि जमा और अन्य बैंक जमा शामिल हैं जिन्हें कैश बायोनफ में 3 महीने का एहसास होने की उम्मीद है लेकिन रिपोर्टिंग तिथि के 12 महीने के भीतर।

वर्गीकरण के लिए 38 (1) नोट देखें।

टिप्पणी 16 : पूंजीगत साम्य अंश

(रु. करोड़ में)

	के अनुसार	
	31.03.2020	**31.03.2019**
अधिकृत*		
प्रत्येक रु. 1000/– के 100,00,000 साम्य अंश	1,000.00	1,000.00
	1,000.00	**1,000.00**
जारी, सहमति और भुगतान किया		
प्रत्येक रु. 1000/– के 6309405 साम्य अंश पूरी तरह किया (P.Y. 6827965) 630.94	630.94	
	630.94	**630.94**

* अतिरिक्त नोट नंबर – 38 देखें

टिप्पणी 1 : 5% से अधिक शेयरों वाले प्रत्येक शेयरधारक द्वारा अयोजित कंपनी में शेयर (31 मार्च, 2019)

शेयर धारक का नाम	**शेयरों की संख्या (अंकित मूल्य 1000 रुपये प्रत्येक)**	
कोल इंडिया लिमिटेड, धारक कंपनी	6,309,405	6,309,405

टिप्पणी 2 : वित्तीय अवधि 2016–17 के दौरान, कंपनी ने 4,11,135 साम्य अंशों की संख्या रु. निविदा प्रस्ताव के माध्यम से 30,260.70 प्रति शेयर (रु. 1000 का अंकित मूलय पूरी तरह से भुगतान किया गया) (जैसा कि एनसीएल बोर्ड द्वारा दिनांक 09.03.2017 के 213वीं बैठक में अनुमोदित किया गया है)। ऐसे खरीद–वापस पोस्ट करें, 31.03.2017 को पूरी तरह से चुकता साम्य अंशों की संख्या 13,65,593 है।

टिप्पणी 3 : वित्तीय वर्ष 2018–19 के दौरान, कंपनी ने अपने 5,18,560 नंबर इक्विटी शेयरों को रुपये की दर से वापस खरीदा है। निविदा प्रस्ताव (28.01.2019 को 238वीं बैठक एनसीएल बोर्ड द्वारा अनुमोदित) के माध्यत से प्रति शेयर 6845.93 (रु. 1000 का प्रत्येक पूर्ण मूल्य का भुगतान)। इस तरह से बाय–बैक 31.03.2019 तक पूरी तरह से भुगतान किए गए इक्विटी शेयरों की संख्या 63,09,405 पर है।

टिप्पणी 17 : अन्य साम्य

(रु. करोड़ में)

विवरणों	अन्य संचयी		सामान्य संचय	प्रतिधारित आय	अन्य व्यापक आय	कुल
	पूंजीगत निष्क्रिय संचय	पूंजीगत संचय		लाभ एवं हानि अंश		
01.04.2018 को शेष राशि	**-**	**-**	**2,051.57**	**653.93**	**21.39**	**2,726.89**
लेखांकन नीति में परिवर्तन पहले अवधि त्रुटियाँ						-
01.04.2018 को बनाए रखा शेष	-	-	2,051.57	653.93	21.39	2,726.89
वर्ष के दौरान जोड़	51.86		204.10			255.96
वर्ष के दौरान समायोजन						-
वर्ष के दौरान त्रुटियाँ						-
वर्ष के दौरान लाभ				4,111.28	(29.30)	4,081.98
विनियोग						-
सामान्य रिजर्व में से स्थानांतरण करें				(204.10)		(204.10)
अन्य भंडार में से/ स्थानांतरित करें						-
अंतरिम लाभाश				(1,996.53)		(1,996.53)
अंतिम लाभांश						-
कॉर्पोरेट लाभांश कर				(410.39)		(410.39)
वितरित आय पर कर (वापस खरीदें)						-
बोनस शेयर जारी करना						-
अंतिम लाभांश (वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए)				(400.00)		(400.00)
अंतिम लाभांश पर कॉर्पोरेट लाभांश पर (वित्तीय वर्ष 2017–18 के लिए)				(81.43)		(81.43)
विपरित आय पर कर (वापस खरीदें)			(70.62)			(70.62)
शेयरों का बायबैक			(355.00)			(355.00)
31.03.2019 को शेष राशि	**51.86**	**-**	**1,830.05**	**1,672.76**	**(7.91)**	**3,546.76**
01.04.2019 को शेष राशि	**51.86**	**-**	**1,830.05**	**1,672.76**	**(7.91)**	**3,546.76**

वर्ष के दौरान परिवर्धन			248.57			248.57
वर्ष के दौरान समायोजन						-
लेखांकन नीति या पूर्व अवधि की त्रुटियों में परिवर्तन						-
इस साल का मुनाफा				4,971.43	(50.64)	4,920.79
विनियोग						-
जनरल रिजर्व से/के लिए स्थानांतरण				(248.57)		(248.57)
अन्य भंडार से/के लिए स्थानांतरण						-
अंतरिम लाभांश				(3,911.83)		(3,911.83)
कॉर्पोरेट लाभाश कर				(804.09)		(804.09)
फाइनल डिविडेंड पर कार्पोरेट लाभांश कर (वित्तीय 2018–19 के लिए)						-
वितरित आय पर कर (वापस खरीदें)						-
शेयरों की वापसी						-
शेष राशि 31.03.2019 तक	51.86	-	2,078.62	1,679.70	(58.55)	3,751.63

*इक्विटी में परिवर्तन का विवरण भी देखें।

1. कैपिटल रिडेम्पशन रिजर्व कंपनी के शेयरों के बायबैक के समय बनाया गया था। इस रिजर्व का उपयोग कंपनी अधिनियम–2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।
2. जनरल रिज़र्व कंपनी द्वारा आज तक विनियोग के बाद अर्जित लाभ से उत्पन्न होने वाला निःशुल्क रिज़र्व है।
3. रिटायर्ड कमाई कंपनी के संचयी लाभ का प्रतिनिधित्व करती है। इस आश्वासन का उपयोग कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रावधानों के अनुसार किया जा सकता है।
4. अन्य व्यापक आय प्रतिपूर्ति परिभाषित लाभ दायित्वों के प्रभाव का प्रतिनिधित्व करता है।

टिप्पणी 18 : उधार

(रु. करोड़ में)

	के अनुसार	
	31.03.2020	31.03.2019
गैर चालू		
अवधि ऋण		
– बैंकों से	-	-
– अन्य पक्षों से	-	-
अन्य ऋण		
कुल	-	-
वर्गीकरण		
प्रतिभूत	-	-
अप्रतिभूत	-	-
चालू		
माँग पर लौटाने वाले ऋण		
– बैंक से	-	-
– अन्य पक्षों से	-	-
संबंधित पक्षों से ऋण	-	-
अन्य ऋण		
कुल	-	-
वर्गीकरण		
प्रतिभूत	-	-
अप्रतिभूत	-	-

टिप्पणी 19 : प्राप्त भुगतान

(रु. करोड़ में)

	के अनुसार	
	31.03.2020	31.03.2019
चालू		
सूक्ष्म, और लघु उद्यमों के लिए व्यापार भुगतान	0.70	0.67
अन्य के लिए प्राप्त भुगतान		
– भंडार एवं कल पुर्जे	147.55	196.91
– विद्युत एवं ईंधन	81.73	47.00
– वेतन, मजदूरी और भत्ता	214.89	198.57
– अन्य	530.00	479.35
कुल	974.87	922.50
• वर्गीकरण के लिए 38 (1) देखें		
क) मूलधन और ब्याज की राशि शेष अवैतनिक है, लेकिन अवधि समाप्त होने के कारण नहीं।	0.70	0.67
ख) सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 की धारा 16 के संदर्भ में कंपनी द्वारा भुगतान किया गया ब्याज, अवधि के दौरान नियत दिन से परे आपूर्तिकर्ता को किए गए भुगतान की राशि के साथ।	-	-
ग) भुगतान करने में देरी की अवधि के लिए ब्याज देय और देय (जो वर्ष के दौरान नियत दिन से परे भुगतान किया गयाहै) लेकिन सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यम विकास अधिनियम, 2006 के तहत निर्दिष्ट ब्याज को जोड़े बिना।	-	-
घ) अवधि के अंत में अर्जित ब्याज और शेष अवैतनिक।	-	-
ड़) आगे के वर्षों में भी देय ब्याज देय और देय है, जब तक कि उपरोक्त तारीखों के ब्याज की राशि वास्तव में छोटे उद्यमों को भुगतान नहीं की जाती है।	-	-

सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों की देनदारी के एजिंग	
45 दिनों से कम	0.70
45 दिनों से 6 माह	-
6 माह से 01 वर्ष	-
1 वर्ष से अधिक	-
	0.70

टिप्पणी 20 : अन्य वित्तीय देयताएं

(रु. करोड़ में)

		के अनुसार	
		31.03.2020	31.03.2019
गैर चालू			
	सुरक्षा जमा	140.88	174.95
	अग्रिम धन	3.77	8.06
	अन्य[1]	4.31	4.18
		148.96	187.19
चालू			
	चालू खाते के साथ[2]		
	– धारक कंपनी/सीआईएल के अन्य सहायक	1,953.70	-
	– आईआईसीएम	-	-
	दीर्घकालिक ऋण की वर्तमान परिपक्वता		
	अवैतनिक लाभांश		
	सुरक्षा जमा	125.83	89.51
	अग्रिम धन	39.39	39.17
	पूंजीगत व्यय के लिए देय	136.39	133.74
	अन्य[1]	1.95	2.16
	कुल	**2,257.26**	**264.58**
1.	अन्य शामिल हैं एमटी बॉन्ड पैसे, प्राप्त किए गए वर्तमान और गैर–वर्तमान में वर्गीकृत		
2.	सीआईएल/सहायक कंपनियों के साथ संतुलन	1,953.33	-
	आरएसओ के साथ संतुलन	0.37	-
	दिल्ली डेसक कार्यालय के साथ संतुलन	-	-
	कुल	**1,953.70**	**-**

टिप्पणी 21 : प्रावधान

(रु. करोड़ में)

	के अनुसार	
	31.03.2020	**31.03.2019**
कर्मचारी लाभ		
– ग्रेच्यूटी[1]	-	-
– अवकाश नकदीकरण[2]	143.44	112.49
– अन्य कर्मचारी लाभ[3]	147.86	78.26
– स्थल पुनर्स्थापना / खदान बन्द[4]	817.20	747.63
– स्ट्रीपिंग गतिविधि समायोजन	6,800.96	5,878.87
अन्य[5]	0.27	0.27
कुल	**7,909.73**	**6,817.52**
चालू		
कर्मचारी लाभ		
– ग्रेच्यूटी[1]	-	-
– अवकाश नकदीकरण[2]	-	-
– अनुग्रहपूर्वक	82.43	77.25
– प्रदर्शन से संबंधित भुगतान	145.82	140.48
– अन्य कर्मचारी लाभ[3]	16.82	47.64
– एनसीडब्ल्यू X	-	-
– अधिकारी वेतन संशोधन		
– माइन खान समाप्ति (माइन क्लोजर)		
अन्य	-	-
कुल	**245.07**	**265.37**

1. रुपये की कुल बीमांकिक देयता 1066 करोड़ रुपये के साथ नेट–ऑफ किया गया है। एलआईसी के साथ 1076.42 करोड़ रुपये की जमा राशि (1027.28 करोड़ रुपये की देनदारी, 31.03.2019 तक 1039.73 करोड़ रुपये की एलआईसी के साथ जमा) जिसमें रु. 77.09 करोड़ की ब्याज राशि, बीमा प्रीमियम का नेट और अन्य शुल्क (प्रीवियस) 75.88 करोड़ रुपये शामिल हैं। करोड़ का हिसाब के आधार पर किया गया है। नोट 9 भी देखें।

2. रुपये की कुल बीमांकिक देयता 353.16 करोड़ रुपये का एलआईसी के साथ जमा किया गया कुल रु. 209.72 करोड़ के साथ नेट–ऑफ किया गया है (31.3.2018 को 286.69 करोड़ रुपये के जीवन बीमा (एलआईसी) के साथ जमा के साथ 174.2 करोड़ रुपये की देयता) जिसमें ब्याज और अन्य शुल्क शामिल हैं, जिसमें रु. 13.48 करोड़ रुपये का हिसाब रखा गया है। नोट 9 भी देखें।

3. अन्य कर्मचारी लाभों में पेंशन और सेवानिवृत्ति लाभ के लिए प्रावधान शामिल हैं। सेवानिवृत्ति के बाद के चिकित्सा लाभ की कुल बीमांकित देयता 109.6 करोड़ रुपये के अधिशासी रुपये के साथ नेट–ऑफ किया गया है। ट्रस्ट में जमा किए गए 71.69 करोड़ रुपए (31.03.2019 तक 60.34 करोड़ रुपए की जमा राशि के साथ 76.76 करोड़ रुपए की नेट–ऑफ की देनदारी)

4. साइट बहाली/खदान बंद करने का प्रावधान भारत सरकार के कोयला मंत्रालय के दिशा–निर्देशों के अनुसार, भूमि के पुनर्ग्रहण और संरचनाओं के विघटन के लिए कंपनी की बाध्यता भूतल और भूमिगत खदानों दोनों पर खर्च होती है। आवश्यक कार्य करने के लिए माइन क्लोजर, साइट बहाली और विस्तृत गणना के आधार पर दायित्व की गणना और भविष्य के नकद खर्च की मात्रा और तकनीकी मूल्यांकन के आधार पर। मेरा क्लोजर खर्च स्वीकृत खदान योजना के अनुसार प्रदान किया जाता है। मुद्रा स्फीति के लिए खर्चों का अनुमान बढ़ाया जाता है और फिर छूट की दर (@ 8%) पर छूट दी जाती है जो मुद्रा के समय मूल्य और जोखिमों के वर्तमान बाजार मूल्यांकन को दर्शाती है, जैसे प्रावधान की राशि व्यय के वर्तमान मूल्य को दर्शाती है। दायित्व का निपटान करने के लिए आवश्यक है। प्रावधान के मूल्य में समय के साथ उत्तरोत्तर वृद्धि होती है क्योंकि छूट छूट का प्रभाव बढ़ता है। वित्तीय व्यय के रूप में मान्यता प्राप्त व्यय बनाना। संदर्भ में, खदान बंद करने की योजना के लिए दिशा निर्देशों के ऊपर, एक एस्क्रौ खाता खोला गया है। (नोट देखें – 9)

5. रुपये का प्रावधान 0.27 करोड़ (पिछले वर्ष का 0.27 करोड़ रुपये) चोरी के नुकसान/अचल परिसंपत्ति ई के नुकसान के खिलाफ किया गया था।

भूमि/साइट की बदहाली/खदान बंद करने की पुनर्विचार की प्राप्ति :		
	31.03.2020	**31.03.2019**
वर्ष की शुरुआत में साइट बहाली परिसंपत्तिका सकल मूल्य	747.63	678.01
जोड़ेंरू वर्तमान वर्ष के लिए अस्थायी शुल्क की अनुपलब्धता (पूंजीकृत शामिल)	69.57	69.62
वर्ष के अंत में साइट बहाली परिसंपत्ति का सकल मूल्य	817.20	747.63

टिप्पणी 22 : अन्य गैर–चालू देयताएं

(रु. करोड़ में)

	के अनुसार	
	31.03.2020	**31.03.2019**
अंतर आय (सरकारी अनुदान)	12.95	13.86
कुल	**12.95**	**13.86**

*आस्थगित आय में खड़िया इकाई में सड़क और रेल बुनियादी ढांचे के पूंजी प्रकृति कार्यों के कारण प्राप्त सब्सिडी शामिल है। वर्ष के दौरान आस्थगित आय से मान्यता प्राप्त आय रु.0.91 करोड़। (संदर्भ खाता नीति संख्या 2.4 देखें)

टिप्पणी 23 : अन्य चालू देयताएं

(रु. करोड़ में)

	के अनुसार	
	31.03.2020	**31.03.2019**
पूंजीगत व्यय	867.39	841.63
ग्राहकों को देय राशि	620.77	549.02
ग्राहकों/अन्य लोगों से अग्रिम	1063.27	1582.11
लाभांश वितरण पर कर	-	-
अन्य देयता[1]	254.09	324.94
कुल	**2,805.52**	**3,297.70**
1. ग्राहकों को देय राशि आदि शामिल है।		

टिप्पणी 24 : संचालन पर राजस्व

(रु. करोड़ में)

		वर्ष के समाप्ति पर			
		31.03.2020		**31.03.2019**	
ए.	कोयला का विक्रय	24,093.97		23,052.51	
	घटाव : अन्य वैधानिक लेवी	8,537.45		8,146.91	
	कोयला का विक्रय (विशुद्ध) (ए)		15,556.52		14,905.60
बी.	अन्य संचालन राजस्व				
	लदाई और अतिरिक्त परिवहन शुल्क	525.13		432.84	
	घटाव : अन्य वैधानिक लेवीज	24.99	500.14	18.16	414.68
	रिक्तीकरण सरलीकरण शुल्क	230.77		213.11	
	घटाव : अन्य लेवीज	10.99	219.78	11.98	201.13
	अन्य संचालन राजस्व (विशुद्ध) (बी)		**719.92**		**615.81**
	(संचालन से राजस्व) ए + बी		**16,276.44**		**15,521.41**
	बिक्री में समायोजित कोयले की गुणवत्ता में निम्न शामिल हैं :		110.11		(32.94)
	राजस्व अतिरिक्त के लिए नोट 38(6) देखें।				

टिप्पणी 25 : अन्य आय

(रु. करोड़ में)

	वर्ष के समाप्ति पर	
	31.03.2020	**31.03.2019**
ब्याज आय	356.43	359.77
लाभांश आय	38.91	49.99
अन्य		
संपत्ति की बिक्री पर लाभ	-	-
विदेशी मुद्रा लेनदेन पर लाभ	-	-
विनिमय दर भिन्नता	0.22	0.28
पट्टा किराया	6.47	5.61
देयता/प्रावधान लिखना वापस	15.38	19.59
स्टॉक में कमी पर एक्साइज ड्यूटी	-	-
विविध आय[1]	216.48	279.47
कुल	633.89	714.71
1. वर्ष के दौरान म्यूचुअल फंड की बिक्री से आय के लिए रु 37.76 करोड़ शामिल हैं (पिछले वर्ष रु.करोड़)		

टिप्पणी 26 : उपभोग सामग्री पर लागत

(रु. करोड़ में)

	वर्ष के समाप्ति पर	
	31.03.2020	**31.03.2019**
विस्फोटक	588.66	578.77
लकड़ी	-	-
तेल और स्नेहक	781.86	744.28
एचईएमएम पुर्जों	597.93	602.60
अन्य उपभोग भंडार और पुर्जों	138.53	105.44
कुल	**2,106.98**	**2,031.09**

टिप्पणी 27 : परिष्कृत सामान की सूची में बदलाव, प्रगति और व्यापार में शेयर का काम

(रु. करोड़ में)

		वर्ष के समाप्ति पर			
		31.03.2020		31.03.2019	
	कोयला का प्रारंभिक स्टॉक	243.90		283.49	
	कोयला का प्रारंभिक स्टॉक	276.23		243.90	
ए	**कोयले की सूची में परिवर्तन**		**-32.33**		**39.59**
	कार्यशाला के समय प्रारंभिक स्टॉक तैयार माल और डब्लूआईपी	-		-	
	कार्यशाला के समापन स्टॉक के समय तैयार माल डब्ल्यूआईपी	-		-	
बी	**कार्यशाला की वस्तुसूची में बदलाव**		**-**		**-**
	व्यापार में स्टॉक की सूची में परिवर्तन (ए + बी) {(अभिवृद्धि)}		**(32.33)**		**39.59**

टिप्पणी 28 : कर्मचारी हित लाभ

(रु. करोड़ में)

	वर्ष के समाप्ति पर	
	31.03.2020	**31.03.2019**
वेतन, मजदूरी, भत्तों, बोनस आदि	1,937.64	1,911.00
भविष्य निधि एवं अन्य निधि में योगदान	528.33	533.16
कर्मचारी कल्याण व्यय[1]	152.44	115.20
कुल	**2,618.41**	**2,559.36**

अतिरिक्त सूचना के लिए नोट 38 (3) देखें।

1. 87.33 करोड़ रुपये का प्रावधान 31.03.2019 को समाप्त वर्ष के लिए घोषित किए गए एक्स–ग्रेसिया के आधार पर कर्मचारियों (गैर–अधिकारियों (भूतत्व के संबंध में वर्ष के दौरान किए गए हैं।

2.54 करोड़ की राशि कोल इंडिया स्पोर्टस प्रमोशन एसोसियशन के विकास के लिए शामिल है (31.03.2019 के पिछले वर्ष 2.46 करोड़ रु.) जो कि 0.25/– रुपये प्रतिटन है और इसका निर्धारण 296 सीआईएल बोर्ड मिटिंग में हुआ था।

टिप्पणी 29 : सामाजिक निगमित दायित्व पर व्यय

(रु. करोड़ में)

	वर्ष के समाप्ति पर	
	31.03.2020	**31.03.2019**
सीएसआर व्यय	83.33	73.57
कुल	**83.33**	**73.57**

नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड द्वारा तैयार सीएसआर नीति में कंपनी अधिनियम 2013 और अन्य प्रासंगिक अधिसूचना की विशेषताएं शामिल थीं। सीएसआर 2% के लिए निवल औसत वित्तीय लाभ के तीन तत्काल वित्तीय वर्ष के लिए या पिछले वर्ष के कोयले के उत्पादन के प्रतिटन 2 रु. जो भी अधिक है रु. 92.27 करोड़ के लिए आता है। इसके अलावा, रु. 46.69 की राशि नॉन–लैप्सेबल है।

टिप्पणी 30 : मरम्मत

(रु. करोड़ में)

	वर्ष के समाप्ति पर	
	31.03.2020	**31.03.2019**
भवन	106.70	108.14
प्लान्ट एवं संयंत्र	147.54	141.18
अन्य	18.59	12.98
कुल	**272.83**	**262.30**

टिप्पणी 31 : संविदात्मक व्यय

(रु. करोड़ में)

	वर्ष के समाप्ति पर	
	31.03.2020	**31.03.2019**
वाहन प्रभार	198.00	180.85
वैगन लोडिंग	15.51	11.63
किराया पर संयंत्र एवं उपकरण	2,152.05	2,146.22
अन्य संविदात्मक कार्य	46.33	56.33
कुल	**2,411.89**	**2,395.03**

टिप्पणी 32 : बट्टे खाते (पिछले प्रावधानों का विशुद्ध)

(रु. करोड़ में)

	वर्ष के समाप्ति पर	
	31.03.2020	**31.03.2019**
ब्याज		
उधार	-	-
अनवाइंडिंग आफ डिस्काउन्ट	53.84	24.10
फण्ड पार्केट विदिन ग्रुप		
अन्य	0.37	0.56
अन्य ऋण लागत	-	-
कुल	**54.21**	**24.66**
**एमटी बाण्ड मनी पर ब्याज शामिल*		

टिप्पणी 33 : प्रावधान (विशुद्ध वापसी)

(रु. करोड़ में)

		वर्ष के समाप्ति पर	
		31.03.2020	**31.03.2019**
(ए)	**प्रावधान के लिए बनाया गया**		
	संदिग्ध ऋण	-	0.30
	संदेहास्पद अग्रिम और दावों	0.04	0.16
	भंडार और पुर्जों	0.46	(0.41)
	अन्य*	0.22	18.95
	कुल (ए)	0.72	19.00
(बी)	**प्रावधान वापसी**		
	संदिग्ध ऋण	0.24	3.24
	संदेहास्पद अग्रिम और दावों	0.18	0.56
	भंडार और पुर्जों	-	0.36
	अन्य*	16.34	-
	कुल (बी)	16.76	4.16
	कुल (ए+बी)	**(16.04)**	**14.84**
*अन्य में पूंजीगत डब्लूआईपी परिसंपत्तियों और अन्वषण और मूल्यांकन परिसंपत्तियों के लिए प्रावधान शामिल हैं।			

टिप्पणी 34 : बट्टे खाते (पिछले प्रावधानों का विशुद्ध)

(रु. करोड़ में)

	वर्ष के समाप्ति पर			
	31.03.2020		31.03.2019	
संदिग्ध ऋण	-		-	
घटाव : पूर्व में मुहैया कराया गया	-	-	-	-
संदिग्ध अग्रिम	-		-	
घटाव : पूर्व में मुहैया कराया गया	-	-	-	-
कोयले का भंडारण	-		-	
घटाव : पूर्व में मुहैया कराया गया	-	-	-	-
अन्य	-		0.02	
घटाव : पूर्व में मुहैया कराया गया	-	-	0.02	-
कुल		**-**		**-**

टिप्पणी 35 : अन्य व्यय

(रु. करोड़ में)

	वर्ष के समाप्ति पर	
	31.03.2020	31.03.2019
यात्रा व्यय	15.98	14.61
प्रशिक्षण व्यय	7.94	9.55
टेलीफोन, डाक और स्टेशनरी	6.51	7.78
विज्ञापन और प्रचार	17.06	14.87
भाड़ा व्यय	0.33	0.22
क्षति	20.14	11.02
सुरक्षा व्यय	96.37	90.55
सीआईएल का सेवा प्रभार	108.05	101.50
किराया प्रभार	50.99	51.54
कानूनी व्यय	1.49	1.38
सीएमपीडीआई व्यय	42.78	53.14
परामर्श व्यय	0.09	0.05
लोडिंग शुल्क के तहत	62.39	80.13

बिक्री/छूट/परिसंपत्तियों के सर्वेक्षण पर नुकसान	2.72	4.42
लेखा परीक्षक का पारिश्रमिक और व्यय		
– अंकेक्षण शुल्क	0.13	0.14
– कराधान मामलों के लिए	-	-
– अन्य सेवाओं के लिए	0.49	0.19
– खर्चा की प्रतिपूर्ति के लिए	0.27	0.13
आंतरिक और अन्य लेखा परीक्षा व्यय	2.32	2.29
पुनर्वास प्रभार	64.53	61.00
किराया	0.94	1.46
दरें और करों	97.22	107.13
बीमा	0.87	0.89
एक्सचेंज दर के विचलन पर नुकसान	-	-
बचाव/सुरक्षा व्यय	21.86	32.93
मृत किराया/भूतल किराया	-	-
साइडिंग रखरखाव प्रभार	3.09	2.33
आर एंड डी के खर्च	-	0.38
पर्यावरण और पेड़ के बागान व्यय	22.02	24.62
अंश के पुर्न खरीद पर व्यय	-	-
अन्य खर्चे	67.24	62.65
कुल	713.82	736.90

टिप्पणी 36 : कर व्यय

(रु. करोड़ में)

	वर्ष के समाप्ति पर	
	31.03.2020	**31.03.2019**
चालू वर्ष	2,003.92	2,397.90
अस्थगित कर	(25.51)	150.97
एमएटी क्रेडिट एंटाइटेलमेंट	-	-
पहले वर्ष	35.61	(0.99)
कुल	**2,014.02**	**2,547.88**

31.03.2019 के लिए भारत की घरेलू कर दर से कर व्यय और लेखांकन लाभ की सुलह गुणा	वर्ष के समाप्ति पर	
	31.03.2020	31.03.2019
कर पूर्व लाभ / (हानि)	6,985.45	6,659.16
25.168% की भारत की सर्वाधिक आयकर दर (31 मार्च 2019 : 34.944%)	1758.10	2326.98
घटाव : पिछले वर्ष के मौजूदा आयकर के संबंध में समायोजन	(35.61)	0.99
घटाव : कर से मुक्त आय	9.79	17.47
घटाव : सहयोगियों और संयुक्त उद्यम के परिणाम का हिस्सा	-	-
जोड़ें : कर उद्देश्यों के लिए गैर–कटौती योग्य व्यय	230.10	239.36
लाभ और हानि के बयान में आयकर व्यय की सूचना दी गई है	2,014.02	2,547.88
प्रभावी आयकर दर :	28.83%	38.26%
स्थगित कर देयता निम्न से संबंधित है :		
विलम्बित टैक्स देयता		
संपत्ति, संयंत्र और उपकरण से संबंधित	139.34	132.80
अन्य	80.84	74.74
कुल स्थगित कर देयता	220.17	207.54
आस्थगित कर परिसंपत्ति		
संदिग्ध अग्रिम दाव और व्यापार प्राप्तियां से संबंधित	69.86	-0.72
कर्मचारी लाभ	166.45	197.4
अन्य	3.83	5.31
कुल स्थगित कर संपत्ति	240.13	201.99
विशुद्ध डीटीए / (डीटीएल)	19.96	(5.55)
कर भुगतान एवं प्रावधान का विवरण :		
वर्ष के प्रारम्भ में विशुद्ध अग्रिम कर भुगतान का प्रावधान	(120.45)	
वर्ष के दौरान लाभ एवं हानि लेखा का कर प्रावधान प्रभार	(2,003.92)	
वर्ष के दौरान अग्रिम कर भुगतान	4,082.17	
अन्य व्यापक आय पर कर	17.03	
वर्ष के समाप्ति पर विशुद्ध अग्रिम कर भुगतान का प्रावधान	1,974.83	

प्रबंधन की राय में अवधि के समाप्ति के दौरान आयकर के लिए रुपया 1986.89 करोड़ रुपये और OCI पर कर प्रभार रु. 17.03 करोड़ रुपये (पिछले वर्ष 2382.16 करोड़ रुपये, OCI 15.74 करोड़ रुपये पर कर प्रभाव) को पर्याप्त माना जाता है।

कंपनी टैक्स परिसंपत्तियों और देनदारियों को ऑफसेट करती है अगर केवल तभी वर्तमान कर संपत्तियों और मौजूदा कर देनदारियों को निर्धारित करने के लिए कानूनी रूप से लागू करने योग्य अधिकार है और स्थगित कर संपत्ति और स्थगित कर देनदारियाँ उसी कर प्राधिकारी द्वारा लगाए गए आयकर से संबंधित हैं।

टिप्पणी 37 : कर व्यय

(रु. करोड़ में)

		वर्ष के समाप्ति पर	
		31.03.2020	**31.03.2019**
(A)	**(i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किए जाएंगे**		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः माप	(67.67)	(45.04)
		(67.67)	(45.04)
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो कि लाभ या हानि के लिए पुनः वर्गीकृत नहीं किया जाएगा		
	परिभाषित लाभ योजनाओं का पुनः माप	17.03	15.74
		17.03	15.74
	कुल (ए)	**(50.64)**	**(29.30)**
(B)	**(i) मद जो लाभ या हानि के लिए पुनः परिष्कृत किए जाएंगे**		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
	(ii) उन वस्तुओं से संबंधित आयकर जो लाभ या हानि के लिए पुनः परिष्कृत किया जाएगा		
	संयुक्त उद्यमों में ओसीआई का हिस्सा	-	-
	कुल (बी)	-	-
	कुल (ए+बी)	(50.64)	(29.30)

टिप्पणी 38 : 31 मार्च 2020 को समाप्त हुआ वित्तीय वर्ष में अतिरिक्त नोटिस

1. उचित मूल्य माप

(ए) श्रेणी के द्वारा वित्तीय उपकरण

(रु. करोड़ में)

	31.03.2020			31.03.2019		
	एफ वी टी पी एल	एफ वी टी ओ एल	परिशोधित लागत	एफ वी टी पी एल	एफ वी टी ओ सी एल	परिशोषित लागत
वित्तीय संपत्ति						
निवेश*						
सुरक्षित बांड						
को–ऑपरेटिव शेयर						
म्युचुअल फंड	0.50			642.12		
अन्य निवेश	-					
ऋण			4.92			6.48
जमा और प्राप्य			1146.49			932.53
व्यापार स्वीकार योग्य			1,850.15			954.45
नकद और नकद समकक्ष			754.65			602.74
अन्य बैंक बैलेंस			2,690.81			3,118.62
वित्तीय देनदारियों						
उधारी			-			-
व्यापार देनदारियां			974.87			922.50
सुरक्षा जमा और बयाना धन			309.87			311.69
अन्य देनदारियां			2,096.35			140.08

(बी) उचित मूल्य वर्गीकरण

नीचे दी गई तालिका में वित्तीय साधनों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने के लिए किए गए निर्णय और अनुमान दिखाए गए हैं (ए) उचित मूल्य पर पहचान की जाती है और मापा जाता है और (बी) परिशोधित लागत पर मापा जाता है और जिसके लिए वित्तीय विवरणों में उचित मूल्यों को दर्शाया किया जाता है। उचित मूल्य निर्धारित करने के लिए उपयोग किए गए निवेश की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए, समूह ने अपने वित्तीय साधनों को लेखा मानक के तहत निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर का स्पष्टीकरण निम्न तालिका के में दर्शाया गया है –

उचित मूल्य पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियां और देनदारियाँ–आवर्ती उचित मूल्य माप	31.03.2020			31.03.2019		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
वित्तीय परिसंपत्तियों पर एफवीटीपीएल						
निवेश						
म्युचुअल फंड	0.50			642.12		
वित्तीय देनदारियाँ						
यदि कोई मद	-	-	-	-	-	-

वित्तीय संपत्ति और दायित्वों को परिशोधित लागत पर मापा जाता है जिसके लिए उचित मूल्य को प्रकट किया गया है	31.03.2020			31.03.2019		
	स्तर I	स्तर II	स्तर III	स्तर I	स्तर II	स्तर III
वित्तीय परिसंपत्तियों पर						
निवेश						
इक्विटी शेयर						
इक्विटी अंश						
ऋण अंश						
अन्य निवेश						
ऋण			4.92			6.48
जमा और प्राप्य			1146.49			932.53
व्यापार प्राप्य			1,850.15			954.45
नकद और नकद समकक्ष			754.65			602.74
अन्य बैंक शेष			2,690.81			3,118.62
वित्तीय देनदारियां						
उधारी			-			-
व्यापार देनदारियां			974.87			922.50
सुरक्षा जमा और बयाना राशि			309.87			311.69
अन्य देनदारियाँ			2,096.35			140.08

कंपनी वित्तीय उपकरणों के उचित मूल्यों को निर्धारित करने के लिए निर्णय और अनुमानों का प्रयोग करती है जिन्हें उचित मूल्य पर पहचाना और मापा जाता है। निष्पक्ष मूल्य निर्धारित करने के प्रयोग किए गए निवेश की विश्वसनीयता के बारे में एक संकेत प्रदान करने के लिए कंपनी ने अपने वित्तीय उपकरणों को लेखांकन मानक के तहत् निर्धारित तीन स्तरों में वर्गीकृत किया है। प्रत्येक स्तर की एक स्पष्टीकरण नीचे दी गई है।

स्तर 1 : स्तर 1 पदानुक्रम में उद्धृत मूल्यों का उपयोग करके वित्तीय साधनों को शामिल किया गया है।

स्तर 2 : एक सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं करने वाले वित्तीय साधनों का उचित मूल्य निर्धारण मूल्य निर्धारण तकनीकों का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है जो निरीक्षण बाजार डेटा के उपयोग को अधिकतम करते हैं और इकाई–विशिष्ट अनुमानों पर यथा संभव कम निर्भर करते हैं। उचित मूल्य के लिए जरूरी सभी अपेक्षित निवेश एक साधन के रूप में देखने योग्य हैं, तो साधन 2 स्तर में शामिल है।

स्तर 3 : यदि एक या अधिक अपेक्षित निवेश प्रत्यक्ष बाजार के आंकड़ों पर आधारित नहीं हैं, तो उपकरण स्तर में शामिल है।

3. यह सूचीबद्ध न किए गए साम्य प्रतिभूतियों, वरीयता शेयरों के उधार, सुरक्षा जमा और अन्य देनदारियों के मामले में है, जो स्तर 3 में शामिल है।

(सी) उचित मूल्य निर्धारित करने में इस्तेमाल मूल्यांकन तकनीक

मूल्यवान वित्तीय साधनों में इस्तेमाल की जाने वाली मूल्यांकन तकनीकों में उपकरणों के उद्धृत बाजार मूल्यों का उपयोग शामिल हैं :

(डी) वर्तमान में महत्वपूर्ण अप्रभावित इनपुट का उपयोग करके कोई उचित मूल्य माप नहीं है।

परिमाणीकृत लागत पर मापा गया वित्तीय परिसंपत्तियों और देनदारियों के उचित मूल्य

(ई) परिमाणीकृत लागत पर मापा गया वित्तीय संपत्तियों और देनदारियों का उचित मूल्य

- व्यापार प्राप्तियों, लघु अवधि के जमा, नकद और नकद समकक्षों के व्यापारिक रकम, उनके अल्पकालिक प्रकृति के कारण व्यापार योग्यताओं को उनके उचित मूल्यों के समान माना जाता है।
- कंपनी मानता है कि ''सुरक्षाजमाओ'' में एक महत्वपूर्ण वित्त पोषण घटक शामिल नहीं है मील का पत्थर भुगतान) सुरक्षा जमा (कंपनी के प्रदर्शन के साथ मेल खाता है और अनुबंध के लिए वित्त के प्रावधान के अलावा अन्य कारणों के लिए बनाए

रखने की आवश्यकता है। प्रत्येक मील का पत्थर भुगतान का एक विशिष्ट प्रतिशत को रोकना कंपनी के हितों की रक्षा करना है, ठेकेदार से अनुबंध के तहत अपने दायित्वों को पर्याप्त रूप से पूरा करने में नाकाम रहने से तदनुसार सुरक्षा जमा की लेन–देन लागत प्रारंभिक मान्यता पर उचित मूल्य के रूप में माना जाता है और बाद में परिशोधित लागत पर मापा जाता है।

महत्वपूर्ण अनुमान : वित्तीय साधनों का उचित मूल्य जिसका सक्रिय बाजार में कारोबार नहीं किया जाता है, मूल्यांकन तकनीक का उपयोग करके निर्धारित किया जाता है। कंपनी प्रत्येक विधि का चयन करने के लिए अपने निर्णय का उपयोग करती है और प्रत्येक प्रतिवेदित अवधि के अंत में उपयुह्यक्त मान्यताओं को बनाती है।

2. जोखिम विश्लेषण और प्रबंधन

वित्तीय जोखिम प्रबंधन के उद्देश्य और नीतियाँ कंपनी की प्रमुख वित्तीय देयताओं में व्यापार और अन्य देनदारियाँ शामिल हैं इन वित्तीय देनदारियों का मुख्य उद्देश्य कंपनी के कार्यों को वित्त पोषण करना और उसके कार्यों का समर्थन करने के लिए गारंटी प्रदान करना है। कंपनी की प्रमुख वित्तीय संपत्ति में ऋण, व्यापार और अन्य प्राप्य, और नकदी और नकद समकक्ष हैं, जो अपने कार्यों से सीधे प्राप्त होते हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन इन जोखिमों के प्रबंधन की देखरेख करते हैं। कंपनी के वरिष्ठ प्रबंधन को एक जोखिम समिति द्वारा समर्थित किया गया है जो समूह के लिए वित्तीय जोखिमों और उचित वित्तीय जोखिम प्रशासन ढांचे पर अन्य बातों के साथ सलाह देते हैं, जोखिम समिति कंपनी के नीतियों, कंपनी निदेशक मंडल की वित्तीय जोखिम गतिविधियों उचित नीतियों और प्रक्रियाओं से तथा वित्तीय जोखिमों पहचान की जाती हैं, के अनुसार मापित एवं प्रबंधनीय आश्वासन प्रदान करता है। निदेशक मंडल इन सभी जोखिमों के प्रबंधन के लिए नीतियों की समीक्षा करती है और उनसे सहमत है, जो नीचे संक्षेप में दिए गए हैं।

कंपनी बाजार जोखिम, क्रेडिट जोखिम और तरलता जोखिम के संपर्क में है यह नोट जोखिम के स्रोतों को बताता है जो इकाई के सामने आती है और कैसे इकाई जोखिम का प्रबंधन करती है और वित्तीय विवरणों में हेज अकाउंटिंग के प्रभाव को बताती है :–

जोखिम	एक्सपोजर से उत्पन्न होने वाली	माप	प्रबंध
ऋण जोखिम	नकदी और नकद समतुल्य, व्यापार प्राप्य वित्तीय परिसंपत्तियों को परिशोधित लागत पर मापा गया	एजिंग विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशा निर्देश), बैंक जमा राशि की क्रेडिट सीमा और अन्य प्रतिभूतियाँ
तरलता जोखिम	उधार और अन्य देनदारियाँ	आवधिक नकदी प्रवाह	प्रतिबद्ध क्रेडिट लाइनों और उधार सुविधा की उपलब्धता
बाजार जोखिम–विदेशी मुद्रा	भविष्य के वाणिज्यिक लेन–देन, मान्यता प्राप्त वित्तीय परिसंपत्तियाँ और देनदारियाँ जो भारतीय रूपए में नहीं होतीं	नकद प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से जाँच और समीक्षा।
बाजार जोखिम–ब्याज दर	नकद और नकद समकक्ष, बैंक जमा और म्यूचुअल फंड	नकद प्रवाह पूर्वानुमान संवेदनशीलता विश्लेषण	सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई दिशा निर्देश), वरिष्ठ प्रबंधन और लेखा परीक्षा समिति द्वारा नियमित रूप से जाँच और समीक्षा।

भारत सरकार द्वारा जारी डीपीई दिशा निर्देशों के अनुसार कंपनी के जोखिम प्रबंधन को निदेशक मंडल द्वारा किया जाता है। बोर्ड समग्र जोखिम प्रबंधन के लिए लिखित सिद्धांत के साथ–साथ अतिरिक्त तरलता के निवेश को कवर करने वाली नीतियाँ प्रदान करता है।

ए. क्रेडिट जोखिम :

नकद और नकद समकक्षों से ऋण जोखिम उठता है, बैंकों और वित्तीय संस्थानों के साथ परिशोधित लागत और जमा के साथ–साथ बकाया प्राप्तियाँ भी शामिल हैं।

क्रेडिट जोखिम प्रबंधन :

प्राप्तियाँ मुख्य रूप से कोयला की बिक्री से उत्पन्न होती है। कोयला की बिक्री व्यापक रूप से ईंधन आपूर्ति समझौते (एफएसए) और ई–नीलामी के माध्यम से बिक्री के रूप में वर्गीकृत की जाती है।

मेक्रो– आर्थिक जानकारी (जैसे नियामक परिवर्तन) कोई धन आपूर्ति समझौतों (एफएसए) और ई–नीलामी के नियमों के तहत शामिल किया गया है।

ईंधन आपूर्ति समझौतों

नया कोयल वितरण नीति की शर्तों के अनुसार और इसके अनुसार, हम ग्राहकों या राज्य नामांकित एजेंसियों के साथ कानूनी रूप से लागू होने योग्य एफएसए कंपनी में प्रवेश करते हैं जो अंत में ग्राहकों के साथ उचित वितरण व्यवस्था में प्रवेश करती है। हमारे एफएसए को मोटे तौर पर वर्गीकृत किया जा सकता है :

- राज्य बिजली उपयोगिताओं, निजी बिजली सहित बिजली उपयोगिताओं के क्षेत्र में ग्राहकों के साथ एफएसए उपयोगिताएं (''पीपीयू'') और स्वतंत्र बिजली उत्पादक (''आईपीपी'');
- गैर–बिजली उद्योगों में ग्राहकों के साथ एफएसए (कैप्टिव बिजली संयंत्रों (''सीपीपी'') सहित); तथा
- राज्य नामांकित एजेंसियों के साथ एफएसए।

ई–नीलामी योजना

कोयले की ई–नीलामी योजना को ग्राहकों के लिए कोयले तक पहुंचाने के लिए पेश किया गया है, जो विभिन्न कारणों से एनसीडीपी के तहत उपलब्ध संस्थागत तंत्र के माध्यम से अपनी कोयले की जरूरतों का स्रोत नहीं बना पाए हैं, उदाहरण के लिए, उनके पूर्ण आवंटन से कम के कारण एनसीडीपी के तहत आदर्श आवश्यकताएं, उनके कोयले की आवश्यकता की मौसम और कोयले की सीमित आवश्यकताएं जो दीर्घकालिक संबंधों का समर्थन नहीं करती हैं ई–नीलामी के तहत की जाने वाली कोयले की मात्रा समय–समय पर एमओसी द्वारा समीक्षा की जाती है।

अपेक्षित क्रेडिट हानि : कंपनी समूह जीवन भर के अपेक्षित क्रेडिट घाटे (सरल दृष्टिकोण) द्वारा संदिग्ध/ क्रेडिट की कमी वाली संपत्ति के लिए अपेक्षित क्रेडिट जोखिम निप्रदान करता है।

हानि भत्ता प्रावधान का सुलह – व्यापार प्राप्य

(रु. करोड़ में)

01.04.2019 को हानि भत्ता	5.74
हानि भत्ता में परिवर्तन	-0.25
31.03.2020 को नुकसान भत्ता	5.49

31.03.2020 को

(रु. करोड़ में)

काल प्रभावन (एजीइंग)	2 महीने का बकाया	6 महीने का बकाया	1 वर्ष का बकाया	2 वर्ष का बकाया	3 वर्ष का बकाया	3 वर्ष से अधिक का बकाया	कुल
सकल ले जाने की राशि	**1,240.94**	**222.44**	**220.38**	**141.01**	**24.87**	**6.00**	**1855.639**
अपेक्षित नुकसान दर	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.30%**	**0.30%**
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	**0**	**0**	**0**	**0**	**0**	**5.49**	**5.49**

31.03.2019 को

(रु. करोड़ में)

काल प्रभावन (एजीइंग)	2 महीने का बकाया	6 महीने का बकाया	1 वर्ष का बकाया	2 वर्ष का बकाया	3 वर्ष का बकाया	3 वर्ष से अधिक का बकाया	कुल
सकल ले जाने की राशि	**785.41**	**20.13**	**23.66**	**63.98**	**-**	**67.01**	**960.19**
अपेक्षित नुकसान दर	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.00%**	**0.60%**	**0.60%**
अपेक्षित क्रेडिट हानि (हानि भत्ता प्रावधान)	**-**	**-**	**-**	**-**	**-**	**5.74**	**5.74**

महत्वपूर्ण अनुमान और निर्णय वित्तीय संपत्तियों की हानि

ऊपर दिखाए गए वित्तीय परिसंपत्तियों के लिए हानि प्रावधान डिफॉल्ट और अपेक्षित हानि दर के जोखिम के बारे में अनुमानों पर आधारित हैं। कंपनी इन मान्यताओं को बनाने और कंपनी के अतीत के इतिहास, मौजूदा बाजार की स्थितियों के साथ–साथ हर रिपोर्टिंग अवधि के अंत में आगे देखे गए अनुमानों के आधार पर हानि की गणना करने के लिए निवेश का चयन करने का निर्णय लेता है।

बी. बाजार जोखिम

ए) विदेशी मुद्रा जोखिम

विदेशी मुद्रा लेन–देन से होने वाली कंपनी विदेशी मुद्रा जोखिम के समान है। विदेशी परिचालन के संबंध में विदेशी मुद्रा जोखिम को महत्वहीन माना जाता है। कंपनी का आयात भी होता है और जोखिम का नियमित रूप से पालन किया जाता है। कंपनी की एक ऐसी नीति है जिसे लागू किया जाता है जब विदेशी मुद्रा जोखिम महत्वपूर्ण हो जाता है।

बी) नकदी प्रवाह कैश फ्लो और उचित मूल्य ब्याज दर जोखिम

ब्याज दर में परिवर्तन के साथ कंपनी के मुख्य ब्याज दर जोखिम बैंक जमा से उत्पन्न होता है जिससे कंपनी को प्रवाह ब्याज दर जोखिम को नकद करने के लिए उजागर किया जाता है। कंपनी की नीति निश्चित दर पर अपनी अधिकांश जमा को बनाए रखने के लिए है।

कंपनी सार्वजनिक उद्यम विभाग (डीपीई) से दिशा निर्देशों का उपयोग करते हुए, बैंक जमा राशि क्रेडिट सीमाओं और अन्य प्रतिभूतियों के विविधीकरण का जोखिम प्रबंधन करती है।

सी) पूंजी प्रबंधन

वित्त मंत्रालय के तहत निवेश विभाग और सार्वजनिक परिसंपत्ति प्रबंधन के दिशा–निर्देशों के मुताबिक एक सरकारी संस्था कंपनी अपनी पूंजी का प्रबंधन करती है। कंपनी की पूंजी संरचना निम्नानुसार है :

	31.03.2020	31.03.2019
साम्य अंश पूंजी	630.94	682.94
दीर्घावधि के ऋण	-	-

3. कर्मचारी लाभ : मान्यता और मापन (भारतीय लेखांकन मानक–19)

ए) ग्रेच्युटी

ग्रेच्युटी को एक परिभाषित लाभ सेवानिवृत्ति योजना के रूप में बनाए रखा गया है और भारतीय जीवन बीमा निगम में योगदान दिया जाता है। परिभाषित लाभ ग्रेच्युटी योजनाओं के संबंध में बैलेंस शीट में मान्यता प्राप्त देयता या परिसंपत्ति रिपोर्टिंग अवधि के अंत में परिभाषित लाभ दायित्व का वर्तमान मूल्य है जो योजना परिसंपत्तियों का उचित मूल्य कम है। परिभाषित लाभ दायित्व प्रति वर्ष अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करते हुए एक्टयूरीज द्वारा गणना की जाती है। अनुभव समायोजन से उत्पन्न होने वाले लाभ और हानि और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन को उस अवधि में मान्यता दी जाती है जिसमें वे होते हैं, सीधे अन्य व्यापक आय में।

बी) अवकाश नकदीकरण

अर्जित अवकाश के लिए देनदारियों को कर्मचारी की सेवानिवृत्ति के बाद निपटाने की उम्मीद है। इसलिए उन्हें अनुमानित भविष्य के भुगतान के वर्तमान मूल्य के रूप में मापा जाता है ताकि अनुमानित यूनिट क्रेडिट पद्धति का उपयोग करके रिपोर्टिंग अवधि के अंत तक कर्मचारियों द्वारा प्रदान की गई सेवाओं के संबंध में किया जा सके। रिपोर्टिंग अवधि के अंत में बाजार की पैदावार का उपयोग करके लाभ को छूट दी जाती है जो संबंधित दायित्व की शर्तों से संबंधित होती है। अनुभव समायोजन और बीमांकिक मान्यताओं में परिवर्तन के परिणाम स्वरूप पुनः माप अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त है।

सी) भविष्य निधि

कंपनी प्री–निर्धारित दरों पर प्रॉविडेंट फंड और पेंशन फंड के प्रति कोल्ड माइन्स प्रॉविडेंट फंड (सीएमपीएफ) नामित एक अलग ट्रस्ट के लिए निश्चित योगदान देता है, जो कि अनुमोदित प्रतिभूतियों में फंड का निवेश करता है। वर्ष के दौरान फंड की ओर से योगदान ₹ 284.99 करोड़ (₹316.00 करोड़) लाभ और हानि (नोट 28) के वक्त में मान्यता प्राप्त है।

डी) कंपनी कुछ परिभाषित लाभ योजनाओं को निम्नानुसार संचालित करती है जो कि बीमांकिक आधार पर महत्वपूर्ण हैं :

(I) *वित्तपोषित*

- उपदान
- अवकाश नकदीकरण

(II) *अनिधिक*

- जीवन संरक्षण योजना
- निपटान भत्ता
- समूह व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा
- छुट्टी यात्रा रियायत
- चिकित्सा लाभ
- खदान दुर्घटना लाभ पर आश्रितों को मुआवजा

₹1600.3 करोड़ 31.03.2020 को कुल देयता बीमाकंक द्वारा की गई मूल्यांकन के आधार पर, जिनके विवरण नीचे दिए गए हैं।

(रु. करोड़ में)

विवरण	शुरुआती बीमांकिक देनदारी	वृद्धि	अंत में बीमांकिक देनदारी
	01.04.2019	वर्ष के दौरान देनदारी	31.03.2020
उपदान	1,027.28	38.72	1,066.00
अर्जित छुट्टी	231.07	68.11	299.18
अर्ध वेतन अवकाश	55.62	(1.64)	53.98
जीवन सुरक्षा योजना	3.52	0.22	3.74
निपटारा भत्ता (अधिकारी)	6.12	0.04	6.16
निपटान भत्ता (गैर–अधिकारी)	6.38	0.09	6.47
कुल व्यक्तिगत दुर्घटना बीमा योजना	0.11	0.01	0.12
यात्रा रियायत अवकाश	18.25	(0.08)	18.17
चिकित्सा लाभ (अधिकारी)	76.76	32.84	109.60
चिकित्सा लाभ (गैर–अधिकारी)	9.60	6.25	15.85
खदान में आकस्मिक मृत्यु के मामले में आश्रितों को मुआवजा	8.07	12.96	21.03
कुल	**1,442.78**	**157.52**	**1,600.30**

(ई) बीमांकिक प्रमाण–पत्र के अनुसार प्रकटीकरण

उपदान (निधि) और अवकाश नकदीकरण (निधि) के लिए कर्मचारी लाभ हेतु बीमांकिक के प्रमाण–पत्र के अनुसार विवरण निम्नानुसार है :–

अनुग्रहनीयता उत्तरदायित्व के कार्यात्मक मूल्यांकन

सर्टिफिकेट्स के रूप में प्रति भारतीय लेखाकंन मानक 19 (2015)

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	के अनुसार	
	31.03.2020	31.03.2019
अवधि की शुरूआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,027.28	1,013.78
वर्तमान सेवा लागत	53.84	46.79
ब्याज लागत	62.62	70.49
प्रतिभागी योगदान	-	-
योजना संशोधन : अवधि के अंत में निहित भाग (अतीत सेवा)	-	-
योजना संशोधन : अवधि के अंत में गैर–निहित भाग (अतीत सेवा)	-	-
वित्तीय धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर एक्चुरियल (लाभ) / हानि	59.15	9.40
जनसांख्यिकी धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
अप्रत्याशित अनुभव के कारण दायित्वों पर एक्चुरियल (लाभ) / हानि	20.15	47.21
अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ / हानि	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
लाभ का भुगतान	157.05	160.37
अधिग्रहण समायोजन	-	-
दायित्व का निपटान / स्थानांतरण	-	-
कटौती लागत	-	-
सेटलमेंट कॉस्ट	-	-
अन्य (वैल्यूएशन डेट के अंत में अनसेटल्ड लाइबिलिटी)	-	-
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	1,066.00	1,027.28

परिसंपत्तियों के योजना में उचित मूल्य में परिवर्तन	के अनुसार	
	31.03.2019	31.03.2018
अवधि की शुरूआत में योजना संपत्ति का उचित मूल्य	1,039.74	851.87
ब्याज आय	68.62	64.32
नियोक्ता योगदान	113.48	272.37
प्रतिभागी योगदान	-	-
अधिग्रहण / व्यवसाय संयोजन	-	-
सेटलमेंट कॉस्ट	-	-
लाभ का भुगतान	157.05	160.37
परिसंपत्ति छत का प्रभाव	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
प्रशासनिक व्यय और बीमा प्रीमियम	-	-
ब्याज आय को छोड़कर परिसंपत्ति योजना पर रिटर्न	11.63	11.56
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	1,076.42	1,039.73

विवरण जिसमें तुलन–पत्र में सामंजस्य दिखाया गया है	के अनुसार	
	31.03.2020	31.03.2019
वित्तीय स्थिति	10.42	12.45
गैर–मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत	-	-
अवधि के अंत में गैर–मान्यता प्राप्त एक्चुरियल (लाभ) / हानि	-	-
पोस्ट मापन तिथि नियोक्ता योगदान (अपेक्षित)	-	-
अयोग्य जमा / प्रीपेड पेंशन लागत	-	-
संपत्ति निधि	1,076.42	1,039.73
निधि दायित्व	1,066.00	1,027.28

योजना आकलन का विवरण	के अनुसार	
	31.03.2019	31.03.2018
छूट की दर	6.60%	7.55%
योजना संपत्ति पर अपेक्षित रिटर्न	6.60%	7.55%
क्षतिपूर्ति वृद्धि की दर (वेतन मुद्रास्फीति)	9.00% अधिकारी के लिए	9.00% अधिकारी के लिए
	6.25% गैर–अधिकारी के लिए	6.25% गैर–अधिकारी के लिए
पेंशन वृद्धि दर	लागू नहीं	लागू नहीं
औसत अपेक्षित भविष्य सेवा (कार्यरत जीवन शेष)	13,13	13,11
देयताओं की औसत अवधि	13,13	13,11
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम 2006-2008 के अंत	आईएएलएम 2006-2008 के अंत
अधिवार्षिता आयु (पुरुष)	60	60
अधिवार्षिता आयु (स्त्री)	60	60
अधिवार्षिता आयु से पूर्व सेवानिवृत और अक्षमता	0.30%	0.30%

लाभ/हानि के विवरण में व्यय को मान्यता दी गई	के अनुसार	
	31.03.2020	31.03.2019
वर्तमान सेवा लागत	53.84	46.79
विगत सेवा लागत (निहित)	-	-
विगत सेवा लागत (गैर–निहित)	-	-
शुद्ध ब्याज लागत	(6.00)	6.17
निपटान पर लागत (लाभ/हानि)	-	-
लागत पर (हानि/लाभ) कटौती	-	-
केवल पिछले वर्ष के लिए लागू बीमांकिक लाभ हानि	-	-
कर्मचारी अपेक्षित योगदान	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
लाभ लागत (लाभ/हानि के वक्तव्य में मान्यता प्राप्त व्यय)	47.83	52.96

अन्य व्यापक आमदनी	के अनुसार	
	31.03.2020	31.03.2019
वित्तीय धारणा में परिवर्तित के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	59.15	9.40
जनसांख्यिकी धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
अनोपचारिक अनुभव के कारण दायित्वों पर बीमांकिक (लाभ)/हानि	20.15	47.21
अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
कुल बीमांकिक एक्टुरियल (लाभ)/हानि	79.31	56.60
ब्याज आय को छोड़कर, योजना संपत्ति पर रिटर्न	11.63	11.56
अधिकतम सीमा परिसंपत्ति का प्रभाव	-	-
अवधि के अंत में शेष	67.67	45.04
अन्य व्यापक आय में मान्यता प्राप्त अवधि के लिए विशुद्ध (आय)/व्यय	67.67	45.04

मृत्यु दर तालिका

आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

(₹ करोड़ में)

ग्रेच्युटी लायबिलिटी का संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2020	
	वृद्धि	कमी
छूट दर (–/+0.5%)	1034.01	1100.1
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	-3.00%	3.20%
वेतन वृद्धि (–/+0.5%)	1080.91	1050.48
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	1.40%	-1.46%
रट्रिशन रेट (–/+0.5%)	1066.79	1065.21
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	0.07%	-0.07%
मृत्यु दर (–/+10%)	1071.59	1060.41
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	0.52%	-0.52%

कैश फ्लो की जानकारी दर्शाने वाला विवरण	*(₹ करोड़ में)*
अगले वर्ष कुल (अपेक्षित)	1,021.31
न्यूनतम धन की आवश्यकताएं	34.83
कंपनी का विवेक	-

31.03.2019 को ग्रेच्युटी देयता की परिपक्वता विश्लेषण

वर्ष	(रु. करोड़ में)
1	155.93
2	154.77
3	146.51
4	138.06
5	132.57
6 से 10	433.05
10 साल से अधिक	648.76
कुल अघोषित भुगतान अतीत और भविष्य की सेवा	-
विगत सेवा से संबंधित कुल अघोषित भुगतान	1,809.65
ब्याज के लिए कम छूट	743.65
अनुमानित लाभ दायित्व	1,066.00

विशुद्ध अवधिक लागत के घटक को विगत वर्ष में दिखाए गए आउटलुक रूपया करोड़ में	*(₹ करोड़ में)*
वर्तमान सेवा लागत (नियोक्ता भाग केवल) अगली अवधि में	*53.11*
ब्याज लागत अगली अवधि	*65.21*
प्लान एसेट पर अपेक्षित रिटर्न	*70.36*
अपरिचित अतीत सेवा लागत	-
अवधि के अंत में गैर–मान्यता प्राप्त एक्चुरियल/लाभ हानि	-
सेटलमेंट कॉस्ट	-
कटौती लागत	-
अन्य (बीमांकिक लाभ/हानि)	-
लाभ लागत	*47.96*

अंत मापन पर योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित वापसी दिखा रहा है	के अनुसार	
	31.03.2020	**31.03.2019**
वर्तमान में दायित्व	151.03	158.48
गैर–वर्तमान देयता	914.97	868.80
नेट देयता	1,066.00	1,027.28

छुट्टी का लाभ (ईएल/एचपीएल) के कार्य का मूल्यांकन
19 के रूप में भारत के अनुसार प्रमाण पत्र (2015)

परिभाषित लाभ दायित्वों के वर्तमान मूल्य में परिवर्तन	के अनुसार	
	31.03.2020	**31.03.2019**
अवधि की शुरूआत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	286.69	213.29
वर्तमान सेवा लागत	19.20	27.77
ब्याज लागत	16.51	13.89
प्रतिभागी योगदान	-	-
योजना संशोधन : अवधि के अंत में निहित भाग (अतीत सेवा)	-	-
योजना संशोधन : अवधि के अंत में गैर–निहित भाग (अतीत सेवा)	-	-
वित्तीय धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर एक्चुरियल (लाभ)/हानि	26.46	3.37
जनसांख्यिकी धारणा में परिवर्तन के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
अप्रतियाशित स्थिति के कारण दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	77.37	87.09
अन्य कारणों से दायित्वों पर बीमांकिक लाभ/हानि	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
लाभ का भुगतान किया	73.06	58.72
अधिग्रहण समायोजन	-	-
दायित्व का निपटान/स्थानांतरण	-	-
कटौती लागत	-	-
सेटलमेंट कॉस्ट	-	-
अन्य (वैल्यूएशन डेट के अंत में अंत में अनसेटल्ड लाइबिलिटी)	-	-
अवधि के अंत में दायित्व का वर्तमान मूल्य	353.16	286.69

योजना परिसंपत्तियों के उचित मूल्य में परिवर्तन	के अनुसार	
	31.03.2019	31.03.2018
अवधि की शुरुआत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	174.20	198.52
ब्याज आय	11.50	14.99
नियोक्ता योगदान	95.84	21.12
प्रतिभागी योगदान	-	-
अधिग्रहण/व्यवसाय संयोजन	-	-
सेटलमेंट कॉस्ट	-	-
लाभ का भुगतान किया	73.06	58.72
परिसंपत्ति छत का प्रभाव	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का प्रभाव	-	-
प्रशासनिक व्यय और बीमा प्रीमिसम	-	-
ब्याज आय को छोड़कर योजना आस्तियों पर लौटें	1.25	(1.71)
अवधि के अंत में योजना परिसंपत्ति का उचित मूल्य	209.72	174.20

तुलन पत्र में दर्शाए गए पुनर्मिलन हेतु विवरण	के अनुसार	
	31.03.2020	31.03.2019
निधि की स्थिति	(143.44)	(112.49)
गैर–मान्यता प्राप्त विगत सेवा लागत	-	-
अवधि के अंत में गैर–मान्यता प्राप्त एक्चुरियल (लाभ)/हानि	-	-
पूर्व मापन तिथि नियोक्ता योगदान (अपेक्षित)	-	-
अनिधिक/पूर्व प्रदत्त पेंशन लागत	-	-
फंड एसेट	209.72	174.20
फंड की देयता	353.16	286.69

दर्शाए गए मान्य योजना का विवरण	के अनुसार	
	31.03.2020	31.03.2019
छूट की दर	6.60%	7.55%
संपत्ति योजना पर अपेक्षित रिटर्न	6.60%	7.55%
	9.00% अधिकारी के लिए	9.00% अधिकारी के लिए
	6.25% गैर–अधिकारी के लिए	6.25% गैर–अधिकारी के लिए
पेंशन वृद्धि दी	नहीं	नहीं
औसत अपेक्षित भविष्य की सेवा (शेष कार्यशील जीवन)	13,13	13,11
देनदारियों की औसत अवधि	13,13	13,11
मृत्यु दर तालिका	आईएएलएम 2006–2008	आईएएलएम 2006–2008
अधिवर्षिता आयु–पुरुष	60	60
अधिवर्षिता आयु–महिला	60	60
पूर्व सेनानिवृति और विकलांगता	0.30 %	0.30 %
स्वैच्छिक सेवानिवृत्ति	उपेक्षित	उपेक्षित

मान्यता प्राप्त व्यय में लाभ/हानि का विवरण	के अनुसार	
	31.03.2019	31.03.2018
वर्तमान सेवा लागत	19.20	27.77
विगत सेवा लागत (निहित)	-	-
विगत सेवा लागत (गैर–निहित)	-	-
शुद्ध ब्याज लागत	5.01	(1.10)
निपटान पर लागत (हानि/लाभ)	-	-
लागत पर कटौती (हानि/लाभ)	-	-
नेट एक्चुएरियल (लाभ)/हानि	102.58	92.16
कर्मचारी अपेक्षित योगदान	-	-
विदेशी मुद्रा दरों में परिवर्तन का शुद्ध प्रभाव	-	-
लाभ लागत (मान्यता प्राप्त व्यय में लाभ/हानि का विवरण)	126.79	118.84

मृत्यु दर तालिका

आयु	मृत्यु दर (प्रति वर्ष)
25	0.000984
30	0.001056
35	0.001282
40	0.001803
45	0.002874
50	0.004946
55	0.007888
60	0.011534
65	0.0170085
70	0.0258545

(₹ करोड़ में)

ग्रेच्युटी लायबिलिटी का संवेदनशीलता विश्लेषण	31.03.2020	
	वृद्धि	कमी
छूट दर (-/+ 0.5%)	338.71	368.89
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	-4.09%	4.46%
वेतन वृद्धि (-/+ 0.5%)	368.57	338.86
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	4.36%	-4.05%
एट्रिशन रेट (-/+ 0.5%)	354.04	352.27
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	0.25%	-0.25%
मृत्यु दर (-/+ 10%)	355.04	351.27
संवेदनशीलता के कारण आधार की तुलना में % परिवर्तन	0.53%	-0.53%

31.03.2020 को ग्रेच्युटी देयता की परिपक्वता विश्लेषण	
वर्ष	*(₹ करोड़ में)*
1	35.43
2	38.15
3	37.14
4	41.02
5	42.22
6 से 10	149.04
10 साल से अधिक	419.97
कुल अघोषित भुगतान अतीत और भविष्य की सेवा	-
विगत सेवा से संबंधित कुल अघोषित भुगतान	762.96
ब्याज के लिए कम छूट	409.80
अनुमानित लाभ दायित्व	353.16

अंत मापन पर योजना परिसंपत्ति पर अपेक्षित वापसी दिखा रहा है	के अनुसार	
	31.03.2019	**31.03.2018**
वर्तमान में दायित्व	34.31	32.56
गैर–वर्तमान देयता	318.85	254.13
नेट देयता	353.16	286.69

4. आक्समिक देयताएं

I. कंपनी को ऋण के रूप में दावा के विरूद्ध पावती प्राप्त नहीं हुई है

(₹ करोड़ में)

विवरण	केन्द्र सरकार सरकार	राज्य सरकार एवं अन्य स्थानीय	सीपी एसई	अन्य	कुल
01.04.2019 को प्रारंभ	3,801.06	789.86	32.33	97.93	4,721.18
वर्ष के दौरान वृद्धि	2,195.34	118.64	-	57.66	2,371.64
वर्ष के दौरान दावे का निपटारा					
(ए) प्रारंभिक शेष	1,380.77	51.11	32.33	4.66	1,468.87
(बी) वर्ष के दौरान योग	-	-	-	-	-
(सी) वर्ष के दौरान कुल दावे का निपटारा (ए+बी)	1,380.77	51.11	32.33	4.66	1,468.87
31.03.2019 को अंतिम	4,615.62	857.39	0.00	150.93	5,623.95

नोट : संबंधित अधिकारियों द्वारा जारी किए गए डिमांड नोटिस की तारीख तक वैधानिक लेवी की विवादित मांग पर ब्याज पर विचार किया गया है।

II. *प्रत्याभूति*

(1) 31.03.2020 को बैंक प्रत्याभूत ₹2.62 करोड़ (₹1.91 करोड़ पिछले वर्ष में) जारी किया गया है।

(2) कंपनी ने अपने वर्तमान और भविष्य की वर्तमान परिसंपत्तियों पर हाइपहाइकेशन चार्ज बनाकर संपार्श्विक प्रतिभूति सुरक्षा का निष्पादन किया है, जिसमें पुस्तक ऋण, कच्चे माल का भंडार, अर्द्ध तैयार और तैयार माल, स्टोर और पुर्जे (उपभोज्य स्टोर और पुर्जों) जो संयंत्र और मशीनरी से संबंधित नहीं शामिल हैं कार्यशील पूंजी सुविधा के लिए 535 करोड़ रुपये की राशि जो कोल इंडिया लिमिटेड द्वारा स्टेट बैंक के संघ द्वारा ड्राव किया या किया जाना है।

III. *ऋण पत्र*

31.03.202 को क्रेडिट के बकाया ऋण पत्र रुपये 888.53 करोड़ (पिछले वर्ष में रु. 31.09 करोड़) है।

IV. *प्रतिबद्धता*

पूंजी खाते पर ठेकों के अनुमानित शेष राशि छोड़कर और रु. 1166.22 करोड़ (पिछले वर्ष में रु. 623.88 करोड़ है) का प्रावधान नहीं किया गया है।

अन्य प्रतिबद्धता : रु. 6796.800269223 करोड़ (रु. 4674.94 करोड़ पिछले वर्ष में)

V. *आकस्मिक संपत्ति*

लेखांकन नीति की 2.21 के अनुसार प्रावधान, आकस्मिक संपत्ति, आकस्मिक देनदारी, आकस्मिक संपत्ति की कुल राशि रु. 301.14 करोड़ है।

5. समूह सूचना

कंपनी के नाम	प्रमुख गतिविधियों	निगम न देश	% साम्य ब्याज	
			31.03.2020	31.03.2019
कोल इंडिया लिमिटेड	कोयला निष्कासन एवं बिक्री	भारत	100	100
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल), सांकतोरिया, पश्चिम बंगाल	सहयोगी अनुषंगी	भारत	-	-
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीसीएल), धनबाद, झारखण्ड	सहयोगी अनुषंगी	भारत	-	-
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल), राँची, झारखण्ड	सहयोगी अनुषंगी	भारत	-	-
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्लूसीएल), नागपुर, महाराष्ट्र	सहयोगी अनुषंगी	भारत	-	-
साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), बिलासपुर, छत्तीसगढ़	सहयोगी अनुषंगी	भारत	-	-
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल), सम्बलपुर, ओडिशा	सहयोगी अनुषंगी	भारत	-	-
सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई), राँची, झारखण्ड	सहयोग अनुषंगी	भारत	-	-

6. अन्य सूचना

ए. खंड रिपोर्टिंग

कंपनी कोयला उत्पादन एवं बिक्री के लिए एकल विभाजित व्यापार के लिए मुख्य रूप से वचनवद्व है। ब्याज से आय एवं अन्य आय कुल राजस्व का 10% से कम है तथापि इस तरह का अलग से कोई विभाजित नहीं है।

अलग–अलग राजस्व सूचना	के अनुसार	
	31.03.2020	31.03.2019
माल एवं सेवाओं के प्रकार		
– कोयला	15,556.52	14,905.60
– अन्य	-	-
कोयले की बिक्री से कुल राजस्व (शुद्ध विक्रय)	**15,556.52**	**14,905.60**
ग्राहक के प्रकार		
– ऊर्जा क्षेत्र	13,125.67	12,715.72
– गैर–ऊर्जा क्षेत्र	2,430.85	2,189.88
– अन्य	-	-
कोयले की बिक्री से कुल राजस्व	**15,556.52**	**14,905.60**
अनुबंध के प्रकार		
– एफ़एसए	13,189.77	11,704.91
– ई–आकसन	2,366.75	2,566.42
– अन्य	-	634.27
कोयले की बिक्री से कुल राजस्व	**15,556.52**	**14,905.60**
माल या सेवा का समय		
– माल एक समय में हस्तांतरित	15,556.52	14,905.60
– माल समय के साथ हस्तांतरित	-	-
– सेवाएँ एक समय में हस्तांतरित	-	-
– सेवाएँ समय के साथ हस्तांतरित	-	-
कोयले की बिक्री से कुल राजस्व	**15,556.52**	**14,905.60**

बी) अधिकृत अंश पूंजी

(₹ करोड़ में)

विवरण	के अनुसार	
	31.03.2019	31.03.2018
प्रति ₹1000/- का 1,00,00,000 साम्य अंश	1,000	1,000
प्रति ₹1000/- का 40,00,000 संचयी 10% विमोचन योग्य अधिमान अंश	400	400

सी. प्रति अंश आय

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	के अनुसार	
		31.03.2020	31.03.2019
i)	कर पश्चात् विशुद्ध लाभ के फलस्वरूप साम्य अंश धारक को (₹ करोड़ में) (भिन्न के ऊपर का अंश का इस्तेमाल ईपीएस गणना में)	4,971.43	4,111.28
ii)	बकाया साम्य अंश की भारिक संख्या (भिन्न के नीचे का अंक का इस्तेमाल ईपीएस गणना में)	6,309,405	6,738,460
iii)	बेसिक एवं तनूकृत आय प्रति अंश रूपये में (अंकित ₹1000/- प्रति अंश)	7,879.40	6,101.22

डी. संबंधित पार्टी प्रकटीकरण

ए. संबंधित पार्टी की सूची

i) अनुषंगी कंपनियाँ : शून्य

ii) संयुक्त उद्यम कंपनियाँ : शून्य

iii) प्रमुख प्रबंधकीय कार्मिक

नाम	पदनाम	कब से
श्री पी.के. सिन्हा	अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक	22.12.2017 से
श्रीमती आर.एस.पुरी	अंशकालिक सरकारी निदेशक	09.06.2017 से 28.11.2019
श्री मुकेश चौधरी	अंशकालिक सरकारी निदेशक	29.11.2019 से 16.03.2020 तक
श्री एम.नागाराजू	अंशकालिक सरकारी निदेशक	17.03.2020 से
श्री एस.एन.प्रसाद	अंशकालिक सरकारी निदेशक	16.02.2016 से 30.11.2019 तक
श्री एस.एन. तिवारी	अंशकालिक सरकारी निदेशक	01.12.2019 से
प्रो. ए.के.अग्रवाल	स्वतंत्र निदेशक	17.11.2015 से 16.11.2019 तक
श्री एस.के.माहेश्वरी	स्वतंत्र निदेशक	17.11.2015 से 16.11.2019 तक
डॉ.एस.एम. झारवालस	स्वतंत्र निदेशक	02.02.2017 से 30.01.2020 तक
श्रीमती रामिलाबेन बारा	स्वतंत्र निदेशक	13.12.2018 से 11.03.2020 तक
श्री बी.पी.पांडे	स्वतंत्र निदेशक	13.12.2018 से
श्री गुणाधर पांडे	निदेशक (तकनीकी / संचालन)	01.02.2015 से
श्री पी.एम.प्रसाद	निदेशक (तकनीकी / यो. एवं परि.)	30.01.2018 से 02.08.2019 तक
श्री एन.एन. ठाकुर	निदेशक (वित्त एवं सीएफओ)	19.06.2018 से
श्री एम.के. प्रसाद	निदेशक (तकनीकी / योज. एवं परि)	14.08.2019 से
श्री बिमलेंदु कुमार	निदेशक (कार्मिक)	25.02.2020 से
श्री हर्ष चौहान	कंपनी सचिव.	28.01.2019 से

iv. महत्वपूर्ण प्रबंधकीय कार्मिको का पारिश्रमिक

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	अध्यक्ष–प्रबंध निदेशक, पूर्णकालिक निदेशक एवं कंपनी सचिव	समाप्त वर्ष	
		31.03.2020	31.03.2019
i)	***अल्प अवधि कर्मचारी लाभ***		
	सकल वेतन	1.52	2.04
	चिकित्सा लाभ	-	-
	परक्यूजिट एवं अन्य लाभ	0.27	0.07
ii)	***पूर्व–रोजगार लाभ***		
	भविष्य निधि एवं अन्य निधि अंशदान	0.18	0.10
iii)	***समाप्ति लाभ***	-	0.17
	कुल	1.97	2.38

v. *स्वतंत्र निदेशकों का वेतन*

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	स्वतंत्र निदेशक का वेतन	समाप्त वर्ष	
		31.03.2020	31.03.2019
i)	बैठक शुल्क	0.25	0.28

vi. *मुख्य प्रबंधकीय कार्मिक सहित बकाया शेष*

(₹ करोड़ में)

क्र. सं.	विवरण	समाप्त वर्ष	
		31.03.2020	31.03.2019
i)	देय राशि	-	-
ii)	प्राप्त करने योग्य राशि	-	-

बी. समूह के अंदर पार्टी से संबंधित लेनेदेन

कोल इंडिया लिमिटेड ने अपनी सहायक कंपनियों के साथ लेन–देन में प्रवेश किया है जिसमें शीर्ष शुल्क, पुनर्वितरण शुल्क, पट्टे का किराया, सहायक कंपनियों द्वारा लगाए गए धन पर ब्याज, आईआईसीएम शुल्क और चालू खाते से अन्य सहायक कंपनियों की ओर से किए गए अन्य व्यय शामिल हैं।

ए. संबंधित पक्षों के साथ लेनदेन

(₹ करोड़ में)

संबंधित पार्टी का नाम	संबंधित पार्टी को ऋण	संबंधित पार्टी से ऋण	अपेक्स शुल्क	पुनर्वास प्रभाव	लीज किराया आय	अनुषंगियों द्वारा जमा की गयी राशि ब्याज	आई.आई.एम प्रभार	चालू खाता शेष
कोल इंडिया लिमिटेड			108.05	64.45		0.25	0.80	(1,953.70)
ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (ईसीएल) सांकतोरिया, पश्चिम बंगाल								
भारत कोकिंग कोल लिमिटेड (बीसीएल) धनबाद, झारखण्ड								
सेंट्रल कोलफील्ड्स लिमिटेड (सीसीएल) राँची, झारखण्ड								
वेस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (डब्लूसीएल) नागपुर, महाराष्ट्र								
साऊथ ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एसईसीएल), बिलासपुर, छत्तीसगढ़								
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड (एनसीएल)								
महानदी कोलफील्ड्स लिमिटेड (एमसीएल) सम्बलपुर, ओडिशा								

सेन्ट्रल माइन प्लानिंग एण्ड डिजाइन इन्स्टीट्यूट लिमिटेड (सीएमपीडीआई) राँची, झारखण्ड								
कोल इंडिया अफ्रीकाना लिमिटाड़ा, मोज़ाम्बिक (सीआईएएल)								
इंटरनेशनल कोल वैंचर प्राइवेट लिमिटेड (आईसीवीएल)								
सीआईएल एनटीपीसी ऊर्जा प्राइवेट लिमिटेड								
ताल्चर फर्टिलाइजर लिमिटेड (टीएफ़एल)								
हिन्दुस्तान उर्वरक एवं रसायन लिमिटेड (एचयूआरएल)								

बी. अंश की पुनर्खरीद : एलसीएल ने सीआईएल से अपने अंशों की पुनर्खरीद की, उन पुनर्खरीद का विवरण निम्नलिखित है :–

कंपनी का नाम	पुनर्खरीद का वित्तीय वर्ष	पुनर्खरीद की गयी अंशों की संख्या	पुनर्खरीद का मूल्य	सीआईएल द्वारा प्रपट राशि	पुनर्खरीद के बाद सीआईएन द्वारा जमा अंशों की संख्या बोनस अंशों के साथ
नार्दर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड	2016-17	411,135	₹30,260.70/-	₹1,244.12 करोड़	6,827,965
	2018-19	518,560	₹6,845.83/-	₹355.00 करोड़	6,309,405

सी) समान सरकार के नियंत्रण में संस्थाएँ

सरकार से संबंधित संस्था होने के नाते कंपनी संबंधित पार्टी के लेन–देन के संबंध में सामान्य प्रकटीकरण आवश्यकताओं से मुक्त होती है और नियंत्रित सरकार और उसी सरकार के तहत एक अन्य इकाई के साथ बकाया राशि के संबंध में है। निम्नलिखित लेन–देन को एक ही सरकार के नियंत्रण में संस्थाओं के साथ आर्म्स लेंथ प्राइस पर दर्ज किया गया है।

(₹ करोड़ में)

संस्था का नाम	लेनदेन	के अनुसार	
		31.03.2020	31.03.2019
एनटीपीसी	कोयले की बिक्री	10,140.77	9,552.33

डी) बीमा और वृद्धि के दावे

प्रवेश / अंतिम निपटान के आधार पर बीमा और वृद्धि के दावों का हिसाब लगाया जाता है।

ई) हाल ही में लेखा घोषणा / आर्थिक स्थिति

i) कॉरपोरेट मामलों के मंत्रालय का दिनांक 30 मार्च, 2019 भारतीय लेखा मानक (इंडस्ट्रीज एएस) 116 की अधिसूचना, कंपनी के लिए प्रभावी हो गया है 01.04.2019 से इंडस्ट्रीज 17, पट्टों की जगह। पट्टों पर लेखांकन नीति को इंडस्ट्रीज 116 के रूप में बदल दिया गया है। 116 के रूप में इंडस्ट्रीज का मुख्य परिवर्तन, पट्टों के लेखांकन निरूपण में पट्टों के पट्टाधारी द्वारा में परिवर्तन है जो वर्तमान में परिचालन पट्टों के रूप में वर्गीकृत किया गया है। पट्टा समझौतों ने राइट–ऑफ–यूज परिसंपत्ति की मान्यता को बढ़ावा दिया है और कंपनी के पट्टेदार होने के मामले में भविष्य के लीज भुगतान के लिए एक पट्टा देयता है।

कंपनी पर इंडस्ट्रीज 116 के रूप में प्रयोज्यता का कोई संक्रमणकालीन प्रभाव नहीं है।

ii) कोरोना वायरस (COVID-19) का प्रकोप भारत और दुनिया भर में आर्थिक गतिविधियों में महत्वपूर्ण गड़बड़ी और मंदी का कारण बन रहा है। कंपनी ने अपने व्यापार के संचालन पर इस महामारी के प्रभाव का मूल्यांकन किया है। इसकी समीक्षा और आर्थिक परिस्थितियों के वर्तमान संकेतकों के आधार पर, इसके वित्तीय परिणामों पर कोई महत्वपूर्ण प्रभाव नहीं है। कंपनी भविष्य की आर्थिक परिस्थितियों और उसके व्यवसाय पर प्रभाव से उत्पन्न होने वाले किसी भी भौतिक परिवर्तन की बारीकी से निगरानी करना जारी रखेगी।

एफ) खातों में किए गए प्रावधान

धीमी गति से चलने वाले/अचल/अप्रचलित स्टोर्स, दावों को प्राप्य, अग्रिमों, संदिग्ध ऋणों आदि के विरुद्ध खातों में किए गए प्रावधान को संभावित नुकसान को कवर करने के लिए पर्याप्त माना जाता है।

जी) चालू परिसंपत्ति, ऋण और एडवांस आदि

प्रबंधन की राय में, अचल संपत्तियों और गैर–मौजूदा निवेशों के अलावा अन्य परिसंपत्तियों को व्यापार के साधारण पाठ्यक्रम में कम से कम उस राशि के बराबर मूल्य का दर्शाया गया है जिस पर उन्हें कहा जाता है।

एच) वर्तमान देयताएँ

अनुमानित देयता प्रदान की गई है जहाँ वास्तविक देयता को मापा नहीं जा सकता है।

आई) शेष की पुष्टि

नकद और बैंक शेष, कुछ ऋण और अग्रिम, दीर्घकालिक देनदारियों और वर्तमान देनदारियों के लिए शेष की पुष्टि/सुलह किया जाता है। सभी संदिग्ध अपुष्ट शेषों के लिए प्रावधान किया गया है।

जे) वह भूमि जिस पर एमजीआर ट्रैक चल रहा है एनसीएल की उस भूमि का प्रयोग एनटीपीसी द्वारा किया जा रहा है। वर्तमान में एनटीपीसी के साथ कोई किराये का समझौता नहीं है, इसलिए, किराये के समझौते की अनुपस्थिति में, लीज रेंट इनकम की मांग नहीं उठाई जा सकती।

के) वर्ष 1998–99 में गोरबीखानों को बंद और सालों पहले छोड़ दिया गया। कोयला मंत्रालय के परिपत्र के अनुसार परिपत्र सं. 55011/ (1) 2009–सीपीएएम दिनांक 18 फरवरी, 2011 एस्क्रौ खाते में खदान बंद करने की योजना और जमा की जाने वाली राशि की आवश्यकता, मौजूदा और परिचालनखानों पर लागू होती है हालांकि यह प्रावधान गोरबी खदान के लिए 23 करोड़ रुपये का है। यह प्रकरण सीएमपीडीआईएल को भेजा गया था, जिन्होंने अनुमानित लागत को 33.44 करोड़ रुपये में संशोधित किया है, जो गोरबीखानों के लिए खदान बंद करने का प्रावधान होना चाहिए। 23 करोड़ रुपये की उपरोक्त राशि में 22.43 करोड़ रुपये की लागत का एसिड पिट जल प्रबंधन शामिल है, जो एनटीपीसी द्वारा एमओयू दिनांक 3 जनवरी, 2019 के अनुसार एनसीएल और एनटीपीसी के बीच में समझोता किया जाएगा और इसलिए एनसीएल द्वारा आवंटित धन के अलावा राशि देने की आवश्यकता नहीं है। हालांकि गोरबीखानों की खदान बंद करने की गतिविधियों को पूरा करने के लिए 0.82 करोड़ रुपये की शेष राशि को बरकरार रखने की सिफारिश की गई है अंतिम समीक्षा और पुष्टि के लिए सीएमपीडीआईएल के साथ इस प्रकरण उठाया जाएगा CMPDIL से निकासी के लंबित होने तक, यथा स्थिति बनाए रखी जा रही है।

एल) तकनीकी मानकों का उपयोग अग्रिम स्ट्रिपिंग और कोयला की मात्रा की गणना के लिए किया जाता है।

एम) महत्वपूर्ण लेखा नीति

महत्वपूर्ण लेखा नीति (नोट–2) को पिछली अवधि में उपयुक्त रूप से संशोधित/पुनः प्रारूपित किया गया है, जैसा कि कॉर्पोरेट मामलों के मंत्रालय (MCA) द्वारा अधिसूचित भारतीय लेखा मानकों (Ind ASs) के अनुसार कंपनी द्वारा अपनाई गई लेखांकन नीतियों को स्पष्ट करने के लिए आवश्यक है। कंपनीस (भारतीय लेखा मानक) नियम, 2015 के तहत।

एन) वस्तु सूची की लेखा नीति में परिवर्तन

उपयोगकर्ताओं को अधिक प्रासंगिक जानकारी प्रदान करने के लिए एफआईएफओ विधि से आविष्कारों की लागत की गणना का तरीका भारित औसत विधि में बदल दिया गया है। हालांकि, पिछले वर्ष 2018–19 के क्लोजिंग स्टॉक के मूल्यांकन पर काफी प्रभाव पड़ा है, इसलिए पिछले वर्ष के रिपोर्ट के आंकड़ों को बहाल नहीं किया गया है। उपरोक्त परिवर्तन के कारण, कर से पहले चालू वर्ष के लाभ में 0.74 करोड़ रुपये की वृद्धि हुई है।

ओ) अन्य

1. पिछली अवधि के आंकड़ों को वर्तमान अवधि के साथ तुलनीय बनाने के लिए जहाँ कहीं भी आवश्यक समझा जाता है, वहाँ पुनर्व्यवस्थित किया गया है।

2. नोट – 1 और 2 क्रमशः कॉर्पोरेट सूचना और महत्वपूर्ण लेखा नीतियों को दर्शाता है, नोट 3 से 23 तक 31.03.2020 को बैलेंस शीट के भाग के रूप में और 24 से 37 तक उस तिथि को समाप्त वर्ष के लाभ एवं हानि विवरण के भाग के रूप में पढ़ा जाए।

3. वित्तीय विवरण को जारी करने हेतु दिनांक 30.05.2020 को निदेशक मण्डल द्वारा स्वीकृत।

नोट : संख्या 1 से 38 के लिए हस्ताक्षर

हमारी सलग्न रिपोर्ट के अनुसार

कृते जे.एन. शर्मा एंड कंपनी
चार्टर्ड अकाउंटेंट
फ़र्म पंजीकृत सं. 000833C

(ए.के. वर्मा)
पार्टनर
सदस्यता सं. 75755

दिनांक : 30.05.2020
स्थान : सिंगरौली

निदेशक मण्डल की ओर से

(पी.के. सिन्हा)
अध्यक्ष सह प्रबंध निदेशक
डीआईएन–07599781

(एन.एन. ठाकुर)
निदेशक (वित्त) एवं सी.एफ़.ओ.
डीआईएन–08176571

(पी.महेश्वर राव)
महाप्रबंधक (वित्त)

(हर्ष चौहान)
कंपनी सचिव

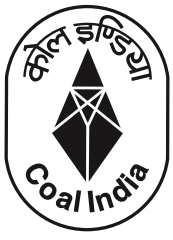

नॉर्दन कोलफील्ड्स लिमिटेड
मिनिरत्न कम्पनी
(कोल इंडिया लिमिटेड की अनुषंगी)

पंजीकृत कार्यालय
पोस्ट ऑफिस – सिंगरौली कोलियरी
जिला – सिंगरौली (म.प्र.)–486889

www.nclcil.in